सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

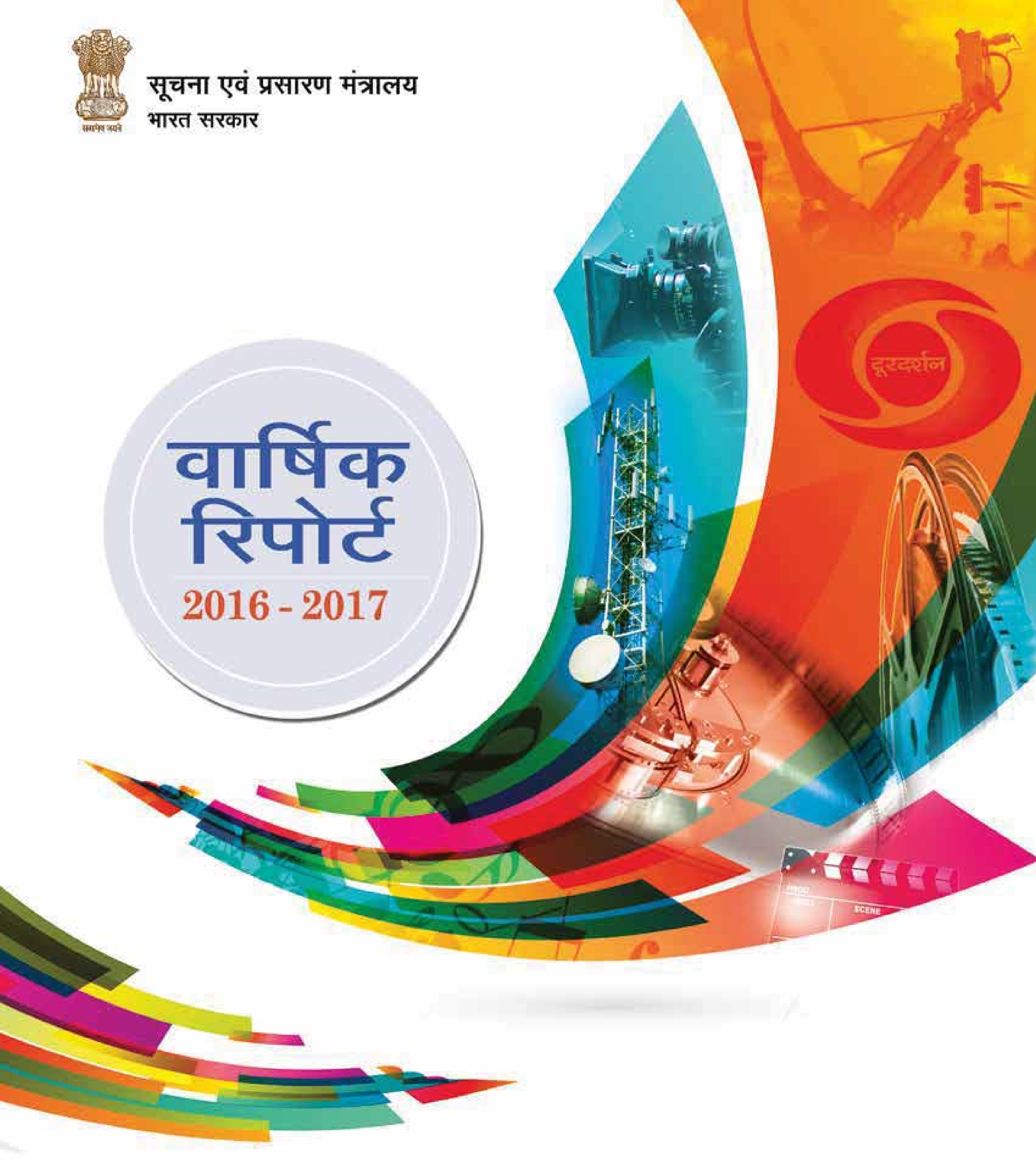

वार्षिक रिपोर्ट

2016 - 2017

वार्षिक रिपोर्ट
2016-17

प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित
विबा प्रेस प्रा. लि., नई दिल्ली–110020 द्वारा मुद्रित

सत्यमेव जयते

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2016-17

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु भारतीय प्रेस परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में 'रिपोर्टिंग फ्रॉम कान्फ्लिक्ट एरियाज़' का लोकार्पण करते हुए

विषय सूची

अध्याय सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
	वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां	07
1	एक झलक	17
2	मंत्रालय की भूमिका और कार्य	21
3	मंत्रालय की नई पहल	25
4	सूचना क्षेत्र की गतिविधियां	33
5	प्रसारण क्षेत्र की गतिविधियां	97
6	फिल्म क्षेत्र की गतिविधियां	225
7	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	281
8	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण	285
9	मंत्रालय की सेवाओं में दिव्यांग जनों का प्रतिनिधित्व	287
10	राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग	291
11	महिला कल्याण संबंधी गतिविधियां	293
12	सतर्कता संबंधी मामले	297
13	नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र	299
14	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले	303
15	लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा	307
16	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	313
17	कैट के फैसलों/आदेशों पर अमल	315
18	योजना परिव्यय	317
19	मीडिया इकाई–वार बजट	323
20	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सांगठनिक चार्ट	333

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु नई दिल्ली में पहली बार आयोजित ब्रिक्स फिल्म समारोह को संबोधित करते हुए

वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां

सूचना क्षेत्र

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु के साथ 'रिपोर्टिंग फ्रॉम कन्फ्लिक्ट एरियाज़–ए चैलेंज टू मीडिया' रिपोर्ट भी जारी की। श्री एम. वेंकैया नायडु और सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर और भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सी.के. प्रसाद ने पत्रकारिता में योगदान के लिए जाने–माने पत्रकारों और फोटो–पत्रकारों को भी पुरस्कृत किया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु भारतीय प्रेस परिषद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर पत्रकारिता के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र के बीच प्रचार–प्रसार की प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 9 और 10 दिसंबर, 2016 को विज्ञान भवन में 28वीं 'स्टेट इनफॉर्मेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस' (सिमकॉन) का आयोजन किया। सिमकॉन का उद्देश्य जनता के साथ प्रभावी संवाद कायम करना और फिल्म, प्रसारण एवं सूचना के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना है। यह सम्मेलन 'रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म– ए न्यू डाइमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन' विषय पर आयोजित किया गया था।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु 28वें सिमकॉन के अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए। सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर और सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अजय मित्तल भी इस अवसर पर मौजूद थे

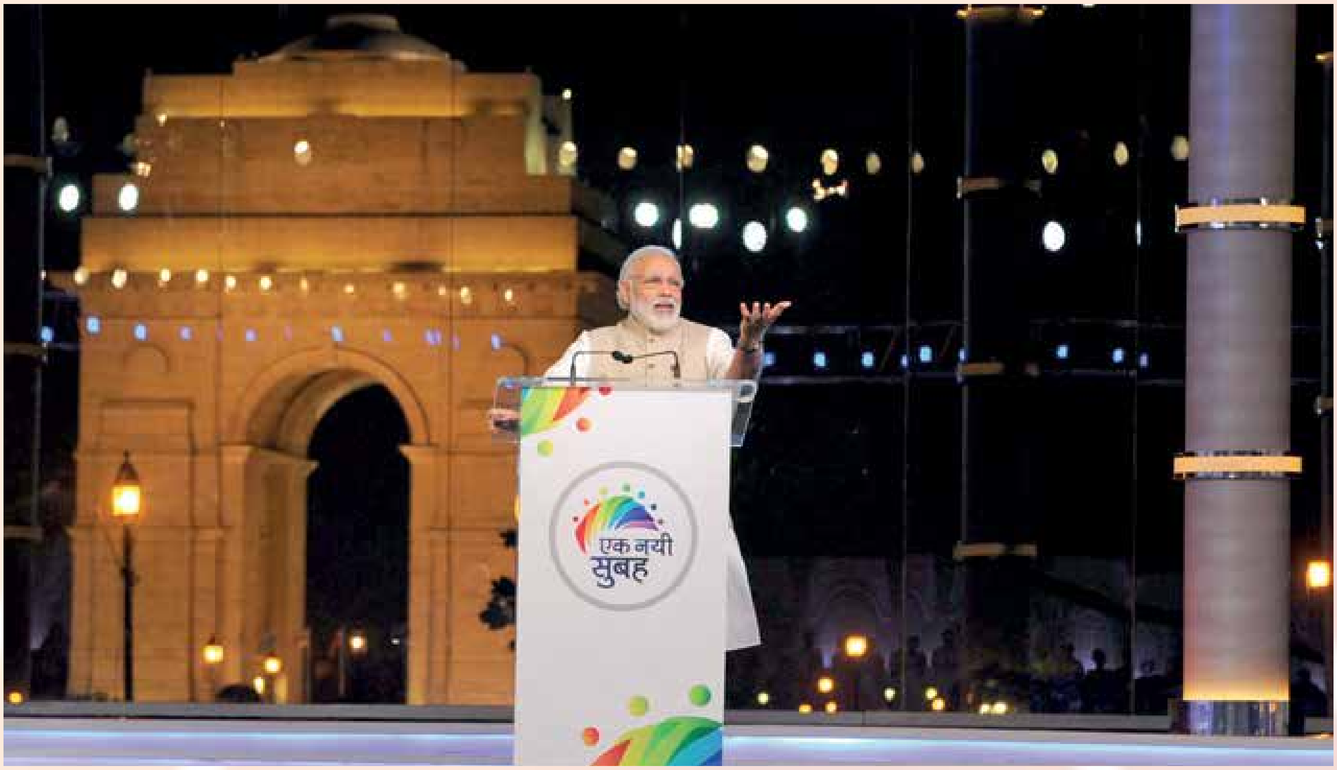

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इंडिया गेट पर आयोजित 'एक नई सुबह' समारोह को संबोधित करते हुए

- माननीय उप राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाशन विभाग की 'राष्ट्रपति भवन पुस्तकमाला़' की 11 नई पुस्तकों का 25 जुलाई, 2016 को लोकार्पण किया। कुछ शीर्षकों में 'ए वर्क ऑफ ब्यूटी– द आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप ऑफ राष्ट्रपति भवन', 'फर्स्ट गार्डन ऑफ द रिपब्लिक– नेचर इन द प्रेसिडेंट एस्टेट' और 'अराउंड इंडियाज फर्स्ट टेबल : डाइनिंग, एंटरटेनिंग एट राष्ट्रपति भवन' शामिल हैं।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और प्रमुख गतिविधियों पर विभिन्न संचार माध्यमों की मदद से मल्टीमीडिया अभियान शुरू किए। इनमें शामिल हैं :
  - o **सरकार के दो साल पूरे होने पर 'देश बदल रहा है आगे बढ़ रहा है'**– एक मल्टीमीडिया कार्यक्रम– एक नई सुबह– सरकार के पिछले दो साल की उपलब्धियां दर्शाने वाला कार्यक्रम दिल्ली के इंडिया गेट और चार अन्य स्थानों (मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी और हरियाणा) में 28 मई, 2016 को एक साथ आयोजित किया गया।
  - o **'आज़ादी 70 साल – याद करो कुर्बानी'** थीम पर स्वतंत्रता दिवस समारोह। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु ने 12 अगस्त, 2016 को इसका थीम सौंग 'तिरंगा यात्रा' लांच किया। डीएवीपी और फोटो प्रभाग द्वारा एक फोटो प्रदर्शनी भी इंडिया गेट के राजपथ लॉन में आयोजित की गई। प्रकाशन विभाग द्वारा एक पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई।
  - o **द्वितीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस**– डीएवीपी द्वारा 'करो योग, रहो निरोग' विषय पर एक विशेष प्रदर्शनी चंडीगढ़ में आयोजित की गई।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के 13 मई, 2015 के निर्देशानुसार 06 अप्रैल, 2016 को सरकारी विज्ञापनों में सामग्री नियमन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए तीन–सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता भारत के

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में डीएवीपी द्वारा आयोजित दूसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री बी.बी. टंडन कर रहे हैं।

- सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में 19 अगस्त, 2016 को सरकार की संचार गतिविधियों में फेसबुक के प्रभावी इस्तेमाल पर कार्यशाला का उद्‌घाटन किया। यह पत्र सूचना कार्यालय, न्यू मीडिया विंग और फेसबुक का संयुक्त प्रयास था। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के 250 से ज्यादा अधिकारियों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया।
- श्री एम. वेंकैया नायडु ने 30 नवंबर, 2016 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, आवास तथा शहरी ग़रीबी उपशमन और शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों को लैस कैश इकोनॉमी यानी कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के प्रसार और डिजिटल और ऑनलाइन लेन–देन को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में संबोधित किया।
- 'स्वच्छ भारत अभियान' के अंतर्गत शुरू की गई गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक कैलेंडर तैयार किया, जिसमें मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों द्वारा की जाने वाली मासिक गतिविधियां शामिल हैं। यह सितंबर 2016 से प्रभावी हुआ। यह कैलेंडर न सिर्फ कार्यस्थल और अपने आसपास की सफ़ाई पर ध्यान आकिर्षत कराता है बल्कि लंबित मामलों, प्राप्त हुए पत्रों, फ़ाइलों इत्यादि के निपटान का भी ध्यान

सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर 'सरकार की संचार गतिविधियों में फेसबुक के प्रभावी इस्तेमाल' पर कार्यशाला के उद्‌घाटन समारोह के अवसर पर

दिलवाता है। इसका उद्देश्य आम जनता और अन्य सरकारी मंत्रालयों व विभागों से जुड़े मुद्दों का जल्द से जल्द निपटारा करने पर ज़ोर देना है।

- मंत्रालय ने सूचना के क्षेत्र में नीतिगत स्तर पर कई शुरुआत की।
  - प्रिंट मीडिया में सरकारी विज्ञापन जारी करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रसार करने और नकली व अनियमित समाचार पत्रों को अलग करने के उद्देश्य से डीएवीपी के लिए एक नई प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति बनाई गई। इस नीति से डीएवीपी में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए एक पारदर्शी नया मार्किंग सिस्टम और सर्कुलेशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हुई है।
  - प्रकाशन उद्योग में समसामयिक रुझानों के अनुसार नए कारोबारी तौर–तरीके अपनाने के उद्देश्य से प्रकाशन विभाग के लिए नई व्यापार नीति। इस नीति में ऑनलाइन पठन का प्रसार करने और ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ज़रिये पुस्तकों की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है।
  - ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार के विज्ञापनों के लिए नए नीति–निर्देश 24 मई, 2016 को जारी किए गए। इनमें वेबसाइट्स पर प्रदर्शित होने वाले विज्ञापनों के मूल्य तय करने और इनके लिए उपयुक्त विज्ञापन एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
  - श्री एम. वेंकैया नायडु ने जाने–माने गांधीवादी अध्येता प्रोफेसर सुदर्शन अय्यंगार द्वारा लिखित पुस्तक 'इन द फुटस्टेप्स ऑफ महात्मा : गांधी एंड स्वच्छता' का लोकार्पण किया। इस पुस्तक में देश में स्वच्छता के महत्व पर गांधीजी के विचार और व्याख्यान संकलित हैं। इसके साथ ही श्री नायडु ने प्रकाशन विभाग द्वारा महात्मा गांधी पर 25 ई–बुक्स का भी लोकार्पण किया। इनमें डी.जी. तेंदुलकर द्वारा लिखित ई–बुक 'महात्मा' (आठ खंड) भी शामिल है, जो गांधीजी की सबसे प्रसिद्ध जीवनियों में से एक है।
- 26 नवंबर, 2016 को संविधान दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टी.एस. ठाकुर और विधि एवं न्याय तथा इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'कोर्ट्स ऑफ इंडिया–पास्ट टू प्रेज़ेंट' का लोकार्पण किया। यह पुस्तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के संपादकीय मंडल के विशेष मार्गदर्शन में प्रकाशित की गई।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में 29 जुलाई, 2016 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों के सभी अधिकारियों को संबोधित किया। इसमें अधिकारियों से की जाने वाली तमाम उम्मीदों मसलन नतीजों, पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुशासन और कार्यस्थल पर बेहतर माहौल बनाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली मीडिया यूनिट पत्र सूचना कार्यालय ने क्षेत्रीय मीडिया तक पहुंच बनाने और सरकार की विकास संबंधी योजनाओं व पहल आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्षेत्रीय संपादकों के सम्मेलन आयोजित किए।
  - श्री एम. वेंकैया नायडु ने 1 सितंबर 2016 को दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चेन्नई में क्षेत्रीय संपादकों के दो–दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
  - उत्तरी और उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए चंडीगढ़ में 17 अक्तूबर, 2016 को क्षेत्रीय संपादकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों से तकरीबन 90 संपादकों ने हिस्सा लिया।
  - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के सहयोग से दिल्ली में 10–11 नवंबर 2016 को आर्थिक मामलों के संपादकों का दो–दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 60 आर्थिक संपादकों ने इसमें भागेदारी की।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली

मीडिया यूनिट संगीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा नई दिल्ली में बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर एक ख़ास आयोजन किया, इसमें उनके जीवन और घटनाओं का चित्रण किया गया।

प्रसारण क्षेत्र

- राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल के

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी कोलकाता में बंगाली प्रवासियों के लिए आकाशवाणी के 'मैत्री' चैनल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए

कोलकाता में 23 अगस्त, 2016 को आकाशवाणी का 'मैत्री चैनल' लांच किया। यह बांग्लादेश और बंगाली प्रवासियों के लिए विशेष सेवा है। ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी मैत्री और इसकी मल्टीमीडिया वेबसाइट न सिर्फ पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और आस–पास के क्षेत्रों के बंगाली श्रोताओं के लिए, बल्कि दुनियाभर में अलग–अलग क्षेत्रों में रह रहे बंगाली भाषी प्रवासियों के लिए भी काफ़ी ख़ास है।

- मंत्रालय ने 'व्यापार करने में आसानी' के एक हिस्से के रूप में मौजूदा टीवी चैनलों की सालाना नवीनीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया है। इससे 963 चैनलों और टेलीपोर्ट्स को लाभ पहुंचा है। वे प्रसारणकर्ता जिनके पास पहले से ही अपलिंकिंग या डाउनलिंकिंग की मंजूरी है, वे सिर्फ सालाना शुल्क अदा करके अपने कार्यक्रम जारी रख सकते हैं।
- सामुदायिक रेडियो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु ने सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की सब्सिडी को उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया है और अन्य राज्यों के लिए यह सब्सिडी 75 प्रतिशत कर दी है जिसकी अधिकतम सीमा 7.5 लाख रुपये रखी गई है।
- सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति के लिए एक मज़बूत मंच उपलब्ध कराने और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नया प्रतिबद्ध दूरदर्शन चैनल 'अरुण प्रभा' जल्द ही लांच किया जाएगा। इसमें समृद्ध स्थानीय संस्कृति की विविधता और विभिन्नता होगी और यह उत्तर–पूर्व को पूरे देश के साथ जोड़ेगा।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टीवी डिजिटाइजेशन से संबंधित कई कानूनी चुनौतियों को सफलतापूर्वक निपटा लिया है। सभी शहरी क्षेत्रों में केबल टीवी डिजिटाइजेशन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। बाकी बचे हुए उपभोक्ताओं को तीसरे चरण में शामिल करते हुए 31 जनवरी, 2017 का अतिरिक्त समय दिया, ताकि वे पूरी तरह डिजिटल रूप से जुड़ सकें।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पूरे भारत में एफएम रेडियो की पहुंच बढ़ाने के लिए 48 शहरों में एफएम चरण तीन के दूसरे बैच की नीलामी भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इससे पहले मंत्रालय ने साल 2015 में एफएम चरण–तीन के पहले बैच के लिए भी सफलतापूर्वक नीलामी पूरी कर ली थी।
- मंत्रालय ने इसी वर्ष ऑल इंडिया रेडियो की विदेश सेवा प्रभाग की बलोची सेवा की मल्टीमीडिया वेबसाइट और मोबाइल एप पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है। विदेश सेवा प्रभाग की विदेशी और भारतीय भाषा सेवाओं को भी एयरवर्ल्डसर्विस एंड्रॉयड और आईओएस मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लांच किया गया।

फिल्म क्षेत्र

- सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु और बांग्लादेश के सूचना मंत्री श्री हसनुल हक़ इनु ने दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर आपसी सहयोग और साझेदारी के लिए रज़ामंदी दी है। इसमें दोनों देशों के बीच दृष्य श्रव्य कार्यक्रमों के सह–निर्माण

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी मनोज कुमार को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करते हुए

का समझौता और भारत में बांग्लादेश फिल्म समारोह व बांग्लादेश में भारतीय फिल्म समारोह के आयोजन में सहयोग का समझौता शामिल है।

- मंत्रालय ने 'स्वच्छ भारत' विषय पर लघु फिल्म प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। इसमें लोगों में साफ़–सफ़ाई और जनस्वास्थ्य संबंधी मामलों के बारे में जागरूकता लाने के लिए प्रेरणास्पद लघु फिल्में भेजीं। देशभर से 20 से अधिक भाषाओं में 4,346 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। शीर्ष दस फिल्मों के निर्देशकों को 10 लाख रुपये (प्रथम स्थान पर रही फिल्म), अगली तीन को पांच लाख रुपये (दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर रही फिल्म) और दो लाख रुपये (आख़िरी छह फिल्में) की नकद ईनाम राशि दी गई, जबकि अन्य दस निर्देशकों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए।
- सरकार ने फिल्म सुविधा केंद्र (एफएफओ) की स्थापना भी की है। यह फिल्म निर्माताओं को फिल्मांकन स्थल के रूप में भारत के प्रचार–प्रसार करने और देश में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा की दिशा में उठाया गया एक कदम है। यह पहल उन संभावित फिल्म निर्माताओं के लिए जरूरी है, जो फिल्म प्रयोजनों के लिए भारत को एक मंच के रूप में उपयोग करने के लिए उत्साही हैं। एफएफओ, फिल्म निर्माताओं के लिए एक सुविधा केंद्र की तरह काम करता है और उन्हें अपेक्षित अनुमतियां, फिल्म निर्माण के लिए भारतीय फिल्म उद्योग के साथ उपलब्ध स्थानों के साथ ही शूटिंग की सुविधाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करने में मदद करता है।
- मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारतीय सिनेमा के प्रसार के लिए फिल्म संवर्धन कोष की स्थापना की है। इसका उद्देश्य उन फिल्मों को आर्थिक सहयोग देना है जो किसी अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के प्रतियोगिता खंड के लिए चुनी जाती हैं विदेशी फिल्म कैटेगरी में अकेडमी अवार्ड्स का आधिकारिक नामांकन हासिल करने वाली भारतीय फिल्मों को प्रचार संबंधी गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को फिल्म उद्योग को सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु फिल्मों के लिए अनुकूलतम राज्य नाम के पुरस्कारों की शुरुआत की है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य फिल्म पर्यटन, विदेशी फिल्मकारों को उनके राज्य में शूटिंग के लिए आमंत्रित करने के लाभ,

47वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के शुभारंभ के अवसर पर गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा और रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर दीप प्रज्ज्वलित करते हुए। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु भी उपस्थित थे

एक पसंदीदा फिल्मांकन स्थल के रूप में भारत का प्रचार करने के साथ–साथ फिल्म उद्योग की प्रगति को प्रोत्साहित करने के प्रति भारतीय राज्यों को संवेदनशील बनाना है। 'फिल्मों के लिए अनुकूल राज्य' को एक करोड़ रुपये की राशि भी दी जाएगी।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले फिल्म समारोह निदेशालय ने अब तक का पहला ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम परिसर में 2 सितंबर से 6 सितंबर, 2016 तक आयोजित किया। फिल्म समारोह अक्तूबर 2016 में गोवा में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन का एक हिस्सा था। फिल्म समारोह में ब्रिक्स के पांचों देशों– ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की संस्कृति, फिल्म, गीत, संगीत, नृत्य और खानपान की झलक देखने को मिली।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मित्र देशों के लोगों के बीच संवाद कायम करने के उद्देश्य से कई फिल्म समारोहों का आयोजन किया।

    - सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने 16 जुलाई, 2016 को नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में ईरानी फिल्म समारोह का उद्घाटन किया। इस समारोह का आयोजन सांस्कृतिक आदान–प्रदान के एक माध्यम के रूप में ईरान और भारत के सांस्कृतिक गठबंधन की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया था। यह समारोह 17 जुलाई से 19 जुलाई, 2016 तक चला। इसमें ईरान के सुप्रसिद्ध फिल्मकारों की पुरस्कार प्राप्त 14 फिल्में दिखाई गईं।

    - कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने 30 जुलाई, 2016 को नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में यूरोपियन यूनियन फिल्म समारोह का उद्घाटन किया। इस समारोह का आयोजन भारत में यूरोपीय संघ के शिष्टमंडल और डीएफएफ के सहयोग से किया गया। 30 जुलाई से 6 अगस्त, 2016 तक चले इस समारोह में 23 फिल्में दिखाई गईं।

- फिल्म प्रमाणन के संबंध में बोर्ड के मार्गदर्शन के लिए व्यापक दिशा–निर्देश और प्रक्रिया के बारे में सुझाव देने हेतु श्री श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु पहले ब्रिक्स फिल्म समारोह के समापन के अवसर पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए

1 जनवरी, 2016 को एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। इस समिति ने अप्रैल 2016 में अपनी रिपोर्ट का पहला हिस्सा प्रस्तुत किया और अंतिम भाग जून 2016 में। समिति के सुझाव व्यापक रूप से प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाने, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा किसी प्रकार की कोई कांट–छांट न करने की व्यवस्था करने और जांच समिति व पुनरीक्षण समिति के लिए क्रमशः क्षेत्रीय और केंद्रीय सलाहकार पैनल के एक पैनल के रूप में कार्य करने के लिए, सीबीएफसी की भूमिका तय करने, नई प्रमाणन श्रेणियां बनाने, प्रमाणन और दिशा–निर्देश प्रक्रिया में सीईओ और क्षेत्रीय अधिकारियों की भूमिका से संबंधित हैं।

- विलियम शेक्सपियर की 400वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इंडियन शेक्सपियर ऑन स्क्रीन यानी 'परदे पर भारतीय शेक्सपियर' विषय पर 27 अप्रैल, 2016 से 29 अप्रैल, 2016 तक लंदन के एशिया हाऊस में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार–एनएफएआई ने 1935 से 2006 तक की 15 जरूरी फिल्मों के फोटो और वॉल पोस्टर की सॉफ्ट इमेज उपलब्ध कराई। एनएफएआई में भी इसी विषय पर 22 अप्रैल से 25 अप्रैल, 2016 तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें ईएलटीआईएस (सिंबायोसिस) और एनएफएआई ने भी सहयोग किया।
- राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) और भारतीय फिल्म सोसाइटी संघ के सहयोग से 18–24 सितंबर, 2016 तक एनएफएआई में फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स भी आयोजित किया गया। इसमें निर्देशों का माध्यम मराठी था।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु, स्वच्छ भारत लघु फिल्म महोत्सव के सम्मान समारोह में पुस्तक का लोकार्पण करते हुए। साथ में सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर और सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अजय मित्तल भी हैं

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2016 के उद्घाटन समारोह में गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु, रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर और गोवा के मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर

1 एक झलक

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, प्रेस, मुद्रित प्रकाशन, विज्ञापन और संचार के पारंपरिक माध्यमों जैसे नृत्य तथा नाट्य आदि के ज़रिये सूचनाओं के जनता तक निर्बाधित प्रवाह में अहम भूमिका निभाने में मदद करता है। मंत्रालय राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, निरक्षरता उन्मूलन और महिला, बच्चों, अल्पसंख्यकों एवं समाज के अन्य वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न आयुवर्गों में जागरूकता लाने और उनके मनोरंजन की जरूरत को पूरा करने की प्रक्रिया में शामिल है।

मंत्रालय के चार स्कंध हैं– सूचना स्कंध, प्रसारण स्कंध, फिल्म स्कंध और एकीकृत वित्तीय स्कंध। मंत्रालय अपनी 21 मीडिया इकाइयों और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और पीएसयू के जरिये काम करता है। मंत्रालय के मुख्य सचिवालय का प्रमुख सचिव होता है, जिसे एक अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सचिव, एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार, एक मुख्य लेखा नियंत्रक और चार संयुक्त सचिवों द्वारा सहयोग किया जाता है। मुख्य सचिवालय के विभिन्न स्कंधों में निदेशक/उपसचिव के स्तर के 15 पद, उप–सचिव स्तर के नीचे 25 पद (इसमें उप निदेशक (ईडब्ल्यू) और उप निदेशक (राजभाषा), एक वरिष्ठ पीपीएस, 5 पीपीएस, 59 पद अन्य राजपत्रित अधिकारी और 257 पद गैर–राजपत्रित कर्मचारियों के लिए हैं।

संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशासन) के अंतर्गत सूचना स्कंध प्रेस से जुड़े नीतिगत मामलों, प्रिंट मीडिया और सरकार के प्रचार की जरूरतों से जुड़े मुद्दों को संभालता है। यह स्कंध मंत्रालय के सामान्य प्रशासन की देखरेख भी करता है।

संयुक्त सचिव (प्रसारण–I) और संयुक्त सचिव (प्रसारण–II)

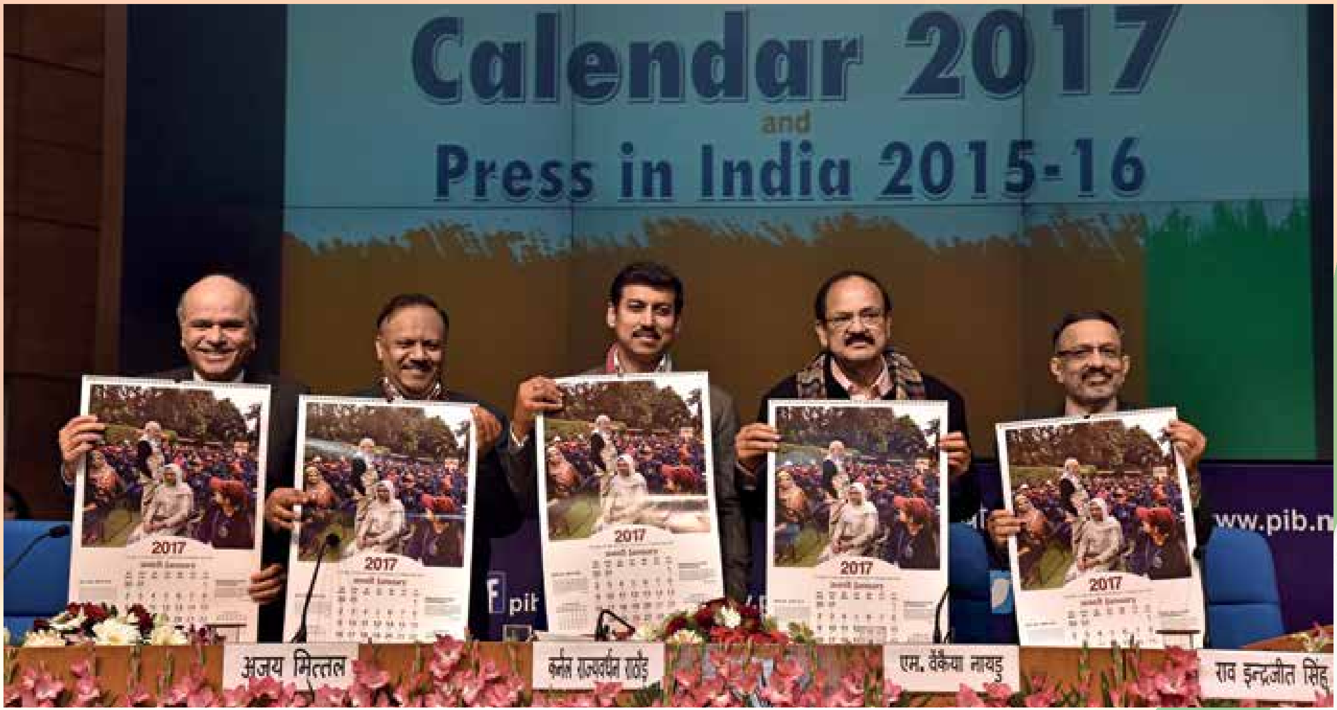

भारत सरकार के कैलेंडर 2017 के विमोचन के अवसर पर श्री एम. वेंकैया नायडु और कर्नल राज्यवर्धन राठौर।
इस कैलेंडर का थीम है : 'मेरा देश बदल रहा है – आगे बढ़ रहा है'

के अंतर्गत प्रसारण स्कंध इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े मुद्दों और निजी टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाली सामग्री के नियमन से जुड़े मामलों के साथ–साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मसलों को भी संभालता है।

संयुक्त सचिव (प्रसारण–I) टीवी चैनलों को लाइसेंस, मान्यता, अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग इत्यादि देने, नए टीवी कार्यक्रमों, डिजिटल केबल सर्विसेज के लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स की व्यवस्था, डीटीएच सेवाओं, हेड एंड इन द स्काई (एचआईटीएस) सेवाओं और टीआरपी संस्थाओं इत्यादि से संबंधित मुद्दे संभालता है।

निजी टीवी चैनलों की सामग्री का नियमन, केबल टीवी नेटवर्क के डिजिटलीकरण को लागू करना और भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान से जुड़े मामले देखना भी इसके प्रमुख कार्य हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी), जो कि एक अधीनस्थ कार्यालय है, इस स्कंध की प्रशासकीय नियंत्रण के तहत कार्य करता है।

जेएस (बी–1) मंत्रालय की सोशल मीडिया इकाई/न्यू मीडिया विंग को भी संभालता है, जो कि सरकार का जनता से संवाद स्थापित करने और जनमत का निर्माण करने का काम करती है।

संयुक्त सचिव (प्रसारण–II) के अंतर्गत विभाग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकास से जुड़े मुद्दों को संभालता है। इसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन का उन्नयन और विस्तार शामिल है। इसके अतिरिक्त यह विभाग प्रसारण क्षेत्र के लिए नीति, नियम बनाने से जुड़े कार्यों में भी शामिल है। इसमें लोक सेवा प्रसारण और एफ.एम. रेडियो भी शामिल है।

संयुक्त सचिव (फिल्म) के अंतर्गत फिल्म स्कंध फिल्म क्षेत्र से जुड़े मसलों को संभालता है। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के निर्माण और वितरण, फिल्म उद्योग के प्रचार–प्रसार से जुड़ी गतिविधियों, जिनमें प्रशिक्षण, फिल्म समारोहों का आयोजन और आयात–निर्यात के नियम बनाने संबंधी मामले शामिल हैं।

एएस एवं एफए के अंतर्गत एकीकृत वित्त विंग मंत्रालय के आर्थिक मसले संभालता है। एएस एवं एफए को सीसीए और डीएस (वित्त) द्वारा सहयोग दिया जाता है।

आर्थिक विभाग का प्रमुख वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार होता है। वह योजना, बजट, योजना समन्वय, आरटीआई मुद्दे, डीबीटी, ई–ऑफिस, ओ एंड एम गतिविधियां और ऑनलाइन पोर्टल के जरिये कैबिनेट सचिवालय को विभिन्न मुद्दों पर सामयिक रिपोर्टिंग करता है। वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार के पास मंत्रालय की संसदीय इकाई का काम भी है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु नई दिल्ली में आयोजित 'भारत पर्व' समारोह को संबोधित करते हुए

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का गठन

मंत्रालय को उसके कामकाज में 13 संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, छह स्वायत्त संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों का सहयोग मिलता है।

संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय

1. पत्र सूचना कार्यालय
2. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय
3. भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय
4. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय
5. प्रकाशन विभाग
6. न्यू मीडिया विंग
7. गीत एवं नाट्य प्रभाग
8. फोटो प्रभाग
9. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र
10. फिल्म प्रभाग
11. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
12. भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार
13. फिल्म समारोह निदेशालय

स्वायत्त संस्थाएं

1. भारतीय प्रेस परिषद
2. भारतीय जनसंचार संस्थान
3. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)
4. भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे
5. सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु चौथी द्वि–वार्षिक फोटो प्रदर्शनी के अवसर पर

6. बाल फिल्म सोसायटी, भारत

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड
2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यक्षेत्र

- आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिये देश और विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए समाचार सेवाएं
- प्रसारण और टेलीविजन का विकास
- फिल्म उद्योग का विकास एवं संबर्द्धन
- फिल्म समारोहों का आयोजन और इसके माध्यम से सांस्कृतिक आदान–प्रदान
- भारत सरकार के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार और उस पर प्रतिक्रिया
- समाचार पत्रों के संबंध में प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 को लागू करना।
- प्रबंध फिल्मों को प्रमाणपत्र देने के संबंध में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 को लागू करना।
- प्रसारणों का अनुश्रवण और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25वां) को लागू करना
- केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7वां) को लागू करना
- प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37वां) को लागू करना
- भारतीय सूचना सेवा (समूह क व ख) का कैडर प्रबंधन
- देश के भीतर और बाहर राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर प्रकाशनों के माध्यम से जानकारी का प्रसार
- मंत्रालय की मीडिया इकाइयों की सहायता के लिए अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण सेवा
- मंत्रालय की संस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रतिष्ठित कलाकारों, संगीतकारों, वादकों, नर्तकों, नाटककारों, आदि को वित्तीय सहायता
- प्रसारण और समाचार सेवाओं के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहयोग

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु, सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर और प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ. सूर्य प्रकाश आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार समारोह के दौरान

2 मंत्रालय की भूमिका और कार्य

सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निम्नलिखित भूमिका और कार्य हैं :

I. प्रसारण नीति एवं प्रशासन

- देश में आकाशवाणी व दूरदर्शन प्रसारण से संबंधित सभी मामले। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनैतिक पार्टियों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के इस्तेमाल का विनियमन और किसी बड़ी हस्ती के निधन पर राष्ट्रीय शोक के दौरान सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया शामिल है।
- भारतीय निजी कंपनियों या भारतीय नागरिकों द्वारा भारत में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण से संबंधित कानून का प्रतिपादन और कार्यान्वयन।
- प्रसारणों का अनुश्रवण और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25वां) का क्रियान्वयन।
- भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा और भारतीय प्रसारण (अभियांत्रिकी) सेवा से संबंधित सभी मामले, जब तक कि वे प्रसार भारती को न सौंप दिए जाएं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु, सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर आवास एवं गरीबी उपशमन तथा शहरी विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ

II. केबल टेलीविजन नीति

- केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7वां)।

III. आकाशवाणी

- घरेलू कार्यक्रमों, विदेशों के लिए कार्यक्रम और विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए कार्यक्रम, रेडियो जर्नल्स, प्रसारण अभियांत्रिकी के क्षेत्र में शोध, विदेश प्रसारण की निगरानी, कार्यक्रम विनिमय और प्रतिलिपि सेवाएं, समुदाय श्रवण योजना के तहत राज्य सरकारों को समुदाय प्राप्त सेट इत्यादि की आपूर्ति के लिए समाचार सेवाओं से जुड़े ऑल इंडिया रेडियो से संबंधित सभी तरह के कार्य।
- देशभर में रेडियो प्रसारण का विकास, रेडियो स्टेशनों और ट्रांसमीटरों की स्थापना और रखरखाव तथा प्रसारण सेवाओं का संचालन।

आकाशवाणी के बलूची वेबसाइट का शुभारंभ

IV. दूरदर्शन

- टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान–प्रदान सहित अन्य विनिमय।
- देशभर में टेलीविजन का विकास। इसमें दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केंद्रों तथा ट्रांसमीटरों की स्थापना

और रखरखाव सहित टीवी सेवाओं का संचालन शामिल है।

- दूरदर्शन से बाहर टीवी कार्यक्रमों के निर्माण को प्रोत्साहन।

V. फिल्म

- संघ सूची की प्रविष्टि 60 के तहत प्रदर्शनी के लिए 'सिनेमेटोग्राफ फिल्मों की मंजूरी' के प्रावधान पर अमल।
- सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां) का क्रियान्वयन
- थियेटरों में और थियेटरों से इतर प्रदर्शन के लिए फीचर और लघु फिल्मों का आयात।
- फिल्म उद्योग से जुड़े सभी मुद्दे, जिनमें विकास और प्रसार गतिविधियां भी शामिल हैं।
- राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के जरिए भारत में बनी उत्कृष्ट फिल्मों का प्रसार। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का सहयोग।
- आंतरिक और बाह्य प्रचार के लिए वृत्तचित्रों और न्यूज़–रील तथा अन्य फिल्मों और फिल्म स्ट्रिप्स का निर्माण और वितरण।
- फिल्मों और फिल्म संबंधी सामग्री का संरक्षण।
- भारत में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारत की भागीदारी।
- सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत फिल्म समारोहों का आयोजन।
- फिल्म समिति की गतिविधियां।

VI. विज्ञापन और दृश्य प्रचार

- भारत सरकार की ओर से विज्ञापनों का निर्माण और उन्हें जारी करना।

VII. प्रेस

- प्रेस के माध्यम से भारत सरकार की गतिविधियों और नीतियों की प्रस्तुति और व्याख्या।
- प्रेस से संबंधित सूचना समस्याओं पर सरकार को सुझाव देना, प्रेस में नज़र आने वाले जनमत के मुख्य मुद्दों पर सरकार को सूचित करते रहना और प्रेस व

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु और सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर 47वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2016 के लिए पोस्टर का विमोचन करते हुए

सरकार के मध्य तालमेल बनाए रखना।

- सशस्त्र सेनाओं के लिए प्रचार करना।
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अनुच्छेद 95 और 96 के प्रावधानों को छोड़कर अन्य मामलों में प्रेस के साथ सरकार के सामान्य संबंधों का निर्धारण।
- समाचार पत्रों से संबंधित प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25वां) का क्रियान्वयन।
- प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37वां) का अनुपालन।
- समाचार पत्रों के लिए न्यूज़प्रिंट का आबंटन।

VIII. प्रकाशन

- राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर आंतरिक और बाह्य प्रचार के लिए लोकप्रिय पत्र–पत्रिका और पुस्तकों का प्रकाशन, विपणन और वितरण ताकि देश की आम जनता तथा विदेशों में रहने वालों को भारत के बारे में ताज़ा और सही सूचनाएं मिलती रहें।

IX. अनुसंधान एवं संदर्भ

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाइयों को ऐसी सामग्री के संकलन, संग्रहण और प्रकाशन में मदद करना जिसके लिए शोध की आवश्यकता होती है।
- महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञान के सार–संग्रह की तैयारी करना और मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के उपयोग के लिए समसामयिक और अन्य विषयों पर मार्गदर्शन और संदर्भ सामग्री तैयार करने के लिए।

X. विविध कार्य

- भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार।
- पत्रकारों के कल्याण कोष का संचालन।
- गायन और वाद्य संगीत दोनों से संबंधित ऐसे प्रतिष्ठित संगीतकारों, नर्तकों और नाटककारों तथा उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देना जिन्होंने आकाशवाणी और दूसरी मीडिया इकाइयों की सफलता में बड़ा योगदान किया है मगर जो विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे है।
- एशिया–प्रशांत प्रसारण संघ, राष्ट्रमंडल प्रसारण संघ और गुट–निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल से संबंधित सभी मामले।
- भारतीय सूचना सेवा (समूह 'क' और 'ख') का संवर्ग प्रबंधन।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए

3 मंत्रालय की नई पहल

प्रिंट मीडिया, इंटरनेट और प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए नई विज्ञापन नीति

- विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के लिए प्रिंट मीडिया में विज्ञापन जारी करने के दौरान जरूरी पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से नई प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति बनायी गई। इस नीति में बेहतर पेशेवर मानदंड अपनाने वाले अखबारों की पहचान के लिए नई अंक प्रणाली की शुरुआत की गई। यह नीति सरकारी विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने और पत्र–पत्रिकाओं की विभिन्न श्रेणियों में समानता और निष्पक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। इस नीति की अन्य मुख्य विशेषताएं हैं– सभी श्रेणियों के अखबारों को प्रोत्साहित करना और ग्राहक मंत्रालयों द्वारा डीएवीपी को समय पर भुगतान राशि की प्राप्ति सुनिश्चित करना।

- ऑनलाइन प्लेटफार्म पर केंद्र सरकार के विज्ञापन जारी करने के संबंध में नीतिगत दिशा–निर्देश 24 मई, 2016 को जारी किए गए। इनसे वेबसाइट्स पर विज्ञापन जारी करने के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने और दरें तय करने के मानदंड बन गए हैं। इन दिशा–निर्देशों का उद्देश्य वेबसाइट्स पर सरकारी विज्ञापन जारी करने के सिद्धांतों और तौर–तरीकों का निर्धारण भी है।

- निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों के बारे में नए डीएवीपी के लिए नीति–निर्देश 11 अगस्त, 2016 को जारी किए गए। नई नीति–निर्देश में (i) न्यूनतम प्रसारण अवधि के आधार पर निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों को सूचीबद्ध किया जाता है (इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई समझौता अनुमति की प्रति और संचार मंत्रालय के द्वारा जारी वैध वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस की प्रति आवश्यक है।) (ii) भारतीय रीडरशिप सर्वे 2012 में उपलब्ध कराए गए आबादी और श्रोता आंकड़ों के आधार पर शहर की श्रेणी के अनुसार विशेष दरों का निर्धारण।

- 'कारोबार आसान बनाने के अभियान' के एक हिस्से के रूप में मौजूदा टीवी चैनलों के लिए वार्षिक नवीनीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण : मंत्रालय ने मौजूदा रूप में टीवी चैनलों के लिए मौजूदा वार्षिक नवीनीकरण को समाप्त कर दिया है। कुल 963 चैनलों और टेलीपोर्ट्स को इस फैसले से लाभ होगा। जिन प्रसारणकर्ताओं को अपलिंकिंग या डाउनलिंकिंग की अनुमति दी जा चुकी है, वे आखिरी तारीख से 60 दिन पहले तक सालाना अनुमति शुल्क का भुगतान कर प्रसारण जारी रख सकते हैं, इसे एक साल तक की अवधि के लिए स्वतः ही चैनल के नियमितीकरण की अनुमित के तौर पर माना जाएगा।

सरकारी विज्ञापन – तीन–सदस्यीय समिति का गठन

- 13 मई, 2015 को दिए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सरकारी विज्ञापनों में अंतर्वस्तु नियमन संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए 6 अप्रैल, 2016 को तीन–सदस्यीय एक समिति बनाई। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री बी.बी. टंडन को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति के सदस्यों में इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ श्री रजत शर्मा तथा ओजिलवे एंड मैथर, दक्षिण एशिया के कार्यकारी अध्यक्ष और क्रिएटिव डायरेक्टर पीयूष पांडे शामिल हैं। समिति के विचारणीय विषयों के अनुसार यह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किए गए दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन के उल्लंघन के साथ–साथ आम जनता की शिकायतों पर भी चर्चा करेगी। समिति माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन का स्वतः संज्ञान लेगी और मंत्रालय या विभाग को सही कदम उठाने की सलाह देगी।

संपादकों के सम्मेलनों का आयोजन

- दक्षिणी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का दो–दिवसीय क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन चेन्नई में 1 सितंबर 2016 को आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु ने किया। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य दक्षिणी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ भारत सरकार द्वारा शहरी विकास, सूचना तकनीकी, तटवर्ती सुरक्षा, वाणिज्य एवं उद्योग और जहाजरानी तथा राजमार्ग विकास की दिशा में की नईं पहलों के बारे में विचार–विमर्श करना था। इस सम्मेलन में मीडिया से जुड़े लगभग सौ लोगों ने हिस्सा लिया।
- उत्तरी और उत्तर–पूर्वी राज्यों के क्षेत्रीय संपादकों का दो–दिवसीय सम्मेलन पत्र सूचना कार्यालय द्वारा चंडीगढ़ में 17 अक्तूबर, 2016 को आयोजित किया गया। केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह और पंजाब तथा केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के राज्यपाल श्री वी.पी. सिंह बदनोर ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र विकास तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सम्मेलन के पहले दिन इसमें हिस्सा लिया। दूसरे दिन (18 अक्तूबर, 2016) को कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी और उपभोक्ता मामलों और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री श्री राम विलास पासवान ने विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता की। जम्मू – कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और चंडीगढ़ जैसे राज्यों से लगभग 90 संपादकों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया।
- वित्त मंत्रालय के सहयोग से पत्र सूचना कार्यालय ने दो–दिवसीय आर्थिक संपादक सम्मेलन 2016 (ईईसी–2016) का आयोजन 10 और 11 नवंबर, 2016 को दिल्ली में किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, रेल मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 60 आर्थिक संपादक मौजूद थे।

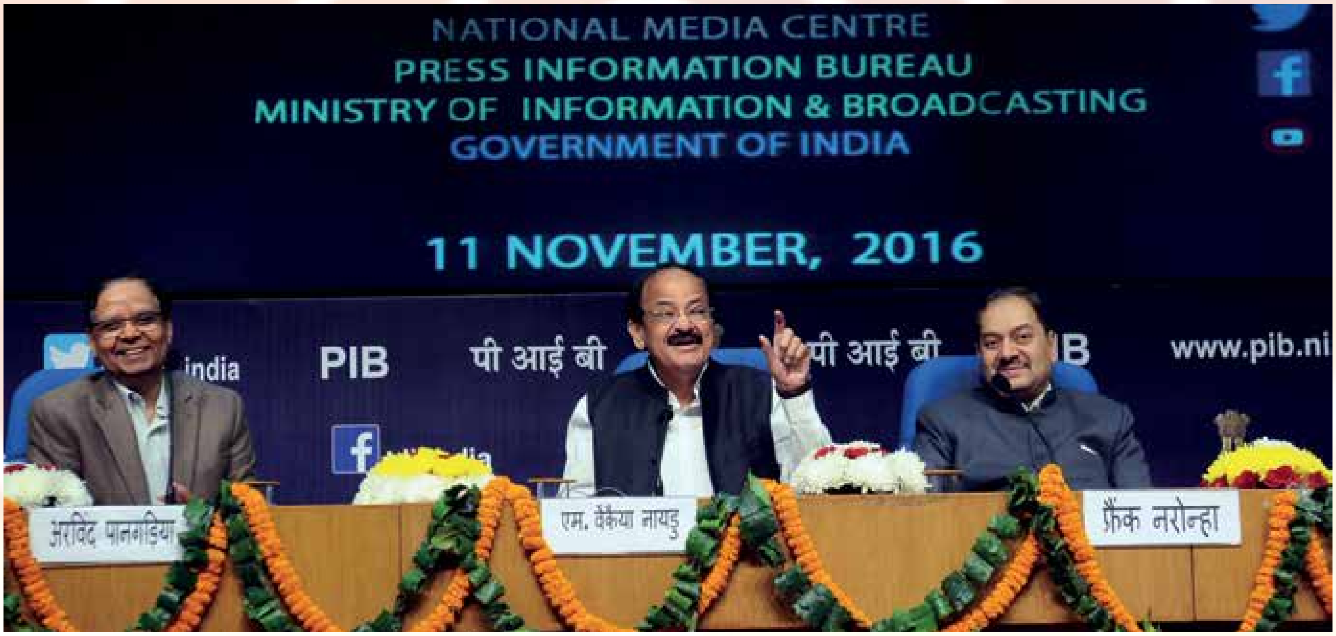

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु आर्थिक संपादकों के सम्मेलन–2016 को संबोधित करते हुए। साथ में श्री अरविंद पनगढ़िया और प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय भी हैं

पहला ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल

नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 2 सितंबर से 6 सितंबर, 2016 तक पहला ब्रिक्स फिल्म समारोह आयोजित किया गया। समारोह में शानदार ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी हुई और ब्रिक्स देशों के लिए फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की गई। फिल्म के प्रतियोगिता वर्ग में 20 फिल्में थीं। प्रत्येक ब्रिक्स देश से चार फिल्में प्रदर्शित की गईं। भारतीय फिल्म 'तिथि' ने ब्रिक्स फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवॉर्ड जीता। समारोह के दौरान भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका की तरफ से हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

गांधी जयंती समारोह और 'स्वच्छ भारत अभियान' की वर्षगांठ

- **स्वच्छ भारत लघु फिल्म समारोह राष्ट्रीय फिल्म** विकास निगम द्वारा आयोजित किया गया। 1 से 3 मिनट की अवधि की लघु फिल्में आमंत्रित की गई थीं और देशभर से 20 से ज्यादा भाषाओं में 4,346 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। 2 अक्तूबर, 2016 को सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। पहला पुरस्कार महाराष्ट्र की कात्यायन शिवपुरी को उनकी फिल्म 'मुर्गा' के लिए दिया गया। दूसरा पुरस्कार क्रमशः श्री सुधांशु शर्मा, श्री केवीके कुमार और श्री अक्षय दानावाले को उनकी फिल्मों 'नन्हा दूत', 'चेंबुकु मूदिंदी' और 'सारकर्मी

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रृद्धांजलि अर्पित करते हुए

सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर स्वच्छ भारत लघु फिल्म समारोह के दौरान पुरस्कार देते हुए

रदी वाधों' के लिए दिया गया। तीसरा पुरस्कार छह प्रविष्टियों के लिए दिया गया। शीर्ष दस फिल्मों के निर्देशकों को नकद दस लाख रुपये (पहली फिल्म), पांच लाख रुपये (अगली तीन फिल्में), दो लाख रुपये (बाकी छह फिल्में) की नकद राशि ईनाम में दी गई, जबकि इसके बाद की दस फिल्मों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। इन पुरस्कारों के लिए निर्णायक मंडल में जानी–मानी थियेटर कलाकार और फिल्म अभिनेत्री व निर्माता वाणी त्रिपाठी और पुरस्कार प्राप्त फिल्मकार गीतांजलि राव, प्रख्यात विज्ञापन विशेषज्ञ प्रह्लाद कक्कड़ शामिल थे। इस अवसर पर मशहूर फिल्मकार श्री मधुर भंडारकर, श्री राधाकृष्णा जगरलामुडी, श्री प्रसून पांडे, श्री रमेश सिप्पी और श्री शूजीत सरकार ने 'स्वच्छ भारत अभियान' का समर्थन करने और इस विषय पर फिल्म बनाकर इसमें रचनात्मक और वैचारिक सहयोग करने पर सहमति दी।

- विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के प्रदर्शनी खंड ने 'महात्मा गांधी – जीवन इतिहास' विषय पर एक अक्तूबर से चार अक्तूबर तक चेन्नई में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु, तमिलनाडु के सूचना व जनसंपर्क मंत्री श्री कादांबुर राजू और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया।

- श्री एम. वेंकैया नायडु ने जाने–माने गांधीवादी अध्येता प्रोफेसर सुदर्शन अय्यंगर लिखित पुस्तक 'इन द फुटस्टेप्स ऑफ महात्मा – गांधी एंड सैनिटेशन' पुस्तक का लोकार्पण किया। इस पुस्तक में देश में स्वच्छता के महत्व पर गांधीजी के विचार और व्याख्यान शामिल हैं। इसके साथ ही श्री नायडु ने प्रकाशन विभाग द्वारा महात्मा गांधी पर 25 ई–बुक्स का भी लोकार्पण किया। इसमें डी.जी. तेंदुलकर लिखित ई–बुक 'महात्मा' (आठ खंड) भी शामिल है, जो कि गांधीजी की सबसे प्रसिद्ध आत्मकथाओं में से एक है।

मंत्रालय का स्वच्छता कैलेंडर

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 'स्वच्छ भारत अभियान' की अपनी एक गतिविधि के रूप में एक स्वच्छता कैलेंडर जारी किया, इसमें अपने आसपास के माहौल को साफ–सुथरा रखने के साथ–साथ गैरजरूरी फाइलों, प्राप्त हुए पत्रों और विभिन्न सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में जनता व ग्राहकों के लंबित मामलों के समय से निपटान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दफ्तरों में नियमित स्वच्छता कार्य करते हुए कैलेंडर के अनुसार हर महीने किसी खास क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि दफ्तर का वातावरण सुधर सके। मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियों में शामिल हैं फाइलों को रिकार्ड में दर्ज करना और समीक्षा, रद्दी कागजों, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑटोमोबाइल्स, फर्नीचर, लंबित मामलों और शिकायतों इत्यादि का निपटान।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु प्रकाशन विभाग द्वारा महात्मा गांधी पर प्रकाशित पुस्तकों के ई–संस्करण का विमोचन करते हुए

भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय

संग्रहालय का पहला चरण ऐतिहासिक इमारत गुलशन महल में शुरू किया जा चुका है। दूसरे चरण का निर्माण कार्य गुलशन महल से सटी एक नई इमारत में लगभग पूरा हो चुका है और संग्रह निर्माण का काम चल रहा है। जुलाई 2017 तक यह संग्रहालय पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा।

सूची प्रबंधन का कंप्यूटरीकरण

प्रकाशन विभाग ने ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि बिक्री एवं रॉयल्टी सूचियों का कंप्यूटरीकरण किया जा सके। क्षेत्रीय बिक्री केंद्रों और योजना कार्यालयों के नेटवर्क के जरिए मुख्यालय से जोड़ने की भी योजना है। इस परियोजना से समूची व्यापार प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण होगा और बिक्री, स्टाक आकलन तथा पुनर्प्राप्ति जैसी प्रक्रियाओं का ई–समाधान हो सकेगा। इससे लेखकों और ग्राहकों के बीच ऑनलाइन संवाद का मंच भी उपलब्ध होगा।

सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी उपलब्ध मीडिया मंचों पर सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को दर्शाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की। 'मेरा देश बदल रहा है–आगे बढ़ रहा है' थीम पर डीएवीपी ने एक मल्टीमीडिया कैंपेन शुरू किया। इसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक (टीवी व रेडियो) आउटडोर और प्रदर्शनी सरीखे सभी मीडिया माध्यमों का इस्तेमाल किया गया। डीएवीपी ने 'ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया किट विद 7 फोल्डर' और समग्र फोल्डर 'ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' की 1.39 करोड़ प्रतियां प्रकाशित करवाई। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और गीत एवं नाट्य प्रभाग ने भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों, नवीन परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सफलता की यश गाथाओं को एकत्र किया और

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री वेंकैया नायडु और सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर सूचना एवं प्रसारण तथा शहरी विकास और आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधिकारियों को संबोधित करते हुए

एक खास वेबपेज ट्रांसफोर्मिंग इंडिया – देश बदल रहा है पर उपलब्ध कराया। इसमें केंद्र की एनडीए सरकार की पिछले दो साल की उपलाब्धियों को मीडिया के लिए एक साथ उपलब्ध कराया गया।

इस वेबपेज में सरकार की उपलब्धियां दर्शाई गई हैं– बढ़ते क्रम में मंत्रालय के अनुसार, विभाग के अनुसार, केंद्र के फैसले, इंफोग्राफिक्स दर्शाए गए हैं, सफलता की कहानियां हैं, विभिन्न प्रेस सम्मेलनों के लिए वेबकास्ट हैं, #TransformingIndia पर ट्विटर फीड के लिंक, पीआईबी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल और एक प्रतिक्रिया खंड हैं। पीआईबी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ 11 प्रेस सम्मेलन भी आयोजित किए।

- **अरुणाचल प्रदेश में फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की स्थापना**– सरकार अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। यह देश के उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के संपूर्ण विकास और फिल्म व टेलीविजन के क्षेत्र में उत्तर–पूर्व के होनहार और प्रतिभासंपन्न युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का एक हिस्सा है। इसके लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा सूचना व प्रसारण मंत्रालय को 25 अगस्त, 2016 को जमीन औपचारिक रूप से दे दी गई है। इस परियोजना के लिए प्रशासनिक अनुमति भी 16 दिसंबर, 2016 को दी जा चुकी है और इसके 2020 तक पूरा होने की संभावना है।
- **'अरुण प्रभा' चैनल की शुरुआत**– सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति के लिए सशक्त मंच प्रदान करने और उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पूरी तरह समर्पित एक नया दूरदर्शन चैनल 'अरुण प्रभा' जल्द ही शुरू किया जाएगा। समृद्ध स्थानीय संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित करने वाला यह चैनल उत्तर–पूर्व को शेष भारत से अभिन्न रूप से जोड़ देगा।

- **फिल्म संवर्धन कोष की स्थापना**– मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारतीय सिनेमा के प्रसार के लिए एक फिल्म संवर्धन कोष की स्थापना की है। फिल्म संवर्धन कोष ऐसी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता देगा जो किसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के किसी भी प्रतियोगिता खंड के लिए चुनी जाएंगी या जो एकेडेमी पुरस्कारों की विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामित की जाएंगी। यह सहायता ऐसी फिल्मों के प्रचार–प्रसार के लिए होगी। फिल्म समारोह निदेशालय को सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों के पैनल की सिफारिशों के आधार पर की जा रही इस पहल पर अमल करने वाली एजेंसी बनाया गया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु और सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर भारत सरकार के कैलेंडर–2017 और 'प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट 2015–16' के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शनी को देखते हुए

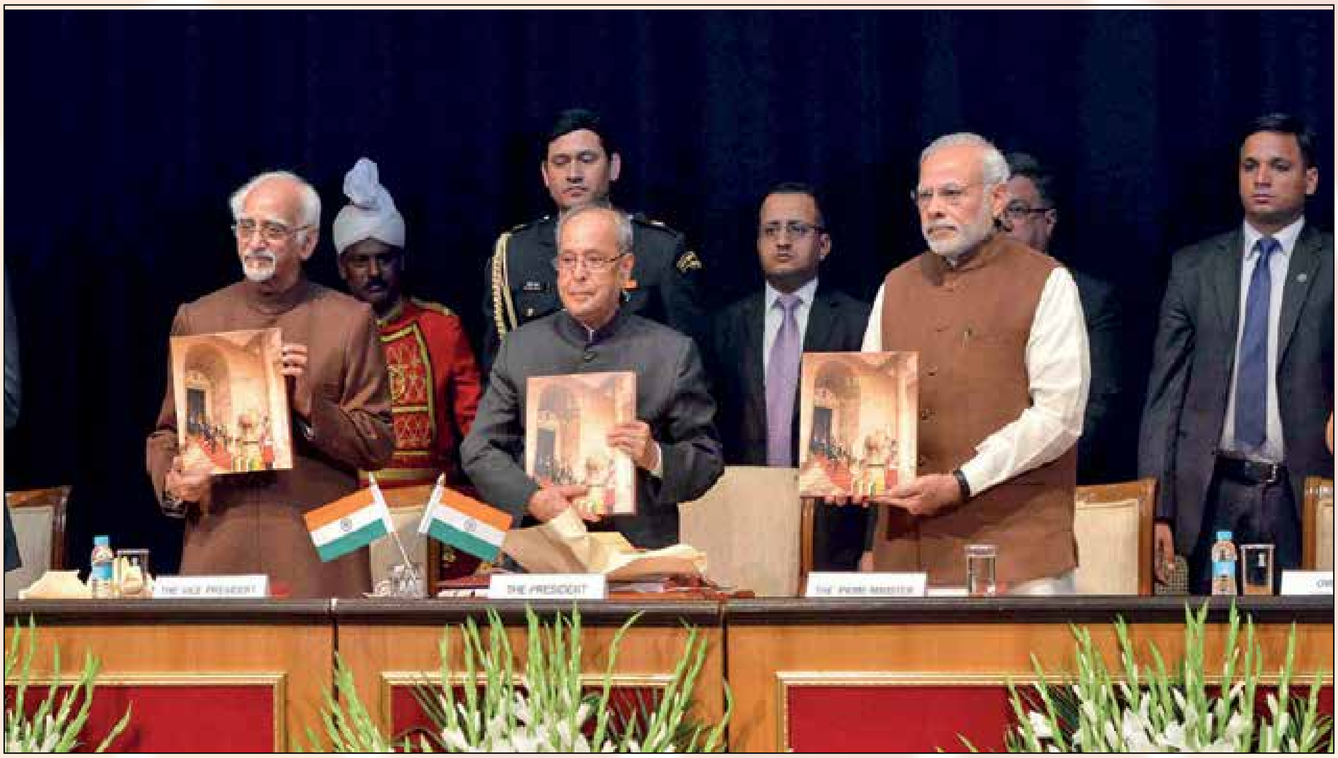

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, उप राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 'लाइफ एट राष्ट्रपति भवन' पुस्तक का विमोचन करते हुए

4 सूचना क्षेत्र की गतिविधियां

मंत्रालय का सूचना स्कंध मुख्य रूप से प्रिंट मीडिया और सरकार की प्रचार आवश्यकताओं को देखता है। यह स्कंध मंत्रालय के सामान्य प्रशासन तथा भारतीय सूचना सेवा के कैडर को भी देखता है। निम्नलिखित मीडिया इकाइयां मंत्रालय की गतिविधियों को चलाती हैं :

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)

प्रेस इंफॉरमेशन ब्यूरो (पीआईबी) यानी पत्र सूचना कार्यालय सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों तथा उपलब्धियों के बारे में सूचनाएं प्रदान करने वाली भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। पीआईबी सरकार और मीडिया के बीच सेतु का काम करता है और मीडिया में दिख रही लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में सरकार को फीडबैक देता है।

पीआईबी की परिकल्पना

- भारत के लोगों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में सूचनाओं का प्रसार।
- पीआईबी अपनी वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, फीचर, संदर्भ सामग्री, फोटो तथा अभिलेख सामग्रियों के माध्यम से सूचना का प्रसार करता है। इसके अतिरिक्त ब्यूरो संवाददाता सम्मेलनों, साक्षात्कारों तथा प्रेस टूर का आयोजन करता है। प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में जारी किए जाते हैं और फिर अन्य भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद किया जाता है ताकि देश के हजारों समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों और मीडिया संगठनों तक पहुंचा जा सके।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु 47वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए

- पीआईबी के अधिकारी अपने–अपने मंत्रालयों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और अपने मंत्रालयों से संबंधित मीडिया की सूचना आवश्यकताओं को भी पूरी करते हैं। अधिकारी मीडिया की सूचना संबंधी आवश्यकताओं तथा मंत्रालयों की प्रचार आवश्यकताओं पर मंत्रालयों को सलाह भी देते हैं।
- पत्र सूचना कार्यालय का अधिकारी किसी मंत्रालय/विभाग से संबद्ध अधिकृत प्रवक्ता होता है। वह मंत्रालय/विभाग की नीतियों, कार्यक्रमों की जानकारी मीडिया को देकर सूचना का प्रसार करता है। मीडियाकर्मियों के प्रश्नों के उत्तर और स्पष्टीकरण देकर किसी भी प्रकार की ग़लतफ़हमिया दूर करता है। ये अधिकारी अख़बारों के संपादकीय, लेखों तथा टिप्पणियों में व्यक्त जन प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते हैं ताकि मंत्रालय/विभाग को लोगों की राय से अवगत कराया जा सके। पीआईबी के अधिकारी मंत्रालय/विभाग को मीडिया तथा आईईसी यानी सूचना, शिक्षा और संचार नीति के बारे में सलाह देते हैं।

संगठनात्मक ढांचा

पीआईबी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं कम्युनिकेशन) होते हैं। प्रधान महानिदेशक की सहायता के लिए एक महानिदेशक और आठ अपर महानिदेशक होते हैं। इसके अतिरिक्त ब्यूरो के निदेशकों, संयुक्त निदेशकों, उप निदेशकों, सहायक निदेशकों तथा मीडिया और कम्युनिकेशन अधिकारियों तथा सूचना सहायकों के स्तर के पद होते हैं जिन्हें मंत्रालयों के आकार, महत्व और संवेदनशीलता को देखते हुए संबद्ध किया जाता है।

पीआईबी अपने मुख्यालय में एक नियंत्रण कक्ष (न्यूज रूम) का भी संचालन करता है। यह कक्ष सप्ताह के कार्य दिवसों में सामान्य कार्य अवधि के बाद शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक और अवकाश के दिनों में शाम 3.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक सूचना का प्रसार सुनिश्चित करता है।

क्षेत्रीय स्तर पर प्रचार

क्षेत्रीय मीडिया की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीआईबी के आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इनके प्रमुख अपर महानिदेशक होते हैं। इसके अलावा पीआईबी के 27 शाखा कार्यालय हैं जिसमें एक सूचना केंद्र भी शामिल है। मुख्यालय द्वारा प्रचार सामग्री को स्थानीय भाषा में जारी करने के अतिरिक्त क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय अपने–अपने क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्रालयों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण आयोजनों के बारे में मौलिक प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट तथा संदर्भ सामग्री जारी करते हैं। ये कार्यालय किसी क्षेत्र विशेष में केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों को भी सतत सूचना प्रसार के आधार पर लागू करते हैं। पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं :

- स्थानीय भाषाओं में सूचना का प्रसार तथा क्षेत्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के लिए मीडिया समर्थन।
- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के स्थानीय आयोजनों और केंद्रीय मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के दौरों के बारे में मीडिया समर्थन।
- क्षेत्रीय/स्थानीय भाषायी मीडिया में महत्वपूर्ण विषयों पर जन प्रतिक्रिया के बारे में नियमित रूप से फीडबैक देना।
- क्षेत्र में केंद्र सरकार के संगठनों को सूचना संबंधी विषयों पर परामर्श देना।
- वार्तालाप आयोजन– मीडिया संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत समय–समय पर क्षेत्रीय मीडियाकर्मियों के साथ संवाद का आयोजन।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों तथा सचिवों के क्षेत्र/राज्य के दौरों के अवसर पर भी मीडिया कवरेज में पीआईबी के स्थानीय/शाखा कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रधानमंत्री इकाई (पीएम यूनिट)

प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रचार और मीडिया समर्थन देने के लिए पीआईबी की एक समर्पित इकाई है। यह इकाई राजपत्रित अवकाश सहित सभी दिन कार्य करती है।

पीएम यूनिट प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के वरिष्ठ अधिकारियों

के लिए अनेक रिपोर्ट तैयार करती है। पीएम यूनिट दो पाली– सुबह 6.30 से रात्रि 8.00 बजे तक काम करती है। प्रायः देर से मंत्रिमंडल की बैठक होने, ब्रीफिंग तथा प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को देखते हुए यूनिट शाम में देर तक/अवकाश के दिनों में अतिरिक्त कार्य करती है। यूनिट स्थानीय/शाखा कार्यालयों के साथ घनिष्ठता से काम करती है ताकि राष्ट्रव्यापी प्रचार–प्रसार का काम सुनिश्चित हो सके और प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए फीडबैक एकत्रित किया जा सके। यूनिट की गतिविधियां इस प्रकार हैं :

- माननीय प्रधानमंत्री के लिए मीडिया रिपोर्ट की तैयारी समयबद्ध रूप में 9.15 बजे तक करके भेजी जाती है। इस रिपोर्ट में अंग्रेजी, हिंदी तथा स्थानीय समाचार पत्रों में शामिल किए गए कंटेंट को शामिल किया जाता है।
- साप्ताहिक पत्रिका रिपोर्ट की तैयारी।
- मंत्रिमंडल सचिव के लिए न्यूज क्लिपिंग।
- प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए श्रीनगर से विशेष फीडबैक रिपोर्ट।
- प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए उर्दू समाचार पत्रों के फीडबैक।
- मंत्रिमंडल ब्रीफिंग का आयोजन।
- वेबसाइट पर मंत्रिमंडल के निर्णयों को जारी और अपलोड करना, प्रधानमंत्री के भाषणों का लिप्यंतण करना और वेबसाइट पर अपलोड करना।
- प्रेस विज्ञप्ति/वक्तव्य/संदेश जारी करना तथा राष्ट्रपति के चयनित सरकारी कार्यक्रमों की कवरेज में सहायता करना।
- मंत्रिमंडल सचिवालय तथा अन्य परिषदों/समितियों तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत निकायों के लिए प्रचार व्यवस्था करना।

चुनावों के दौरान सूचना का प्रसार

लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के आम चुनाव के दौरान सूचना के प्रसार के लिए पीआईबी भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) तथा मीडिया के बीच सेतु का काम करता है। पिछले लोक सभा आम चुनावों तथा विधानसभा चुनावों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पीआईबी निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद आम चुनाव विधानसभा चुनावों पर संदर्भ पुस्तिकाएं जारी करता है। इसके अतिरिक्त चुनावों से पहले नियमित रूप से संदर्भों और तथ्यों के माध्यम से मीडिया को सूचना उपलब्ध कराई जाती है। लोक सभा तथा विभिन्न विधान सभाओं के आम चुनावों के दौरान पीआईबी मतदान और मतगणना प्रक्रिया के कवरेज में सहायता के लिए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मीडिया के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकृत पत्र जारी करता है।

लोकसभा आम चुनावों के दौरान पीआईबी मतगणना के दिन भारत निर्वाचन आयोग तथा नेशनल इंफॉरमेटिक्स सेंटर से आंकड़े प्राप्त कर रुझान/परिणाम रीयल टाइम आधार पर वेबसाइट पर उपलब्ध कराता है।

2016–17 के दौरान पहल

पीआईबी ने इस अवधि में निम्न पहल की :

- सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर इंफोग्राफिक्स विकसित किए गए। ये इंफोग्राफिक्स रंगीन, समग्र और आकर्षक तरीके से सूचना प्रदान करते हैं। यह कहना उचित होगा कि बड़े पैमाने पर इंफोग्राफिक्स में रुचि दिखाई गई। यह तथ्य नियमित पाठ्य आधारित विषय–वस्तु के प्रति जन रुचि की तुलना में अधिक जन रुचि की अभिव्यक्ति से प्रकट होता है।
- ट्विटर कार्डों के उपयोग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे ब्रांडिंग में सुधार होगा, जन भागीदारी बढ़ेगी और पीआईबी वेबसाइट की ओर अधिक ट्रैफिक निर्देशित करने में सहायता मिलेगी।
- पीआईबी की नई वेबसाइट को तैयार किया जा रहा है। यह इसी वर्ष यानी 2016 में काम करने लगेगी। वेबसाइट की डिजाइनिंग आज के मीडिया क्षेत्र में सोशल मीडिया को केंद्र बिंदु मानकर तैयार की जा रही है।
- पीआईआबी की पारंपरिक विज्ञप्तियों को ट्वीट्स,

ट्वीट विजेट्स तथा इंफोग्राफिक्स के साथ लगा कर जारी किया जा रहा है।

- मल्टीमीडिया प्रेस विज्ञप्ति जारी करने में क्षमता सृजन के लिए प्रशिक्षण सत्र चलाए जा रहे हैं।
- परीक्षा के आधार पर हिंदी यूनिट में टंककों और अनुवादकों के पैनल को नया रूप दिया गया।
- प्रचार में इंटरनेट और सोशल मीडिया का लाभ उठाने के बारे में अधिकारियों की बेहतर जानकारी के लिए विभिन्न सोशल मीडिया एजेंसियों के साथ संवाद आयोजित किए गए।
- भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की वर्षांत समीक्षाएं जारी की गईं और उनके व्यापक प्रचार की व्यवस्था की गई। वार्षिक समीक्षाओं के हिंदी, उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किए गए।

पत्र सूचना कार्यालय की व्यापक कम्युनिकेशन रणनीतियां

पीआईबी मीडिया के माध्यम से भारत सरकार की पहलों, नीतियों, कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार के लिए सरकार और जनता के बीच सेतु है।

मीडिया से नियमित संवाद के अतिरिक्त विशेष थीम पर व्यापक कम्युनिकेशन रणनीतियां निम्नलिखित हैं :

- संचार के परंपरागत तरीकों यानी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर संवाददाता सम्मेलन (वीडियो माध्यम सहित), प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस सूचना, प्रेस विज्ञप्ति, फीचर, संदर्भ, प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू), फोटोग्राफ, ग्राफिक्स, निमंत्रण, प्रेस भ्रमण और लोक सूचना अभियान आदि।
- इलेक्ट्रानिक मीडिया पर साक्षात्कार, विशेष चर्चाओं आदि का प्रबंध।
- ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाइन, वेबसाइट, एसएमएस संदेश जैसे नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया जा रहा है।
- महत्वपूर्ण आयोजनों से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियां और फोटो जारी किए जाने के बाद मीडियाकर्मियों को एसएमएस अलर्ट, ट्वीट्स तथा फोन कॉल किए जाते हैं।
- स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, आम बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई), राष्ट्रीय एकता दिवस, स्वच्छ भारत सप्ताह आदि महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए प्रचार के विशेष प्रबंध किए जाते हैं। इसी तरह जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना आदि जैसी सरकार की महत्वपूर्ण पहलों को लांच किए जाने पर इन पहलों का व्यापक प्रचार किया जाता है।
- अंग्रेजी और हिंदी में दैनिक मीडिया रिपोर्ट के रूप में मीडिया से मिले फीडबैक को प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजना, प्रत्येक मंत्रालय के साथ संबद्ध अधिकारी द्वारा मीडिया फीडबैक मंत्रालय को भेजना, विशेष अवसरों पर विशेष फीडबैक।
- पीआईबी के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के अतिरिक्त प्रमुख भाषाओं–मलयालम, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमी तथा बांग्ला में अखिल भारतीय कवरेज सुनिश्चित करना।
- फिल्म समारोह आदि विशेष अवसरों पर विशेष प्रत्यायन सहित पीआईबी प्रत्यायन में सहायता। प्रेस प्रत्यायन के लिए दिशा–निर्देश पीआईबी की वेबसाइट www.pib.nic.in पर उपलब्ध हैं।
- भारतीय रेल से यात्रा करने वाले मीडियाकर्मियों के प्रत्यायन की जांच के बाद किराये में रियायत की सुविधा।
- पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) के लिए मीडियाकर्मियों के आवेदनों की प्रोसेसिंग।
- लोक सूचना अभियान (पीआईसी) के माध्यम से पीआईबी जनजातीय, पिछड़े तथा गड़बड़ी वाले क्षेत्रों सहित दूर–दराज इलाकों के लोगों तक पहुंचता है।
- टेलीविजन प्रसारण संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने से देश में अंग्रेजी, हिंदी तथा अन्य भाषाओं में 24x7 के समाचार चैनल शुरू हो गए हैं। पीआईबी द्वारा जारी वीडियो से सरकार के दृष्टिकोण को इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए अधि कारगर तरीके से प्रस्तुत करने में मदद मिली है।

सोशल मीडिया प्रकोष्ठ

पीआईबी सरकार के अधिकारिक स्वर के रूप में और सोशल मीडिया उपयोग में सरकारी क्षेत्र में अग्रणी रहते हुए

अपने डिजिटल माध्यमों से सरकार की संचार गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।

ट्विटर : पीआईबी के मुख्य ट्विटर हैंडल /PIB_India को फॉलो करने वालों की संख्या वर्ष के दौरान 10 लाख को पार कर गईं। पीआईबी तेजी के साथ नए विषय–वस्तु तथा प्रस्तुतीकरण के नए रूपों को अपना रहा है। नागरिकों तक पहुंचने और उनसे संवाद में पीआईबी ट्विटर वीडियो, गिफ्स, पोल्स तथा ट्विटर मूमेंट्स जैसे उपायों को अपना रहा है। हैंडल /PIB_Hindi को फॉलो करने वालों की संख्या करीब 20,000 हो गई है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं में सोशल मीडिया की क्षमता को पहचानते हुए पीआईबी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय केंद्र सरकार से जुड़ी ताज़ा खबरें देने में ट्विटर का उपयोग करने लगे हैं।

ट्विटर इंडिया ने पीआईबी ट्विटर अकाउंट की सराहना की

एक अन्य पहल करते हुए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में पीआईबी के अंतरराष्ट्रीय कम्युनिकेशन के प्रभारी अधिकारियों ने पीआईबी के अधिकृत ट्विटर हैंडल का उपयोग करते हुए सरकारी अपडेट देना प्रारंभ कर दिया है।

फेसबुक : चालू वर्ष में पीआईबी के फेसबुक पेज www.facebook.com/pibindia का फैन आधार जनवरी में 47 हजार से बढ़कर अक्तूबर, 2016 के अंत में लगभग एक लाख हो गया। ऐसा संचार और भागीदारी के सृजनात्मक तरीकों को अपनाने से संभव हुआ। पीआईबी मुख्यालय

पीआईबी ट्विटर के 90 लाख से अधिक फॉलोअर्स

में आयोजित सभी संवाददाता सम्मेलन फेसबुक (पीआईबी के यूट्यूब चैनल सहित) पर लाइव स्ट्रीम किए जाते हैं। महत्वपूर्ण अवसरों पर फेसबुक क्यू एंड ए जैसे सोशल मीडिया इवेंट इस पेज पर होस्ट किए जाते हैं।

यूट्यूब : पीआईबी के यूट्यूब चैनल को अब तक 1 मिलियन नए व्यूज तथा 6,000 से अधिक सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। पीआईबी, नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलनों और अन्य आयोजनों के अतिरिक्त दिल्ली से बाहर के चुनिंदा कार्यक्रमों को भी चैनल पर लाइव दिखाया जाता है। चेन्नई, जयपुर तथा चंडीगढ़ में आयोजित क्षेत्रीय संपादकों के सम्मेलन इसके उदाहरण हैं।

पीआईबी इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है। इस पर ऐसे अधिकारिक फोटो साझा किए जाते हैं जो आकर्षक और लीक से थोड़ा हटकर होते हैं जबकि पीआईबी का ब्लॉग www.pibindia.wordpress.com का उपयोग फीचर और हल्की–फुल्की सूचनाओं को साझा करने के लिए किया जाता है।

सोशल मीडिया निर्देशन और समर्थन : स्वयं की पहुंच स्थापित करने के अतिरिक्त पीआईबी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की सोशल मीडिया पर उपस्थिति के बेहतर प्रबंधन में भी सहायता देता है। इस निर्देशन के भाग के रूप में पीआईबी ने सरकारी प्रचार में फेसबुक के प्रभावी उपयोग के बारे में फेसबुक के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने किया।

प्रधान महानिदेशक श्री फ्रैंक नरोन्हा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक प्रेस दौरे के दौरान मीडिया कर्मियों के साथ

प्रेस सुविधाएं

पीआईबी की प्रेस सुविधा इकाई नई दिल्ली मुख्यालय में विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों सहित तमाम मीडियाकर्मियों के प्रत्यायन में सहायता देती है। इससे उन्हें सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने में मदद मिलती है। प्रेस सुविधा इकाई रेल किराया रियायत, सीजीएचएस लाभ तथा पत्रकार कल्याण योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त करने में भी सहायता देती है। अप्रैल 2015 से अब तक इस बारे में निम्नलिखित पहल की गई :

ऑनलाइन प्रत्यायन प्रणाली

प्रत्यायन प्रक्रिया को चुस्त तथा सक्षम बनाने के लिए 2010 से प्रत्यायन की ऑनलाइन प्रणाली चलाई गई है। 2014–15 के दौरान ब्यूरो ने ऑनलाइन प्रत्यायन की प्रक्रिया का उपयोग सफलतापूर्वक किया। केंद्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति (सीपीएसी) नए आवेदनों पर विधिवत विचार और कार्रवाई करती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 3 दिसंबर, 2015 तक ब्यूरो द्वारा कुल 474 प्रेस प्रत्यायन कार्ड जारी किए गए हैं।

आईएफएफआई, गोवा में मीडिया केंद्र

पीआईबी ने गोवा में हुए भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2016 से संबंधित सूचनाओं के प्रसार के लिए वहां मीडिया सेंटर स्थापित किया। यह 2015 में बनाए गए मीडिया केंद्र की तरह ही है। मीडिया सेंटर से मीडियाकर्मियों को अपना काम करने के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा और कामकाज में सुविधा होगी।

आईएफएफआई 2015 में 455 मीडियाकर्मियों का प्रत्यायन किया गया जिसमें से 323 संवाददाता, 132 फोटोग्राफर (स्टिल और वीडियो) शामिल थे। समारोह के दौरान 47 संवाददाता सम्मेलन, 286 प्रत्यक्ष साक्षात्कार आयोजित किए गए तथा 145 प्रेस विज्ञप्तियां और 4 फीचर जारी किए गए। आईएफएफआई 2015 के दौरान पीआईबी द्वारा निम्नलिखित पहल की गई :

- संवाददाता सम्मेलनों में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और सम्मेलनों को विशेषकर विदेशी फिल्मों के संवाददाता सम्मेलनों को व्यापक और सार्थक बनाने के लिए पीआईबी यूट्यूब पर उनकी लाइव स्ट्रीमिंग और पीआईबी फेसबुक/पीआईबी ट्विटर पर साथ–साथ प्रश्न–उत्तर सत्र चलाना।
- संवाददाता सम्मेलनों तथा आईएफएफआई के आयोजनों की लाइव ट्वीटिंग।
- आईएफएफआई 2015 के बारे में ट्विटर पर विशेष वेब पेज तथा यूट्यूब वीजेट।

- पीआईबी ने समारोह से पहले जाने–माने फिल्म आलोचक और पत्रकार श्री उत्पल बोरपुजारी के साथ 12 नवंबर, 2015 को फेसबुक प्रश्न–उत्तर सत्र का आयोजन किया।
- इसी तरह पीआईबी ने 17 नवंबर, 2015 को जाने–माने फिल्म आलोचक और पत्रकार श्री सैबल चटर्जी के साथ आईएफएफआई पर ट्विटर चैट का भी आयोजन किया।
- समारोह के दौरान अनेक फिल्मी हस्तियों के साथ ट्विटर चैट आयोजित किए गए।
- पीआईबी यूट्यूब चैनल पर आईएफएफआई फिल्म ट्रेलरों की विशेष वीडियो प्लेलिस्ट जारी की।
- समारोह की कवरेज के दौरान वीडियो वाली प्रेस विज्ञप्तियां महत्वपूर्ण रहीं।
- इंस्टाग्राम पर आईएफएफआई इमेज के कोलाज तथा विशेष ब्लॉग पोस्ट जारी किए गए।

मीडिया संपर्क कार्यक्रम

1. वार्तालाप का आयोजन किया गया।

2. चेन्नई में क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन (1 और 2 सितंबर, 2016) :

चेन्नई में 1 और 2 सितंबर, 2016 को क्षेत्रीय संपादकों का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लक्ष्यद्वीप और पुदुचेरी सहित दक्षिणी राज्यों– तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल के लगभग 100 पत्रकारों ने भाग लिया। दो दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उपशमन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु ने किया। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सत्र आयोजित किए गए और प्रस्तुतीकरण दिए गए। इनमें इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा आईटी तथा डिजिटल इंडिया पर सत्र, एनडीआरएफ के महानिदेशक श्री ओ.पी. सिंह द्वारा तटीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर सत्र, शहरी विकास और आवास, शहरी गरीबी उपशमन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु द्वारा शहरी विकास पर सत्र, शिपिंग तथा परिवहन सचिव श्री राजीव कुमार और एनएचएआई के अध्यक्ष श्री राघव चंद्रा द्वारा जहाजरानी और परिवहन पर सत्र, वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा वाणिज्य पर सत्र शामिल हैं। इस आयोजन में क्षेत्रीय संपादकों को केंद्रीय मंत्रियों के साथ संवाद का अवसर भी मिला।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु पत्र सूचना कार्यालय, चेन्नई में आयोजित क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन को संबोधित करते हुए

3. चंडीगढ़ में क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन (17–18 अक्तूबर, 2016) :

पंजाब और केंद्रशासित क्षेत्र चंडीगढ़ के राज्यपाल श्री वी. पी. सिंह बदनोर तथा केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ के माउंट व्यू होटल में 17–18 अक्तूबर, 2016 को आयोजित क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, कार्मिक तथा लोक शिकायत, पेंशन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री डॉ. जीतेंद्र सिंह ने भी भाग लिया। सम्मेलन के दूसरे दिन यानी 18 अक्तूबर को कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, परिवहन, राज मार्ग और शिपिंग मंत्री श्री नितिन गडकरी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता की।

विभिन्न राज्यों–जम्मू तथा कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के

गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह चंडीगढ़ में क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन के उद्‌घाटन अवसर पर

लगभग 90 संपादकों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में क्षेत्रीय मीडिया ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रत्येक मंत्रालय के सत्र के बाद केंद्रीय मंत्रियों और प्रतिनिधियों के बीच सार्थक संवाद हुआ। प्रत्येक आयोजन को सोशल मीडिया पर डाला गया। यह सम्मेलन केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार के लिए पत्र सूचना कार्यालय के मीडिया संपर्क के हिस्से के रूप में किया गया था।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित आर्थिक संपादक सम्मेलन–2016 को संबोधित करते हुए

4. आर्थिक संपादकों का सम्मेलन 10–11 नवंबर, 2016

पीआईबी ने वित्त मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में 10–11 नवंबर, 2016 को आर्थिक संपादकों के सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने किया। सम्मेलन में 20 राज्यों के 70 से अधिक संपादकों और संवाददाताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में दिल्ली और एनसीआर के मीडियाकर्मियों को भी आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन के दौरान विभिन्न सत्रों में सूचना और प्रसारण मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री, राजमार्ग और शिपिंग मंत्री, रेल मंत्री तथा नीति आयोग के अध्यक्ष उपस्थित हुए। दिल्ली से बाहर के प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया को देखते हुए यह सम्मेलन बहुत सफल रहा।

5. वित्त वर्ष 2016–17 में दो प्रेस भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एक दौरा मुंबई बंदरगाह और न्हावा सेवा का था। दूसरे भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन पीआईबी चंडीगढ़ द्वारा गुजरात का कराया गया।

आपात नियंत्रण कक्ष

पीआईबी में एक न्यूज रूम/नियंत्रण कक्ष किसी भी चुनौती से निपटने के लिए 365 दिन कार्य करता है। अल्प अवधि में संवाददाता सम्मेलन आयोजित करना और साथ–साथ पूरे देश में पीआईबी केंद्रों के माध्यम से वेबकास्ट की पूरी तैयारी रखी जाती है ताकि रात्रि 9.00 बजे के बाद अप्रत्याशित स्थिति से निपटा जा सके। आपातकाल और संकट के समय नियंत्रण कक्ष 24x7 आधार पर काम करता है। महत्वपूर्ण समाचार चैनलों की मॉनिटरिंग की जाती है और वरिष्ठ अधिकारियों को ताज़ा घटनाओं तथा तथ्य संबंधी गलतियों के बारे में सूचित किया जाता हैं ताकि मीडिया में समय से सुधार हो सके।

पत्रकार कल्याण योजना

पीआईबी पत्रकार कल्याण कोष योजना लागू कर रहा है। संशोधित योजना में कठिनाइयों का सामना कर रहे पत्रकारों तथा उनके परिवारों को अविलंब अनुग्रह राहत उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत पत्रकार को पांच लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत की जा सकती है। राहत पत्रकार की मृत्यु के कारण मुसीबत झेल रहे परिवार को या पत्रकार की स्थायी अपंगता को देखते हुए दी जा सकती है। कैंसर, गुर्दे की बीमारी, हृदय की बीमारी तथा ब्रेन हेमरेज आदि गंभीर बीमारियों में इलाज खर्च की सहायता की जाती है। दुर्घटना से गंभीर चोट की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने के मामले में भी वित्तीय सहायता दी जाती है। मामलों का प्रोसेसिंग पीआईबी द्वारा की जाती है और स्वीकृति के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की उच्च समिति के पास सिफारिशें भेजी जाती हैं। चालू वित्त वर्ष यानी 01 अप्रैल, 2016 से 03 दिसंबर, 2016 तक मंत्रालय द्वारा पांच मामलों की स्वीकृति दी गई और योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

पीएम यूनिट द्वारा 2016 में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री का प्रचार

चालू वित्त वर्ष में पीआईबी की पीएम यूनिट द्वारा राष्ट्रपति के विजुअल कवरेज के लिए 669 फोटो जारी किए गए। यूनिट द्वारा राष्ट्रपति से संबंधित 521 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं। चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री के विजुअल कवरेज के लिए 4067 फोटो जारी किए गए। यूनिट द्वारा कुल 1190 विज्ञप्तियां जारी की गईं। प्रेस विज्ञप्तियों में प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित 852 विज्ञप्तियां, मंत्रिमंडल के निर्णय संबंधी 170 विज्ञप्तियां तथा मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति से संबंधित 68 विज्ञप्तियां जारी की गईं। प्रधानमंत्री की फ्रांस, मलेशिया तथा सिंगापुर, ब्रिटेन, तुर्की, आयरलैंड, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, मध्य एशिया के देशों– बांग्लादेश, रूस, चीन, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, कनाडा, सेशिल्स, मॉरिशस तथा श्रीलंका की यात्रा का व्यापक प्रचार किया गया।

फीडबैक, फीचर तथा फोटो सेवा

पत्र सूचना कार्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति मीडिया की जनधारणा के बारे में सरकार को सूचित करना है। पीआईबी द्वारा तैयार फीडबैक में राजधानी से प्रकाशित राष्ट्रीय अंग्रेजी तथा हिंदी दैनिक पीआईबी के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा भेजे गए क्षेत्रीय समाचार पत्रों के इनपुट, टीवी चैनलों, वेब मीडिया तथा पत्रिकाओं के इनपुट शामिल हैं। पीआईबी के अधिकारी अपने–अपने मंत्रालयों को फीडबैक देते हैं। पीआईबी अधिकारी अपने मंत्रालयों/विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर मीडिया इनपुट उपलब्ध कराते हैं।

विशेष सेवा के भाग के रूप में पीआईबी के फीडबैक प्रकोष्ठ ने राष्ट्रीय समाचार पत्रों तथा क्षेत्रीय पत्रों और मंत्रालयों के उपयोग के लिए पत्रिकाओं के आधार पर दैनिक डाइजेस्ट और विशेष डाइजेस्ट तैयार किए। ब्यूरो की फीचर यूनिट ने सफलता की कहानियां, संदर्भ तथा सूचनात्मक तथ्य, फोटो फीचर जारी किया और अनुवाद तथा स्थानीय मीडिया में प्रसार के लिए क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को भेजे। पीआईबी की फीचर यूनिट द्वारा वर्ष में औसतन 200 से अधिक फीचर जारी किए जा रहे हैं। अप्रैल 2016 से अक्तूबर 2016 तक 137 फीचर जारी किए गए हैं। फीचर के विषयों में वैसे प्रत्येक विषय शामिल होते हैं, जो पीआईबी के प्रचार क्षेत्र में होते हैं। फीचर लेखन में केंद्रीय मंत्री, सचिव, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, विशेषज्ञता संपन्न पत्रकार तथा मुख्यालय और क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के पीआईबी अधिकारी योगदान

करते हैं। प्रयोग के तौर पर पीआईबी ने बेहतर दृश्यता के लिए यूएनआई के माध्यम से कुछ फीचर तैयार किए। यूनिट द्वारा गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस पर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को दर्शाने वाले विशेष फीचर जारी किए जाते हैं।

हिंदी तथा उर्दू यूनिट की गतिविधियां

हिंदी तथा उर्दू इकाइयों की मुख्य गतिविधियों में शीर्षकों तथा हिंदी/उर्दू दैनिकों के अंग्रेजी अनुवाद, प्रेस विज्ञप्तियों, फीचरों, संदर्भों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री के भाषणों के हिंदी तथा उर्दू अनुवाद सहित दैनिक प्रेस राउंडअप तैयार करना है। हिंदी और उर्दू यूनिट द्वारा एक अप्रैल 2016 से 30 नवंबर, 2016 तक 10,326 हिंदी और उर्दू प्रेस विज्ञप्तियां तथा हिंदी और उर्दू में 96 फीचर, संदर्भ जारी किए गए।

जनवरी–मार्च, 2017 की गतिविधियां

प्रवासी भारतीय दिवस, जनवरी, 2017

15वां प्रवासी भारतीय दिवस 7–9 जनवरी, 2017 को आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी समापन भाषण दिया तथा विदेशों में रहने वाले प्रतिष्ठित भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिए गए। सभी राज्यों तथा विदेशों के मीडिया कर्मी प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल हुए। इलेक्ट्रोनिक तथा प्रिंट दोनों मीडिया में प्रेस सम्मेलनों, प्रेस विज्ञप्तियों तथा फोटो कवरेज के माध्यम से मीडिया कवरेज हुई। उद्घाटन और समापन समारोह सहित आयोजन से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों तथा फोटो को जारी किए गए और पीआईबी की वेबसाइट पर डाले गए। प्रेस सामग्री तथा भाषणों की प्रतियां पीआईबी के मीडिया सेंटर की ओर से वितरित की गई। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का प्रिंट तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया में कवरेज सुनिश्चित की गई और प्रवासी भारतीयों से मंत्रालय के विश्लेषण और समीक्षा के लिए कवरेज की प्रेस क्लिपिंग्स भेजी गईं।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2017

मैसूर विश्वविद्यालय में 3 से 7 जनवरी, 2017 तक 103वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ। इसका मुख्य विषय था– भारत में स्वदेशी विकास के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी। इसकी व्यापक कवरेज के लिए पीआईबी ने बंगलुरु, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर प्रबंध किए गए।

संपादक सम्मेलन

तटवर्ती राज्यों के संपादकों का सम्मेलन जनवरी 2017 में हुआ। सम्मेलन में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय तथा स्थानीय मीडियाकर्मी ने भाग लिया। विभिन्न सत्रों में स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, पेयजल तथा स्वच्छता, गृह, जहाजरानी तथा आईओए सहित महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रालयों को शामिल किया गया।

सम्मेलन में तटवर्ती राज्यों से क्षेत्रीय मीडिया के 50 से अधिक संपादक शामिल हुए। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में स्थानीय संपादक, पत्रकार और वित्तीय विषयों के लेखकों ने भी भाग लिया। भाग लेने वाले मंत्रालयों के प्रमुख नीतिगत कार्यक्रमों पर संदर्भ सामग्री तैयार की गई, बांटी गई और उन्हें पीआईबी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

आम बजट 2017

वित्त मंत्री द्वारा आम बजट प्रस्तुत किए जाने पर पीआईबी बजट की उचित तरीके से व्याख्या करने के लिए संवाददाता सम्मेलन आयोजित करता है। पीआईबी बजट पत्रों के बारे में प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से सूचना का प्रसार करता है। ब्यूरो मीडियाकर्मियों को बजट सेट बांटने के लिए भी प्रबंध करता है। पीआईबी मुख्यालय बजट प्रस्तुत किए जाने के तुरंत बाद वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्तियों का डिजिटल संस्करण जारी करता है। बजट के बाद वित्त मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे संवाद के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के साथ साक्षात्कारों का प्रबंध किया जाता है।

पीआईबी द्वारा 2016–17 की प्रमुख गतिविधियां

- **आईएफएफआई 2016**– पीआईबी भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के सभी आयोजनों के लिए परंपरागत और आधुनिक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रत्यायन, प्रेस किट वितरण तथा प्रेस कार्ड वितरण, संवाददाता सम्मेलनों के आयोजन और मीडिया कवरेज का काम

देखता है। पीआईबी ने आईएफएफआई 2016 के लिए प्रेस विज्ञप्तियों, फीचर, फोटो, लाइव ट्विटिंग, फेसबुक पोस्ट तथा ट्विटर चर्चाओं के रूप में पूर्व प्रचार अभियान प्रारंभ किया। भारतीय तथा विदेशी मीडियाकर्मियों का विशेष प्रत्यायन किया गया। कुल 45 प्रेस संवाददाता सम्मेलन, 56 प्रेस विज्ञप्तियां, 32 आयोजनों का समन्वय, 27 प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव और 971 प्रेस क्लिपिंग्स जारी की गईं। आईएफएफआई 2016 के दौरान 317 संवाददाताओं और 87 कैमरामैन का प्रत्यायन किया गया।

- **ब्रिक्स सम्मेलन 2016**– पीआईबी ने प्रत्यायन और सम्मेलन स्थल पर मीडिया प्रबंधन तथा प्रेस विज्ञप्ति/वक्तव्य जारी करने में विदेश मंत्रालय के एक्सपी डिवीजन को सहायता दी। पीआईबी ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अंग्रेजी तथा मराठी में कुल 36 विज्ञप्तियां जारी कीं। इसके अतिरिक्त हाईरेज़ोल्यूशन वाले 39 फोटो जारी किए गए। ब्रिक्स सम्मेलन के सभी महत्वपूर्ण आयोजनों पर/pibmumbai ट्विटर हैंडल द्वारा ट्वीट जारी किए गए। पीआईबी इंडिया तथा एमआईबी ट्विटर हैंडलों द्वारा/pibmumbai के ट्वीट नियमित रूप से दोबारा ट्वीट किए गए। ये ट्वीट 472 प्राइवेट री–ट्वीट के अतिरिक्त थे। पीआईबी के कार्य से यह प्रारंभिक आशंका गलत साबित करने में सहायता मिली कि अधिकतर खबरें विदेश मंत्रालय कवर करने वाले संवाददाताओं को दी जाएंगी। ब्रिक्स 2016 को गोवा तथा मुंबई में व्यापक मीडिया कवरेज प्राप्त हुआ। पीआईबी मुंबई द्वारा 67 ओप–ऐड सहित 51 समाचार पत्रों की 438 प्रेस क्लिपिंग तैयार की गई।

- **राष्ट्रीय एकता दिवस**– सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा एकता दौड़ सहित विभिन्न आयोजन किए गए। पीआईबी ने इस आयोजन की व्यापक मीडिया कवरेज के लिए मुख्यालयों तथा क्षेत्रीय केंद्रों में सहायता दी। नई दिल्ली में एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाने सहित प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों का विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों में व्यापक प्रचार किया गया। प्रधानमंत्री ने 'यूनाइटिंग इंडिया–सरदार पटेल' पर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया और 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' पहल का शुभारंभ भी किया। मीडिया द्वारा इन दोनों आयोजनों की व्यापक कवरेज की गई और प्रधानमंत्री के भाषणों

ब्रिक्स फिल्म समारोह के ज्यूरी सदस्य

की लिखित प्रतिलिपियां वेबसाइट पर अपलोड भी की गईं। इस आयोजन के पहले पीआईबी ने एक विशेष वेब पेज बनाया था जिसमें सरदार पटेल पर फीचर, प्रेस विज्ञप्तियां, फोटो आदि संकलित किए गए ताकि मीडिया और सामान्य नागरिक इस सामग्री को देख सकेंगे और दिनभर की गतिविधियों की विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकें। वेब पेज पर दूसरी मीडिया इकाइयों से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग भी किया गया। पीआईबी के क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों ने क्षेत्रीय स्तर पर आयोजन के प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाई। पीआईबी के एसएमसी द्वारा ट्वीटिंग के ज़रिये सोशल मीडिया समर्थन दिया गया।

- **ब्रिक्स फिल्म समारोह**– 3 से 6 सितंबर, 2016 तक आयोजित ब्रिक्स फिल्म समारोह को मीडिया में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया। पीआईबी ने प्रिंट तथा इलेक्ट्रोनिक तरीके से इसकी व्यापक कवरेज में मदद की। पीआईबी के सोशल मीडिया प्रकोष्ठ द्वारा सोशल मीडिया पर विशेष बल दिया गया। समापन समारोह में अपने भाषण में सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वेंकैया नायडु ने ब्रिक्स देशों के न्यू एज सिनेमा पर बल दिया गया। इसे भी व्यापक कवरेज मिला।
- **अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2016**– दूसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की प्रेस तथा सोशल मीडिया में कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय ने अनेक गतिविधियां आयोजित कीं। आयोजन से पहले के प्रचार के भाग के रूप में पीआईबी द्वारा आयुष मंत्री तथा सचिव की ब्रीफिंग/इंटरव्यू का प्रबंध किया गया। स्वास्थ्य संबंधी विषयों के संपादकों का राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इसमें 120 से अधिक मीडियाकर्मियों तथा योग क्षेत्र के आठ विशेषज्ञ शामिल हुए। योग विशेषज्ञों के अनेक मीडिया साक्षात्कार आयोजित किए गए और इन्हें व्यापक मीडिया कवरेज मिला। अंतरराष्ट्रीय योग समारोह के पूर्वावलोकन, नई वेबसाइट तथा आईडीवाई पोर्टल के शुभारंभ ने, प्रधानमंत्री द्वारा डाक टिकट जारी करने तथा योग गीत जारी करने जैसी आयुष मंत्रालय की गतिविधियों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। आयोजनों के प्रचार–प्रसार के लिए अन्य मंत्रालयों से समन्वय स्थापित किया गया। पूरे देश में योग से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार हुआ। आयोजन के पहले योग संस्थानों के प्रचार में पीआईबी द्वारा सहायता दी गईं और चंडीगढ़ में आयोजित मुख्य समारोह की प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। पीआईबी की वेबसाइट पर तीन फीचर जारी किए गए। पीआईबी के अधिकारियों का दल मीडिया की आवश्यकताओं को जानने के लिए चंडीगढ़ गया और चंडीगढ़ प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित किया। कवरेज की योजना के आधार पर मीडिया परामर्श जारी किए गए। चंडीगढ़ के मुख्य समारोह को कवर करने के लिए दिल्ली के 103 मीडियाकर्मियों ने पास के लिए पंजीकरण कराया। पीआईबी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अन्य मीडिया इकाइयों–डीएवीपी, गीत और नाटक प्रभाग, दूरदर्शन समाचार तथा आकाशवाणी की मीडिया कवरेज में भी सहायता की। पीआईबी से पंजीकृत विदेशी मीडिया सहित 42 मीडियाकर्मियों का एक दल 20 जून को दिल्ली से भ्रमण के लिए चला। आयोजन के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए इंटरनेट तथा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का व्यापक उपयोग किया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को समर्पित विशेष वेब पेज बनाया गया। मुख्य आयोजन दिवस के पहले ट्विटर और फेसबुक पर विशेषज्ञों के साथ लाइव चैट का आयोजन किया गया। आयोजन को वेब पेज पर प्रदर्शित किया गया। योग दिवस की सुबह हैशटैग (# YogaDay) नंबर एक ट्विटर ट्रेंड बना और इस तरह पीआईबी को सोशल मीडिया प्रयासों में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई। आयुष मंत्रालय द्वारा राजधानी में आयोजित सात प्रमुख आयोजनों की अच्छा कवरेज सुनिश्चित की गई। पीआईबी के सभी क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों ने अपने–अपने राज्यों/क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया। विशेषकर केंद्रीय मंत्रालयों के आयोजनों को अच्छी कवरेज प्राप्त हुआ।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी)

1955 में स्थापित विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) भारत सरकार की नोडल मल्टीमीडिया विज्ञापन एजेंसी है। पिछले 61 वर्षो से डीएवीपी लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों, स्वायत्त संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की संचार आवश्यकताओं को किफायती दर पर और एक ही स्थान पर पूरा कर रहा है। डीएवीपी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीण तथा शहरी दोनों आबादी को सूचित और शिक्षित करता है तथा लोगों को प्रिंट मीडिया विज्ञापन, ऑडियो–विजुअल विज्ञापन, मुद्रित प्रचार, प्रदर्शनियों, आउटडोर प्रचार, न्यू मीडिया तथा मासमेलिंग जैसे विभिन्न संचार माध्यमों से विकास गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है।

डीएवीपी मुख्यालय के संगठनात्मक ढांचे में अभियान स्कंध, आउटडोर प्रचार, मुद्रित प्रचार, प्रदर्शनी, मास मेलिंग, ऑडियो–विजुअल शाखा, डिजाइन स्टूडियो और प्रशासन तथा लेखा शाखा शामिल हैं। डीएवीपी के दो क्षेत्रीय कार्यालय– बंगलुरु और गुवाहाटी में हैं, जो इन क्षेत्रों में निदेशालय की गतिविधियों में समन्वय करते हैं। डीएवीपी के पास देशभर में 32 फील्ड प्रदर्शनी इकाइयों का नेटवर्क है। डीएवीपी की फील्ड प्रदर्शनी इकाइयां सरकार तथा लोगों के बीच संचार संपर्क के रूप में काम करती हैं। फील्ड प्रदर्शनी इकाइयां महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में प्रचार के लिए देश के दूर–दराज के क्षेत्रों में सामाजिक तथा विकास संबंधी विषयों पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनियों का आयोजन करती हैं।

2016–17 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय

I. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जून 2016 में भारत सरकार की प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति बनाई गई। यह नीति सरकारी विज्ञापनों को जारी करने में अधिक पारदर्शिता लाने तथा नियमित प्रकाशन वाले समाचार पत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की जा रही है।

II. 12 अगस्त, 2016 को निजी एफएम रेडियो स्टेशनों का पैनल बनाने तथा दर निर्धारित करने के लिए नीतिगत दिशा–निर्देशों की घोषणा की गई और पैनल में शामिल निजी एफएम स्टेशनों के लिए नई संशोधित दरें 01 नवंबर, 2016 से लागू की गईं।

III. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 24 मई, 2016 को वेबसाइटों पर केंद्र सरकार के विज्ञापनों के लिए पैनल के लिए नीति तथा वेबसाइट्स का पैनल बनाने और विज्ञापनों की दरें तय करने की नीति को स्वीकृति दी। नई वेबसाइटों को पैनल में शामिल करने के लिए इसे लागू किया जा रहा है।

IV. सरकारी विज्ञापनों की विषय–वस्तु के नियमन के लिए तीन–सदस्यीय समिति का गठन : माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा जारी सभी तरह के सरकारी विज्ञापनों पर लागू होने वाले दिशा–निर्देशों की घोषणा की। न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 06 अप्रैल, 2016 को तीन–सदस्यों की एक समिति बनाई। इस समिति में अध्यक्ष के रूप में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री बी.बी. टंडन तथा सदस्य के रूप में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रजत शर्मा और ओगिल्वी एंड मैथर के कार्यकारी अध्यक्ष श्री पीयूष पांडे को शामिल किया गया।

V. विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विज्ञापनों के बिलों के निपटान की प्रक्रिया को 1 अक्तूबर, 2016 से विकेंद्रीत किया गया है। इसके अनुसार संबंधित मंत्रालय/विभाग समाचार पत्रों/टीवी चैनलों आदि को सीधे तौर पर बिल का भुगतान करेंगे।

2016–17 के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां

वर्ष के दौरान डीएवीपी ने अपना दायरा और पहुंच बढ़ाने, कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने तथा महत्वपूर्ण विषयों पर प्रभावी एकीकृत अभियानों के माध्यम से देश के सभी भागों में लोगों तक पहुंचने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। रिलीज ऑर्डरों की तैयारी और वितरण, बिलों की प्राप्तियां तथा भुगतान, आवेदनों की प्राप्ति

तथा निजी सी एंड एस चैनलों, निजी एफएम स्टेशनों, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों, समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के पैनल के लिए आवेदन प्राप्ति को डीएवीपी के उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) मॉड्यूल के हिस्से के रूप में ऑनलाइन व्यवस्था की गई है।

- पांच सौ तथा एक हजार के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण को देखते हुए डीएवीपी ने योजना के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मल्टीमीडिया अभियान जारी किया। इस संबंध में डीएवीपी ने प्रिंट विज्ञापन जारी किया और रेडियो पर व्यापक अभियान चलाया। विमुद्रीकरण पर डीएवीपी द्वारा दो पन्ने का फ्लायर छापा गया। लोगों में डिजिटल भुगतान साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए डीएवीपी ने प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन तथा डिजिटल सिनेमा को शामिल करते हुए अभियान लांच किया।
- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) पर आउटडोर पब्लिसिटी, न्यू मीडिया, प्रिंट तथा ऑडियो–विजुअल माध्यमों का उपयोग करते हुए कई प्रचार अभियान चलाए गए।
- केबल तथा सेटेलाइट चैनलों के माध्यम से एसबीएम पर जागरूकता के लिए ऑडियो–विजुअल अभियान चलाया गया। अभियान में अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर के नए ऑडियो–विजुअल स्पॉट का उपयोग किया गया।
- वित्त मंत्रालय और इसके विभिन्न स्कंध सर्वाधिक सरकारी विज्ञापन देते हैं। आयकर, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद, पीएफआरडीए और आर्थिक मामलों के विभाग और वित्तीय सेवा विभाग ने अग्रणी योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञापन जारी किए।
- आय घोषणा योजना (आईडीएस) पर अभियान के लिए आयकर निदेशालय द्वारा डीएवीपी की भूमिका की काफी सराहना की गई।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई, 2016 को शिलांग में 'मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है' प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

स्कंधवार ब्यौरा

अभियान स्कंध– निदेशालय द्वारा अप्रैल 2016 से चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम और गतिविधियां इस प्रकार हैं :

- **ग्राम उदय से भारत उदय अभियान** : इस विषय पर पूरे पन्ने का प्रिंट विज्ञापन जारी किया गया। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से रेडियो और टीवी अभियान चलाए गए।
- **भारत परिवर्तन अभियान** : मई 2016 के अंतिम सप्ताह में डीएवीपी द्वारा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए भारत परिवर्तन अभियान शुरू किया गया।
- **एकता के लिए दौड़ तथा राष्ट्रीय एकता दिवस अभियान** : सरदार पटेल जयंती मनाने के लिए प्रिंट, टीवी, रेडियो तथा डिजिटल सिनेमा पर मल्टीमीडिया अभियान चलाया गया।
- **विमुद्रीकरण तथा डिजिटल भुगतान साक्षरता पर अभियान** : पांच सौ तथा एक हजार के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण को देखते हुए डीएवीपी ने योजना के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मल्टीमीडिया अभियान प्रारंभ किया। इस संबंध में डीएवीपी ने प्रिंट विज्ञापन जारी किया और रेडियो पर व्यापक अभियान चलाया। विमुद्रीकरण पर डीएवीपी द्वारा दो पन्ने का फ्लायर छापा गया। लोगों में डिजिटल भुगतान साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए डीएवीपी ने प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन तथा डिजिटल सिनेमा को शामिल करते हुए अभियान चलाए।
- **भारत सरकार के कैलेंडर की डिजाइनिंग और मुद्रण**: डीएवीपी ने 22 दिसंबर, 2016 को दीवार कैलेंडर 2017 जारी किया। 2017 के कैलेंडर का थीम है– 'मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है।' कैलेंडर सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु द्वारा जारी किया गया। इस अवसर पर सूचना

एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर और सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अजय मित्तल उपस्थित थे। डीएवीपी ने इस वर्ष पर दीवार कैलेंडर मोबाइल एप भी जारी किया जिसे गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। यह एप्लीकेशन उपयोगी और सूचनाप्रद है। यह दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार की ताज़ा खबरें देता है और भारत सरकार की सभी वेबसाइटों के लिए एकल खिड़की है। यह एप्लीकेशन पीएमओ के सभी ताज़ा ट्वीट्स के लिंक भी उपलब्ध कराता है।

- पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के सिलसिले में डीएवीपी ने पूरे पन्ने के विज्ञापन की डिजायनिंग की और देश के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया।
- डीएवीपी ने भारतीय सेना, नौ सेना और वायु सेना के लिए भी इमेज प्रोजेक्शन अभियान चलाया। इसके लिए डीएवीपी द्वारा नए मल्टीमीडिया सृजन किए गए। सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा इन सृजनात्मक कार्यों की भरपूर प्रशंसा की गई। डीएवीपी को भारतीय नौ सेना के अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा प्रकोष्ठ की ओर से भी प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुए हैं।

वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय के जिन प्रमुख और अग्रणी योजनाओं पर विज्ञापन जारी हुए उनमें आय घोषणा योजना (आईडीएस), वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), एक कर, एक देश, जन–धन योजना (जेडीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), एनपीएस योजना, सोवरन गोल्ड बांड योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), विमुद्रीकरण योजना, डिजिटल लेनदेन, ग़रीब कल्याण योजना तथा अग्रिम कर/ई–फाइलिंग ऑफ रिटर्न आदि शामिल हैं।

भारत सरकार के कैलेंडर–2017 का विमोचन करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु। साथ में सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर भी दिखाई दे रहे हैं

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई)

'मेगा फूड पार्क' खोलने के बारे में विज्ञापन जारी किए गए ताकि निवेशकों और अन्य हितधारकों में इनके बारे में जागरूकता पैदा हो।

विद्युत मंत्रालय

मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा सक्षम इलेक्ट्रानिक उत्पादों की स्टार लेवलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रिंट मीडिया अभियान चलाया।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

'अटल अक्षय ऊर्जा भवन' को प्रोत्साहित करने तथा नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के लिए प्रिंट मीडिया में विज्ञापन जारी किए गए।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नवंबर और दिसंबर के प्रारंभ में आयोजित पेट्रोटेक प्रदर्शनी और सम्मेलन की थीम 'ऊर्जा यहां है' को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाया गया।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

जिन प्रमुख कार्यक्रमों पर विज्ञापन जारी किए गए उनमें अप्रैल 2016 में डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर अभियान, मादक द्रव्यों के दुरूपयोग की रोकथाम और मद्य निषेध का अभियान, देश में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के लिए किट और एडीआईपी वितरण अभियान तथा अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस पर अभियान शामिल हैं।

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के दौरान आयोजित भारत पर्व, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, रण उत्सव, अंतरराष्ट्रीय भारत पर्यटन निवेशक सम्मेलन (आईआईटीआईएस), 1 और 2 सितंबर, 2016 को खजुराहो में आयोजित ब्रिक्स पर्यटन सम्मेलन, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार पर अभियान।

कार्मिक, जन शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशनभोगियों के परिवारों में जागरूकता के लिए केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए ऑनलाइन डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तथा पेंशन नियम पर विज्ञापन।

वस्त्र मंत्रालय

राष्ट्रीय वस्त्र पुरस्कारों को प्रोत्साहित किया।

पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय

न्यू मीडिया तथा प्रिंट माध्यम का उपयोग करते हुए स्वच्छ भारत अभियान पर आउटडोर प्रचार (एसबीएम) अभियान।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

- आउटडोर प्रचार, न्यू मीडिया और प्रिंट तथा ऑडियो–विजुअल माध्यमों का उपयोग करते हुए डेंगू, चिकुनगुनिया, इंद्रधनुष, मातृ दुग्धपान, डायरिया नियंत्रण, मलेरिया तथा प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना पर अभियान।
- जनसंख्या स्थिरता कोष की ओर से 'पेंटिंग प्रतियोगिता' और विश्व जनसंख्या दिवस पर विज्ञापन।

आयुष मंत्रालय

- 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' पर आउटडोर प्रचार, प्रिंट विज्ञापन तथा ऑडियो–विजुअल माध्यम से विज्ञापन और पोस्टर जारी किए गए।
- राष्ट्रीय आरोग्य मेला के लिए प्रसारण और प्रिंट अभियान।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

जागो ग्राहक जागो, जन फार्मा समाधान, आईएसआई तथा हॉलमार्क, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेल्पलाइन नंबर पर प्रिंट, ओपी तथा एवी माध्यमों से अभियान चलाया गया।

श्रम और रोजगार मंत्रालय

बाल श्रम उन्मूलन, न्यूनतम मजदूरी तथा मातृत्व लाभ पर पूरे देश में प्रिंट तथा ऑडियो–विजुअल विज्ञापन जारी किए।

यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया

यूआईडीएआई बच्चों के लिए आधार कार्ड अभियान सहित आधार कार्ड के बारे में प्रिंट और ऑडियो–विजुअल अभियान चलाता रहा है। अभियान क्षेत्रवार तरीके से यूआईडीएआई के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा चलाया गया।

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री के 15–सूत्री कार्यक्रम तथा सच्चर समिति की सिफ़ारिश पर आधारित थीम को लेकर अभियान चलाया।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया, ई–साइन तथा मंत्रालय के अन्य कार्यक्रमों की थीम पर ऑडियो–विजुअल माध्यमों से अभियान चलाया।

पंचायती राज मंत्रालय

मंत्रालय ने वित्त वर्ष के दौरान 'ग्राम उदय से भारत उदय' पर प्रिंट अभियान चलाया।

जल संसाधन मंत्रालय

मंत्रालय ने जल संरक्षण तथा अफगान–भारत मित्रता बांध थीम पर प्रिंट मीडिया में विज्ञापन जारी किया।

प्रदर्शनी विंग

डीएवीपी ने अप्रैल 2016 से 136 प्रदर्शनियों का आयोजन किया जिनके प्रदर्शनी दिवसों की कुल संख्या 669 दिन थी। एनडीए सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस वर्ष की प्रदर्शनी का मुख्य थीम 'मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है' रही। यह पिछले दो वर्षों में सरकार की उपलब्धियों को दिखाती है। स्वतंत्र प्रदर्शनी आयोजन के अतिरिक्त डीएवीपी ने भारत में कुछ प्रमुख मेलों में भाग लिया। इन मेलों में हम्पी उत्सव, भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, विश्वप्रसिद्ध सोनपुर मेला, पुरी रथयात्रा, भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला प्रमुख रहे। कुल 10 भागीदारी मूलक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं जो 168 प्रदर्शनी दिवसों में संपन्न हुईं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शिलांग में 'मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है' प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी डीएवीपी, चंडीगढ़ में आयोजित दूसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए

अनेक विशिष्ट और अतिविशिष्ट लोगों ने इस वर्ष प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया और इनमें भाग लिया :

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है' प्रदर्शनी का शिलांग में 27 मई, 2016 को उद्घाटन किया।
- प्रधानमंत्री ने 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' पर चंडीगढ़ में आयोजित मुख्य समारोह में भाग लिया। राज्यसभा के नवनिर्वाचित और नामित सदस्यों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के लिए आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत के माननीय उप राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने किया।
- वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 3 मई, 2016 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की पूर्व संध्या पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु ने 1 अक्तूबर, 2016 को चेन्नई में महात्मा गांधी पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
- केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 17 अक्तूबर, 2016 को चंडीगढ़ में आयोजित क्षेत्रीय संपादकों के सम्मेलन के अवसर पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
- अन्य अतिविशिष्ट लोगों यथा लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, राजस्व मंत्री श्री एम. श्रीनिवास प्रसाद, जनजातीय मामलों के मंत्री श्री जुअल ओराम तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान भी प्रदर्शनी देखने आए।

ऑडियो–विजुअल विंग

डीएवीपी का ऑडियो–विजुअल प्रकोष्ठ निजी सी एंड एस चैनलों, निजी एफएम स्टेशनों, दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से विभिन्न ग्राहक मंत्रालयों तथा भारत सरकार के विभागों के अनुरोध के आधार पर मीडिया अभियान चलाता है। वर्तमान में 385 निजी सी एंड एस चैनल, 208 निजी एफएम स्टेशन तथा 89 सामुदायिक रेडियो स्टेशन डीएवीपी के पैनल में हैं।

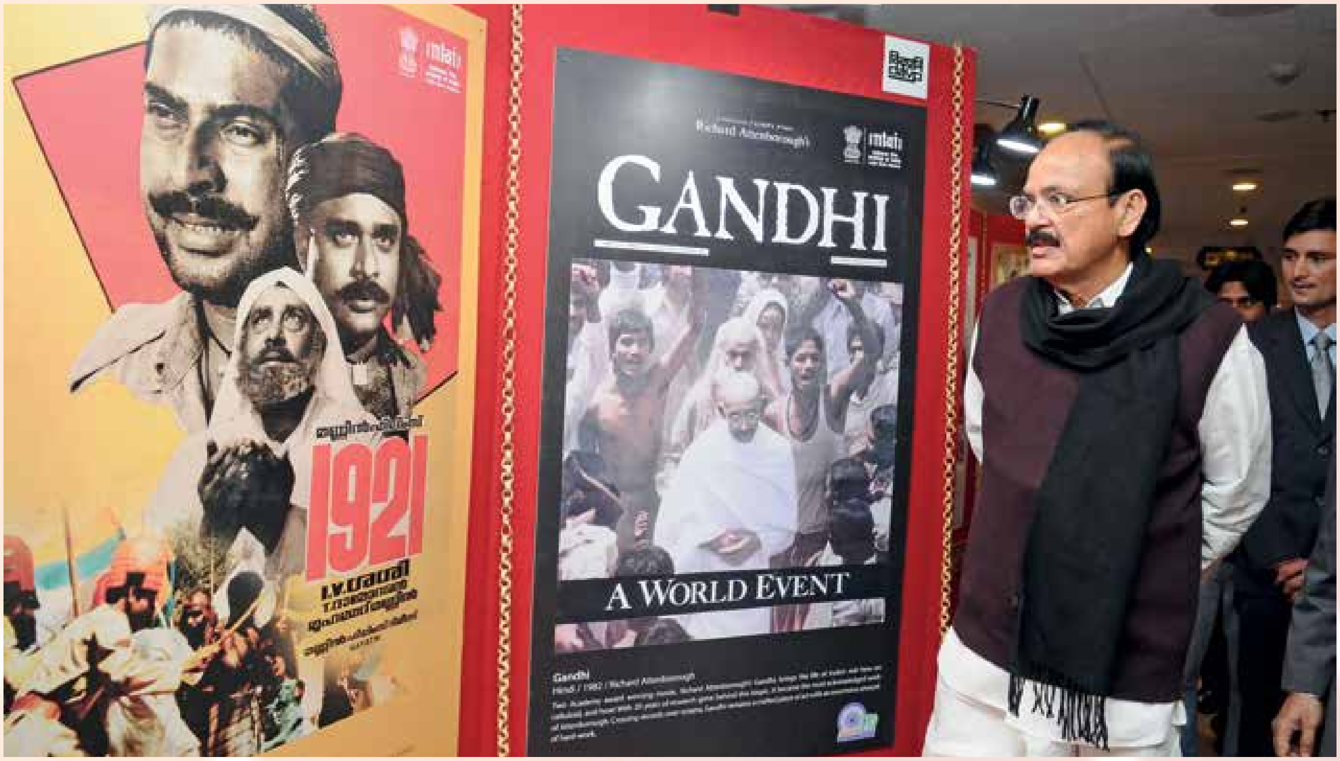

28वें सिमकॉन के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार द्वारा आयोजित प्रदर्शनी को देखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु

डीएवीपी के माध्यम से 1 अप्रैल, 2016 से विभिन्न ग्राहक मंत्रालयों द्वारा प्रमुख अभियान चलाए गए। इन प्रमुख अभियानों में निम्नलिखित अभियान रहे :

स्वच्छ भारत अभियान, पेयजल तथा स्वच्छता अभियान, रोटावायरस टीका अभियान, डाक जीवन बीमा, भारतीय नौ सेना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्राम उदय से भारत उदय, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान, शौर्य दिवस अवसर, आईआरडीएआई, देश बदल रहा है, नई सुबह, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, आयुष अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन– परिवार नियोजन, आय घोषणा योजना, ग्रामीण विकास–एनएसएपी, पीएमजीएसवाई, मेरी सड़क एप, भारतीय वायु सेना, एनएचएम–नियमित टीकाकरण, आईटी रिटर्न फाइलिंग, एनएचएम–मातृ दुग्धपान प्रोत्साहन अभियान, अग्रिम कर, एनएचएम–डेंगू, शहरी विकास–असली तरक्की, स्वच्छ सर्वेक्षण, ब्रिक्स–फिल्म उत्सव, ग्रामीण जीवन बीमा योजना, बाल श्रम अभियान, एकता दिवस, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, डिजिटल भुगतान अभियान, विमुद्रीकरण अभियान, ग्राहक लाभ तथा डिजिधन व्यापारी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमपीकेडीएस) आदि।

न्यू मीडिया विंग

डीएवीपी का न्यू मीडिया विंग डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे डिजिटल सिनेमा, इंटरनेट वेबसाइटों और एसएमएस के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के ग्राहकों के अनुरोध पर विभिन्न मीडिया अभियान चलाता है। वर्तमान में डिजिटल सिनेमा एजेंसियां, 42 इंटरनेट वेबसाइट (indianrailway.gov.in सहित) तथा 8 एसएमएस एजेंसियां डीएवीपी के पैनल में शामिल हैं।

1 अप्रैल, 2016 से मंत्रालय द्वारा ग्राहकों के अनुरोध पर डिजिटल सिनेमा, थोक एसएमएस तथा इंटरनेट वेबसाइटों के माध्यम से कुछ प्रमुख अभियान चलाए गए। न्यू मीडिया विंग द्वारा आगे उल्लेखित प्रमुख अभियान चलाए गए :

मंत्रालय	थीम
महिला एवं बाल विकस	1 महिला एवं बाल विकास (डिजिटल सिनेमा), (विभिन्न थीम) 2 बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (इंटरनेट तथा डिजिटल सिनेमा)
वित्त	1 आय घोषणा योजना (इंटरनेट वेबसाइट, डिजिटल सिनेमा) (indianrail.gov.in तथा irctc.co.in) एसएमएस सहित 2 फाइल इनकम टैक्स रिटर्न (एसएमएस तथा इंटरनेट) 3 अग्रिम कर (इंटरनेट तथा एसएमएस) 4 नई पेंशन योजना (एसएमएस) 5 पीएफआरडीए (एसएमएस) 6 सोवरन गोल्ड बांड (एसएमएस) 7 सतर्कता सप्ताह (एसएमएस)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1. नाको, लांछन तथा भेदभाव (डिजिटल सिनेमा) 2. मधुमेह तथा पक्षाघात (डिजिटल सिनेमा) 3. परिवार नियोजन (डिजिटल सिनेमा) 4. डेंगू (डिजिटल सिनेमा) 5. डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा सघन अभियान (डिजिटल सिनेमा) 6. नियमित टीकाकरण (डिजिटल सिनेमा) 7. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (डिजिटल सिनेमा) 8. आयोडिन अक्षमता दिवस (एसएमएस) 9. वृद्ध जनों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएमएस)
सूचना और प्रसारण	1. स्वच्छ भारत (डिजिटल सिनेमा) 2. राष्ट्रीय एकता दिवस (डिजिटल सिनेमा)
ग्रामीण विकास	1 ग्राम सभा (एसएमएस) 2 विभिन्न थीम–ग्रामीण विकास (डिजिटल सिनेमा)
पेयजल तथा स्वच्छता	1 पेयजल तथा स्वच्छता (डिजिटल सिनेमा)
रक्षा	1 भारतीय नौ सेना–इमेज प्रोजेक्शन (इंटरनेट तथा डिजिटल सिनेमा) 2 भारतीय नौ सेना भर्ती (एसएमएस) 3 भारतीय वायु सेना (इंटरनेट तथा डिजिटल सिनेमा)
पर्यटन	1. स्वच्छता एप (एसएमएस)
गृह	1. एनडीएमए (डीसी)
विद्युत	1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिजिटल सिनेमा) 2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)–पेंटिंग प्रतियोगिता (एसएमएस)
उपभोक्ता मामले	1. उपभोक्ता जागरूकता अभियान (डिजिटल सिनेमा)
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	1. पीएलआई तथा आरपीएलआई (डिजिटल सिनेमा) 2. स्पीड पोस्ट (डिजिटल सिनेमा) 3. ग्रामीण डाक जीवन बीमा (इंटरनेट) 4. डिजिटल हस्ताक्षर–सीसीए (इंटरनेट)
संस्कृति	1. सोशल मीडिया अभियान (इंटरनेट और एसएमएस)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1. मादक द्रव्य दुरुपयोग (एसएमएस)
मानव संसाधन विकास	1. ग्रेटर नोएडा पुस्तक मेला (एसएमएस तथा डिजिटल सिनेमा)
यूआईडीएआई	आधार (एसएमएस)

व्यक्तिगत मीडिया प्रकोष्ठ

डीएवीपी का व्यक्तिगत मीडिया प्रकोष्ठ रेल टिकट, विमान बोर्डिंग पास, एक्सेस कार्ड, रेलवे खान–पान सामग्री जैसे व्यक्तिगत मीडिया विषयों के माध्यम से ग्राहक मंत्रालयों/विभागों की आवश्यकताओं के अनुसार तथा बजट, श्रोता लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अभियानों को लागू करता है।

1 अप्रैल, 2016 से व्यक्तिगत मीडिया प्रकोष्ठ के माध्यम से विभिन्न ग्राहक मंत्रालयों द्वारा कुछ प्रमुख अभियान चलाए गए जो इस प्रकार हैं :

मंत्रालय	थीम
उपभोक्ता मामले	उपभोक्ता जागरूकता अभियान
वित्त	आय घोषणा योजना
ग्रामीण विकास	ग्रामीण जागरूकता अभियान
महिला एवं बाल विकास	सामाजिक संदेश

बाह्य प्रचार स्कंध

डीएवीपी का बाह्य प्रचार विंग मंत्रालय/विभाग ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार और बजट लक्षित जनसमुदाय को ध्यान में रखते हुए, रेल, यूनीपोल, बस पैनलों, बस क्यू शेल्टरों/मेट्रो स्टेशनों/हवाई अड्डों और रेल गाड़ियों के अंदर आउटडोर मीडिया के माध्यम से मीडिया अभियान चलाता है।

बाह्य प्रचार के माध्यम से 1 अप्रैल, 2016 से ग्राहक मंत्रालयों द्वारा प्रमुख अभियान चलाए गए। बाह्य प्रचार के लिए जारी विभिन्न अभियानों में आय घोषणा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उपभोक्ता जागरूकता अभियान, ब्रिक्स, मादक द्रव्य दुरूपयोग, दिव्यांग जन, वरिष्ठ नागरिक, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर अभियान शामिल हैं।

लेखा स्कंध

डीएवीपी का लेखा स्कंध प्रत्येक वर्ष लगभग 950 से 1000 करोड़ रुपये के भुगतान का निष्पादन करता है। अपने बजट के अतिरिक्त डीएवीपी अपने सभी ग्राहकों, स्वायत्त संस्थानों, विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से धनराशि प्राप्त करता है और कार्य आदेश के अनुसार उचित जांच के बाद कोष की राशि व्यय करता है तथा समाचार पत्रों, आउटडोर प्रचार एजेंसियों, रेडियो चैनलों, टीवी चैनलों, प्रोडक्शन घरानों तथा डीएवीपी के पैनल में शामिल मुद्रित प्रचार एजेंसियों को डिलीवरी का प्रमाण देता है। डीएवीपी के विज्ञापन जारी करने के आदेश में निर्धारित पूर्व शर्तों के अनुसार विज्ञापन प्रसारण और प्रकाशन की जांच के बाद डीएवीपी आदेश भुगतान निष्पादन करता है।

प्रमुख उपलब्धियां

लेखा स्कंध की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

1. प्रचार के सभी क्षेत्रों के कार्यक्रम प्रभाग स्तर बना कर नए लेखा माड्यूल यानी पीएफएमएस 'वित्तीय प्रबंधन प्रणाली' को सफलतापूर्वक लागू किया।
2. पीएफएमएस के माध्यम से व्यवस्थापन तथा ग्राहक मंत्रालयों के अधिकार पत्रों से संबंधित सभी बिलों की प्रोसेसिंग की जा रही है तथा भुगतान में शीघ्रता और सहजता आई है।
3. वेबसाइट पर प्रोसेसिंग तथा बिलों के भुगतान की जानकारी ली जा सकती है। इससे एजेंसियों के बिलों की स्थिति विशेषकर बिलों की स्वीकृति और मंजूरी की स्थिति जानने से पारदर्शिता आती है।
4. चाहे कोई भी कार्य/अभियान हो सभी एजेंसियों का भुगतान 100 प्रतिशत अंतरण इलेक्ट्रोनिक फंड (एनईएफटी/आरटीजीएस) के माध्यम से फौरन किया जाता है और इस तरह भुगतान में विलंब की संभावना खत्म हो जाती है और डाक में चेक नहीं खोते।

सतर्कता अनुभाग

डीएवीपी ने अपने नई दिल्ली मुख्यालय में जून 2004 में पूर्ण सतर्कता सेक्शन की स्थापना की जहां सभी मुख्यालय और फील्ड कार्यालयों के सभी सतर्कता मामलों को देखा

जाता है और अनुभाग अधिकारी (सतर्कता), उपनिदेशक (सतर्कता), निदेशक (सतर्कता) तथा महानिदेशक (सतर्कता) द्वारा निगरानी की जाती है। सतर्कता अनुभाग समग्र रूप से महा निदेशक के अधीन कार्य करता है।

डीएवीपी ने 31 अक्तूबर, 2016 से 5 नवंबर, 2016 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया। इस बार के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का मुख्य विषय थाः सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार के उन्मूलन में जनता की भागीदारी। डीएवीपी ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए समाचार पत्रों तथा ऑडियो–विजुअल कंपनियों को पैनल में शामिल करने, प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए एजेंसियों की सेवा लेने में आदि की प्रक्रिया में बदलाव किए हैं। बिल प्रोसेसिंग की प्रणाली और भुगतान को ऑनलाइन किया गया है बिल प्रस्तुत करने के बाद एजेंसियां बिलों की स्थिति की जानकारी दिए गए पासवर्ड के आधार पर ऑनलाइन प्राप्त कर सकती हैं। एजेंसियों को केवल एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ही किया जाता है।

मुद्रित प्रचार स्कंध

मुद्रित प्रचार विंग डीएवीपी द्वारा लांच किए गए अभियानों के व्यापक प्रचार के लिए मुद्रित सामग्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह विंग बहुरंगी पोस्टरों, कैलेंडरों, डायरियों, ब्रोशर, फोल्डरों, टेबल कैलेंडरों तथा अन्य सामग्री, वाल हैंगरों, स्टीकरों के मुद्रण कार्यों का नियोजन/प्रोडक्शन का कार्य करता है। डीएवीपी सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, असमी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, उर्दू तथा हिंदी में मुद्रित प्रचार सामग्री तैयार करता है। यह विंग मुद्रकों, टाइपसेटरों तथा डायरी बनाने वालों का पैनल रखता है ताकि कम से कम संभव समय में कार्य पूरा किया जा सके और लागत पर अधिक नियंत्रण रखा जा सके।

इस विंग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा विभिन्न मंत्रालय ग्राहकों के लिए 214 आइटमों के साथ 4.7 करोड़ कॉपियों वाले 45 कार्यों को पूरा किया।

मास मेलिंग स्कंध

मास मेलिंग विंग प्रधानमंत्री के भाषणों के अतिरिक्त विभिन्न ग्राहक मंत्रालयों/विभागों तथा संगठनों के लिए बुकलेट, ब्रोशर तथा अन्य मुद्रित प्रचार सामग्रियों जैसे पर्ची, पोस्टर, फोल्डर आदि का वितरण ग्राहक विभागों के प्रचार निर्देशों और आवश्यकताओं के आधार पर करता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष कैलेंडर, डायरियों का वितरण सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तथा सभी मंत्रालयों और उनके संबद्ध कार्यालयों के विशिष्ट व्यक्तियों को निःशुल्क किया जाता है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/स्वशासी निकायों को यह वितरण भुगतान के आधार पर किया जाता है।

नियोजन योजना के अंतर्गत बजट स्वीकृति

डीएवीपी के मीडीया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) के अंतर्गत मीडिया बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 'डीएवीपी कायाकल्प उप योजना' तथा 'विकास संचार और सूचना प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत उप योजना विकास संचार के माध्यम से जन अधिकारिता' को लागू कर रहा है। इन दोनों योजनाओं का बजट आबंटन और उपयोग की स्थिति इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

क्र. स.	योजना का नाम	बीई 2016–17	नवंबर 2016	आरई
1	डीसीआईडी कार्यक्रम	125.60	117.14	169.68
2	एमआईडीपी	3.00	1.21	3.25

भारत के समाचार पत्र पंजीयक कार्यालय (आरएनआई)

आरएनआई का उद्देश्य

भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक का कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है। पंजीयक का कार्यालय अपने वैधानिक कार्यों के अंतर्गत समाचार पत्रों का रजिस्टर रखता है। समाचार पत्रों के पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करता है। समाचार पत्र के नए शीर्षकों के

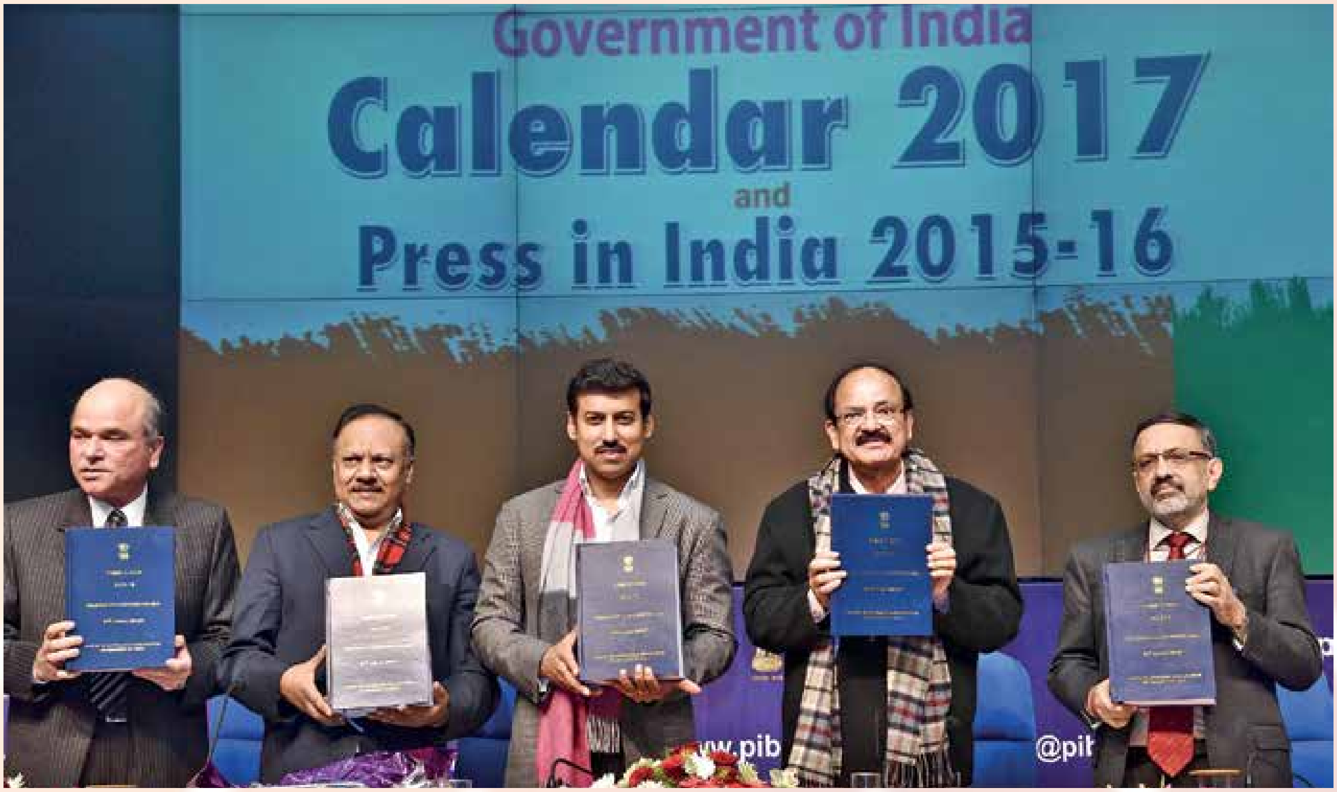

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु 'प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट 2015–16' का लोकार्पण करते हुए। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर भी उपस्थित थे

बारे में संबंधित डीएम को जानकारी देता है और समाचार पत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों की जांच और विश्लेषण करता है। यह कार्यालय प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक देश में प्रिंट मीडिया की स्थिति को दिखाते हुए भारत में प्रेस रिपोर्ट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। अपने ग़ैर वैधानिक कार्यों के अंतर्गत यह कार्यालय आरएनआई से पंजीकृत वास्तविक उपयोगकर्ताओं को अख़बारी काग़ज़ आयात पात्रता का प्रमाणपत्र जारी करता है और साथ–साथ मुद्रण मशीनरी के आयात के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र भी जारी करता है।

संगठनात्मक ढांचा

आरएनआई कार्यालय प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप स्थापित किया गया। आयोग ने भारत में प्रेस से संबंधित विश्वसनीय आंकड़ों को एकत्र करने के लिए उत्तरदायी वैधानिक प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया था। भारत सरकार की 1 जुलाई, 1956 की एक अधिसूचना द्वारा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स (संशोधन) अधिनियम, 1955 लागू किया गया। आरएनआई का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके प्रमुख प्रेस पंजीयक होते हैं जिनकी सहायता दो उप प्रेस पंजीयक और 3 सहायक प्रेस पंजीयक करते हैं।

शीर्षक सत्यापन

आरएनआई इच्छुक प्रकाशकों की ओर से संबंधित डीएम द्वारा विधिवत अग्रसारित शीर्षकों के सत्यापन के लिए आवेदन प्राप्त करता है। पीआरबी अधिनियम के सेक्शन 6 के प्रावधान के अनुसार शीर्षक सत्यापन का कार्य किया जाता है।

अप्रैल 2016 के दौरान आरएनआई ने शीर्षक सत्यापन के लिए 12,682 आवेदनों की जांच की जिसमें से 5,462 शीर्षकों का सत्यापन किया गया।

आवेदकों की सहायता के लिए कार्यालय ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन देने की व्यवस्था कर दी है। संबंधित डीएम द्वारा आगे की प्रोसेसिंग के लिए आवेदक को आरएनआई में जमा किए गए आवेदन का प्रिंट आउट

संबंधित डीएम को प्रस्तुत करना होता है ताकि डीएम आरएनआई को सिफ़ारिश कर सकें। शीर्षक सत्यापन के लिए आवेदनों की स्थिति के बारे में एसएमएस तथा ईमेल से आवेदक को जानकारी दी जाती है। आवेदक शीर्षक की स्थिति की जांच आरएनआई की वेबसाइट पर कर सकते हैं।

शीर्षकों को डी–ब्लॉक करना

शीर्षक जांच के बाद प्रकाशक को शीर्षक का पंजीकरण कराना होता है। यदि 2 वर्ष के अंदर सत्यापित शीर्षक का पंजीकरण नहीं कराया जाता है तो उस शीर्षक को डी–ब्लॉक करके उसे दूसरे इच्छुक आवेदक को सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

पंजीकरण

शीर्षक सत्यापन के बाद प्रकाशक को डीएम द्वारा प्रमाणित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होता है। इस घोषणा पत्र के साथ पीआरबी अधिनियम के अनुसार घोषणा के प्रमाणीकरण के बाद निर्धारित दिनों के अंदर पहली बार प्रकाशित पत्र की प्रति देनी होती है और शपथ पत्र देना होता है कि किसी तरह का विदेशी सहयोग नहीं लिया गया है। प्रकाशन के मुद्रण और पीआरबी अधिनियम और नियमों के अनुसार मुद्रण की पुष्टि होने के बाद समाचारपत्र/पत्रिका को पंजीकरण संख्या आबंटित की जाती है और इसे आरएनआई के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। इसके बाद ही प्रकाशक को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

2015–16 में पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या 5,423 रही। 31 मार्च, 2015 तक कुल पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या 1,10,851 रही जिसमें क्रमशः 16,136 समाचार पत्र और 94,715 पत्रिकाएं थी।

अप्रैल 2016 से अक्तूबर 2016 तक कुल 3,434 पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए। इनमें 2554 नए मामले और 880 संशोधन के मामले थे।

कंप्यूटरीकरण

शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण की कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया के बाद सभी सत्यापित शीर्षकों को आरएनआई की वेबसाइट http//rni.nic.in पर डाला जाता है और इसे आवेदक डाउनलोड कर सकते हैं। इस सुविधा के लागू होने से कोई भी व्यक्ति/संभावित प्रकाशक वर्तमान शीर्षकों के डाटा बेस तक पहुंच सकता है जो राज्यवार/भाषा के अनुसार उपलब्ध होता है। प्रश्न–उत्तर रूप में प्रकाशकों के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर संकलित किए गए हैं और इन्हें आरएनआई की वेबसाइट पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न के रूप में रखा जाता है।

वार्षिक वक्तव्य

पीआरबी अधिनियम 1867 के सेक्शन डी के अनुसार समाचार पत्रों के प्रकाशनों को समाचार पत्र पंजीकरण (केंद्रीय) नियम 1956 में निर्धारित फार्म II में वार्षिक वक्तव्य देना होता है। इसमें नियमों के अंतर्गत दी गई विभिन्न सूचनाएं होती हैं। प्रत्येक प्रकाशक को अपनी पत्र–पत्रिका में इस वक्तव्य को प्रकाशित करना आवश्यक है जिसके स्वामित्व तथा फार्म IV में दिए गए प्रासंगिक विवरण प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम दिन के बाद पहले अंक में देना होता है। वार्षिक वक्तव्य बुनियादी दस्तावेज है जिसके आधार पर आरएनआई देश में प्रेस की स्थिति का विश्लेषण करता है और इसे 'प्रेस इन इंडिया'/'भारत में प्रेस' में शामिल किया जाता है।

वार्षिक विवरणों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण 2013–14 से प्रारंभ हुआ। वर्ष 2015–16 में 26,104 वार्षिक विवरण ऑनलाइन प्राप्त हुए।

प्रेस इन इंडिया का प्रकाशन

वार्षिक रिपोर्ट 'प्रेस इन इंडिया'/'भारत में प्रेस' 2015–16

श्री एम. वेंकैया नायडु 'प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट 2015–16' के ई–संस्करण का विमोचन करते हुए। साथ में सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर भी हैं

का सीडी संस्करण सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु ने 22 दिसंबर 2016 को प्रेस इन इंडिया 2015–16 और इसके सीडी संस्करण का सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण सचिव की उपस्थिति में लोकार्पण किया। वार्षिक रिपोर्ट http//rni.nic.in पर उपलब्ध है।

प्रसार सत्यापन

पत्र–पत्रिकाओं की प्रसार संख्या की जांच/सत्यापन का उद्देश्य वार्षिक रिटर्न/रिपोर्ट में प्रकाशनों द्वारा दिए गए प्रसार आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि करना है। डीएवीपी सहित विभिन्न सरकारी विभाग सरकारी विज्ञापन आबंटित करने के बारे में निर्णय इन्हीं आंकड़ों के आधार पर करते हैं।

प्रसार संख्या के सत्यापन के दिशा–निर्देशों में संशोधन : डीएवीपी द्वारा 2007 में जारी पुरानी प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति में चाटर्ड एकाउंटेंट को इस बात की अनुमति थी कि वह प्रतिदिन 75,000 प्रसार संख्या के दावों का सत्यापन करें। इससे समाचार पत्रों द्वारा अपनी प्रसार संख्या को बढ़ा–चढ़ा कर पेश किया जाने लगा ताकि अधिक सरकारी विज्ञापन प्राप्त किए जा सकें।

मंत्रालय द्वारा 9 जून, 2016 को नई प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति जारी की गई। इसके अंतर्गत 45 हजार से ऊपर के प्रसार दावों की जांच आरएनआई/एबीसी द्वारा आवश्यक है। नई प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति के अनुसार प्रसार संख्या जांच के आरएनआई के दिशा–निर्देशों में 10 जून, 2016 को संशोधन किया गया ताकि आरएनआई प्रसार संख्या जांच एबीसी द्वारा अपनाई गई विस्तृत प्रक्रिया के अनुरूप हो। इससे सत्यापन की प्रक्रिया चुस्त होगी और फर्जी समाचार पत्रों को समाप्त किया जा सकेगा।

संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रसार संख्या के सत्यापन का कार्य प्रेस पंजीयक द्वारा नामित आरएनआई/पीआईबी तथा डीएवीपी के अधिकारियों द्वारा किया जाता है और इसमें एबीसी, सीएजी तथा आरबीआई के पैनल में शामिल चार्टरित लेखाकार (चार्टड एकाउंटेंट) भी शामिल होते हैं।

अखबारी कागज़

1 मई, 1995 को अखबारी कागज को मुक्त सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत ला दिया गया है और सभी प्रकार के अखबारी, ग्लेज्ड तथा स्टैंडर्ड कागज का आयात वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। वर्ष 2006–07 के दौरान मंत्रालय ने अखबारी कागजों के आयात और खपत के ब्योरों को दिखाने वाले वार्षिक रिटर्न के फार्म में संशोधन किया। संशोधित प्रारूप के माध्यम से आरएनआई पात्रता प्रमाणपत्र जारी करता है जिसमें समाचार पत्र द्वारा अधिकतम आयात की मात्रा निर्दिष्ट होती है। इस मात्रा का निर्धारण शपथ पत्र के आधार पर किया जाता है जिसमें प्रकाशक पिछले दो वर्षों में अखबारी कागज की खपत का विवरण और चालू वर्ष के लिए खपत की प्रस्तावित मात्रा का विवरण देता है।

अप्रैल 2016 से अक्तूबर 2016 के दौरान अखबारी कागज के आयात के लिए 1339 पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए।

राजभाषा

आरएनआई के कार्यालय ने 14 से 28 सितंबर, 2016 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जिसमें सरकारी कामकाज में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस कार्यालय में एक सहायक निदेशक (ओएल) तथा एक अनुवादक तैनात किए गए है जो अनुवाद में सहायता देने के साथ–साथ भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं।

जन शिकायत तथा आरटीआई

कार्यालय में एक जन शिकायत प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। शीर्षक आवेदक तथा प्रकाशक ईमेल pqrc-rni@nic.पद के माध्यम से सीधे या आरएनआई की वेबसाइट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। उनके प्रश्नों के जवाब ईमेल के माध्यम से दिए जाते हैं। कार्यालय के उप प्रेस पंजीयक को इस कार्यालय की आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था का प्रमुख बनाया गया है। अप्रैल से अक्तूबर 2016 के दौरान आरटीआई के अंतर्गत 478 आवेदन प्राप्त हुए।

क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद करना

शीर्षक सत्यापन कार्य ऑनलाइन प्रारंभ होने के बाद आरएनआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य में कमी आ गई क्योंकि उनका उपयोग केवल कभी–कभार प्रसार सत्यापन के लिए ही होता था। इसे देखते हुए मंत्रालय ने आरएनआई की कार्य संरचना को नया रूप दिया तथा आरएनआई के मुंबई, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी तथा चेन्नई कार्यालयों को बंद कर दिया गया। इन स्थानों पर आरएनआई कार्यालयों की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण पीआईबी ने कर लिया। उप निदेशक के ऊपर के पीआईबी के क्षेत्रीय अधिकारियों को पीआरबी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयक के अधिकार दिए गए जिसका उपयोग ये अधिकारी प्रेस पंजीयक की देखरेख और निर्देशन में करेंगे। इसके लिए पीआईबी के संबंधित अधिकारियों को सितंबर 2016 के दौरान बैचों में प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे आरएनआई के विभिन्न कार्यालय से संबंधित कार्यों का निष्पादन कर सकें।

कैट के निर्णयों/आदेशों को लागू करना

कैट के निर्णयों/आदेशों के ब्यौरे शून्य हैं।

नागरिक चार्टर

नागरिक चार्टर तैयार किया गया है। इसे कार्यालय की वेबसाइट (http://www.rni.nic.in) पर डाल दिया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना स्कीम : आरएनआई मुख्यालयों का सुदृढ़ीकरण

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2012–13 के दौरान 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में मीडिया बुनियादी ढांचा विकास के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की सूचना दी। इस योजना के अंतर्गत आरएनआई की उपयोजना आरएनआई मुख्यालय के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत तीन उप घटकों–(i) रिकार्डों का डिजिटीकरण (ii) वार्षिक वक्तव्यों की ऑनलाइन फाइलिंग तथा (iii) ऑनलाइन शीर्षक सत्यापन/पंजीकरण प्रमाणपत्र को लागू किया गया।

प्रेस तथा पुस्तकों और प्रकाशनों का पंजीकरण (पीआरबीपी) विधेयक

वर्तमान में लागू प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम 1867 का उद्देश्य प्रिंटिंग प्रेसों तथा समाचार पत्रों का भारत में प्रकाशित पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की प्रतियों के संरक्षण के लिए विनियमन करना और ऐसी पुस्तकों और पत्रिकाओं के पंजीकरण का नियमन करना।

नए विधेयक की आवश्यकता : मुद्रण क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था को अद्यतन करने, समकालीन बनाने और संशोधित करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए मंत्रिमंडल ने सितंबर 2011 में प्रेस तथा पुस्तकों और प्रकाशनों के पंजीकरण (पीआरपीबी) नामक विधेयक को मंजूरी दी और इसे दिसंबर 2011 में लोकसभा में पेश किया गया। इसे 5 जनवरी, 2012 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थाई समिति को विचार के लिए भेजा गया। स्थाई समिति ने विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के बाद 20 दिसंबर, 2012 को जारी अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की। स्थाई समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक में संशोधन किया गया और मंत्रिमंडल समिति की मंजूरी के लिए मार्च 2014 में विधेयक लाने के प्रयास किए गए लेकिन मई 2014 में 15वीं लोकसभा की अवधि समाप्त हो जाने के कारण यह विधेयक आगे बढ़ नहीं सका।

नए विधेयक की वर्तमान स्थिति : 16वीं लोक सभा प्रारंभ होने के बाद मंत्रालय नया विधेयक लाने की प्रक्रिया में है। यद्यपि पिछले वर्ष अंतर–मंत्रालय विमर्श हुआ लेकिन यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान प्रारूप विधेयक का समग्र संशोधन किया जाए ताकि यह वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप हो सके।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी)

डीएफपी का कार्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में लोगों में विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करना है। सरकार के विकास और कल्याण कार्यक्रमों को कारगर तरीके से लागू करने का काम लक्षित लाभार्थियों के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पर निर्भर है। डीएफपी इसी के अनुसार सूचना के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने का काम करता है ताकि ऐसे कार्यक्रमों और योजनाओं में लोग उत्साह के साथ भाग ले सकें। डीएफपी का जागरूकता प्रयास अंतर–वैयक्तिक संचार

पर आधारित होता है। यह संचार का सबसे कारगर तरीका साबित हुआ है। डीएफपी जनमत प्रभावित करने वाले स्थानीय नेताओं के साथ सक्रिय संवाद स्थापित करके अपना कार्य करता है। इस कार्य में समूह चर्चा की जाती। घर–घर पहुंचा जाता है। इन प्रयासों की प्रतिपूर्ति पारंपरिक और लोक मीडिया तथा अन्य पारंपरिक और गैर–पारंपरिक तरीकों से की जाती है। इस प्रक्रिया में डीएफपी को अन्य केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के विभागों/एजेंसियों से सहयोग मिलता है। डीएफपी के अधिकारी सरकार के कार्यक्रमों/योजनाओं को लागू करने में फीडबैक एकत्रित करते हैं ताकि कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने वाली एजेंसियों को लाभ मिल सके।

गुवाहाटी में सोनीपुर में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा आयोजित 'आज़ादी 70' रैली

निदेशालय के उद्देश्य

- लोगों के समक्ष स्टाफ तथा सामग्री को लाकर सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और उपलब्धियों को बताना तथा योजना से मिलने वाले लाभों की जानकारी देना।
- लोगों में लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता तथा सांप्रदायिक सद्भाव जैसे मौलिक राष्ट्रीय मूल्यों को प्रोत्साहित करना।
- सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों और उनके कार्यान्वयन के बारे में जन प्रतिक्रिया एकत्रित करना और इस बारे में उचित कार्रवाई के लिए रिपोर्ट करना और आवश्यकता पड़ने पर सुधार के उपाय करना।

सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में सूचनाओं का प्रसार करने का डीएफपी का तरीका मंत्रालय की अन्य मीडिया इकाइयों से अलग है क्योंकि डीएफपी ग्राहक मंत्रालयों/विभागों के लिए सीधे लक्षित समूह से फीडबैक एकत्रित करता है ताकि सुधार के सही कदम उठाए जा सकें। इस तरह डीएफपी लोगों और भारत सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है।

संगठनात्मक ढांचा

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तीन स्तरों पर कार्य करता है। ये स्तर हैं :

(i) नई दिल्ली मुख्यालय

(ii) क्षेत्रीय कार्यालय और

(iii) क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां

निदेशालय के 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो अधिकतर राज्यों की राजधानियों में हैं। पूरे देश में 207 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां हैं और ये इकाइयां अधिकतर जिला मुख्यालयों में हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय 6 से 13 प्रचार इकाइयों का नियंत्रण करते हैं। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां काम करती हैं। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी को क्षेत्रीय प्रचार सहायक तथा अन्य स्टाफ समर्थन देते हैं। क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां वाहनों से लैस होती हैं और क्षेत्र स्तर की गतिविधियों में ऑडियो–विजुअल उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं। प्रत्येक इकाई का लक्ष्य महीने में 10 से 12 यात्रा करनी होती है ताकि सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके, विशेषकर दूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त निकटवर्ती इलाकों में दिन को यह कार्य किया जाता है।

ई–गवर्नेंस

डीएफपी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों तथा क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों के कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को अपनाया है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों को कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं और सहज तथा शीघ्र संचार के लिए इंटरनेट सुविधा दी गई है। विश्लेषण, संदर्भ तथा रिकार्ड के उद्देश्य से फोकसयुक्त रिपोर्ट तथा डाटा बेस तैयार किया जाता है। सभी 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के वेब पृष्ठ लांच किए गए हैं।

प्रमुख गतिविधियां

सरकार की दो वर्षों की उपलब्धियां

डीएफपी के क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने फिल्म शो, समूह चर्चा आदि के माध्यम से सरकार के कार्यक्रमों की उपलब्धियों को सरकारी योजनाओं के लक्षित लाभार्थियों को बताया।

विशेष पहुंच कार्यक्रम (एसओपी)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विकास संचार एवं सूचना प्रसार योजना के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डीएफपी की एक उप योजना प्रत्यक्ष संपर्क कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का एक घटक विशेष पहुंच कार्यक्रम है जिसमें डीएफपी की क्षेत्रीय इकाइयों को एक साथ जोड़ कर चिन्हित थीम पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। एसओपी का मुख्य उद्देश्य उन स्थानों को चिन्हित करना है जहां अधिक लोगों तक पहुंचा जा सकता है और अंतर–व्यक्तिगत तरीके से संदेश दिया जा सकता है। सीमावर्ती इलाकों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों सहित देश के सभी भागों में एसओपी का आयोजन किया जाता है।

30 सितंबर, 2016 तक 295 एसओपी आयोजित किए गए।

पुणे के धुले में बोरकुंड में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का विशेष स्वास्थ्य जागरूकता अभियान

एसओपी की थीम है :

- स्वच्छ भारत मिशन
- प्रधानमंत्री जन धन योजना
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- अटल पेंशन योजना
- कौशल भारत मिशन

विशेष पहुंच कार्यक्रम (एसओपी)

पेशेवर एजेंसियों की सेवाएं लेकर डीएफपी ने पायलट आधार पर चार राज्यों– ओडिशा, पंजाब, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाने के लिए इस परियोजना का प्रथम चरण लांच किया है। परियोजना में सरकार की अग्रणी योजनाओं/थीमों को लेकर प्रचार करना है। उन क्षेत्रों में जहां मानव विकास सूचकांक कम है। इस घटक के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 5,000 विशेष पहुंच कार्यक्रम पूरे किए जाएंगे।

पुनर्उत्पादक, मातृत्व, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच़ए)

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय सितंबर 2016 से आरएमएनसीएच़ए के बारे में विशेष जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि देश के चिह्नित उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में जागरूकता पैदा की जा सके। इसमें समाज के कमज़ोर वर्गों और उपेक्षित वर्गों पर फोकस किया जाता है।

सितंबर 2016 से पहले चरण का अभियान प्रारंभ किया गया। दूसरा चरण नवंबर में प्रारंभ हुआ। अभियान के पहले चरण में पूरे देश में 184 प्राथमिकता वाले जिलों/फोकस वाले जिलों में 273 अभियान चलाए जा रहे हैं।

30 नवंबर, 2016 तक आरएमएनसीएच़ए पर डीएफपी द्वारा 106 कार्यक्रम चलाए गए।

सीमावर्ती क्षेत्रीय प्रचार गतिविधियां

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, मेघालय–मिजोरम–त्रिपुरा (एमएमटी), नगालैंड तथा मणिपुर, उत्तर–पश्चिम (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश), राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल (उत्तर) तथा सिक्किम और पश्चिम बंगाल (दक्षिण) के सीमावर्ती इलाकों में क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत प्रचार अभियान चलाए गए। इन इकाइयों ने सीमावर्ती गांवों को भारत सरकार दवारा लागू की जा रही योजनाओं के बारे

में बताया। राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रचार

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भारत सरकार के सभी प्रमुख कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल (दक्षिण) के नौ क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत प्रचार अभियान चलाया।

4.7 डीएफपी की क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों/दिवसों/सप्ताहों का भी आयोजन किया जा रहा है।

उपलब्धियां : अप्रैल 2016 से सितंबर 2016

क्रम	गतिविधियां	एसओपी	आरएमएनसीएच+ ए	नियमित संख्या
1.	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	295	106	7105
2.	आयोजित फिल्म शो की संख्या	1055	134	6730
3.	चलाए गए विशेष कार्यक्रमों की संख्या	0	0	545
4.	आयोजित समूह चर्चाओं की संख्या	2573	355	12789
5.	लगाई गई फोटो प्रदर्शनियों की संख्या	1227	181	7154
6.	एकत्रित फीडबैक स्टोरी की संख्या	2842	364	4264
	कुल गतिविधियां	7697	1034	31482
7.	कवर किए गए गांवों की संख्या	1548	179	8367
8.	कुल लोगों तक पहुंच	713775	74711	2729346

प्रकाशन विभाग

मुख्य बिंदु और उपलब्धियां

- प्रकाशन विभाग ने राष्ट्रपति भवन विभाग के साथ ढाई वर्षों की साझेदारी पूरी की जिसमें राष्ट्रपति भवन की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली 16 प्रतिष्ठित पुस्तकें प्रकाशित की गईं। 11 दिसंबर, 2016 को आयोजित एक समारोह में महामहिम राष्ट्रपति ने 'लाइफ एट राष्ट्रपति भवन' का लोकार्पण

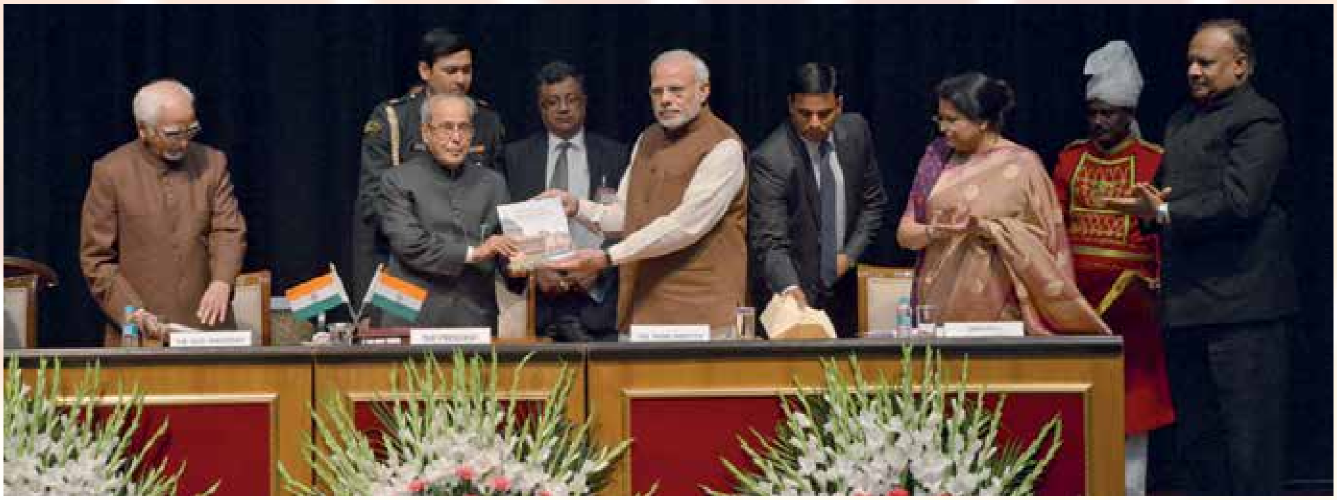

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 'फ्रॉम राज टू स्वराज–द राष्ट्रपति भवन' पुस्तक की पहली प्रति राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को भेंट करते हुए। इस अवसर पर उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी भी उपस्थित हैं

किया। उपराष्ट्रपति ने पुस्तक 'इंद्रधनुष–II' की प्रथम प्रति राष्ट्रपति को भेंट की। प्रधानमंत्री ने पुस्तक 'फ्रॉम राज टू स्वराज– द राष्ट्रपति भवन' की पहली प्रति राष्ट्रपति को भेंट की। इससे पहले 25 जुलाई, 2016 को प्रकाशन विभाग की इसी पुस्तकमाला के अंतर्गत विरासत के समान महत्व वाली पांच पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उपराष्ट्रपति ने इन पुस्तकों की प्रथम प्रतियां राष्ट्रपति को भेंट कीं।

- 26 नवंबर, 2016 को संविधान दिवस के अवसर पर प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'कोर्ट्स ऑफ इंडिया– पास्ट टू प्रेजेंट' का लोकार्पण माननीय विधि और न्याय मंत्री तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किया। इस पुस्तक में न्यायविदों और प्रख्यात विधि विशेषज्ञों के लेख संकलित किए गए हैं। इस पुस्तक में भारत में न्यायपालिका के ऐतिहासिक विकास का वर्णन किया गया है। इसमें अभिलेखागार में रखे जाने योग्य कुछ अमूल्य तस्वीरों वाली इस पुस्तक में नागरिकों को भारतीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया है।

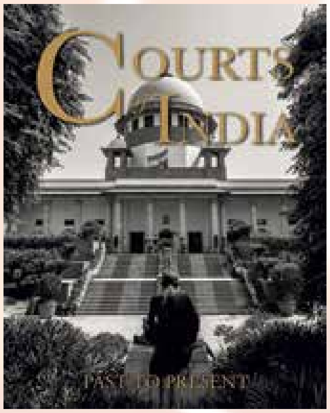

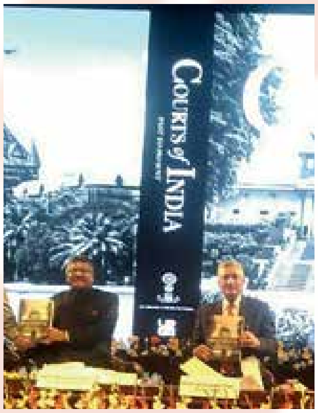

संविधान दिवस के अवसर पर विधि एवं न्याय तथा इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद और भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर 'कोर्ट्स ऑफ इंडिया–पास्ट टू प्रेजेंट' पुस्तक का लोकार्पण करते हुए

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 25 जनवरी, 2017 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 'अनफोल्डिंग इंडियन इलेक्शन्स– द लिविंग डेमोक्रेसी' का लोकार्पण किया और इसकी पहली कॉपी राष्ट्रपति को भेंट की। भागीदारीमूलक लोकतंत्र की भावना को अभिव्यक्त करने वाली इस पुस्तक में भारतीय चुनावों की विशिष्टता, चुनाव की अवधारणा के विकास और लोगों में चुनाव के प्रति उत्साह को भी रेखांकित किया गया है यह एक कॉफी टेबल बुक है।

- वर्ष 2016–17 में जनवरी 2017 तक प्रकाशन विभाग ने विभिन्न विषयों पर 85 पुस्तकों का प्रकाशन किया। 1960 के दशक में महात्मा गांधी पर प्रकाशन विभाग द्वारा पुस्तकें प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें 'आउट ऑफ स्टॉक' हो गई थीं और कई वर्षों से भंडार में उपलब्ध नहीं थीं। इसको राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के सहयोग से पुनःस्थापित किया गया है। इनमें आठ खंडो में डी.जी. तेंदुलकर द्वारा लिखी गांधी जी प्रसिद्ध जीवनी महात्मा, 'गांधी इन चंपारण' और 'रोम्यां रोलां एंड गांधी–करसपॉडेंस' शामिल हैं।

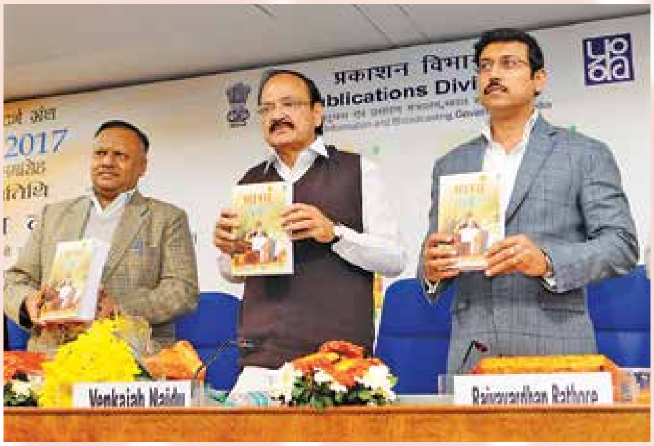

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'लाइफ ऑफ महात्मा गांधी' के ई–संस्करण का लोकार्पण करते हुए। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर भी उपस्थित हैं

- प्रकाशन विभाग ने बच्चों और युवा पीढ़ी के लिए छोटी और प्रेरणादायक पुस्तकों का हिंदी, अंग्रेजी तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन का काम हाथ में लिया। इनमें से 15 भाषाओं में प्रकाशित 'स्वच्छ जंगल की कहानी दादी की जुबानी' शीर्षक वाला चार पुस्तकों का सेट भी शामिल है।

- प्रकाशन विभाग ने पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से स्वच्छता अभियान पर सूचनाओं का प्रसार किया। माननीय सूचना एंव प्रसारण मंत्री ने गांधी जयंती 2016 पर प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित और श्री सुदर्शन आय्यंगर द्वारा लिखित 'इन द फुटस्टेप्स

ऑफ महात्मा–गांधी एंड सैनिटेशन' नामक पुस्तक का लोकार्पण किया। इस पुस्तक में स्वच्छता के महत्व पर महात्मा गांधी के विचारों और भाषणों को प्रमुखता दी गई है। 'योजना' पत्रिका, 'कुरुक्षेत्र' तथा 'साप्ताहिक पत्र–'रोजगार समाचार' में स्वच्छता पर नियमित लेख और अपडेट्स के जरिये जानकारी दी गई।

- 12वीं योजना के भाग के रूप में प्रकाशन विभाग ने पूरी तरह खोजने लायक ऑनलाइन डिजिटल आर्काइव बनाया है। इसमें 1950 के दशक से अब तक की 600 पुस्तकों को शामिल किया गया है। प्रकाशन विभाग की पुस्तक गैलरी में आने वाले सभी आंगतुक विभाग की डिजिटल लाइब्रेरी भी देख सकते हैं। प्रकाशन विभाग की 120 से अधिक ई–पुस्तकें बिक्री के लिए लोकप्रिय ई–कामर्स प्लेटफार्मों यथा अमेजोन, कोबो तथा गूगल प्ले बुक्स पर उपलब्ध हैं।
- प्रकाशन विभाग की मुद्रित पुस्तकों की ऑनलाइन बिक्री अक्तूबर 2016 में वित्त मंत्रालय के भारतकोष पोर्टल के माध्यम से भी प्रारंभ की गई। इसके अतिरिक्त इस पोर्टल के माध्यम से पत्रिकाओं की प्रसार संख्या भी बढ़ी है। रोजगार समाचार की प्रसार संख्या में 5,000 और अन्य पत्रिकाओं में 9,000 का इज़ाफ़ा हुआ। एचएमआईबी ने भारत कोष पोर्टल के माध्यम से प्रकाशन विभाग के चयनित 120 शीर्षकों को लेखा महानियंत्रक के सहयोग से लांच किया। इसके साथ ही प्रकाशन विभाग के पाठक प्रकाशनों की खरीदारी के लिए ऑनलाइन भुगतान करने में सक्षम हो गए हैं।
- मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रकाशन विभाग ने इनवेंटरी प्रबंधन के कंप्यूटरीकरण की महत्वपूर्ण परियोजना पर बीईसीआईएल के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिसंबर 2016 में इस महत्वपूर्ण परियोजना का आवश्यकता विश्लेषण, डिजाइन निर्माण, बिक्री आदेश, रॉयल्टी भुगतान तथा अन्य व्यावसायिक प्रक्रियाएं पूरी हुईं। इस परियोजना के पूरी तरह चालू हो जाने पर प्रकाशन विभाग के कार्य में आमूल परिवर्तन आएगा और प्रकाशन विभाग का अपना वेबसाइट एकीकृत ई–पेमेंट गेटवे सक्षम बन जाएगा।
- जनवरी 2017 में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेलो के दौरान प्रकाशन विभाग ने नकदी रहित लेन–देन के लिए पीओएस/स्वाइप मशीनें इस्तेमाल कीं। इसे भारी लोकप्रियता मिली और प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर स्वाइप मशीनों के ज़रिये लगभग 20 प्रतिशत बिक्री हुई। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, 2017 में पुस्तकों और पत्रिकाओं की 17 लाख रुपये से अधिक की बिक्री हुई। 27 अगस्त से 4 सितंबर, 2016 के वार्षिक दिल्ली पुस्तक मेला के दौरान प्रकाशन विभाग का थीम था 'आजादी के 70 साल : ज़रा याद करो कुर्बानी'। प्रकाशन विभाग ने अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पुस्तक मेलों में भी भाग लिया। जनवरी में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रख्यात लेखकों, विद्वानों और विद्यार्थियों के साथ पुस्तक चर्चा कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- प्रकाशन विभाग के लिए भविष्य की रूपरेखा तय करने के उद्देश्य से 15 जुलाई, 2016 को सलाहकार समिति की बैठक हुई। समिति के सदस्यों ने प्रकाशन विभाग की पहलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पुस्तकों के व्यापक संग्रह को बड़े पैमाने पर दिखाया जाना चाहिए।
- सूचना भवन स्थित प्रकाशन विभाग मुख्यालय में एक अत्याधुनिक पुस्तक गैलरी स्थापित की गई है जो आगंतुकों को पुस्तकों की दुनिया में झाकने की सहज सुविधा उपलब्ध कराती है।
- 6 फरवरी, 2017 को प्रतिष्ठित/वार्षिक संदर्भ ग्रंथ इंडिया/भारत का विमोचन किया गया। भारत 2017/इंडिया 2017 देश और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी प्रगति का व्यापक संदर्भ प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में ग्रामीण से शहरी, उद्योग से बुनियादी ढांचा, विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा तथा जन संचार के विस्तृत विवरण दिए गए हैं। इस पुस्तक में सामान्य ज्ञान, सम–सामयिक मामलों, खेल तथा महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी भी दी गई है।
- प्रकाशन विभाग ने संभावित पाठकों तक पहुंच बनाने के लिए सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग

किया। प्रकाशन विभाग तथा रोजगार समाचार के लिए फेसबुक तथा ट्विटर अकाउंट बनाए गए। कम समय में ही प्रकाशन विभाग की सोशल मीडिया पर उपस्थिति का बड़ा परिणाम देखने को मिला और ट्विटर हैंडल प्रति माह 1,70,000 इंप्रेशन को पार कर गया जबकि फेसबुक पर प्रति माह इंप्रेशन 3,60,000 हो गया।

परिचय

प्रकाशन विभाग भारत सरकार के अग्रणी प्रकाशन संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। यह राष्ट्रीय महत्व और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं का भंडार है। प्रकाशन विभाग कला और संस्कृति, भू–भाग और जनता, वनस्पति, आधुनिक भारत के निर्माताओं, भारत के सांस्कृतिक नेताओं, विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय व्यक्तित्वों, भारत के इतिहास तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम तथा के विविध पक्षों की छवियां दिखाने वाली पत्र–पत्रिकाओं तथा पुस्तकों का प्रकाशन करता है। महात्मा गांधी के जीवन और विचारों पर प्रकाशित पुस्तकों पर प्रकाशन विभाग को गर्व है। प्रकाशन विभाग ने 100 खंडों में 'कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी' (सीडब्ल्यूएमजी) और हिंदी में 'संपूर्ण गांधी वाङ्मय' सहित गांधीवादी विचारों पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया है। 'संपूर्ण गांधी वाङ्मय' को गांधीजी के लेखों का व्यापक और प्रामाणिक संग्रह माना जाता है। प्रकाशकों में भी प्रकाशन विभाग की अपनी साख है और इसे विषय–वस्तु और प्रकाशित पुस्तक के मूल्य के संबंध में ख्याति प्राप्त है। प्रकाशन विभाग ने गुजरात विद्यापीठ के सहयोग से जाने–माने गांधीवादी विद्वानों की देखरेख में 'केलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी' का ई–संस्करण तैयार किया है। पूरी तरह खोज करने योग्य मास्टर कॉपी डीवीडी के रूप में तैयार की गई है। यह विशाल कार्य महात्मा गांधी के लिखित कार्यों को संरक्षित और इलेक्ट्रानिक रूप में सहेज कर राष्ट्रीय विरासत के प्रति महत्वपूर्ण योगदान है। ई–सीडब्ल्यूएमजी गांधी विरासत पोर्टल पर भी उपलब्ध है। यह पोर्टल प्रामाणिक गांधी साहित्य का व्यापक भंडार है।

पिछले वर्ष से प्रकाशन विभाग राष्ट्रपति भवन की समृद्ध विरासत की जानकारी देने वाली अनेक गुणवत्ता–संपन्न पुस्तकों का प्रकाशन कर रहा है। इन पुस्तकों में राष्ट्रपति कार्यालय के विभिन्न पक्षों की जानकारी दी गई है।

प्रकाशन विभाग द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय पर भी मूल्यवान पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसका शीर्षक है 'कोर्ट्स इन इंडिया– पास्ट टू प्रेजेंट'। विभाग ने चुनावों के आयोजन के विविध और व्यापक अनुभवों का वर्णन करने वाली पुस्तक भारत निर्वाचन आयोग के लिए भी तैयार किया है।

प्रकाशन विभाग ने उस समय भी महत्वपूर्ण कार्य किया जब भारतीय प्रकाशन उद्योग अपने शैशव काल में था। मीडिया की पहुंच सीमित थी। विभाग ने भारत की समग्र सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने तथा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को गति देने में भी सक्रिय भूमिका निभाई है।

प्रकाशन विभाग की पत्रिकाएं विभिन्न भारतीय भाषाओं में व्यापक विषयों को कवर कर रही हैं। इन विषयों में आर्थिक विकास, ग्रामीण पुनर्संरचना, सामुदायिक विकास, साहित्य, संस्कृति, बाल साहित्य तथा रोजगार और कैरियर विकास के विषय शामिल हैं।

प्रकाशन विभाग चार मासिक और एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी करता है। अग्रणी पत्रिका योजना (1957 में स्थापित) विकास संबंधी विषयों पर चर्चा का मंच है और यह पत्रिका आर्थिक विकास के विषयों का प्रचार करती है। इसका प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी तथा 11 अन्य भारतीय भाषाओं में किया जाता है। पत्रिका कुरुक्षेत्र (स्थापित 1952) अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित की जाती है। इसमें ग्रामीण विकास पर लेख होते हैं। आजकल (स्थापित 1945) हिंदी और उर्दू की साहित्यिक–सांस्कृतिक पत्रिका है। बाल भारती (स्थापित 1948) बच्चों की पत्रिका है और रोजगार समाचार (स्थापित 1977) रोजगार तथा केंद्र सरकार/सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/स्वशासी संगठनों में कैरियर का अवसर संबंधी सूचना देने वाली साप्ताहिक पत्रिका है। यह हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में प्रकाशित की जाती है।

प्रमुख उद्देश्य

प्रकाशन विभाग को राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर लोकप्रिय पुस्तकों के प्रकाशन, बिक्री और वाजिब दामों पर वितरण

सौंपी गई ताकि पाठकों को भारत के बारे में प्रामाणिक जानकारी मिल सके। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(i) बौद्धिक विरासत के भंडार के रूप में कार्य करना, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर वाजिब दामों में पुस्तक और पत्र–पत्रिकाएं प्रकाशित कर ज्ञान के प्रसार की जिम्मेदारी लेना।

(ii) पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री करना तथा भारत और विदेश में रहने वाले लोगों के लिए अद्यतन और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना।

(iii) भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चयनित भाषणों का प्रकाशन करना ताकि ये आनेवाली पीढ़ियों के लिए वैचारिक भंडार के रूप में कार्य करें।

(iv) रोजगार समाचार के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की जानकारी देना।

(v) पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन और उनमें भाग लेना तथा पुस्तक प्रोत्साहन से संबंधित गतिविधियों को चलाना। लोगों में पुस्तक पठन की आदत विकसित करने में सहायता करना तथा अपने प्रकाशनों को लोगों में व्यापक रूप से पहुंचाने के लिए आयोजन करना।

संगठनात्मक ढांचा

प्रकाशन विभाग निदेशालय के प्रमुख अपर महानिदेशक (एडीजी) होते हैं। उनकी सहायता के लिए निदेशक स्तर के अधिकारी होते हैं जो संपादकीय, व्यावसायिक, उत्पादन और प्रशासन प्रभागों को देखते हैं। एडीजी की सहायता महाप्रबंधक भी करते हैं जो रोजगार समाचार के प्रकाशन का कार्य देखते हैं। विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली स्थित सूचना भवन में है। प्रकाशन विभाग अपने बिक्री केंद्रों– नई दिल्ली (मुख्यालय), दिल्ली (पुराना सचिवालय), मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद तथा तिरुअनंतपुरम के माध्यम से कार्य करता है। योजना पत्रिका के कार्यालय नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, तिरुनंतपुरम तथा बंगलुरु में हैं।

प्रमुख गतिविधियां

पुस्तकों का प्रकाशन

वर्ष 2016–17 में प्रकाशन विभाग ने जनवरी 2017 तक अनेक विषयों पर लगभग 85 पुस्तकों का प्रकाशन किया। राष्ट्रपति भवन की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर पुस्तकों की शृंखला प्रस्तुत की गई। इनके शीर्षकों में 'लाइफ एट राष्ट्रपति भवन', 'राष्ट्रपति भवन : फ्रॉम राज टू स्वराज', 'आर्ट्स एंड इंटीरियर्स ऑफ राष्ट्रपति भवन', 'एराउंड इंडियाज फर्स्ट टेबल : डाइनिंग एंड इंटरटेनिंग एट राष्ट्रपति भवन' शामिल हैं।

एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में प्रकाशन विभाग ने गांधीजी पर अपनी कुछ मौलिक पुस्तकों को पुनःमुद्रित कर पाठकों को उपलब्ध कराया क्योंकि गांधीजी पर प्रकाशित ये अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें स्टॉक में नहीं रह गई थीं। शोधकर्ताओं तथा विद्वानों की मांग वाली इन महत्वपूर्ण पुस्तकों में डीजी तेंदुलकर लिखित 'महात्मा' (8 खंड) शामिल हैं। प्रकाशन विभाग ने 'गांधी इन चंपारण' तथा 'रोम्यां रोलां एंड गांधी–करसपॉडेंस' पुस्तक का भी पुनर्स्थापन और पुनः मुद्रण किया।

अंग्रेजी में प्रकाशित अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में 'इन द फूटस्टेप्स ऑफ महात्मा : गांधी एंड सैनिटेशन', 'इंडिया : आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंडिया : मेडेवल हिस्ट्री, लाइव्स दैट इंसपायर' (तीन खंड), 'जवाहरलाल नेहरू–श्रद्धांजलि', 'राइट टू इंफॉरमेशन', 'व्हाई पीपुल प्रोटेस्ट' शामिल हैं। हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों में 'भारत में अंग्रेजी राज' (दो खंड), 'अपनी हिंदी संवारें', 'वृत्तचित्र लेखन' और 'फिल्म तकनीक', 'भारतीय लोक साहित्य : परंपरा और परिदृश्य', 'भारत के नारी रत्न' शामिल हैं। बीएमआई शृंखला की अन्य पुस्तकें जिनकी काफी मांग थी, उनका भी पुनः मुद्रण किया गया। इन पुस्तकों में 'गणेश शंकर विद्यार्थी', 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय', 'डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार' शामिल हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों में तेलुगु की बच्चों का महाभारतम, रानी रुद्रमा देवी, पंडुगुलू माना संप्रदायलु, कन्नड़ में गोस्पेल ऑफ बुद्धा तथा तमिल में 'बाल रामायण' शामिल हैं। बच्चों की महत्वपूर्ण पुस्तकों में कहानियां मिन्नी की, थोड़ा सा तो हो ना बचपन और भारत की लोक कथाएं शामिल हैं।

संदर्भ वार्षिकी– इंडिया 2017 तथा भारत 2017 का लोकार्पण 6 फरवरी, 2017 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा किया गया। इन संदर्भ ग्रंथों में भारत सरकार के

विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के कार्यक्रमों और उपलब्धियों का वर्णन है। वार्षिकी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। 2017 संस्करण की 1.4 लाख प्रतियां अब तक प्रकाशित की जा चुकी हैं।

पत्रिकाओं का प्रकाशन

प्रकाशन विभाग कुल 18 पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है। इनमें अंग्रेजी, हिंदी तथा अन्य 11 क्षेत्रीय भाषाओं में योजना, कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी, हिंदी), आजकल (हिंदी, उर्दू), और बाल भारती (हिंदी) शामिल हैं। इसके अलावा साप्ताहिक पत्र इंप्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार (अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू) छपता है।

(i) योजना (अंग्रेजी, हिंदी तथा 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में)

योजना का प्रकाशन 1957 से किया जा रहा है। यह पत्रिका सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को व्यापक रूप में प्रदर्शित करने वाले आर्थिक विकास के विषयों को समर्पित पत्रिका है। इसे 13 भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बांग्ला, कन्नड़, गुजराती, मराठी, मलयालयम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू) में प्रकाशित किया जाता है और इसकी सम्मिलित मासिक प्रसार संख्या 2 लाख से ऊपर है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकासमुखी पत्रकारिता में योजना की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। यह नीति–निर्माताओं, विद्वानों और विद्यार्थियों के लिए लक्षित है। पिछले एक वर्ष में इस पत्रिका में पूर्वोत्तर, दिव्यांग जनों, सभी के लिए शक्ति, महिला सशक्तीकरण, वस्त्र और कम नकदी की अर्थव्यवस्था पर फोकस किया गया है। पत्रिका में सुगम्य भारत अभियान, जन धन योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, मृदा और स्वास्थ कार्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ गंगा, सभी को शक्ति, युवाओं के लिए योग जैसे सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को व्यापक रूप से कवर किया गया।

(ii) कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी तथा हिंदी)

'कुरुक्षेत्र' ग्रामीण विकास की अग्रणी पत्रिका है। इसका प्रकाशन 1952 में प्रारंभ हुआ। यह ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े जमीनी विषयों को समर्पित पत्रिका है। वर्ष 2016–17 में इस पत्रिका (अंग्रेजी, हिंदी) का सम्मिलित मुद्रण आदेश प्रति अंक एक लाख प्रतियों से अधिक है। यह पत्रिका एक ऐसा मंच है जहां विद्वान, विशेषज्ञ, नियोजनकर्ता, स्वयंसेवी संगठन तथा चिंतक ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर व्यापक चर्चा करते हैं।

2016–17 के दौरान कुरुक्षेत्र पत्रिका ने ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की पहलों को प्रमुखता दी। इन पहलों के विषयों में नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण भारत के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी, ग्रामीण युवाओं का सशक्तिकरण, कृषि, पशुपालन, तिलहन तथा दालें शामिल किए गए। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, शहरी मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, उन्नत भारत अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मिशन इंद्रधनुष आदि हैं।

पत्रिका में दो स्तंभों– स्वच्छता सैनिकों तथा स्वच्छता पखवाड़ा को अद्यतन बनाकर शामिल किया गया। इन स्तंभों में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों द्वारा चलाई गई गतिविधियों में आई सफलता की कहानियों को प्रमुखता दी गई।

(iii) आजकल (हिंदी, उर्दू)

इस साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन 1945 से किया जा रहा है। 'आजकल' पत्रिका में भारतीय संस्कृति और साहित्य के विभिन्न पक्षों को कवर किया जाता है। 'आजकल' (हिंदी) ने भारतीय संस्कृति और साहित्य के विभिन्न पक्षों को कवर करते हुए फणीश्वरनाथ रेणु, सैयद एच. रज़ा, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, शिवमंगल सिंह 'सुमन', नामवर सिंह, महाश्वेता देवी तथा बाब डिलन पर विशेष सामाग्री छापी। 'आजकल' (उर्दू) ने शकीलुर रहमान, शकील बदायूनी आदि पर विशेष सामग्री प्रकाशित की। पत्रिका में नियमित रूप से कहानियां, कविताएं और पुस्तक समीक्षाएं प्रकाशित की गईं।

(iv) बाल भारती

'बाल भारती' का प्रकाशन 1948 से किया जा रहा है। इस पत्रिका में सूचनाप्रद लेखों, लघु कहानियों, कविताओं,

चित्रकथाओं के माध्यम से बच्चों को सामाजिक और वैज्ञानिक मूल्यों की जानकारी दी जाती है। बाल भारती राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के लिए लेख प्रतियोगिता का आयोजन करती है ताकि युवाओं को सृजनात्मक कौशल प्रदान किया जा सके।

अन्य प्रकाशनों का डिजिटीकरण

12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 'मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम' की उप योजना 'कायाकल्प, उन्नयन तथा प्रकाशन विभाग और इंप्लायमेंट न्यूज के प्रकाशनों का आधुनिकीकरण' के तहत प्रकाशनों का डिजिटल अभिलेखागार बनाने का दायित्व सौंपा गया है। प्रकाशन विभाग पुरानी विरासती मूल्य की पुस्तकों को डिजिटल रूप देने का काम कर रहा है। ये पुस्तकें नाजुक हालत में हैं। लगभग 600 पुस्तकों का डिजिटीकरण किया गया है और इन्हें आकर्षक डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन्हें पूरी तरह खोजने योग्य बनाया गया है। डिजिटीकरण की प्रक्रिया जारी है और दैनिक आधार पर डिजिटल अभिलेखागार में और शीर्षक जोड़े जा रहे हैं।

व्यवसाय और विपणन

प्रकाशन विभाग का व्यवसाय विंग अपनी पुस्तकों और पत्र–पत्रिकाओं की बिक्री और वितरण का काम करता है। बिक्री अपने कार्यालयों और पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से की जाती है। प्रभाग अपने प्रकाशनों की पहुंच बढ़ाने के लिए नियमित रूप से पुस्तक प्रदर्शनियों, पुस्तक मेलों, जन सूचना अभियानों और बिक्री प्रोत्साहन गतिविधियों के माध्यम से प्रयास कर रहा है।

(i) पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी

प्रकाशन विभाग ने अपनी पुस्तकों को लोगों के बीच अधिक से अधिक दिखाने के लिए देश के विभिन्न भागों में प्रमुख पुस्तक मेलों में भाग लिया। अप्रैल 2016 से जनवरी 2017 तक लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नेयवेली, इरोड, नई दिल्ली, पटना, तिरुअनंतपुरम, हैदराबाद, विजयवाड़ा, जयपुर आदि में आयोजित 30 से अधिक पुस्तक मेलों में भाग लिया। प्रकाशन विभाग ने 27 अगस्त 2016 से 4 सितंबर, 2016 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में

दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग का स्टॉल

आयोजित वार्षिक दिल्ली पुस्तक मेला में भी भाग लिया। प्रकाशन विभाग ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2016 (9–15 जनवरी 2017) में बड़े पैमाने पर भाग लिया।

स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, हिंदी पखवाड़ा, राष्ट्रीय एकता दिवस आदि राष्ट्रीय आयोजनों में प्रकाशन विभाग ने पूरे देश में अपने 10 बिक्री केंद्रों में पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

पुस्तकों के अतिरिक्त 21 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया और इनकी बिक्री प्रकाशन विभाग नई दिल्ली तथा इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालयों से की गई। वर्ष 2016–17 के दौरान संयुक्त प्रिंट आर्डर 44 लाख प्रतियों का था। अप्रैल 2015 से नवंबर 2015 की अवधि में पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री तथा विज्ञापनों के माध्यम से 520 लाख रुपये (अस्थाई–इंप्लायमेंट न्यूज को छोड़कर) की राजस्व प्राप्ति हुई।

(ii) प्रकाशन विभाग की मुद्रित पत्रिकाओं की बिक्री के लिए ऑनलाइन पोर्टल

प्रकाशन विभाग की मासिक पत्रिकाएं (योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती तथा आजकल) के लिए भुगतान सामान्य रूप से उपभोक्ता चेक तथा ड्राफ्ट के माध्यम से करते थे। परिणामस्वरूप विलंब होता था और कठिनाइयां आती थीं। इसलिए पूरे देश के उपभोक्ताओं की मांग थी कि भुगतान की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। 18 फरवरी

2016 को माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने पत्रिकाओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए वित्त मंत्रालय के भारतकोश पोर्टल के सहयोग से प्रकाशन विभाग द्वारा विकसित पोर्टल का उद्‌घाटन किया। पोर्टल भारतकोश भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने में सक्षम है। योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल तथा बाल भारती के मुद्रित संस्करण को उपभोक्ता publicationsdivision.nic.in, yojana.gov.in तथा bharatkosh.gov.in वेबसाइट से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन पत्रिका पोर्टल काफी लोकप्रिय हुआ है। इसे दैनिक आधार पर आदेश प्राप्त हो रहे हैं।

(iv) इंप्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार (अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू)

इंम्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार रोजगार के अवसरों की जानकारी देने वाला सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अग्रणी साप्ताहिक पत्र है। यह केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त संगठनों के साथ–साथ विश्वविद्यालयों आदि में भी रोजगार के अवसरों की जानकारी देता है। इसमें व्यावसायिक पाठ्‌यक्रमों की प्रवेश सूचनाओं के साथ–साथ संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और इसी तरह के सामान्य भर्ती संगठनों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के विज्ञापन तथा परीक्षा परिणाम भी प्रकाशित होते हैं। इस साप्ताहिक में संपादकीय खंड भी होता है जिससे नौजवानों को रोजगार के बाजार में उपलब्ध विभिन्न अवसरों के लिए तैयारी करने और अपने साफ्ट स्किल्स को सुधारने का मौका मिलता है। हर सप्ताह देशभर में इस पत्र की करीब 2 लाख प्रतियां बिकती हैं और यह युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। इसके प्रिंट और ई–संस्करणों, दोनों के लिए www.employmentnews.gov.in पर जाकर ऑनलाइन चंदा भेजा जा सकता है। इस पत्र के लगभग 12,000 पंजीकृत ग्राहक है जिनमें से 6,200 ई–संस्करण के और 5,800 मुद्रित संस्करण के हैं। रोजगार समाचार/इंप्लॉयमेंट न्यूज ने फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है।

वर्ष 2016–17 के जनवरी 2017 में पत्र ने 34.4 करोड़ रुपये का कारोबार किया। 1 अप्रैल, 2016 से 31 जनवरी 2017 तक पत्र ने 4220 विज्ञापन प्रकाशित किए।

बजट और राजस्व

वित्त वर्ष 2016–17 के लिए गैर–योजना के लिए बजट अनुमान (बीई) प्रकाशन विभाग के लिए 37.15 करोड़ रुपये और इंप्लायमेंट न्यूज के लिए 22.35 करोड़ रुपये है। प्रकाशन विभाग के आबंटन, व्यय और प्राप्त राजस्व की स्थिति इस प्रकार है :–

(लाख रुपये में)

वर्ष	आबंटन(एफजी)	व्यय	प्राप्त राजस्व
2014-15	5002.05	4975.12	6340.65
2015-16	4915.02	4896.58	5270.36
2016-17	5120.00	*4011.77	*4140.66

*जनवरी 2017 तक के आंकड़े

गीत एवं नाटक प्रभाग

परिचय

गीत एवं नाटक प्रभाग 'जन कला से जन चेतना' के उद्देश्य सहित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक मीडिया इकाई है, जो सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों का प्रचार–प्रसार करने के लिए नाटक, नृत्य–नाटक, मिश्रित कार्यक्रमों, कठपुतली, बैले, ओपरा, लोक और पारंपरिक गायन, पौराणिक गायन, जादू और अन्य स्थानीय लोक तथा पारंपरिक विधाओं जैसी विभिन्न प्रदर्शन कलाओं का इस्तेमाल करते हुए लाइव मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ अंतर–संवाद स्थापित करने में संलग्न है। प्रभाग का प्रमुख कार्य मनोरंजन के माध्यम से जन–सामान्य के बीच सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति जागरूकता और भावनात्मक संवेदनशीलता उत्पन्न करना है, जो राष्ट्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है।

संगठन का ढांचा

- वर्तमान में इस विभाग का प्रमुख निदेशक होता है, जो तीन स्तरों पर कार्य करता है जैसे :

(i) दिल्ली में मुख्यालय : प्रभाग में निम्नलिखित प्रमुख इकाइयां हैं :

(1) नीति और समन्वय, (2) प्रशासन I और II, (3) सतर्कता विभाग, (4) सशस्त्र सेना मनोरंजन स्कंध, (5) ध्वनि और प्रकाश इकाई (एस एंड एल यूनिट),

(6) केंद्रीय नाटक मंडली (सीडीटी), (7) रोकड़ और लेखा इकाई, (8) बजट और लेखा इकाई, (9) हिंदी प्रकोष्ठ, (10) सूचना का अधिकार संभाग। प्रत्येक संभाग/इकाई की अलग–अलग जिम्मेदारियां हैं।

(ii) **10 क्षेत्रीय केंद्र** : प्रभाग के 10 क्षेत्रीय केंद्र (1) बंगलुरु, (2) भोपाल, (3) चंडीगढ़, (4) चेन्नई, (5) दिल्ली, (6) गुवाहाटी, (7) कोलकाता, (8) लखनऊ, (9) पुणे और (10) रांची में स्थित हैं। गीत और नाटक प्रभाग के ये केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रमों का आयोजन कराने के लिए उत्तरदायी हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र का अपना अधिकार क्षेत्र है। इसका प्रमुख उप–निदेशक/प्रभारी उप–निदेशक होता है।

(iii) **उप–केंद्र** : (क) 7 सीमावर्ती केंद्र दरभंगा, गुवाहाटी, इंफाल, जम्मू, जोधपुर, नैनीताल और शिमला में स्थित हैं जिनका मुखिया सहायक निदेशक होता है और (ख) विभागीय नाटक मंडली के 6 केंद्र भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे और श्रीनगर (जम्मू) में स्थित हैं। यहां का काम प्रबंधक देखते हैं।

गतिविधियां :

लोक और परंपरागत जीवंत कला स्वरूपों के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यक्रमों का आयोजन कराना, क्योंकि यह राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत सरकार की एक अंतर–वैयक्तिक इकाई होने के नाते इस प्रभाग का लक्ष्य देश के इतिहास, कला, संस्कृति और विरासत के बारे में और साथ ही आम लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है।

संपर्क कार्यक्रमों के लिए संगीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला तंत्र :

गीत एवं नाटक प्रभाग एकमात्र ऐसा अभिकरण है, जो पिछले पांच दशकों या इससे भी ज्यादा अर्से से देशभर में सरकार की नीतियों और सूचनाओं के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) हेतु पारंपरिक मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। ग्रामीण भारत की वर्तमान सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में लोक और पारंपरिक मीडिया बेहद प्रभावशाली है। अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए यह प्रभाग (1) पंजीकृत निजी मंडलियों, (2) विभागीय कलाकारों और (3) सूचीबद्ध कलाकारों की सेवाएं लेता है।

(i) **पंजीकृत निजी मंडलियां (पीआरटी)**: वर्तमान में 919 पंजीकृत निजी मंडलियां हैं जो क्षेत्रीय केंद्रों से जुड़ी हैं और यह संख्या हाल ही के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए दिशा–निर्देशों का अनुसरण करके कम समय में ही बढ़ाई जा सकती है। इन निजी मंडलियों की अलग–अलग श्रेणियां हैं जैसे नाटक, मिश्रित, एफटीआर, एमआर, कठपुतली, जादू इत्यादि और इनके ग्रेड भी अलग हैं जैसे 'ए', 'बी' और 'सी'। इन निजी मंडलियों का मेहनताना भी अलग ही है। यह प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 4,000 रुपये से शुरू होकर 5,600 रुपये तक हो सकता है। कार्यक्रमों की अवधि एक से डेढ़ घंटे की हो सकती है। मंडली में 3 से लेकर 11 अदाकार/कलाकार हो सकते हैं।

(ii) **विभागीय कलाकार**: विभाग के पास वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, ड्रामा और बैक–स्टेज जैसे विविध तरह के प्रतिभाशाली कलाकार हैं। ये सभी भारत सरकार के नियमित कर्मचारी हैं जो संगीत और नाटक प्रभाग, नई दिल्ली (मुख्यालय) और विभिन्न क्षेत्रीय और उप केंद्रों में नियुक्त हैं।

(iii) **सूचीबद्ध कलाकार** : फिलहाल प्रभाग के पास कोई भी सूचीबद्ध कलाकार उपलब्ध नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार कलाकारों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। इन सूचीबद्ध कलाकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे विभागीय कलाकारों के सहायक–कलाकारों की भूमिका निभाते हैं।

देश के पहाड़ी और जनजातीय (पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू–कश्मीर सहित), मरुस्थली, संवेदनशील और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों और देश के अन्य हिस्सों के दूर–दराज़ के इलाकों की अनेक लोक और पारंपरिक कलाओं का इस्तेमाल करने के कारण प्रभाग को जहां एक ओर उन कलाओं को पुनर्जीवित करने और उन्हें बनाए रखने का मज़बूत स्रोत मिल जाता है वहीं दूसरी ओर हजारों कलाकारों को अपनी स्थानीय भाषा,

मुहावरों और बोली का प्रयोग उद्देश्यपूर्ण संवाद में उपयोग करते हुए आजीविका भी हासिल हो जाती है।

उद्देश्य

इसका उद्देश्य सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों की जानकारी जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाना और योजना लक्ष्यों को प्राप्त करना है। भारत सरकार के महत्वपूर्ण विकास संबंधी कार्यक्रमों और नीतियों का जीवंत मनोरंजक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से देशभर के समस्त नागरिकों में प्रचार–प्रसार करने में अहम भूमिका निभाना तथा खास तौर से ग्रामीण इलाकों, उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, जनजातीय इलाकों, मरु क्षेत्रों, छोटे शहरों, सीमाई इलाकों और समाज के कमजोर तबकों में देश के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को बल प्रदान करना है।

गीत और नाटक प्रभाग के 1 अप्रैल से 30 नवंबर, 2016 तक की कार्यक्रम संबंधी गतिविधियां :

क. योजना स्कीम :

गीत और नाटक प्रभाग द्वारा अप्रैल से नवंबर, 2016 की अवधि के दौरान योजना स्कीम के तहत 5,541 कार्यक्रम कराए गए। विभाग के साथ पंजीकृत निजी सांस्कृतिक मंडलियों की सेवाओं का उपयोग करते हुए कराए गए इन कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	योजना स्कीम "लाइव आर्ट एंड कल्वर फॉर इंडिया"2015–16 संघटकवार विवरण	2016–17 के लिए लक्ष्य (कार्यक्रमों की संख्या)	नवंबर, 2016 तक किए गए कार्यक्रमों की क्रमिक संख्या
1	2	3	4
1.	देश के पहाड़ी/जनजातीय/ मरुस्थली/संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में आईसीटी गतिविधियां	2670	2594
2.	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र/चिह्नित जिले	840	685
3.	पीआईसी बीएनपी के अंतर्गत प्रमुख योजनाएं (स्वच्छ भारत अभियान)	490	345
4.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचार	2000	1917
	कुल :	6000	5541

ख. गैर–योजना मद :

प्रभाग द्वारा अप्रैल से नवंबर, 2016 की अवधि के दौरान कुल 2,600 कार्यक्रम कराए गए।

क्र. सं.	उपयोग में लाई गई सेवाएं	कराए गए कार्यक्रमों की संख्या
1	प्रभाग के साथ पंजीकृत निजी सांस्कृतिक मंडलियों की सेवाओं का उपयोग करते हुए कराए गए कार्यक्रम	2340 कार्यक्रम
2.	विभागीय कलाकारों की सेवाओं का उपयोग करते हुए कराए गए कार्यक्रम	260 कार्यक्रम
	कुल :	2600 कार्यक्रम

'क' और 'ख' में उल्लिखित कार्यक्रमों की प्रस्तुति के दौरान कवर किए गए विषय :

कार्यक्रमों की प्रस्तुति के दौरान जैसा कि 'क' (योजना स्कीम के लिए) और 'ख' (गैर–योजना मद) में दर्शाया गया है, दर्शाया की निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को व्यापक प्रचार के लिए विशेष तौर पर दर्शाया किया गया :

'स्वच्छ भारत मिशन (एक कदम स्वच्छता की ओर)', 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत', 'प्रधानमंत्री जन–धन योजना', 'अटल पेंशन योजना', 'मिशन इंद्रधनुष', 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना', 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना', 'सबका साथ–सबका विकास' और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' तथा 'अष्टलक्ष्मी विकास'।

संदर्भित अवधि के दौरान उपरोक्त के अलावा, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सौहार्द, भाषायी सौहार्द और कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न, बालिकाओं के अधिकार, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15–सूत्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विषय, कुपोषण के खिलाफ समर्थन आदि पर विशेष ध्यान दिया गया।

ये कार्यक्रम सहयोगी मीडिया इकाइयों, स्वास्थ्य विभाग जैसे सरकारी संगठनों, जिला प्रशासन, उप–मंडल, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों के साथ तालमेल कायम करते हुए अप्रैल से दिसंबर, 2016 तक कराए गए।

गीत एवं नाटक प्रभाग, चंडीगढ़ के कलाकार पंजाब में कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए

देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अप्रैल से नवंबर, 2016 की अवधि के दौरान कराए गए कार्यक्रमों के विवरण :

(1) भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कराए गए कार्यक्रमों की संख्या :

क्र. सं.	क्षेत्रीय केंद्र का नाम	अधिकार–क्षेत्र में आने वाले राज्यों की संख्या	अप्रैल से नवंबर 2016 के दौरान किए गए कार्यक्रमों की संख्या	
			योजनागत	गैर–योजनागत
1	गुवाहाटी क्षेत्रीय केंद्र गीत और नाटक प्रभाग	असम	829	79
		अरुणाचल प्रदेश	179	35
		मणिपुर	381	101
		मिज़ोरम	39	06
		मेघालय	121	46
		नगालैंड	95	10
		त्रिपुरा	97	07
2.	कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र गीत और नाटक प्रभाग	सिक्किम	176	00
		कुल :	1917	284

(2) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों/चिह्नित जिलों में अप्रैल से नवंबर, 2016 की अवधि के दौरान किए गए कार्यक्रमों के विवरण :

क्रम संख्या	क्षेत्रीय केंद्र	अप्रैल से नवंबर, 2016 की अवधि के दौरान कवर किए गए एलडब्ल्यूई से प्रभावित जिलों की संख्या	कराए गए कार्यक्रमों की संख्या
1.	भोपाल	छत्तीसगढ़ (16 जिले)	222 कार्यक्रम
2.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल (4 जिले)	104 कार्यक्रम
		ओडिशा (19 जिले)	231 कार्यक्रम
3.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश (3 जिले)	68 कार्यक्रम
4.	पुणे	महाराष्ट्र (4 जिले)	60 कार्यक्रम
		कुल :	685 कार्यक्रम

(3) अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों में अप्रैल से नवंबर, 2016 की अवधि के दौरान किए गए कार्यक्रमों की संख्या:

क्र. सं.	कवर किए गए राज्य का नाम	कवर किए गए जिलों की संख्या	किए गए कार्यक्रमों की संख्या
1	असम	धुबरी, कचार, करीमगंज, कोकराझार, बकसा, चिरांग, उदलगुड़ी	126
2	बिहार	अररिया, चंपारण (पू. और प.), किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल	01
3	जम्मू–कश्मीर	जम्मू, कठुआ, पुंछ, राजौरी, बारामुला, बडगाम, कुपवाड़ा, करगिल, लेह, माढ़, विजयपुर, अखनूर, खोर, आर.एस. पुरा, सतवाड़ी, सांबा, बिशनाह, बूनियार, लांगट	619
4	मणिपुर	चांदेल, सी.सी.पुर, सिपूर चांदेल, उखरुल, चूड़ाचांदपुर	86
5	मेघालय	पश्चिमी और दक्षिणी गारो पहाड़ियां, जयंतिया पहाड़ी, पूर्वी और पश्चिमी खासी पहाड़ियां	50
6	मिज़ोरम	चंफाई, लॉन्गतलाल, मामिट, सेहा, सेरचिप	06
7	नगालैंड	कीफेर, मोन, फेक, त्वेनसांग	14
8	पंजाब	अमृतसर, तरन–तारन, फीरोजपुर, गुरदासपुर, अजनाला और चोगवान	257
9	सिक्किम	सिक्किम पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी सिक्किम	131
10	त्रिपुरा	त्रिपुरा (द.) ढलाई, त्रिपुरा (उ.), सिद्धार्थनगर, पश्चिमी त्रिपुरा	13
11	उत्तर प्रदेश	बहराइच, बलरामपुर, खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर	30
12	उत्तराखंड	चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी	71
13	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार, दार्जीलिंग, दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शीदाबाद, नाडिया, उत्तरी 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर	169
अप्रैल से नवंबर, 2016 की अवधि के दौरान किए गए कार्यक्रमों की कुल संख्या :			**1573**

अप्रैल से नवंबर, 2016 की अवधि के दौरान विशेष जागरूकता जगाने वाले कार्यक्रमों की संख्या :

(क) स्वच्छ भारत मिशन (एक कदम स्वच्छता की ओर) के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अप्रैल से नवंबर, 2016 के दौरान किए गए कार्यक्रमों का ब्योरा :

(कार्यक्रम की संख्या)

क्रम संख्या	क्षेत्रीय केंद्र	राज्य/संघशासित प्रदेश	किए गए कार्यक्रम
1.	बंगलुरु	कर्नाटक	11 कार्यक्रम
		केरल	05 कार्यक्रम
2.	भोपाल	मध्यप्रदेश	54 कार्यक्रम
		राजस्थान	54 कार्यक्रम
		छत्तीसगढ़	72 कार्यक्रम
3.	चंडीगढ़	पंजाब (चंडीगढ़ केंद्रशासित सहित)	24 कार्यक्रम
		हिमाचल प्रदेश	10 कार्यक्रम
		जम्मू–कश्मीर	52 कार्यक्रम
4.	पुणे	महाराष्ट्र	26 कार्यक्रम
		गुजरात	46 कार्यक्रम
		गोवा	10 कार्यक्रम
5.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	11 कार्यक्रम
		उत्तराखंड	11 कार्यक्रम
6.	कोलकाता	ओडिशा	52 कार्यक्रम
		पश्चिम बंगाल	44 कार्यक्रम
7.	गुवाहाटी	असम	20 कार्यक्रम
8.	दिल्ली	हरियाणा	15 कार्यक्रम
		कुल :	**517 कार्यक्रम**

गीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा 21 जून, 2016 को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के अवसर पर प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम

प्रभाग ने योग और दैनिक जीवन में इसके महत्व की अवधारणा को प्रचारित करने के लिए 197 कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों का आयोजन 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 26 जून' के अवसर पर किया गया।

क्र.सं.	क्षेत्रीय केंद्र	राज्य/संघशासित प्रदेश	किए गए कार्यक्रम
1.	बंगलुरु	कर्नाटक	05 कार्यक्रम
		केरल	10 कार्यक्रम
2.	भोपाल	मध्य प्रदेश	11 कार्यक्रम
		राजस्थान	02 कार्यक्रम
		छत्तीसगढ़	01 कार्यक्रम
3.	चंडीगढ़	पंजाब (चंडीगढ़ केंद्रशासित सहित)	05 कार्यक्रम
		हिमाचल प्रदेश	15 कार्यक्रम
		जम्मू–कश्मीर	10 कार्यक्रम
4.	पुणे	महाराष्ट्र	15 कार्यक्रम
		गुजरात	05 कार्यक्रम
		गोवा	05 कार्यक्रम
5.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	11 कार्यक्रम
		उत्तराखंड	11 कार्यक्रम
6.	कोलकाता	ओडिशा	14 कार्यक्रम
		पश्चिम बंगाल	08 कार्यक्रम
		सिक्किम	05 कार्यक्रम
7.	गुवाहाटी	असम	15 कार्यक्रम
		अरुणाचल प्रदेश	08 कार्यक्रम
		मेघालय	05 कार्यक्रम
		मणिपुर	05 कार्यक्रम
		मिज़ोरम	05 कार्यक्रम
		नगालैंड	07 कार्यक्रम
		त्रिपुरा	05 कार्यक्रम
8.	दिल्ली	हरियाणा	05 कार्यक्रम
		दिल्ली	12 कार्यक्रम
9.	चेन्नई	तमिलनाडु	02 कार्यक्रम

(iii) आतंकवाद विरोधी दिवस (21 मई, 2016)

गीत एवं नाटक प्रभाग ने आतंकवाद विरोधी दिवस (21 मई, 2016) के अवसर पर कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में अहिंसा, सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सौहार्द, समाज में शांत और स्वस्थ वातावरण की स्थापना, भाईचारा, मातृभूमि के प्रति समर्पण, महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आदि जैसे विषयों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया गया। ये कार्यक्रम देशभर में मई के दूसरे पखवाड़े में आयोजित किए गए।

(iv) रवीन्द्र जयंती (9 मई / बंगाल में बैशाख 25वां)

रवीन्द्र जयंती (कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस) पर गीत एवं नाटक प्रभाग, क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता ने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा जैसे विषयों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया।

(v) नज़रुल जयंती (24 मई, 2016)

गीत एवं नाटक प्रभाग, कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र द्वारा नज़रुल जयंती–विद्रोही कवि काजी नज़रुल इस्लाम (प्रख्यात कवि और महान स्वतंत्रता सेनानी) के जन्म दिवस पर पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द और देशभक्ति जैसे विषयों को विशेष रूप से दर्शाया गया।

(vi) ग्रामोदय–हमारा संकल्प

गीत और नाटक प्रभाग ने नई दिल्ली में आयोजित सरपंचों के सम्मेलन में पंचायती राज संस्था को मज़बूती प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास योजनाओं और सरकार द्वारा किए गए उपायों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया।

प्रमुख कार्यक्रम

i) 'आज़ादी के 70 साल–याद करो कुर्बानी' :

9 अगस्त, 2016 को राष्ट्रपति भवन में स्वाधीनता सेनानियों के सम्मान में देशभक्ति के गीतों का गुलदस्ता प्रस्तुत करने सहित गीत और नाटक प्रभाग ने 'आज़ादी के 70 साल–याद करो कुर्बानी' विषय पर देशभर में 424 लाइव कार्यक्रमों का आयोजन किया।

राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में अन्य लोगों के अलावा माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, माननीय उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गीत एवं नाटक प्रभाग के स्टाफ के साथ

ने भाग लिया। कार्यक्रम को श्रोताओं की खूब सराहना मिली।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू–कश्मीर में विशेष शृंखला प्रारंभ की गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों में 80 कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रमों का प्रमुख आकर्षण गुवाहाटी में असम राजभवन, कोहिमा में नगालैंड राजभवन और इम्फाल में मणिपुर राजभवन रहे। इन कार्यक्रमों में राज्यों के माननीय राज्यपालों ने भाग लिया। जम्मू–कश्मीर में 15 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में दीक्षांत समारोह के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल मुख्य अतिथि थे। इसका उद्देश्य स्वाधीनता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को फिर से युवा पीढ़ी के चित्त में बैठाना था।

ii) लद्दाख महोत्सव

गीत और नाटक प्रभाग ने पहली बार लद्दाख महोत्सव में सांस्कृतिक साझेदार के रूप में भाग लिया। तीन दिन का यह महोत्सव 20 से 23 सितंबर, 2016 को लेह में आयोजित किया गया।

समारोह के उद्घाटन के दौरान क्षेत्र के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक मंडलियों का जुलूस निकाला गया। प्रभाग ने नृत्य, गीत–संगीत आदि प्रस्तुत किया। इसका मुख्य आकर्षण 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' विषय पर 'भवई' नृत्य था।

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों के लिए विशेष सांस्कृतिक संध्या 'जय हो' का आयोजन किया गया, जिसे श्रोताओं द्वारा जमकर सराहा गया।

iii) गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम सभा में कार्यक्रम

गीत और नाटक प्रभाग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता से ग्राम सभा में महिलाओं और अन्य की बड़े पैमाने पर भागीदारी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) आदि जैसे प्रमुख कार्यक्रमों की समाभिरूपता शुरू करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया। विषय था 'सबका साथ सबका विकास–प्रगतिशील भारत'। पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा सहित 21 राज्यों के 42 पंचायतों में 168 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

ग्रामविकास योजनाओं के बारे में लोगों को विश्वसनीय और बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की इच्छा के अनुसार 2 अक्तूबर को मंत्रालय द्वारा चिह्नित ग्राम सभाओं में नुक्कड़ नाटक, स्थानीय सांस्कृतिक मंडलियों, स्थानीय गायकों आदि के उपयोग जैसे अंतर–वैयक्तिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया गया। ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई) आदि पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। फीडबैक उत्साहजनक रहा।

iv) गुजरात में गांधी जयंती समारोह

राष्ट्रपिता के सम्मान में गांधी जयंती के अवसर पर राजभवन, गांधीनगर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रभाग के कलाकारों द्वारा बापू के भजन गाए गए। राज्यपाल श्री ओ.पी. कोहली मुख्य अतिथि थे। श्री कोहली ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से इस अवसर के लिए विशेष रूप से तैयार की गई 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' विषय पर एक ऑडियो क्लिप जारी की।

v) 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जन जागरूकता अभियान

गीत और नाटक प्रभाग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' विषय पर देशभर में दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6400 से ज्यादा कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चिह्नित 161 जिलों में आयोजित किए गए।

vi) एक भारत श्रेष्ठ भारत

गीत और नाटक प्रभाग ने सूरत में कला वारसो महोत्सव में लोकनृत्यों में भारत की समृद्ध विविधता को दर्शाते हुए 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस सालाना महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

25 नवंबर, 2016 से प्रारंभ हुए इस पांच दिन के कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया।

vii) विमुद्रीकरण और नकदी रहित अर्थव्यवस्था

गीत और नाटक प्रभाग ने हाल ही में घोषित विमुद्रीकरण योजना और जनसाधारण के लाभ के लिए नकदी के प्रवाह को सुगम बनाने हेतु किए गए उपायों के बारे में पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू–कश्मीर सहित देशभर में 400 से ज्यादा कार्यक्रम किए। स्थानीय भाषाओं में किए गए इन कार्यक्रमों में इस ऐतिहासिक कदम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया, जो काले धन, आतंकवादियों को होने वाले हथियारों की तस्करी के लिए धन पहुंचने पर रोक लगाना और बड़े पैमाने पर मौजूद जाली नोटों का सर्कुलेशन बंद कराने के लक्ष्य के साथ उठाया गया है। इन कार्यक्रमों में इस बात पर भी बल दिया गया कि विमुद्रीकरण का लक्ष्य केवल भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि ईमानदार और कानून का पालन करने वाले नागरिकों के जीवन में सुधार लाना भी है।

viii) राष्ट्रीय एकता दिवस

गीत और नाटक प्रभाग ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती– राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 35 कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इनके विषयों में राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक, सामाजिक एवं भाषायी सौहार्द आदि शामिल थे।

ix) एक शाम–शहीदों के नाम

गीत और नाटक प्रभाग ने भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में देशभक्ति पर, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और देशभक्ति की भावना संजोने के लिए एक संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। देशभक्ति के गीतों में हमारे जांबाज़ जवानों के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया और उनके शौर्य और बलिदान को सलाम किया गया। इस कार्यक्रम में शहीदों के परिवारों का सम्मान किया गया। देहरादून में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के मुख्यालय में भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

x) भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2016 में भागीदारी

गीत और नाटक प्रभाग ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2016 में स्वास्थ्य मंडप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से लोक और परंपरागत कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इसका उद्घाटन माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया। इस कार्यक्रम में काफी तादाद में लोगों ने भाग लिया।

xi) कर्नाटक में हम्पी उत्सव–2016 के दौरान ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम की प्रस्तुति

कर्नाटक में हम्पी उत्सव–2016 के दौरान गीत और नाटक प्रभाग ने 03 नवंबर, 2016 से 07 नवंबर, 2016 तक ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम 'विजयनगर वैभव' प्रस्तुत किया। 'विजयनगर वैभव' कार्यक्रम बहुत शानदार था और श्रोताओं ने उसकी भूरि–भूरि सराहना की।

गीत और नाटक प्रभाग के 1 जनवरी से 31 मार्च, 2016 तक के कार्यक्रमों–गतिविधियों की रिपोर्ट

क. योजना स्कीम :

- गीत और नाटक प्रभाग द्वारा जनवरी से मार्च 2016 की अवधि के दौरान योजना स्कीम के अंतर्गत 739 कार्यक्रमों को वास्तव में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की जानकारी निम्नलिखित है :

क्र. सं.	योजना स्कीम 'लाइव आर्ट एंड कल्चर फॉर इंडिया' 2014–15 संघटकवार विवरण	01 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2016 की अवधि के दौरान किए गए कार्यक्रमों की संख्या
1	2	3
1.	देश के पहाड़ी जनजातीय/ मरुस्थली/संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में आईसीटी गतिविधियां	82 कार्यक्रम
2.	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र/चिह्नित जिले	19 कार्यक्रम
3.	पीआईसी बीएनपी के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम (स्वच्छ भारत अभियान)	123 कार्यक्रम
	कुल :	224 कार्यक्रम

ख. गैर–योजना मद : प्रभाग द्वारा जनवरी से मार्च 2016 के दौरान कुल 387 कार्यक्रम किए गए :

- जनवरी से मार्च 2016 के दौरान देशभर में 335 कार्यक्रम पंजीकृत निजी मंडलियों (पीआरटी) की सेवाओं का उपयोग करते हुए किए गए।
- जनवरी से मार्च 2016 के दौरान देशभर में 52 कार्यक्रम विभागीय कलाकारों की सेवाओं का उपयोग करते हुए किए गए।

ये कार्यक्रम सहयोगी मीडिया इकाइयों, स्वास्थ्य विभाग जैसे सरकारी संगठनों, जिला प्रशासन, उप–मंडल, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों के साथ तालमेल कायम करते हुए जनवरी से मार्च, 2016 तक किए गए।

देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जनवरी से मार्च, 2016 की अवधि के दौरान कराए गए कार्यक्रमों के विवरण :

(i) गीत और नाटक प्रभाग द्वारा जनवरी से मार्च, 2016 की अवधि के दौरान भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 22 कार्यक्रम कराए गए, जिनमें से 19 कार्यक्रम पंजीकृत निजी मंडलियों (पीआरटी) की सेवाओं का उपयोग करते हुए किए गए।

(ii) गीत और नाटक प्रभाग द्वारा वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों/चिह्नित जिलों में जनवरी से मार्च, 2016 की अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की संख्या :

क्रम संख्या	क्षेत्रीय केंद्र का नाम	संबंधित राज्य के चिह्नित जिलों में प्रस्तुत किए कार्यक्रमों की संख्या	किए गए कार्यक्रमों की संख्या
1.	भोपाल	छत्तीसगढ़ राज्य	10 कार्यक्रम
2.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल राज्य	9 कार्यक्रम
		कुल	19 कार्यक्रम
उपरोक्त सभी कार्यक्रम वस्तुतः सहयोगी मीडिया इकाइयों, स्वास्थ्य विभाग जैसे सरकारी संगठनों, जिला प्रशासन, उप–मंडल, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों के साथ तालमेल कायम करते हुए जनवरी से मार्च 2016 तक किए गए।			

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

गीत और नाटक प्रभाग ने 2016–17 के दौरान देश के 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चिह्नित विविध क्षेत्रों/गांवों में 550 लाख रुपये के वित्तीय प्रावधान के भीतर विशेषकर 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के संबंध में 10162 जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के संबंध में विशेष अभियान बहुत उन्नत अवस्था में है और कार्यक्रम स्थानीय भाषा में और महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चिह्नित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के दूर–दराज़ के ग्रामीण इलाकों में इस प्रभाग की पंजीकृत निजी मंडलियों (पीआरटी) की प्रतिभाओं का उपयोग करते हुए किए गए। नवंबर, 2016 तक प्रभाग ने 4932 कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिनका विवरण निम्नलिखित है :

क्षेत्रीय केंद्र	आईईसी कार्यक्रमों की संख्या	कवर किए गए राज्य/संघशासित प्रदेश
बेंगलुरु	150 कार्यक्रम	कर्नाटक और केरल राज्य, लक्षद्वीप
भोपाल	240 कार्यक्रम	मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य
पुणे	162 कार्यक्रम	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा राज्य, दादरा एवं नगर हवेली, दमन दीव द्वीप समूह
लखनऊ	2026 कार्यक्रम	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार राज्य
कोलकाता	371 कार्यक्रम	पश्चिम बंगाल (कोलकाता), ओडिशा, सिक्किम, झारखंड राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
गुवाहाटी	570 कार्यक्रम	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड और त्रिपुरा राज्य
चंडीगढ़	1315 कार्यक्रम	पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़
दिल्ली	98 कार्यक्रम	दिल्ली और हरियाणा राज्य
	कुल :	4932 कार्यक्रम

2 अक्तूबर, 2016 को गुजरात के राज्यपाल श्री ओ. पी. कोहली ने गांधीनगर के राजभवन में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के बारे में विशेष रूप में तैयार ऑडियो संदेश जारी किया।

क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ ने 'हम किसी से कम नहीं' पर विशेष कार्यक्रम किया, जिसमें माननीय राज्यपाल महामहिम श्री राम नाईक मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में विशेष प्रकार से सक्षम बालिका तथा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने वालों का अभिनंदन किया गया।

गीत और नाटक प्रभाग द्वारा दिसंबर, 2016 के लिए पूर्वानुमानित कार्यक्रम गतिविधियों की रिपोर्ट

क. योजना स्कीम :

- यह पूर्वानुमान लगाया गया कि प्रभाग दिसंबर, 2016 के दौरान योजना स्कीम के अंतर्गत 300 कार्यक्रम कर सकता है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	योजना स्कीम 'लाइव आर्ट एंड कल्चर फॉर इंडिया' 2014–15 संघटकवार विवरण	दिसंबर 2016 के दौरान पूर्वानुमानित कार्यक्रमों की संख्या
1	**2**	**3**
1.	देश के पहाड़ी/जनजातीय/मरुस्थली/ संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में आईसीटी गतिविधियां	50 कार्यक्रम
2.	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र/चिह्नित जिले	50 कार्यक्रम
3.	पीआईसी बीएनपी के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम (स्वच्छ भारत अभियान)	150 कार्यक्रम
4.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष गतिविधियां	50 कार्यक्रम
	कुल :	**300 कार्यक्रम**

ख. गैर–योजना मद: दिसंबर 2016 के दौरान लगभग 150 कार्यक्रम करने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया।

- दिसंबर 2016 के दौरान पंजीकृत निजी मंडलियों (पीआरटी) की सेवाओं का उपयोग करते हुए लगभग 120 कार्यक्रम किए जाने की संभावना है।
- दिसंबर 2016 के दौरान विभागीय कलाकारों की सेवाओं का उपयोग करते हुए लगभग 30 कार्यक्रम किए जा सकते हैं।

फोटो प्रभाग

परिचय

फोटो प्रभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत अधीनस्थ कार्यालय है। यह एक स्वतंत्र मीडिया इकाई है जो भारत सरकार की विभिन्न गतिविधियों को दृश्यता समर्थन प्रदान करती है। फोटोग्राफी के क्षेत्र में यह देश की सबसे बड़ी उत्पादन इकाई है।

इस माध्यम के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार के एक अलग विभाग स्थापित करने के फैसले के तहत फोटो प्रभाग की स्थापना 1959 के आखिर में की गई थी। फोटोग्राफी यानी चित्र सबसे विश्वसनीय और सही रिकॉर्ड पेश करते हैं। इस विभाग की स्थापना सही अनुमान के लिए नए माध्यम की पहचान और पेशेवर विशेषज्ञों के तहत इसके आर्काइवल रिकॉर्ड बनाने के लिए हुई थी। यह कार्य प्रकाशन विभाग के फोटो स्टूडियोज और पत्र सूचना कार्यालय तथा डीएवीपी की फोटो इकाई के एकीकरण के ज़रिये किया गया, जिससे गतिविधियों के दोहरीकरण को रोका जा सके।

यह विभाग देश और विदेश में भारत सरकार की गतिविधियों और उपलब्धियों का फोटोग्राफिक विजुअल बनाता है। 57 साल में इस विभाग ने अपने आर्काइव में करीब लाख चित्रों का संग्रहण किया है। अपनी स्थापना के 50वें साल में विभाग ने 2010 में राष्ट्रीय चित्रकला पुरस्कार शुरू किया। इसका उद्देश्य कला और फोटोग्राफी की तकनीक के ज़रिये कला, संस्कृति, विकास, विरासत, इतिहास, जीवन, लोग, समाज और परंपराओं आदि को बढ़ावा देना है। साथ ही देश के सभी कोनों से पेशेवर और फोटोग्राफों का उत्साहवर्धन करना है। सभी आधिकारिक असाइमेंट के प्रचार के लिए विभाग की अपनी आधिकारिक वेबसाइट है। विभाग फोटोग्राफ्स या चित्रों को ई–कॉमर्स मार्ग से बेचने के लिए अपनी मूल्य इकाई को जोड़ने की प्रक्रिया में है।

कार्य और कार्यक्रम

फोटो प्रभाग का प्रमुख कार्य देश में वृद्धि और विकास का चित्रों में दस्तावेजीकरण करना है। साथ ही यह देश में आर्थिक एवं सामाजिक बदलावों का तारीखवार चित्रों में दस्तावेज़ीकरण करता है। इसके अलावा वह इन चित्रों को प्रचार के लिए एक मंच पर बहाल करता है।

फोटो प्रभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई को दृश्य (स्टिल) उपलब्ध कराता है, जिससे मंत्रालय रोज़मर्रा के प्रचार के लिए सूचनाओं का वितरण कर सकता है। इसके अलावा वह चित्रों का इस्तेमाल प्रणालीगत प्रदर्शनियों और प्रकाशन के ज़रिये करता है।

पत्र सूचना कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट में प्रकाशित विभिन्न सरकारी गतिविधियों के चित्र या दृश्य तथा प्रचार को जारी की जाने वाली हार्ड प्रतियां पूर्ण रूप से फोटो प्रभाग के सहयोग से जारी की जाती है।

डीएवीपी पूर्ण रूप से विभाग के आर्काइव्स पर निर्भर करता है, जिसका विकास पिछले पांच दशक में विभिन्न प्रदर्शनियों की तैयारियों/निर्माण, होर्डिंग्स, विज्ञापन सामग्री, प्रचार पैंफलेट, ब्राउशर्स आदि के लिए किया है। इसका वितरण देश की बड़ी आबादी और विदेश में भी किया जाता है।

विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार विभाग को इस विभाग का पूर्ण सहयोग मिलता है जिससे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का चित्रों के ज़रिये प्रचार–प्रसार किया जा सके।

यह विभाग एक्सपी विभाग (एमईए) के ज़रिये विभिन्न देशों की सरकारों के प्रमुख/विदेश मंत्रियों/विदेशी प्रतिनिधियों की भारत यात्रा के लिए भी पूर्ण फोटो प्रचार सहयोग उपलब्ध कराता है। किसी वीवीआईपी के देश से प्रस्थान के समय उनकी पूरी यात्रा पर चित्रों के दस्तावेज़ीकरण की एल्बम प्रदान करने की परंपरा है।

इस विभाग का इस्तेमाल करने वालों में केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियां, राष्ट्रपति सचिवालय सहित

मंत्रालय/विभाग, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय और विदेशों में भारतीय मिशन शामिल हैं। यह विभाग इनका इस्तेमाल विदेश मंत्रालय के एक्सपी विभाग के माध्यम से करते हैं।

विभाग गैर–प्रचार संगठनों, निजी प्रकाशकों और आम जनता को भुगतान के आधार पर अपनी मूल्य योजना के तहत तस्वीर या चित्र भी उपलब्ध कराता है।

सांगठनिक ढांचा

फोटो प्रभाग लोधी रोड के सीजीओ परिसर, सूचना भवन, नई दिल्ली–110003 में स्थित है। इस विभाग के प्रमुख निदेशक (फोटो प्रभाग) हैं। उनको सहयोग के लिए उपनिदेशक, वरिष्ठ फोटोग्राफिक अधिकारी, फोटोग्राफिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य तकनीकी तथा अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं।

विभाग में कुल कर्मचारियों की क्षमता 76 है। पद के हिसाब से विभाग में 46 पद हैं। 2002 में ईआरसी की सिफारिशों और सीधी नियुक्तियों पर रोक की वजह से कई पद समाप्त हो गए। लेखा अधिकारी का एक पद भी समाप्त कर दिया गया।

निदेशक और उपनिदेशक पद की जिम्मेदारियां प्रशासनिक और तकनीकी प्रकृति की हैं। वहीं वरिष्ठ फोटोग्राफिक अधिकारी, फोटोग्राफिक अधिकारी और अन्य प्रोडक्शन कर्मचारियों की जिम्मेदारियां तकनीकी प्रकृति की होती है।

प्रशासनिक अधिकारी/लेखा अधिकारी नहीं होने की वजह से वरिष्ठ अधिकारी प्रशासनिक कामकाज/डीडीओ कार्य देख रहे हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी का पद रिक्त है और लेखा अधिकारी का पद समाप्त कर दिया गया है। प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या लगभग शून्य पर आ गई है।

प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति

विभाग के कामकाज के अनुसार वरिष्ठ फोटोग्राफिक अधिकारी/फोटोग्राफिक अधिकारी और अन्य तकनीकी कर्मचारी देश–विदेश में गहन फोटो कवरेज और फोटो प्रचार सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई अन्य मंत्रियों के साथ यात्रा पर जाते हैं। पोस्टर आदि के लिए अपने चित्रों के संग्रहण या अभिलेखागार को बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी विकास गतिविधियों, सामाजिक और आर्थिक बदलावों आदि से संबंधित कार्यों के दस्तावेजीकरण से भी समय–समय जुड़े रहते हैं।

सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर फेसबुक कार्यशाला के दौरान विभिन्न मंत्रालय के अधिकारियों को संबोधित करते हुए

दो फोटोग्राफिक अधिकारी 365 दिन बारी–बारी से प्रधानमंत्री कार्यालय/निवास/संसद भवन में तैनात रहते हैं। मीडिया प्रचार और अन्य इस्तेमाल के लिए वे वीवीआईपी की गतिविधियों पर जरूरत के हिसाब से फोटो दस्तावेज़ीकरण उपलब्ध कराते हैं। विभाग विदेश मंत्रालय को फोटोग्राफिक अधिकारी के साथ वरिष्ठ फोटो सहायक, कनिष्ठ फोटो सहायक की सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। विभाग की तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता के हिसाब से ये सेवाएं विभिन्न देशों के प्रमुखों की भारत यात्रा के लिए गहन फोटो कवरेज और फोटो प्रचार के लिए ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। विदेशी मेहमान के प्रस्थान के समय चमड़े से बनी विशेष वीवीआईपी एल्बम और उस पर स्वर्णीय रंग की स्याही वाले कवर के साथ वीवीआईपी को चित्रों का डिजिटल संग्रह भेंट किया जाता है। इसमें उनकी पूरी यात्रा से संबंधित चित्र होते हैं।

अन्य मीडिया इकाइयों के साथ सामंजस्य

अन्य मीडिया इकाइयों के साथ तालमेल या सामंजस्य बैठाने के लिए विभाग ने कई उपाय किए हैं। विभाग ने करीब 8–10 लाख अभिलेखागार तथा मौजूदा चित्रों के बीच वैश्विक स्तर पर तालमेल के लिए आधिकारिक वेबसाइट की शुरूआत की है। विभाग आज अपनी आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिये तस्वीरों की खरीद–फरोख्त के लिए इसमें ई–वाणिज्य फीचर जोड़ने जा रहा है। अभिलेखीय तस्वीरों को ऑनलाइन/ऑफलाइन तरीके से प्राप्त करने के लिए एक उच्च क्षमता का सर्वर लगाया गया है। विभाग का नया फोटो नेटवर्क पूर्ण रूप से डिजिटल तरीके से काम कर रहा है जिससे समाचार पत्रों और पत्र सूचना कार्यालय को तस्वीरें भेजने में देरी से बचा जा सके। पत्र सूचना कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट को डिजिटल तस्वीरें और हार्ड प्रतियों की आपूर्ति में विभाग का दैनिक आधार पर पूर्ण समर्थन मिलता है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा भारत की यात्रा पर आए वीवीआईपी के कार्यक्रमों के लिए डिजिटल कैमरा उपकरणों का लैपटॉप और वी–डाटा कार्ड के साथ इस्तेमाल कर कार्यक्रम स्थल से डिजिटल तस्वीरों को डाउनलोड या अपलोड किया जाता है। विभाग विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय को प्रदर्शनी के उद्देश्य से बड़े आकार की डिजिटल इंकजेट तस्वीरों की आपूर्ति में सहयोग करता है।

12वीं पंचवर्षीय योजना

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के दौरान प्रभाग ने राष्ट्रीय फोटोग्राफी केंद्र (एनसीपी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू–कश्मीर तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के दूरदराज़ के क्षेत्रों के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।

राष्ट्रीय फोटोग्राफी केंद्र के तहत विभाग डिजिटल फोटो लाइब्रेरी के साथ तालमेल बैठाने पर काम कर रहा है। इसमें लाइब्रेरी पेशेवरों की आउटसोर्सिंग का प्रावधान है, जिससे डिजिटल तस्वीरों की फाइल सूचना का अद्यतन किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रभाग समाचार फोटो नेटवर्क के रखरखाव के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटरों की आउटसोर्सिंग करता है। यह डिजिटल प्रबंधन से संबंधित है, इसमें मेटा डेटा के परिचालन/अपलोडिंग से संबंधित कार्य करता है। डिजिटल तस्वीरों, डिजिटल सामग्री को प्रभाग के उच्च क्षमता वाले सर्वर पर अपलोड किया जाता है।

महत्वपूर्ण गतिविधियां

मीडिया संरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) के तहत राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार राष्ट्रीय फोटोग्राफी केंद्र योजना का प्रमुख तत्व है। राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार फोटो प्रभाग का एक प्रतिष्ठित वार्षिक कार्यक्रम है, जो देश की फोटोग्राफी क्षेत्र की असाधारण प्रतिभाओं को सामने लाता है।

विभाग ने मौजूदा वर्ष के दौरान छठा राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार शुरू किया है। इसके अलावा विभाग ने चालू वर्ष में स्थायी फोटो गैलरी भी शुरू की है, जो मौजूदा वर्ष की सरकार की गतिविधियों और उपलब्धियों की फोटो प्रदर्शनी है।

दूसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदर्शनी : फोटो प्रभाग द्वारा 20 अप्रैल से 22 अप्रैल, 2016 के दौरान नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में फोटो प्रभाग के आर्काइव तथा विदेश मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आयोजनों पर जुटाए गए चित्रों की फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के सहयोग से आयुष मंत्रालय के तहत यह प्रदर्शनी दूसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजनों से पहले लगाई गई।

आठवां ब्रिक्स सम्मेलन : विभाग ने गोवा में अक्तूबर, 2016 में आयोजित आठवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का व्यापक फोटो कवरेज उपलब्ध कराया है।

70वां स्वतंत्रता दिवस समारोह : 70वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में प्रभाग ने विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के साथ सहयोग में 12–18 अगस्त तक 'आज़ादी 70 साल : याद करो कुर्बानी' विषय पर फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें आजादी से पहले और बाद देश में विकास और प्रगति का झरोखा तस्वीरों के ज़रिये प्रदर्शित किया गया।

सामान्य गतिविधियां

सामान्य गतिविधियों के तहत प्रभाग कुछ महत्वपूर्ण फोटो दस्तावेजीकरण उपलब्ध कराता है जो इस प्रकार है :

i) **दिसंबर, 2016 तक भारत के उपराष्ट्रपति की यात्राएं।** फोटो प्रभाग ने भारत में विभिन्न राज्यों में उपराष्ट्रपति की छह यात्राओं को कवर किया। उत्तर प्रदेश की दो यात्राएं, जम्मू–कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम की एक–एक यात्रा, छह विदेश यात्राएं, मंगोलिया वेनेजुएला, नाइजीरिया, माली, हंगरी और अल्जीरिया की।

ii) **समीक्षा अवधि के दौरान प्रधानमंत्री की यात्राएं** : फोटो प्रभाग ने देश और विदेश में प्रधानमंत्री की यात्राओं को व्यापक कवरेज उपलब्ध कराया। विभाग ने प्रधानमंत्री की देश में 16 राज्यों मसलन उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात की एक से अधिक यात्राओं को कवर किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री की 17 दूसरे देशों की यात्राओं, बेल्जियम, अमरीका (दो बार), सऊदी अरब, ईरान, अफ़गानिस्तान, कतर, स्विटजरलैंड, मेक्सिको, उज्बेकिस्तान, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, केन्या, वियतनाम, चीन और लाओ पीडीआर की यात्राओं को कवर किया।

iii) **दूसरे देशों की सरकारों के प्रमुख की यात्राएं** : फोटो प्रभाग ने दूसरे देशों के प्रमुखों, राष्ट्राध्यक्षों की हमारे देश की यात्राओं को व्यापक कवरेज उपलब्ध कराया है। राष्ट्र और सरकारों के प्रमुखों की यात्रा : फोटो प्रभाग ने विभिन्न राष्ट्र और सरकार के प्रमुखों की भारत यात्रा के दौरान व्यापक फोटो दस्तावेजीकरण उपलब्ध कराया। इनमें मालदीव, म्यांमार और अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति, चीन के उपराष्ट्रपति, थाइलैंड, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री शामिल हैं। प्रत्येक यात्रा पूरी होने के बाद फोटो प्रभाग ने भारत सरकार की ओर से इन वीवीआईपी को उनके प्रस्थान के समय उनकी यात्रा को लेकर फोटो एलबम भेंट किया।

उत्पादन के आंकड़े

कुल 2,641 समाचार एवं फीचर असाइनमेंट या कार्य किए गए। पीआईबी की वेबसाइट पर 6,002 तस्वीरें भेजी/डाली गईं। फोटो प्रभाग की वेबसाइट पर 6,898 तस्वीरें अपलोड की गईं। इनहाउस कुल 2,29,221 तस्वीरें खींची गईं। 31,582 डिजिटल प्रिंट बनाए और भेजे गए। कुल 58 वीवीआईपी फोटो एलबम तैयार की गई।

राजभाषा का क्रियान्वयन

फोटो प्रभाग मुख्यालय में अपने छोटे से कार्यालय में राजभाषा के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल है। लेखा और प्रशासन अनुभाग में बड़ी संख्या में फाइलें सिर्फ हिंदी में रखी जाती हैं। प्रभाग ने हिंदी में कई गतिविधियों को आगे बढ़ाया है। सितंबर 2016 में हिंदी पखवाड़े के दौरान एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

स्वीकृत बजट

फोटो प्रभाग 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 'मीडिया संरचना विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत उपयोजना 'राष्ट्रीय फोटोग्राफी' केंद्र का क्रियान्वयन कर रहा है। वित्त वर्ष 2016–17 में फोटो प्रभाग की योजना के लिए स्वीकृत बजट अनुदान 112 लाख रुपये रहा, जिसमें आरई 2016–17 चरण तक कोई बदलाव नहीं हुआ। अक्तूबर 2016 तक कुल व्यय 59.34 लाख रुपये रहा। गैर–योजना गैर–वेतन खंड में स्वीकृत बजट अनुदान 113 लाख रुपये रहा, जिसे आरई 2016–17 के चरण में संशोधित कर 100 लाख रुपये कर दिया गया।

सतर्कता रपट

1.	**संगठन के लिए मुख्यालय और फील्ड कार्यालय में सतर्कता सेटअप कार्य**	सतर्कता से संबंधित कार्य के लिए अलग से कोई कर्मचारी नहीं है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से यह कार्य करते हैं।
2.	**इस समयावधि में की गई एहतियाती सतर्कता गतिविधियां** i) इस अवधि में नियमित निरीक्षण ii) इस अवधि के दौरान किए गए औचक निरीक्षण	4 2
3.	**इस अवधि में निगरानी एवं गतिविधियां** i) निगरानी के लिए लिए चुने गए क्षेत्रों का ब्योरा। ii) निगरानी के तहत रखने के लिए लोगों की पहचान	वे सभी क्षेत्र जहां प्रोडक्शन का काम किया जाना है। कोई नहीं
4.	**दंडात्मक गतिविधियां 4ए से X तक नंबर। इनमें प्राधिकरण राष्ट्रपति के अलावा अन्य है। इस अवधि में मिलीं या भेजी गई शिकायतें।** i. इस अवधि में मिलीं या भेजी गई शिकायतें। ii. कितने मामलों में शुरुआती जांच की गई। iii. कितने मामलों में शुरुआती जांच प्राप्त हुई। iv. कितने मामलों में बड़े जुर्माने के लिए आरोप पत्र जारी हुए। v. कितने मामलों में छोटे जुर्माने के लिए आरोप पत्र जारी हुए। vi. कितने लोगों पर बड़ा जुर्माना लगाया गया। vii. कितने लोगों पर छोटा जुर्माना लगाया गया। viii. कितने लोगों को निलंबित किया गया। ix. कितने लोगों के ख़िलाफ़ प्रशासनिक कार्रवाई मसलन चेतावनी आदि जारी की गई। x. संबंधित नियम प्रावधानों के तहत कितने लोगों को समय से पहले सेवानिवृत्त किया गया।	शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य

भारतीय जन संचार संस्थान

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 के 21) के तहत एक पंजीकृत संस्था है, जो कि 17 अगस्त, 1965 को अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना पत्रकारिता, मीडिया और जन संचार क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और उपक्रम अनुसंधान के मूल उद्देश्य के साथ की गई थी।

आज, भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के अलावा यह संस्थान प्रिंट पत्रकारिता (अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और उड़िया), रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता और विज्ञापन एवं जनसंपर्क में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। संस्थान विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित, वर्तमान में कोलंबो योजना स्कीम के तहत एशियन, अफ्रीकन, लेटिन अमरीकन और ईस्ट यूरोपियन देशों के मध्यम स्तरीय श्रमजीवी पत्रकारों के लिए विकास पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का संचालन कर रहा है।

केंद्र और राज्य सरकारों के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के विभिन्न मीडिया, प्रचार और परिचालन क्षेत्र में कार्यरत संचार पेशेवरों की हमेशा बढ़ती प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थान एक सप्ताह से लेकर चार सप्ताह अवधि वाले विभिन्न विशेष लघु अवधि पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। संस्थान प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला आदि और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है।

हाल के समय में, जन संचार बदलाव के दौर से गुजर रहा है और यह गतिविधियों के एक ऐसे प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसने तेज़ी से महत्व और शोहरत हासिल कर ली है और विभिन्न शैक्षणिक विषय छात्रों के लिए प्रमुख आकर्षण बन गए हैं। दुनियाभर में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने जन संचार के विस्तार और स्वरूप को बदलने में व्यापक योगदान दिया है।

तदनुसार, संस्थान लगातार मूल्यांकन करता है और अपने पाठ्यक्रम में बदलाव करता है ताकि तेज़ी से बदलते वातावरण में समकालीन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से

भारतीय जन संचार संस्थान में आयोजित पत्रकारिता छात्रों के दीक्षांत समारोह में सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु

सामना किया जा सके। यह संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रम को बदलते परिदृश्य में भी प्रभावी बनाए रखने में सक्षम बनाता है।

अस्तित्व में आने के आधी सदी बाद भी लगातार अपनी कड़ी मेहनत के ज़रिये और अपने उत्कृष्ट वितरण तंत्र के परिणामस्वरूप संस्थान लगातार संचार शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में 'उत्कृष्टता केंद्र' की प्रतिष्ठा को बरकरार रखे हुए है। विभिन्न सर्वेक्षणों में संस्थान देश की शीर्ष मीडिया संस्थानों के बीच अपनी रैंक को बनाए रखे हुए है।

संस्थान के शैक्षणिक कामकाज को सरल बनाने और जनसंचार के उभरते क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए, इस दौरान दो नए विभाग नया मीडिया और आईटी विभाग तथा लघु अवधि एवं विशेष पाठ्यक्रम व प्रशिक्षण विभाग स्थापित किए गए हैं।

1 अप्रैल, 2016 से 8 नवंबर, 2016 तक की शैक्षणिक गतिविधियां :

आईआईएमसी द्वारा संचालित पाठ्यक्रम

(i) स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा पाठ्यक्रम

शैक्षणिक वर्ष 2016–17 के लिए निम्नलिखित स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया मार्च 2016 में प्रमुख समाचर पत्रों में इस संबंध के विज्ञापन जारी करने के साथ शुरू हुई, आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि 10 मई, 2016 निर्धारित की गई थी। पीजी डिप्लोमा/डिप्लोमा पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं :

(i) पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (हिंदी), दिल्ली

(ii) पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (अंग्रेजी), दिल्ली, ढेंकनाल, एजवाल, अमरावती, जम्मू और कोट्टायम

(iii) विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दिल्ली

(iv) रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दिल्ली

(v) पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (उड़िया), ढेंकनाल

(vi) उर्दू में पत्रकारिता डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दिल्ली

भारतीय जन संचार संस्थान में दीक्षांत समारोह के अवसर पर पत्रकारिता के छात्रों के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु

ऊपर उल्लेखित पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 4,776 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।

प्रवेश के लिए 4776 उम्मीदवारों के पाठ्यक्रम अनुसार जानकारी निम्न प्रकार है : हिंदी पत्रकारिता–575, अंग्रेजी पत्रकारिता–1410, रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता–1229, विज्ञापन और जन संचार–1496, उड़िया पत्रकारिता–51 और उर्दू पत्रकारिता–15। प्रवेश परीक्षा में कुल 4118 उम्मीदवारों ने भाग लिया।

ऊपर बताए गए सभी पाठ्यक्रमों (उड़िया और उर्दू पत्रकारिता को छोड़कर) के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा 29 मई, 2016 को आयोजित की गई। ये प्रवेश परीक्षाएं पहली बार पूरे देश में 19 शहरों में आयोजित की गईं। ये परीक्षाएं नई दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बंगलुरु, मुंबई, नागपुर, एजवाल, भोपाल, चेन्नई, जम्मू, कोच्ची, रायपुर, रांची और हैदराबाद में आयोजित की गई। हालांकि, केवल चार उम्मीदवारों ने श्रीनगर का विकल्प, चुना था। इसलिए बाद में उनसे परीक्षा के लिए जम्मू परिसर में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया। पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम (उड़िया) के लिए प्रवेश परीक्षा 30 मई, 2016 को भुवनेश्वर में आयोजित की गई और पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (उर्दू) के लिए प्रवेश परीक्षा 30 मई, 2016 को दिल्ली में आयोजित की गई।

27 जून, 2016 को परीक्षा के परिणामों की घोषणा की गई। इसके बाद साक्षात्कार/समूह चर्चा का आयोजन 2 जुलाई, 2016 को भुवनेश्वर में उड़िया पत्रकारिता के लिए 4, 5 और 7 जुलाई से 10 जुलाई, 2016 तक पत्रकारिता (अंग्रेजी) के लिए, 4, 5 ,7 और 8 जुलाई को पत्रकारिता (हिंदी), रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता और विज्ञापन एवं जन संचार के लिए तथा 11 जुलाई, 2016 उर्दू पत्रकारिता के लिए दिल्ली में किया गया।

शैक्षणिक वर्ष 2016–17 के लिए प्रवेश प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया और नई दिल्ली तथा सभी क्षेत्रीय परिसरों में नए सत्र की शुरुआत 1 अगस्त, 2016 से पंजीकरण और इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा ओरिएंटेशन व्याख्यान के साथ हुई।

(ii) भारतीय सूचना सेवा पाठ्यक्रम

भारतीय सूचना सेवा समूह 'अ' के 11 अधिकारी प्रशिक्षुओं (ओटीएस) ने आईआईएमसी में अपना नौ महीने का इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम 8 नवंबर, 2016 को पूरा किया। इस दौरान, अधिकारी प्रशिक्षुओं को कक्षा और मैदानी कार्य दिए जाने के अलावा विभिन्न संगठनों का भ्रमण कराया गया।

वित्तीय सर्वेक्षण और बजट संबंधी संचार और प्रचार जरूरतों के लिए मध्य फरवरी में इन्हें वित्त मंत्रालय के

सूचना एवं प्रसारण मंत्री और सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री भारतीय सूचना सेवा के 2014 और 2015 बैच के प्रशिक्षनार्थियों के साथ

संचार विभाग के साथ जोडा गया। आईआईएस समूह 'अ' परिवीक्षाधीन अधिकारियों को बजट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉकथॉन्स के दौरान मीडिया संपर्क का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

अधिकारी प्रशिक्षुओं को तीन हफ्ते के लिए एफटीआईआई, पुणे में भी रख गया और वहां उन्होंने पीआईबी, दूरदर्शन और सीबीएफसी सहित मुंबई की तमाम मीडिया इकाइयों का दौरा किया। वे तीन हफ्ते के लिए भारत दर्शन अध्ययन यात्रा पर भी गए, जिसमें उन्हें शहर और गांवों का दौरा कराया गया। मणिपुर और मेघालय में असम राइफल्स की विभिन्न इकाइयों का दौरा करने के लिए एक हफ्ते की यात्रा का भी आयोजन उनके लिए किया गया। पहली बार अधिकारी प्रशिक्षुओं को छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्लयूई) प्रभावित क्षेत्रों में विशेष संचार जरूरतों और चुनौतियों को समझने के लिए ले जाया गया। अधिकारी प्रशिक्षुओं को सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) में कार्यालय प्रक्रियाओं, वित्त और बजट जैसे मुद्दों पर एक हफ्ते का प्रशिक्षण दिया गया। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने अधिकारी प्रशिक्षुओं से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति महोदय ने देश के शासन में भारतीय सूचना सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की कुशलता इस बात पर निर्भर होगी कि वे कितने प्रभावी ढंग से सूचनाओं को लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम हैं।

प्रशिक्षण के दौरान, अधिकारी प्रशिक्षुओं को माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु और माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से बातचीत करने का भी अवसर मिला। श्री एम. वेंकैया नायडु ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचार को अर्थपूर्ण ढंग से पहुंचाने और विकासपरक कार्यक्रमों के जरिये लोगों के जीवन में बदलाव लाने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक बुराइयों जैसे भ्रष्टाचार, ग़रीबी, अशिक्षा और आतंकवाद से लड़ने के लिए सूचना एक हथियार है। कर्नल राठौर ने अधिकारी प्रशिक्षुओं को सलाह देते हुए कहा कि यहां लगातार सीखने और अपने कौशल में मूल्यवर्धन करने की आवश्यकता है।

दस आईआईएस वरिष्ठ ग्रेड समूह 'ब' अधिकारी प्रशिक्षुओं ने भी संस्थान में 'संचार और मीडिया' विषय में छह माह का बुनियादी प्रशिक्षण हासिल किया, जो 13 जून, 2016 को समाप्त हुआ। आईआईएस समूह 'अ' और आईआईएस समूह 'ब' दोनों के अधिकारी प्रशिक्षुओं ने एनएसजी के साथ दिल्ली और गुरुग्राम में 16 व 17 मार्च, 2016 को आयोजित दो–दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

(iii) विकास पत्रकारिता में 65वां डिप्लोमा पाठ्यक्रम

गुटनिरपेक्ष और विकासशील देशों के लिए विकास पत्रकारिता में 65वें डिप्लोमा पाठ्यक्रम का दीक्षांत समारोह 27 अप्रैल, 2016 को आयोजित किया गया और माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने डिप्लोमा प्रदान किया। अर्जेंटीना और यूक्रेन ने इस विशेष पाठ्यक्रम में पहली बार हिस्सा लिया।

गुटनिरपेक्ष और विकासशील देशों के लिए विकास पत्रकारिता में 66वां डिप्लोमा पाठ्यक्रम 14 देशों के 22 प्रतिभागियों के साथ 1 अगस्त, 2016 से शुरू हुआ है।

52वां स्थापना दिवस

आईआईएमसी ने अपना 52वां स्थापना दिवस 17 अगस्त, 2017 को मनाया। स्थापना दिवस भाषण देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्री रजत शर्मा को आमंत्रित किया गया था। सूचना एवं प्रसारण सचिव और आईआईएमसी के चेयरमैन श्री अजय मित्तल ने समारोह की अध्यक्षता की। एक–दिवसीय इस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पौधा रोपण, खेल और कर्मचारी, छात्र और शिक्षकों द्वारा निकाली गई रैली मुख्य आकर्षण थे।

दीक्षांत समारोह

वर्ष 2015–16 के लिए सभी पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए डिप्लोमा प्रदान करने के लिए 49वां दीक्षांत समारोह 15 सितंबर, 2016 को आईआईएमसी में आयोजित किया गया। सूचना एवं प्रसारण, मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु मुख्य अतिथि थे और उन्होंने दीक्षांत भाषण दिया। विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के कुल 340 छात्रों को उनके डिप्लोमा प्रदान किए गए, उन छात्रों को जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उन्हें भी सम्मानित किया गया।

सोशल मीडिया पर आईआईएमसी

इसी अवधि के दौरान आईआईएमसी सोशल मीडिया मंच: ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। इससे जनता, छात्रों, पूर्व छात्रों और मीडिया से प्रत्यक्ष और त्वरित इंटरफेस की स्थापना हुई है।

स्वर्ण जयंती व्याख्यान का पुनर्जन्म

आईआईएमसी में स्वर्ण जयंती व्याख्यान को पुनर्जीवित किया गया है। लंदन में वेस्टिमिनिस्टर विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय संचार के प्राध्यापक और भारत मीडिया केंद्र के संस्थापक और सह–निदेशक प्रोफेसर दया थुस्सूं ने 19 अगस्त, 2016 को 'कम्यूनिकेटिंग इंडियाज़ सॉफ्ट पावर : बुद्ध टू बॉलीवुड' पर व्याख्यान दिया।

1 अप्रैल, 2016 से 31 अक्तूबर, 2016 के दौरान आयोजित किए गए लघु पाठ्यक्रम

इस अवधि के दौरान संस्थान में निम्नलिखित लघु पाठ्यक्रम आयोजित किए गए :

क्र. सं	पाठ्यक्रम का नाम	दिनांक	पाठ्यक्रम निदेशक	भागीदारों की संख्या
1	अधिकारी और कर्मचारी नियुक्ति/ पीआरओ/ प्रशिक्षक के लिए मीडिया संचार पाठ्यक्रम	6 जून से 24 जून, 2016	प्रो. विजय परमार	15
2	जेसीओ और एनसीओ के लिए वीडियोग्राफी पाठ्यक्रम	6 जून से 1 जुलाई, 2016	डा. आनंद प्रधान	15
3	कर्नाटक सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशकों, वरिष्ठ सहायक निदेशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	6 जून से 17 जून, 2016	डा. अनुभूति यादव	16
4	वरिष्ठ अधिकारी (ब्रिगेडियर/कर्नल/समतुल्य) के लिए मीडिया संचार पाठ्यक्रम	19 से 30 सितंबर, 2016	प्रो. विजय परमार	13

योजनागत परियोजनाएं

आईआईएमसी को अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत उन्नयन बनाने की योजनागत परियोजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया और इसके लिए कुल 62 करोड़ रुपये की राशि मंजूरी हुई, जिसमें 51.50 करोड़ रुपये की राशि सरकार अनुदान सहायता के तौर पर थी। इस परियोजना में आईआईएमसी के उन्नयन के तौर पर मौजूदा मुख्य इमारत में अतिरिक्त मंजिलों और आईआईएमसी परिसर, नई दिल्ली में व्याख्यान ब्लॉक का निर्माण, आईआईएमसी परिसर, नई दिल्ली की ख़ाली पड़ी जमीन पर नई इमारत का निर्माण तथा आईआईएमसी परिसर, ढेंकनाल में नई इमारत का निर्माण के साथ ही साथ महाराष्ट्र, मिजोरम, केरल और जम्मू व कश्मीर में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराए गए। अस्थाई परिसर से चार नए क्षेत्रीय परिसर की शुरुआत करने का प्रस्ताव है।

आईआईएमसी परिसर, नई दिल्ली की खाली पड़ी जमीन पर नई इमारत का निर्माण विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा बिल्डिंग प्लान को मंजूरी न मिलने से अभी भी लंबित है, जबकि दिल्ली और ढेंकनाल में अन्य सभी योजनागत परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। वर्तमान में रिज प्रबंधन बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की मंजूरी का इंतज़ार है।

अमरावती और एजवाल में दो नए क्षेत्रीय परिसर का संचालन अगस्त 2011 से शुरू हो चुका है, जबकि जम्मू और कोट्टायम में दो क्षेत्रीय परिसर अगस्त 2012 से संचालन शुरू कर चुके हैं। सभी चार नए क्षेत्रीय परिसर वर्तमान में संबंधित राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराए गए अस्थाई परिसर में संचालित हैं।

आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय परिसर खोलने की योजनागत परियोजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया

गया था और इसके लिए 94 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए, जिसमें 90 करोड़ रुपये सरकारी अनुदान सहायता है। इस योजना में आईआईएमसी के चार नए क्षेत्रीय परिसर के स्थाई परिसरों का निर्माण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराई गई ज़मीन पर करवाना प्रस्तावित है।

एजवाल परिसर के लिए आईआईएमसी ने इमारत निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए ठेका दिया जा चुका है और सितंबर 2015 के अंतिम सप्ताह में काम शुरू हो चुका है। 3 अक्तूबर, 2016 तक कार्य की भौतिक प्रगति 42 प्रतिशत थी।

जहां तक आईआईएमसी कोट्टायम परिसर की बात है, केरल सरकार ने कोट्टायम में क्षेत्रीय परिसर की स्थापना हेतु कोट्टायम जिले के पैमपेडी गांव में 10 एकड़ जमीन आईआईएमसी को मुफ्त में हस्तांतरित कर दी है। आईआईएमसी ने कोट्टायम में इमारत के निर्माण के लिए डिपोजिट वर्क के रूप में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना स्थल पर कार्य शुरू हो चुका है।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने आईआईएमसी को जम्मू में 15.2 एकड़ भूमि मुफ्त में 24 मई, 2016 को हस्तांतरित की है। परियोजना को सीसीडब्यू (एआईआर), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सौंपा गया है।

15 एकड़ जमीन आईआईएमसी को मुफ्त में 29 जून, 2016 को सौंपी गई है। अमरावती के लिए परियोजना को सीसीडब्यू को (एआईआर), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सौंपा गया है। निवेश पूर्व गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं।

भारत में पहली बार सार्वजनिक स्वास्थ्य पत्रकारिता और संचार कार्यक्रम

संस्थान ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पत्रकारिता और संचार (सीएएसपी) के लिए महत्वपूर्ण मूल्यांकन कौशल कार्यक्रम पर तीन महीने का सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम यूनीसेफ, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन और जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ (जीआईजीएच) के सहयोग से संचालित किया।

कार्यक्रम ने नवोदित पत्रकारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों का मूल्याकंन करने के लिए महत्वपूर्ण और अनुसंधान कौशल प्रदान किया जिससे वह संतुलित ढंग से रिपोर्ट और संवाद करने के लिए मीडिया की क्षमता को बढ़ा सके। आईआईएमसी के 40 छात्रों को सफलतापूर्वक सीएएसपी पूरा करने पर सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।

आईआईएमसी के महानिदेशक श्री केजी सुरेश और सीएएसपी समन्वयक डा. गीता बमजई ने सीएएसपी को नियमित/लघु अवधि पाठ्यक्रम में शामिल करने या एकल शैक्षणिक पेशकश के लिए प्रस्तावित सुधार और अनुभव पर ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, रॉयटर्स इंटरनेशनल और अन्य सहभागियों के चर्चा करने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लंदन का दौरा किया।

अनुसंधान परियोजनाएं

भारत में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने हेतु पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के लिए पहली बार संचार रणनीति आईआईएमसी द्वारा तैयार की गई।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के लिए संचार में क्षमता निर्माण के लिए आईआईएमसी एक प्रमुख संसाधन केंद्र है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अधिकारियों के लिए पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रम के प्रभावी प्रबंधन हेतु भागीदारी अनुसंधान पर एक प्रशिक्षण परियोजना आईआईएमसी द्वारा आयोजित की गई।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी

- पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों के लिए आईआईएमसी और कशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर ने सहयोग समझौता किया है। इसके लिए आईआईएमसी के महानिदेशक श्री केजी सुरेश ने विश्वविद्यालय का दौरा किया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। इसके तहत, 2015 बैच के भारतीय सूचना सेवा, समूह 'अ' अधिकारी प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण के लिए रायपुर में विश्वविद्यालय का दौरा किया और प्रभावी संचार पर आयोजित एक सत्र में भाग लिया।
- आईआईएमसी और जॉर्डन मीडिया इंस्टीट्यूट शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में दोनों संस्थाओं के बीच

सहयोग के लिए विचार–विमर्श प्रक्रिया में हैं।

- आईआईएमसी ने 8 से 11 सितंबर, 2016 को नई दिल्ली में वर्ल्ड मीडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए ईस्ट–वेस्ट सेंटर, हवाई, यूएसए के साथ भागीदारी की।

प्रस्तावित नए पाठ्यक्रम

आईआईएमसी क्षेत्रीय भाषा पत्रकारिता में कौशल की कमी को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रमों पर नए सिरे से जोर दे रहा है। यह योजना बनाई गई है कि अगले शैक्षणिक सत्र से कोट्टायम परिसर से मलयालम भाषा पत्रकारिता पाठ्यक्रम और अमरावती परिसर से मराठी भाषा पत्रकारिता पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। दिल्ली में उर्दू पत्रकारिता में डिप्लोमा कोर्स का पीजी डिप्लोमा स्तर पर उन्नयन किया जाएगा।

आईआईएमसी ने सामुदायिक रेडियो पर एक शॉर्ट मॉड्यूल पेश करने का भी निर्णय लिया है। इसके जरिये एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के बुनियादी तकनीकी पहलुओं और एक सफल स्टेशन संचालन के लिए सामग्री प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नया मीडिया, सार्वजनिक स्वाबस्यक संचार, स्टिल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, रचनात्मक लेखन, सॉफ्ट स्किल (प्रस्तुति एवं संचार कौशल), मीडिया प्रबंधन, न्यूजपेपर प्रोडक्शन, रचनात्मक डिजाइनिंग, विज्ञापन/जनसंपर्क/कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन, विकलांगता संवेदीकरण, लिंग संवेदीकरण, संचार/मीडिया अनुसंधान, मीडिया ट्रैकिंग और मैपिंग, रेडियो और टीवी जॉकी, विकासपरक पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता, बिजनेस पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, संसदीय रिपोर्टिंग, रक्षा रिपोर्टिंग, कानूनी रिपोर्टिंग, एनीमेशन, गेमिंग, डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, ई–गवर्नेंस, डाटा जर्नलिज्म एंड एनालिटिक्स जैसे विषयों पर लघु अवधि पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। इसके अलावा संस्थान की मीडिया अध्ययन के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम खोलने की भी योजना है।

अन्य पहलें

आईआईएमसी हमेशा यह मानता है कि उसके छात्रों का संपूर्ण विकास महत्वपूर्ण है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना निश्चित रूप से प्राथमिकता है। आईआईएमसी के पास एलोपैथिक डॉक्टर्स के अलावा होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं, जो नियमित रूप से परिसर में आते हैं। छात्रों की काउंसलिंग के लिए एक क्लीनीकल साइकोलॉजिस्ट भी परिसर में आते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों और छात्रों को योग सिखाने के लिए एक योग प्रशिक्षक भी यहां हैं।

परिसरों की स्वच्छता हमेशा आईआईएमसी की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है। दिल्ली और क्षेत्रीय दोनों परिसरों को स्वच्छ व हरित रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। संस्थान ने अपने कर्मचारियों के जन्मदिवस पर पौधा रोपण का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम है 'प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाए'।

कम्यूनीकेटर और संचार माध्यम

आईआईएमसी के जर्नल अंग्रेजी में 'कम्यूनीकेटर' और हिंदी में 'संचार माध्यम' के लिए आईआईएमसी महानिदेशक के नेतृत्व में एक नया संपादकीय बोर्ड गठित किया गया है। पहली बार कम्यूनीकेटर और संचार माध्यम के संपादकीय बोर्ड में पत्रकारिता क्षेत्र के पेशेवरों को शामिल किया गया है। जर्नल प्रकाशन की अवधि बदलकर तिमाही कर दी गई है और नए अंक का प्रकाशन जल्द ही किया जाएगा।

नागरिक घोषणापत्र और शिकायत निवारण तंत्र

दिशा–निर्देशों के अनुसार एक नया नागरिक घोषणापत्र तैयार किया गया है और इसे आईआईएमसी की वेबसाइट पर डाला गया है। नागरिक घोषणापत्र के मुताबिक, शैक्षणिक वर्ष 2016–17 की प्रवेश प्रक्रिया जो सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और नई दिल्ली तथा सभी क्षेत्रीय परिसरों में एक अगस्त 2016 से पंजीकरण और इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा ओरिएंटेशन व्याख्यान के साथ शुरू हो चुके सत्र के संबंध में अपनी शिकायत और उसका निवारण हासिल कर सकता है।

भारतीय प्रेस परिषद

परिचय

भारतीय प्रेस परिषद की आज़ादी को सुरक्षित करने तथा समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को

भारतीय प्रेस परिषद द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय प्रेस दिवस' के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

कायम रखने और उनमें सुधार लाने के उद्देश्य से गठित सांविधिक अर्धन्यायिक स्वायत्त संस्था है जो संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। परिषद अधिकारियों के अलावा प्रेस के लोगों पर अर्ध–न्यायिक कामकाज करता है। इसमें चेयरमैन के अलावा 28 सदस्य होते हैं। परंपरा के अनुसार परिषद का चेयरमैन उच्चतम न्यायालय के पीठासीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। 28 सदस्यों में से 20 प्रेस के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आठ संसद के दोनों सदनों– तीन लोकसभा और दो राज्यसभा तथा प्रमुख अध्ययन और कानूनी निकायों मसलन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिल आफ इंडिया तथा साहित्य अकादमी से होते हैं। परिषद के पास अपना कामकाज चलाने के लिए कानून के तहत अपना कोष होता है। इसमें समाचार पत्रों से जुटाया गया शुल्क और अन्य प्राप्तियां तथा केंद्र सरकार से अनुदान शामिल है। वर्तमान में परिषद के चेयरमैन माननीय न्यायाधीश चंद्रमौली कुमार प्रसाद हैं। वित्त वर्ष 2016–17 के लिए परिषद का कुल स्वीकृत बजट 738 लाख रुपये है।

परिषद मुख्य रूप से अपना कामकाज उसके पास आई शिकायतों का निपटान करती है। चाहे ये शिकायतें प्रेस के खिलाफ पत्रकारिता की नैतिकता के उल्लंघन या प्रेस की ओर से आज़ादी में दख़ल से संबंधित हों। जब परिषद जांच के बाद इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि किसी समाचार पत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता के मानदंडों या जनता के हितों का उल्लंघन किया है या फिर संपादक या श्रमजीवी पत्रकार ने पेशेवर रूप से कोई गलत कार्य किया है।

परिषद उन्हें उनके दुर्व्यवहार के लिए चेतावनी दे सकती है या उनको सेंसर कर सकती है या फिर उनके व्यवहार को ख़ारिज कर सकती है। परिषद को यदि लगता है कि किसी प्राधिकरण या सरकार ने प्रेस की आज़ादी में हस्तक्षेप किया है तो उसे इस तरह के निष्कर्ष देने का अधिकार है। परिषद के निर्णय अंतिम होते हैं और उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती सिवाय संविधान की संबंधित धारा के तहत अपील कर।

परिषद के समक्ष शिकायतें

भारतीय प्रेस परिषद ने सभी पुराने लंबित मामलों को

अपने इतिहास में पहली बार निपटाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। परिषद के पास बड़ी संख्या में मामले लंबित थे। इनमें से कुछ तो कई सालों से अटके हुए थे। सुनवाई के लिए कैलेंडर को तार्किक बनाया गया और दिनों की संख्या बढ़ाई गई और साथ ही बैठकों में भी इज़ाफ़ा हुआ। हालांकि इससे परिषद और उसके सदस्यों तथा सचिवालय पर काफी दबाव पड़ा लेकिन इससे लंबित मामलों को तेज़ी से निपटाने में मदद मिली। इसके परिणामस्वरूप अब परिषद के पास सिर्फ 282 मामले लंबित हैं जिनमें से 200 मामले 1 अप्रैल, 2016 के बाद दायर किए गए हैं।

समीक्षाधीन अवधि में परिषद ने निम्न रिपोर्टों को स्वीकार और मंजूर किया :

(i) हिंदुस्तान के सिवान के ब्यूरो प्रमुख राजदेव रंजन की हत्या पर एफएफटी की रिपोर्ट।

(ii) झारखंड छत्र में हिंदी टीवी पत्रकार श्री अखिलेख प्रताप सिंह यादव की हत्या पर एफएफटी रिपोर्ट।

(iii) अश्लील विज्ञापनों पर उप समिति की रिपोर्ट।

परिषद ने निम्न मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया :

i. केंद्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद में मीडिया पर अंकुश का स्वतः संज्ञान लिया।

ii. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर में मीडिया पर रोक के मामले में स्वतः संज्ञान लिया।

iii. देसिया मुरपोकू द्रविड़ कझघम : डीएमडीके के अध्यक्ष श्री विजयकांत द्वारा पत्रकारों को धमकी मामले में स्वतः संज्ञान।

iv. हिंदुस्तान के सिवान के ब्यूरो प्रमुख राजदेव रंजन की हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच।

v. ताज़ा टीवी के पत्रकार झारखंड के अखिलेख प्रताप सिंह छत्रा की हत्या में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच।

vi. राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा स्वतः मीडिया को मणिपुर के लिए सीआरपीसी की धारा 91 के तहत दस्तावेज़—लेख पेश करने का आदेश।

vii. बिहार शरीफ़, बिहार में 'दैनिक जागरण' के पत्रकार राजेश सिंह को हत्या की धमकी मामले में स्वतः संज्ञान।

viii. दैनिक जागरण के गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के फोटो पत्रकार अभिनव रंजन पर हमले के मामले में स्वतः संज्ञान।

ix. टीवी पत्रकार और सिद्धार्थ नगर (उत्तर प्रदेश) के प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष श्री धरमवीर पर हमले में स्वतः संज्ञान।

x. मातृभूमि, कोट्टकल, मल्लापुरम, केरल में प्रिंटिंग प्रेस और कार्यालय तथा मीडिया के लोगों पर हमले के मामले में स्वतः संज्ञान।

xi. पुलिस द्वारा बोकारो में 'दैनिक भास्कर' के ब्यूरो प्रमुख श्री संतोष कुमार पर हमले के मामले में स्वतः संज्ञान।

xii. सीआरपीएफ के जवानों द्वारा पत्रकारों पर हमले के मामले में स्वतः संज्ञान।

xiii. जूनागढ़ (गुजरात) में पत्रकार किशोर दबे की हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान।

xiv. टाटा समूह की कंपनियों के गार्डों द्वारा फोटो पत्रकार पर हमले के मामले में स्वतः संज्ञान।

प्रेस एवं पंजीकरण अपीलीय बोर्ड

प्रेस एवं पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 8सी भारतीय प्रेस परिषद को धारा 6 के तहत घोषणा पुष्ट नहीं होने या फिर संबंधित कानून की धारा 8बी के तहत इसके रद्दीकरण में मजिस्ट्रेट के आदेश पर अपीलीय अधिकार क्षेत्र उपलब्ध कराती है। इसके बोर्ड में चेरयमैन के अलावा एक अन्य सदस्य होता है, जिसे भारतीय प्रेस परिषद मनोनीत करती है। इस समीक्षाधीन अवधि में इसने 17 मामलों की सुनवाई की है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2016

राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस साल के लिए इसका विषय 'संघर्ष वाले क्षेत्रों से रिपोर्टिंग, मीडिया की चुनौती' रखा गया। भारतीय प्रेस परिषद के स्वर्णजयंती समारोह का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर सूचना एवं

'राष्ट्रीय प्रेस दिवस' के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर पुरस्कार प्रदान करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु

प्रसारण मंत्री श्री वेंकैया नायडु तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। देशभर और वरिष्ठ पत्रकारों की ओर मिले लेखों के आधार पर विभिन्न वर्गों में पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्टता पुरस्कारों का भी इसी दिन वितरण किया गया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारिका भी जारी की।

अंतरराष्ट्रीय सहभागिता

भारतीय प्रेस परिषद के चेयरमैन न्यायाधीश चंद्रमौली कुमार प्रसाद की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल 26 से 29 सितंबर, 2016 के दौरान बांग्लादेश प्रेस परिषद के आमंत्रण पर बांग्लादेश यात्रा पर गया। इस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद और सूचना मंत्री मोहम्मद हसनुल हक इनु एमपी से मुलाकात की और दोनों देशों में मीडिया के परिदृश्य पर विचार–विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने शांति के लिए पत्रकारिता को प्रोत्साहन के लिए गतिविधियों में द्विपक्षीय सहयोग पर विचार–विमर्श किया। साथ ही दोनों पक्षों ने पत्रकारिता के आदान–प्रदान पर भी चर्चा की और संयुक्त वक्तव्य पर दस्तखत किए। इसके अलावा बांग्लादेश प्रेस परिषद तथा भारतीय प्रेस परिषद ने 17 नवंबर, 2016 को पत्रकारिता के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू पर दस्तख़त किए। दोनों प्रेस परिषदों ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए एक–दूसरे के यहां वीजा के बिना पेशेवर यात्रा की अनुमति का प्रयास करने का आह्वान किया। इसी तरह नेपाल के साथ एमओयू का 17 नवंबर, 2016 को नवीकरण किया गया। मालदीव और श्रीलंका के साथ करार पर दस्तखत प्रक्रिया में है।

बांग्लादेश प्रेस परिषद, श्रीलंका प्रेस परिषद, नेपाल प्रेस परिषद और मालदीव प्रेस परिषद का प्रतिनिधि मंडल 15 से 18 नवंबर, 2016 के दौरान भारत यात्रा पर आया।

न्यायामूर्ति मोहम्मद मुमताज़ उद्दीन अहमद, श्री कोगाला वेलाला बांदुला, श्री बोर्ना बहादुर कर्की ने अपने–अपने प्रतिनिधि मंडलों के साथ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने 17 नवंबर, 2016 को चेयरमैन न्यायमूर्ति सी.के. प्रसाद और भारतीय प्रेस परिषद के सदस्यों के साथ परिचर्चा में हिस्सा लिया। प्रतिनिधि मंडलों ने संविधान के मसौदे, नियम एवं नियमनों और स्वतंत्र प्रेस परिषदों के दक्षिण–एशियाई गठजोड़ के समझौते पर भी चर्चा की। यह परिचर्चा आपसी हित की रही और भविष्य की परिचर्चाओं में इसे आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई।

प्रेस परिषदों का दक्षिण–एशियाई गठजोड़ (एसएएपीसी): दक्षिण–एशियाई राष्ट्रों के संगठन के गठन के प्रयास किए जा रहे हैं। संबंधित देशों द्वारा इसके लिए संविधान के मसौदे पर विचार किया जा रहा है।

पारदर्शिता तंत्र

(i) भारतीय प्रेस परिषद के चेयरमैन अपने कार्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी होते हैं। परिषद के सर्तकता ढांचे की निगरानी अवर सचिव (प्रशासन) द्वारा की जाती है, ओपीसी सचिव (सीवीओ) और परिषद के चेयरमैन के तहत काम करता है। यह सचिवालय में भ्रष्टाचार के व्यवहार को रोकने के लिए नियमित और औचक निरीक्षण करता है।

(ii) आंतरिक और बाहरी स्तर पर शिकायत निपटान व्यवस्था भी है जिसमें पीसीआई का शिकायत निदेशक, निदेशक होता है। यदि जनता में कोई परेशान व्यक्ति शिकायत निदेशक से अपनी शिकायत के संदर्भ में मिलना चाहता है तो वह प्रत्येक बुधवार को शाम 4 से 5 बजे उनके कार्यालय में मिल सकता है। कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों को कर्मचारी शिकायत अधिकारी देखते हैं, जो उप सचिव होते हैं।

(iii) परिषद के सिटिजन चार्टर का अद्यतन किया जाता है।

(iv) सूचना के अधिकार (आरटीआई), अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अप्रैल 2016 से अक्तूबर 2016 के दौरान 25 आवेदनों का निपटान किया गया।

(v) भारत सरकार की एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच आदि के लिए परिषद सचिवालय में क्रियान्वियन किया गया।

राजभाषा का प्रचार

परिषद अपने आधिकारिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग पर विशेष ध्यान देती है। परिषद के ज्यादतर कर्मचारी आधिकारिक भाषा नियम, 1976 (संशोधित, 1987 की धारा 10 (4) के तहत अधिसूचित हैं और उन्हें हिंदी में कामकाज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आधिकारिक भाषा के क्रियान्वयन के लिए परिषद की नियमित बैठकें होती हैं। सभी समीक्षाधीन अवधि में हिंदी विभाग ने अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए तिमाही आधार पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया। साथ ही राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही आधार पर दो बैठकें आयोजित की गई। हिंदी शिक्षण योजना के तहत परिषद सचिवालय के अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा जाता है। हिंदी पर ज़ोर देने के लिए 14 सितंबर, 2016 से 28 सितंबर, 2016 तक परिषद सचिवालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया।

हिंदी दिवस का मुख्य कार्यक्रम 19 सितंबर, 2016 को आयोजित किया गया। इस मौके पर सचिवालय में वृत्तचित्र 'कवि प्रदीप' दिखाया गया। कार्यक्रम में परिषद के चेयरमैन न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने अपना संदेश दिया और परिषद में हिंदी को प्रोत्साहन पर अपने विचार रखे। समारोह के दौरान परिषद के कर्मचारियों को हिंदी प्रोत्साहन योजना के तहत कार्यालय में हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और उनके मूल्यवान योगदान के लिए नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र दिए गए। हिंदी नोटिंग, ड्राफटिंग और टाइपिंग के ज़रिये परिषद में हिंदी को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 2015–16 में हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने वाले संबंधित कर्मचारियों को भी प्रमाणपत्र दिए गए।

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी आकाशवाणी के मैत्री चैनल के उद्घाटन पर संबोधित करते हुए

5 प्रसारण क्षेत्र की गतिविधियां

भारत में प्रसारण क्षेत्र का अवलोकन

(i) खाड़ी युद्ध और देसी मीडिया कंपनियों के विकास जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से प्रेरित होकर भारत में केबल और सैटेलाइट टेलीविजन का बाजार 90 के दशक के शुरुआती सालों में तेजी से उभरा। इस उद्योग में तेजी से प्रगति हुई है। 1992 में इसके कुल सब्सक्राइबर की संख्या जहां 0.41 मिलियन थी, वहीं 2015 के अंत तक यह बढ़कर अब 175 मिलियन हो चुकी है। आज भारत में एक बड़ा प्रसारण और वितरण विभाग है, इसके अंतर्गत 892 टेलीविजन चैनल (30.11.2016 तक), 229 स्थायी और 830 प्रोविजनल मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) आते हैं, जो सूचना व प्रसारण मंत्रालय के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें सात डीटीएच और सैटेलाइट टीवी ऑपरेटर्स भी हैं और दो एचआईटीएस ऑपरेटर्स भी और कई आईपीटीवी सेवा प्रदाता भी।

(ii) टेलीविजन उद्योग की मूल्य श्रृंखला में सामग्री निर्माण, प्रसारण और वितरण विभाग शामिल हैं। हालांकि सामग्री निर्माण उद्योग अभी अनियमित है, प्रसारण और वितरण विभाग को सूचना व प्रसारण मंत्रालय और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विनियमित किया गया है। निर्धारित नीति के अनुसार, जबकि विदेश से अपलिंक चैनलों की एक बड़ी संख्या के सैटेलाइट संकेत भारत में उपलब्ध हो सकते हैं, सिर्फ उन्हीं चैनलों को एमआईबी द्वारा प्रसारण और वितरण की मंजूरी दी गई है, जो अपलिंकिंग नीति और दिशा निर्देशों/डाउनलिंकिंग नीति निर्देशों के अंतर्गत आते हैं। प्रसारणकर्ता द्वारा लिए गए राजस्व ढांचे पर निर्भर रहते हुए, एक टीवी चैनल या तो पे चैनल बन सकता है या फ्री टू एयर (एफटीए) चैनल। पे चैनल का राजस्व ढांचा सब्सक्रीप्शन के जरिये टीवी चैनलों के वितरकों से आने वाले राजस्व से आय प्राप्त करता है। इसमें आय का एक स्रोत उनके चैनलों पर आने वाले विज्ञापनों से भी मिलता है, जबकि एफटीए की आय सिर्फ विज्ञापनों से प्राप्त होने वाले राजस्व पर निर्भर करती है। वितरकों को सालाना सब्सक्रिप्शन मूल्य के भुगतान के साथ अपने नेटवर्क में सामग्री के वितरण के लिए टीवी प्रसारणकर्ताओं के साथ अनुबंध करने होते हैं। भारत में चार प्रकार के वितरण प्लेटफॉर्म्स को मंजूरी दी गई है। ये हैं केबल टेलीविजन सेवा, डायरेक्ट टू होम सेवा, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विसेज और स्काई सर्विसेज। भारत में लगभग 892 सैटेलाइट निजी टेलीविजन चैनलों को मंजूरी मिली हुई है।

(iii) भारत में केबल टीवी सेवा को केबल टेलीविजन नेटवर्क्स एक्ट 1995 के तहत विनियमित किया गया है। प्रसारण सेवाओं के नियामक ट्राई द्वारा जारी किए गए आदेशों और निर्देशों के अनुसार इसके नियम तैयार किए गए हैं। हालांकि केबल एक्ट केबल ऑपरेटरों के डाक अधिकारियों के साथ पंजीकरण को जरूरी बताता है, फिर भी उनकी वास्तविक संख्या को लेकर कोई भी आधिकारिक आंकड़े मौजूद नहीं हैं। केबल टीवी सेवाओं की मूल्य श्रृंखला में चार मुख्य आपूर्ति पक्ष संस्थाएं हैं– प्रसारणकर्ता, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ), लोकल केबल ऑपरेटर (एलसीओ), और उपभोक्ता। प्रसारणकर्ता प्रसारण किए जाने वाली और दर्शकों को दिखाई जाने वाली सामग्री का स्वामी होता है। आपूर्ति श्रृंखला में प्रसारणकर्ता की भूमिका में सामग्री की अपलिंकिंग या प्रसारण सिग्नल को सैटेलाइट तक पहुंचाना शामिल होता है। एमएसओ का रोल प्रसारणकर्ता के सिग्नल को सैटेलाइट से डाउनलिंक करना, किसी एनक्रिप्टिड चैनल को डिक्रिप्ट करना और एलसीओ को कई सारे चैनलों की एक फीड उपलब्ध कराना होता है। भारतीय बाजार में इस समय लगभग 6000 एमएसओ मौजूद हैं, इनमें से 1059 सूचना व प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत हैं। एमएसओ का कार्य

सामग्री के लिए प्रसारणकर्ताओं पर निर्भर करता है और कनेक्टीविटी व सबस्क्रीप्शन आय के लिए एलसीओ पर निर्भर करता है। एमएसओ की जरूरत होती है टीवी चैनलों की डाउनलिंकिंग के लिए। आपूर्ति श्रृंखला में एलसीओ की भूमिका एमएसओ से फीड प्राप्त करने और इसे अपने क्षेत्र में केबल के जरिये सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में होती है। औद्योगिक आंकड़ों के अनुसार देश में 60,000 से ज्यादा स्थानीय केबल ऑपरेटर हैं। एमएसओ सीधे भी उपभोक्ताओं को सिग्नल दे सकता है।

(iv) डीटीएच देश में डीटीएच सेवाओं को 15 मार्च, 2001 को भारत सरकार द्वारा जारी डीटीएच सेवाओं से संबंधित नीतिगत दिशा–निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई थी। प्रथम डीटीएच सेवा प्रदाता ने अपनी सेवाओं का संचालन 2 अक्तूबर, 2003 को शुरू कर दिया था। उस समय से अब तक निजी डीटीएच सेवा प्रदाताओं की संख्या छह तक पहुंच गई है। इसके अलावा दूरदर्शन भी फ्री–टू–एयर धारित डीटीएच सेवा प्रदान करता है। डीटीएच सेवा प्रदाता प्रसारकों द्वारा अपलिंक किए गए सैटेलाइट टीवी चैनलों को डाउनलिंक करने के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना करता है, उन चैनलों को यथा आवश्यकता डिक्रिप्ट करता है, सिग्नलों को एकत्र करके उन्हें पुनः इनक्रिप्ट करता है और अपने अर्थ स्टेशन के माध्यम से सैटेलाइट को भेजता है और उसे अधिकृत उपभोक्ता तक पहुंचाता है। क्योंकि सैटेलाइट फुटप्रिंट्स पैन इंडिया आधार पर उपलब्ध हैं, डीटीएच सेवाएं सुदूर क्षेत्रों में समाचार और मनोरंजन चैनलों के वितरण के लिए एक अहम जरिया हैं। डीटीएच के माध्यम से कंटेंट का प्रेषण डिजीटल तरीके से होता है इसलिए डीटीएच सेवाओं में अच्छी गुणवत्ता वाली पिक्चर मिलती है। इस माध्यम से अनेक प्रकार की मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। डीटीएच सेवा सीमित उपग्रह ट्रांस्पोंडर क्षमता, वर्षा या खराब मौसम के कारण प्रभावित होती है।

(v) भारत में इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवाएं सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 सितंबर, 2008 को जारी आईपीटीवी सेवा के लिए दिशा–निर्देशों के अनुसार विनियमित की जाती हैं। इन दिशा–निर्देशों में इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए केबल आपरेटरों के साथ–साथ योग्य टेलीकॉम या इंटरनेट प्रावधान किए गए हैं। आईपीटीवी सेवाएं डिजीटल कंटेंट और संवादात्मक सेवाएं प्रदान करती हैं इसलिए आईपीटीवी सेवाओं का विकास ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी की पहुंच और विकास से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है।

भारत में सैटेलाइट टीवी चैनलों की स्थिति

I. नीति

वर्ष 2000 में पहले निजी सैटेलाइट टीवी चैनल को भारत की धरती से अपलिंक करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। इससे पहले निजी टीवी चैनलों को केवल विदेश से ही अपलिंकिंग करने की अनुमति थी। भारत में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के कई गुणा विकास और देश से ही टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग करने की बढ़ती मांग को देखते हुए 2002 में अपलिंकिंग और 2005 में डाउनलिंकिंग के लिए नीति और दिशा–निर्देश तय किये गये हैं। इन दिशा–निर्देशों को दिसंबर 2011 में संशोधित किया गया। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं:

क. अपलिंकिंग दिशा–निर्देशों के तहत समाचार एवं सम–सामायिकी टीवी चैनल को अपलिंक करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्रता मापदंड :

- आवेदक कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए।
- आवेदक कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा पेड–अप इक्विटी का 26 प्रतिशत से अधिक न हो (अब इसे एफडीआई नीति 2016 में 49 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है)
- शेयर होल्डरों में सबसे बड़े भारतीय शेयर होल्डर के पास कंपनी की कुल इक्विटी का 51 प्रतिशत होना चाहिए।
- पहले चैनल की कंपनी का सकल मूल्य (नेट वर्थ) 20 करोड़ रुपये और उसके बाद के प्रत्येक अतिरिक्त चैनल के लिए 5 करोड़ रुपए होना चाहिए।
- कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशक तथा सभी

कार्यकारी अधिकारियों और संपादकीय मंडल के कम–से–कम तीन चौथाई लोग भारतीय नागरिक होने चाहिए।

- कंपनी के निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व जहां तक संभव हो शेयर होल्डिंग के समानुपाती हो।
- टीवी चैनलों को अपलिंक करने के लिए वार्षिक शुल्क 2 लाख रुपये प्रति चैनल होगा।
- आवेदक कंपनियां आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्दिष्ट प्रपत्र संख्या–एक के साथ 10,000 हजार रुपये का प्रक्रिया शुल्क लगाकर आवेदन कर सकती हैं।

ख. अपलिंकिंग निर्देशों के अनुसार भारत से गैर–समाचार तथा सम–सामयिकी टीवी चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्रता मापदंड–

- आवेदक की कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत होनी चाहिए। कंपनी का मालिकाना हक, इक्विटी ढांचा या प्रबंधन व्यवस्था चाहे किसी का भी हो, इसका उद्देश्य भारतीय दर्शक होने चाहिए।
- पहले चैनल के लिए कंपनी की सकल मूल्य (नेट वर्थ) 5 करोड़ रुपये और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त चैनल के लिए 2.50 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
- टीवी चैनलों को अपलिंक करने के लिए वार्षिक शुल्क 2 लाख रुपये प्रति चैनल होगा।
- आवेदक कंपनियां आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्दिष्ट प्रपत्र संख्या–1 में 10 हजार रुपये प्रक्रिया शुल्क के साथ आवेदन कर सकती हैं।

ग. अपलिंकिंग निर्देशों के अनुसार टेलीपोर्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्रता मापदंड–

- आवेदक की कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत होनी चाहिए।
- एनआरआई/ओसीबी/पीआईओ सहित विदेशी इक्विटी होल्डिंग 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। (अब इसे सौ प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है एफडीआई नीति 2016 के मुताबिक)
- नेटवर्थ की आवश्यकता : चैनल की क्षमता चाहे कुछ भी हो, टेलीपोर्ट की स्थापना के लिए नेटवर्थ यानी सकल मूल्य का नियम समान होना चाहिए। यह राशि पहले टेलीपोर्ट की स्थापना के लिए 3 करोड़ और प्रत्येक अतिरिक्त टेलीपोर्ट के लिए एक करोड़ रुपये होगी।
- टेलीपोर्ट की स्थापना की अनुमति के लिए वार्षिक शुल्क 2 लाख रुपये प्रति टेलीपोर्ट होगा।
- आवेदक कंपनियां आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्दिष्ट प्रपत्र संख्या–1 और 10 हजार रुपये के प्रक्रिया शुल्क के साथ आवेदन कर सकती हैं।
- टेलीपोर्ट की अनुमति 10 वर्ष के लिए होगी और उसके बाद नवीनीकरण भी 10 वर्ष के लिए किया जाएगा।

घ. डाउनलिंक निर्देशों के अनुसार भारत से गैर–समाचार तथा सम–सामयिकी टीवी चैनलों को डाउनलिंक करने की अनुमति/पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पात्रता मापदंड–

- आवेदक की कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत होनी चाहिए। कंपनी का मालिकाना हक, इक्विटी ढांचा या प्रबंधन व्यवस्था भले ही किसी का भी हो।
- पहले चैनल के लिए कंपनी की सकल मूल्य (नेट वर्थ) 5 करोड़ रुपये और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त चैनल के लिए 2.50 करोड़ रुपये होने चाहिए।
- आवेदक चाहे किसी भी चैनल का मालिक हो, उसका डाउनलिंक होने वाला चैनल भारतीय सीमा क्षेत्र के नागरिकों के लिए होना चाहिए। उसके मार्केटिंग/वितरण के अधिकार भी भारतीय सीमा क्षेत्र के लिए होने चाहिए। उसके विज्ञापन एवं सब्सक्रिप्शन राजस्व भी भारत के लिए हो, आवेदक को आवेदन के समय समुचित प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए।
- डाउनलिंक किए जाने वाले चैनलों के पास देश के प्रसारण नियामक अथवा लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा

प्रसारण करने का लाइसेंस होने चाहिए। इसे भी आवेदन के समय जमा कराना होगा।

- भारत से अपलिंक हो रहे चैनल की डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति शुल्क 5 लाख रु. प्रतिवर्ष प्रति चैनल होगा।
- विदेश से अपलिंक हो रहे चैनल को डाउनलिंक करने के लिए अनुमति शुल्क 15 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रति चैनल होगा।
- आवेदक कंपनी निर्धारित आवेदन पत्र में सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवेदन कर सकती है। इसकी प्रोसेसिंग फीस 10 हजार रुपये है।
- डाउनलिंकिंग निर्देशों के अनुसार भारत से समाचार तथा सम–सामयिक टीवी चैनल को डाउनलिंक करने की अनुमति/पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पात्रता मापदंड–
- आवेदक कंपनी भारतीय कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो। भले ही इसका इक्विटी–ढांचा, विदेशी मालिकाना या प्रबंधन नियंत्रण कैसा ही क्यों न हो।
- पहले चैनल के लिए सकल मूल्य 5.00 करोड़ रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त चैनल के लिए 2.50 करोड़ रुपये।
- आवेदक कंपनी का या तो अपना चैनल हो, जिसे वह दर्शकों को दिखाने के लिए डाउनलिंक करना चाहती हो या उसके पास भारतीय क्षेत्र में विशिष्ट विपणन/वितरण का अधिकार हो, जिसमें चैनल पर विज्ञापन तथा चंदे से होने वाले राजस्व का अधिकार भी शामिल है। इसके साथ ही उसे आवेदन करते समय इस संबंध में पर्याप्त प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा।

समाचार और सम–सामयिक विषयों पर चैनल की अनुमति के लिए अतिरिक्त शर्तें–

- इसमें भारतीय दर्शकों के मद्देनजर कोई भी विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जाएगा।
- वह विशेष रूप से भारतीय दर्शकों के लिए डिजाइन नहीं किया गया हो।
- वह चैनल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो।
- देश में प्रसारण अपलिंकिंग हेतु अनुमति प्रसारण अधिनियम के तहत दिया जाएगा।
- भारत में टीवी चैनल के अपलिंक अनुमति के लिए 5 लाख रुपये प्रति वर्ष प्रति चैनल फीस तय है।
- विदेशों में टीवी चैनल के अपलिंक अनुमति के लिए 15 लाख रुपये प्रति वर्ष प्रति चैनल फीस तय है।

संशोधन के दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त विशेषताएं:

- सभी टीवी चैनलों को अनुमति की तिथि से एक साल की अवधि के भीतर अपने चैनलों को चालू करना होगा। गैर–समाचार एवं सम–सामयिकी चैनलों को एक करोड़ रुपये की निष्पादन बैंक गारंटी पर हस्ताक्षर करने होंगे वहीं समाचार एवं सम–सामयिकी चैनलों को दो करोड़ रुपये की निष्पादन बैंक गारंटी जमा करनी होगी। यदि चैनल एक वर्ष के भीतर चालू नहीं हुए तो प्रदर्शन बैंक गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा और अनुमति रद्द कर दी जाएगी।
- चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग की अनुमति समान रूप से 10 वर्ष के लिए होगी।
- विलय, विघटन और एकीकरण के प्रस्ताव को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रति प्रक्रिया के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद अनुमति दी जाएगी।
- टीवी चैनल की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग की अनुमति 10 वर्ष की अवधि के लिए होगी। टीवी चैनलों के नवीनीकरण की अवधि 10 वर्ष की होगी लेकिन साथ ही यह शर्त होगी कि उसने किसी कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का पांच बार या उससे अधिक उल्लंघन नहीं किया हो। उल्लंघन का फैसला स्व–नियमन के तहत स्थापित मानदंडों के अनुसार विचार–विमर्श के बाद तय किया जाएगा।
- विदेशों और वहां के दर्शकों के लिए भारत से अपलिंक तथा संचालित चैनलों को लक्षित देश के नियम और दिशा–निर्देशों का पालन करना होगा।

II. नए उपग्रह टीवी चैनलों के लिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया :

अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग नीति–निर्देशों में दिए गए

पात्रता मापदंड के प्रकाश में नए टीवी चैनलों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा। कंपनी तथा उसके निदेशक मंडल के मामले में सुरक्षा अनुमति प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। आवेदनों को साथ ही साथ अंतरिक्ष विभाग/राजस्व विभाग को आवश्यक स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अन्य पात्रता मानदंडों के साथ–साथ कंपनी की नेट वर्थ की भी जांच की जाएगी। अंतर–मंत्रालयी अनुमति मिलने के बाद आवेदकों से पंजीकरण और अनुमति शुल्क लेने के बाद अनुमति पत्र जारी किये जाएंगे।

क. टीवी चैनलों का विकास :

- वर्ष 2000 में पहले निजी उपग्रह टीवी चैनल 'आज तक' को अनुमति दी गई। तबसे देश में बड़ी संख्या में निजी उपग्रह टीवी चैनलों का विस्तार हो रहा है। 31 दिसंबर, 2016 तक मंत्रालय 899 चैनलों को अनुमति दे चुका है। अपलिंकिंग तथा डाउनलिंकिंग निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त टीवी चैनलों की संख्या में वृद्धि का वर्षवार ब्योरा नीचे दिया गया है :

मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त चैनलों की संख्या

- मंत्रालय द्वारा सिर्फ दो प्रकार के टीवी चैनलों का प्रसारण करने की अनुमति दी गई है– न्यूज और करंट अफेयर्स टीवी चैनल और नॉन न्यूज और करंट अफेयर्स टीवी चैनल। पूरी मंजूरी में समाचार और गैर–समाचार चैनलों के हिस्से का ब्योरा नीचे देखा जा सकता है–

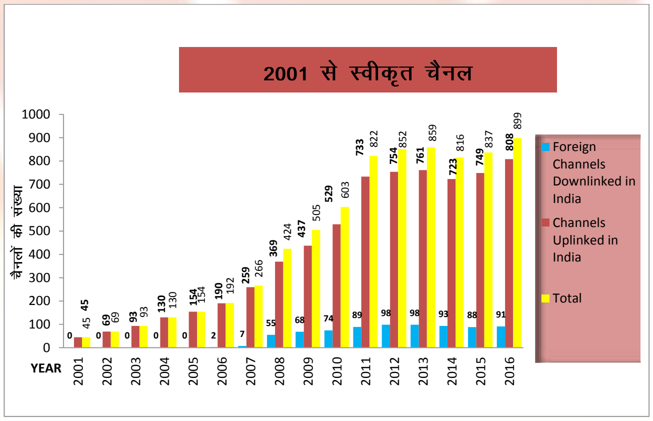

श्रेणीवार अनुमति प्राप्त चैनल

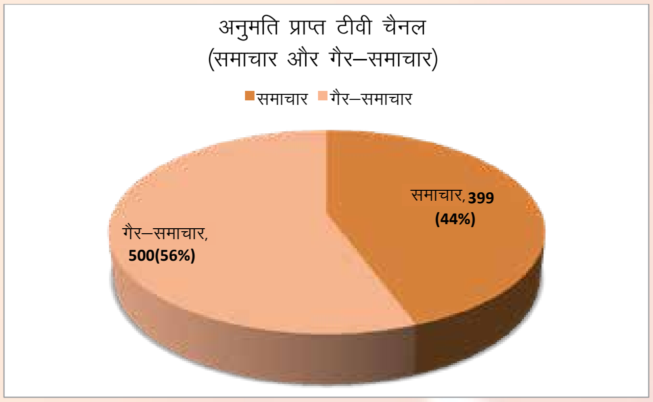

ख. टेलीपोर्ट्स का विकास

मंत्रालय द्वारा मंजूरी दिए गए टेलीपोर्ट्स की संख्या

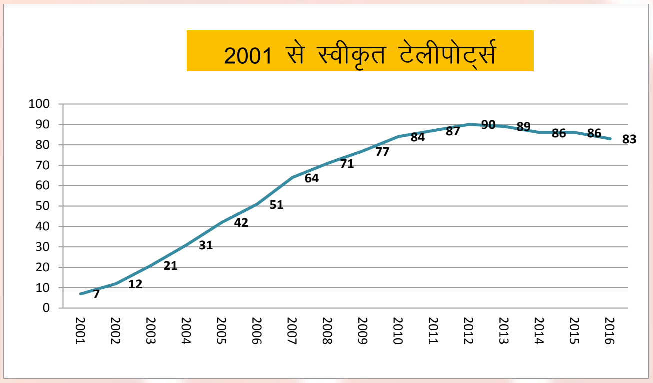

III. नई पहल

क. शीर्ष प्रबंधन पद :

5 दिसंबर 2011 के अपलिंकिंग दिशा निर्देशों के परिच्छेद 2.1.4 और 3.1.15 और 5 दिसंबर, 2011 के डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों के परिच्छेद 1.10 के अंतर्गत उच्च प्रबंधन स्तर पर नियुक्तियों के संबंध में प्रतिबंध लगाए गए। इनके अनुसार समाचार या गैर समाचार और सम–सामयिक मुद्दों से जुड़े टीवी चैनलों संबंधी किसी भी मीडिया कंपनी में न्यूनतम तीन साल का अनुभव जरूरी है।

ख. वार्षिक नवीनीकरण :

जिन प्रसारणकर्ताओं के पास अपलिंकिंग या डाउनलिंकिंग की कानूनी मंजूरी है, उन्हें मंत्रालय से नवीनीकरण मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। तय देय तारीख से 60 दिन पहले वार्षिक मंजूरी राशि का भुगतान ही एक साल की अवधि के लिए बिना किसी रुकावट के चैनल को चलाने

के लिए काफी होगा। सभी टीवी चैनलों और टेलीपोर्ट्स को इस फैसले से लाभ होगा, इसमें 10 साल की मंजूरी की वैधता उपलब्ध है।

IV. पारदर्शिता और जवाबदेही लाना

ओपन हाउस बैठक

हर महीने की 20 तारीख को प्रसारकों के साथ की गईं ओपन हाउस बैठकें काफी लाभदायक साबित हुईं। इन बैठकों में भाग लेने वाले प्रसारकों की संख्या पिछले एक साल में बढ़ी है। इन बैठकों से मिलने वाली प्रतिक्रिया से मंत्रालय को नए कदम उठाने और ज्यादा पारदर्शिता व मंजूरी में तेजी लाने में मदद मिली है। इन बैठकों में प्रसारणकर्ताओं के साथ नए और मंजूरी प्राप्त टीवी चैनलों, टेलीपोर्ट्स, एसएनजी/डीएसएनजी वैन, अस्थायी अपलिंकिंग मामले, सैटेलाइट का बदलाव, नाम और लोगो में बदलाव, शेयर प्राप्त करने के प्रारूप, नये निदेशकों का परिचय, एफआईपीबी मंजूरी इत्यादि जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है।

इन बैठकों के जरिये न सिर्फ आवेदकों को मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत का अवसर मिला है, बल्कि इससे आवेदकों को सीधे सूचना के प्रवाह में भी मदद मिली है। इससे किसी मध्यस्थ की जरूरत खत्म हुई है।

सीधी बातचीत से प्रणाली में विश्वास का निर्माण हुआ है और अनावश्यक पत्राचार और फोन कॉल पर निर्भरता कम हो गई है।

त्वरित मंजूरी के लिए कदम

मंत्रालय में मंजूरियों में तेजी लाने के लिए इनसेट विभाग की तरफ से दस दिन के अंतर्गत एमएचए, डॉस और सीए को प्रस्ताव एक साथ भेजे गए हैं। इस स्तर पर मंजूरियों के लिए इंतजार खत्म होने से देरी महत्वपूर्ण रूप से कम हुई है।

(i) प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/एफडीआई नीति की समीक्षा

एफडीआई नीति की समीक्षा की गई और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रेस नोट संख्या 12 (2016 सीरीज) और औद्योगिक नीति एवं प्रसार के अनुच्छेद 5.2.7.1 और अनुच्छेद 5.2.7.2 के अनुसार प्रसारण क्षेत्र के लिए और वह इस तरह है–

विभाग/गतिविधि	विदेशी निवेश की सीमा	प्रवेश मार्ग
5.2.7.1.1 (1) टेलीपोर्ट्स (अपलिंकिंग हब/टेलीपोर्ट्स की स्थापना) (2) डायरेक्ट टू होम (डीटीएच); (3) केबल नेटवर्क (मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) राष्ट्रीय या राज्य या जिला स्तर पर और डिजिटलीकरण और पता योग्यता की दिशा में नेटवर्क के उन्नयन के उपक्रम में सक्रिय हैं) (4) मोबाइल टीवीय (5) हेडेंड में स्काई ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (एचआईटीएस)	100 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वतः 49 प्रतिशत से ज्यादा पर
5.2.7.1.2 केबल नेटवर्क (अन्य एमएसओ, जो डिजिटलीकरण के लिए नेटवर्क के उन्नयन का उपक्रम नहीं ले रहे और स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ)	100 प्रतिशत	स्वतः 49 प्रतिशत से ज्यादा पर सरकारी जरिये से
5.2.7.2.1 स्थलीय प्रसारण एफएम (एफएम रेडियो) एफएम रेडियो स्टेशन की स्थापना हेतु मंजूरी देने के लिए सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले नियम व शर्तें।	49 प्रतिशत	सरकारी
5.2.7.2.2 समाचार एवं करंट अफेयर्स टीवी चैनलों की अपलिंकिंग	49 प्रतिशत	सरकारी
5.2.7.2.3 गैर समाचार एवं करंट अफेयर्स टीवी चैनलों की अपलिंकिंग टीवी चैनलों की डाउन लिंकिंग	100 प्रतिशत	स्वतः

(ii) मानक फार्म और आवेदन पत्र

ऐसा देखा गया है कि आवेदक एसएनजी/डीएसएनजी वाहनों को खरीदने या किराये पर लेने के लिए आवेदन करता है तो वह जरूरी सूचना और कागजात देने में नाकामयाब रहता है। एसएनजी/डीएसएनजी वाहनों को खरीदने या किराये पर लेने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए मंत्रालय ने एक समग्र आवेदनपत्र का प्रारूप तैयार कर मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया है। इसमें आवेदन पत्र भरने के लिए विस्तार से दिशा–निर्देश शामिल किया है। गलतियों को दूर करने के लिए एक मास्टर चेक लिस्ट और प्रोसेसिंग टेम्पलेट भी उपलब्ध कराई गई है। नाम, लोगो, टेलीपोर्ट, उपग्रह बदलने और भाषा जोड़ने के मामलों में लंबे–लंबे नोट न केवल विभाग के कर्मचारियों को शीघ्र काम करने में बाधा बनते थे बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों को फैक्ट शीट एक नजर में देखकर निर्णय लेने में दिक्कत होती थी। त्वरित निर्णय लेने में एक नयी टेम्पलेट का डिजाइन तैयार किया गया है। यह न केवल प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने में मददगार होगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई महत्वपूर्ण मानदंड छूट तो नहीं गया है। फाइल को मंजूरी के लिए भेजने से पहले एक चेक लिस्ट भी पूरी की जाएगी।

हैदराबाद में आयोजित पहले एशिया–प्रशांत प्रसारण संघ नृत्य समारोह में माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु

(iii) सैटेलाइट टीवी एप्लीकेशन ट्रेकिंग सिस्टम (एसटीएटीएस)

कंपनियों के लंबित मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए सैटेलाइट टीवी एप्लीकेशन ट्रेकिंग सिस्टम (एसटीएटीएस) सॉफ्टवेयर 21 जनवरी, 2010 से चालू कर दिया गया है। इस खास सॉफ्टवेयर को एनआईसी ने विकसित किया है। इस सॉफ्टवेयर से आवेदक को निजी उपग्रह टीवी चैनल के आवेदन पत्र की स्थिति का पता लग जाता है। इस सॉफ्टवेयर पर नियमित रूप से डाटा अपलोड किए जाते हैं ताकि आवेदक को अपने आवेदन की ताजा स्थिति की जानकारी मिलती रहे।

V. टीवी, इनसेट विभाग के लिए समग्र ऑनलाइन पोर्टल का विकास

वर्ष 2011 की गाइडलाइन के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को देश में टीवी चैनलों को अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की अनुमति देने का अधिकार है। मंत्रालय ने आवेदकों के लिए जरूरी अनुमति लेने के लिए एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध करायी है। इस प्रक्रिया में कागजी कार्रवाई ज्यादा होती है, कागज भी ज्यादा लगता है और मंत्रालय के ज्यादा कर्मचारी भी जुटे रहते हैं। इस कारण अक्सर जरूरी लाइसेंस जारी करने में विलंब हो जाता है और जमा किए गए कागजात खोने की आशंका रहती है।

चैनलों के सामग्री की निरंतर और योजनाबद्ध निगरानी में दिक्कतें आती हैं। संबंधित एजेंसियों, विभागीय कर्मचारियों और वेंडरों के लिए आवेदन की ऑनलाइन स्थिति जानने के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किये जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद सभी हितधारकों के आवेदन करने, निगरानी प्रबंधन और जरूरी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा। इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत एक समग्र ऑनलाइन समाधान ढूंढने की कोशिश है, जिसके माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति देने/पंजीकरण/लाइसेंस देने का कार्य हो सके। इसे पूरा करने का कार्य बेसिल को सौंपा गया है और इसका निर्माण अंतिम स्तर पर है। यह पोर्टल शुरू होने के बाद प्रस्तावों का शीघ्र निपटान होगा और व्यवस्था में पारदर्शिता आयेगी।

टीवी चैनलों की सामग्री का नियमन

टेलीविजन पर प्रसारित सामग्री का विनियमन काफी चर्चा का विषय रहा है। उपग्रह चैनलों की सामग्री का नकारात्मक प्रभाव भारतीय नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों पर रहा है खासकर महिलाओं और बच्चों, जो कि सबसे ज्यादा जोखिम में हैं, को लेकर हो रही चिंता का समाधान संविधान में प्रदत्त बोलने और रचनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए टीवी चैनलों की सामग्री को अनुकूल बनाना है। भारत में टेलीविजन उद्योग प्रतिवर्ष 13 प्रतिशत की दर से विकास कर रहा है। ऐसे में विभिन्न टीवी चैनलों के बीच प्रतियोगिता दिन–प्रतिदिन कड़ी होती जा रही है। मंत्रालय ने पहले ही 892 निजी उपग्रह टीवी चैनलों को अनुमति दे दी है जिनमें से 492 गैर समाचार तथा सम–सामयिक चैनल तथा 400 समाचार एवं सम–सामयिकी चैनल हैं (30.11.2016 के आँकड़ों के अनुसार)। पिछले कुछ वर्षों से क्षेत्रीय भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी के चैनलों के बीच प्रतियोगिता और भी कड़ी हो गयी है जबकि बाजार स्थिर बिंदु पर पहुंच चुका है। डीटीएच सेवाओं में तेजी से विकास होने के बावजूद आज भी चैनलों का वितरण केबल आपरेटरों द्वारा किया जा रहा है जो एनालॉग तकनीक का प्रयोग करते हैं और जिनकी वहन क्षमता सीमित है। डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि केबल टीवी नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 तथा इसके अंतर्गत नियमों के तहत प्रत्येक प्रसारणकर्ता को कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का अनिवार्य पालन करने का निर्देश दिया गया है।

आईपीटीवी समेत अन्य माध्यमों से दिखाये जाने वाले वीडियो की सामग्री पर केबल एक्ट के अधीन कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता लागू होती है।

मंत्रालय मुख्यतः अश्लीलता, महिलाओं की छवि को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना, बच्चों पर बुरे प्रभाव, गुमराह करने के लिए बनाए गए विज्ञापन, गलत खबर और मानहानि वाली खबरें दिखाना जैसे विषयों पर कार्रवाई करता है। इन सभी मामलों में मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है और जहां आवश्यक हो वहां परामर्श, चेतावनी या क्षमा–प्रार्थना प्रसारित करने के आदेश जारी किए जाते हैं।

1 अप्रैल, 2016 से 21 दिसंबर, 2016 के बीच मंत्रालय ने विभिन्न चैनलों को विभिन्न परामर्श, चेतावनी, आदेश जारी किये। इसकी जानकारी नीचे दी जा रही है :

i) 01 सामान्य परामर्श– कावेरी जल विवाद को सतर्कता और संयम के साथ प्रसारण पर टीवी चैनलों को परामर्श पत्र जारी किए गए।

ii) 09 विशेष परामर्श– एशिया टीवी चैनल को कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए।

iii) 04 चेतावनी– कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का सख्ती से पालन करने के लिए चैनलों को निर्देश जारी किया गया।

iv) 03 आदेश– विभिन्न चैनलों को कुछ दिन प्रसारण रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए।

अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी)

उपग्रह चैनलों की सामग्री की निगरानी के लिए एक अंतर–मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं, समिति में कुछ और मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को

शामिल किया गया है। समिति तय करती है कि चैनलों ने किसी नियम का उल्लंघन किया है या नहीं। 2011 में समिति का पुनर्गठन किया गया है, उपभोक्ताओं से संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसमें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। यह समिति सुझाव देती है। समिति के सुझाव के आधार पर दंड और दंड की सीमा मंत्रालय तय करता है। सामान्य तौर पर मंत्रालय चेतावनी, परामर्श और माफीनामा स्क्राल चलाने की हिदायत देता है। कभी–कभी उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए चैनलों का प्रसारण अस्थायी तौर पर या कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सशक्त माध्यम है, जो आम जनता के विचारों को बहुत प्रभावित कर सकता है। सभी विकसित लोकतांत्रिक देश प्रसारण क्षेत्र और प्रसारण किये जाने वाली सामग्री का नियमन कर चुके हैं। इसलिए जनता की चिंताओं को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) की स्थापना की गयी है। इस अति आधुनिक सुविधा युक्त सेंटर में केबल टीवी अधिनियम 1995 के अधीन निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य होता है : (i) केबल टेलीविजन नेटवर्क्स एवं रेगुलेशन एक्ट 1995 के अंर्तगत उपग्रह टीवी चैनलों के कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का उल्लंघन करने वाली सामग्री की निगरानी की जाती है। (ii) लाइसेंस शर्तों के अनुसार निजी एफएम चैनल और अवांछनीय सामग्री के प्रसारण से नागरिकों को बचाने के लिए। ईएमएमसी के पास भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 900 चैनलों की सामग्री को रिकॉर्ड करने और जांचने की तकनीकी सुविधा है, ताकि केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995 के अंतर्गत दिए गए किसी भी नियम के उल्लंघन की जांच हो सके। वर्तमान में सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा मंजूरी दिए गए सभी चैनलों की निगरानी ईएमएमसी द्वारा की जा रही है।

सामग्री की निगरानी के अलावा ईएमएमसी को सरकार को मिली शिकायतों की प्रक्रिया देखने की जिम्मेदारी दी गयी है। ये शिकायतें, अस्थायी तौर पर मिली सीधा प्रसारण की निगरानी, मंत्रालय के आदेशों का पालन होने की निगरानी भी यही केंद्र करता है। केंद्र 24 घंटे निगरानी, रिकार्डिंग करता है और प्रतिदिन एक रिपोर्ट तैयार कर उस पर प्रतिक्रिया लिखकर फीडबैक के तौर पर संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजता है। निगरानी केंद्र मंत्रियों की बैठक के लिए विशेष इनपुट सामग्री भी जुटाता है और आईबीएफ और बीसीसीसीसी के लिए सूचना भी उपलब्ध कराता है। अंतर–मंत्रालयी समिति की बैठक के लिए रिपोर्ट लेना और वितरित करना और जांच समिति की मदद करना और उल्लंघन से संबंधित सामग्री का संग्रह भी यही केंद्र करता है।

जिस गति से देश में उपग्रह चैनलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसी अनुपात में वे सामग्री का उल्लंघन भी कर रहे हैं। इसलिए ईएमएमसी को नवीनतम तकनीकी सुविधाओं से मजबूत करना चाहिए ताकि वह केबल टीवी नेटवर्क नियमन अधिनियम 1995 के तहत बने नियमों व संहिता का उल्लंघन करने वालों की ठीक से निगरानी कर सके और सुधारात्मक कदम उठाने का सुझाव दे सके।

1500 चैनलों की क्षमता और निगरानी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक 12वीं पंचवर्षीय योजना 'इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर' को मंजूरी दी गई। यह योजना 90 करोड़ रुपये की है और यह 2012–17 के बीच पूरी होगी। इसके अलावा ईएमएमसी में एफएम चैनलों और कम्युनिटी रेडियो (सीआरएस) की निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

राज्य एवं जिला स्तर पर जांच समितियां

राज्य एवं जिला स्तर पर केबल कानून और नियमों को लागू करने के लिए मंत्रालय ने 6 सितंबर, 2005 को राज्य, जिला/स्थानीय स्तर पर केबल टेलीविजन चैनलों पर कार्यक्रम और विज्ञापनों के प्रसारण पर निगरानी के लिए 'निगरानी समिति' की व्यवस्था लागू की है। जिला और राज्य स्तर पर निगरानी समिति के लिए मंत्रालय ने 19 फरवरी, 2008 को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए।

जिला स्तर पर कमेटी की संरचना इस प्रकार है :

(i)	जिला मजिस्ट्रेट (अथवा पुलिस आयुक्त)	- अध्यक्ष
(ii)	जिला पुलिस अधीक्षक	- सदस्य
(iii)	जिला जनसंपर्क अधिकारी	- सदस्य
(iv)	जिले के महिला कॉलेज की प्रधानाचार्य (जिनका चयन जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा)	- सदस्य
(v)	बाल कल्याण से संबंधित एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि (जिनका मनोनयन जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा)	- सदस्य
(vi)	महिला कल्याण पर प्रमुख गैर–सरकारी संगठन के प्रतिनिधि (जिनका मनोनयन जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा)	- सदस्य
(vii)	शिक्षाविद्/मनोवैज्ञानिक/समाजशास्त्री (इनमें से प्रत्येक का मनोनयन जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा)	- सदस्य

जिला स्तरीय निगरानी समिति का कार्यक्षेत्र

i) एक ऐसा मंच मुहैया कराना जहां जनसामान्य केबल टीवी पर प्रसारित होने वाली विषय–वस्तु के बारे में अपनी शिकायतें दर्ज करा सके और निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई कर सके।

ii) केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम 1995 को लागू करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करना।

iii) यदि कोई कार्यक्रम जनसामान्य के बीच शांति और व्यवस्था को प्रभावित कर रहा हो या किसी समुदाय में व्यापक असंतोष पैदा कर रहा हो तो उसके बारे में राज्य और केंद्र सरकार को तत्काल सूचित करना।

iv) केबल टीवी चैनलों पर स्थानीय स्तर पर प्रसारित होने वाली विषय–वस्तु पर नजर रखने तथा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अनाधिकृत या पायरेटेड चैनल प्रसारित नहीं हो रहे हैं, साथ ही यदि चैनल द्वारा स्थानीय समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं तो वे स्थानीय घटनाओं की जानकारी देने तक सीमित हों और उनका प्रस्तुतिकरण तटस्थ और संतुलित हो और किसी समुदाय के प्रति आक्रामक न हो।

v) निःशुल्क चैनलों तथा केबल नेटवर्क पर अनिवार्य वहन के लिए अधिसूचित चैनलों की उपलब्धता की निगरानी।

राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन इस प्रकार है–

(i)	राज्यों के सूचना एवं जनसंपर्क सचिव	- अध्यक्ष
(ii)	राज्यों के पुलिस महानिदेशक के प्रतिनिधि	- सदस्य
(iii)	राज्यों के समाज कल्याण सचिव	- सदस्य
(iv)	राज्यों के राज्य महिला एवं बाल विकास सचिव	- सदस्य
(v)	राज्यों में महिलाओं के लिए काम करने वाले प्रमुख एनजीओ का प्रतिनिधि (मुख्य सचिव द्वारा नामांकित)	- सदस्य
(vi)	अकादमिक मनोवैज्ञानिक/समाजविज्ञानी (प्रत्येक मुख्य सचिव द्वारा नामांकित)	- सदस्य
(vii)	राज्य निदेशक सूचना	- सदस्य

जिला स्तरीय निगरानी समिति के कार्य इस प्रकार हैं–

(i) यह देखना कि जिला स्थानीय समिति बनाई गई है या नहीं।

(ii) यह देखना कि बैठकें नियमित हैं या नहीं।

(iii) यह देखना कि अधिकारी अपने कर्त्तव्य को प्रभावी रूप से अंजाम दे रहे हैं या नहीं।

(iv) यह देखना कि समिति द्वारा कितने मामलों पर विचार किया जा रहा है और वे निर्णय तक पहुंचे या नहीं।

(v) जिला/स्थानीय स्तर की समिति द्वारा सुझाव/दिशा–निर्देश देना।

(vi) जिला/स्थानीय स्तर की समिति द्वारा भेजे गए मामलों पर निर्णय लेना।

(vii) जिला/स्थानीय स्तर समिति से आंकड़े, जानकारी जुटाना और इसे सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजना, कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के अंतर्गत।

(viii) सरकार के आदेशों के उल्लंघन के मामले में उपग्रह चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करना और इस विषय में राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तक शिकायत भेजना।

अब तक 19 राज्यों में राज्यस्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है। ये राज्य इस प्रकार हैं– अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम।

पांच संघशासित प्रदेशों में राज्यस्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है। ये इस प्रकार हैं– अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप।

अब तक 296 जिलों में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है।

समाचार चैनलों के मामले में आत्म–नियमन

समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीए), ने अपने स्वनियमन तंत्र के भाग के रूप में स्वयं को विनियमित समाचार प्रसारण के लिए सिद्धांतों की एक विस्तृत रेंज को कवर करने के लिए एक नैतिकता और प्रसारण मानक संहिता तैयार की है। एसोसिएशन ने सामग्री से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए एक दो स्तरीय संरचना का गठन किया है। स्तर–1 में आने वाली शिकायतों को अपने स्तर पर अलग–अलग प्रसारकों द्वारा निपटाया जाता है, जबकि स्तर–2 से आने वाली शिकायतों का निपटारा एनबीए द्वारा 2008 में स्थापित समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण का उद्देश्य मनोरंजन या समाचार से संबंधित किसी भी तरह की सामग्री के खिलाफ शिकायतों पर निर्णय करना है। प्राधिकरण में अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं और आठ अन्य सदस्य विशेषज्ञ क्षेत्र से होते हैं। इनमें चार प्रतिष्ठित संपादक जो ब्रॉडकास्टिंग प्रसारकों के साथ कार्यरत हैं, को लिया जाता है और चार कानून, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, साहित्य, लोक प्रशासन, उपभोक्ता मामले, पर्यावरण, मानव मनोविज्ञान और संस्कृति क्षेत्र में विशेषज्ञता वालों को शामिल किया जाता है। एनबीएसए के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.वी. रवींद्रन हैं। बाकी आठ सदस्य हैं–

चार प्रमुख व्यक्ति

(i) श्री नितिन देसाई, अर्थशास्त्री एवं संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव

(ii) श्रीमती विजयलक्ष्मी छाबरा, दूरदर्शन की पूर्व महानिदेशक

(iii) कु. लीला के पोनाप्पा, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं राजदूत

(iv) डॉ. एस.वाई. कुरैशी, भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त

संपादक की श्रेणी से चार व्यक्तियों में शामिल हैं–

(i) सुश्री मनिका राइकवार अहिरवाल

(ii) श्री हेमंत शर्मा

(iii) श्री राजीव खांडेकर

(iv) कु. नविका कुमार

एनबीएसए ने 2014 से जुलाई 2016 तक सदस्यों, ईसीआई तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त 1451 शिकायतों पर विचार किया। एनबीएसए ने 26 मामलों में निर्णय सुनाया, एक दिशा–निर्देश जारी किया और 9 मामलों में परामर्श दिया।

गैर–समाचार या सामान्य मनोरंजन, चैनलों में स्व–नियमन

भारतीय ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) ने मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद गैर–समाचार चैनलों के मामले में स्व–नियमन के लिए एक तंत्र की स्थापना की है। आईबीएफ ने टेलीविजन पर सामग्री प्रसारण के लिए सिद्धांत और मापदंड, सामग्री संहिता और प्रमाणन नियम 2011 तय किये हैं।

इस तंत्र के हिस्से के रूप में शिकायतों के निवारण की द्विस्तरीय प्रणाली बनाई गई है। इसके पहले हिस्से में प्रत्येक प्रसारक को अपने चैनल पर प्रसारित विषय–वस्तु से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए विषय–वस्तु परीक्षक सहित मानक और कार्यप्रणाली विभाग स्थापित करना होता है।

तंत्र के दूसरे एवं शीर्ष स्तर के रूप में जुलाई 2011 में ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल (बीसीसीसी) की स्थापना एवं संचालन की व्यवस्था की गई। बीसीसीसी में उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विभिन्न विषयों के 13 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों में से चार गणमान्य सदस्य होते हैं। परिषद में राष्ट्रीय आयोगों का प्रतिनिधित्व भी किया जाता है, जिसमें चार प्रसारक सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त परिषद में दो विशेष आमंत्रित मेहमान होते हैं, जो भाषा शिकायतों का निपटारा करते हैं।

बीसीसीसी के वर्तमान अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल हैं। बीसीसीसी के अन्य सदस्यों की जानकारी इस तरह है :

सदस्य–गणमान्य व्यक्ति

(i) डॉ. इरा भास्कर, सिनेमा अध्ययन की प्राध्यापक

(ii) सुश्री शर्मिला टैगोर, फिल्म अभिनेत्री

(iii) सुश्री अरुंधति नाग, रंगमंच कार्यकर्ता

(iv) श्री वजाहत हबिबुल्ला, पूर्व सीआईसी एवं एनसीएम के अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस

सदस्य–राष्ट्रीय वैधानिक आयोग

(i) डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

(ii) श्री नसीम अहमद, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम)

(iii) श्री एस.के. खारवेंथन, सदस्य, पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

(iv) सुश्री स्तुति कक्कड़, बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्ष

प्रसारण सदस्य

(i) श्री सुजीत जैन (वायकॉम)

(ii) श्री ए. मोहन (जी नेटवर्क)

(iii) श्री अमित ग्रोवर (डिस्कवरी)

(iv) कु. शोभना बजाज (टर्नर)

विशेष आमंत्रित

(i) कु. तारा मुरली, प्रख्यात संरक्षणवादी और वास्तुकार

बीसीसीसी को 16 अप्रैल, 2014 से 20 जून, 2016 के काल के दौरान 16257 शिकायतें प्राप्त हुईं। इसमें से 4376 विशेष शिकायतों पर फैसले लिए गए।

टीवी चैनलों पर विज्ञापन के स्व–विनियमन

टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों के नियमन के संबंध में स्व–नियमन निकाय एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) के कोड को ग्रहण किया गया। इससे संबंधित नियम केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट 1995 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम में सम्मिलित किए गए हैं। एएससीआई ने विज्ञापनों से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) की स्थापना की है। सीसीसी के वर्तमान में 28 सदस्य हैं। इनमें 12 उद्योग से हैं और 16 सिविल सोसाइटी से हैं। प्रसिद्ध डॉक्टरों, वकीलों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, उपभोक्ता कार्यकर्ताओं को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आवेदक कंपनी का या तो अपना चैनल हो, जिसे वह दर्शकों को दिखाने के लिए डाउनलिंक करना चाहती हो या उसके पास भारतीय क्षेत्र में विशिष्ट विपणन/वितरण का अधिकार हो, जिसमें चैनल पर विज्ञापन तथा चंदे से होने वाले राजस्व का अधिकार भी शामिल है। इसके साथ ही उसे आवेदन करते समय इस संबंध में पर्याप्त प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा।

डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा

डीटीएच सेवाएं केबल प्रसारण की तुलना में हाल ही का विकास है। केबल तकनीक के मुकाबले डीटीएच सेवा

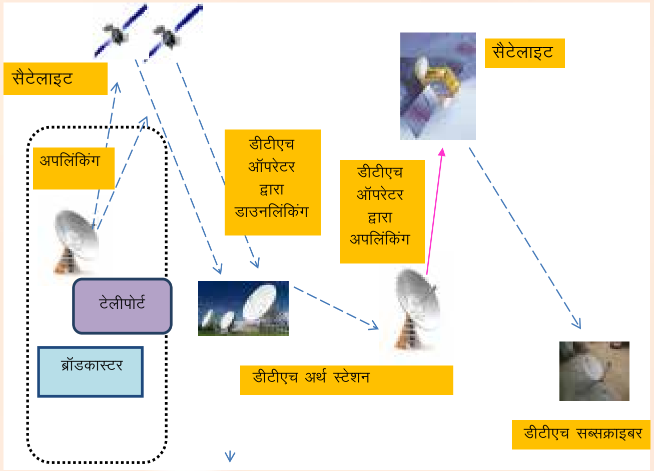

डीटीएच ट्रांसमिशन

तकनीकी रूप से अधिक लाभकारी है। डीटीएच समाधान योग्य व्यवस्था है जिसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जा रहा है। डीटीएच सेवा में उच्च क्षमता वाले उपग्रह के माध्यम से कहीं अधिक बड़ी संख्या में चैनलों को प्रसारित किया जा सकता है। डीटीएच के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रम सीधे घरों में भवन की सुविधाजनक स्थिति पर छोटे डिश एंटिना स्थापित करके सीधे प्राप्त किए जा सकते हैं। डीटीएच प्रसारण सेवाओं के लिए किसी व्यावसायिक बिचौलिये की आवश्यकता नहीं है। डीटीएच संचालक द्वारा प्रदत्त सेवाएं उपभोक्ता को सीधे प्राप्त हो सकती हैं। डीटीएच सेवाएं उपभोक्ताओं के स्थान पर सीधे टीवी सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए सेटेलाइट प्रणाली के उपयोग द्वारा कू बैंड में मल्टी चैनल कार्यक्रमों के वितरण के लिए दी जाती है। डीटीएच उपभोक्ता को भौगोलिक आवाजाही के अर्थों में इस प्रकार लाभ देता है कि ग्राहक एक बार डीटीएच हार्डवेयर खरीद कर उस एक इकाई का इस्तेमाल भारत में कहीं भी जारी रख सकता है।

सरकार ने 15 मार्च, 2001 (6 नवंबर, 2007 में संशोधन) को भारत में डीटीएच सेवाओं के परिचालन के लिए आवेदन पत्र और लाइसेंसिंग समझौते के साथ विस्तृत दिशा–निर्देश भी जारी किए थे। दिशा–निर्देशों में योग्यता की शर्तें, अन्य वस्तु पूर्ण विदेशी इक्विटी स्वामित्व उपलब्ध कराना, जिसमें एफडीआई/एनआरआई/ओसीबी/एफआईआई शामिल है, आवेदक कंपनी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं हो और विदेशी इक्विटी एफडीआई घटक 20 प्रतिशत से अधिक न हो। प्रसारण क्षेत्र के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रेस नोट संख्या 5 के तहत 24 जून, 2016 को (2016 शृंखला) डीटीएच सेक्टर में 100 प्रतिशत तक में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने को मंजूरी दी। कंपनी बोर्ड में प्रतिनिधित्व और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का निवासी भारतीय होने के रूप में यह आवेदक कंपनी पर भारतीय प्रबंधन नियंत्रण उपलब्ध कराता है। डीटीएच सेवाओं के संचालन के लिए जारी लाइसेंस के लिए सभी आवेदनों को योग्यता प्रारूप के अनुसार जांच करने की आवश्यकता है। भारत में डीटीएच सेवाओं के संचालन और उन्हें स्थापित करने के लिए मौजूदा डीटीएच लाइसेंस शर्तों में डीटीएच सेवाओं में अवांछित विषय–वस्तु को ले जाने से रोकने के लिए समुचित उपाय शामिल हैं।

विजयवाड़ा के दूरदर्शन केंद्र में समीक्षा बैठक में सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु

दूरदर्शन अपनी डीटीएच सेवा (फ्री डिश) पर मुफ्त एयर चैनल उपलब्ध कराता है जिसके लिए उपभोक्ता को खुले बाजार से डिश और सेट–अप बॉक्स खरीदना होता है। जब से दूरदर्शन ने अपने मुफ्त सिग्नलों का प्रसारण शुरू किया है, दर्शकों के संबंध में कोई समुचित आकलन उपलब्ध नहीं है। दूरदर्शन के डी.डी. डायरेक्ट प्लस के अलावा छह निजी कंपनियां डी.टी.एच सेवा उपलब्ध करा रही हैं जिनके नाम हैं– डिश टीवी (मेसर्स डिश टी.वी. इंडिया लिमिटेड), टाटा स्काई (मेसर्स टाटा स्काई लिमिटेड), सनडायरेक्ट डीटीएच (मेसर्स सनडायरेक्ट टी.वी. प्राइवेट लिमिटेड), बिग टी.वी. (मेसर्स रिलायंस बिग टी.वी. लिमिटेड), एयरटेल डिजिटल टी.वी. (मेसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड) और डी2एच (मेसर्स भारत

क्र. सं.	डीटीएच ऑपरेटर	अनुमति तिथि	प्रसारण मानक	कम्प्रेशन मानक	कंडीशनल एक्सेस सेवाएं (एनक्रिप्शन)
1	डिश टीवी	16.9.2003 (अंतरिम नवीकरण 31.03.2017 तक)	डीवीबी–एंड एस एंड डीवीएस–एस2	एमपीईजी–2 एंड एमपीईजी–4	कोनेक्स
2	टाटा स्काई	24.3.2006 (अंतरिम नवीकरण 31.03.2017 तक)	डीवीबी–एस एंड डीवीबीएस–2	एमपीईजी–2 एंड एमपीईजी–4	एनडीएस
3	सन डायरेक्ट टीवी	28.8.2006	डीवीबी–एस	एमपीईजी–4	इरडेटो
4	रिलायंस बिग टीवी	24.5.2007	डीवीबी–एस	एमपीईजी–4	नगरविजन
5	एयरटेल डिजिटल टीवी	10.9.2007	डीवीबी–एस2	एमपीईजी–4	सिस्को
6	वीडियोकॉन डी2एच	28.12.2007	डीवीबी–एस2	एमपीईजी–4	इरडेटो और सिस्को

बिजनेस चैनल लिमिटेड)। डीटीएच एक डिजीटल एड्रेसेबल प्रणाली है जो बेहतर गुणात्मक तस्वीर पेश करती है, मूल्य संवर्धित सेवाओं में वृद्धि करती है, प्रणाली में पारदर्शिता इसके ऑडिट और निगरानी के लिए सक्षम बनाती है। इससे प्रसारणकर्ता और डीटीएच संचालक के बीच टकराव और मुकदमेबाज़ी में कमी होती है। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलती हैं और इस क्षेत्र का सिलसिलेवार विकास संभव होता है। इस प्रकार डीटीएच ने केबल टी.वी. क्षेत्र के लिए एक कड़ी प्रतिस्पर्धा पेश की है जिसके परिणामस्वरूप वह भी डिजीटल होने जा रहा है।

जब से विभिन्न डीटीएच संचालक इस बाजार में अलग–अलग समय पर शामिल हुए हैं, वे भारत के डीटीएच बाजार में समकालीन विकसित प्रौद्योगिकी साथ लेकर आए हैं।

डीटीएच उपभोक्ताओं के बढ़ते हुए आधार को देखते हुए ट्राई ने 2007 में डीटीएच उपभोक्ताओं की सुरक्षाओं के लिए डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाओं (सेवा गुणवता के मानक और विवादों का निपटारा) का अधिनियम 2007 जारी किया जो डीटीएच उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के संबंध में अनिवार्य विनियामक प्रावधानों को कवर करता है। उक्त टैरिफ आदेश कीमतों में बढ़ोतरी से ग्राहकों की सुरक्षा भी उपलब्ध कराता है। ट्राई के विनियामक उपाय डीटीएच उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का एसटीबी (एक दम खरीद आधार पर, किराया खरीद आधार पर और किराये के आधार पर) अधिग्रहण करने में सक्षम बनाता है जिससे वह भुगतान करके उस चैनल का चयन कर सकते हैं, जिसे वे डीटीएच सेक्टर में देखना चाहते हैं।

इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा

आईपीटीवी सेवा संबंधी नीति सरकार ने 8 सितंबर, 2008 को आईपीटीवी के बारे में नीति निर्धारित की है और इस प्रकार दूरसंचार तथा केवल नेटवर्क के माध्यम से फिलहाल उपलब्ध अनुमति प्राप्त उपग्रह टीवी चैनलों के वितरण के लिए एक और मोड उपलब्ध कराया गया है। इससे भारतीय दर्शकों को डिजिटल तस्वीरों का एक नया अनुभव प्राप्त होगा, साथ ही ग्राहकों की विभिन्न मूल्य संवर्धित परस्पर जुड़ी नई सेवाओं की निरंतर बढ़ती मांग भी पूरी होगी। इससे प्रसारकों तथा प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को भी कारोबार के अलग–अलग मॉडल तैयार करने के नित नए अवसर मिलेंगे। आईपीटीवी संबंधी नीति में इन मुद्दों को और ज्यादा स्पष्ट किया गया है तथा दूरसंचार ऑपरेटर एवं केबल ऑपरेटर दोनों आईपीटीवी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे और इन्हें उनके लाइसेंसिंग शर्तों के अनुसार नियंत्रित किया जा सकेगा। केबल अधिनियम के तहत निर्धारित कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता के अनुसार विषय–वस्तु को विनियमित किया

जाएगा। यह अधिनियम अश्लील विषय–वस्तु पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कई अन्य आशंकाओं को भी दूर करता है। इसमें विषय–वस्तु संबंधी संहिता के उल्लंघन का दायित्व तय किया गया है और यह भी बताया गया है कि उनसे किस प्रकार निपटा जाएगा। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को भी रखा गया है। इस नीति में व्यवस्था की गई है कि एमएसओ तथा केबल ऑपरेटर और प्रसारक प्रसारण की विषय–वस्तु, आईपीटीवी सेवाओं का लाइसेंस प्रदान करने वाले दूरसंचार प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराएं। इसमें समाचार तथा सामयिक विषयों पर सामग्री तैयार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं को अपनी विषय–वस्तु तैयार करने की छूट दी गई है। परिभाषित टेलीकॉम और केबल ऑपरेटरों के लिए आईपीटीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए नीति को एक अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं है। डाउनलिंकिंग दिशा–निर्देशों के उपबंध 5.6 में परिवर्तन करके प्रसारकों को अपने कार्यक्रम आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं को देना संभव बनाया गया है। इस नीति में, प्रसारकों से ततसंबंधी अधिकार प्राप्त केबल ऑपरेटरों और मल्टी–सिस्टम ऑपरेटरों को दूरसंचार आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं को समाहारित विषय–वस्तु उपलब्ध कराने की सुविधा भी दी गई है। आईपीटीवी सेवाओं में एनिमेशन और गेमिंग उद्योग में बड़ी संभावनाएं देख रहा है। हालांकि इसमें ब्रॉडबैंड की पहुंच और उसकी कनेक्टिविटी गुणवत्ता इसकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कारक होंगे। उम्मीद है कि आईपीटीवी प्लेटफॉर्म द्वारा सेवाओं में सुलभ कराई गई विविधता से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के बारे में ग्राहकों की मांग और ज्यादा बढ़ेगी।

वैश्विक स्तर पर आईपीटीवी केबल और डीटीएच सेवाओं के लिए एक प्रमुख पे–टीवी प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। उम्मीद है कि इससे कार्यक्रम और सेवा प्रदाताओं को अतिरिक्त आमदनी होगी और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए लागत में भी कमी आएगी। उम्मीद है कि आईपीटीवी विनियामक फ्रेमवर्क में स्पष्टता और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में वृद्धि से भारत आईपीटीवी बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले देश के रूप में उभरेगा। भारत में इस समय एमटीएनएल, बीएसएनएल और भारती एयरटेल आईपीटीवी सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। अपनी बेहतर गुणवत्ता और परस्पर जुड़ी सेवा संभावनाओं के चलते इस प्रौद्योगिकी में काफी संभावनाएं मौजूद हैं लेकिन इसकी पहुंच केवल उन्हीं घरों तक है जहां ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं। ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंच जाने के बाद, आईपीटीवी सेवा की सफलता के अवसर और ज्यादा बढ़ जाएंगे।

हिट्स (हेड–एंड इन द स्काई) सेवा

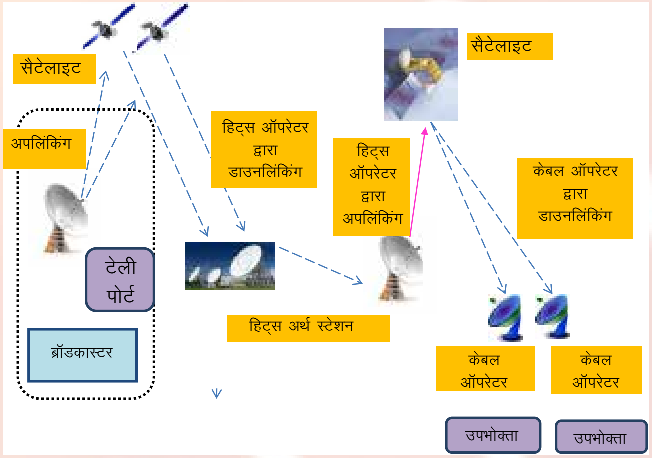

हिट्स ट्रांसमिशन

प्रसारण के क्षेत्र में एक नई तकनीक का उदय हुआ है जिसे स्काई यानी हेड–एंड इन द स्काई (हिट्स) कहा जाता है, क्योंकि इसकी मदद से भारत में डिजिटलीकरण और समयबद्ध पहुंच स्थापित करने के फैलाव में तेज़ी आ सकती है। सरकार ने, केबल ऑपरेटरों को हिट्स के तौर पर सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ट्राई के साथ परामर्श कर नीतिगत रूपरेखा तैयार की है।

मंत्रिमंडल ने 12 सितंबर, 2009 को अपनी बैठक में हिट्स ऑपरेटरों हेतु नीतिगत दिशा–निर्देश के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 26 सितंबर, 2009 को सरकार ने नीतिगत दिशा–निर्देश जारी किए। इन दिशा–निर्देशों के तहत हिट्स सेवा प्रदाताओं को देश में सेवाएं देनी होती हैं हालांकि इस नीति के तहत यह जरूरी नहीं कि केबल ऑपरेटर या उपभोक्ता हिट्स मंच नेटवर्क से सिग्नल लें। उपभोक्ता और केबल ऑपरेटर किसी भी मौजूदा तंत्र का उपयोग कर सकते हैं या अगर

केबल ऑपरेटर चाहें तो वह हिट्स प्रदान करने वाले नेटवर्क को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका मतलब, यह आवश्यक–सीएएस (कंडीशनल एक्सेस सिस्टम) के लिए अधिसूचित क्षेत्रों से अलग है।

हिट्स पूरे देश में सेटेलाइट के जरिये कई एमएसओ/केबल ऑपरेटरों को सिगनल प्रदान करता है, जो आगे अपने केबल नेटवर्क का प्रयोग कर उपभोक्ताओं को सिगनल देते हैं। हिट्स ऑपरेटर और बहु–तंत्र ऑपरेटर (एमएसओ) में यह अंतर है कि एमएसओ सेटेलाइट के जरिये चैनलों का पुलिंदा केबल ऑपरेटरों तक पहुंचाता है, जबकि हिट्स यही कार्य केबल के जरिये करता है। हिट्स टीवी चैनल के वितरण का एक डिजिटल तरीका है और इससे देश के गैर सीएएस क्षेत्रों में मौजूद केबल सेवाओं के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। हिट्स से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में केबल का बाजार बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि सेटटॉप बॉक्स की कीमतों में कमी भी आएगी जहां अव्यवहारिकता के कारण यह कार्य संभव नहीं था।

इससे केबल बाजार और सुदृढ़ होगा। हिट्स के माध्यम से उपभोक्ता कई डिजिटल चैनलों की साफ तस्वीर और मुनासिब दामों पर बेहतर सेवाओं का लुत्फ़ उठा सकता है। मौजूदा प्राइम, नॉन–प्राइम बैंड में रखे गए चैनलों की सीमित क्षमता के स्थान पर हिट्स अधिक चैनल क्षमता प्रदान करेगा। हिट्स की नीति सही दिशा में एक कदम है और इससे ऑपरेटर के स्तर पर जरूरी निवेश को कम किया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों के दूर–दराज़ के इलाकों में केबल सेवाएं पहुंच सकती हैं, जिसे कुछ मूल्य सूची और अंतर–संपर्क मुद्दों के समाधान के बिना यह शुरू नहीं किया जा सका था। उम्मीद है कि ट्राई अब डिजिटल तंत्रों के लिए मूल्य सूची ला रहा है और उद्योग जगत भी अब हिट्स सेवाओं के प्रावधानों के लिए मंच तैयार करने के लिए आगे आएगा। ट्रांसपोंडर क्षमताओं की उपलब्धता के बारे में कुछ बाधाएं हैं, लेकिन उम्मीद है कि मांग बढ़ने से आपूर्ति भी होगी। डीएएस के आने से हिट्स सेवाओं को बहाल करने में भी तेज़ी आएगी। एक उत्प्रेरक के रूप में डीएएस की शुरुआत भी हिट्स सेवाओं के एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में सेवाएं प्रदान करेगी।

केबल टीवी डिजिटलीकरण की वस्तुस्थिति

i. देश में केबल टीवी प्रणाली

देश में केबल टीवी प्रणाली ने प्रसारण वितरण उद्योग की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य किया है। पिछले 20 वर्षों के दौरान केबल उद्योग ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र के विकास में एक प्रमुख भूमिका अदा की है। डीटीएच सेवाओं के तेजी से होते विकास के बावजूद, केबल सेवाएं आज भी टीवी चैनलों के वितरण में सबसे आगे हैं। ट्रांसमिशन के एनालॉग प्रकृति के कारण इस मंच की कई सीमाएं हैं।

ii. प्रसारण उद्योग की रूपरेखा

केबल टीवी सेवा मूल्य श्रृंखला में चार मुख्य आपूर्तिकर्ता वाले पक्ष शामिल होते हैं, जो इस प्रकार हैं : प्रसारक, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ), स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ) और अंतिम उपभोक्ता। प्रसारक टीवी पर प्रसारित होने वाली सामग्री का निर्माण करता है जिसे दर्शक देखते हैं। प्रसारक उपग्रह के लिए सामग्री के संकेत प्रेषण या अपलिंक करता है। एमएसओ उपग्रह से प्रसारकों के सिग्नल को डाउनलिंक करता है, किसी भी एन्क्रिप्टेड चैनल को डिक्रिप्ट करता है और कई चैनलों से मिलकर फीड का समूह प्रदान करता है। ट्राई के अनुसार, भारत में लगभग 6000 एमएसओ काम कर रहे हैं। एमएसओ का व्यापार, सामग्री (कंटेट) और एलसीओ पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी तथा सदस्यता राजस्व संग्रह के लिए प्रसारणकर्ता पर निर्भर रहता है। एमएसओ को टीवी सिग्नल को प्राप्त करने के लिए हेड–एंड्स की आवश्यकता है। एलसीओ एमएसओ से कई सिग्नल प्राप्त करता है और केबल के माध्यम से इसे अपने ग्राहकों तक पहुंचाता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 60,000 केबल ऑपरेटर हैं।

iii. टेलीविजन वितरण प्लेटफार्मों का स्वरूप

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीवी बाजार है जिससे पहले केवल चीन का नंबर आता है। फिक्की केपीएमजी

की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में निम्न प्लेफार्म वितरण के हिसाब 175 मिलियन घरों में टीवी हैं।

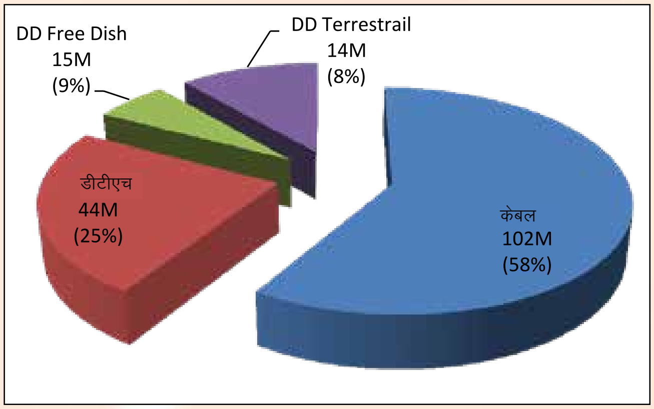

iv. एनालॉग केबल टीवी की कमियां :

एनालॉग केबल टेलीविजन में निम्नलिखित कमियां हैं :

- चूंकि स्वीकृत सेटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या 700 के पार चली गई है, एनालॉग प्रणाली के पास केवल 70–80 चैनलों की क्षमता है। यह गंभीर रूप से ग्राहक के लिए उसकी पसंद पर पाबंदी लगाता है और प्रसारण क्षेत्र में बड़ी संख्या में उपलब्ध टीवी चैनल को ग्राहक तक पहुंचाने से इनकार करता है।
- सीमित संख्या में चैनल वहन करने की क्षमता से एनालॉग प्रणाली टीवी प्रसारकों के व्यापार में विकृति पैदा करती है, जैसे प्रसारणकर्ता को भारी फीस का भुगतान करके अपने चैनलों का वहन करने के लिए एमएसओ को प्रोत्साहित करने पर मजबूर होना पड़ता है।
- एनालॉग केबल के पास में ए–ला–कार्टे (व्यक्तिगत) चैनलों के चयन की सुविधा वाली तकनीकी सुविधा नहीं है। इस वजह से ग्राहक को मजबूरी में स्वयं के समझौते से बाहर जाकर एक केबल ऑपरेटर द्वारा तैयार चैनलों का चयन करना पड़ता है। इस प्रकार, एनालॉग प्रणाली ग्राहकों के अनुकूल नहीं है।
- एनालॉग सेवाओं की एक अन्य गंभीर तकनीकी सीमा पारदर्शिता की कमी है जिसमें ग्राहक आधार सही नहीं बताया जाता है। यानी उनकी संख्या। इससे राजस्व की रिपोर्टिंग कम और कर राजस्व को छिपाया जाता है।
- सीमित वहनीय क्षमता और पारदर्शिता की कमी प्रसारकों के लिए व्यापार मॉडल को विकृत करती है और इससे उनकी निर्भरता केवल विज्ञापन राजस्व पर बढ़ जाती है और इससे सदस्यता का राजस्व सीमित रह जाता है (65:35)। तदनुसार, उच्च टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) के लिए चैनल अक्सर टीवी पर सनसनीखेज़ सामग्री का प्रयोग करते हैं।
- एनालॉग केबल में पिक्चर (तस्वीर) की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि एक चैनल प्राइम बैंड या ग़ैर–प्राइम बैंड में कितना देखा जा रहा है।
- केबल ऑपरेटरों को डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) और आईपीटीवी सेवाओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो एक स्थिति में हैं कि वे ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता की सामग्री और मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और जब तक वे (केबल ऑपरेटर) अपनी सेवाओं को उन्नत नहीं कर लेते वे नए प्लेटफॉर्म के व्यापार से बाहर हो जाएंगे।

v. ट्राई की सिफारिशें

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 'भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल प्रणाली (डीएएस)' को लागू करने संबंधी सिफारिशों में दिनांक 5 अगस्त 2010 को यह सिफारिश की थी कि केबल टीवी सेवाओं और केबल टीवी क्षेत्र में एक समयबद्धता के साथ एनालॉग प्रणाली को चार चरणों में डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली (डीएएस) के साथ डिजिटलीकरण को प्राथमिकता से कार्यान्वित किए जाए।

vi. डिजीटलीकरण के लाभ

एड्रेसबिलिटी का अर्थ है केबल ऑपरेटर के सिग्नल एन्क्रिप्टेड (कूट रूप में) होंगे, सेवा प्रदायक से विधिवत कनेक्शन लेने के उपरांत सिग्नल केवल सेट टॉप बॉक्स के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार यह प्रत्येक ग्राहक की पहचान और डेटा बेस के रखरखाव, पारदर्शिता लाने और चोरी को रोकने के लिए सक्षम है। डीएएस के कार्यान्वयन से सभी हितधारकों को लाभ होगा। डिजिटलीकरण के अन्य महत्वपूर्ण लाभ निम्नानुसार हैं :

क. ग्राहक

- ग्राहकों को यह अधिकार मिलता है कि वह अपनी रुचि और अपनी आवश्यकताओं तथा बजट के

अनुसार कहीं ज्यादा चैनलों के विकल्प में से अपनी इच्छा के कार्यक्रमों का चयन करें।

- उपभोक्ताओं को अधिकतम चैनल की पेशकश की जाती है जो मौजूदा 70–80 के बजाय सैकड़ों तक में होते हैं। यह उपभोक्ताओं को एक बेहतर तकनीक देखने का अनुभव देने के लिए उच्च गुणवत्ता/हाई डेफिनेशन डिजिटल टेलीविजन चैनलों की एक बड़ी संख्या को देखने के लिए सक्षम बनाएगा।
- डीटीएच और आईपीटीवी ग्राहकों की तरह, केबल टीवी ग्राहक भी सामग्री की गुणवत्ता में सुधार कर सकेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम गाइड, मूवी–ऑन डिमांड, वीडियो–ऑन–डिमांड, व्यक्तिगत वीडियो, गेमिंग आदि जैसे विभिन्न इंटरएक्टिव सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।

ख. केबल ऑपरेटर्स

डिजीटलीकरण केबल ऑपरेटर ट्रिपल प्ले (तीन सेवाएं एक साथ) की सुविधा मुहैया कराता है जिसमें ध्वनि, वीडियो और डाटा मौजूद रहते हैं। केबल ऑपरेटर को इससे प्रति प्रयोक्ता औसत राजस्व मिलता है। प्रसारण और दूरसंचार सेवाओं के अभिसरण में सक्षम बनाता है। केबल टीवी सेवाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन में वृद्धि होगी।

ग. प्रसारणकर्ता

बढ़ी हुई क्षमता प्रसारणकर्ताओं को आला चैनल और एचडीटीवी (हाई डेफिनिशन टेलीविजन) चैनलों की

स्थलीय डिजिटल प्रसारण में व्यावसायिक अवसरों के बारे में सम्मेलन

पेशकश करने के लिए सक्षम बनाएगी। बढ़ा हुआ सदस्यता राजस्व प्रसारकों को टीआरपी केंद्रित सामग्री से दूर रखने में मदद करेगा और प्रसारणकर्ता अंकेक्षण योग्य उपभोक्ता आधार पर अपना कारोबार चला पाने में समर्थ होंगे।

घ. सरकार

- सरकार के कर संग्रह से वास्तविक बाजार का आकार मेल खाएगा।
- ग्राहक आधार में पारदर्शिता से घाटे में ज़बरदस्त कमी आई है जिस कारण सरकार के राजस्व चोरी में भी कमी आई है।
- उपभोक्ताओं की संख्या में पारदर्शिता के फलस्वरूप केंद्र तथा राज्य के करों की अपवंचना की घटनाओं में भारी कमी आएगी, जो मुख्यतः सेवा एवं मनोरंजन कर के रूप में रहती हैं और इस प्रकार सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
- डिजिटल केबल टीवी नेटवर्क ब्रॉडबैंड की पहुंच के लिए महत्वपूर्ण और वृहद बुनियादी ढांचा है जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों की ई–सरकारी सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है।

(vii) डीएएस को लागू करने के लिए केबल अधिनियम में संशोधन

ट्राई की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 13 अक्तूबर, 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आयोजित बैठक में, केबल टीवी में डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) को अनिवार्य रूप से लागू करने वाले मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें अन्य बातों के साथ, केबल टीवी सेवाओं में अखिल भारतीय स्तर पर डिजिटलीकरण के साथ कार्यान्वयन की समय सीमा और रोड मैप को शामिल किया गया। 31 दिसंबर, 2014 तक पूर्ण रूप से एनालॉग टीवी सेवाओं को बदलने को कहा गया। मंत्रिमंडल ने अध्यादेश के माध्यम से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) में कुछ संशोधनों (विनियमन) को मंजूरी दे दी जिसे केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2011 कहा जाता है। इस अध्यादेश को 25 अक्तूबर, 2011 को लागू किया गया था। इसके बाद 31 दिसंबर, 2011 को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2011 अस्तित्व में आया।

(viii) चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में दिनांक 11 नवंबर, 2011 को भारत में चार चरणों में केबल टीवी नेटवर्क के डिजिटलीकरण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किया था :

चरण 1	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के मेट्रो शहर	मूल रूप से 30 जून, 2012 तक रखा गया। इसे 31 अक्तूबर, 2012 तक संशोधित किया गया।
चरण 2	38 शहर (1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले)	31 मार्च, 2013
चरण 3	अन्य शहरी क्षेत्र (नगर निगम / नगर पालिकाएं)	मूल रूप से 30 सितंबर, 2014 को शुरू हुआ। 31 दिसंबर, 2015 को संशोधित
चरण 4	शेष भारत	मूल रूप से 31 दिसंबर, 2014 को शुरू हुआ। 31 दिसबंर, 2016 तक संशोधित

(ix) मंत्रालय की ओर से उठाए गए कदम और क्रियान्वयन

यह जानते हुए कि केबल टीवी नेटवर्क का डिजिटलीकरण एक बड़ी कवायद है इसलिए इसमें तमाम हिस्सेदारों, नामित व्यक्तियों, प्रसारणकर्ताओं, एमएसओ और एलसीओ का शामिल होना जरूरी हो जाता है। यह बात समझी जा सकती है कि एनालॉग व्यवस्था से डिजिटलीकरण का काम सहजता के साथ हो सके इसके लिए आवश्यक ढांचागत व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास डिजिटलीकरण की व्यवस्था लागू करने का अधिकार है इसीलिए मंत्रालय ने कुछ अहम कदम उठाए हैं ताकि समयबद्ध तरीके से यह काम संपन्न हो सके।

(क) **टास्क फोर्स** : मंत्रालय ने अपने विभाग के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स में इनका प्रतिनिधित्व भी है :

- प्रसारणकर्ता
- एमएसओ (मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स)
- एलसीओ (लोकल केबल ऑपरेटर्स)
- सीईएएमए
- उपभोक्ता फोरम
- दूरसंचार विभाग
- सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग
- ट्राई
- राज्य सरकारें

टास्क फोर्स की बैठक हर महीने हुई जिसमें उसने कामकाज की प्रगति की समीक्षा की। पहले चरण के लिए टास्क फोर्स की 20 बैठकें हुईं, दूसरे चरण के लिए 6 और तीसरे और चौथे चरण के लिए 18 बैठकें की गईं।

(ख) राष्ट्रीय स्तर के एमएसओ उपसमूहों और स्वाधीन एमएसओ तथा एसीओ के साथ बैठके : इन उप समूहों के साथ अलग से बैठकें की गईं ताकि कामकाज की समीक्षा की जा सके और साथ ही उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके।

(ग) **प्रशिक्षण** : इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि डिजिटलीकरण के काम में उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और साथ ही लोकल केबल ऑपरेटरों का प्रशिक्षण कार्य भी चलता रहे, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) से कहा गया कि वह छोटे–छोटे समूहों के रूप में लोकल केबल ऑपरेटरों के साथ प्रशिक्षण का काम करें लेकिन प्रशिक्षण के काम को लेकर केबल ऑपरेटरों की तरफ़ के कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए बीईसीआईएल प्रशिक्षण के इस काम को जारी नहीं रख सका।

(घ) **जन जागरूकता अभियान** : डिजीटलीकरण का काम हो रहा है इसके बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में सूचना और जागरूकता अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य जागरूकता के साथ ही लोगों की चिंताओं का समाधान करना भी था।

(ङ) **टोल फ्री नंबर 1–800–180–4343** : जनता की ओर से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक बहुभाषीय टोल फ्री नंबर 1–800–180–4343 चालू किया गया।

(च) **वेबसाइट** : इस काम के लिए एक पूर्णत समर्पित वेबसाइट www.digitalindiaMIB.com बनाई गई।

केबल टीवी डिजीटलीकरण की वेबसाइट www. digitalindiaMIB.com

(छ) राज्य सरकारों के साथ अंतरक्रियाएं

यह जानते हुए कि स्थानीय स्तर पर इस काम को आगे बढ़ाने में राज्य सरकारों की महती भूमिका होगी इसलिए उनके साथ भी कई बैठकें की गईं ताकि उन्हें उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में बताया जा सके। दूसरे चरण के लिए प्रमुख सचिवों से आग्रह किया गया कि वे सभी 38 शहरों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

केबल टीवी के डिजिटलीकरण की वेबसाइट www.digitalindiamib.com

करें ताकि डीएएस के लिए समयबद्ध तैयारी की जा सके। तीसरे और चौथे चरण के लिए भी जिलावार नोडल अधिकारी नामित किए गए और उनके साथ बैठकों का आयोजन किया गया।

(ज) जनगणना डाटा

साल 2011 की जनगणना के मुताबिक डिजीटलीकरण के लिए शहर और चरणों के मुताबिक कितने टेलीविजन सेट्स की जरूरत होगी, इसकी जानकारी हासिल की गई। इसकी जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

(झ) सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) डाटा का एकत्रीकरण और आकलन

पहले और दूसरे चरण की समीक्षा के लिए मंत्रालय ने व्यापक आधार पर एक डाटा बेस तैयार किया। इसमें एमएसओ से यह जानकारी जुटाई गई कि शुरुआती समय में कितने एसटीबी की जरूरत पड़ेगी। डीटीएच ऑपरेटरों से भी डाटा मांगा गया। शुरुआत में हर सप्ताह का डाटा ही जमा किया जाता रहा लेकिन जैसे ही पहले और दूसरे चरण में एक महीने का समय रह गया तो दैनिक आधार पर डाटा जमा करने का काम किया जाने लगा। तीसरे

और चौथे चरण के लिए एक सूचना प्रबंधन व्यवस्था (एमआईएस) तैयार की गई। इसमें सभी पंजीकृत ऑपरेटर (एमएसओ, डीटीएच और हिट्स ऑपरेटर) से कहा गया कि वे इलाके के अनुसार एसटीबी की आवश्यकताओं का विवरण दें। इस डाटा को देखने का अधिकार नोडल अधिकारियों को भी दिया गया ताकि वे राज्य और जिलों के हिसाब से काम की समीक्षा कर सकें।

(ण) फील्ड टीमें

बीईसीआईएल और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से बड़े पैमाने पर इलाकों का दौरा किया गया। यात्राओं के दौरान मंत्रालय की टीमें एमएसओ और एलसीओ प्रतिष्ठानों तथा एसीबी निर्माताओं के पास भी पहुंचीं। इन यात्राओं के दौरान खास तौर से दूर–दराज और झुग्गी–झोपड़ियों में बसने वाले उपभोक्ताओं से बातचीत की गई ताकि उनकी जरूरतों का पता चल सके और साथ ही उनकी प्रतिक्रिया भी हासिल हो पाए। दूसरे चरण की बड़ी जरूरतों को देखते हुए आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से कहा गया कि वे सभी 38 शहरों के हिसाब से तकनीकी टीमों का गठन करें। ये टीमें एमएसओ प्रतिष्ठानों की लगातार यात्राएं करती रहीं और तमाम जानकारी और डाटा मंत्रालय को लगातार उपलब्ध कराती रहीं। तीसरे चरण को लागू कराने के दौरान भी इसी तरह की व्यवस्थाएं की गईं और रेडियो तथा दूरदर्शन के अधिकारियों से कहा गया कि वे पंजीकृत एमएसओ की लगातार पड़ताल करते रहें।

(ट) नोडल अधिकारियों के साथ बैठकें

राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों के साथ लगातार बैठकों का दौर चलता रहा।

(ठ) समय पर सही सूचना के लिए केबल नियम में संशोधन

6 जुलाई, 2012 को केबल नियमों में एक संशोधन किय गया। इसके मुताबिक हरेक एमएसओ और एलसीओ के लिए यह अपरिहार्य कर दिये गया कि केंद्र या राज्य सरकारों के जो भी अधिकृत अधिकारी कोई सूचना मांगते हैं तो वह निर्धारित स्वरूप और समय के भीतर देनी होगी। इसके साथ ही एमएसओ और एलसीओ को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है वह सत्य और सही है।

(i) एमएसओ का पंजीकरण

वे सभी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) जो डिजीटल रूप में केबल टीवी सेवाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय में 30 नवंबर, 2016 तक पंजीकरण कराना था। डीएएस अधिसूचित इलाकों में सेवाएं देने के लिए मंत्रालय की ओर से 229 एमएसओ को नियमित पंजीकरण प्रदान किया गया। 830 एमएसओ का भी अस्थाई पंजीकरण किया गया।

(x) पहले चरण में डिजीटलीकरण

पहले चरण में डिजिटलीकरण का कार्य 31 अक्तूबर, 2012 को पूरा हो गया था। इनमें से चार मेट्रो शहरों में से 3 शहरों, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में डिजिटलीकरण का कार्य पूरे होने को है जबकि चेन्नई में कई लंबित कोर्ट मामलों के कारण यह कार्य अभी जारी है।

पहले चरण के दौरान 31 अक्तूबर, 2012 तक लगभग 85 लाख केबल सेट टॉप बॉक्स लगाए जा चुके थे। सबसे ज्यादा दिल्ली में 34 लाख, उसके बाद मुंबई में 26 लाख और कोलकाता में 22 लाख तथा चेन्नई में 3.5 लाख सेट टॉप बॉक्स लगाए जा चुके हैं।

(xi) दूसरे चरण में डिजीटलीकरण

- 31 मार्च, 2013 तक 14 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैले 38 शहरों में द्वितीय चरण संपन्न हुआ।
- 38 शहरों में से 37 शहरों में कार्य पूरा हो गया है, जबकि कोयंबटूर में यह अदालती मामलों की वजह से जारी है।

भारतीय कैस (कंडीशनल एक्सेस सिस्टम) का विकास

डिजाइन और घरेलू एसटीबी के विकास में एक प्रमुख बाधा भारतीय कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (कैस) की अनुपलब्धता है। इलेक्ट्रॉनिकस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डाइट–वाई) को स्वदेशी कैस के विकास के लिए मैसर्स बीवाई डिजाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु को यह काम सौंपा गया। भारतीय कैस के विकास से

देश में न केवल विकास और एसटीबी के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह एसटीबी का अंतर भी प्रदान करता है। केबल उपभोक्ता बिना सर्विस प्रोवाइडर को बदले एक ही एसटीबी का लगातार उपयोग कर सकते हैं। डाइट–वाई के मुताबिक भारतीय कैस केवल भारतीय एसटीबी निर्माताओं को ही 3 साल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय कैस का उपयोग केबल एसटीबी और डीटीएच के लिए किया जा सकता है। यह भी पता चला है कि दूरदर्शन फ्री डिश सेवा के लिए भारतीय कैस के उपयोग की योजना बना रहा है। यह भी उम्मीद की जा रही है कि आयातित कैस से भारतीय कैस कम कीमत का होगा। आयातित कैस की कीमत प्रति एसटीबी 2 या 3 डॉलर बैठती है। डाइट–वाई के अनुसार एसटीबी निर्माताओं के लिए भारतीय कैस करीब आधे डॉलर में ही मिल जाएगा। अगर घरेलू निर्माता भारतीय कैस का इस्तेमाल करते हैं तो प्रति एसटीबी एक या डेढ़ डॉलर की बचत हो पाएगी। इससे घरेलू एसटीबी निर्माताओं को स्वनिर्मित एसटीबी बनाने और आपूर्ति करने के अवसरों में बल मिलेगा। यही नहीं इससे 'मेक इन इंडिया' का लक्ष्य भी हासिल हो पाएगा और साथ ही रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा।

(xii) आकलन

केबल टीवी डिजिटलीकरण के असर का अब तक कोई औपचारिक आकलन नहीं किया गया है। विभिन्न हिस्सेदारों से जो डाटा इकट्ठा किया गया है उससे पता चलता है कि डिजीटलीकरण के कुछ अहम लाभ होने शुरू हो गए हैं, जो इस तरह से है :

(i) एचडी समेत अधिकाधिक चैनलों में से चुनाव का विकल्प : एनालॉग व्यवस्था के समय में केबल में 75 से 80 चैनल दिखाने ही क्षमता थी। ये सभी चैनल स्टैंडर्ड डिफिनिशन (एसडी) के थे लेकिन डिजीटल स्वरूप में वही केबल केवल 600 से 700 चैनलों की क्षमता ही नहीं रखता है बल्कि उसमें एचडी (हाई डिफिनिशन) चैनल भी शामिल हैं। एमएसओ से जो डेटा मिला है उसके मुताबिक दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में हरेक एमएसओ 300 एसडी और 20 एचडी चैनलों की सेवा दे रहा है। इसीलिए उपभोक्ताओं को पास ढेर सारे चैनलों में से अपनी पसंद और गुणवत्ता का चैनल चुनने और देखने का अवसर मौजूद है।

(ii) एड–फ्री (विज्ञापन रहित) और उच्च गुणवत्ता वाले चैनल : डिजीटल व्यवस्था में चैनल एनक्रिप्टेड (कूट रूप में) होते हैं और उपभोक्ता केवल वही चैनल देख सकते हैं जो उन्होंने खरीद रखे हैं। चूंकि डिजीटल व्यवस्था में सेवा प्रदाता सैकड़ों चैनल रख सकते हैं इसलिए प्रसारणकर्ता उच्च गुणवत्ता और यहां तक की एड फ्री नए–नए चैनल शुरू कर रहे हैं। इन चैनलों को केबल उपभोक्ताओं ने अतिरिक्त पैसा चुकाकर खरीदना भी शुरू कर दिया है। यह सब एनालॉग व्यवस्था में संभव नहीं था।

(iii) आवाज़ और तस्वीर की गुणवत्ता : एनालॉग व्यवस्था में तस्वीर और गुणवत्ता न केवल बहुत बुरी थी बल्कि वह इस बात पर निर्भर करती थी कि चैनल आखिर किस बैंड (वीएचएफ–1, वीएचएफ–2 या यूएचएफ) पर है लेकिन डिजीटल व्यवस्था में गुणवत्ता शानदार है। न ही इस डिजीटल व्यवस्थआ में बैंड या फ्रीक्वेंसी का कोई चक्कर है क्योंकि यह व्यवस्था उस सबसे मुक्त है।

(iv)प्रोग्राम गाइड : डिजीटल व्यवस्था में केबल उपभोक्ताओं के पास कार्यक्रमों की जानकारी हासिल करने के पूरे अधिकार हैं। वे यह बात आसानी से जान सकते हैं कि इस समय कहां कौन–सा कार्यक्रम चल रहा है और किस समय कौना–सा कार्यक्रम आने वाला है।

(v) शिकायत निवारण तंत्र : ट्राई के निर्देशों के मुताबिक हरेक एमएसओ और उसके केबल ऑपरेटर के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण का तंत्र हो जिसका टोल फ्री नंबर हो, वेब आधारित व्यवस्था हो ताकि नोडल अधिकारियों की अधिसूचनाओं और अन्य शिकायतों को देखा–समझा जा सके। ज़ाहिर है एनालॉग के दौर में यह व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब डिजिटल व्यवस्था में तमाम शिकायतों का प्रभावी रूप से निवारण किया जाता है। ट्राई ने यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण निर्धारित समय के भीतर किया जाए।

(vi) पारदर्शिता के कारण ईटी और एसटी कलैक्शन में बढ़ोतरी : केबल टीवी डिजीटलीरण के कारण पारदर्शिता आई है। अब किसी एमएसओ या केबल

केबल टीवी डिजीटलीकरण
मनोरंजन कर संग्रहण का आकलन (लाख रुपए में)

क्र.स.	राज्य–केंद्र शासित प्रदेश	वित्त वर्ष			
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	बिहार	19.16	18.61	238.44	292.42
2	गुजरात	796.63	899.31	993.64	1091.12
3	कर्नाटक	238.88	528.59	1047.49	1224.1
4	महाराष्ट्र	7525.03	7146.68	10545.96	11407.18
5	मिजोरम	43.82	48.17	97.83	77.13
6	राजस्थान	-	1389.00	5145.01	10107.07
7	उत्तर प्रदेश	4775.08	5979.33	7869.06	8732.85
8	उत्तराखंड	2312.5	2341.87	2525.74	2895.82
	कुल योग	15711.1	18351.56	28463.17	35827.69

ऑपरेटर के लिए अपने ग्राहकों की संख्या को कम करके दिखाना संभव नहीं है। नीचे दी गई सारिणी से पता चलता है कि मनोरंजन कर का संग्रहण पहले की तुलना में बढ़ गया है। इन राज्यों में 2012–13 में मनोरंजन कर 157 करोड़ जमा किया गया था जो 2015–16 में बढ़कर 358 करोड़ तक पहुंच गया।

(vii) कैरिज शुल्क में कटौती : जब से डिजिटल प्रणाली की क्षमता में वृद्धि हुई है तब से एमएसओ अपने सिस्टम पर वहन करने के लिए प्रसारकों से चैनलों की मांग कर रहे हैं और इस प्रकार एमएसओ द्वारा प्रसारकों पर लगाए जाने वाले कैरिज शुल्क की राशि में कमी आई है।

(viii) सदस्यता राजस्व में वृद्धि : डिजिटल प्रणाली में ग्राहक आधार में पारदर्शिता के कारण, प्रसारकों को एमएसओ/एलसीओ से प्राप्त होने वाले उपभोक्ता राजस्व में वृद्धि देखने को मिली है।

(xiii) तीसरा और चौथा चरण

- **आवश्यकताएं** : 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 117 मिलियन परिवारों (11.7 करोड़) के पास टीवी है।

भारत में कुल घरों में टीवी (2011 की जनगणना के अनुसार)	11.7 करोड़
घरों में एक से ज्यादा टीवी होने पर 20 प्रतिशत एसटीबी को और जोड़ने का प्रावधान	14 करोड़
पहले और दूसरे चरण की उपलब्धि	3 करोड़
शेष तीसरे और चौथे चरण में शामिल किए जाने वाले	11 करोड़

- o तीसरा चरण – 4 करोड़
- o चौथा चरण – 7 करोड़

- ऊपर दिए आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण को मिलाकर करीब 7 करोड़ घरों को केबल डिजीटलीकरण के दायरे में लाया गया। यानी 50 फीसदी केबल टीवी का डिजीटलीकरण। इसका मतलब हुआ कि कुल 14 करोड़ एसटीबी में से 7 करोड़ एसटीबी लगा दिए गए हैं।
- **तीसरे और चौथे चरण के लिए मानचित्र** : तीसरे और चौथे चरण के केबल टीवी डिजीटलीकरण के लिए मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है ताकि इस काम को गति प्रदान की जा सके। इस टास्क फोर्स में विभिन्न हिस्सेदारों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जैसे ट्राई, प्रसारणकर्ता, एमएसओ, एलसीओ, राज्यों से नोडल अधिकारी, उपभोक्ता संगठन, एसटीबी निर्माता और डीटीएच ऑपरेटर। तीसरे चरण की डिजीटलीकरण की प्रक्रिया की देखरेख के लिए टास्क फोर्स की बैठक हर महीने

होती है। अब तक टास्क फोर्स की 18 बैठकें हो चुकी हैं। 31 दिसंबर, 15 तक तीसरे चरण के डिजीटलीकरण के काम को संपन्न कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए :

i) डिजीटलीकरण के फ़ायदे और काम पूरा होने संबंधी जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के साथ–साथ एसएमएस के माध्यम से प्रचार अभियान चलाया गया।

11 जुलाई, 2015 को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन

डेस–3 अभियान के लिए एमआईबी का जागरूकता कार्यक्रम (साभार : आईबीएफ)

ii) डिजीटल व्यवस्था के बारे में जानकारी के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानीय आयुक्तों के साथ बैठक की गई।

iii) सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के शासन से कहा गया कि वे राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करें। 3 जून, 2015, 3 नवंबर, 2015 और 20 जून, 2016 को राज्य स्तर के नोडल अधिकारियों की तीन बैठकें दिल्ली में आयोजित की गईं।

iv) जुलाई, 2015 तक टास्क फोर्स की बैठक के बाद एमएसओ के उप–समूहों की बैठकें की गई। इसके बाद एमएसओ से कहा गया कि वे देश के अन्य हिस्सों में होने वाली कार्यशालाओं में भी भाग लें। ऐसा इसलिए किया गया ताकि राज्य सरकारों और मंत्रालय के बीच परस्पर संवाद कायम हो सके।

v) 12 स्थानों पर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया गया। ये स्थान हैं– दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, शिलांग, जयपुर, हैदराबाद, पुणे, भुवनेश्वर, बंगलुरु और पटना। इन इकाइयों का काम डाटा इकट्ठा करना, डिजीटलीकरण के काम की प्रगति पर नज़र रखना और काम की कड़ियों के बीच संपर्क साधना था।

vi) जुलाई से नवंबर 2015 के बीच मंत्रालय ने पहले चरण के तहत 11 क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया। राज्य और जिला स्तर के नोडल अधिकारियों के साथ ये कार्यशालाएं चंडीगढ़, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, शिलांग, जयपुर, हैदराबाद, पूने, भुवनेश्वर, बंगलुरु और पटना में आयोजित की गई थीं ताकि उन्हें डिजीटलीकरण के काम में उनकी भूमिका से अवगत कराया जा सके। इन कार्यशालाओं में पंजीकृत एमएसओ को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि यह देखा गया कि बार–बार आधिकारिक सूचना और संवाद के बाद भी एमएसओ की इन कार्यशालाओं में कम ही उपस्थिति रही।

vii) यहां यह रेखांकित करना भी उचित होगा कि 11 नवंबर, 2011 की सार्वजनिक गजट अधिसूचना और पहले चरण की शुरुआत के साथ ही तमाम हिस्सेदारों, खास तौर से एमएसओ और एलसीओ को केबल टीवी के डिजिटलीकरण के बारे में जानकारी थी। लिहाज़ा, वे यह दलील नहीं दे सकते कि उन्हे डिजिटल व्यवस्था के हरेक चरण के काम खत्म होने की अंतिम तिथि के बारे में कुछ पता ही नहीं था। यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि तीसरे चरण के काम के लिए तमाम हिस्सेदारों को चार साल से भी ज्यादा का समय दिया गया था। 11 नवंबर, 2011 को जारी पहली गजट अधिसूचना में बता दिया गया था कि तीसरे चरण के काम सम्पन्न होने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2014 है। लेकिन 11 सितंबर,

2014 को जारी एक दूसरी गजट अधिसूचना में यह बता दिया गया था कि अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2015 कर दी गई है।

viii) केबल टीवी के डिजीटलीकरण के लिए मंत्रालय की स्वीकृत योजना मिशन डिजीटाइजेशन के लिए 13.02 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। डिजीटलीकरण का काम सरकारी उपक्रम बीईसीआईएल के माध्यम से क्रियान्वित होना तय किया गया। इस योजना के तहत 12 क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया गया ताकि डीएएस लागू करने में लगे हिस्सेदारों और तमाम गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके।

ix) डिजीटलीकरण की प्रक्रिया के समग्र विवरण के लिए मंत्रालय ने आंतरिक रूप से एक निर्धारित स्वरूप में एसटीबी की उपलब्धता और उनकी सीडिंग की जानकारी पंजीकृत एमएसओ से मांगी। हालांकि जो 189 पंजीकृत एमएसओ थे उनमें से केवल 59 ने ही जवाब दिया यानी जानकारी उपलब्ध कराई। सीडिंग प्रक्रिया से जुड़े डेटा को इकट्ठा करने और उसके मिलान के लिए मंत्रालय ने एक सूचना प्रबंधन व्यवस्था (एमआईएस) तैयार की।

x) एक टोल फ्री, बहुभाषीय हेल्पलाइन नंबर 18001804343 शुरू किया गया जिसमें आठ भाषाओं में सवाल पूछे जा सकते थे। तीसरे चरण के समापन के अंतिम दिनों में इस टोल फ्री नंबर पर हर रोज 1000 कॉल आ रही थीं। और आजकल भी हर रोज 300 से 400 कॉल्स आ रही हैं।

xi) डीएएस अधिसूचित इलाकों में सेवाएं देने के लिए मंत्रालय ने 229 एमएसओ का नियमित पंजीकरण किया। 830 एमएसओ का अस्थाई पंजीकरण किया गया।

xii) डिजीटलीकरण के लाभों तथा काम की आखिरी तिथि के बारे में अवगत कराने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और एसएमएस के जरिये प्रचार–प्रसार अभियान चलाया गया। जन जागरूकता के लिए तमा प्रमुख प्रसारणकर्ता और एमएसओ पास वीडियो स्पॉट थे।

xiii) मंत्रालय ने प्रसारणकर्ताओं से उन एलसीओ की सूची प्राप्त की थी जिनके पास उनके साथ इंटरकनैक्शन समझौता था। इसके बाद केबल टीवी में डिजीटल सेवाएं देने के लिए मंत्रालय ने 1027 एलसीओ को परामर्शिका जारी करके कहा कि एमएसओ पंजीकरण के लिए आवेदन करें।

- डिजीटलीकरण की व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए कि अगर डिजीटलीकरण की अंतिम तारीख निकल जाने के बाद भी कोई केबल ऑपरेटर एनालॉग सिग्नल दे रहा है तो केबल टीवी नेटवर्क (नियंत्रण) अधिनियम के तहत जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी या फिर पुलिस आयुक्त ही उन पर अपने इलाके के हिसाब से कोई कार्रवाई कर सकते हैं। इसका विवरण धारा 4–ए में किया गया है। अधिकृत अधिकारियों के पास यह शक्ति है कि वे उन सेवा प्रदाताओं के उपकरण ज़ब्त (धारा 11) कर सकते हैं और कुर्क (धारा 12) कर सकते हैं। केबल ऑपरेटर किस तरीके से राहत पा सकते हैं यह सरकार को देखना है। जैसाकि विदित ही है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की सरकारें डिजीटलीकरण व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं, मंत्रालय के आग्रह पर राज्य और केंद्र शासित शासनों ने जिला और राज्य स्तर पर नोडल अधिकारियों का नामांकन किया है। राज्य स्तर के नोडल अधिकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की उस टास्क फोर्स का हिस्सा हैं जिसका काम डिजीटलीकरण की व्यवस्था को तेजी के साथ लागू कराना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रमुख सचिवों और प्रशासकों से इस बाबत लगातार संपर्क में रहता है।

(xiv) तीसरे चरण के केबल डिजिटलीकरण की राह में आई चुनौतियां

यह दुर्भाग्य की बात है कि जैसे ही कार्य समापन की अंतिम तिथि आने वाली थी कुछ एमएसओ तथा कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस गुहार के साथ पहुंच गए कि तारीख बढ़ा दी जाए। 30 दिसंबर 2015 को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने काम के लिए 2 महीने का विस्तार दे दिया। इन उच्च न्यायालयों की ओर से पारित इस आदेश के मद्देनजर बॉम्बे हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने (डब्ल्युपी नं. 6903 (2014) (नासिक जिला केबल ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा तीसरे चरण की अंतिम तारीख बढ़ाने के लिए) 4 जनवरी 2016 को एक आदेश जारी कर कहा कि अंतरिम आदेश का सवाल ही नहीं उठता। इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुसुम इनगोट्स एंड एलॉज लिमिटेड के सर्वोच्च न्यायालय के मुकदमे का हवाला दिया। इस पर मंत्रालय ने विधि मंत्रालय से अदालत के इस आदेश की व्याख्या तथा डिजीटलीकरण के काम पर इसकी मान्यता

के बारे में विचार जानना चाहा। तब विधि मंत्रालय ने बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसकी मान्यता के दायरे में पूरा देश है।

इस तरह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 31 दिसंबर, 2015 की अंतिम तारीख को राज्यों पर लागू नहीं कर सका। इस आदेश के मद्देनजर इस बात का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता कि किसी की ओर से अंतिम तारीख बढ़ाने के लिए याचिका दायर की गई है या नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि एमएसओ और अन्य ऑपरेटरों ने इस काम के लिए जो बड़ी पूंजी लगा रखी थी वह ठहर गई और बाजार में अनिश्चितता का माहौल बन गया और कुछ इलाकों में ऑपरेटर अब भी एनालॉग सिग्नल मुहैया करा रहे हैं। मंत्रालय के लिए प्रसारणकर्ताओं से यह कहना भी ठीक नहीं रहेगा कि वे एनालॉग सिग्नल बंद कर दें क्योंकि यह अदालत की अवहेलना होगी।

देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल मिलाकर 61 मामले दर्ज कराए गए। इसी के मद्देनजर मंत्रालय ने 16 फरवरी, 2016 को सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया क्योंकि अलग–अलग अदालतों ने विस्तार का अलग–अलग समय प्रदान किया था। मंत्रालय चाहता था कि ये तमाम मामले शिखर अदालत में ही स्थानांतरित कर दिए जाएं या किसी अन्य अदालत में। 1 अप्रैल 2016 को शिखर अदालत इस बात के लिए राज़ी हो गई कि तमाम केस उसके पास स्थानांतरित कर दिए जाएं और भविष्य में अगर कोई और इसी तरह का मामला आएगा तो उसकी सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में की जाएगी। मंत्रालय द्वारा स्थानांतरण की याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल, 2016 को निर्देश दिया कि विभिन्न अदालतों में लंबित तमाम मामले दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए जाएं। विभिन्न अदालतों में लंबित 45 मामले जो दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए गए थे उनमें से अधिकांश का निस्तारण 2016 के दिसंबर माह में हो गया है और जो मामले बचे हैं उनका फैसला भी पक्ष में ही आने की उम्मीद है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि तीसरे चरण के तहत जिन इलाकों में काम चल रहा है वह जल्द ही पूरा हो जाएगा।

(xv) उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि पहले और दूसरे चरण में जिन इलाकों में डिजीटलीकरण का काम हुआ उसके बेहद सकारात्मक इनपुट प्राप्त हुए। डिजीटलीकरण के माध्यम से केबल नेटवर्क के जरिये हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की उपलब्धता होगी जिससे सरकार के डिजीटल इंडिया मिशन की भी पूर्ति की जा सकेगी लेकिन केबल टीवी नेटवर्क का डिजीटलीकरण पूरी तरह से इस उद्योग के साझीदारों, जैसेकि प्रसारणकर्ता और केबल ऑपरेटरों पर निर्भर करता है। केबल ऑपरेटर योजना की अंतिम तारीख समाप्त हो जाने के बाद केवल डिजीटल सिग्नल देने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य हैं। इस काम में मंत्रालय एक सहायक की भूमिका में है। टास्क फोर्स के जरिये तमाम चिंता के विषयों को सुलझाने की कवायद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा ट्राई को करनी होगी। इसके लिए वे साझीदारों से विचार–विमर्श करेंगे। ट्राई ने इंटर–कनेक्शन नियमों के साथ ही सेवा की गुणवत्ता से जुड़े नियमों और दरों की घोषणा की है। इन विधानों के तहत योजना लागू करने संबंधी क्रियाकलापों की देखरेख ट्राई द्वारा की जाएगी। एमएसओ पंजीकरण से जुड़े मसले और केबल टीवी अधिनियमों के प्रावधानों की देखरेख और प्रबंधन का काम मंत्रालय के अधीन रहेगा।

स्पोर्ट्स ब्राडकास्टिंग सिगनल्स (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007

भारत और विदेश में आयोजित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का प्रसारण निःशुल्क यानी फ्री टू एयर आधार पर अधिक से अधिक श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिगनल्स (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 पारित किया गया। यह कार्य प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण सिग्नलों की अनिवार्य हिस्सेदारी के जरिए किया जाता है। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिगनल्स (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 की धारा 3(1) के अनुसार इस अधिनियम के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न खेल कार्यक्रमों के प्रसारण संकेत प्रसार भारती के साथ साझा करना अनिवार्य है। सरकार ने जी.एस.आर. 687(ई) दिनांक 31 अक्तूबर, 2007 के जरिए खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) नियम 2007 अधिसूचित किए ताकि अधिनियम का सुचारू और समुचित कार्यान्वयन किया जा सके। अधिनियम की धारा 2(1)(एस) में केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कवरेज के लिए राष्ट्रीय महत्व की खेल घटनाओं को अधिसूचित कर सकती है।

सरकार ने एस.ओ. 1489 (ई) दिनांक 04 जुलाई, 2012 और एस.ओ. 1957(ई) दिनांक 23 अगस्त, 2012 भी

अधिसूचित किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिताओं का ब्यौरा दिया गया है, जिनमें अन्य के अलावा क्रिकेट, टेनिस, हॉकी और फुटबॉल से संबंधित खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने क्रिकेट मैचों के संबंध में प्रसार भारती के साथ राष्ट्रीय महत्व के खेल प्रतियोगिताओं की अनिवार्य साझेदारी के लिए एस. ओ. 3264 (ई) दिनांक 22 अक्तूबर, 2016 को भी अधिसूचित किया है।

भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीति दिशा–निर्देश

भारत में टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) व्यापक बहस का मुद्दा रहे हैं, क्योंकि टीआरपी की वर्तमान प्रणाली में असंख्य विसंगतियां हैं, जैसे लघु नमूना आकार, जो प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं होता है, पारदर्शिता का अभाव, आंकड़ों की विश्वसनीयता और भरोसे का अभाव आदि। प्रमुख संबद्ध पक्षों द्वारा वर्तमान रेटिंग प्रणाली की खामियों को उजागर किया गया है, जिनमें व्यक्ति, उपभोक्ता समूह, सरकार, प्रसारणकर्ता, विज्ञापनदाता और विज्ञापन एजेंसियां आदि शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध स्थाई समिति के सदस्यों ने भी वर्तमान टीआरपी व्यवस्था की खामियों को लेकर चिंता प्रकट की है। एमआईबी ने टीआरपी से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में ट्राई से सिफारिशें मांगी हैं और रेटिंग एजेंसियों के लिए नीति निर्देश मंजूर किए जाने हैं। ट्राई ने 19 अगस्त, 2008 को अपनी सिफारिशों में अन्य बातों के अलावा स्वःनियमन की अनुशंसा की, जो उद्योग आधारित एक निकाय अर्थात् प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद (बीएआरसी) की स्थापना के जरिए किया जा सकता है। मंत्रालय ने 2010 में तत्कालीन फिक्की महासचिव डॉ अमित मित्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसे भारत में वर्तमान टीआरपी प्रणाली की समीक्षा का काम सौंपा गया था। अमित मित्रा समिति ने यह अनुशंसा भी की थी कि उद्योग द्वारा टीआरपी का स्वःनियमन आगे बढ़ने का उत्कृष्ट तरीका है। बीएआरसी चूंकि टीआरपी सृजन व्यवस्था को प्रचालित नहीं कर पाई, अतः एमआईबी ने अगस्त 2012 में भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए व्यापक दिशा–निर्देशों व उनके प्रत्यायन की व्यवस्था के लिए ट्राई से सिफारिशें देने को कहा ताकि टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों द्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बेहतर मानक और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशा–निर्देश के बारे में ट्राई की अनुशंसाएं 11.9.2013 को प्राप्त हुईं।

बीएआरसी की तरह के उद्योग आधारित निकाय के जरिए टेलीविजन रेटिंग के स्वःनियमन का समर्थन करते हुए ट्राई ने सिफारिश की कि टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों का नियमन एमआईबी द्वारा अधिसूचित दिशा–निर्देशों के एक फ्रेमवर्क के जरिए किया जाएगा। यह अनुशंसा की गई कि वर्तमान रेटिंग एजेंसियों सहित सभी रेटिंग एजेंसियों को उक्त दिशा–निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार एमआईबी के साथ पंजीकरण कराना होगा।

ट्राई की सिफारिशों के आधार पर भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी, 2014 को व्यापक नीति–निर्देश जारी किए गए। भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशा–निर्देश इस बात को ध्यान में रख कर तैयार किए गए हैं कि वर्तमान टेलीविजन रेटिंग की खामियां दूर की जा सकें। इन दिशा–निर्देशों का लक्ष्य टेलीविजन रेटिंग को पारदर्शी, भरोसेमंद और जवाबदेह बनाना है।

इस क्षेत्र में प्रचालित एजेंसियों को सरकारी प्रकटीकरण से संबंधित निर्णयों का अनुसरण करना होगा और अपनाई गई पद्धतियों में पारदर्शिता और संबंधी व्यवस्थाओं की तृतीय पक्ष जांच करानी होगी। इससे रेटिंग एजेंसियों को सरकार, प्रसारणकर्ताओं, विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसियों जैसे सम्बद्ध पक्षों और सबसे ऊपर इस देश के लोगों के प्रति जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

टीएएम मीडिया रिसर्च में 51 प्रतिशत रेटिंग रखने वाली कम्पनी कांतर मार्किट मीडिया रिसर्च ने मंत्रालय द्वारा टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के बारे में जारी नीति–दिशा निर्देशों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस कम्पनी ने दिशा निर्देशों के खंड 1.7(ए) और 1.7(डी), तथा खंड 16.1 और 16.2 को चुनौती दी है,जो क्रासहोल्डिंग प्रतिबंधों से संबंधित है।

16.1 ये दिशा–निर्देश वर्तमान रेटिंग एजेंसियों पर भी लागू होंगे।

16.2 कोई रेटिंग एजेंसी इन दिशा–निर्देशों में दिए गए निर्देशों का अनुपालन किए बिना रेटिंग का सृजन और प्रकाशन नहीं करेगी

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में इन प्रावधानों पर मामले के अंतिम निपटारे तक रोक लगा दी है। वर्तमान में मामला न्यायालय के अधीन है। मैसर्स टैम मीडिया रिसर्च और प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद

(बीएआरसी) ने मंत्रालय में पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है।

मैसर्स प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद ने 3 नवंबर, 2014 को टीआरपी एजेंसी के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 28 जुलाई, 2015 को उसे टीआरपी एजेंसी के रूप में पंजीकरण प्रदान किया गया।

मैसर्स टैम मीडिया रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने 19 फरवरी, 2014 को टीआरपी एजेंसी के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। वर्तमान में उनका आवेदन मंत्रालय के विचाराधीन है।

सामुदायिक रेडियो

विहंगावलोकन

सामुदायिक रेडियो, सार्वजनिक सेवा और वाणिज्यिक मीडिया से अलग, प्रसारण का महत्वपूर्ण तीसरा स्तर है। यह स्थानीय लोगों को, उनके जीवन से संबंधित मुद्दों को स्वर देने के लिए एक मंच मुहैया कराता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में यह क्षेत्र धीरे–धीरे, लेकिन प्रभावी ढंग से वृद्धि कर रहा है। सामुदायिक रेडियो, वास्तव में, कम क्षमता के रेडियो स्टेशन हैं, जो स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित और संचालित किए जाते हैं। भारत में सीआरएस अनुमतियां केवल शैक्षणिक संस्थानों, कृषि संस्थानों और नागरिक संगठनों जैसे गैर–लाभकारी संगठनों को प्रदान की गई हैं। सीआरएस स्थानीय समुदायों में स्थित हैं और इनका स्वामित्व और प्रबंधन स्वयं समुदायों द्वारा किया जाता है। यह उन्हें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि आदि स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की विशेष सुविधा देता है। इसके अलावा, सीआरएस क्षेत्र हाशिये पर स्थित समूहों को उनकी चिंताओं को आवाज देने के लिए सशक्त माध्यम उपलब्ध कराता है।

यही नहीं, चूंकि प्रसारण स्थानीय भाषाओं और बोलियों में होता है, लोग इससे आसानी से जुड़ने में समर्थ होते हैं। सामुदायिक रेडियो, विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को मजबूत करने की भी क्षमता रखता है। भारत जैसे देश में, जहां प्रत्येक राज्य की अपनी अलग भाषा और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, सीआरएस स्थानीय लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत का कोष भी है। कई सीआरएस, भावी पीढ़ी के लिए स्थानीय गीतों को रिकार्ड और संरक्षित भी करते हैं और स्थानीय कलाकारों को समुदाय के समक्ष उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए मंच मुहैया कराते हैं। सकारात्मक सामाजिक बदलाव के साधन के रूप में सीआरएस की अनूठी स्थिति, इसे समुदाय के सशक्तिकरण का एक आदर्श उपकरण बना देता है। सामुदायिक रेडियो के लिए नीतिगत दिशा–निर्देश और वर्तमान में संचालित सीआरएस की सूची www.mib.nic.in पर देखी जा सकती है।

दिसंबर 2002 में, भारत सरकार ने सुव्यवस्थित शिक्षण संस्थानों को सीआरएस की स्थापना के लिए अनुदान देने की एक नीति को मंजूरी दी। 2006 में, गैर–लाभकारी संस्थाओं को भी सीआरएस की अनुमति देने के लिए दिशा–निर्देशों में संशोधन किया गया, ताकि विकास और सामाजिक परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर नागरिक समाज की अधिक भागीदारी हो सके।

वर्तमान समय में, 201 संचालित सीआरएस, 259 जीओपीए धारक और 519 एलओआई धारक हैं।

सीआर प्रसारण ने आवेदन कार्यप्रणाली के सरलीकरण, आवेदनों की प्रोसेसिंग की पारदर्शिता में सुधार, मंजूरी की गति में वृद्धि, बेहतर समन्वय, जागरूकता बढ़ाने, शेयर धारकों के मध्य बेहतर तालमेल और सीआर के प्रसारण में सरकारी मंत्रालयों की भागीदारी बढ़ाने जैसे कदम उठाकर भारत में सीआर के सार्थक विकास की ठोस नींव रखी है।

भारत में सीआरएस की स्थिति

अब तक, 519 आवेदकों को आशय पत्र (एलओआई) जारी किए जा चुके हैं। इन 519 एलओआई धारकों में से 259 धारकों ने समझौते की स्वीकृति संबंधी अनुमति (जीओपीए) पर हस्ताक्षर किए। सीआरएस स्थापित करने की अनुमति देने के लिए करीब 250 आवेदनों पर इस समय विचार किए जा रहे हैं।

अब तक, देश में 201 सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 76 एनजीओ द्वारा, 110 शैक्षणिक संस्थानों और 15 एसएयू/केवीके द्वारा संचालित हैं। संचालित सी आर एस का रेखाचित्रीय प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है :

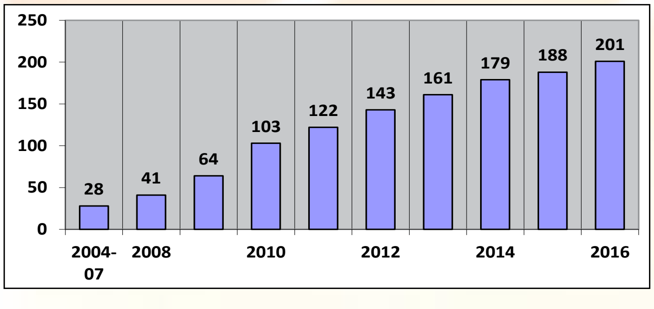

मंत्रालय की नई पहल

उपकरणों के लिए अनुमति : सामुदायिक रेडियो योजना को बढ़ावा देने तथा अधिक से अधिक संगठनों को सीआर स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास के तहत मंत्रालय ने उपकरणों की खरीद के अधिकतम आकार को 7.50 लाख रूपए की अधिकतम सीमा के साथ कुल अनुमानित खर्च के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने का फैसला किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अधिकतम अनुमति आकार 7.5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ कुल अनुमानित खर्च का 90 प्रतिशत होगा।

कंटेंट सृजन के लिए अनुमति : विभिन्न विषयों पर नए कार्यक्रम बनाने तथा प्रसारित करने के लिए 'भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को समर्थन प्रदान करने' की योजना के तहत संचालित हो रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को अनुदान प्रदान किए जाएंगे। सामग्रियों के सृजन के लिए अधिकतम अनुदान तीन साल की अवधि के लिए प्रति घंटे कार्यक्रम के लिए 2350 रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपये तक सीमित होगा।

सीआरएस की क्षमता निर्माण : सीआरएस की जरूरत के मुताबिक एक प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन किया गया है। इस मुद्दे पर हितधारकों के साथ कई दौर की चर्चा की गई है। अंत में 5 विषयों की पहचान की गई है, जिन पर सीआरएस की क्षमता का निर्माण किया जाएगा। सीआरएस की क्षमता निर्माण के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए एफआरपी का मसौदा तैयार किया गया है। हाल में भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) को सिद्धांत रूप से प्रसारण के विभिन्न मामलों, जैसे सामग्री सृजन, तकनीकी ज्ञान एवं देश के कुछ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में वाम उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के कर्मचारियों को प्रशिक्षण आदि में प्रशिक्षण देने की अनुमति दी गई है।

भारत में सीएसआर की प्रभाविकता पर अध्ययन : सामुदायिक रेडिया की कारगरता तथा आसपास के समुदायों में इसकी पहुंच का मूल्यांकन करने के लिए मंत्रालय ने देश में संचालित हो रहे सामुदायिक रेडियो के संबंध में श्रोता संबंधी सर्वेक्षण करने का फैसला किया है। एएमएस, लखनऊ को मंत्रालय की ओर से यह सर्वेक्षण करने के लिए चुना गया। यह निर्णय किया गया कि इस सर्वे के लिए नमूना आकार 19 स्टेशनों (संचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का 10 प्रतिशत) का होगा। सीआर स्टेशनों के भौगोलिक फैलाव तथा भाषाई आधार पर इन 19 सीआर स्टेशनों का चुनाव किया गया है। एएमएस, लखनऊ ने यह सर्वे किया है और मंत्रालय को अपनी मसौदा रिपोर्ट सौंप दी है। अंतिम रिपोर्ट शीघ्र आने वाली है।

सामुदायिक रेडियो पर जागरूकता कार्यशाला : भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन की सफलता के लिए जागरूकता उत्पन्न करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, मंत्रालय विभिन्न हितधारकों के साथ जागरूकता कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से मंत्रालय सामुदायिक रेडियो योजना का व्यापक प्रचार कर रही है। अब तक 63 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। ये कार्यशालाएं दिशा–निर्देशों, अनुप्रयोग प्रक्रियाओं, सीआरएस के लिए सामग्रियां एवं निरंतरता संबंधी मामलों आदि से जुड़े मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान कर रही हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान भोपाल, उदयपुर, जम्मू, पटना, गुवाहाटी, इलाहाबाद, बंगलुरु और रायपुर में आठ कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना है। कार्यशालाओं के लिए स्थान का निर्धारण सीआर स्टेशनों के फैलाव को देखते हुए किया गया। इन कार्यशालाओं में शामिल होने वाले प्रतिभागी उन जिलों से होंगे जहां सीआरएस मौजूदा समय में नहीं हैं।

पटना में 21 और 22 दिसंबर, 2016 को आयोजित सामुदायिक रेडियो जागरूकता के चित्र

सीआरएस की विषय सामग्री साझा मंच : एक दुनिया एक आवाज (ईडीएए) www.edaa.in सामुदायिक रेडियो प्रसारकों, सरकारी विभागों और अन्य आईइसी सामग्री उत्पादकों के लिए एक वेब आधारित सामग्री और जानकारी के आदान–प्रदान का एक स्वतंत्र और खुला मंच है। ईडीएए पोर्टल सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को आपस में उनके कार्यक्रमों की भागीदारी करने का अवसर उपलब्ध कराता है। मंत्रालय सामग्री प्रबंधन के लिए श्रमशक्ति हासिल करने में वित्तीय सहायता के जरिए इस मंच की मदद करता है।

वर्तमान में, पोर्टल के पास 29 विभिन्न भाषाओं/बोलियों में 11,000 ऑडियो क्लिप और रेडियो कार्यक्रमों का भंडार है। 110 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने इसमें, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, पंचायती राज, सफाई और पेयजल आदि विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम अपलोड किए हैं।

भोपाल में 3 से 5 अक्तूबर, 2016 के दौरान आयोजित सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशाला के फोटोग्राफ

एफएम प्रभाग

- एफएम प्रभाग की मुख्य गतिविधियां/नीतियां देश में निजी एजेंसियों के जरिए एफएम रेडियो नेटवर्क का विस्तार करना है।
- एफएम रेडियो क्षेत्र को जुलाई, 1999 (प्रथम चरण) में देश में पहली बार के लिए निजी भागीदारी के लिए खोला गया था। एफएम के पहले चरण की योजना को सीमित सफलता मिली और 12 शहरों में केवल 21 चैनल शुरू हो सके। 2005 में शुरू हुई एफएम द्वितीय चरण योजना से राज्यों की राजधानियों (भले ही राज्यों की राजधानियों की आबादी 3 लाख से कम हो) के साथ–साथ 3 लाख की आबादी वाले

सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अजय मित्तल का कोलकाता में आकाशवाणी के स्टूडियो और अन्य अनुभागों का दौरा

शहरों में निजी एफएम रेडियो के विस्तार का प्रावधान हुआ। दूसरे चरण के तहत 83 शहरों में 243 निजी एफएम चैनल शुरू हुए जिनमें 21 चैनलों के प्रथम चरण से आए थे।

- यह महसूस किया गया कि अभी भी कई शहरों में एफएम रेडियो की मांग है जिसके दूसरे चरण में निजी एफएम रेडियो प्रसारण के दौरान शामिल नहीं किया गया था। इसलिए सरकार ने 25 जुलाई, 2011 को एफएम चरण तीन योजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य एक लाख या उससे अधिक की आबादी वाले शहरों के अलावा जम्मू व कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और प्रायः द्वीप क्षेत्रों के 11 सीमा शहरों (जिनकी आबादी एक लाख से कम है) में एफएम रेडियो का विस्तार करना था।
- एफएम के तीसरे चरण के तहत 294 शहरों में 839 नए एफएम रेडियो चौनलों को आरोही ई–नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अनुमति दी जाने वाली है। ये प्रक्रियाएं बैचों में होंगी।
- मंत्रालय 2015 में निजी एफएम रेडियो के तीसरे चरण के पहले बैच के लिए ई–नीलामी का आयोजन किया और (अक्तूबर, 2016 तक) 55 शहरों में 96 चैनलों से 1103.51 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। एक शहर में एक चैनल का परिणाम रोक लिया गया 55 शहरों में 96 चौनलों के विजेताओं से। गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी मंजूरी के विचाराधीन होने के कारण एक शहर में एक चैनल के परिणाम को रोक लिया गया।
- सरकार ने दूसरे चरण के एफएम रेडियो से तीसरे चरण के एफएम रेडियो चैनल में बदलने के लिए प्रवासन शुल्क के तौर पर 225 चैनलों से 1616.20 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया। द्वितीय चरण के 4 एफएम चैनलों के माइग्रेशन को गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी मंजूरी के लंबित होने के कारण रोक दिया गया जबकि अदालतों में मामलों के लंबित होने के कारण 4 चैनलों का माइग्रेशन लंबित है।

वर्ष की विशेषताएं

20.06.2016 को 92 शहरों में 266 निजी तृतीय चरण एफएम चैनलों के दूसरे बैच को (जिनमें 69 नए शहरों में 227 एफएम चैनल तथा प्रथम बैच के 23 शहरों के 39 अनबिके चैनल हैं) की ई–नीलामी के लिए एनआईए जारी हुए। 15 कंपनियों से प्राप्त आवेदनों को सुरक्षा संबंधी मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को तथा कुल मूल्य, शेयर होल्डिंग पैटर्न आदि के संबंध में सीए को पैनलबद्ध किया गया। इन आवेदनों को आवेदन समीक्षा समिति ने जांच की तथा एक कंपनी (मैसर्स अग्रणी होम्स) के आवेदन को खारिज कर दिया गया क्योंकि इस कंपनी ने ईएमडी जमा नहीं की। इस तरह से दूसरे बैच की ई निलामी के लिए केवल 14 कंपनियां रह गई हैं। मैसर्स सी–1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ई–नीलामीकर्ता एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नीलामी सलाहकार ने नई दिल्ली में रायसीना रोड स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में 14 अक्तूबर, 2016 को आवेदन करने वाली कंपनियों को प्रशिक्षण दिया।

इसके बाद 21 एवं 24 अक्तूबर, 2016 को मॉक नीलामी आयोजित की गई ताकि बोली लगाने वालों को ई–नीलामी के दौरान लागू एवं अपनाई जाने वाले निलामी नियमों एवं बोली विधि के बारे में अवगत कराया जा सके। ई–नीलामी 27 अक्तूबर, 2016 शुरू हुई जो 14 दिसंबर, 2016 को सम्पन्न हुई। इस दौरान 48 शहरों में 66 चैनलों को अस्थाई तौर पर 188.85 करोड़ रुपये के सकल आरक्षित मूल्य के एवज में 200.24 करोड़ रुपये के संचयी मूल्य पर बेचा गया। फ्रीक्वेंसी आबंटन चरण 14 दिसंबर, 2016 को किया गया। दूसरे बैच के पूरा होने के बाद मंत्रालय तीसरे चरण के शेष शहरों के लिए नीलामी के संबंध में कार्रवाई करेगी।

सरकार ने डीआईपीपी प्रेस नोट 12 (2015) दिनांक 24 नवंबर, 2015 के अनुसार निजी एमएम रेडियो प्रसारण कंपनी में एफडीआई एवं एफआईआई सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है।

निजी एफएम चैनलों का मानचित्र

एक उप मानचित्र में एफएम की चरण–एक और चरण–दो योजनाओं के तहत आने वाले शहरों में संचालित निजी एफएम चैनलों को दिखाया गया है। इसमें एफएम चरण–तीन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित शहरों को भी दर्शाया गया है।

सरकार के राजस्व स्रोत

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान, सरकार ने निजी एफएम चैनलों की सालाना लाइसेंस शुल्क के जरिए 13 जनवरी, 2017 की अवधि तक 134.41 करोड़ रुपये (लगभग) राजस्व की प्राप्ति की। देश में स्थित निजी एफएम रेडियो प्रसारण के माध्यम से सरकार ने 2000 से लेकर 13 जनवरी, 2017 तक, एकमुश्त प्रवेश शुल्क, प्रवासन शुल्क और वार्षिक लाइसेंस शुल्क के माध्यम से लगभग 5005 करोड़ की कुल राजस्व आय प्राप्त की।

निजि एफ.एम केन्द्रों के चरण 1, 2 और 3 की प्रस्तावित प्रचालिता

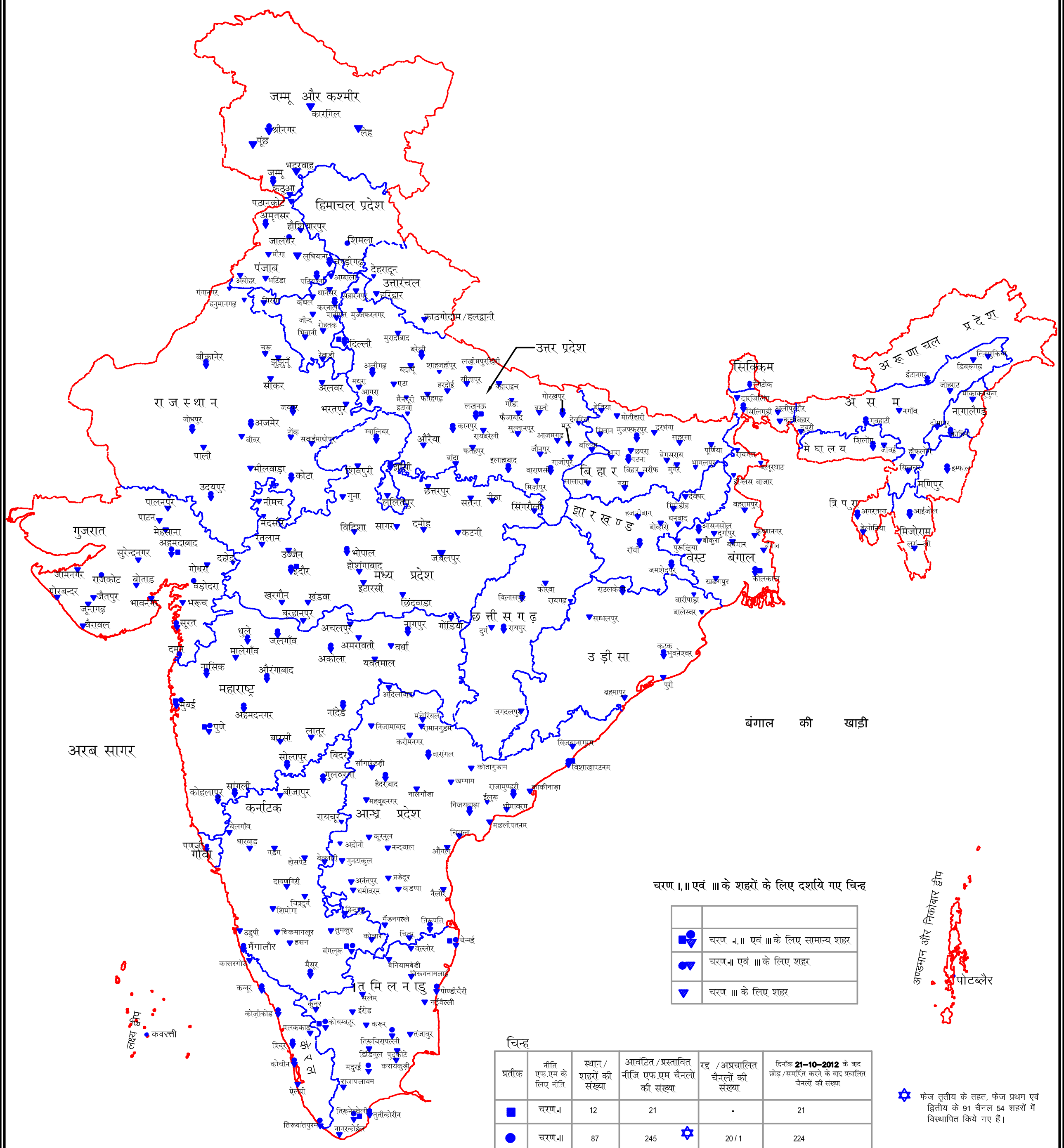

चरण I, II एवं III के शहरों के लिए दर्शाये गए चिन्ह

■●▼	चरण -I, II एवं III के लिए सामान्य शहर
●▼	चरण-II एवं III के लिए शहर
▼	चरण III के लिए शहर

चिन्ह

प्रतीक	नीति एफ.एम के लिए नीति	स्थान / शहरों की संख्या	आवंटित / प्रस्तावित नीजि एफ.एम चैनलों की संख्या	रद्द / अप्रचालित चैनलों की संख्या	दिनाँक **21–10–2012** के बाद छोड़ / समर्पित करने के बाद प्रचालित चैनलों की संख्या
■	चरण-I	12	21	-	21
●	चरण-II	87	245 ✡	20 / 1	224
▼	चरण -III	313	839 (प्रस्तावित) ✡	-	-

✡ फेज तृतीय के तहत, फेज प्रथम एवं द्वितीय के 91 चैनल 54 शहरों में विस्थापित किये गए हैं।

यह कॉपीराइट **मानचत्रि** बेसिल की संपत्ति है और पुनरूत्पादन के लिए नहीं है। नकल की कापी तीसरी पार्टी के सुपुर्द कर दिया है। जिसके लिए इसे जारी किया गया है उसके अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग करना निशेध है।

मानचत्रि सं: बेसलि / एफएम / ई एंड पी / स्टेशन / 001 / A

बेसलि
ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट इंडिया लिमिटेड
मुख्य कार्यालय - 14-बी, रिंग रोड,
आई पी एस्टेट, नई दलि्ली -110 002 (भारत),
टेली : - 2337 8823, फैक्स नं 2337 9885

प्रसार भारती

प्रसार भारती, देश में लोक सेवा प्रसारक है। उसके दो संघटक–आकाशवाणी और दूरदर्शन हैं। प्रसार भारती 23 नवंबर, 1997 को अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य जनता को सूचना देने, शिक्षित करने और उसका मनोरंजन करने वाली लोक प्रसारण सेवाओं का आयोजन और संचालन करना तथा देश में प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।

राज्यमंत्री श्री जितेन्द्र सिंह राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में 2016 का सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देते हुए

उद्देश्य

- देश की एकता, अखंडता और देश के संविधान द्वारा संस्थापित मूल्यों को बनाए रखना।
- राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
- लोक हित के सभी मामलों की सूचना पाने के नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना और निष्पक्ष और संतुलित सूचना प्रदान करना।
- शिक्षा और साक्षरता के प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना, महिलाओं से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना और बच्चों, वृद्धों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना।
- विभिन्न संस्कृतियों, खेलों और युवा मामलों पर पूरा ध्यान देना।
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और कामगारों व अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना।
- प्रसारण तकनीक का विकास, इसकी सुविधाओं का विस्तार और शोध को बढ़ावा देना।

प्रसार भारती निगम, प्रसार भारती बोर्ड द्वारा चलाया जाता है जिसमें एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य (जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है), सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक), छह अंशकालिक सदस्य, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक पदेन सदस्यों के रूप में और निगम के कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रसार भारती अध्यक्ष अंशकालिक सदस्य होता है, जिसका कार्यकाल तीन साल और सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष होती है। कार्यकारी सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होता है जिसका कार्यकाल पांच वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) भी पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल छह वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है।

प्रसार भारती बोर्ड की संरचना (दिनांक 11.01.2017 तक) निम्नलिखित है :

1)	डॉ. ए. सूर्य प्रकाश	अध्यक्ष
2)	रिक्त	कार्यकारिणी सदस्य
3)	श्री सुरेश चंद्र पांडा	सदस्य (कार्मिक)
4)	श्री राजीव सिंह	सदस्य (वित्त)
5)	सुश्री जयश्री मुखर्जी, अति. सचिव	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रतिनिधि
6)	श्री मुजफ्फर अली	अंशकालिक सदस्य
7)	श्री अनूप जलोटा	अंशकालिक सदस्य
8)	श्री सुनील अलघ	अंशकालिक सदस्य
9)	श्री अशोक कुमार टंडन	अंशकालिक सदस्य
10)	श्री शशि शेखर वेम्पति	अंशकालिक सदस्य
11)	श्रीमती काजोल	अंशकालिक सदस्य
12)	श्रीमती सुप्रिया साहू, महानिदेशक : दूरदर्शन	पदेन सदस्य
13)	श्री एफ. शहरयार, महानिदेशक : आकाशवाणी	पदेन सदस्य

संगठनात्मक ढांचा

निगम के मामलों का सामान्य संचालन, निर्देशन और प्रबंधन प्रसार भारती बोर्ड करता है। बोर्ड समय–समय पर बैठकें करता है और महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार–विमर्श करता है, महत्वपूर्ण नीतियां तय करता है और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश देता है। कार्यकारी सदस्य निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्य करते हैं और बोर्ड का नियंत्रण और निरीक्षण करते हैं और बोर्ड के ऐसे अधिकारों को प्रयोग तथा ऐसे कार्यों का संपादन करते हैं जो बोर्ड उन्हें सौंपता है।

दो महानिदेशक आकाशवाणी महानिदेशालय और दूरदर्शन महानिदेशालय के प्रमुख होते हैं। वे बोर्ड के नीति–निर्देशों और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की रोजमर्रा के मामलों के प्रबंधन के लिए सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक) और सीईओ के सहयोग से कार्य करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में, विभिन्न गतिविधियों, जैसे प्रोग्राम, इंजीनियरिंग, प्रशासन और वित्त के लिए मोटे तौर पर चार अलग–अलग विंग हैं।

प्रसार भारती के अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रभाग की गतिविधियां

प्रमुख गतिविधियां (2016–17)

(i) भारत में विभिन्न प्रसारण मुद्दों से संबंधित प्रशिक्षणों, सेमिनारों, सम्मेलनों/संगोष्ठियों/शिखर सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजना।

(ii) भारत में विभिन्न प्रसारण मुद्दों से संबंधित सेमिनारों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/शिखर सम्मेलनों को आयोजित करना।

(iii) निम्न मुद्दों से संबंधित विदेशी प्रसारकों के साथ एमओयू के तहत व्यवस्था करना :

- क) कार्यक्रम सामग्री का आदान–प्रदान, कार्यक्रमों का सह–निर्माण,
- ख) कार्मिकों का प्रशिक्षण,
- ग) महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक कार्यक्रमों, समारोहों और प्रतियोगिताओं में भागीदारी,
- घ) विदेशी दर्शकों आदि के लिए दूरदर्शन चैनलों की व्यवस्था करना।

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

वर्ष 2016–17 के दौरान, आपसी सहमति वाले प्रसारण क्षेत्रों में सहयोग और साथ मिलकर कार्य करने के लिए क्रिगिस्तान, ताजिकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के सार्वजनिक प्रसारकों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। दूरदर्शन और आकाशवाणी के परामर्श से देशों के बीच हुए एमओयू/सीईपी के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए।

इसके अतिरिक्त, समाचार आदान–प्रदान तथा समाचार–एकत्रीकरण के लिए दूरदर्शन और चीन की संयुक्त सीसीटीवी न्यूज कंटेंट कं.लि. के बीच 30 अगस्त, 2016 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के तहत कार्यक्रम/सामग्री आदान–प्रदान

बीजिंग में भारत के राजदूत, सदस्य (कार्मिक), प्रसार भारती के बीच अप्रैल 2016 में हुई बैठक के परिणामस्वरूप,

सीसीटीवी ने खेल कार्यक्रमों की दो हार्ड डिस्क भेजीं। 24 मई से 27 मई 2016 के बीच राष्ट्रपति के चीन दौरे के बाद प्रसार भारती और सीसीटीवी के बीच कार्यक्रम आदान–प्रदान शुरू हो गया है। चीन के सीसीटीवी से प्राप्त तीन वृत्तचित्र डीडी स्पोर्ट्स पर प्रसारित हुए। 'लाफिंग मीट बॉल्स' शीर्षक वाला एक और वृत्तचित्र 23 मई, 2016 को डीडी भारती पर पर दिखाया गया। 20 मई 2016 को प्रसारित होने के लिए दूरदर्शन के उच्च श्रेणी के चार कार्यक्रम चीन के सीसीटीवी को भेजे गए। अधिकतर सामग्री–आदान–प्रदान मुफ्त में हुए हैं और न तो कोई राजस्व प्राप्ति हुई है और ना ही कोई खर्च हुआ है।

दोनों संगठनों के बीच हुए करार के फलस्वरूप, दूरदर्शन के पांच चैनल (डीडी न्यूज, डीडी भारती, डीडी उर्दू, डीडी इंडिया और डीडी स्पोर्ट्स) कनाडाई दर्शकों के लिए उपलब्ध हैं। ग्राहक शुल्क से होने वाली आय को साझा करने के आधार पर ये चैनल दिखाए जा रहे हैं। एटीएन, कनाडा, अपने खर्च पर डीडीके दिल्ली से पांच 'स्ट्रीम' कनाडा ट्रांसपोर्ट कर रहा है।

एमबीसी ने दूरदर्शन के 10 कार्यक्रमों को दिखाने के लिए चुना है। ये कार्यक्रम हैं–गोरा, ये है इंडिया मेरी जान, स्पेक्टेकुलर इंडिया, फोर्ट्स ऑफ इंडिया, श्रीकांत–स्टोरी ऑफ लव, वैल्यूज एंड स्ट्रगल, कशमकश जिंदगी की, पीछा करो, आखिर कौन, एक लक्ष्य तथा बेटी का फर्ज। एमबीसी ने दूरदर्शन के लिए कुछ कार्यक्रम भेजे हैं जैसे– अंजोरिया (3 कार्यक्रम), रंगसाज (3 कार्यक्रम), माटी बनल सोना, सतरंगी और संस्कृति सरोवर।

वर्ष के दौरान अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरे

समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने तथा आपसी हितों पर विचारों के आदान–प्रदान तथा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए रोमानिया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, चीन, क्रिगिस्तान और तजाकिस्तान से आए प्रतिनिधि मंडल ने प्रसार भारती का दौरा किया। भारत और तुर्की के बीच सिनेमा तथा टेलीविजन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तुर्की कंपनी के एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने फिक्की फ्रेम्स 2016 में हिस्सा लिया। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई इस्तांबुल वाणिज्य और पर्यटन चेंबर ने की। तीन–दिवसीय कोनक्लेव में शुरुआती प्रतिक्रिया से तुर्की प्रतिनिधिमंडल बहुत उत्साहित है और तुर्की 2018 तक भारत को 20 मिलियन डॉलर का कंटेंट निर्यात होने का अनुमान लगा रहा है। ऐसा तुर्की के भारत में राजदूत बुराक अक्केपर ने एक प्रेस बयान में कहा।

एक 16–सदस्यीय चीनी मीडिया टीम ने 14 अक्तूबर, 2016 को डीडी न्यूज का दौरा किया जहां डीडी न्यूज के डीजी तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसके साथ ही टीम ने न्यूजरूम, स्टूडियो और अन्य जगहों को देखा।

इस्तांबुल में 12 से 16 मई, 2016 के बीच आयोजित अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म समारोह में बतौर जूरी डीजी और एडीजी (पी) ने हिस्सा लिया।

प्रसार भारती के सदस्य (वित्त) की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 53 वीं एशिया–पेसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन आम सभा तथा सहयोगी बैठकों में हिस्सा लिया।

एशिया–पेसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (ऐबीयू) तथा एआईबीडी गतिविधियां

एबीयू, प्रसार भारती तथा तेलंगाना सरकार ने संयुक्त रूप से 13 से 16 जनवरी 2017 के बीच हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय डांस महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में 10 से अधिक देशों ने भाग लिया।

आकाशवाणी एबीयू के संस्थापक सदस्यों में से एक है जिसने एशिया–पेसिफिक क्षेत्र में प्रसारण के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी विभिन्न तकनीकी गतिविधियों में सहयोग दिया है। बाली में हुई 53वीं एशिया–पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन आम सभा में दूरदर्शन के महानिदेशक को तीन वर्षों के लिए उपाध्यक्ष चुना गया। दूरदर्शन को एबीयू तकनीकी ब्यूरो का तथा आकाशवाणी को एबीयू कार्यक्रम ब्यूरो का फिर से सदस्य चुना गया। इस आयोजन के दौरान, आकाशवाणी के निर्माता ने 'डायरी ऑफ अ टाइगर' के लिए 'कम्युनिटी सर्विस अनाउंसमेंट अवार्ड' हासिल किया। इस अवार्ड का मकसद विलुप्त होते टाइगर पर जागरूकता बढ़ाना है।

प्रसार भारती एआईबीडी की गतिविधियों में भी बहुत सक्रिय है। एआईबीडी की तरफ से आयोजित एशिया–पैसिफिक क्षेत्र के भागीदारों के लिए एनएबीएम (टी) ने कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

वर्ष 2016–17 के दौरान प्रसार भारती की भागीदारी वाले अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की सूची

क्र.सं.	कार्यक्रम	अवधि	स्थान/देश
1	चौथा एबीयू गीत महोत्सव	24–26 अप्रैल, 2016	बीजिंग, चीन
2	101वीं एबीयू मिड–ईयर प्रशासनिक काउंसिल बैठक	20–21 मई, 2016	नाडी, फिजी
3	13वीं एशिया मीडिया समिट–2016 तथा प्री–समिट कार्यशाला	22–26 मई, 2016	इंचेओं, दक्षिण अफ्रीका
4	एबीयू रेडियो ड्रामा कार्यशाला	25–29 जुलाई, 2016	कोलंबो, श्रीलंका
5	एआईबीडी आम सभा तथा सहयोगी बैठकें	25–27 अगस्त, 2016	तेहरान, ईरान
6	31वें ओलंपिक खेलों की कवरेज	अगस्त, 2016	रिओ–डी–जेनिरो
7	5 एफएम काम्बिनर प्रणाली का प्री–डिस्पेच निरीक्षण	08–19 अगस्त, 2016	किल्सिथ विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया
8	एबीयू–रोबोकॉन–2016 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता	19–23 अगस्त, 2016	बैंकॉक, थाईलैंड
9	एआईबीडी/बीआईआरटीवी/ सीआईटीवी तकनीकी/ कार्यक्रम आदान–प्रदान परियोजना	23–28 अगस्त, 2016	बीजिंग, चीन
10	अंतरराष्ट्रीय प्रसारण सम्मेलन–2016	08–11 सितंबर, 2016	एमस्टरडम, नीदरलैंड
11	यूनिसेफ का क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स कार्यक्रम (सीएएसपी)	18–22 सितंबर, 2016	ऑक्सफोर्ड, यू.के.
12	मॉरिशस में एमबीसी स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	26–30 सितंबर, 2016	मॉरिशस
13	मीडिया के लिए ओटीटी और आईबीबी टेक्नोलोजी पर चौथी क्षेत्रीय कार्यशाला	27–30 सितंबर, 2016	कुआलालंपुर, मलेशिया
14	एबीयू न्यू रेडियो दिवस में भागीदारी	13–14 अक्तूबर, 2016	मेड्रिड, स्पेन
15	53वीं एबीयू आम सभा तथा सहयोगी बैठकें	18–26 अक्तूबर, 2016	बाली, इंडोनेशिया
16	डीवीबी एषिया 2016 सम्मेलन और प्रदर्शनी	29 नवंबर से 01 दिसंबर, 2016	बैंकॉक, थाईलैंड
17	लोकल–टू–ग्लोबल न्यूज कवरेज की एआईबीडी/एबीयू क्षेत्रीय कार्यशाला	5–7 दिसंबर, 2016	कुआलालंपुर, मलेशिया
18	20 केडब्ल्यू वीएचएफ एफएम मोसफेट तकनीक आधारित 7 ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटरों का प्री–डिस्पेच निरीक्षण	12–21 दिसंबर, 2016	पेदोवा, इटली
19	आसीयान मीडिया आदान–प्रदान कार्यक्रम	11–19 दिसंबर, 2016	कंबोडिया, इंडोनेशिया
20	एबीयू के सहयोग से देश में ही न्यूज कार्यशालाएं	19–24 दिसंबर, 2016	भूटान
21	10 केडब्ल्यू यूएचएफ सुपर टर्नस्टाइल एंटीना सिस्टम का प्री–डिस्पेच निरीक्षण	11–20 जनवरी, 2017	किल्सिथ विक्टोरिया–ऑस्ट्रेलिया

दूरदर्शन

प्रायोगिक सेवा के तौर पर 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। समय के साथ विकसित होते–होते आज यह दुनिया के प्रमुख टीवी संगठनों में से एक बन चुका है। दूरदर्शन ने सिर्फ देश के कोने–कोने तक अपने नेटवर्क का ही विस्तार नहीं किया, बल्कि टीवी प्रसारण के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकीय विकास के साथ ही कदम से कदम मिलाकर चला है।

संगठनात्मक संरचना

दूरदर्शन का नेतृत्व महानिदेशक करते हैं जिनका दायित्व–नीति निर्माण, योजना एवं विकास, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास, बजटीय योजना और नियंत्रण, मानव संसाधन विकास, संचालन और रखरखाव संबंधी गतिविधियों आदि की निगरानी करना है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई स्थित चारों क्षेत्रीय कार्यालय, अपने संबंधित क्षेत्र में परियोजना एवं रखरखाव संबंधी गतिविधियों पर ध्यान देते हैं। गुवाहाटी में स्थापित एक अन्य क्षेत्रीय कार्यालय वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों में रखरखाव संबंधी गतिविधियों पर ध्यान देता है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व अपर महानिदेशक (इंजीनियरिंग) करते हैं। दूरदर्शन के अन्य कार्यालय हैं– दूरदर्शन केंद्र (स्टूडियो), उच्च क्षमता ट्रांसमीटर (एचपीटी), अनुरक्षण केंद्र, कम क्षमता वाले ट्रांसमीटर (एलपीटी) तथा बहुत कम क्षमता वाले ट्रांसमीटर (वीएलपीटी)। एलपीटी और वीएलपीटी क्लस्टर अनुरक्षण केंद्र।

विस्तारशील नेटवर्क

दूरदर्शन वर्तमान में 34 सैटेलाइट चैनलों का संचालन कर रहा है और 67 स्टूडियो तथा विभिन्न क्षमताओं वाले 1416 ट्रांसमीटरों के जरिये देश की 92 प्रतिशत आबादी को कवरेज प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन निःशुल्क डीटीएच सेवा प्रदान करता है।

सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अजय मित्तल और दूरदर्शन की महानिदेशक सुश्री सुप्रिया साहू 68वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के सफल प्रसारण के बाद दूरदर्शन टीम के साथ बातचीत करते हुए

हैदराबाद में 15 जनवरी, 2017 को पहले एशिया–प्रशांत प्रसारण संघ नृत्य समारोह में सीटीसी फिलिपींस की नृत्य प्रस्तुति

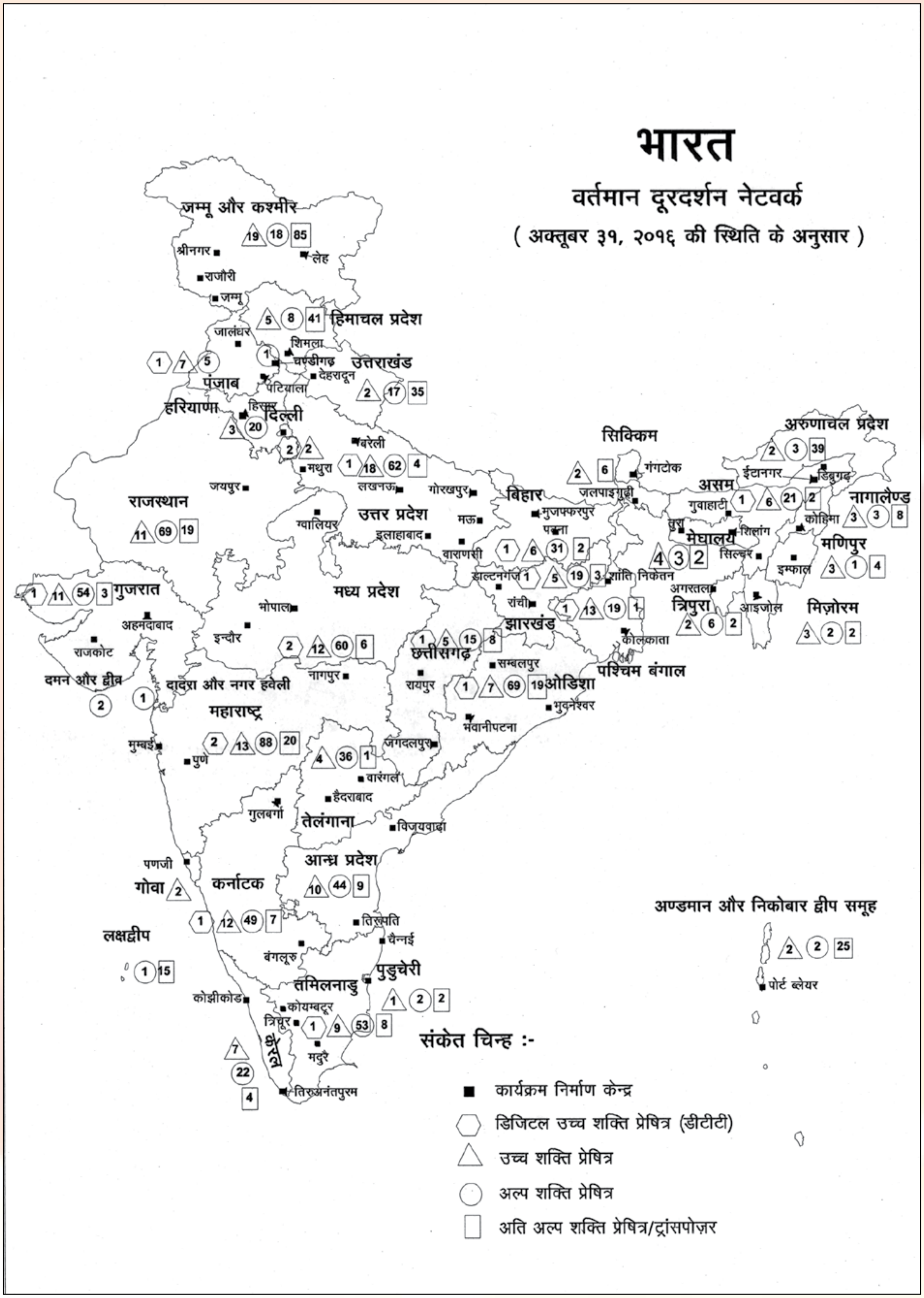

भारत
वर्तमान दूरदर्शन नेटवर्क
(अक्तूबर ३१, २०१६ की स्थिति के अनुसार)
जम्मू और कश्मीर
19 18 85
श्रीनगर
लेह
राजौरी
जम्मू
5 8 41 हिमाचल प्रदेश
जालंधर
शिमला
1 7 5
1
चण्डीगढ़
उत्तराखंड
पंजाब
देहरादून
पटियाला
2 17 35
हरियाणा
हिसार
दिल्ली
3 20
2 2
बरेली
मथुरा
1 18 62 4
लखनऊ
गोरखपुर
जयपुर
राजस्थान
11 69 19
उत्तर प्रदेश
ग्वालियर
इलाहाबाद
मऊ
वाराणसी
बिहार
मुजफ्फरपुर
पटना
1 6 31 2
सिक्किम
2 6
गंगटोक
जलपाइगुड़ी
डाल्टनगंज
1 5 19 3
शांति निकेतन
4 3 2
अरुणाचल प्रदेश
2 3 39
ईटानगर
डिब्रुगढ़
असम
गुवाहाटी
1 6 21 2
नागालैण्ड
कोहिमा
3 3 8
तुरा
मेघालय
शिलांग
मणिपुर
सिल्चर
इम्फाल
3 1 4
1 11 54 3 गुजरात
अहमदाबाद
राजकोट
भोपाल
मध्य प्रदेश
इन्दौर
2 12 60 6
रांची
झारखंड
1 13 19 1
अगरतला
त्रिपुरा
2 6 2
आइजोल
मिज़ोरम
3 2 2
1 5 15 8
छत्तीसगढ़
कोलकाता
पश्चिम बंगाल
संबलपुर
दमन और द्वीव
2
1
दादरा और नगर हवेली
नागपुर
रायपुर
1 7 69 19 ओडिशा
भुवनेश्वर
महाराष्ट्र
भवानीपटना
मुम्बई
पुणे
2 13 88 20
4 36 1
जगदलपुर
वारंगल
हैदराबाद
गुलबर्गा
तेलंगाना
विजयवाड़ा
पणजी
गोवा 2
कर्नाटक
आन्ध्र प्रदेश
10 44 9
1 12 49 7
तिरुपति
चैन्नई
लक्षद्वीप
1 15
बंगलूरु
तमिलनाडु
पुडुचेरी
1 2 2
कोझीकोड
कोयम्बटूर
त्रिचूर
1 9 53 8
केरल
7
22
4
मदुरै
तिरुअनंतपुरम
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
2 2 25
पोर्ट ब्लेयर
संकेत चिन्ह :-
कार्यक्रम निर्माण केन्द्र
डिजिटल उच्च शक्ति प्रेषित्र (डीटीटी)
उच्च शक्ति प्रेषित्र
अल्प शक्ति प्रेषित्र
अति अल्प शक्ति प्रेषित्र/ट्रांसपोज़र

सैटेलाइट चैनल

अखिल भारतीय चैनल (6)	डी डी नेशनल	डीडी न्यूज	डीडी स्पोर्ट्स
	डीडी भारती	डीडी उर्दू	डीडी किसान
क्षेत्रीय चैनल–(16)	डीडी मलयालम	डीडी चन्दना	डीडी यादागिरी
	डीडी पोधिगई	डीडी सहयाद्रि	डीडी गिरनार
	डीडी उड़िया	डीडी कशीर	डीडी पूर्वोत्तर
	डीडी बांग्ला	डीडी पंजाबी	डीडी राजस्थान
	डीडी बिहार	डीडी उत्तर प्रदेश	डीडी मध्य प्रदेश
	डीडी सप्तगिरी		
राज्य नेटवर्क–(11)	हिमाचल प्रदेश	झारखंड	छत्तीसगढ़
	हरियाणा	उत्तराखंड	त्रिपुरा
	मिजोरम	मेघालय	मणिपुर
	अरुणाचल प्रदेश	नगालैंड	
अंतरराष्ट्रीय चैनल–(1)	डीडी इंडिया		

सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय एम. वेंकैया नायडु हैदराबाद में पहले एशिया–प्रशांत प्रसारण संघ नृत्य समारोह का उद्घाटन करते हुए

कार्यक्रम निर्माण केंद्र

दूरदर्शन के देशभर में 67 स्टूडियो केंद्र हैं इनमें राज्यों की राजधानियों में 17 बड़े स्टूडियो केंद्र, गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय निर्माण केंद्र और देश के विभिन्न भागों में 49 अन्य स्टूडियो केंद्र शामिल हैं। स्टूडियो केंद्रों की राज्यवार सूची अनुलग्नक–। में दी गई है।

स्थलीय ट्रांसमीटर

स्थलीय कवरेज के लिए, देशभर में अलग–अलग क्षमता के 1416 ट्रांसमीटर लगाए गए हैं।

सेवा	एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	ट्रांसपोजर	कुल
डीडी नेशनल ट्रांसमीटर	138	728	351	14	1231
डीडी समाचार ट्रांसमीटर	73	78	17		168
अन्य ट्रांसमीटर (डिजिटल)	17				17

स्थलीय मोड में डीडी–1 (राष्ट्रीय) चैनल की कवरेज का दायरा देश की करीब 92 प्रतिशत आबादी तक उपलब्ध है। डीडी न्यूज चैनल की स्थलीय कवरेज अनुमानित रूप से करीब 49 प्रतिशत आबादी तक उपलब्ध है। राज्यवार स्थापित ट्रांसमीटरों की संख्या अनुलग्नक–।। में दी गई है।

फ्री–टू–एयर डीटीएच

दूरदर्शन ने अपनी फ्री–टू–एयर डीटीएच सेवा, 'डीडी फ्री डिश' (पूर्व में डीडी डायरेक्ट प्लस था) की शुरुआत दिसंबर 2004 में 33 टीवी चैनलों के समूह के साथ की थी। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य अब तक स्थलीय प्रसारण कवरेज के दायरे से बाहर रह गए क्षेत्रों को टेलीविजन कवरेज उपलब्ध कराना था। इसके बाद डीटीएच प्लेटफार्म की क्षमता बढ़ाकर इसमें 59 टेलीविजन चैनल शामिल कर लिए गए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर डीटीएच सिग्नल देश के सभी हिस्सों में छोटे आकार की डिश के जरिए उपलब्ध हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सितंबर 2009 में सी–बैंड के साथ 10 चैनलों वाली डीटीएच सेवा शुरू की गई। दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफार्म 'डीडी फ्री डिश' का उन्नयन 59 से बढ़ाकर 104/112 चैनल करने का काम दिसंबर 2014 में संपन्न हुआ। वर्तमान में 80 टीवी चैनल डीटीएच प्लेटफार्म पर फ्री–टू–एयर (एफटीए मोड) में उपलब्ध हैं जबकि आईसीएएस (इंडियन आईसीएएस) का क्रियान्वयन चल रहा है (10.11.2016 तक डीडी फ्री डिश चैनल का विवरण अनुलग्नक–4 में दिया गया है)।

डीडी नेशनल– प्रमुख चैनल

- डीडी नेशनल, विश्व का सर्वाधिक बड़े स्थलीय नेटवर्क वाला लोक सेवा प्रसारक है। यह देश की लगभग 92.6 प्रतिशत आबादी एवं 81.0 प्रतिशत भू–भाग को कवर करता है। मुख्य चैनल होने के नाते यह मनोरंजन, सूचना और शिक्षा का स्वस्थ मिश्रण उपलब्ध कराता है। इसकी सेवाएं स्थलीय मोड में प्रातः 5.30 से लेकर मध्य रात्रि तक उपलब्ध हैं। उपग्रह मोड में ये सेवाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं।
- दूरदर्शन बोर्ड की 123वीं बैठक में हुए अनुमोदन अनुसार स्व–वित्त कमीशनिंग (एसएफसी), रिवेन्यू शेयरिंग मोड (आरएसएम), विज्ञापन वित्त पोषित कार्यक्रम (एएफपी) जैसी विविध अधिसूचित योजनाओं के माध्यम से कंटेंट खरीदता है। दूरदर्शन उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम जुटाने के लिए 2016–17 से एक नई स्कीम शुरू करने की योजना तैयार कर रहा है जिससे अच्छे राजस्व के साथ ही मनोरंजक चैनलों के बीच अग्रणी स्थान प्राप्त करने में भी कारगर होने का अनुमान है।
- दूरदर्शन/निदेशालय ने एक नेशनल रिसोर्स एक्सचेंज पूल (एनआरईपी) की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य प्रमुख कार्यक्रमों को एक जगह रखने के लिए एक कॉमन स्टोर हाउस बनाना है जिनको डबिंग और सबटाइटलिंग के जरिये विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के केंद्रों से प्रसारित किया जा सके। एनआरईपी क्षेत्रीय/डीडी चैनलों की सॉफ्टवेयर और राजस्व आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।
- स्वच्छ भारत मिशन और स्वस्थ भारत मिशन पर अंश/कार्यक्रम तैयार किए गए और डीडी नेशनल/क्षेत्रीय केंद्रों पर प्रसारित किए गए हैं।

सीधा प्रसारण

- गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस समारोह जैसे समस्त राष्ट्रीय आयोजन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन, संसद में होने वाली महत्वपूर्ण बहसें, लोकसभा और राज्यसभा के प्रश्नकाल, सेफ खेल

नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का दूरदर्शन द्वारा प्रसारण

और रिओ ओलंपिक्स जैसे खेल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री के विदेश दौरे तथा यूएन सम्मलेन जैसे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों को डीडी नेशनल पर कवर और प्रसारित किया जाता है।

- महत्वपूर्ण हस्तियों की जयंती/पुण्यतिथियों को डीडी नेशनल पर कवर और प्रसारित किया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार पटेल की जयंती को भी दूरर्दशन पर कवर और प्रसारित किया गया।
- दूरदर्शन ने जीसेट–16 संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण के सीधे प्रसारण के लिए इसरो के साथ मिलकर व्यापक इंतजाम किए।
- कवरेज के साथ–साथ स्वस्थ भारत, पल्स पोलियो अभियान, एंटी कैंसर, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डेंगू, स्वाइन फ्लू और स्वास्थ्य संबंधी अन्य मामले, सबके लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष अभियान, एड्स, उपभोक्ता शिक्षा, सड़क सुरक्षा, समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता, बालिकाओं के कार्यक्रम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि विशेष कार्यक्रम डीडी नेशनल पर प्रसारित किए जाते हैं।
- (1) नए कार्यक्रमों और (2) विख्यात फिल्मकारों द्वारा बनाए गए प्रतिष्ठित पुराने धारावाहिकों के माध्यम से डीडी नेशनल की पूरी तरह नए सिरे से रीब्रांडिंग की गई है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (एसआईईटी)/एनसीईआरटी, विज्ञान प्रसार जैसे विभिन्न स्रोतों के योगदान से शैक्षिक कार्यक्रम प्राप्त किए जाते हैं।

बाहरी प्रसारण वाहन के अंदर दूरदर्शन प्रोडक्शन टीम

नैरो–कास्टिंग

कवरेज क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जीवनशैली से संबंधित स्थानीय मुद्दों पर दूरदर्शन कृषि विस्तार कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। सन् 2000 में शुरू हुई नैरो–कास्टिंग के

लिए प्रारंभ में 12 एलपीटी थे जो अब बढ़कर 36 केंद्रों से 179 हो गए हैं।

परियोजना की त्रिस्तरीय पहुंच है :

(i) राष्ट्रीय चैनल पर : कृषि से संबंधित कार्यक्रम सप्ताह में 6 दिन (सोमवार से शनिवार) प्रातः 6.30 बजे से 7.00 बजे प्रसारित किए जाते हैं।

(ii) 18 क्षेत्रीय चैनलों पर : राज्य की कृषि से संबंधित विशेष कार्यक्रम सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) 30 मिनट की अवधि के लिए संबंधित क्षेत्रीय भाषा में राज्य नेटवर्क पर 5 से 5.30 बजे (राष्ट्रीय प्रसारण समय में बदलाव के कारण) सायं प्रसारित किया जाता है।

(iii) नैरोकास्टिंग मोड में (36 केंद्र) : क्षेत्र विशेष की सूचना संबंधी कार्यक्रम एक बार सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) 180 ट्रांसमीटरों के जरिये प्रसारित किया जा रहा है जो देश भर के 140 से ज्यादा जिलों को कवर करता है।

विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम बनाए जाते हैं जैसे– कृषि, बागवानी, पशु विज्ञान, डेरी, मत्स्यिकी आदि। मौसम, देशभर के मंडी भाव, एमएसपी (न्यूनतम सहायता मूल्य) डीएसी तथा कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध सूचना पर भी कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं।

प्रत्येक 55 सूचना केंद्रों के कार्यक्रमों का तिथिवार विवरण एक विशेष पोर्टल (www.dacnet.nic/csms) पर अपलोड किया जाता है जिससे कामगार, योजनाकार और किसान उस दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूचना प्राप्त कर सकें।

किए जा रहे कार्य

- बाजार और प्रतिस्पर्धा का गहन अध्ययन : निजी चैनल किस प्रकार फीचर फिल्में अपने चैनल पर दिखने के लिए खरीदते हैं, इसका एक अध्ययन दूरदर्शन ने कराया था। क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों पर प्रसारण के लिए क्षेत्रीय फिल्में प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय फिल्म निर्माताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई।
- फिल्म दिशा–निर्देश 2007 के संशोधन हेतु कदम उठाए गए, ये दिशा–निर्देश 2011 में संशोधित हुए थे।
- स्लॉट निर्धारण

  – घाटे के चलते एचबीएन हटाया गया।

  – धारावाहिकों के रूप में बने बॉयोस्कोप–फिल्म एक बार में ही दिखने का निर्णय।
- पिछले 10 वर्षों से लंबित क्षेत्रीय फिल्म दिशा–निर्देशों को तैयार करने का कार्य शुरू।
- फीचर फिल्मों की छंटनी तथा ग्रेडिंग समिति का पुनर्गठन।
- जनवरी से मार्च 2017 के बीच विभिन्न थीमों पर रिट्रो फिल्म मेला आयोजित किया गया।

डीडी न्यूज

डीडी न्यूज देश का एकमात्र स्थलीय–सह–सैटेलाइट और बहुभाषी चैनल है। न्यूज चैनल विभिन्न मतों–विचारों को बिना सनसनीखेज बनाए, संतुलित, सटीक और निष्पक्ष खबरें प्रदान करने के अपने दायित्व को बखूबी निभा रहा है। 3 नवंबर, 2003 को डीडी मेट्रो चैनल के स्थान पर 24 घंटे के समाचार चैनल के रूप में डीडी न्यूज शुरू किया गया था। डीडी न्यूज स्थलीय संचार द्वारा देश के 49 प्रतिशत दर्शकों और 25 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र तक पहुंच बनाए हुए है। दिल्ली स्थित मुख्यालय से यह वर्तमान में मूक बधिर लोगों के लिए दो विशेष बुलेटनों के अलावा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत भाषाओं में समाचार प्रसारित कर रहा है। इसमें 18 से ज्यादा घंटे लाइव प्रसारण द्वारा विभिन्न भाषाओं में 40 से अधिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण होता है। इन सब के अतिरिक्त, डीडी न्यूज की 30 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां हैं जो विभिन्न राज्यों में फैली हैं और क्षेत्रीय भाषाओं में नियत अवधि के समाचार प्रसारित करती हैं।

डीडी न्यूज की तीन मेट्रो आरएनयू (क्षेत्रीय समाचार इकाइयां) भी रोजाना न्यूज कैप्सूल तैयार करती हैं जिन्हें 'मेट्रो स्कैन' के नाम से प्रसारित किया जाता है। चैनल हर रोज तीन खेल बुलेटिन, एक बिजनेस शो तथा सामयिक विषयों पर दैनिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य, युवाओं के

मुद्दों, सिनेमा, कला और संस्कृति, प्रमुख योजनाएं, रोजगार के अवसरों, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं, बाजार और सामाजिक मुद्दों पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।

समाचार संग्रहण

डीडी न्यूज में आधुनिक सैटेलाइट आधारित प्रौद्योगिकी के जरिये, डीएसएनजी/ओबी वैन, इंटरनेट/मोबाइल आधारित जैसे टीवीयू बैकपैक तथा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (एफटीपी) के माध्यम से दूर–दराज इलाकों सहित देशभर से समाचारों का संग्रहण किया जाता है। डीडी न्यूज मुख्यतः निम्नलिखित स्रोतों से समाचार एकत्रित करता है :

- मुख्यालय और क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में कार्यरत संवाददाताओं से
- स्ट्रिंगर और अंशकालिक संवाददाताओं से
- एजेंसियों (पीटीआई, यूएनआई, रायटर्स, एएनआई) से
- अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों (अन्य राष्ट्रीय प्रसारक, एशियाविजन) से

मुख्यालय और क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में कार्यरत संवाददाताओं को समाचार, विकास और मानवीय अभिरुचि की कहानियों को कवर करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। डीडी न्यूज वीवीआईपी के विदेश दौरों, प्रमुख कार्यक्रमों, आम तथा राज्यों के चुनाव और ऐसी ही अन्य प्रमुख घटनाओं के कवरेज के लिए संवाददाता भेज रहा है।

हाल की प्रमुख पहलें

चैनल के प्रारूप और कंटेंट का नवीनीकरण एक प्रमुख और विशिष्ट पहल है। हाल ही में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कुछ अन्य पहल इस प्रकार हैं :

- **स्वच्छता समाचार** : सप्ताह भर 5 मिनट का विशेष कार्यक्रम शाम 6.50 बजे और दूसरे दिन सुबह 7.55 बजे पुनः प्रसारण अक्तूबर 2016 में शुरू हुआ। इसमें स्वच्छता सलाह सहित 'स्वच्छ भारत अभियान' से संबंधित न्यूज स्टोरी, फीचर और लोगों की पहल शामिल होती हैं।
- **मूक–बधिरों के लिए अतिरिक्त बुलेटिन** : मूक–बधिरों के लिए रोजाना सुबह 10.55 बजे अंग्रेजी में 5 मिनट का एक विशेष बुलेटिन।
- **खबर जल्दी–जल्दी** : इस 4 मिनट के न्यूज शो में प्रमुख राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, व्यापार और खेल की खबरें कवर की जाती हैं।
- **5 मिनट्स फ्लैश 15** : इसमें 5 मिनट में 15 राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, व्यापार और खेल की महत्वपूर्ण खबरें दिन में 8 बार प्रसारित की जाती हैं।
- **वार्ता संस्कृत समाचार** : 10 मिनट के संस्कृत समाचार बुलेटिन में सभी महत्वपूर्ण समाचार शामिल किए जाते हैं।
- **इकॉनमी टुडे** : इकॉनमी, वित्त और सरकार की प्रमुख योजनाओं तथा काले धन के खिलाफ युद्ध पहलों पर फोकस करते हुए आधा घंटे का नया विशेष कार्यक्रम।
- **इंडिया फर्स्ट** : रणनीतिक मामलों पर सोमवार और शुक्रवार को आधा घंटे का विशेष कार्यक्रम।
- **दो टूक** : ज्वलंत राजनैतिक मामलों पर सोमवार और बुधवार को आधा घंटे का विशेष कार्यक्रम।

तकनीकी अवसंरचना

चौबीस घंटे के इस समाचार चैनल के दिल्ली में न्यूजरूम और तीन स्टूडियो हैं। न्यूजरूम हर वक्त कार्य करता है। अति आधुनिक क्वांटेल ऑटोमेशन प्रणाली और सर्वर के साथ न्यूजरूम संचालन को अपग्रेड किया जा चुका है तथा संपादक की डेस्क पर नॉन–लीनियर एडिट की सुविधा उपलब्ध है। देश के विभिन्न हिस्सों से सैटेलाइट आधारित न्यूज संग्रहण के लिए 16 डीएसएनजी वैन विभिन्न राज्यों में तैनात की गई हैं। जहां ये वैन उपलब्ध नहीं हैं या तैनात नहीं की जा सकतीं वहां मोबाइल आधारित बैकपैक उपकरण लगाए गए हैं।

डीडी न्यूज अपने सहयोगी चैनलों के लिए समाचार तैयार करता है। 15 मिनट के हिंदी और अंग्रेजी के 5 ऐसे ही बुलेटिन डीडी नेशनल चैनल के लिए तैयार किए जा रहे हैं। डीडी न्यूज 10 लाइव बुलेटिन और स्क्रोल्स डीडी उर्दू के लिए भी बनाता है। किसान चैनल की शुरुआत के साथ ही डीडी न्यूज किसानों की पसंद के दो नए बुलेटिन बनाकर दे रहा है।

डीडी न्यूज जनहित के मुद्दों पर, प्रमुख घटनाओं तथा विशेष कवरेज को निःशुल्क बिना लोगो के कार्यक्रम साझा करता है। अन्य चैनल भी प्रमुख घटनाओं/कार्यक्रमों विशेषकर, प्रधानमंत्री की लाइव कवरेज डीडी न्यूज से ही लेते हैं।

न्यूज़ और सोशल मीडिया में डीडी न्यूज

न्यूज चैनल की वेबसाइट के अलावा इसकी पहुंच सोशल मीडिया में भी है जिसमें फेसबुक पेज, अंग्रेजी और हिंदी में ट्विटर हैंडल और एक यूट्यूब चैनल शामिल है। वेबसाइट की न्यूज www.ddinews.gov.in या www.ddinews.com पर पढ़ी जा सकती हैं। वीडियों देखने की सुविधा के साथ वेबसाइट को 2013 में एक नए अंदाज में लांच किया गया था और इसे यूजर फ्रेंडली बनाया गया था। न्यू मीडिया सेल की देख रेख में उपरोक्त विशेषताओं को वेबसाइट में जोड़ा गया।

डीडी न्यूज के ट्विटर हैंडल/DDNewslive की शुरुआत जनवरी 2013 में की गई थी और अब इसे लगभग 12 लाख से अधिक लोगों द्वारा फॉलो किया जाता है और दिन प्रतिदिन इसके फॉलोअर की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। हिंदी भाषा में भी इसका ट्विटर हैंडल / DDNewsHindi जनवरी 2014 में शुरू किया गया था और इसके भी 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं।

एक समर्पित यूट्यूब चैनल फरवरी 2013 में http://www.youtube.com/ddnews नाम से एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की गई थी। यूट्यूब चैनल को अभी तक 2.7 करोड़ बार देखा गया या इतने हिट्स मिले और इसके 1.25 लाख से अधिक सब्सक्राइबर भी हैं।

लोगों को अपनी उंगलियों पर समाचार और समसामयिक मामलों की जानकारी मुहैया कराने के लिए डीडी न्यूज मोबाइल एप को बनाया गया है। इसमें लाइव बुलेटिनों, नवीनतम समाचार और लोकप्रिय वीडियो की सुविधा है। और अधिक सुविधाओं को इसमें चरणवार तरीके से जोड़ा जा रहा है। इस एप्लिकेशन का नया संस्करण जल्द ही शुरू किया जाएगा।

इसके अलावा, डीडी न्यूज तक निम्नलिखित साधनों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है :

- वेबसाइट
- मोबाइल एप्लिकेशन
- यूट्यूब चैनल
- एनआईसी का लाइव कास्ट चैनल : http://webcast.gov.in

क्षेत्रीय समाचार इकाइयां

देश की क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर लोगों की जरूरत से निपटने में किसी भी केंद्रीकृत एजेंसी की अक्षमता को देखते हुए हमारे विशाल देश के विभिन्न क्षेत्रीय लोगों को अपनी भाषा में सूचनाएं प्रदान करने, शिक्षित करने था मनोरंजन के उद्देश्य से डीडी न्यूज का गठन किया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान 30 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों/ब्यूरो का देशभर में फैलाव हुआ है। इन आरएनयू, क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों को मुख्य रूप से राज्य मुख्यालय में स्थापित किया गया है। ये आरएनयू 129 से अधिक समाचार बुलेटिन और प्रतिदिन 8 समसामयिक मामलों के साथ 27 से अधिक घंटे के एक संयुक्त प्रसारण समय के साथ 22 भाषाओं/बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। हाल में नवीनतम क्षेत्रीय समाचार यूनिट आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के बाद विजयवाड़ा में स्थापित की गई और सितंबर 2014 में इसे शुरू किया गया। सिक्किम और उत्तराखंड के साथ ही चंडीगढ़ सहित सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भी स्वयं के आरएनयू नहीं हैं।

डीडी भारती

डीडी भारती की शुरुआत 26 जनवरी, 2002 को की गयी थी और नवंबर 2012 में इसे रीलंच किया गया था। यह चैनल भारतीय संगीत, नृत्य, कला और शिल्प, इतिहास, विरासत, विज्ञान, ऊर्जा के लिए पूर्व निर्धारित समय स्लॉट्स, पर्यावरण, परंपराओं के साथ कला और संस्कृति, त्योहारों और दुनिया के महान लोगों को समर्पित है। संगीत, साहित्य और संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट श्री सुधीर तेलंग का धारावाहिक 'मेरा स्टूडियो मेरा मेहमान', कथक गुरू सुश्री उमा शर्मा का मेघदूत, श्री अमृत लाल नागर का नाचयो बहुत गोपाल, नागर कथा, नवरस आदि जैसे कार्यक्रमों को बहुत पहले ही शुरू कर दिया गया था

भविष्य की योजनाएं

डीडी भारती सत्यजीत रे/बिमलरॉय/मृणालसेन/ऋत्विक घटक जैसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों और अर्धसत्य, आक्रोश, चक्र, अंकुश आदि जैसे अन्य प्रख्यात कला फिल्मों के लिए स्लॉट निर्धारित करने की योजना बना रहा है।

प्रसिद्ध और महान लेखकों, कवियों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा विभिन्न क्षेत्रों की महान हस्तियों पर कार्यक्रमों और इस तरह से त्योहारों और अन्य अवसरों पर विशेष कार्यक्रमों पर वृत्तचित्र डीडी भारती के लिए प्रोड्यूस किए जाएंगे। कुछ प्रस्तावों का वर्णन इस प्रकार है :

- शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित एक धारावाहिक (23 एपिसोड)।
- महान लेखक विमल मित्र की नीलनेशा, बोंशोधोर, लोज्जाहोरो, जिन्ना संबद, पुतुल दीदी, अमृत्यु, मिलोनांटो, डोरी, रेकजोन मोहापुरूष, रानी साहेबा, घारोंटी, सताशी, सरबों, अशुकाका, निर्मॉनतेरिटो इंद्रनाथ, आमिर ओ अरबोशी जैसी कहानियों पर सीरियल।
- स्वामी विवेकानंद के जीवन पर एक धारावाहिक।
- केवल गा रे गा सा रे गा मा के गायन के माध्यम से ऑडिशन का आयोजन।
- भक्ति गीत और लोक संगीत, भारत के लोक नृत्य।

डीडी : उर्दू

डीडी उर्दू चैनल की शुरुआत 15 अगस्त, 2006 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, 14 नवंबर, 2007 से जिसका प्रसारण चौबीसों घंटे होने लगा। वर्तमान में डीडी उर्दू 8 से 9 इन हाउस कार्यक्रमों का निर्माण कर रहा है जिनमें मुबाहिसा, दुनिया मेरे आगे ये है इंडिया, तालीम और रोजगार, यादें, यादों के दरीचे से, बोलाए ना बाने, आईना–ए–माज़ी, टीवी रिपोर्ट्स और वार्षिक कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा यह 10 न्यूज बुलेटिन, डीडी उर्दू सजीव प्रसारण जैसे स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस समारोह जैसे आयोजनों का सीधा प्रसारण, राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संदेशों, राज्य नेताओं पर विशेष कार्यक्रमों के प्रसारण के अतिरिक्त लक्षित दर्शकों के लिए धरोहर, संस्कृति, साहित्य, सूचना, शिक्षा और समाज से संबंधित मुद्दों का सार दर्शाने वाले नए और पुनः प्रसारित, प्राप्त और इन–हाउस साफ्टवेयर का मिश्रण उपलब्ध कराता है। डीडी उर्दू हर हफ्ते 3 फीचर फिल्में, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को प्रसारित करता है।

भारतीय राजनयिकों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, साहित्यिक हस्तियों, बुद्धिजीवियों और आम लोगों के दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अन्य शहरों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इन कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से 'जश्न–ए–बेगम अख्तर', अन्नू कपूर और पिनाज़ मसानी द्वारा प्रस्तुत लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली में आयोजित किया गया एक रियल्टी शो शामिल है। आमंत्रित दर्शकों के सामने अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में मुशायरे, सूफ़ियाना कलाम और कव्वाली आदि शामिल हैं।

चालू कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति

प्रारंभिक स्तर पर, 580 प्रस्तावों की सिफारिश की गई है, 164 कमीशंड प्रस्तावों को निर्माण के लिए चयनित किया गया। प्रत्येक प्रस्ताव के 13 एपिसोड की सिफारिश की गई थी। इन 164 प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

पहली सूची में 164 धारावाहिकों के निर्माण की सूची :

दिए गए धारावाहिक	**-164**
प्राप्त हुए, अंतिम भुगतान किए गए और प्रसारित हुए कार्यक्रमों की संख्या	**-135**
50 प्रतिशत अग्रिम जारी के साथ धारावाहिक	**-08** (2016–17 के लिए प्रतिबद्ध देनदारियां)
प्रस्तावों जिसके लिए समझौता किया गया, डीडीके दिल्ली द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया है	**-02**
वापस लिए गए प्रस्ताव	**-14**
दूसरी सूची में स्थांतरित प्रस्ताव	**-04**
होल्ड पर प्रस्ताव	**-01**
कुल प्रस्तावों की संख्या (पहली सूची)	**-164**

डीडी–इंडिया

14 मार्च, 1995 को अपने अंतरराष्ट्रीय चैनल की शुरुआत करके दूरदर्शन ने अपनी खिड़की दुनिया के लिए खोल दी। प्रारंभ में डीडी–वर्ल्ड 1 के नाम से प्रारंभ हुए इस चैनल को बाद में 2002 में डीडी–इंडिया नाम दिया गया। इस चैनल पर समाचार बुलेटिनों, सामयिक घटनाओं पर फीचर, मनोरंजक कार्यक्रम, फीचर फिल्में, संगीत व नृत्य के कार्यक्रम, धारावाहिक, डाक्यूमेंटरी, समाचार और समसामयिक विषयों के कार्यक्रम तथा उत्सव समारोह के कार्यक्रम और पर्यटन संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

भारतीय उपमहाद्वीप में डीडी–इंडिया की पहुंच और इसका दायरा बढ़ाने के लिए इसे जीएस–10 उपग्रह से इनसेट 4–बी पर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके कार्यक्रम फिलहाल 38 देशों में समुद्री केबल लाइनों, उपग्रह और डीटीएच के माध्यम से पहुंच रहे हैं। यह अधिकतर

एमएसओ द्वारा केबल टेलीविजन पर और टाटा स्काई के डीटीएच प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। डीडी–इंडिया का प्रसारण टेप का उपयोग किए बगैर होता है। इसका दायरा और बढ़ाने तथा दुनियाभर में इसके विस्तार की नीति बनाई जा रही है। इस दौरान डीडी–इंडिया पर 572 स्पॉट्स का प्रसारण किया गया। इसके सात कार्यक्रमों की स्पांसरशिप के लिए समझौते के बारे में बातचीत चल रही है। आज डीडी–इंडिया का नया लोगो और नया चैनल आया है। डीडी–इंडिया पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संसद से संबंधित कार्यक्रमों और आयोजनों का सीधा प्रसारण किया गया।

डीडी : स्पोर्ट्स

दूरदर्शन का खेल चैनल 18 मार्च, 1999 को 10 घंटे के प्रसारण के साथ प्रारंभ किया गया जो कि 25 अप्रैल, 1999 से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया तथा चैनल के लोकप्रियता पर ग़ौर करते हुए जून, 2000 से इसे 24 घंटों का कर दिया गया। इस चैनल ने वर्ष के दौरान अपने दर्शकों के लिए सराहनीय कार्यक्रम/खेल आयोजनों की कवरेज प्रस्तुत की, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

- डीडी स्पोर्ट्स भारत का एकमात्र फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल है।
- दूरदर्शन ने 2005 में 'कैश आउट फ्लो' योजना शुरू की और 2016 में खेल संघों, एसोशिएसनों और आयोजकों से नकदी प्रवाह के रूप में एक न्यूनतम राशि पर दूरदर्शन कवरेज और खेल की घटनाओं के प्रसारण के लिए इसमें संशोधन किया है।
- डीडी स्पोर्ट्स ने प्रसारण के लिए समय–समय पर विभिन्न आयोजकों, धारकों, संस्थाओं से महत्वपूर्ण खेल कार्यक्रम का अधिग्रहण किया।
- प्रमुख कार्यक्रमों में जैसे– ओलिंपिक खेलों के प्रमुख इवेंट्स चौबीसों घंटे डीडी स्पोर्ट्स पर दिखाए जाते हैं। विभिन्न खेल की प्रतिस्पर्धाओं की अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का भी डीडी स्पोर्ट्स पर सीधा प्रसारण किया जाता है।

पाइप लाइन में

- गोवा में राष्ट्रीय खेल।
- स्कूली खेल संवर्धन फाउंडेशन द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्कूल खेल।
- रोड रेस चैम्पियनशिप।

डीडी : किसान

डीडी किसान का शुभारंभ 26 मई, 2015 को सीपीसी (केंद्रीय निर्माण केंद्र) दूरदर्शन से किया गया। यह पहला चैनल है, जो भारत की कृषि और किसानों को समर्पित है। डीडी किसान किसानों को सरकार की नीतियों, फैसलों से अवगत ही नहीं कराता, बल्कि उनके बीच की खाई को भी पाटता है। अपनी पहली सालगिरह के मौके पर 26 मई, 2016 को इसने एक विशेष सजीव प्रसारण किया जिसमें प्रसार भारती, दूरदर्शन के विशेष आमंत्रित सदस्यों के अलावा प्रख्यात वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में देशभर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को शामिल किया और सफल किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। प्रसार भारती के चेयरमैन द्वारा मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से डीडी किसान की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गयी।

क्षेत्रीय भाषाओं के उपग्रह चैनल

डीडी : सहयाद्रि

सैटेलाइट के माध्यम से सहयाद्रि चैनल की शुरुआत 15 अगस्त 1994 को की गई थी। 5 अप्रैल, 2000 से इसकी अवधि बढ़ाकर इसे 24 घंटे प्रसारण करने वाला चैनल बना दिया गया। टेरेस्टेरियल सपोर्ट पर प्रातः 6 से 9 और सायं 3 से 8 बजे रविवार को छोड़कर सभी दिनों तथा उपग्रह मोड पर 24 घंटे उपलब्ध है। अगस्त 2013 में दूरदर्शन ने अपने मुंबई केंद्र में एक हाई डेफिनिशन (एचडी) प्रोडक्शन स्टूडियो की स्थापना की। इसकी अपनी वेबसाइट www.ddsahyadri.in, फेसबुक पेज https://www.facebook.com/ddsahyadri.in और यूट्यूब्स अकाउंट https://www.youtube.com/user/ddsahyadri है। दर्शकों से जुड़ने के लिए अपने कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है।

डीडी : गिरनार

गुजराती में उपग्रह क्षेत्रीय भाषा चैनल डीडी–11, दिल्ली से अपलिंकिंग के माध्यम से 1 अक्तूबर, 1993 को प्रारंभ हुआ और इसी सेवा ने 15 अगस्त, 1994 को स्थानीय स्तर से अपलिंकिंग प्रारंभ कर दी। क्षेत्रीय उपग्रह भाषा

सेवा पर 1 मई, 2000 से चौबीस घंटे का प्रसारण आरंभ हो गया और डीडी गिरनार 2 सितंबर, 2007 से ब्रांड की पहचान बन गया। डीडी गिरनार में मनोरंजन, सूचना और शिक्षा का स्वस्थ मिश्रण उपलब्ध है। इस चैनल की टैगलाइन है– 'आपनी संस्कृति, आपनी ओलाख'।

डीडी : पोधिगई

क्षेत्रीय भाषा के 'मिल उपग्रह चैनल–पोधिगई का प्रारंभ 24 घंटे के प्रसारण के साथ 15 जनवरी, 2001 को पोंगल के दिन हुआ। इस चैनल में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की शैली को ध्यान में रखते हुए इसे 'इन्फोटेन्मेंट चैनल' कहा जाने लगा।

डीडी : यदागिरी

आंध्र प्रदेश के दो भागों में विभाजित होने अर्थात् आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजन के बाद डीडी सप्तगिरि चैनल को हैदराबाद में डीडी–यदागिरी चैनल और विजयवाड़ा में डीडी–सप्तगिरि चैनल में विभाजित कर दिया गया और उन्होंने 27 सितंबर, 2014 से कार्य करना शुरू कर दिया। डीडी–यदागिरी की टैगलाइन – 'सुमधुरम एवं सुमनोहरालु' है।

डीडी : सप्तगिरि

10 अक्तूबर, 1993 को प्रारंभ डीडी सप्तगिरि, तेलुगु भाषा का एक उपग्रह चैनल है, जो हैदराबाद, विजयवाड़ा तथा वारंगल के दूरदर्शन स्टूडियो द्वारा समर्थित है। यह 2000 में चौबीस घंटे प्रसारित होने वाला चैनल बन गया। 27 सितंबर, 2014 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्र बाबू नायडु द्वारा डीडी सप्तगिरि आंध्र प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया।

डीडी : बांग्ला

20 अगस्त, 1992 को प्रारंभ डीडी बांग्ला 1 जनवरी, 2000 से 24 घंटे प्रसारण करने वाला चैनल बन गया। श्री जवाहर सरकार, सीईओ प्रसार भारती ने 15 अप्रैल, 2013 को एचडीटीवी फॉर्मेट में कोलाबोरेटिव नॉन–लाइनर पोस्ट प्रोडक्शन सुविधा का उद्घाटन किया।

डीडी : पंजाबी

डीडी पंजाबी 6 अगस्त, 1998 को प्रारंभ हुआ और 5 अगस्त, 2000 से यह 24 घंटे प्रसारण अवधि वाला चैनल हो गया। यह भारत में व्यापक रूप से उपलब्ध है और साथ ही उन देशों में भी उपलब्ध है, जहां उपग्रह इनसेट–3ए तथा उपग्रह इनसेट–4बी का प्रसारण उपलब्ध है। डीडी पंजाबी चैनल उपग्रह इनेसट 4बी उपग्रह पर डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) प्लेटफॉर्म पर पर भी उपलब्ध है।

2016–17 के दौरान (24 सितंबर, 2016 तक) डीडी पंजाबी ने 4,88,50,701 रुपये का राजस्व हासिल किया

डीडी : कशीर

'डीडी कशीर' चैनल का शुभारंभ 26 जनवरी, 2000 को हुआ। इसे 15 अगस्त, 2003 से 24 घंटे वाले चैनल में परिवर्तित कर दिया। डीडी कशीर के प्रसारण में 'क्षेत्रीय सेवा' का 4 घंटे का सिमुलकास्ट और डीडी नेशनल से प्रतिदिन आधे घंटे का रिले शामिल है। पूरा प्रसारण डी डी डायरेक्ट प्लस पर उपलब्ध है, जबकि सुबह 6 बजे से रात बारह बजे तक का प्रसारण स्थलीय मोड में भी उपलब्ध है। यह कश्मीर के 77 फीसदी आबादी को कवरेज प्रदान करता है।

डीडी कशीर पर सभी भाषाओं/बोलियों को कार्यक्रमों के प्रसारण में जनसंख्या के अनुपात के मुताबिक उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। इन भाषाओं में बाल्टी, डोगरी, गोजरी, कश्मीरी, लद्दाखी, पहाड़ी, पंजाबी, शीना और उर्दू शामिल हैं।

डीडी : उड़िया

दूरदर्शन उड़िया का शुभारंभ 2 अक्तूबर, 1993 को हुआ। 1 अप्रैल, 2001 (उत्कल दिवस, ओडिशा राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर) को यह 24 घंटे प्रसारण वाला चैनल हो गया। 1 मार्च, 2014 से डीडी उड़िया चैनल को प्रति सप्ताह 48 घंटे 30 मिनट प्रसारण का टेरेस्टेरियल सहयोग मिल रहा है तथा शेष 119 घंटे 30 मिनट अवधि का प्रसारण केवल उपग्रह मोड पर ही प्राप्त हो रहा है। 2016–17 के दौरान (सितंबर 2016 तक) केंद्र ने 1,46,20,875.00 रुपये का राजस्व हासिल किया।

डीडी : मलयालम

डीडी मलयालम ने 1985 में प्रारंभ होकर देश के कोने–कोने में अपनी पहचान बनाई है। केंद्र के पास तिरुअनंतपुरम, त्रिशूर तथा कालिकट में कार्यक्रम निर्माण की सुविधा है तथा राज्यभर में टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों का नेटवर्क भी है।

डीडी चंदना

15 अगस्त, 1994 को प्रारंभ डीडी चंदना कन्नड़ भाषा का उपग्रह चैनल है जिसे बंगलुरु एवं गुलबर्गा के दूरदर्शन स्टूडियो का सहयोग मिलता है। वर्ष 2000 में यह चौबीस घंटे प्रसारण वाला चैनल हो गया तथा 24 मार्च, 2003 से इसकी कवरेज 30 से अधिक देशों में होने लगी है। कन्नड 98.76 प्रतिशत, उर्दू, कोदावा, कोंकणी और तेलगु 1.24 प्रतिशत है। 1 अप्रैल, 2016 से 31 अक्तूबर, 2016 तक इसने 2,78,25,186 रुपये का राजस्व अर्जित किया।

डीडी : पूर्वोत्तर

डीडी पूर्वोत्तर 1 नवंबर, 1990 में कमीशंड किया गया और अंततः 15 अगस्त, 1994 को इसका शुभारंभ किया गया। 27 दिसंबर, 2000 से यह 24 घंटे प्रसारण वाला चैनल हो गया। प्रोग्राम प्रोडक्शन केंद्र (पूर्वोत्तर), डीडीके, गुवाहाटी के प्लेटफार्म से दूरदर्शन 24 घंटे बिना रुकावट कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। डीडी पूर्वोत्तर (डीडी–13) का कवरेज क्षेत्र पूर्वोत्तर के सभी सात राज्यों तक फैला है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य और अब सिक्किम भी पीपीसी (एनई), नेटवर्क के अंतर्गत आ गया है। पीपीसी (एनई), डीडीके, गुवाहाटी के इन–हाउस कार्यक्रमों के अलावा, क्षेत्र के विभिन्न डीडी केंद्र भी डीडी पूर्वोत्तर के प्रसारण में योगदान देते हैं। यह चैनल डीडी डायरेक्ट प्लस, वीडियोकोन डीटीएच, टाटा स्काई आदि विभिन्न डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। 1 अप्रैल, 2016 से 31 अक्तूबर, 2016 तक इसने 16,32,712.00 रुपये का राजस्व अर्जित किया।

डीडी : राजस्थान

डीडी राजस्थान, चौबीस घंटे प्रसारण वाले हिंदी क्षेत्रीय चैनल के रूप में 1 अगस्त, 2013 को अस्तित्व में आया और 15 अगस्त 2013 से इसने औपचारिक रूप से कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ किया। 24 घंटे प्रसारण वाला यह केंद्र राज्य के दर्शकों की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शैलियों के कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। डीडीके जयपुर 750 कार्यक्रम कर चुका है जिनमें नृत्य, डॉक्यूमेंट्री, फीचर, टेली फिल्म और टेली प्लेज शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में से 525 कार्यक्रमों का प्रसारण डीडी–राजस्थान पर डीवी प्रारूप/ऑप्टिकल डिस्क के रूप में डब किया गया है। डीडी–राजस्थान में राजस्थानी, सिंधी, उर्दू और संस्कृत भाषा में भी साप्ताहिक/पाक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

डीडी : बिहार

डीडी पटना 13 अक्तूबर, 1990 को अस्तित्व में आया। इसके पश्चात मार्च 1996 में इसका उन्नयन किया गया और दिसंबर, 2003 में डिजीटल अर्थ स्टेशन चालू किया गया। विकास के साथ कदम मिलाते हुए और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डीडीके पटना को 1 मई, 2013 को चौबीसों घंटे के क्षेत्रीय हिंदी चैनल में परिवर्तित किया गया।

डीडी : उत्तर प्रदेश

चौबीसों घंटे उपलब्ध होने वाला 'डीडी उत्तर प्रदेश' 16 अगस्त, 2013 को अस्तित्व में आया। पहले डीडी उत्तर प्रदेश केवल स्थलीय नेटवर्क पर उपलब्ध था। 24 घंटे का यह चैनल लोक संगीत, सुगम संगीत, नाटक, टॉक शो, क्विज और कुछ अभिलेखीय कार्यक्रमों आदि जैसी शैलियों को कवर करता है।

डीडी : मध्य प्रदेश

डीडीके, भोपाल ने उपग्रह के माध्यम से 24 घंटे का प्रसारण प्रारंभ किया है और इसे 25 जून, 2013 से डीडीः मध्य प्रदेश नाम दिया गया है। पीजीएफ : ग्वालियर और पीजीएफ : इंदौर डीडी : मध्य प्रदेश पर प्रसारण के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं। यह केंद्र लाइव फोन–इन, सीरियल, टेलीफिल्म, वैराइटी शो, कंसर्ट, कवि सम्मेलन, क्विज और फीचर जैसे विभिन्न प्रकार के प्रारूपों में कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। हिंदी के अलावा इसके कार्यक्रम स्थानीय बोलियों जैसे मलावी, बुंदेली, बघेली और निमारी में भी बनाए जाते हैं।

2016–17 के दौरान विकास गतिविधियां

डिजिटीकरण

दूरदर्शन ने उच्च क्षमता वाले 63 डिजिटल पावर टीवी ट्रांसमीटर्स की संस्थापना की परियोजनाओं का कार्यान्वयन 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में किया जा रहा है। इनमें से 16 डिजिटल पावर ट्रांसमीटर्स (एचपीटी) (डीवीबी–टी–12) 25 फरवरी, 2016 तक निम्न स्थानों पर लगाए जा चुके थे।

1. दिल्ली	2. मुंबई	3. कोलकाता	4. चेन्नई
5. गुवाहाटी	6. पटना	7. रांची	8. कटक
9. लखनऊ	10. जालंधर	11. रायपुर	12. इंदौर
13. औरंगाबाद	14. भोपाल	15. बंगलुरु	16. अहमदाबाद

हैदराबाद, श्रीनगर और तिरुअनंतपुरम में डिजिटल ट्रांसमीटर्स लगाने का कार्य जारी है। दूरदर्शन ने 2018 के अंत तक 44 डिजिटल एपीटी स्थापित करने की योजना बनाई है। (अधिसूची – III : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 40 डिजिटल एचपीटी लगाने की योजना को मंजूरी मिल गयी है और 12 वीं योजना में 23 डिजिटल एपीटी मंजूर हो चुके हैं।)

देश के विभिन्न भागों में 39 स्टूडियो केंद्रो को पूरी तरह से डिजिटलीकरण (8 एनलॉग स्टूडियो तथा 31 अलग डिजिटल स्टूडियो) का कार्य प्रगति पर है।

हाई डेफिनेशन टेलीविजन (एचडीटीवी)

एचडीटीवी का आशय ऐसे वीडियो रेजोल्यूशन से है, जो परंपरागत टेलीविजन सिस्टम्स (स्टेंडर्ड–डेफिनेशन टीवी) से 5 गुणा अधिक होता है। एचडीटीवी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं : इसमें तस्वीर साफ और विचलन रहित होती है, रंग ज्यादा जीवंत दिखाई देते हैं, इसकी वाइड स्क्रीन पिक्चर ज्यादा वास्तविक प्रतीत होती है।

वर्तमान में निम्नलिखित एचडीटीवी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :

(i) दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी ट्रांसमीटर्स।

(ii) एचडीटीवी फार्मेट में सीपीसी दिल्ली में मल्टी–कैमरा मोबाइल निर्माण सुविधा।

(iii) डीडी किसान चैनल के लिए सीपीसी दिल्ली में एचडीटीवी प्रारुप में नॉन लिनियर पोस्ट प्रोडक्शन सुविधा।

(iv) कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी स्टूडियो।

आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुराने उपकरणों को बदलना

दूरदर्शन अपने नेटवर्क के आधुनिकीकरण, पुराने उपकरणों को अत्याधुनिक उपकरणों में बदलने और मौजूदा सुविधाओं में सुधार के लिए हमेशा से प्रयासरत है। वर्तमान में दूरदर्शन नेटवर्क के आधुनिकीकरण और उसे मजबूत बनाने की निम्नलिखित परियोजनाएं लागू की गई/की जा रही हैं–

स्थलीय ट्रांसमीटर

(i) पंजाब और राजस्थान में नई एचपीटी के साथ उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर का रिप्लेसमेंट।

(ii) स्थलीय कवरेज के विस्तार के लिए जम्मू–कश्मीर में 5 एचपीटी (10 किलोवाट) की स्थापना करना।

स्टूडियो

(i) देहरादून, उत्तराखंड में एक अर्थ स्टेशन के साथ साथ एक शानदार नवनिर्मित स्टूडियो पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं के साथ बनकर तैयार हो चुका गया है जो कार्यक्रमों को अपलिंक करने के लिए कार्य कर रहा है।

(ii) सीपीसी दिल्ली में मल्टीचैनल स्वचालित प्लेबैक वाली सुविधा के साथ 24 घंटे दूरदर्शन चैनलों के प्रसारण का कार्य चल रहा है।

दूरदर्शन की 12वीं योजना

दूरदर्शन की 12वीं योजना की स्कीम **'प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास'** को दूरदर्शन की पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन हेतु 1893.14 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें जारी योजनाओं के लिए 1215 करोड़ रुपये और नई योजनाओं के लिए 678.14 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है। 12वीं योजना के प्रमुख क्षेत्र हैं : दूरदर्शन नेटवर्क का डिजीटलीकरण, डीटीएच का विस्तार, एचडीटीवी का विस्तार, दूरदर्शन के स्टूडियो ट्रांसमीटर तथा सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट उपकरणों का आधुनिकीकरण।

12वीं योजना स्कीम के अंतर्गत उप–योजना–वार ब्यौरा (नई परियोजनाओं का) निम्नलिखित है :

1. डीटीएच का विस्तार

250 टीवी चैनलों के प्रसारण के लिए डीटीएच प्लेटफार्म का उन्नयन

2. हाई डेफिनेशन टीवी

कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी स्टूडियो

3. दूरदर्शन नेटवर्क का डिजीटलीकरण

i. 23 जगहों पर डिजिटल एचपीटी की स्थापना

ii आर्काइव्स का डिजीटलीकरणः सेंट्रल आर्काइव, दिल्ली तथा चार क्षेत्रीय आर्काइव्स की सुविधाओं में वृद्धि

4. स्टूडियो और ट्रांसमीटर उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन तथा स्थापना

i. सीपीसी और केंद्रों का आधुनिकीकरण

ii. समाचार मुख्यालय दिल्ली की सुविधाओं में सुधार

5. **सैटेलाइट प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और बदलाव**

i. 13 अर्थ स्टेशनों का उन्नयन, अर्थ स्टेशन उपकरण बदलना,

ii. 2 अर्थ स्टेशन इमारतों का निर्माण

6. **अवसंरचना का संवर्धन और विविध कार्य**

i. सुरक्षा और अन्य ढांचागत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

ii. चंडीगढ़ में सरकारी आवास

7. **न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी/प्रसारण के लिए वैकल्पिक प्लेटफार्म**

दूरदर्शन चैनलों की लाइव स्ट्रीमिंग तथा उपभोक्ताओं के उपकरणों पर इंटरनेट के जरिए कार्यक्रमों का प्रेषण।

8. **ओएफसी को सुदृढ़ करना**

उपरोक्त कार्य विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

प्रशिक्षण

नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीमीडिया, एनएबीएम सामान्य तौर पर कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान एसटीआई (टी) के रूप में जाना जाता है, प्रसार भारती की प्रमुख प्रशिक्षण अकादमी है। आज, यह एशिया–प्रशांत क्षेत्र में प्रसारकों के लिए एक महान प्रशिक्षण केंद्र होने के अलावा रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन तथा प्रसारण के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए अग्रणी संस्थान के रूप में उभरा है।

नए नियुक्त स्टाफ के लिए उन्नत प्रशिक्षण देने के अलावा यह प्रबंधन कार्यक्रमों में नई उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ मौजूदा कर्मियों के कौशल उन्नयन के लिए अपने इन हाउस संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जिनमें एनएबीएम दिल्ली, एनएबीएम भुवनेश्वर, आरएबीएम शिलांग और आरएबीएम तिरुवनंतपुरम शामिल हैं। अन्य कार्यक्रमों में डीडी के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम और तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अप्रैल 2016 से अक्तूबर 2016 के दौरान 839 से ज्यादा इंजीनियरिग अधिकारियों को 54 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण मुहैया कराया गया और 2015–2016 की शेष अवधि के दौरान करीब 5 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने की प्रस्ताव है।

इनके अलावा, उपकरण विनिर्माताओं द्वारा अपने कारखानों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। नेटवर्क में नए उपकरण शामिल किए जाने के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान उपकरण निर्माताओं द्वारा विभिन्न ए/टी में करीब 342 इंजीनियरिग अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/एबीयू कार्यशालाएं

वर्ष 2016–17 (अक्तूबर 2016 तक) के दौरान विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/एबीयू कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें डीडी अधिकारियों ने भाग लिया :

(i) कुआलालंपुर, मलेशिया में 23 मई, 2016 से 26 मई, 2016 तक एबीयू टैक्निकल ब्यूरो मध्य वर्षीय बैठक।

(ii) इनचान, कोरिया में 23 मई, 2016 से 26 मई, 2016 तक डीटीटी ब्रॉडकॉस्टिंग और एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन पर कार्यशाला। शिखर सम्मेलन का आयोजन एआईबीडी द्वारा उसके सहयोगियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से किया गया था।

(iii) सिंगापुर में 31 मई, 2016 से लेकर 3 जून, 2016 तक ब्रॉडकॉस्ट एशिया का आयोजन

(iv) इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग कन्वेशन का आयोजन 8 सितंबर, 2016 से लेकर 13 सितंबर, 2016 तक एम्स्टर्डम में किया गया।

(v) बाली, इंडोनेशिया में 20 अक्तूबर, 2016 से लेकर 26 अक्तूबर, 2016 तक एबीयू जनरल एसेंबली।

दूरदर्शन व्यावसायिक सेवा

दूरदर्शन व्यावसायिक सेवा (डीसीएस) एक स्वतंत्र प्रकोष्ठ है, जो मुख्यालय, दूरदर्शन केंद्रों, विपणन प्रभागों और डीसीडी द्वारा एजेंसियों/ग्राहकों/निर्माताओं से राजस्व एकत्र करने के साथ–साथ एयर टाइम की बिक्री जैसे सभी व्यावसायिक क्रियाकलापों में समन्वय करती है। डीसीएस प्रसार भारती बोर्ड के अनुमोदन से विपणन प्रभागों और क्षेत्रीय केंद्रों से प्राप्ति सूचना के अनुसार व्यावसायिक नीतियों का गठन करने और दर कार्ड को अद्यतन करने का दायित्व निभाता है।

यह प्रकोष्ठ विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों को पंजीकृत और प्रत्यायन स्टेट्स प्रदान करता है और इनसे एयर टाइम

की बिक्री के लिए संपर्क करता है। बाजार के बदलते परिप्रेक्ष्य में संबंधित नियमावलियों और नीतियों का गठन एवं उनकी समीक्षा समय–समय पर की जाती है।

दूरदर्शन द्वारा वर्ष वार हासिल किए कुल राजस्व (करोड़ रुपयों में) का वर्णन इस प्रकार है :

क्र.सं.	वर्ष	कुल राजस्व (करोड़ रुपयों में) सेवा कर सहित
1	2013-14	1139.92
2	2014-15	989.74
3.	2015-16	856.61
4.	2016-17 (31 अक्तूबर, 2016 तक)	459.85

विकास संचार प्रभाग (डीसीडी)

सरकारी विभागों/मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संचार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सिंगल विंडो विपणन प्रभाग और नवीनतम विकास संचार मॉडल सहित प्रोडक्शन हाउस के रूप में कार्य करने के लिए मार्च 2001 में विकास संचार प्रभाग (डीसीडी) की स्थापना की गयी थी। विकास संचार प्रभाग निम्नलिखित के लिए सिंगल विंडो सुविधा प्रदान करता है :

- दूरदर्शन के एयर टाइम का विपणन और उत्पादन क्षमता
- परामर्शी और अनुकूलित मीडिया प्लानिंग
- क्षेत्रीय भाषाओं में देशभर के स्टेशनों में कार्यक्रमों का निर्माण करना तथा
- प्रतिक्रिया और ग्राहकों के लिए अनुसंधान सर्वेक्षण।
- डीसीडी ने डीडी–1 से 'स्वच्छ भारत अभियान' का निर्माण और प्रसारण किया। स्वच्छ भारत अभियान का निर्माण और प्रसारण पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है और यह अभियान जारी है।
- ग्रामीण विकास पर आधारित 'गांव विकास की ओर' की एक सीरीज को नेशनल पर प्रसारित किया जा रहा है। इसका प्रसारण नेशनल और 34 क्षेत्रीय चैनलों पर भी किया जा रहा है।
- पुलिस पराक्रम – पुलिस के शहीदों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करने के गुप्तचर ब्यूरो, गृह मंत्रालय के प्रयासों में योगदान देने के लिए दूरदर्शन आधे घंटे की श्रृंखला 'पुलिस पराक्रम' का प्रसारण कर रहा है।
- वर्ष 2016–17 के दौरान कई तरह अभियान प्रसारित किए गए जिनमें सामाजिक न्याय मंत्रालय का सुलभ भारत अभियान, बुजुर्ग स्वास्थ्य अभियान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का तंबाकू विरोधी, चिकनगुनिया, डेंगू, टीकाकरण और स्तनपान कराना अभियान, पर्यटन मंत्रालय का अतुल्य भारत और वित्त मंत्रालय का आय घोषणा योजना और जीएसटी शामिल है।
- बच्चों के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की नई योजना मिशन 'इंद्रधनुष' के स्पॉर्ट्स और जागो ग्राहक जागो का दूरदर्शन की ओर से प्रारंभ किया गया है। डीसीडी ने भारत सरकार के प्रमुख अभियानों साथ ही साथी अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में भी स्पॉट्स का प्रसारण किया है। इसके अलावा विकलांगजनों के लाभ से संबंधित कार्यकलापों के स्पॉट्स भी बनाए गए हैं।
- वर्ष 2016–17 (31 अक्तूबर, 2016 तक) में डीसीडी द्वारा अर्जित कुल राजस्व 144.88 करोड़ रुपये रहा।

डीडी आर्काइव्स

प्रसार भारती (भारत का लोक सेवा प्रसारक) के अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन 218 रेडियो स्टेशनों और 67 दूरदर्शन केंद्रों का संचालन कर रहे हैं, कई दशकों से प्रख्यात नेताओं, महान विद्वानों, कलाकारों, इतिहासकारों, खेल और अन्य आयोजनों आदि से संबंधित ऑडियो और ऑडियो–विज्युअल कार्यक्रमों का निर्माण कर रहे हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के पास अतीत की पांडुलिपियां, पत्रिकाएं, फोटोग्राफ, विवरण पुस्तिकाएं भी उपलब्ध हैं।

डिजिटीकरण और विश्वस्तरीय अभिलेखन के माध्यम से इस महान देश की समृद्ध धरोहर, कला और संस्कृति को सहेज कर रखना प्रसार भारती का कर्तव्य ही नहीं, अपितु जिम्मेदारी भी है, ताकि भावी पीढ़ियों उसे उपयोग में ला सकें।

प्रसार भारती ने इस सामग्री का डिजिटीकरण और संरक्षण करने की दिशा में सूचियां बनाने, डिजिटीकरण करने, मेटाडाटा तैयार करने, मेटा टैगिंग करने और डीप आर्काइविंग के माध्यम से संरक्षित करने जैसे कई कदम उठाए हैं। दूरदर्शन के लिए दिल्ली और कोलकाता में

तथा आकाशवाणी के लिए पांच स्थानों यथा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई में तकनीकी ढांचा अवस्थित है। सभी स्टेशनों से समस्त विवरण पुस्तिकाएं, पांडुलिपियां और मैग्जींस एकत्र की गई हैं और वे डिजिटीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। दूरदर्शन की 22,733 घंटे की सामग्री का डीवीसी प्रो 50 फॉर्मेट में डिजिटीकरण किया गया है।

दूरदर्शन अभिलेखागार (आर्काइव्स) के पास प्रख्यात नेताओं, महान विद्वानों, कलाकारों, इतिहासकारों, खेल और सिने हस्तियों, आदि की रिकॉर्डिंग करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त है।

आम जनता के लिए पुरानी रिकॉर्डिंग उपलब्ध बनाने के लिए, डीडी अभिलेखागार अपने मोबाइल डिस्पले/बिक्री काउंटरों के माध्यम से नाममात्र दरों पर ये रिकॉर्डिंग प्रदान करता है। डीडी अभिलेखागार ने दर्शकों के लिए ऐतिहासिक रिकॉर्डिंग की डीवीडी रिलीज की है। अभी तक डीडी अभिलेखागार 89 डीवीडी जारी कर चुका है। पिछले वर्ष महापुरूष पर आधारित दो डीवीडी जारी की गयी थी जिनमें भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित किया गया था। एक डीवीडी प्रख्यात कथक नृत्य की शिक्षाओं के गुरू पंडित बिरजू महाराज के जीवन और दूसरी डीवीडी अनुभवी भरतनाट्यम नृतक सुश्री कोमला वर्धन के जीवन पर थी। इन डीवीडी को दिल्ली हाट में एक स्थायी कियोस्क के माध्यम से भुगतान सभी दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों से पाया जा सकता है। यह ऑनलाइन prasarbharatiarchives.co.in पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए एक वेब आधारित पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से ऑडियो–विजुअल सामग्री, तस्वीरें और दूरदर्शन तथा ऑल इंडिया रेडियो के दस्तावेजों के बारे में बहुमूल्य जानकारी को संग्रहित किया गया है। पुरानी मैगजीन, पत्रिकाएं और ऑल इंडिया रेडियो इसमें शामिल हैं।

डीडी अभिलेखागार (आर्काइव्स) ने 1 अप्रैल, 2016 से 30 नवंबर, 2016 तक 18,47,420 रुपये की कमाई की, जिसमें से 1,64,564 रुपये डीवीडी की ब्रिकी तथा 182856 रुपये आर्काइवल फुटेज के माध्यम से प्राप्त हुए।

हाल ही में दूरदर्शन अभिलेखागार ने संक्षिप्त विवरण के साथ–साथ दो रंगीन कैटलाग और ब्रोशर के साथ डीवीडी भी प्रकाशित की है।

डीडी अभिलेखागार इसकी फुटेज भुगतान के आधार पर दर्शकों के लिए उपलब्ध कराता है और वास्तविक विद्वानों के लिए लागत पूर्वावलोकन को निःशुल्क रखा गया है।

डीडी अभिलेखागार अपनी पुरानी सामग्री की रिपैकेजिंग करने के बाद अन्य चैनलों के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान कर रहा है। वर्तमान में प्रति सप्ताह छह कार्यक्रम डीडी नेशनल के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। कुछ अन्य चैनलों ने डीडी से इसी तरह की समान सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। डिजीटल सामग्री का संरक्षण करने के अलावा, डीडी आर्काइव्स डिजीटल सामग्री के लिए मेटाडाटा को तैयार करता है। वर्तमान में 40,000 से अधिक मेटाडाटा तैयार किए गए हैं जिसमें से 25,000 से अधिक प्रविष्टियां ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय संसाधन एक्सचेंज पूल (एनआरईपी) योजना के तहत डीडी अभिलेखागार अन्य दूरदर्शन केंद्र/कार्यालयों को अनुरोध पर डिजीटल सामग्री प्रदान करता है। 1 अप्रैल 2016 से 30 नवंबर 2016 तक एनआरईपी के तहत 2065 घंटे की डिजीटल सामग्री प्रदान की गई थी। जैसे ही डीडीके कोलकाता कार्य करना शुरू कर देगा तो डिजिटलीकरण की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी।

डीडी अभिलेखागार का प्रगतिशील विवरण का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण इस प्रकार है :

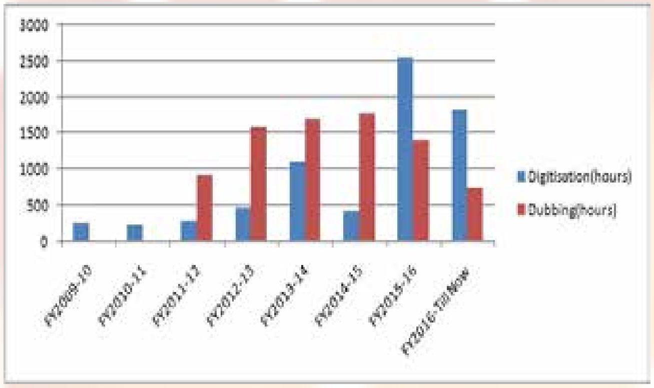

जन–संपर्क (पीआर) अनुभाग

- निदेशालय के मीडिया प्रचार प्रभाग की एक छोटी सी समग्र इकाई है मीडिया और प्रचार गतिविधियों को संचालित करती है। संचार, विज्ञापन, मेल, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कांफ्रेंस, जैसी गतिविधियों और दूरदर्शन के कार्यक्रमों का आयोजन प्रचार–प्रसार के लिए किए जाते हैं।

- आगामी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए प्रचार कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। मीडिया और प्रचार प्रभाग को उन्नत किया गया है। अपर महानिदेशक इस प्रभाग की देख–रेख करते हैं।
- प्रिंट और आउटडोर टीम अखिल भारतीय आधार पर प्रिंट अभियानों और आउट ऑफ होम/होर्डिंग कैम्पेन्स की योजना बनाने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है।
- इस शो के प्रचार की योजना में रेडियो, प्रिंट और आउटडोर रचनात्मकता शामिल हैं। विभिन्न समय स्लॉट, डीटीएच, रोजगार के बारे में विज्ञापन भी प्रभाग द्वारा नियमित आधार पर क्रियान्वित किए जाते हैं।

1 दिसंबर, 2015 से 15 नवंबर, 2016 तक के सीएटी के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन

क्रं सं.	मीडिया इकाइयां/ विभाग महानिदेशालय– दूरदर्शन	वर्ष 2015–16 के लिए सीएटी से प्राप्त निर्णयों/ आदेशों की संख्या	वर्ष 2015–16 के दौरान लागू किए गए निर्णयों/ आदेशों की संख्या	कार्यान्वित/चुनौती दी
1.	S-1	25	25	-
2.	S-1(A)	08	04	4 का कार्यान्वयन हुआ
3.	S-II	11	11	-
4.	S-III	08	06	2 को चुनौती दी गई
5.	S-1V	02	00	2 को चुनौती दी गई
6.	SCOR	01	01	-
7.	सतर्कता	06	06	-
	कुल	61	53	08

दूरदर्शन महानिदेशालय में हिंदी का लगातार बढ़ता अनुप्रयोग

हिंदी के लगातार बढ़ते अनुप्रयोग के संबंध में राजभाषा की नीति और निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए दूरदर्शन महानिदेशालय में अलग से एक हिंदी अनुभाग कार्य कर रहा है। यह अनुभाग निदेशालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के बढ़ते अनुप्रयोग से संबंधित स्थिति की समीक्षा करता है और हिंदी का अनुप्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव प्रयास करता है।

वर्ष 2016–17 के दौरान (अभी तक) अनुभाग द्वारा किए गए मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

(i) वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा–3(3) के तहत सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए गए और हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया।

(ii) निदेशालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए, वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं। समिति की एक बैठक दिसंबर 2016 और दूसरी बैठक मार्च 2017 में होनी प्रस्तावित है।

(iii) राजभाषा हिंदी के बारे में अधिकारियों/कर्मचारियों में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से समय–समय पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।

(iv) 1 सितंबर से 30 सितंबर, 2016 तक हिंदी माह मनाया गया और इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

(v) संसद पर राजभाषा समिति ने वर्ष के दौरान 6 दूरदर्शन केंद्रों/कार्यालयों का निरीक्षण किया। मसौदा एवं साक्ष्य उप समिति ने भी आलोच्य अवधि के दौरान निदेशालय का निरीक्षण किया।

(vi) बी क्षेत्र में स्थित डीडीके/डीएमसी/एचपीटी का एक क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन मुंबई में दिसंबर 2016 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

(vii) अवधि के दौरान 26 डीडीके/डीएमसी/एचपीटी का निरीक्षण किया गया और समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी।

दर्शक अनुसंधान

देशभर में दूरदर्शन केंद्रों के साथ संलग्न 19 फील्ड इकाइयों सहित दूरदर्शन की दर्शक अनुसंधान इकाई, 1976 से प्रसारण के विभिन्न पहलुओं के बारे में शोध अध्ययन में जुटी हैं। अप्रैल 2016 से मार्च 2016 के दौरान दर्शक अनुसंधान इकाई का योगदान निम्नलिखित रहा :

- बीएआरसी टीवीआर का साप्ताहिक आधार पर विश्लेषण और रिपोर्टिंग।
- प्रसार भारती की वर्ष 2015–16 की और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की 2016–17 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
- दर्शक अनुसंधान एवं कार्यक्रम कर्मियों के लिए बीएआरसी, बीएमडब्ल्यू सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- दूरदर्शन की मासिक निगरानी।

अनुलग्नक–1

दूरदर्शन केंद्र (स्टूडियो केंद्र)

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	स्थान
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा, तिरुपति
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
असम	डिब्रुगढ़, गुवाहाटी, गुवाहाटी (पीपीसी), सिलचर,
बिहार	पटना, मुजफ्फरपुर
छत्तीसगढ़	जगदलपुर, रायपुर
गोवा	पणजी
गुजरात	अहमदाबाद, राजकोट
हरियाणा	हिसार
हिमाचल प्रदेश	शिमला
जम्मू–कश्मीर	श्रीनगर, जम्मू, लेह, राजौरी
झारखंड	रांची, डाल्टनगंज
कर्नाटक	बंगलुरु, गुलबर्ग
केरल	कोझिकोड, तिरुअनंतपुरम, त्रिचूर
मध्य प्रदेश	भोपाल, इंदौर, ग्वालियर
महाराष्ट्र	मुंबई, नागपुर, पुणे
मणिपुर	इंफाल
मेघालय	शिलांग, तुरा
मिजोरम	आईजोल
नगालैंड	कोहिमा
ओडिशा	भुवनेश्वर, भवानीपटना, संम्भलपुर
पंजाब	जालंधर, पटियाला
राजस्थान	जयपुर
सिक्किम	गंगटोक
तमिलनाडु	चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरई
तेलंगाना	हैदराबाद, वारंगल
त्रिपुरा	अगरतला
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, मऊ, वाराणसी, मथुरा
उत्तराखंड	देहरादून
पश्चिम बंगाल	कोलकाता, शांतिनिकेतन, जलपाईगुड़ी
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर
चंडीगढ़	चंडीगढ़
दिल्ली	दिल्ली
पुदुच्चेरी	पुदुच्चेरी

दूरदर्शन नेटवर्क (1 नवंबर, 2016 को)

क्रं. स.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	ट्रांसमीटर्स की संख्या													
		प्रमुख चैनल (डीडी–1)					समाचार चैनल (डीडी न्यूज)				अपने प्रसारण की पूरी अवधि में क्षेत्रीय कार्यक्रम डीडी–1 रिले करने वाले ट्रांसमीटर्स				डीटीटी
		एपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	टीआरपी	कुल	एपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	कुल	एपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	कुल	एचपीटी
1	आंध्र प्रदेश	7	38		1	46	3	6		9			8	8	
2	अरुणाचल प्रदेश	1	3	39		43	1			1				0	
3	असम	4	20	1	1	26	2	1		3				0	1
4	बिहार	4	29	2		35	2	2		4				0	1
5	छत्तीसगढ़	4	15	8		27	1			1				0	1
6	गोवा	1				1	1			1				0	
7	गुजरात	7	51			58	4	3		7			3	3	1
8	हरियाणा	2	13			15	1	7		8				0	
9	हिमाचल प्रदेश	3	7	39	2	51	2	1		3				0	
10	जम्मू–कश्मीर	10	7	67	1	85	5	3		8	4	8	17	29	
11	झारखंड	3	17	2		22	2	2	1	5				0	1
12	कर्नाटक	8	47			55	4	2		6			7	7	1
13	केरल	4	20			24	3	2		5			4	4	
14	मध्य प्रदेश	8	60	6		74	4			4				0	2
16	महाराष्ट्र	8	78			86	5	10		15			20	20	2
17	मणिपुर	2	1	4		7	1			1				0	
15	मेघालय	2	3	2		7	2			2				0	
18	मिजोरम	2	1	2		5	1	1		2				0	
19	नगालैंड	2	2	6	2	12	1	1		2				0	
20	ओडिशा	5	62		1	68	2	7	2	11			16	16	1
21	पंजाब	4	4			8	3	1		4				0	1
22	राजस्थान	7	65	17	2	91	4	4		8				0	
23	सिक्किम	1		6		7	1			1				0	
24	तमिलनाडु	6	44		1	51	2	9		11	1		7	8	1
25	तेलंगाना	3	36			39	1			1			1	1	
26	त्रिपुरा	1	5	1	1	8	1	1		2				0	
27	उत्तर प्रदेश	11	53	3		67	7	9	1	17				0	1
28	उत्तराखंड	1	15	33	2	51	1	2		3				0	
29	पश्चिम बंगाल	8	17			25	4	2		6	1		1	2	1
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	19		21	1	1	6	8				0	
31	चंडीगढ़		1			1				0				0	
32	दादर और नगर हवेली		1			1				0				0	
33	दमन और दीव		2			2				0				0	
34	दिल्ली	1				1	1			1				0	2
35	लक्षद्वीप		1	1		2			7	7			7	7	
36	पुद्दुच्चेरी	1	1	1		3		1		1			1	1	
	कुल	132	720	259	14	1125	73	78	17	168	6	8	92	106	17
	कुल ट्रांसमीटर की संख्या					1416									

अनुलग्नक–3

डिजिटल एचपीटी की सूची

क्र. सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	(11वीं योजना के अंग के रूप में अनुमोदित)		बारहवीं योजना के हिस्से के रूप में स्वीकृत–23 की संख्या
		पहला चरण–19 की संख्या	दूसरे चरण–21 की संख्या	
1.	आंध्र प्रदेश		विजयवाड़ा	तिरुपति
2.	अरुणाचल प्रदेश			ईटानगर
3.	असम	गुवाहाटी*		
4.	बिहार	पटना*		मुजफ्फरपुर
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर*		जगदलपुर
6.	गुजरात	अहमदाबाद*	सूरत	
			वडोदरा	
			राजकोट	
7.	हरियाणा			हिसार
8.	हिमाचल प्रदेश		कसौली	शिमला
9.	जम्मू–कश्मीर	श्रीनगर		जम्मू
10.	झारखंड	रांची*		जमशेदपुर
11.	कर्नाटक	बंगलुरु*	मैसूर	शिमोगा
				धारवाड़
12.	केरल	तिरुअंतपुरम	कोच्चि	कोझिकोड
13.	मध्य प्रदेश	भोपाल*	ग्वालियर	
		इंदौर'		
14.	महाराष्ट्र	मुंबई*	नागपुर	अंबाजोगी
		औरंगाबाद*	पुणे	
15.	मणिपुर			चुराचांदपुर
16.	मेघालय			शिलांग
17.	मिजोरम			लुंगलेई
18.	नगालैंड			मोकोकचुंग
19.	ओडिशा	कटक*		बालासोर
20.	पंजाब	जालंधर*	अमृतसर	
21.	राजस्थान		जयपुर	बाड़मेर
				बूंदी
22.	सिक्किम			गंगटोक
23.	तमिलनाडु	चेन्नई*	कोडइकनाल	रामेश्वरम
24.	तेलंगाना	हैदराबाद		
25.	त्रिपुरा			अगरतला
26.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ*	कानपुर	
			वाराणसी	
			इलाहाबाद	
			आगरा	
			बरेली	
27.	उत्तराखंड		मसूरी	
28.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता*	कुर्सियांग	आसनसोल
			कृष्णानगर	
29.	दिल्ली	दिल्ली*		

*कमीशंड

10 नवंबर, 2016 तक डीडी फ्री डिश चैनलों का संक्षिप्त विवरण

फ्रीक्वेंसी 11090 MHZ, S.R. 29.5 MSPS, FEC 3/4 GSAT -15	**फ्रीक्वेंसी 11170 MHZ, S.R. 29.5 MSPS, FEC 3/4 GSAT -15**	**फ्रीक्वेंसी 11470 MHZ, S.R. 29.5 MSPS, FEC 3/4 GSAT -15**	**फ्रीक्वेंसी 11510 MHZ, S.R. 29.5 MSPS, FEC 3/4 GSAT -15**	**फ्रीक्वेंसी 11550 MHZ, S.R. 29.5 MSPS, FEC 3/4 GSAT -15**
टीवी चैनल				
1. डीडी–1	17. डीडी राजस्थान	33. नापतोल ब्लू	49. बिग मैजिक	65. मनोरंजन मूवीज
2. डीडी न्यूज	18. डीडी उड़िया	34. डीडी उर्दू	50. संस्कार	66. फिल्मी हाउस
3. डीडी स्पोर्ट्स	19. डीडी पोढ़िगै	35. सिनेमा टीवी	51. 9 एक्सएम	67. विजन टीवी
4. डीडी किसान	20. डीडी पंजाबी	36. डीडी सप्तगिरी	52. टेलीशॉप	68. स्टार उत्सव मूवीज
5. डीडी भारती	21. डीडी सहयाद्रि	37. इंडिया टीवी	53. इंडिया 24x7	69. रसिया टुडे
6. डीडी बांग्ला	22. डीडी यादगिरी	38. आस्था टीवी	54. स्टार उत्सव	70. जी अनमोल सिनेमा
7. डीडी चन्दना	23. डीडी मलयालम	39. मनोरंजन टीवी	55. जी अनमोल	71. 9 एक्स बजाओ
8. डीडी गिरनार	24. लोकसभा	40. समाचार राष्ट्र	56. मस्ती	72. आर टी सिनेमा
9. डीडी कशीर	25. राज्यसभा	41. सोनी पल	57. बी 4 यू संगीत	73. जी न्यूज
10. महा मूवी	26. वा सिनेमा	42. दबंग	58. दिल्लगी	74. इंडिया न्यूज एच.डी.
11. आस्था भजन	27. दंगल	43. रिश्ते	59. न्यूज स्टेट उत्तराखंड/उत्तर प्रदेश	75. 9 एक्स जलवा
12. बी 4 यू सिनेमा	28. भोजपुरी चैनल	44. सोनी मिक्स	60. न्यूज 24	76. रिश्ते सिनेप्लेक्स
13. वाह सिनेमा	29. डीडी बिहार	45. होम शॉप 18	61. सोनी वाह	77. विजन टीवी शिक्षा
14. इंडिया	30 डीडी नॉर्थ ईस्ट	46. डीडी स.प्र.	62. आजतक	78. एमटीवी बीट्स
15. आईबीएन 7	31. डीडी उत्तर प्रदेश	47. इंटर 10	63. एबीपी न्यूज	79. फक्त मराठी
16. बिग मैजिक गंगा	32. साधना राष्ट्रीय	48. एपीएन न्यूज	64. चरदीकला टाइम टीवी	80. चित्रपट मराठी

रेडियो चैनल

1. आकाशवाणी वीबीएस	9. आकाशवाणी गुजराती	17. आकाशवाणी कन्नड़	25 आकाशवाणी रागम
2. आकाशवाणी तेलुगु	10. एफएम रेनबो	18. आकाशवाणी बांग्ला	26. एफएम रेनबो बंगलुरु
3. आकाशवाणी मराठी	11. आकाशवाणी पंजाबी	19. आकाशवाणी हिन्दी	27. आकाशवाणी उर्दू
4. आकाशवाणी तमिल	12. एफएम गोल्ड	20. आकाशवाणी एन ई	28. आकाशवाणी उड़िया
5. आकाशवाणी नेशनल	13. रेडियो कश्मीर	21. एफएम रेनबो चेन्नई	29. आकाशवाणी मलयालम
6. एफएम रेनबो कोलकाता	14. आकाशवाणी लखनऊ	22. गोल्ड मराठी	30. आकाशवाणी असमिया
7. आकाशवाणी विजयवाड़ा	15. आकाशवाणी पटना	23. आकाशवाणी जयपुर	31. आकाशवाणी एफएम गोल्ड चेन्नई
8. टेस्ट 108	16. आकाशवाणी भोपाल	24. आकाशवाणी एफएम रेनबो	32. आकाशवाणी एफएम गोल्ड कोलकाता

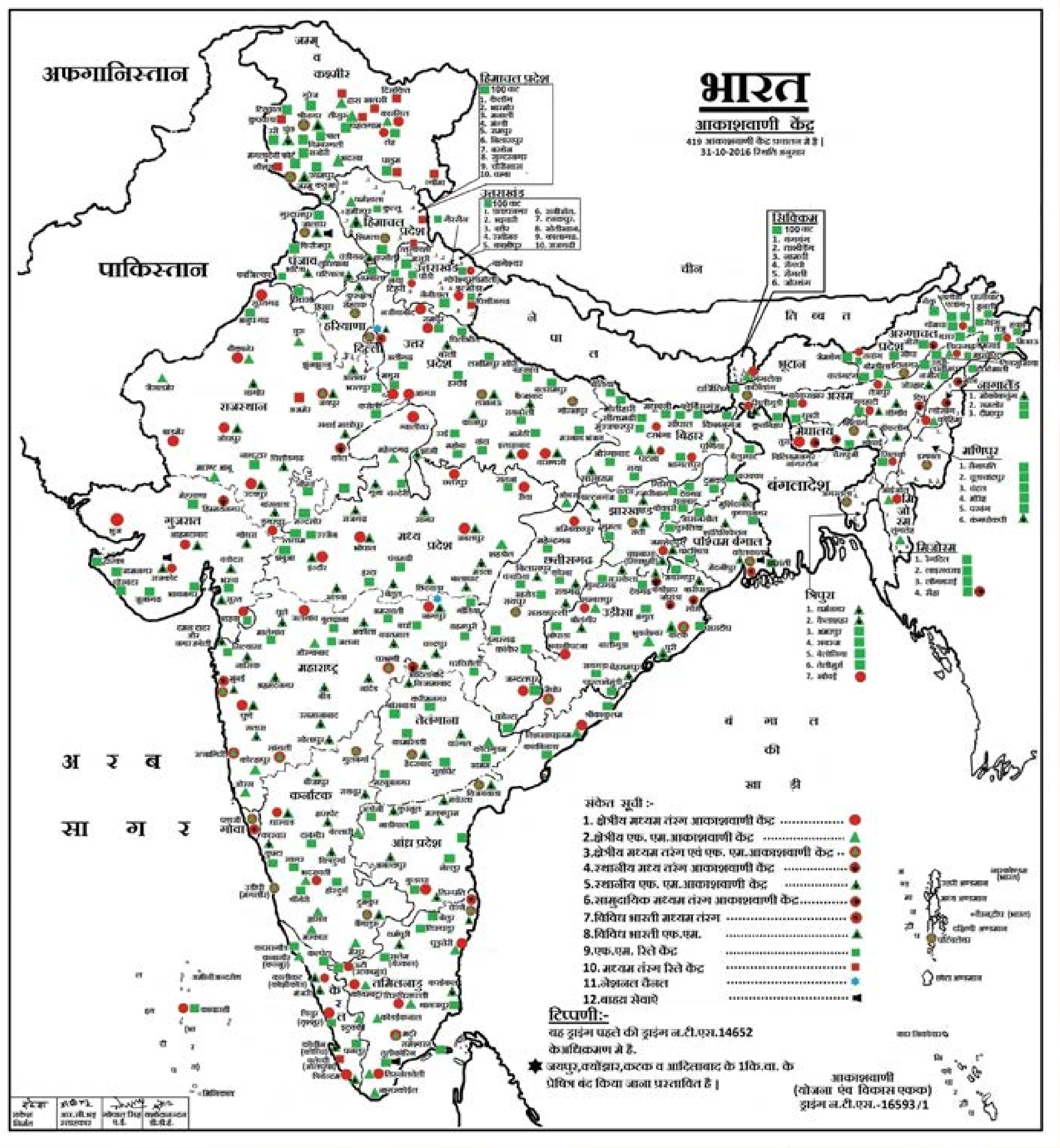
भारत
आकाशवाणी केंद्र
अफगानिस्तान
पाकिस्तान
चीन
नेपाल
तिब्बत
भूटान
बंगलादेश
अरब सागर
बंगाल की खाड़ी
संकेत सूची :-
1. क्षेत्रीय मध्यम तरंग आकाशवाणी केंद्र
2. क्षेत्रीय एफ. एम. आकाशवाणी केंद्र
3. क्षेत्रीय मध्यम तरंग एवं एफ. एम. आकाशवाणी केंद्र
4. स्थानीय मध्य तरंग आकाशवाणी केंद्र
5. स्थानीय एफ. एम. आकाशवाणी केंद्र
6. सामुदायिक मध्यम तरंग आकाशवाणी केंद्र
7. विविध भारती मध्यम तरंग
8. विविध भारती एफ.एम.
9. एफ.एम. रिले केंद्र
10. मध्यम तरंग रिले केंद्र
11. नेशनल चैनल
12. बाह्य सेवाऐ
टिप्पणी:-
यह ड्राइंग पहले की ड्राइंग न.टी.एस.14652 के अधिक्रमण मे है.
जयपुर, क्योंझार, कटक व आदिलाबाद के 1कि.वा. के प्रेषित्र बंद किया जाना प्रस्तावित है।
आकाशवाणी
(योजना एंव विकास एकक)
ड्राइंग न.टी.एस.-16593/1

आकाशवाणी

तथ्य एक नज़र में

1. **प्रसारण केंद्र :**	**419**
क) स्टुडियो सहित पूर्ण केंद्र :	**219**
i) स्थानीय रेडियो केंद्र :	87
ii) एलआरएस से भिन्न स्टेशन और स्टुडियो:	127
iii) सामुदायिक रेडियो स्टेशन :	5
ख) रिले केंद्र	**200**
(100 वाट क्षमता के 194 एफएम रिले सेंटर)	
कुल स्टेशन :	**419**
ग) एफएम ट्रांसमीटर वाले आकाशवाणी केंद्र :	386
घ) विविध भारती केंद्र	37
ङ) विदेश प्रसारण सेवा केंद्र :	11
च) रिकॉर्डिंग स्टुडियो :	1 (भुवनेश्वर)
2. **ट्रांसमीटरों की संख्या :**	**608**
क) मीडियम वेव	145
ख) शॉर्ट वेव	48
ग) एफएम	415
कुल ट्रांसमीटर :	**608**

3. **प्रसारण कवरेज**

	क्षेत्रवार (%)	आबादी वार (%)
प्राइमरी ग्रेड सिग्नलवार (एमडब्ल्यू+एफएम)	92.00%	99.20%
केवल एफएम सिग्नलवार	34.00%	47.00%
केवल एमडब्ल्यू सिग्नलवार	90.65%	98.40%

4. कैप्टिव अर्थ स्टेशन	32
5. स्टुडियो	222
6. आरएनयू	46
7. आकाशवाणी के डीटीएच चैनल	24
8. लाइव स्टीमिंग चैनल	13

इंजीनियरी

(क) नेटवर्क का विकास और कवरेज

आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े प्रसारण नेटवर्कों में से एक है। स्वतंत्रता के समय 6 आकाशवाणी केंद्र और 18 ट्रांसमीटर (6 मीडियम वेव और 12 शार्ट वेव) थे, जो देश की 11 प्रतिशत आबादी और 2.5 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करते थे।

31 दिसंबर, 2016 तक आकाशवाणी का नेटवर्क बढ़कर 419 केंद्र और 608 ट्रांसमीटरों वाला (145 मीडियम वेव, 48 शार्ट वेव और 415 एफएम) हो गया है, जो देश की 99.20 प्रतिशत आबादी और 92 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करता है। इसमें 100 वाट क्षमता के 194 एफएम ट्रांसमीटर भी शामिल हैं, जो करीब 8–10 किलोमीटर के दायरे में स्थानीय कवरेज के लिए संस्थापित किए गए हैं।

23 अगस्त, 2016 को मैत्री चैनल का उद्घाटन

(ख) वर्ष के दौरान गतिविधियों का ब्यौरा

(1) 01 अप्रैल, 2016 से 31 अक्तूबर, 2016 की अवधि में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या 418 से बढ़कर 419 हो गई और ट्रांसमीटरों की संख्या 606 से बढ़कर 608 हो गई। वर्ष के दौरान वर्तमान केंद्रों पर चालू किए गए ट्रांसमीटर:

(क) वर्ष के दौरान चालू किए गए नए स्टेशन/ट्रांसमीटर

- बासंती : 100 डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर

(ख) वर्ष के दौरान वर्तमान स्टेशन पर चालू किए गए ट्रांसमीटर

कवरत्ती	वर्तमान 1 कि.वा. ट्रांसमीटर के स्थान पर 10 कि.वा. क्षमता का मी.वे. ट्रांसमीटर संस्थापित किया गया।
सूरतगढ़ (राजस्थान)	मौजूदा 300 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमिशन के स्थान पर 300 कि.वा. मी.वे. डीआरएम ट्रांसमिशन लगाया गया।
जालंधर (पंजाब)	मौजूदा 300 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमिशन के स्थान पर 300 कि.वा. मी.वे. डीआरएम ट्रांसमिशन लगाया गया।
सासाराम (बिहार)	वर्तमान 6 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर के स्थान पर 6 कि. वा. एफएम ट्रांसमीटर संस्थापित किया गया।
बालूरघाट (पश्चिम बंगाल)	मौजूदा 100 डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर के स्थान पर 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर संस्थापित और चालू किया गया।
मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)	वर्तमान 6 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर के स्थान पर 6 कि. वा. एफएम ट्रांसमीटर संस्थापित किया गया।
भवानीपटना (ओडिशा)	5 किवा एफएम ट्रांसमीटर डीडी साइट (रिले केंद्र)

(ग) अन्य गतिविधियां

- इटावा (उत्तर प्रदेश) : डीसी कार्यालय, इटावा में 34,01,260 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कराया गया और सीमित स्टूडियो सुविधा के साथ 10 कि. वा. एफएम ट्रांसमीटर की संस्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है।
- रतलाम (मध्य प्रदेश) : डीसी कार्यालय, रतलाम (मध्य प्रदेश) में 17,18,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कराया गया और सीमित स्टूडियो सुविधा के साथ 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर की संस्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है।

2. तकनीकी रूप से तैयार स्टेशन/ट्रांसमीटरः निम्नांकित केंद्र चालू किए जाने के लिए तकनीकी रूप से तैयार किए गए :

1.	देहरादून, उत्तराखंड	स्टूडियो सुविधा के साथ 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर
2.	लोंगथेराई (त्रिपुरा)	स्टूडियो सुविधा के साथ 5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर
3.	कोटा, राजस्थान	1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर
4.	अमृतसर (पंजाब)	20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर
5.	चौटन हिल (राजस्थान)	20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर
6.	दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)	स्टूडियो सुविधा के साथ 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर
7.	सिल्चर (असम)	स्टूडियो सुविधा के साथ 5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर
8.	सिल्चर (असम)	स्टिरियो स्टूडियो सुविधा
9.	कोहिमा (नगालैंड)	स्टिरियो स्टूडियो सुविधा

3. डिजिटलीकरण स्कीम

वर्ष के दौरान पूरी की गई और कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाएं :

(i) मौजूदा केंद्रों पर 33 पुराने मी.वा. ट्रांसमीटरों के स्थान पर नए डीआरएम मी.वा. ट्रांसमीटर लगाए गए :

- 20 कि.वा. (6 संख्या) : सभी ट्रांसमीटर संस्थापित और चालू किए गए।
- 100 कि.वा. (11 संख्या) : सभी ट्रांसमीटर संस्थापित और चालू किए गए।

नई दिल्ली में आयोजित आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु दीप प्रज्ज्वलित करते हुए, चित्र में सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर, प्रसार भारती सीईओ और आकाशवाणी महानिदेशक भी दिखाई दे रहे हैं

- 200 कि.वा. (10 संख्या) : सभी ट्रांसमीटर संस्थापित और चालू किए गए।
- 300 कि.वा. (6 संख्या) : सभी ट्रांसमीटर संस्थापित और चालू किए गए।

(ii) 3 शार्टवेव ट्रांसमीटरों के स्थान पर डीआरएम शार्टवेव ट्रांसमीटर लगाए गए :

- बंगलुरु में 500 कि.वा. डीआरएम शार्टवेव ट्रांसमीटर संस्थापित किया गया और उसे नियमित सेवा में लिया गया।
- किंग्सवे (दिल्ली) के लिए 100 कि.वा. 2 डीआरएम शार्टवेव ट्रांसमीटर खरीदे गए और उन्हें अब किंग्सवे (दिल्ली) में संस्थापित किया जाना है।

(iii) अभी तक कवर न किए गए ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में एफएम कवरेज के विस्तार के लिए 100 स्थानों (मौजूदा आकाशवाणी/डीडी के एलपीटी स्थलों) पर 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर :

- सभी स्थानों पर ट्रांसमीटर लगाए गए।

(iv) सुदूर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में 34 स्थानों पर पुराने एफएम ट्रांसमीटरों के स्थान पर उतनी ही क्षमता के नए ट्रांसमीटर (6 कि.वा. के 27 और 10 कि.वा. के 7) लगाना और 1 कि.वा. मी.वे. के 6 ट्रांसमीटरों के स्थान पर 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर लगाना :

- 10 कि.वा. के सभी 13 ट्रांसमीटर संस्थापित कर दिए गए हैं।
- 6 कि.वा. के 27 एफएम ट्रांसमीटर संस्थापित किए गए हैं और सेवा में लिए गए।

(v) 24 स्थानों पर नए 1 कि.वा./5 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटरों की संस्थापना :

- 1 कि.वा. (संख्या 12) और 5 कि.वा. (संख्या 12) एफएम ट्रांसमीटर संस्थापित किए गए और उनमें से ज्यादातर को सेवा में लिया गया।

(vi) 98 स्टूडियो का डिजिटलीकरण :

- 48 स्टेशनों पर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, सर्वर, बैक अप के साथ स्टोरेज उपलब्ध कराए गए।
- शेष 50 स्टेशनों के लिए, निविदा कार्य शुरू किया गया।

(vii) अभिलेखागार सुविधा का डिजिटलीकरण :

- दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में अभिलेखागार सुविधा की स्थापना का काम पूरा किया गया है, जिसके अंतर्गत डाटा बेस सर्वर और स्टोरेज के साथ स्टेशनों का डिजिटलीकरण और जीर्णोद्धार कार्य शामिल है।

(viii) क्षेत्रीय समाचार इकाइयों (संख्या 44) का संवर्द्धन और नई क्षेत्रीय समाचार इकाइयों (संख्या 7) की स्थापना :

- सभी स्थानों पर संवर्द्धन कार्य पूरा किया गया।
- स्थापित की जाने वाली 7 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में से 3 स्थानों (जोधपुर, संभलपुर और राजकोट) पर निर्माण कार्य पूरा। शेष 4 स्थानों (पुंछ, विशाखापट्टनम, दरभंगा और पासीघाट) पर हार्डवेयर प्रदान कर दिया गया है और सॉफ्टवेयर प्रदान किया जा रहा है।

(ix) डिजिटल स्टूडियो ट्रांसमीटर संपर्क (संख्या 127) :

- जोनल कार्यालय गोदाम में उपकरण प्राप्त कर लिए गए हैं।

(x) नए कैप्टिव अर्थ स्टेशन (संख्या 5) :

- देहरादून, सिल्चर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और धारवाड़ में 5 नए कैपटाइव अर्थ स्टेशनों के लिए आपूर्ति, संस्थापना, परीक्षण और कमिशनिंग (एसआईटीसी) के आर्डर दे दिए गए हैं।

4. जम्मू व कश्मीर के लिए विशेष पैकेज (चरण–3)

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत चार 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना शामिल है। 3 ट्रांसमीटर 3 नए स्थानों पर संस्थापित किए जा रहे हैं। इन स्थानों के लिए ग्रीन रिज (उड़ी सेक्टर), हिम्बोटिंगला (लद्दाख क्षेत्र), पटनी टॉप (नाथा टॉप के स्थान पर) (जम्मू क्षेत्र), भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और सिविल कार्य प्रगति पर है। 4 ट्रांसमीटर नौशेरा स्थित

जम्मू से 10 नवंबर, 2016 को अतिरिक्त गोजरी समाचार बुलेटिन का शुभारंभ

मौजूदा टीवी साइट पर संस्थापित किए जाने हैं।

- 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर और अनुषंगी उपकरणों की खरीद के लिए जोनल आफिस गोदाम में ट्रांसमीटर प्राप्त हो गए हैं। 50 एम टावर संबंधी एसईटीसी कार्य पूरे कर लिए गए हैं।
- उपरोक्त के अलावा, करगिल, द्रास, तिसूरू और पदम में एफएम कवरेज प्रदान करने के लिए 100 वाट क्षमता के 4 एफएम ट्रांसमीटर पहले ही चालू किए जा चुके हैं।

5. पूर्वोत्तर के लिए विशेष पैकेज (चरण–II)

पूर्वोत्तर और द्वीपीय क्षेत्रों में आकाशवाणी सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए विशेष पैकेज कार्यान्वयन के अधीन है। इस पैकेज में निम्नांकित शामिल हैं :

i. 1 कि.वा. एफ. एम. स्टेशन–संख्या 19

1.	अरुणाचल प्रदेश	:	रोइंग (अनिनि से हटा कर), बोमडिला, चांगलांग, दापोरिजो, खोंसा
2.	असम	:	करीमगंज, लुमडिंग, ग्वालपाड़ा
3.	मणिपुर	:	उखरूल, तामेंगलोंग
4.	मेघालय	:	चेरापूंजी
5.	मिजोरम	:	तुइपांग, चेमफाल, कोलासिब
6.	नगालैंड	:	वोखा, जुन्हेबोटो, फेक
7.	त्रिपुरा	:	उदयपुर, नूतन बाज़ार

19 नए एफएम स्टेशन संस्थापित करने के लिए नए स्थल अपेक्षित थे। संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा स्थल प्रस्तावित किए जाने और मांग नोटिस भेजे जाने में देरी हुई है।

- उक्त 19 में से 17 स्टेशनों के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। तामेंग लोंग और रोइंग (अनिनि से हटा कर) में स्थल/भवन आदि का अधिग्रहण अभी किया जाना है।
- 15 स्थानों अर्थात् ग्वालपाड़ा, उदयपुर, नूतन बाज़ार, कोलासिब, तुइपांग, लुम्डिंग, चंपई, चांगलोंग, खोंसा, चेरापूंजी, दापोरिजो, वोखा और फेक, बोमडिला और करीमगंज में ट्रांसमीटर संस्थापित कर दिए गए हैं। शेष 2 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है।
- तामेंग लोंग (मणिपुर) में एक स्थान की पहचान की गई है।
- अनिनि (अरुणाचल प्रदेश) पर कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया और अब इसके स्थान पर रोइंग (अरुणाचल प्रदेश) की पहचान की गई है, जिसके लिए उपयुक्त, रोइंग से मांग नोटिस प्राप्त किया जा रहा है।

ii. **100 स्थानों पर 100 वाट एफएम रिले ट्रांसमीटर:** 96 स्थानों पर ट्रांसमीटर स्थापित किए गए और 2 स्थानों पर स्थापना कार्य जारी है। दो ट्रांसमीटरों को डाइवर्ट किया गया।

iii. **चिनसुरा** : 1000 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर (मौजूदा 1000 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमिशन का स्थानापन्न) – ट्रांसमीटर संस्थापित और चालू कर दिया गया है।

iv. **डिजिटल उपग्रह नई संग्रहण प्रणालियां (संख्या 3):** उपकरण खरीदा और लगाया जा चुका है।

v. **गुवाहाटी में आंचलिक कार्यालय का सुदृढ़ीकरण:**

- गुवाहाटी में स्थायी कार्यालय का निर्माण पूरा हो गया है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्टाफ क्वार्टरों (संख्या 38) का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

6. 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नए कार्यक्रम

(1) सीमित कार्यक्रम निर्माण क्षमता के साथ नए एफएम ट्रांसमीटर : 11 स्थान

(i) 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर (संख्या 9)–काकिनाडा (आंध्र प्रदेश), मुजफ्फरपुर (बिहार) में टीवी साइट पर, रतलाम (मध्य प्रदेश), रीवा (मध्य प्रदेश) आकाशवाणी साइट पर, कृष्णानगर (पश्चिम बंगाल) में टी.वी. साइट पर, लुधियाना (पंजाब), बूंदी (राजस्थान) में टी.वी. साइट पर, इटावा (उत्तर प्रदेश), मेरठ (उत्तर प्रदेश)।

मेरठ (उत्तर प्रदेश), इटावा (उत्तर प्रदेश) और रतलाम (मध्य प्रदेश) में नए केंद्रों के लिए भूमि अधिग्रहण राज्य सरकारों से कर लिया गया है। 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटरों (संख्या 9) की खरीद के लिए आर्डर कर दिया गया है।

(लुधियाना में बीएसएनएल के परिसर में एफएम ट्रांसमीटर का अंतरिम सेटअप पहले ही चालू किया जा चुका है)।

(ii) 5 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर (संख्या 2) –अलपुझा (केरल), अमेठी (उत्तर प्रदेश) : 5 किवा एफएम

ट्रांसमीटरों (संख्या 2) की खरीद के लिए आर्डर दे दिया गया है। अमेठी में दूरदर्शन साइट पर 5 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर का एक अंतरिम सेटअप पहले ही चालू किया जा चुका है।

(2) एफएम ट्रांसमीटर के साथ अतिरिक्त चैनल : 7 स्थान

(i) 20 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर – 4

(दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई)

(ii) 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर – 3

[कानपुर (उत्तर प्रदेश), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), पणजी (गोवा)]

20 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटरों (संख्या 4) और 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटरों (संख्या 3) की खरीद के लिए आर्डर दे दिए गए हैं।

(3) वर्तमान एलपीटी/एचपीटी दूरदर्शन साइटों (100 स्थानों) पर 100 वाट क्षमता के एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना – (यह कार्यक्रम समीक्षा के अधीन है)

मौजूदा एलपीटीवी साइटों पर 100 वाट क्षमता के 100 एफएम ट्रांसमीटरों के स्थान पर 1 कि.वा. क्षमता के 23 एफएम ट्रांसमीटरों की संस्थापना के लिए प्रस्ताव प्रसार भारती सचिवालय भेजा गया है।

(4) 77 स्थानों पर नए एफएम ट्रांसमीटरों के जरिए पुराने मी.वे. ट्रांसमीटरों का स्थानापन्न/उन्नयन

एफएम ट्रांसमीटरों (20 कि.वा. – संख्या 3), (10 कि.वा. – संख्या 63) और (5 कि.वा. – संख्या 11) की खरीद के लिए आर्डर दे दिया गया है।

(5) 6 स्थानों पर नए एफएम ट्रांसमीटरों के जरिए पुराने मी.वे. ट्रांसमीटरों का स्थानापन्न

- किन्नौर (हिमाचल प्रदेश)–1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर के स्थान पर 1 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर
- जोरांडा (ओडिशा) –1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर के स्थान पर 1 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर
- सोरो (ओडिशा) –1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर के स्थान पर 1 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर
- अल्मोड़ा (उत्तराखंड) –1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर के स्थान पर 1 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर
- उटकमंड (तमिलनाडु) –1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर के स्थान पर 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर
- मथुरा (उत्तर प्रदेश) –1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर के स्थान पर 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर

10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटरों (संख्या 2) और 1 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटरों (संख्या 4) की खरीद के लिए प्रस्ताव एफएसी को भेज दिया गया है। 1 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटरों (संख्या 4) के लिए निविदा प्राप्त हुई है।

15 नवंबर, 2016 को आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार 2012–13 का वितरण

(6) भारत–नेपाल सीमा पर दूरदर्शन के साथ एफएम प्रसारण सेटअप : 8 स्थानों पर :

- यह कार्यक्रम संशोधित किया जा रहा है और सही स्थानों की जानकारी बाद में दी जाएगी। एफएम डिजाइन अनुभाग द्वारा तैनात किए गए अधिकारी ने गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किए गए कुछ स्थानों की यात्रा की है।
- इसके अतिरिक्त, लखीमपुर खीरी में कार्यक्रम निर्माण सुविधा और गोरखपुर एवं कर्सियांग में मौजूदा स्थलों पर अपलिंक सुविधा संस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, बशर्ते अनुमोदित परिव्यय के भीतर धन उपलब्ध हो।

(7) स्टूडियो :

i. 29 स्टूडियो का डिजिटलीकरण :

डिजिटल हैंड–हेल्ड रिकार्डर और फोन–इन–कंसोल जैसे उपकरण स्थलों पर प्राप्त हो गए हैं। ओबी मिक्सर की तकनीकी बोली मूल्यांकन के अधीन है। एसी प्लांटों की विशिष्टताओं को अंतिम रूप दे दिया गया है।

ii. आकाशवाणी के 6 स्टूडियो का जीर्णोद्धार :

स्टूडियो जीर्णोद्धार के लिए विस्तृत परियोजना नोट जारी, डीटीई अनुमोदित।

iii. गुवाहाटी में अभिलेखागार सुविधा का निर्माण :

गुवाहाटी में क्षेत्रीय अभिलेखागार केंद्र की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना नोट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(8) कनेक्टिविटी :

(i) 24 स्थानों पर 2–पोल से 4–पोल फीडों और डिशों का स्थानापन्न।

(ii) सिंगल चैनल प्रति करियर (एससीपीसी) के स्थान पर मल्टी चैनल प्रति करियर (एमसीपीसी) लगाना – 32

आकाशवाणी महानिदेशालय की उपग्रह कनेक्टिविटी डिवीजन इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

(9) प्रशिक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण :

दिल्ली और भुवनेश्वर में प्रशिक्षण सुविधाओं को अनुमोदित योजना आवंटन के अनुसार आधुनिक बनाया जा रहा है।

(10) अनुसंधान एवं विकास का सुदृढ़ीकरण :

आकाशवाणी के अनुसंधान एवं विकास विभाग ने एसडीआर, डीआरएम रिसीवर इंटरेक्टिव रेडियो सर्विसेज, आकाशवाणी ट्रांसमीटरों के रिमोट कंट्रोल आदि के विकास का काम शुरू कर दिया है। एफएम एंटीना के विकास का कार्यक्रम भी अनुसंधान एवं विकास विभाग को सौंपा गया है।

(11) वैकल्पिक प्लेटफार्मों पर प्रसारण :

आकाशवाणी कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग 8 चैनलों के साथ शुरू की गई है, जिसे 20 चैनलों तक विस्तारित करने की योजना है।

7. आईटी डिवीजन की गतिविधियां : वर्ष के दौरान प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां इस प्रकार रहीं :

1. एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड, उर्दू और विविध भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के पूरक के रूप में आकाशवाणी के निम्नांकित 9 अतिरिक्त लोकप्रिय चैनलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई :

   i. गुजराती
   ii. मलयालम
   iii. पंजाबी
   iv. मराठी
   v. बांग्ला
   vi. तमिल
   vii. तेलुगु
   viii. कन्नड़ और
   ix. रागम

2. मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एचआरआईएस) साफ्टवेयर के हिस्से के रूप में प्रसार भारती के सभी कर्मचारियों के बुनियादी आंकड़े समाहित करने के लिए 'बेसिक डाटा एंट्री' माड्यूल लगा दिया गया है। इस माड्यूल के लिए डाटा एंट्री पहले ही शुरू की जा चुकी है।
3. 'आल इंडिया रेडियो लाइव' के नाम और स्टाइल से एप्पल आईओएस, विडोज और एंड्रायड प्लेटफार्मों के लिए मोबाइल एप्स शुरू किए गए हैं।
4. रोकड़ अनुभाग, आकाशवाणी महानिदेशालय के इस्तेमाल के लिए डीडीओ साफ्टवेयर सफलतापूर्वक संस्थापित कर दिया गया है।
5. एक टेलीफोन डायरेक्टरी विकसित और कार्यान्वित की जा रही है। उसे 'कांटेक्ट्स' लिंक द्वारा एयरनेट होम पेज से जोड़ा गया है। प्रसार भारती, आकाशवाणी कार्यालयों/स्टेशनों/एचपीटीज और दूरदर्शन कार्यालयों/केंद्रों/एचपीटीज/डीएमसीज के

अंतर्गत कार्यरत सभी अधिकारी अपने से संबंधित जानकारी अद्यतन कर सकते हैं।

6. एनएबीएम, दिल्ली के सहयोग से नव–नियुक्त इंजीनियरी सहायकों के लिए साफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
7. ईमेल (डोमेन : air.org.in) से एनआईसी सेवाओं के लिए माइग्रेशन प्रोसेस शुरू की गई है।
8. क्वालिटी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आकाशवाणी की श्रव्य सामग्री की प्रभावकारी डिलीवरी के लिए सीडीएन के जरिए वेब पर रेडियो का प्रावधान अपरिहार्य हो गया है। सीडीएन प्लेटफार्म के लिए स्पेसिफिकेशंस (मानदंड) को अंतिम रूप दे दिया गया है।
9. प्राप्तियों और भुगतानों की निगरानी के लिए साफ्टवेयर प्रदर्शित किया गया है और अप्रैल, 2016 के लिए निर्धारित प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद इसका शुभारंभ किया जाएगा।
10. प्रसार नेट का एक बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है। तत्संबंधी अप्लीकेशंस और माड्यूल्स विकसित किए जा रहे हैं।

8. 'आकाशवाणी संसाधन' यानी 'एआईआर रिसोर्सेज' की गतिविधियां

एआईआर रिसोर्सेज की स्थापना मई 2001 में प्रसार भारती संसाधनों/बुनियादी ढांचे की साझेदारी के जरिए राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए की गई थी। प्रसार भारती के पास भूमि, भवन, टावर, ट्रांसमीटर, स्टूडियो, डीटीएच प्लेटफार्म, सैटेलाइट अपलिंक/डाउनलिंक सुविधाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं आदि के रूप में व्यापक ढांचा उपलब्ध है। प्रसार भारती के पास प्रसारण सेटअप की आयोजना, सिस्टम डिजाइन, संस्थापना परीक्षण/कमीशनिंग और प्रचालन एवं रख–रखाव की भी व्यापक विशेषज्ञता है।

प्रसार भारती ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फेज–1 और फेज–2 कार्यक्रमों के अंतर्गत 85 शहरों में, जहां 243 एफएम चैनल प्राइवेट एफएम प्रसारणकर्ताओं को आवंटित किए हैं, में प्राइवेट एफएम प्रसारणकर्ताओं के साथ बुनियादी सुविधाओं जैसे भूमि, भवन और टावर की किराए के आधार पर हिस्सेदारी की है। फेज 3 कार्यक्रम के अंतर्गत फेज–2 प्राइवेट एफएम आपरेटरों के साथ बुनियादी सुविधाओं को साझा करने की प्रक्रिया में है।

प्रसार भारती ने 46 शहरों में 76 मोबाइल सेवा प्रदाताओं के साथ किराए के आधार पर टॉवर, भवन और भूमि में हिस्सेदारी की है ताकि वे अपनी मोबाइल सेवा प्रचालित करने के लिए एफएम/टीवी/एसटीएल टॉवरों और बीटीएस उपकरणों पर अपने जीएसएम/सीडीएमए/डब्ल्यूएलएल एंटिना लगा सकें।

फेज–3 कार्यक्रम के अंतर्गत फेज–2 से 152 चैनलों का फेज–3 में माइग्रेशन किया गया है। प्रसार भारती ने फेज–3 कर्यक्रम के प्रथम बैच के अंतर्गत 87 नए एलओआई (लेटर आफ इंटेंट) धारकों के साथ बुनियादी ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फेज–3 कार्यक्रम को 3 बैचों अर्थात् बैच–1, बैच–2 और बैच–3 में विभाजित किया गया है।

एआईआर रिसोर्सेज इंजीनियरी/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को साप्ताहिक/मासिक शुल्क आधार पर प्रशिक्षण (आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों पर) प्रदान करते हुए भी राजस्व अर्जित कर रहा है।

एआईआर रिसोर्सेज ने इग्नू के साथ संयुक्त उद्यम समझौता भी किया था, जिसके अंतर्गत वह भारत में 37 स्थानों पर ज्ञान वाणी एफएम ट्रांसमीटरों के प्रचालन और रख–रखाव में योगदान करते हुए राजस्व अर्जित कर रहा था। इग्नू के साथ इस व्यवस्था को फिर से शीघ्र शुरू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

एआईआर रिसोर्सेज अपनी स्थापना के वर्ष (2001–02) से ही राजस्व अर्जित कर रहा है। 2001–2002 से 2015–16 तक निरंतर अर्जित राजस्व रुपये 5,54,98,77,664 रहा है जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

क्र.सं	अवधि	राशि (रुपये में)
01	2001-2002 (एआईआर रिसोर्सेज 2001)	₹13,38,25,000/-
02	2002-03	₹8,38,59,900/-
03	2003-04	₹11,50,20,500/-
04	2004-05	₹19,70,19,300/-
05	2005-06	₹45,04,49,781/-
06	2006-07	₹35,50,67,009/-
07	2007-08	₹46,14,36,834/-
08	2008-09	₹47,97,29,427/-
09	2009-10	₹45,89,81,599/-
10	2010-11	₹53,22,84,545/-
11	2011-12	₹57,39,84,778/-
12	2012-13	₹56,72,03,504/-
13	2013-14	₹49,08,72,113/-
14	2014-15	₹65,01,43,374/-
15	2015-16	₹68,67,74,419/-
	कुल	₹6,23,66,52,083/-

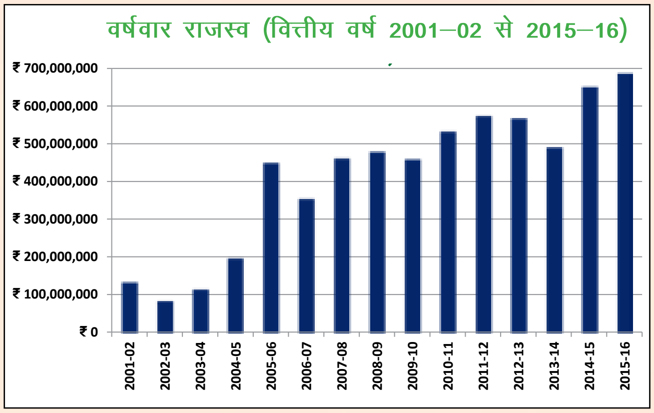

चालू वित्त वर्ष के दौरान सितंबर, 2016 तक अर्जित राजस्व रुपये 8,46,37,497/– रहा है और एआईआर रिसोर्सेज को उम्मीद है कि प्रसार भारती के ढांचे में हिस्सेदारी के जरिए लगभग 55 करोड़ से 60 करोड़ के बीच राजस्व अर्जित किया जा सकेगा। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रैल 2016 से अर्जित राजस्व का महीने वार आरेखीय वर्गीकरण नीचे दिया गया है :

क्रम सं	अवधि	राशि (रुपये में)
01	अप्रैल 2016	₹ 33,05,864/-
02	मई 2016	₹ 88,08,440/-
03	जून 2016	₹ 3,73,12,917/-
04	जुलाई 2016	₹ 1,62,21,194/-
05	अगस्त 2016	₹ 1,45,12,474/-
06	सितंबर 2016	₹ 44,76,608/-
	कुल	₹ 8,46,37,497/-

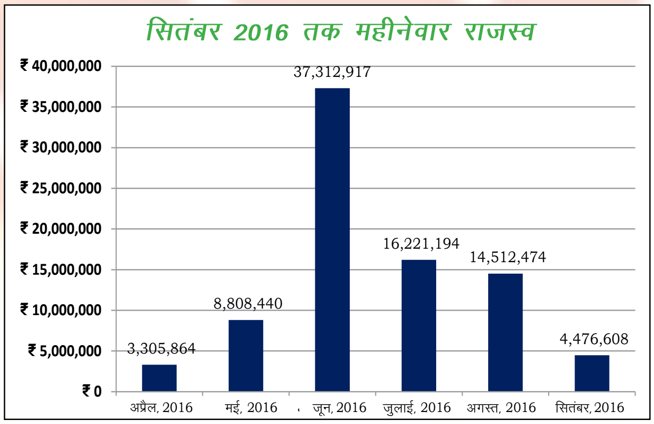

9. राष्ट्रीय प्रसारण और मल्टीमीडिया अकादमी (तकनीकी)

राष्ट्रीय प्रसारण और मल्टीमीडिया अकादमी (तकनीकी) रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रशिक्षण अकादमी है। यह अकादमी दिल्ली और भुवनेश्वर में मुख्य रूप से आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रसारण के विभिन्न क्षेत्रों का प्रशिक्षण प्रदान करती है। शिलांग और मुंबई में स्थापित क्षेत्रीय अकादमी क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने और प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करने में सहायता करती है।

दिल्ली स्थित अकादमी की स्थापना 1948 में की गई थी और उसके बाद से यह इलेक्ट्रोनिक मीडिया में तकनीकी प्रशिक्षण के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित हो चुकी है। गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए अकादमी टेलीविजन और रेडियो ट्रांसमिशन, कार्यक्रम निर्माण और निर्माण परवर्ती सेट–अप के बारे में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। सुनियोजित पुस्तकालय, भलीभांति सुसज्जित कंप्यूटर केंद्र, कांफ्रेंस हाल और अत्याधुनिक मल्टीमीडिया उपकरण एवं प्रसारण संबंधी औजारों से सुसज्जित नेटवर्किंग प्रयोगशाला आदि इस अकादमी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

यह अकादमी न केवल विभागीय उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करती है बल्कि उभरती हुई प्रसारण प्रौद्योगिकियों के बारे में अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी संचालन करती है। यह एशिया–पेसिफिक इंस्टिट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) मलेशिया और एशिया–पेसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (एबीयू) के सहयोग से एशिया–प्रशांत क्षेत्र के लिए नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए भारत के बाहर निरंतर अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रही है। इसके अतिरिक्त अपनी बढ़ती भूमिका को महसूस करते हुए, एबीयू ने हाल ही में एनएबीएम के अपर महानिदेशक को अपने प्रशिक्षण पैनल में मनोनीत किया। इसके अलावा एनएबीएम पड़ोसी मित्र देशों के प्रसारणकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी विकसित कर रहा है।

11 दिसंबर, 2016 को आकाशवाणी कलबुर्गी के स्वर्ण जयंती समारोह में माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु

अकादमी तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अनुसंधान विकास और प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत विभिन्न पोलिटेक्निक संस्थानों के लेक्चरर्स/विभागाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करती है। अकादमी, इंजीनियरी विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के अंतर्गत, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण प्रौद्योगिकी के बारे में समझ विकसित करने का एक अवसर प्रदान करती है। विभिन्न फील्ड कार्यालयों के लिए भी नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

अकादमी द्वारा अधीनस्थ इंजीनियरी संवर्गों में पदोन्नतियों के लिए विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं।

क्षेत्रीय अकादमी भी अपने अनुमोदित प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन के इंजीनियरी और प्रोग्राम कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करती है।

10. अनुसंधान विभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन

एक प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन के नाते आकाशवाणी और दूरदर्शन का अनुसंधान विभाग अपनी स्थापना के बाद से ही ध्वनि और टेलीविजन प्रसारण के क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियों में योगदान करता है, ताकि नेटवर्क में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां शामिल की जा सकें। विभाग का प्रमुख उद्देश्य ऐसी प्रणालियों/उप–प्रणालियों के विकास के जरिए देश में प्रसारण नेटवर्क में सहायता करना है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रसारण क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए नई सेवाएं और नई प्रौद्योगिकियां शामिल करने में भी विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा एबीयू, ईबीयू, सीबीए, आईटीयू आदि के सहयोग से समय–समय पर अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के हिस्से के रूप में अनेक अध्ययन और अनुसंधान कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान संचालित की गई कुछ प्रतिष्ठित परियोजनाओं/गतिविधियों में 'एसएमएस आधारित रिमोट कंट्रोल और वीएलपीटी की मॉनीटरिंग (टेलीमेटरी)' और 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर, डीटीएच रेडियो और डीवीबी–टी–2 रेडियो का विकास, वीएचएफ और यूएचएफ बैंड का प्रसार अध्ययन और सर्वेक्षण, नियमित ध्वनिक सामग्री परीक्षण और मूल्यांकन, आईएमआरसी टोडापुर की नियमित गतिविधियां आदि शामिल हैं।

इस वार्षिक रिपोर्ट में अनुसंधान और विकास विभाग की अन्य उपलब्धियों सहित इन सभी गतिविधियों और अध्ययनों को कवर करने का प्रयास किया गया है।

आकाशवाणी परियोजनाएं/गतिविधियां

क) टेलीमेटरी सिस्टम ग्रुप

1. मीडियम वेव ट्रांसमीटरों के लिए अत्याधुनिक टेलीमेटरी सिस्टम

- प्रसारण ट्रांसमीटरों की टेलीमेटरी में आईटी प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए अनुसंधान और विकास विभाग अत्याधुनिक टेलीमेटरी प्रणाली का विकास नाम की एक परियोजना पर काम कर रहा है।
- प्रौद्योगिकी को समझने के लिए व्यापक अध्ययन प्रगति पर है।
- एक वेब आधारित टेलीमेटरी प्रणाली विकसित की गई है और उसका प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया है तथा पूर्ण अत्याधुनिक टेलीमेटरी प्रणाली विकसित करने के लिए आगे प्रयोग किए जा रहे हैं।
- अनुसंधान और विकास विभाग ध्वनि प्रसारण से संबंधित आईटी आधारित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अद्यतन गतिविधियों पर नज़र रखता है।

- आकाशवाणी रोहतक में केनोपी खरीदी गई है और संस्थापित की गई है।

2. आई.ओ.एफ. योजना के अंतर्गत मीडियम वेव/एफएम ट्रांसमीटरों के लिए रिमोट मॉनीटरिंग और कंट्रोल (टेलीमेटरी) प्रणाली का प्रावधान

2.1 मीडियम वेव ट्रांसमीटरों (आई.ओ.एफ.) के लिए ए.एम. टेलीमेटरी प्रणाली

- सरलतम पद्धति के लिए केंद्रों पर टेलीमेटरी प्रणाली की संस्थापना में प्रयुक्त होने वाली एक विस्तृत ड्राइंग, कुछ संशोधनों के साथ तैयार की गई।
- सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट के लिए दो विद्युत आपूर्तियां, उनकी समूची वायरिंग, टेस्ट प्वाइंट और एलईडी आदि के साथ तैयार की गई, और बाद में उन्हें सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट में संस्थापित किया गया।
- एक सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट के सभी कार्डों का परीक्षण किया गया और उसे मदरबोर्ड के साथ यूनिट में फिट किया गया तथा सर्किट में उसका परीक्षण किया गया।
- पांच आकाशवाणी केंद्रों यानी छतरपुर, तिरुनेलवेली, अम्बिकापुर, रोहतक और तिरुअनंतपुरम में एएम टेलीमेटरी प्रणाली की संस्थापना और उसे चालू करने का काम पूरा किया गया। यह प्रणाली सभी स्थानों पर समुचित रूप में काम कर रही है। अनुसंधान और विकास विभाग में भी प्रणाली प्रचालनों (नियंत्रण और निगरानी) का परीक्षण किया गया है।
- एक जंक्शन बॉक्स बनाया गया और ट्रांसमीटर पैरामीटरों, अनुषंगी यूनिटों और सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट के बीच इंटर–कनेक्शन हेतु वायर किया गया।
- एक एलटीआरएमएस यूनिट बनाई गई और उसका परीक्षण किया गया।
- तापमान, ह्यूमिडिटी, एलटीआरएमएस और स्मोक डिटेक्टर जैसे ट्रांसड्यूसर्स का व्यास मापन किया गया ताकि उनका समुचित मूल्य डिसप्ले किया जा सके।
- सभी आकाशवाणी, ब्रह्मावार में संस्थापना के लिए सभी हिस्से–पुर्ज़ों/उपकरणों के परीक्षण और वायरिंग का काम पूरा किया गया।

2.2 एफएम ट्रांसमीटरों (आईओएफ) के लिए एफएम टेलीमेटरी सिस्टम

- आकाशवाणी रोहतक में एफएम टेलीमेटरी सिस्टम की संस्थापना, परीक्षण और उसे चालू करने का काम पूरा किया गया।
- आर एंड एस मेक एफएम ट्रांसमीटर के लिए एफएम टेलीमेटरी हेतु एक परिष्कृत यूनिट का डिजाइन और निर्माण किया गया और उसे संस्थापित किया गया।

3. 100 वाट एफएम ट्रांसमीटरों के लिए एसएमएस आधारित रिमोट मॉनीटरिंग

- अनुसंधान और विकास विभाग 100 वॉट बीईएल मेक एफएम ट्रांसमीटर के लिए यह सुविधा प्रदान करने के वास्ते पहले ही एक प्रणाली विकसित कर चुका है।
- प्रयोगशाला में विकसित बुनियादी प्रणाली का कार्य निष्पादन के लिए परीक्षण किया गया, जो संतोषजनक पाया गया।

ख) एंटीना प्रयोगशाला

एंटीना प्रयोगशाला में 'हाई पावर 20 कि.वा. से 40 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटिंग एंटीना के विकास' की परियोजना पर काम चल रहा है। अधिकतर उपकरण खरीदे जा चुके हैं। सिविल कार्य पूरा हो चुका है। अभी तक 73.3 लाख रुपये के उपकरण खरीदे जा चुके हैं। निम्नांकित गतिविधियों को अंजाम दिया गया है :

- आरएफ कोएक्सियल स्प्लिटर (रिजिड लाइन) का इस्तेमाल करते हुए 4 बे और 6 बे क्रास वी एंटीना के लिए 20 कि.वा. से 40 कि.वा. हाई पावर्स एफएम एंटीना का डिजाइन कार्य प्रगति पर है।
- बुनियादी सामग्री, कनेक्टर्स आदि की खरीद का कार्य प्रगति पर है।
- तकनीकी कार्मिकों की कमी के कारण परियोजना में विलंब हुआ है।

ग) प्रोपेगेशन लैब

प्रोपेगेशन लैब अनुसंधान विभाग की सबसे पुरानी प्रयोगशालाओं में से एक है, जिसकी स्थापना फील्ड स्ट्रेंथ मेजरमेंट और प्रसारण सिग्नल के बारे में अन्य प्रसार संबंधी अध्ययनों को अंजाम देने के लिए की गई थी। इस प्रयोगशाला ने देश के विभिन्न भागों में स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन के टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों द्वारा विकसित आरएफ सिग्नल के बारे में प्रसार अध्ययन शुरू किया है और तत्संबंधी तकनीकी रिपोर्टें भी तैयार की हैं, जो एसएसएस और प्लानिंग डिवीजन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। प्रयोगशाला ने निम्नांकित गतिविधियों को अंजाम दिया है :

1) पूर्ण डीआरएम/साइमलकास्ट/मल्टीकास्ट मोड में डीआरएम ट्रांसमिशन की नियमित निगरानी।

2) दिल्ली–ए (819 किलोहर्ट्स), एचपीटी एआईआर ट्रांसमीटर का साइमलकास्ट डीआरएम ट्रांसमिशन मोड में रिसेप्शन सर्वेक्षण अप्रैल 2015 में किया गया।

3) बंगलुरु, एचपीटी, एआईआर ट्रांसमीटर का साइमलकास्ट और विशुद्ध डीआरएम ट्रांसमिशन मोड में रिसेप्शन सर्वेक्षण जून 2015 में किया गया।

4) माल रोड स्थित 20 कि.वा., एचपीटी मी.वे. एएम–डीआरएम ट्रांसमीटर (दिल्ली–सी) का विशुद्ध डीआरएम ट्रांसमिशन मोड में रिसेप्शन सर्वेक्षण किया गया।

5) 10 कि.वा. एचपीटी एआईआर ट्रांसमीटर (एफएम विविध भारती) का रिसेप्शन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

घ) ध्वनिक समूह

आकशवाणी और दूरदर्शन के अनुसंधान विभाग को ध्वनि इंजीनियरी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का व्यापक अनुभव है। ध्वनिक प्रयोगशाला वर्तमान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों की विभिन्न ध्वनिक सामग्री के मापन, परीक्षण और मूल्यांकन (एनआरसी, एसटीसी, पीआईआईसी आदि) को निरंतर अंजाम देती है। ध्वनिक मापन ढांचे के अधिक उन्नयन का काम योजना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति पर है।

1. ध्वनिक सामग्री का परीक्षण

ध्वनिक प्रयोगशाला में विभिन्न ध्वनिक सामग्री का परीक्षण निम्नांकित अनुसार किया गया है :–

ध्वनिक प्रयोगशाला वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ध्वनिक सामग्री के विभिन्न ध्वनिक मापनों को अंजाम दे रही है। निम्नांकित प्राइवेट कम्पनियों के संदर्भ में ध्वनिक मूल्यांकन भुगतान के आधार पर किया गया।

1. मैसर्स फाइबर टेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2. मैसर्स आर्मस्ट्रांग वर्ल्ड इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3. मैसर्स एर्कान्स अकूस्टिक बिल्डिंग सिस्टम
4. मैसर्स भारत स्टील रोल्स
5. मैसर्स एर्कान्स अकूस्टिक बिल्डिंग सिस्टम
6. मैसर्स एयरोस्टोन बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड
7. मैसर्स एर्कान्स अकूस्टिक बिल्डिंग सिस्टम
8. डेक्शून अकूस्टिक साफ्ट फाइबर टाइटल्स
9. सेंट गब्लिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
10. कूल पैक एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एच.पी.)
11. अपसाउंड ओवरसीज

ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान इंजीनियरी विद्यार्थियों और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के नवनियुक्त कार्यक्रम अधिशासियों/ट्रैक्स/इंजीनियरी सहायकों के रूप में भर्ती पाठ्यक्रम प्रशिक्षार्थियों के समक्ष डिमांस्ट्रेशन दिया गया।

ङ) डीआरएम लैब

देश में बने डीआरएम रिसीवर के अध्ययन, डिजाइन और विकास का कार्य प्रगति पर है। रिपोर्ट अवधि के दौरान, डीआरएम सिग्नल रिसेप्शन के समनुरूप एकीकृत सर्किट तलाश करने के प्रयास किए गए। अभी तक बाज़ार में गिने चुने विनिर्माता उपलब्ध हैं, परंतु उनके चिप्स बाज़ार में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

च) डीटीएच/डीवीबी–टी लैब

प्रयोगशाला में डीटीएच रिसीवर, डीवीबीटी–2 रेडियो रिसीवर और आरएफ स्प्लिटर विकसित किए गए हैं। विभिन्न चैनलों के फ्रंट पैनल डिस्प्ले के साथ डीटीएच रेडियो प्रोटोटाइप माडल बीईएस एक्सपो–2016 में प्रदर्शित किए गए। इस रिसीवर का कार्य निष्पादन संतोषजनक पाया गया है। डीवीबीटी–2 रिसीवर के बारे में अध्ययन/संशोधन का कार्य प्रगति पर है।

छ) डीटीएच सिग्नल मानीटरिंग लैब

अनुसंधान और विकास विभाग ने विभिन्न प्राइवेट डीटीएच प्लेटफार्मों पर डीडी मस्ट कैरी चैनलों को मानीटर करने की पूरी व्यवस्था की है। वर्तमान में 6 प्राइवेट डीटीएच प्लेटफार्मों पर 25 चैनल मानीटर किए जा रहे हैं। इसकी मासिक रिपोर्ट दूरदर्शन निदेशालय को भेजी जाती है, जो उसे आगे प्रसार भारती और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेजता है।

ज) इंटरनेशनल मानीटरिंग एंड रिसीविंग स्टेशन, टोडापुर, नई दिल्ली

इंटरनेशनल मानीटरिंग एंड रिसीविंग स्टेशन, टोडापुर, इंद्रपुरी, नई दिल्ली में स्थित है। यह केंद्र आकाशवाणी की घरेलू और विदेशी सेवाओं को कैरी करने वाले मीडियम वेव, शार्टवेव, एफएम के प्रसारण सिग्नलों और डीटीएच सिग्नल की मानीटरिंग के कार्य में संलग्न है।

1. आकाशवाणी के एमएफ और एचएफ ट्रांसमीटरों की फ्रीक्वेंसी की जांच

(क) सभी शार्टवेव और मीडियम वेव ट्रांसमीटरों जैसे किंग्सवे, खामपुर, अलीगढ़, बंगलौर, चेन्नई, पणजी, मुम्बई, चिनसुरा (एसपीटी), राजकोट (एसपीटी), जालंधर (एचपीटी), तूतीकोरिन (एचपीटी) की मानीटरिंग को अंजाम दिया गया, जो निम्नांकित उद्देश्यों के साथ आकाशवाणी की विदेशी, घरेलू और विविध भारती सेवाओं का प्रसारण करते हैं।

(i) ट्रांसमीटरों का कार्य निष्पादन अर्थात् ब्रेकडाउन, माड्यूलेशन, डिस्टार्शन, क्रॉसटॉक, एक्सेसिव फ्रीक्वेंसी डेविएशन आदि।

(ii) कार्यक्रमों की सही शेड्यूलिंग और उनकी तकनीकी गुणवत्ता की जांच, लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, शिमला, गंगटोक, श्रीनगर, लेह, जम्मू, चेन्नई और मुम्बई स्थित क्षेत्रीय शार्टवेव ट्रांसमीटरों की निगरानी की गई।

(ख) किंग्सवे–दिल्ली–सी (2 चैनल), खामपुर–डीकेएच–17 (2 चैनल), बंगलौर–बीएल–1 (2 चैनल), और भारतीय कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले रेडियो न्यूजीलैंड इंटरनेशनल, रेडियो आर–रोमानिया इंटरनेशनल, केबीएस वर्ल्ड रेडियो, रेडियो आस्ट्रेलिया, एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान, बीबीसी रेडियो, वेटिकन रेडियो, वॉयस ऑफ नाइजीरिया रेडियो से अनालाग मोड और डिजिटल मोड, दोनों ट्रांसमिशनों की एआईआर डीआरएम ट्रांसमीटर (मीडियम वेव और शार्टवेव) की मानीटरिंग की गई।

(ग) सह–चैनल और निकटवर्ती चैनल हस्तक्षेप (+) और (–) 5 हर्ट्ज के लिए आकाशवाणी के एचएफ शेड्यूल पर 3 दिन का विशेष निगरानी पर्यवेक्षण किया गया। यह निगरानी एचएफ शेड्यूल के प्रारंभ और मध्य में की गई।

(घ) आकाशवाणी के पूर्वोत्तर भारतीय मीडियम वेव चैनलों की निगरानी इस लिहाज से की गई कि रात के समय विदेश प्रसारण स्टेशनों से कितना अवांछित हस्तक्षेप होता है?

(ङ) मीडियम वेव और शार्टवेव ट्रांसमीटरों सहित लगभग 50 फ्रीक्वेंसियों के लिए फ्रीक्वेंसी विचलन मापन किया गया। तत्संबंधी रिपोर्ट ईमेल से भेजी गई।

2. स्पष्ट चैनल निगरानियां और आकाशवाणी के शार्टवेव चैनल के हस्तक्षेप की पहचान

घरेलू, विदेशी विविध भारती और क्षेत्रीय शार्टवेव सेवाओं का प्रसारण करने वाले आकाशवाणी चैनलों के प्रसारण की स्पष्टता की जांच और हस्तक्षेप करने वाले आकाशवाणी केंद्रों की पहचान नियमित रूप से की गई। इस तरह की जांच से प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल सुधारात्मक कार्रवाई के लिए किया गया। विभिन्न चैनलों की विशेष निगरानी की गई ताकि गणतंत्र दिवस, खेलों, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, वीवीआईपी प्रसारणों और अन्य महत्वपूर्ण

अवसरों पर कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए प्रत्येक सीजनल एरियल/फ्रीक्वेंसी शेड्यूल से पहले किसी निर्णय पर पहुंचा जा सके। वर्ष के दौरान निम्नांकित ब्यौरे के अनुसार वीवीआईपी ट्रांसमिशन मानीटरिंग और विशेष निगरानी की गई :

क्र.सं	निगरानी का ब्यौरा	अवसरों की संख्या
1	वीवीआईपी ट्रांसमिशन प्रसारण	13 दिन
2	विशेष निगरानी (196 अलग अलग फ्रीक्वेंसियों की)	67 दिन

3. आरएन चैनलों/एफएम चैनलों की मानीटरिंग

ब्रॉडकास्टिंग हाउस, नई दिल्ली से प्रारंभ होने वाले इनसेट–4बी के सभी सी बैंड और आरएम चैनलों की मानीटरिंग की गई। इन चैनलों की मानीटरिंग हर रोज घंटा आधारित चौबीसों घंटे की गई। कार्यक्रम की गुणवत्ता और विषयवस्तु में महसूस की गई खामियों की जानकारी रीयल टाइम आधार पर दी गई और रिपोर्ट ईमेल की गई, ताकि आवश्यक कार्रवाई तत्काल की जा सके।

समग्र कार्य निष्पादन के लिए सभी क्षेत्रीय आरएन चैनलों की निगरानी की गई और रिपोर्ट ईमेल की गई।

4. डीटीएच रेडियो मानीटरिंग

21 डीटीएच रेडियो चैनलों की नियमित मानीटरिंग एक घंटे के आधार पर की गई। पाई गई विसंगतियों की जानकारी तत्काल संबद्ध स्टेशनों और डीटीएच–डीडी को दी गई ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके और रिपोर्ट ईमेल की जा सके।

5. विदेशी संगठनों के ट्रांसमिशनों की मानीटरिंग

भारत से बीम होने वाले देशों के ट्रांसमिशनों की तकनीकी मॉनीटरिंग दो तरफा आधार पर नियमित रूप से की गई। समय समय पर तत्संबंधी रिपोर्ट तैयार की गई और संबद्ध प्रसारण संगठनों को ईमेल से भेजी गई।

6. विदेशी प्रसारण संगठनों के लिए रिसेप्शन रिपोर्ट

क्र. सं	विदेशी प्रसारण संगठन का नाम	मानीटरिंग की संख्या		एक महीने में मानीटर की गई फ्रीक्वेंसियों की संख्या (लगभग)
		प्रति दिन	हर महीने	
1	डूशे वेले (जर्मनी)	प्रतिदिन – 26	30	780
2	पाकिस्तान ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन	प्रतिदिन – 5	30	150
3	रेडियो न्यूजीलैंड इंटरनेशनल	प्रतिदिन – 1	30	30
4	रेडियो आस्ट्रेलिया इंटरनेशनल	प्रतिदिन – 1	30	30
5	इंटरनेशनल रेडियो पुर्तगाल	प्रतिदिन – 1	30	30
6	रेडियो वेटिकन	प्रतिदिन – 8	30	240
7	चाइना रेडियो इंटरनेशनल	प्रतिदिन – 26	30	780
8	नाईजीरिया ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन	प्रतिदिन – 3	30	90
9	ईरान रेडियो	प्रतिदिन – 9	30	270
10	इटली	प्रतिदिन – 1	30	30
11	रेडियो कुवैत	प्रतिदिन – 2	30	60

7. आवधिक रिपोर्टें

क्र.सं	रिपोर्ट का शीर्षक	समयावधि	किसे भेजी गई
1	43 ट्रांसमीटरों (184 फ्रीक्वेंसियों) के असामान्य प्रचालन की दैनिक मानीटरिंग	साप्ताहिक	संबद्ध स्टेशन, सम्बद्ध जोनल सीईज, आकाशवाणी का एसएमएस डिवीजन (ईमेल द्वारा)
2	इन्सेट–4 बी के सभी आरएन चैनलों की हर घंटे श्रव्य गुणवत्ता मानीटरिंग	साप्ताहिक	मुख्यालय और आकाशवाणी का एसएमएस डिवीजन, डीजी : एआईआर
3	आकाशवाणी के सभी क्षेत्रीय नेटवर्किंग केंद्रों के आरएन चैनल की श्रव्य गुणवत्ता मानीटरिंग	साप्ताहिक	मुख्यालय और और आकाशवाणी का एसएमएस डिवीजन, डीजी : एआईआर : निदेशालय
4	2 ट्रांसमीटरों (दिल्ली) की हर घंटे आधारित एफएम मानीटरिंग	साप्ताहिक	पीतमपुरा और आकाशवाणी का एसएमएस डिवीजन, डीजीः एआईआरः निदेशालय
5	हर रोज 21 ट्रांसमीटरों की घंटा आधारित डीटीएच रेडियो मानीटरिंग	साप्ताहिक	संबद्ध जोनल आफिस का अपलिंकिंग केंद्र, और आकाशवाणी का एसएमएस डिवीजन, डीजीः एआईआर
6	अन्य विदेशी प्रसारण संगठनों के ट्रांसमीषन की तकनीकी मानीटरिंग रिपोर्ट	पाक्षिक	12 देशों और आकाशवाणी निदेशालय का एसएमएस डिवीजन
7	सह–चैनल और निकटवर्ती चैनल हस्तक्षेप का पता लगाने के लिए एचएफ शेड्यूल की 3 दिवसीय विशेष निगरानी	अर्धवार्षिक	आकाशवाणी का एसएमएस डिवीजन, डीजी : एआईआर : निदेशालय
8	स्पष्ट चैनल निगरानी	जब भी जरूरत हो	आकाशवाणी का एसएमएस डिवीजन, डीजी : एआईआर : निदेशालय
9	मीडियम वेव ट्रांसमीटरों का फील्ड स्ट्रैंथ मापन और माड्यूलेशन प्रतिशत	जब भी जरूरत हो	सम्बद्ध स्टेशन, सम्बद्ध जोनल सीईज, आकाषवाणी का एसएमएस डिवीजन, डीजी : एआईआर : निदेशालय
10	आकाशवाणी के करीब 36 ट्रांसमीटरों का फ्रीक्वेंसी विचलन	जब भी जरूरत हो	सम्बद्ध स्टेशन, सम्बद्ध जोनल सीईज, आकाशवाणी का एसएमएस डिवीजन, डीजी :एआईआर : निदेशालय
11	13 क्षेत्रीय शार्टवेव ट्रांसमीटरों की मानीटरिंग (शार्टवेव शेड्यूल संशोधित होने पर)	अर्धवार्षिक	आकाशवाणी का एसएमएस डिवीजन, डीजी : एआईआर : निदेशालय

आईएमआरसी में प्लान प्रोजेक्ट

अनुसंधान विभाग ने आईएमआरसी को अत्याधुनिक और लागत की दृष्टि से किफायती प्रसारण मानीटरिंग की स्वचालित प्रणाली से सुसज्जित करने की योजना पहले ही बना ली है। आईएमआरएस टोडापुर में शेड्यूल मानीटरिंग और रिपोर्टिंग कार्यों के अतिरिक्त निम्नांकित कार्य प्रगति पर/पूरे कर लिए गए है :

(i) नवनिर्मित डी/जी रूम में डीध्जी सेट की संस्थापना का काम पूरा कर लिया गया है और डी/जी सेट संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है।

(ii) 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खरीदे गए ओसिलोस्कोप (संख्या 2), सिग्नल जेनेरेटर और फील्ड स्ट्रैंथ मीटर कंट्रोल रूम में संस्थापित किए जाने हैं, जो सीसीडब्ल्यू कार्य पूरा होने पर किए जाएंगे।

(iii) कम्युनिकेशन रिसीवर्स (संख्या 4) डीआरएम टेस्ट रिसीवर्स, समुचित साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर खरीदे जाने हैं और संस्थापित किए जाने हैं।

(iv) आईएमआरएस टोडापुर में 2 सी–बैंड आरएन–टर्मिनल (पीडीए सहित) संस्थापित किए गए हैं।

I) अन्य प्लान प्रोजेक्ट्स

- सेटेलाइट और टेरीस्ट्रियल में मल्टी मीडिया ब्रॉडकास्ट

  10 सितंबर, 2015 को हुई बजट मीटिंग में निर्णय किया गया था कि महानिदेशालय का डिजाइन सेक्शन सभी सम्बद्ध पक्षों (एडीजी (एनजैड)/एडीजी (आर एंड डी)) के साथ मिल कर कार्यक्रम की समीक्षा करेगा।

- मीडियम वेव ट्रांसमीटर के लिए अत्याधुनिक और लागत की दृष्टि से किफायती एंटिना (सीएफए) का निष्पादन मापन

  पिछले वर्ष की बजट बैठक में इसे छोड़ दिया गया था।

अन्य गतिविधियां

(I) वर्ष के दौरान इंजीनियरी विद्यार्थियों को प्रशिक्षण

- अनुसंधान विभाग ने इंजीनियरी संस्थानों के विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में हार्डवेयर और साफ्टवेयर का प्रशिक्षण प्रदान किया और राजस्व अर्जित किया।
- नए भर्ती किए गए पैक्स/ट्रैक्स/ईए (आकाशवाणी/दूरदर्शन) के लिए भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन संचालित किए गए।

कार्यक्रम गतिविधियां

लाइव प्रसारण

- बाघ संरक्षण के बारे में तीसरे एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का नई दिल्ली के विज्ञान भवन से 12 अप्रैल, 2016 को शाम 3.55 बजे से लाइव प्रसारण किया गया।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 14 अप्रैल, 2016 को शाम 6.25 बजे से राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (एनएएम) के उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण किया गया।
- 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाने संबंधी समारोह का 3 मई, 2016 को शाम 5.25 बजे से लाइव प्रसारण किया गया।
- राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से 7 मई, 2016 को पूर्वाहन 11.25 बजे से दूसरे रक्षा प्रतिष्ठापन समारोह का लाइव प्रसारण किया गया।
- केंद्र सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के सिलसिले में 28 मई, 2016 को नई दिल्ली में इंडिया गेट के लॉन में आयोजित कार्यक्रम ''एक नई सुबह'' का लाइव प्रसारण शाम 4.55 बजे से किया गया।
- 8 जून, 2016 को अमरीकी संसद के संयुक्त सत्र में दिए गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण को समाहित करते हुए एक विशेष लाइव कार्यक्रम प्रसारित किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2016, मंगलवार, 21 जून, 2016 को चंडीगढ़ में बृहत्त योगाभ्यास प्रदर्शन समारोह का लाइव प्रसारण किया गया।
- मंगलवार, 28 जून, 2016 को माननीय राष्ट्रपति

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा कोलकाता के रवींद्र सदन आडिटोरियम में आकाशवाणी के विदेश प्रसारण प्रभाग के बांग्ला चैनल, आकाशवाणी मैत्री के उद्घाटन समारोह और मल्टी–मीडिया बांग्ला वेबसाइट के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह का लाइव प्रसारण किया गया।

- माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 26 जून, 2016 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नशीले पदार्थों के सेवन और उनकी अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर वर्ष 2013 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने के सिलसिले में आयोजित समारोह का लाइव प्रसारण किया गया।
- केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का 5 जुलाई, 2016 को राष्ट्रपति भवन से लाइव प्रसारण किया गया।
- 6 जुलाई, 2016 को पुरी, ओडिसा से जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा का हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से लाइव प्रसारण किया गया।
- 6 अगस्त, 2016 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया के बारे में एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम, ऐप रिलीज करने और प्रमाण पत्र प्रदान करने के सिलसिले में आयोजित समारोह का लाइव प्रसारण किया गया।
- 9 अगस्त, 2016 को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक चंद्रशेखर आजाद के जन्मस्थान, ग्राम भाभरा, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में भारत की स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ प्रारंभ होने के सिलसिले में आयोजित समारोह में दिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण का लाइव प्रसारण।
- 29 अगस्त, 2016 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और अन्य खेल पुरस्कार प्रदान करने के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण।
- 14 सितंबर, 2016 को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन, सभागार, नई दिल्ली में हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह का लाइव प्रसारण।
- 2 अक्तूबर, 2016 को चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र के उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण।
- भारत में विवाचन और प्रवर्तन सुदृढ़ बनाने की दिशा में राष्ट्रीय पहल के बारे में 23 अक्तूबर, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के समापन समारोह का लाइव प्रसारण।
- 25 अक्तूबर, 2016 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवल का लाइव प्रसारण।

रेडियो रिपोर्टें

- भारत के पूर्व उप–प्रधानमंत्री, बाबू जगजीवन राम की 109वीं जयंती के सिलसिले में 5 अप्रैल, 2016 को शाम 8.30 बजे नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के बारे में एक रेडियो रिपोर्ट।
- 14 अप्रैल, 2016 को रात 10 बजे बाबा साहेब डॉ. भीमवार आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में एक रेडियो रिपोर्ट।
- 24 अप्रैल, 2016 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों को मुख्य न्यायधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के बारे में एक रेडियो रिपोर्ट, 25 अप्रैल, 2016 को तीसरे पहर 3.00 बजे प्रसारित की गई।
- 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह के सिलसिले में एक रेडियो रिपोर्ट 03 मई, 2016 को रात 10.00 बजे प्रसारित की गई।
- नई दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस फिल्मोत्सव के उद्घाटन के बारे में एक रेडियो रिपोर्ट 12 अगस्त, 2016 को रात 10.30 बजे प्रसारित की गई।
- सिरी फोर्ट आडिटोरियम, नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स देशों के फिल्म समारोह के समापन पर एक समेकित रेडियो रिपोर्ट 6 सितंबर, 2016 को प्रसारित की गई।

रिकार्डिंग्स

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्टैंड–अप इंडिया स्कीम का उद्घाटन किए जाने के सिलसिले में एक रिकार्डिंग 5 अप्रैल, 2016 को प्रसारित की गई।
- सऊदी अरब की यात्रा के दौरान 3 अप्रैल, 2016 को रियाद में विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान दिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषणों की रिकार्डिंग 4 अप्रैल, 2016 को तीसरे पहर 03.00 बजे से प्रसारित की गई।
- 22 अप्रैल, 2016 से 21 मई, 2016 तक उज्जैन में आयोजित सिम्हस्त कुम्भ मेले की कवरेज प्रसारित की गई।
- 1 मई, 2016 को रात 8 बजे से श्री सी. सेंथिलराजन, निदेशक, फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, के साथ एक साक्षात्कार प्रसारित किया गया।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनकी ईरान यात्रा के दौरान दिए गए भाषणों की रिकार्डिंग का प्रसारण सोमवार, 23 मई, 2016 को रात 8.30 बजे किया गया।
- 29 मई, 2016 को दावणगेरे, कर्नाटक में केंद्र सरकार के दो वर्ष पूरे होने के सिलसिले में आयोजित समारोह में दिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण की रिकार्डिंग प्रसारित की गई।
- कतर की यात्रा के दौरान दोहा में भारतीय समुदाय के लोगों के समक्ष दिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण की रिकार्डिंग के आधार पर एक कार्यक्रम 5 जून, 2016 को प्रसारित किया गया।
- स्विटजरलैंड और अमरीका की यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषणों की रिकार्डिंग के आधार पर एक कार्यक्रम 7 जून, 2016 को प्रसारित किया गया।
- पहले से जारी अमरीका यात्रा के दौरान 7 जून, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अवसर पर दिए गए भाषणों की रिकार्डिंग का प्रसारण 7 जून, 2016 को किया गया।
- अमरीका और मैक्सिको की यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में दिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषणों की रिकार्डिंग का प्रसारण 9 जून, 2016 को किया गया।
- ताशकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन–2016 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण की रिकार्डिंग 24 जून, 2016 को प्रसारित की गई।
- मोजाम्बिक की यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में दिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषणों की रिकार्डिंग 8 जुलाई, 2016 को प्रसारित की गई।
- केन्या यात्रा के दौरान 11 जुलाई, 2016 को विभिन्न कार्यक्रमों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषणों की रिकार्डिंग 12 जुलाई, 2016 को प्रसारित की गई।
- वेनेजुएला की यात्रा के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) सम्मेलन के अवसर पर भारत के उप–राष्ट्रपति माननीय डॉ. मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा दिए गए भाषण की रिकार्डिंग 21 सितंबर, 2016 को प्रसारित की गई।
- भोपाल में 14 अक्तूबर, 2016 को शौर्य स्मारक का अनावरण करने के अवसर पर आयोजित समारोह में दिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण के अंश प्रसारित किए गए।

नवंबर, 2016 से मार्च, 2017 के बीच प्रस्तावित कार्यक्रम

- 14 नवंबर, 2016 से 16 नवंबर, 2016 तक जयपुर में दूसरे अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव के उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण।
- 20 नवंबर, 2016 से 25 नवंबर, 2016 की अवधि में पणजी (गोआ) में होने वाले 47वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के बारे में कर्टेन रेज़र का प्रसारण।
- 28 नवंबर, 2016 को पणजी, गोआ से 47वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव के समापन समारोह का लाइव प्रसारण।
- 13 दिसंबर, 2016 को संसद भवन, नई दिल्ली के

गेट नंबर 11 और 12 के बीच शहीद फलक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का लाइव प्रसारण।

- गणतंत्र दिवस, 2017 के समारोह के सिलसिले में निम्नांकित कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं :
  - (i) 25 जनवरी, 2017 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश का प्रसारण। संबद्ध आकाशवाणी केंद्रों से राष्ट्रपति के भाषण का क्षेत्रीय भाषाओं में रूपांतरण भी प्रसारित किया जाएगा।
  - (ii) 25 जनवरी, 2017 को राष्ट्रीय कवि गोष्ठी की रिकार्डिंग का प्रसारण।
  - (iii) 26 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली में राजपथ से गणतंत्र दिवस परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण।
  - (iv) 29 जनवरी, 2017 को बीटिंग रीट्रिट समारोह पर रेडियो रिपोर्ट।
  - (v) गणतंत्र दिवस, 2017 से संबंधित अन्य समारोहों/कार्यक्रमों को उपयुक्त कवरेज दी जाएगी।
- लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता श्री बलराम जाखड़ को 3 फरवरी, 2017 को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का प्रसारण।
- बजट सत्र के अवसर पर संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण का लाइव प्रसारण।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान

आकाशवाणी ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में 1969 में वार्षिक स्मारक व्याख्यान माला प्रारंभ की थी। यह देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्मारक व्याख्यान मालाओं में से एक है। यह व्याख्यान बारी–बारी से देश के विभिन्न भागों में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष हर वर्ष आयोजित किया जाता है। साहित्य, संस्कृति, अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्रों से संबद्ध विशिष्ट व्यक्ति और विद्वानों को उनकी पसंद के एक विषय पर हिंदी में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अन्य विशिष्ट जनों के अतिरिक्त जाने–माने साहित्यकार डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, डॉ. हरिवंश राय बच्चन, सुप्रसिद्ध सामाजिक चिंतक डॉ. पी.सी. जोशी पिछले वर्षों में यह स्मारक व्याख्यान दे चुके हैं। 2016 के लिए स्मारक व्याख्यान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री केशरीनाथ त्रिपाठी द्वारा 'निर्वाचन विधि की संशोधन प्रक्रिया में सुधारः जनगणना के संदर्भ में' विषय पर दिया गया है। व्याख्यान की रिकार्डिंग 3 दिसंबर, 2016 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर रात साढ़े नौ बजे आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित हुआ।

सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान

यह व्याख्यान माला स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में 1956 से आयोजित की जा रही है। इस व्याख्यान माला में जाने–माने विद्वानों, प्रशासकों, न्यायविदों, इतिहासकारों, सामाजिक चिंतकों, अर्थशास्त्रियों आदि विशिष्ट व्यक्तियों को उनके द्वारा चुने हुए विषय पर आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष अंग्रेजी में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रथम व्याख्यान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल डॉ. सी. राजगोपालाचारी ने दिया था। उसके बाद से भारत के प्रधान न्यायाधीश श्री पी. एन. भगवती, जाने–माने इतिहासकार प्रोफेसर बिपिन चंद्र एवं प्रोफेसर रोमिला थापर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन सहित अनेक विशिष्टजन ये व्याख्यान देने वालों में शामिल रहे हैं। वर्ष 2016 के लिए सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान 28 अक्तूबर, 2016 को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन–शिकायत और पेंशन, आणविक ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जीतेंद्र सिंह द्वारा दिया गया। इसका विषय था– 'कोआपरेटिव फेडरलिज्मः रीकाउंसलिंग रीजनल ऐस्पीरेशंस एंड नेशनल कोहिजन'। इस व्याख्यान की रिकार्डिंग 31 अक्तूबर, 2016 को रात 9.30 बजे आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित की गई।

संस्कार गीत

आकाशवाणी ने देश की लोक परंपरा और धरोहर के संरक्षण के महान लक्ष्य के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की है। भारत अपनी जातीय और भाषायी विविधता के लिए बेजोड़ है। विविध रंगों में अपने सांस्कृतिक मोजेइक (चित्र) को बनाए रखना एक विशाल कार्य है। यह चित्र देश के असंख्य क्षेत्रों, समुदायों और संस्कृतियों

के प्रचुर एवं समृद्ध लोक साहित्य में व्यक्त होता है। इन शानदार गीतों और धुनों का एक विशिष्ट आनंद है, परंतु वे अस्तित्व के ख़तरे से गुजर रही हैं। देश के लोक सेवा प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने इस दिशा में आगे आने और लोक गीतों तथा रस्मी गीतों को उनकी परम मौलिकता के साथ रिकार्ड करने का बीड़ा उठाया है।

आकाशवाणी की इस परियोजना के अंतर्गत (1) विभिन्न अनुष्ठानों (संस्कारों) – किसी व्यक्ति के जीवन में विभिन्न चरणों/ऐतिहासिक अवसरों से संबद्ध गीतों (2) ऋतु गीत, पर्व गीत, शर्म गीत, नदी गीत, वृक्ष गीत, स्थल गीत, पर्वत गीत और आंदोलन गीत जैसे विभिन्न प्रकार के लोक गीतों और (3) लोक गाथाओं (आख्यानों) की रिकार्डिंग शामिल है। आने वाली संततियों के लिए भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में आकाशवाणी की कई प्रमुख उपलब्धियों में एक यह भी शामिल है।

इस प्रक्रिया के अंतर्गत 87 भाषाओं/बोलियों में लगभग 20,000 संस्कार गीत और परंपरागत लोकगीत रिकार्ड किए गए हैं और आकाशवाणी ध्वनि अभिलेखागार में संरक्षित किए गए हैं। इन गीतों का अभिलेखीय महत्व देखते हुए, संस्कृति मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट ने आकाशवाणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संदर्भ में 5 पुस्तकों का पहला सेट प्रकाशन के लिए तैयार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सर्व भाषा कवि सम्मेलन

सर्व भाषा कवि सम्मेलन (नेशनल सिम्पोजियम आफ पोयट्स) के आयोजन की शुरुआत 1956 में की गई थी। इसका उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं की सम–सामयिक कविताओं में उत्कृष्ट रचनाओं को राष्ट्रीय एकता और भाषायी सद्भाव के जरिए परस्पर वार्तालाप और समन्वित ढंग से प्रस्तुत करने का मंच प्रदान करना है। इसकी विशिष्टता इस तथ्य से रेखांकित होती है कि यह अपनी तरह का एकमात्र कार्यक्रम है, जिसमें 22 भारतीय भाषाओं के वरिष्ठ कवि एकसाथ एक मंच पर एकत्र होते हैं, ताकि अपनी उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत कर सकें। सभी भाषाओं में कविताएं पहले स्वयं कवियों द्वारा आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं और बाद में विभिन्न भाषाओं के जाने–माने कवियों द्वारा उन रचनाओं के हिंदी रूपांतरण सुनाए जाते हैं। इस कार्यक्रम की 2 घंटे की रिकार्डिंग गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को रात दस बजे प्रसारित की जाती है। इसी समय क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम के रूपांतरण संबद्ध आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होते हैं। इस प्रकार यह कार्यक्रम देश के कोने–कोने में पहुंचता है।

2005 में, चार नई भाषाएं अर्थात् डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो इस कार्यक्रम की सूची में शामिल की गईं और भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। यह कार्यक्रम भारतीय भाषाओं की समृद्ध सांस्कृतिक और साझा विरासत को व्यक्त करने में अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम है, जिसकी तुलना इस तरह के किसी अन्य कार्यक्रम से नहीं की जा सकती।

इस वर्ष 'सर्व भाषा कवि सम्मेलन' 12 जनवरी, 2017 को नागपुर में आयोजित किया गया, जिसकी रिकार्डिंग 25 जनवरी, 2017 को प्रसारित की गई।

कृषि और गृह प्रसारण

आकाशवाणी पांच दशकों से अधिक समय से अपने ग्रामीण श्रोताओं के प्रति समर्पित है। आकाशवाणी के सभी केंद्रों द्वारा कृषि और गृह कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इनके अंतर्गत कृषक समुदाय की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए कार्यक्रम डिजाइन किए जाते हैं, जिनमें उत्कृष्ट कृषि उत्पादन के लिए अद्यतन जानकारी और प्रौद्योगिकी शामिल की जाती है। ये कार्यक्रम देश के कृषक समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के तौर–तरीकों के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। कार्यक्रमों का प्रसारण हर रोज प्रातः, दोपहर और शाम के समय किया जाता है, जिनमें ग्राणीण महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए कार्यक्रमों की औसत प्रसारण अवधि हर रोज 60 से 100 मिनट के बीच होती है। आकाशवाणी की कृषि और गृह यूनिटें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और विशुद्ध खेती संबंधी कार्यक्रमों के बराबर सेग्मेंट सहित मिश्रित कार्यक्रमों का प्रसारण करती हैं, जिनमें बागवानी पशुपालन, पोल्ट्री और डेरी फार्मिंग, मत्स्य उद्योग, वानिकी, पर्यावरण संरक्षण जैसे खेती कार्यक्रम और अनुषंगी कृषि गतिविधियों जैसे खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण, शुष्क और बंजर भूमि खेती तथा रोजगार कार्यक्रमों, ऋण, बीमा और प्रशिक्षण सुविधाओं, स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण आदि पर आधारित गतिविधियां शामिल की जाती हैं।

आकाशवाणी ने कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के सहयोग से फरवरी, 2004 में 'किसानवाणी' शीर्षक से कृषि विस्तार में जनसंचार माध्यम सहायता की एक व्यापक परियोजना शुरू करते हुए अपने कृषि प्रसारण का विस्तार किया। इसका उद्देश्य स्थानीय किसानों को रोजमर्रा के बाजार भावों से अवगत कराना, मौसम संबंधी खबरें और उनके क्षेत्रों से संबद्ध रोजमर्रा की जानकारी सूक्ष्म स्तर पर उन तक पहुंचाना है। वर्तमान में 'किसानवाणी' कार्यक्रम देशभर में चुने हुए 96 आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया जा रहा है। नैरो कास्टिंग मोड पर प्रसारित यह कार्यक्रम अधिकतर वार्तालाप आधारित होता है, जिसमें किसानों के खेतों पर आधारित रिकार्डिंग और स्टूडियो में विशेषज्ञों और कृषक समुदाय के बीच फोन के जरिए वार्तालाप शामिल किए जाते हैं, जो लक्षित श्रोताओं में अत्यंत लोकप्रिय हैं।

कीटनाशकों का सुरक्षित और युक्तिसंगत इस्तेमाल अभियान

कीटनाशकों के सुरक्षित और युक्तिसंगत इस्तेमाल के बारे में आम लोगों और विशेष रूप से कृषक समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इनमें फलों और सब्जियों को इस्तेमाल से पहले कीटनाशकों के अवशेष न्यूनतम करने के तौर–तरीकों की जानकारी दी जाती है।

इस बारे में आकाशवाणी केंद्रों को व्यापक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें कीटनाशकों की खरीद, भंडारण, परिचालन और छिड़काव करते समय किसानों के लिए विधि–निषेधों का व्यापक ब्यौरा शामिल है। खाद्य वस्तुओं, फलों और सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेष कम से कम करने के बारे में उपभोक्ताओं और नागरिकों के लिए भी विधि–निषेध आकाशवाणी केंद्रों द्वारा अपने कार्यक्रमों में शामिल किए गए।

किसानों के लिए विस्तृत मौसम पूर्वानुमान

आकाशवाणी के सभी केंद्रों के दैनिक कृषि एवं गृह कार्यक्रमों में किसानों को 5 मिनट के बुलेटिन के रूप में मौसम के व्यापक पूर्वानुमान की जानकारी दी जाती है और सभी 96 केंद्र 'किसानवाणी' कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। दैनिक मौसम पूर्वानुमान कवरेज के अंतर्गत वर्षा, तापमान, मृदा और वायु में नमी, रेडिएशन, गर्म, शुष्क, शीत और आर्द्र चक्रों और सूखा, बाढ़, ओला वृष्टि, तूफान, आंधी, पाला आदि अतिवादी स्थितियों की जानकारी शामिल होती है ताकि किसानों को सचेत किया जा सके और फसल के नुकसान को कम करने में मदद की जा सके।

पर्यावरण

वन्यजीव और वन संरक्षण के महत्व को देखते हुए आकाशवाणी द्वारा इन विषयों को एक चुनौती समझा जाता है और विकास गतिविधियों के साथ–साथ सामाजिक रीति–रिवाजों पर विशेष बल दिया जाता है। आकाशवाणी द्वारा वानिकी, वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों की सफलता को दर्शाया जाता है। वास्तव में, आकाशवाणी अपने विशेष श्रोता कार्यक्रमों के जरिए वन्यजीव और पशु देखभाल जैसे विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है।

आकाशवाणी केंद्रों द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून, 2015 को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए। इन कार्यक्रमों में सामाजिक वानिकी, भू–कटाव और रेगिस्तानीकरण रोकने, ओजोन की परत में सुराख, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और ध्वनि प्रदूषण जैसे मुद्दों को उपयुक्त ढंग से शामिल किया गया।

आकाशवाणी के सभी केंद्र पर्यावरण और वानिकी से संबंधित कानूनी घटकों का व्यापक प्रचार अपने कार्यक्रमों में शामिल कर रहे हैं। आकाशवाणी केंद्रों द्वारा भेजे जाने वाले मासिक विवरणों के जरिए निदेशालय इन कार्यक्रमों की नियमित रूप से निगरानी करता है।

केंद्रों ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'स्वच्छ भारत अभियान' के अंतर्गत स्वच्छता के महत्व का निरंतर प्रचार किया, जिसमें सभी के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने में ग्रामीण और शहरी दोनो क्षेत्रों में सफाई के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया।

'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत मीडिया अभियान के हिस्से के रूप में खेती और गृह तथा 'किसानवाणी' कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले आकाशवाणी केंद्रों को सलाह दी गई कि वे विभिन्न प्रारूपों में उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित करें ताकि कृषक समुदाय में कार्बनिक ठोस कचरे

को कृषि कार्यों में खाद के रूप में इस्तेमाल करने के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके। आकाशवाणी के इन केंद्रों को निर्देश दिए गए कि वे कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में आडियो स्पाट प्रसारित करें।

आकाशवाणी नेटवर्क पर प्रमुख कार्यक्रमों का प्रसारण

आकाशवाणी के सभी केंद्रों को सलाह दी गई है कि वे सरकार की विभिन्न स्कीमों और कृषक समुदाय में जागरूकता पैदा करने के बारे में विभिन्न प्रारूपों में कार्यक्रम प्रसारित करें। इस बारे में प्रसारित किए गए कुछ कार्यक्रमो का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1) रेडियो रिपोर्ट

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र, पूसा में खरीफ अभियान के लिए आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के बारे में एक रेडियो रिपोर्ट अप्रैल, 2016 में प्रसारित की गई।

2) सिटी कंपोस्ट

आकाशवाणी के सभी केंद्रों को सलाह दी गई है कि वे कृषक समुदाय को शिक्षित करने, विशेषकर खेती पद्धतियों में शहर के कचरे से कंपोस्ट और वर्मी–कंपोस्टिंग के फायदों को समझाने के लिए उपयुक्त प्रचार अभियान चलाएं। इस विषय में जिंगल भी प्रसारित किए जा रहे हैं।

3) मृदा स्वास्थ्य कार्ड

कृषक समुदाय में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के फायदों और खेती पद्धतियों में नीम कोटिड यूरिया का इस्तेमाल करने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए गए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कार्बनिक मूल्य श्रृंखला अभियान और सिटी कंपोस्ट के फायदों के बारे में प्रचार कार्यक्रम को मजबूती देने के लिए व्यापक कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

4) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सामान्य रूप से आम लोगों और विशेष रूप से कृषक समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खाद्य सुरक्षा मिशन आदि के बारे में माननीय केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण मंत्री के संदेश किसानवाणी कार्यक्रमों में प्रसारित किए गए।

5) उर्वरकों के मूल्यों में कमी के बारे में आडियो स्पॉट

कृषि और गृह तथा किसानवाणी कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले सभी आकाशवाणी केंद्रों द्वरा उर्वरकों के मूल्य में कमी के बारे में आडियो स्पॉट प्रसारित किए गए।

6) राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम)

आकाशवाणी केंद्र राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। यह अखिल भारतीय इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो मौजूदा एपीएमसी मंडियों का नेटवर्क बनाता है ताकि कृषि जिंसों के लिए एकसमान राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हो सके। इसके अतिरिक्त यह बाजार समानता को प्रोत्साहित करता है, समेकित बाजारों के बीच प्रक्रियाओं को सुचारू बनाता है, क्रेता और विक्रेता के बीच जानकारी में असमानता दूर करता है, वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय मूल्य खोज को प्रोत्साहित करता है, और नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। 'किसानवाणी' और कृषि एवं गृह कार्यक्रम प्रसारित करने वाले आकाशवाणी केंद्रों को सलाह दी गई कि वे राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में सूचना के प्रसार के लिए विभिन्न प्रारूपों में उपयुक्त प्रचार कार्यक्रम प्रसारित करें।

7) खरीफ अभियान के लिए कृषि के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन

आईसीएआर, पूसा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र में खरीफ अभियान के लिए कृषि के बारे में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन पर एक समेकित रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी के राजधानी चैनल से 11 और 12 अप्रैल, 2016 को प्रसारित की गई।

8) सरकारी खरीद कार्यक्रम का प्रचार

कृषि और गृह तथा 'किसानवाणी' कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले आकाशवाणी केंद्रों के प्रमुखों को सलाह दी गई कि वे सरकार के खरीद कार्यक्रमों और दलहन, तिलहन तथा अन्य खाद्यानों के संदर्भ में सरकार की नीतियों के बारे में उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित करें।

9) दालों के वितरण के लिए सरकार के उपायों का प्रचार

दालों के मूल्यों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा

उठाए गए विभिन्न कदमों, जैसे निर्यात पर प्रतिबंध, शून्य शुल्क पर आयात की अनुमति, उत्पादन के लिए प्रोत्साहन और राज्यों तथा केंद्रीय एजेंसियों के बीच सुरक्षित भंडार से वितरण प्रबंधन के बारे में व्यापक विचार किया गया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम

महिला कार्यक्रम

आकाशवाणी के महिला कार्यक्रमों में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, खाद्य और पोषण, वैज्ञानिक गृह प्रबंधन, महिला उद्यमशीलता, प्रौढ़ शिक्षा सहित महिलाओं की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, लिंग असमानता संबंधी मुद्दे, आदि विषय कवर किए गए।

आकाशवाणी बालिका शिशु के कल्याण के लिए विभिन्न प्रारूपों में अनेक कार्यक्रम प्रसारित करता है। केंद्रों के परिवार कल्याण अनुभाग के कार्यक्रमों का लक्ष्य कानून की जानकारी के प्रसार के जरिए कन्या भ्रूण हत्या और लिंग संबंधी भेदभाव जैसे मुद्दों और महिलाओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रति सामाजिक जागरूकता पैदा करना है। ग्रामीण श्रोताओं के साथ संवाद कायम करने के लिए विभिन्न परंपरागत लोक रूपों का भी इस्तेमाल किया गया। 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम 24 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद आकाशवाणी महानिदेशक ने सभी केंद्रों को निर्देश जारी किए कि वे अपने कार्यक्रमों की योजना बनाते समय 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' अभियान को लोकप्रिय बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करें।

इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का विषय '2030 तक पृथ्वी पर 50–50 लिंग समानता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाएं' था। इस विषय पर विभिन्न प्रारूपों जैसे वार्ता, परिचर्चा, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाली शहरी और ग्रामीण महिलाओं के साथ साक्षात्कार आदि कार्यक्रम प्रसारित किए गए। इस वर्ष समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह भी मनाया गया।

इसके अतिरिक्त महिलाओं से संबंधित समस्याओं के बारे में विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर आकाशवाणी के सभी केंद्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने कार्यक्रमों में महिलाओं के प्रति यौन अपराध, मीडिया में महिलाओं के अभद्र चित्र दिखाना, स्तन कैंसर जागरूकता माह, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता, जैसे महिलाओं के विषयों पर ध्यान केंद्रित करें। आकाशवाणी ने महिलाओं और बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों जैसे नियमित टीकाकरण, लिंग संबंधी हिंसा, स्तनपान को प्रोत्साहन (एमएए कार्यक्रमों) आदि में यूनिसेफ के साथ सहयोग भी किया है।

स्वास्थ्य कार्यक्रम

स्वास्थ्य कार्यक्रम आकाशवाणी के नियमित प्रसारणों का हिस्सा हैं। आकाशवाणी का प्रत्येक केंद्र साप्ताहिक/पाक्षिक आधार पर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। ये कार्यक्रम संबद्ध क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों, मौसमी बीमारियों के फैलने की आशंका को देखते हुए मंत्रालय और आकाशवाणी महानिदेशालय के अनुदेशों/परामर्श के अनुसार तैयार और प्रसारित किए जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सभी मुद्दे जैसे बीमारियों के बारे में जागरूकता, उनके कारण और रोकथाम के उपाय, उपलब्ध उपचार के बारे में जानकारी, टीकाकरण के बारे में जागरूकता, विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए सरकारी सुविधाओं की जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की विषयवस्तु होते हैं।

- स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नियमित प्रसारण में कवर किए जाने वाले अन्य विषयों में विवाह की सही आयु, पहले बच्चे की योजना में देरी करने, दो बच्चों के बीच अंतर, गर्भपात कराने के तरीके, मातृत्व देखभाल, शिशु जीवन बचाव, पति–पत्नी के बीच परस्पर समझ–बूझ को प्रोत्साहन/पुरुष दायित्व, लड़का संतान को तरजीह देने की मानसिकता में बदलाव, चिकित्सा आधार पर गर्भपात, संस्थागत कानूनी प्रावधानों को प्रोत्साहन, प्रजनन मार्ग संक्रमण का प्रबंधन (आरटीआईज) और यौन संचरित संक्रमण (एसटीआईज), प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीकों (नियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम 1994, स्तनपान, विकलांगता, क्षय रोग, कुष्ठ रोग और प्रजनन बाल स्वास्थ्य आदि शामिल किए जाते हैं।
- देश के विभिन्न भागों में एविएन फ्लू फैला और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या

बन गया था। आकाशवाणी महानिदेशालय ने सभी आकाशवाणी केंद्रों विशेषकर एविएन फ्लू से प्रभावित क्षेत्रों को निर्देश जारी किए कि वे इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित करें।

- इसी प्रकार डेंगू और चिकनगुनिया फैलने के समय बीमारी की रोकथाम के बारे में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आकाशवाणी के नेटवर्क पर प्रसारित किए गए। आकाशवाणी कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सहयोग भी करता है।
- नेशनल आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशंस–एनओटीटीओ द्वारा शुरू किए गए अंगदान अभियान का व्यापक प्रचार किया जा रहा है। नशीले पदार्थों के सेवन और एड्स के बारे में जानकारी देने और कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्वास और उन्हें प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित किए गए।
- आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों के खिलाफ वैश्विक कार्यक्रम के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। आकाशवाणी के सभी केंद्रों ने कुपोषण के खिलाफ अभियान को बढ़ावा देने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम प्रसारित किए।
- प्रतिकूल शिशु लिंग अनुपात के बारे में जागरूकता पैदा करने के बारे में और कन्या भ्रूण के गर्भपात के लिए जिम्मेदार नकारात्मक मानसिकता को बदलने के लिए देशभर में आकाशवाणी के केंद्रों से विभिन्न प्रारूपों में कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं।
- टीकाकरण कवरेज में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में शुरू किए गए कार्यक्रम 'मिशन इंद्रधनुष' को समूचे वर्ष के दौरान आकाशवाणी नेटवर्क के जरिए व्यापक कवरेज प्रदान की गई।
- आकाशवाणी के अनेक कार्यक्रमों में पोषण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। राष्ट्रीय पोषण दिवस को व्यापक रूप में कवर किया गया और बच्चों के बढ़ने की उम्र और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पोषण के महत्व के बारे में जानकारी संप्रेषित की गई।
- स्तन कैंसर जागरूकता माह को भी प्रचारित किया गया, ताकि सभी आयु समूहों की महिलाओं के बीच इस बीमारी के कारणों, लक्षणों, रोकथाम के उपायों और उपचार के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। विश्वभर में अक्तूबर को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है, ताकि इस बीमारी का शीघ्र पता लगाने और उपचार एवं इसकी उपशामक देखभाल पर अधिक ध्यान आकर्षित किया जा सके तथा जागरूकता बढ़ाई जा सके।
- ग्रामीण/महिला/युवा और स्वास्थ्य जैसे विशेष श्रोता कार्यक्रमों में आकाशवाणी ने कुछ श्रोता समूहों का पंजीकरण किया है। ये समूह स्वास्थ्य संबंधी विषयों के बारे में सामान्य जागरूकता के प्रसार में योगदान करते हैं।

बच्चों के कार्यक्रम

आकाशवाणी के सभी केंद्र नियमित आधार पर बच्चों के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। आकाशवाणी सभी केंद्रों से 3 श्रेणियों के बच्चों, अर्थात् 5 से 7 वर्ष, 8 से 14 वर्ष और ग्रामीण बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित करता है।

साप्ताहिक आधार पर प्रसारित कुछ कार्यक्रम, नाटक, लघु कथाएं, फीचर, समूह वृंदगान, साक्षात्कार, महाकाव्यों से कहानियां आदि इस प्रसारण का हिस्सा होती हैं।

बच्चों के लिए आकाशवाणी केंद्रों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों में निम्नांकित मुद्दे नियमित रूप से शामिल किए जाते हैं :

1. बच्चों के अधिकारों का संरक्षण और विशेष रूप से कानून के प्रति संघर्षरत किशोरों की देखभाल और संरक्षण में बच्चों की पहचान की आवश्यकता।
2. विकलांग बच्चों की देखभाल और सहायता।
3. कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे बच्चों की देखभाल और सहायता।
4. बालिकाओं को समानता का दर्जा।
5. बुनियादी शिक्षा तक सभी बच्चों की पहुंच और बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करना।
6. बच्चों के लिए सुरक्षित और मददगार वातावरण प्रदान करना।
7. परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार और आत्मनिर्भर समाज।

8. बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग।
9. स्वच्छ पेयजल सुविधा और मल व्ययन के स्वच्छ साधन।

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुरोध पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित 'बच्चों के बारे में मीडिया रिपोर्टिंग संबंधी दिशा–निर्देशों' को व्यापक रूप में प्रचारित किया गया। आकाशवाणी ने देशभर में अपने व्यापक नेटवर्क के जरिए यूनिसेफ के कार्यक्रमों के अंतर्गत सूचना संप्रेषण एवं यूनिसेफ के अभियानों को प्रोत्साहित करने में योगदान किया। बच्चों के नियमित टीकाकरण और बच्चों के प्रति हिंसा समाप्त करने संबंधी यूनिसेफ की कार्यशालाओं, में आकाशवाणी के अधिकारियों ने हिस्सा लिया, ताकि बच्चों से संबंधित मुद्दों में उनकी समझ में सुधार हो सके और जानकारी प्रसारित की जा सके।

सरकार के प्रमुख कार्यक्रम

दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए सुगम भारत अभियान का आकाशवाणी ने अपने समूचे नेटवर्क के जरिए व्यापक प्रचार किया। सरकार की विभिन्न उपलब्धियां भी आकाशवाणी के प्रसारण का हिस्सा बनी रहीं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान को भी आकाशवाणी ने व्यापक रूप में प्रचारित किया। इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता, ग्रामीण साफ–सफाई, शहरी स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पानी से होने वाली बीमारियां, प्रदूषण संबंधी बीमारियां आदि पहलुओं को आकाशवाणी के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रसारण का अभिन्न अंग बनाया गया। आकाशवाणी के सभी केंद्रों को परामर्श दिया गया कि वे महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए अपने विशेष श्रोता कार्यक्रमों के अंतर्गत इन पहलुओं से संबंधित अपनी कवरेज को और व्यापक बनाएं।

भारत सरकार स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ मना रही है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद किया जा रहा है। इस विषय में 'आजादी 70 साल : याद करो कुर्बानी', स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका, जैसे विषयों को आकाशवाणी के कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। आकाशवाणी के सभी केंद्रों से कहा गया है कि वे इन विषयों पर अपने विभिन्न कार्यक्रम प्रारूपों जैसे वार्ताएं, परिचर्चाएं, साक्षात्कार, फोन–इन प्रोग्राम आदि के जरिए प्रकाश डालें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को उजागर करने के बारे में एक कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी गई है।

संगीत

आकाशवाणी अपनी स्थापना के समय से ही लोकसेवा प्रसारक की सच्ची प्रतिबद्धता के नाते भारतीय संगीत के प्रसार और प्रश्रय में बड़े संरक्षक की भूमिका अदा कर रहा है।

वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2016 से मार्च 2017) की शुरुआत संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में मई और जून, 2016 के महीनों में त्रिमूर्ति और अन्य वाग्गेयकार संगीत सम्मेलनों के प्रसारण के साथ हुई। चेन्नई के जाने–माने कलाकार संजय सुब्रमण्यम ने त्यागराज की रचनाओं को प्रस्तुत किया। विशाखापट्टनम की बी. इंदिरा कामेश्वर राव ने श्याम शास्त्री और सुब्बारैया शास्त्री की रचनाएं प्रस्तुत कीं, बंगलुरु के आर.एन. त्यागराजन और आर. एन. तारानाथन ने मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचनाएं पेश कीं तथा हैदराबाद की ललिता और हरीप्रिया ने पोन्नई पिल्लई की रचनाएं प्रस्तुत कीं।

वर्ष के दौरान संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम, रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा और क्षेत्रीय सुगम एवं लोक संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान करने वाले कुछ जाने–माने कलाकारों में निम्नांकित शामिल रहे :

क) हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत

विदुषी मंजरी अलगांवकर (कंठ संगीत), बासप्पा हनुमनप्पा भजनतारी (शहनाई), पंडित रत्नाकर गोखले (वायलिन), पं. इंदुधर निरोधी (कंठ संगीत), सरवर हुसैन (सारंगी), विदुषी मंजु मेहता (सितार), विदुषी कमला शंकर (गिटार), उस्ताद इल्मास हुसैन खान (तबला), पं. प्रेम कुमार मलिक (ध्रुपद/धमार), अशोक कुमार चौरसिया (शहनाई), पं. सूर राजन (सरोद), पं. नित्यानंद हल्दीपुर (बांसुरी), ऋषि उपाध्याय (पखावज)।

ख) हिंदुस्तानी सुगम संगीत

डॉ. राजश्री बैनर्जी (गीत भजन), रामदरश शर्मा (भोजपुरी लोकगीत), माकूल वली (गजल), चिरंजी

लाल (राजस्थानी मांड), द्वारिका यादव और पार्टी (छत्तीसगढ़ी लोकगीत)।

ग) कर्नाटक क्लासिकल

एन. रविकिरण (चित्रवीणा), ए. कन्याकुमारी (वायलिन), एमएसके संकरनारायणन (नागस्वरम), बी.एस. नारायणन (वायलिन), डीएसआर मूर्ति (मृदंगम सोलो), ए. अनंत पद्मनाभन और सी. राजेंद्रन (वीणा और वायलिन द्वैत), मल्लाडी सुरीबाबू (पदम, जवाली और तिरलाना), एस. गणेशन (कंठ संगीत), शेख याकूब साहिब और शेख बड़े साहिब (नागस्वरम द्वैत)।

घ) कर्नाटक सुगम और लोक संगीत

विश्वनाथ नाकोड़ (देवरानाम–भक्ति), कल्लारा गोपन और एसएस गायत्री (सुगम कंठ संगीत–मलयालम), रमण चाकियार (कूतु), एसएन. सुरेश (कथा)।

यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त समीक्षा अवधि के दौरान निम्नांकित विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए :

मुत्तुस्वामी दीक्षितर और कोटेश्वर अय्यर की रचनाओं के जरिए मेल करता राग–विजयलक्ष्मी सुब्रमण्यम द्वारा परिकल्पित और संचालित।

'टैगोर ए स्प्रिचुअल जर्नी विद मेलोडी'–गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के जीवन और संगीत पर आधारित एक फीचर।

'रिद्म्स आफ इंडिया'–विभिन्न क्षेत्रों के वाद्य यंत्रों के आधार पर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, चारों दिशाओं में लयबद्ध यात्रा। ये कार्यक्रम टी.वी. गोपालकृष्णन द्वार प्रस्तुत किया गया।

'मराठी गीत में अभंग'–एक संगीतमय फीचर, जिसमें महाराष्ट्र के एक लोकप्रिय भक्ति प्रारूप, अभंग के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जाता है।

आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, 2016

यह एक वार्षिक संगीत सम्मेलन है जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। कलाकारों और संगीत प्रेमियों दोनों को ही इसका इंतजार रहता है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन

आकाशवाणी संगीत सम्मेलन–2016

पिछले 6 दशकों से संगीत प्रेमियों के दिलो–दिमाग में आकाशवाणी के ब्रैंड नेम के रूप में विकसित हुआ है। इसका आयोजन देशभर में किया जाता है, जिसमें हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के वरिष्ठ और उदीयमान, दोनों तरह के कलाकारों को शामिल किया जाता है। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में नाम शामिल किए जाने के बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूप में ख्याति प्राप्त कोई भी कलाकार इसे छोड़ता नहीं है।

इस वर्ष के आकाशवाणी संगीत सम्मेलन की मुख्य विशेषता यह रही कि इसमें परंपरागत रूप में हिस्सा लेने वाले शास्त्रीय कलाकारों के समूह के अलावा लोक सुगम और पश्चिमी संगीत के कलाकारों को भी शामिल किया गया, जिससे यह एक पूर्ण संगीत उत्सव बन गया।

इस वर्ष आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अंतर्गत 24 सितंबर, 2016 को 24 स्थानों पर संगीत कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें देशभर से अनेक वरिष्ठ और उदीयमान कलाकारों ने हिस्सा लिया। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के सांध्य सम्मेलन 16 स्थानों – दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु, आगरा, भोपाल, चंडीगढ़ (जालंधर), धारवाड़, जयपुर, पुणे, वलसाड़ (वडोदरा), तिरुअनंतपुरम, कोझीकोड और विजयानगरम (विशाखापट्टनम) पर आयोजित किए गए। प्रातःकालीन सम्मेलनों में हिंदुस्तानी संगीत के कार्यक्रम दो स्थानों – पटना और शिमला में आयोजित किए गए। सुगम और लोक संगीत के कार्यक्रम शाम के समय पांच स्थानों – अलमोड़ा, रामपुर, संबलपुर, मैसुरू और कलबर्गी में आयोजित किए गए।

पश्चिमी संगीत समारोह शिलांग में आयोजित किया गया। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में कुल मिलाकर 200 कलाकारों ने हिस्सा लिया।

इन सम्मेलनों का प्रसारण राष्ट्रीय हुक–अप पर आकाशवाणी के सभी राजधानी और क्षेत्रीय केंद्रों तथा डीटीएच पर रंगम चैनल से किया गया और 22 अक्तूबर, 2016 से वेब स्ट्रीमिंग और एआईआर लाइव मोबाइल ऐप पर भी इसे उपलब्ध कराया गया जो 30 नवंबर, 2016 तक उपलब्ध रहेगा।

इस वर्ष के संगीत सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुख और उदीयमान कलाकारों में कुछ के नाम इस प्रकार हैं : पं. विश्वमोहन भट्ट (मोहन वीणा), उस्ताद मोइनुद्दीन खान (सारंगी), विक्कु विनायकराम (चतुर घटम), एस. शशांक (बांसुरी), पं. सूर्यकांत खलदकर (सुंदरी), रितेश–रजनीश मिश्र (कंठ संगीत द्वैत), डॉ. एस सोमैया (कंठ संगीत), विष्णु भटला बहनें (कंठ संगीत द्वैत), पट्टाभिराम पं. (कंठ संगीत), पुन्य श्रीनिवास (वीणा), कोयल दासगुप्ता (सुगम शास्त्रीय कंठ संगीत), प्रशांत–निशांत मल्लिक (ध्रुपद/धमार), पं. कुशल दास (सितार), मदुरई टीएनएस कृष्णा (कंठ संगीत), पुष्पराज कोश्ती (सुरबहार), वी.वी. रामन मूर्ति (मृदंगम), उस्ताद अकरम खान (तबला) और के.जी. कल्याणसुंदरम (ताविल)।

दीपाली वट्टल (गजल), वी. दीपिका (भक्ति गीत), पवनी काशीनाथ (देवरनामा), शारदा भरत वदावती (वाचन), उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन (गजल/भजन) तथा बसंती बिष्ट (गढ़वाली लोक संगीत)।

प्रोसांतो चंद्र दत्त – वायलिन (पाश्चात्य शास्त्रीय), लोउ माजव और पार्टी (रॉक एंड रोल) और रुडोल्फ वालांग और पार्टी (पाश्चात्य बैंड)।

आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिताएं, 2016

आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता आकाशवाणी का एक नियमित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य युवाओं तक पहुंच कायम करना और उनमें से नई प्रतिभाओं की तलाश करना है। शहनाई वादक, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान, जिनका जन्म सदी वर्ष 21 मार्च, 2016 से प्रारंभ हुआ, के प्रति एक श्रद्धांजलि के रूप में आकाशवाणी ने इस प्रतिष्ठित कलाकार के नाम से एक खिताब 'आकाशवाणी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान विशेष पुरस्कार' इस वर्ष की आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिताओं में शामिल किया गया। ये विशेष पुरस्कार शहनाई/सुंदरी श्रेणी में विजेता को दिया जा रहा है।

पश्चिमी संगीत के क्षेत्र में प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए, आकाशवाणी ने निम्नांकित श्रेणियों में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार शुरू किए हैं :

1. **पश्चिमी संगीत (कंठ संगीत)**
2. **पश्चिमी वाद्य संगीत (एकल)**
3. **पश्चिमी बैंड।**

संत संगीतकार त्यागराज के 170वें आराधना सम्मेलन के अवसर पर 14 जनवरी, 2017 को संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में त्यागराज आराधना संगीत उत्सव का लाइव

प्रसारण राष्ट्रीय हुक–अप पर अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा और 17 जनवरी, 2017 को प्रातः तिरुवय्यारू से पंचरत्न गोष्ठी गणम् (पंच रत्न रचनाओं की सामूहिक प्रस्तुति) का भी लाइव कवरेज किया जाएगा।

खेल

1 अप्रैल, 2016 से 30 अक्तूबर, 2016 तक आकाशवाणी ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल गतिविधियों की व्यापक कवरेज अपने राष्ट्रीय नेटवर्क और क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से प्रदान की/प्रदान करने की योजना बनाई। राष्ट्रीय स्तर पर कवरेज में शामिल कुछ प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार थीं :

(1) बहु–विषयी कार्यक्रम

(i) 31वें ग्रीष्मकालीन ओलिम्पिक खेल–2016, रियो डि जेनेरो, ब्राजील :

आकाशवाणी ने रियो डि जेनेरे, ब्राजील में 5 से 21 अगस्त, 2016 के दौरान हुए 31वें ग्रीष्मकालीन ओलिम्पिक खेलों–2016 को व्यापक और विशेष कवरेज प्रदान की। 5 अगस्त, 2016 को एक कर्टेन रेजर कार्यक्रम प्रसारित किया गया और 6 अगस्त 2016 से 22 अगस्त, 2016 तक हर रोज खेलों के मुकाबलों के बारे में कैप्सूल प्रसारित किए गए। भारत से संबद्ध प्रतियोगिताओं जैसे महिला हॉकी और बैडमिंटन मैचों, टेनिस मैचों का लाइव प्रसारण किया गया। इसी प्रकार पुरुषों की हॉकी में भारत से संबद्ध मैचों, सेमी फाइनल और फाइनल मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया गया। एफएम रेनबो पर हर घंटे खेल परिणामों की अद्यतन जानकारी दी गई, जबकि एफएम रेनबो नेटवर्क और एफएम गोल्ड चैनल पर कार्यक्रमों के मध्य में खेलों से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज प्रसारित की गईं।

भारत सरकार की लक्षित ओलिम्पिक पोडियम (टीओपी) स्कीम को आकाशवाणी के समूचे कवरेज में उजागर किया गया। योग को प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयासों को भी समुचित कवरेज प्रदान की गई।

(ii) 4 जुलाई, 2016 और 5 जुलाई 2016 को ओलिम्पिक खेलों के बारे में एक घंटे का विशेष वार्तालाप कार्यक्रम प्रसारित किया गया।

(iii) 'चलो रियो' –10 भाग वाले इस साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत 2016 के ओलिम्पिक खेलों के बारे में एक श्रृंखला (27 मई, 2016 से 29 जुलाई, 2016 (हर शुक्रवार)) बीबीसी के सहयोग से प्रसारित की गई।

(iv) '31वें ओलिम्पिक खेलों में भारतीय प्रदर्शन'–इस बारे में 24 अगस्त, 2016 को कार्यक्रम प्रसारित किया गया।

(v) दिल्ली में 16 से 26 अक्तूबर, 2016 के दौरान खेले गए एनससी कैडेट्स नेशनल गेम्स–2016 के बारे में रेडियो रिपोर्ट प्रसारित की गई।

(2) क्रिकेट

क. आईसीसी ट्वेंटी–ट्वेंटी क्रिकेट विश्व कप – इसका आयोजन 15 मार्च, 2016 से 3 अप्रैल, 2016 के बीच भारत में किया गया।

ख. **'स्टम्प्ड'** – सीरीज–3 आकाशवाणी–बीबीसी–एबीसी संयुक्त प्रस्तुति – 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक (एफएम रेनबो नेटवर्क पर प्रत्येक शनिवार को)।

(3) वालीबाल

सीमा सुरक्षा बल और बार्डर गार्डिंग बांग्लादेश के बीच 3 अक्तूबर, 2016 को नई दिल्ली में खेले गए मैत्री कप वालीबाल मैच की लाइव कवरेज की गई।

(4) फुटबाल

1. 11 सितंबर, 2016 को दिल्ली में खेले गए 128वें डूरंड कप फुटबाल टूर्नामेंट के फाइनल मैच की लाइव कवरेज।
2. 15 अक्तूबर, 2016 को पणजी में खेले गए ब्रिक्स अंडर–17 फुटबाल टूर्नामेंट के फाइनल मैच की लाइव कवरेज।
3. 22 अक्तूबर, 2016 को दिल्ली में खेले गए सुब्रोतो कप फुटबाल टूर्नामेंट के अंडर–17 ब्वायज फाइनल मैच की लाइव कवरेज।

(5) टेनिस

1. 29 जून से 11 जुलाई, 2016 तक विंबल्डन टेनिस चैम्पियनशिप–2016 के बारे में दैनिक रिपोर्ट।
2. 15 से 17 जुलाई, 2016 की अवधि में चंडीगढ़ में खेले गए डेविस कप टेनिस वर्ल्ड ग्रुप प्ले–आफ टाई मैच की लाइव कवरेज।
3. 16 से 18 सितंबर, 2016 की अवधि में दिल्ली में खेले

गए डेविस कप टेनिस वर्ल्ड ग्रुप प्ले–आफ टाई मैच की लाइव कवरेज।

2016–17 में कवरेज के लिए प्रस्तावित अन्य कार्यक्रम

जहां कहीं अपेक्षित हो, प्रसारण अनुमति/अधिकारों के मिलने के अधीन आकाशवाणी ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपने राष्ट्रीय नेटवर्क पर विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की कवरेज की योजना बनाई है। कुछ प्रतियोगिताओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. बहु–विषयी प्रतियोगिताएं : गोवा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल–2017
2. क्रिकेट– बीसीसीआई प्रतियोगिताएं :
   - i. भारत–इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज
   - ii. भारत–बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज
   - iii. भारत–आस्ट्रेलिया क्रिकेट सरीज
3. स्टम्प्ड

   सीरीज–3 आकाशवाणी–बीबीसी–एबीसी संयुक्त प्रस्तुति – 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक (एफएम रेनबो नेटवर्क पर प्रत्येक शनिवार को)।
4. हॉकी

   एफआईएच जूनियर विश्व कप हॉकी, 8 से 18 दिसंबर, 2016 (भारत विषयक मैचों, सेमी फाइनलों और फाइनल मैच की लाइव कवरेज)
5. बैडमिंटन
   1. सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप–2017 (जनवरी, 2017)
   2. बीडब्ल्यूएफ इंडिया ओपन बैडमिंटन–2017 (मार्च, 2017)
6. टेनिस

   चेन्नई ओपन टेनिस चैम्पियनशिप जनवरी, 2017

समाचार सेवा प्रभाग

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपनी गृह, क्षेत्रीय, विदेश प्रसारण और डीटीएच सेवाओं में 91 भाषाओं/बोलियों में हर रोज 651 बुलेटिन प्रसारित करता है। इन बुलेटिनों की कुल अवधि 56 घंटे है। एफएम मोड पर विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से 346 न्यूज हेडलाइंस हर घंटे प्रसारित की जाती हैं। समाचार सेवा प्रभाग दिल्ली मुख्यालय से 179 समाचार बुलेटिन हर रोज प्रसारित करता है, जिनकी कुल अवधि 21 घंटे 42 मिनट है। समाचार सेवा प्रभाग समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। 2016–17 के दौरान समाचार सेवा प्रभाग ने देश के विभिन्न भागों और विदेश में संचालित सरकार की विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार किया। प्रभाग ने सरकार द्वारा समय–समय पर शुरू किए गए विभिन्न सामाजिक–आर्थिक और विकास कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार किया। केंद्र सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर, क्षेत्रीय समाचार इकाइयों सहित इस प्रभाग के विभिन्न स्कंधों द्वारा प्रमुख कार्यक्रमों को व्यापक कवरेज प्रदान की गई। लोक सेवा प्रसारणकर्ता के दायित्व के रूप में प्रभाग ने सरकार के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ और अटल पेंशन योजना को व्यापक कवरेज प्रदान की। प्रभाग ने सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी में महत्वपूर्ण इज़ाफा किया है और दूर–दराज के श्रोताओं तक पहुंचने में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे ट्विटर और फेसबुक तथा वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए प्रभाग ने लोगों को समाचार संप्रेषित करने के प्रयास किए।

माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 23 अगस्त, 2016 को बांग्ला श्रोताओं के लिए कोलकाता में आकाशवाणी मैत्री चैनल का शुभारंभ किया, जो बांग्ला में समाचार और समाचार आधारित कार्यक्रम प्रसारित करेगा। आकाशवाणी मैत्री न केवल भारत और बांग्लादेश में बल्कि विश्वभर में बांग्ला श्रोताओं तक पहुंचने का एक अभिनव प्रयास है। यह सेवा बांग्लादेश में आकाशवाणी के श्रोताओं की जरूरतें पूरी कर रही है। कोलकाता स्थित क्षेत्रीय समाचार इकाई इस सेवा के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर रही है।

विदेशी न्यूज पूल को सुचारू और सुदृढ़ बनाने के लिए, अनुश्रवण एकांश का जनरल न्यूज रूम में विलय कर दिया गया और एक पृथक विदेशी समाचार पूल डेस्क (एफएनडी) की स्थापना की गई। इसके अलावा पूल/भाषा बुलेटिनों के कम्पाइलिंग एडिटरों, विशेष कर बलूची न्यूज डेस्क के लिए 16 सितंबर, 2016 को एक कौशल विकास कार्यशाला आयोजित की गई। इसी प्रकार प्रभाग के न्यूज मैग्जीन कार्यक्रमों के संपादकों और प्रस्तुतकर्ताओं (एंकर्स) के लिए भी एक कार्यशाला आयोजित की गई, ताकि

इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। संपादकीय, अनुवाद और समाचार वाचन कौशल बढ़ाने के लिए हिंदी संपादकों और समाचार वाचक–एवं–अनुवादकों तथा अनुबंधात्मक और कैजुअल संपादकों के लिए एक विशेष कार्यशाला 20 अक्तूबर, 2016 को आयोजित की गई। इसका विषय था 'बेहतर संपादन, अनुवाद और वाचन'। इसमें वरिष्ठ संपादकों को आमंत्रित किया गया था ताकि प्रतिभागी उनके परामर्श का लाभ उठा सकें।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने एक पखवाड़े तक चले समारोह 'आकाशवाणी के 70 साल – जरा याद करो कुर्बानी' के बारे में विभिन्न खबरें अपने बुलेटिनों में शामिल कीं। 'स्वच्छ भारत अभियान' की दूसरी वर्षगांठ, एनडीए सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद और परिचर्चा कार्यक्रम प्रसारित किए गए। इन विषयों में नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उग्रवादी लांच पैड्स नष्ट करने के लिए की गई सर्जिकल कार्रवाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ग्रामोदय से भारत उदय, युवाओं में कौशल विकास, भारत पर्व, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान आदि शामिल थे। देशभर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों/वीरांगनाओं से संबद्ध 150 से अधिक स्थानों पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की यात्राओं को खास कवरेज प्रदान की गई। इसके अलावा ब्राजील में हुए रियो ओलिम्पिक्स और पैरालिम्पिक्स की कवरेज के लिए विशेष इंतजाम किए गए।

क्षेत्रीय समाचार इकाइयां

आकाशवाणी की 46 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां (आरएनयूज) लोगों की सूचना आवश्यकताएं पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। क्षेत्रीय समाचार इकाइयां 77 क्षेत्रीय भाषाओं/बोलियों में बुलेटिन और कार्यक्रम प्रसारित करती हैं ताकि खबरों को क्षेत्र विषयक और जनोन्मुखी बनाया जा सके। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक क्षेत्रीय समाचार इकाई है और बड़े राज्यों में चार तक क्षेत्रीय समाचार इकाइयां कार्यरत हैं, ताकि समूचे राज्य में गतिविधियों की प्रभावकारी कवरेज की जा सके। क्षेत्रीय समाचार इकाइयां 443 बुलेटिन हर रोज प्रसारित करती हैं, जिनकी कुल प्रसारण अवधि करीब 33 घंटे है जिसमें क्षेत्रीय, विदेश प्रसारण, डीटीएच सेवाएं और एफएम हेडलाइंस शामिल हैं। ये इकाइयां हर महीने 1706 समाचार आधारित कार्यक्रम भी प्रसारित करती हैं, जिनकी कुल अवधि करीब 142 घंटे होती है। राज्य विधानसभाओं के सत्र के समय इन इकाइयों से विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं।

एफएम हेडलाइंस शहरों और कस्बों में रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी के दौरान श्रोताओं की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करती हैं। क्षेत्रीय समाचार इकाइयों द्वारा वर्तमान में 16 भाषाओं में 250 हैडलाइन बुलेटिन तैयार किए जाते हैं।

क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में देशभर में करीब 88 पूर्णकालिक संवाददाता/संपादक (7 गैर–आरएनयू संवाददाताओं सहित) कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर 518 अंशकालिक संवाददाताओं (पीटीसीज) की सेवाएं ली जा रही हैं ताकि दूर–दराज के क्षेत्रों से खबरें प्राप्त की जा सकें। अंशकालिक संवाददाताओं को क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में नियमित संवाददाताओं और संपादकों द्वारा मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक सहायता दी जाती है। बेहतर मात्रात्मक और गुणात्मक योगदान के लिए पीटीसीज का व्यावसायिक कौशल बढ़ाने के वास्ते, एनएसडी समय समय पर उनके लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करता है।

अंशकालिक संवाददाताओं को नए मीडिया जैसे ट्विटर/फेसबुक के उभरने के प्रति जागरूक बनाने और इन माध्यमों के लिए सामग्री प्रदान करने का कौशल बढ़ाने के लिए 13 अक्तूबर, 2016 को भुवनेश्वर, ओडिशा में अंशकालिक संवाददाताओं की कार्यशाला आयोजित की गई। महानिदेशक (समाचार), श्री शीतांशु कार ने अंशकालिक संवाददाताओं को महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी दी। 9 सितंबर, 2016 को क्षेत्रीय समाचार इकाई, रायपुर ने अपना फेसबुक अकाउंट शुरू किया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान समाचार सेवा प्रभाग और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल स्थित क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने अपने–अपने राज्यों में विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए व्यापक योजना बनाई। क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के लिए विशेष बजट अनुदान (एसबीजी) (2016–17) में 20.24 करोड़ रुपये था।

स्वच्छता पखवाड़े की विशेष कवरेज

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने 'स्वच्छ भारत अभियान' की दूसरी वर्षगांठ के सिलसिले में विशेष कार्यक्रम तैयार किए। ये कार्यक्रम 2 अक्तूबर, 2014 को

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। समाचार सेवा प्रभाग ने सितंबर, 2016 के अंतिम सप्ताह से 2 अक्तूबर, 2016 तक हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रमुख बुलेटिनों में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को कवरेज देने के साथ–साथ इस अभियान के बारे में विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए। संघ/राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छ भारत अभियान की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों को भी व्यापक कवरेज प्रदान की गई। समाचार सेवा प्रभाग की 46 क्षेत्रीय इकाइयों ने 'स्वच्छ भारत अभियान' की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर 2 अक्तूबर, 2016 को अपने क्षेत्रीय बुलेटिनों में स्पाट न्यूज को व्यापक कवरेज प्रदान की। इसके अलावा स्वच्छता अभियान संबंधी खबरें एफएम न्यूज हैडलाइनों में भी कवर की गईं। क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने 2 अक्तूबर, 2016 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान अपने सम–सामयिक कार्यक्रम के स्लाट के अंतर्गत स्वच्छता के बारे में विशेष कार्यक्रम शामिल किए।

समाचार सेवा प्रभाग के सोशल मीडिया मंचों जैसे ट्विटर और फेसबुक और वेबसाइट पर भी देशभर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों को कवर किया गया। सोशल मीडिया मंचों पर की गई कवरेज का प्रभाव महसूस किया गया। इस विषय पर तैयार किए गए विशेष रेडियो कार्यक्रमों की क्रास मीडिया पब्लिसिटी के लिए ट्विटर/फेसबुक का भी इस्तेमाल किया गया।

फेसबुक पर 50 से अधिक खबरें पोस्ट की गईं। सापेक्षिक महत्व की घटनाओं से संबंधित खबरें ट्विीट और री–ट्विट की गईं। इसके अतिरिक्त ट्विट्स के अंतर्गत वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स और पिक्चर्स शामिल थीं, जो 12.8 लाख ट्विटर फोलोअर्स को भेजी गईं। अभियान के दौरान 100 से अधिक ट्विट्स पोस्ट किए गए।

समाचार सेवा प्रभाग ने 'स्वच्छ भारत मिशन' से प्रेरित साधारण जनों के योगदान को उजागर करने का एक अभियान भी शुरू किया। प्रयोग के आधार पर 26 अक्तूबर, 2016 से हिंदी और अंग्रेजी के प्रमुख समाचार बुलेटिनों में एक विशेष समाचार आइटम हर रोज शामिल किया गया।

वेबसाइट और सोशल मीडिया

आईटी यूनिट प्रभाग के आधिकारिक वेबसाइट newsonair.nic.in का रख–रखाव करती है और उसे अद्यतन बनाती है। समाचार आधारित कार्यक्रमों, फीचर और विशेष कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेल, व्यापार संबंधी खबरें वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। प्रभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय समाचार इकाइयों से प्रसारित होने वाले बुलेटिनों का आडियो और टैक्स्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का भाषण, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का भाषण, केंद्रीय बजट, रेल बजट आदि वेबसाइट पर अपलोड किए गए। प्रभाग की वेबसाइट पर विशेष विंडो के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम की लाइव वेबकास्टिंग की जाती है। वेबसाइट पर कवर किए गए जागरूकता कार्यक्रमों में आजादी 70 साल – याद करो कुर्बानी, स्वच्छ भारत अभियान, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और अन्य अभियान जैसे मतदाताओं के लिए आनलाइन सेवाएं, राष्ट्रीय एकता दिवस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, भूकंप के दौरान विधि–निषेध प्रसारण मीडिया के लिए समाचार नीति, आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा चुनावों की कवरेज संबंधी दिशा–निर्देश और ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण सामग्री वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

प्रभाग ने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति प्रभावशाली ढंग से दर्ज की है। प्रभाग के फेसबुक पेज पर लाइक्स की संख्या 31.1 लाख को पार कर चुकी है। आकाशवाणी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल/airnewsalerts के फालोअर्स 13.1 लाख से अधिक हो चुके हैं। विशेष घटनाओं और जागरूकता अभियानों जैसे रेल बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, सामान्य बजट और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाना और स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लाइव ट्विटिंग की गई।

सचल आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए एआईआर मोबाइल न्यूज ऐप अप्रैल, 2013 में शुरू किया गया। इसकी सहायता से श्रोता अपने मोबाइल फोन पर समाचार बुलेटिन और समाचार आधारित कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। यह ऐप इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है।

मन की बात कार्यक्रम

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 'मन की बात' कार्यक्रम के अंतर्गत रेडियो पर राष्ट्र को संबोधन की 25 कड़ियां प्रभाग द्वारा सफलतापूर्वक कवर की गईं। मन की बात कार्यक्रम के लिए वेबसाइट newonair.nic.in पर लाइव

वेबकास्टिंग की जाती है। प्रभाग के ट्विटर अकाउंट/airnewsalerts के जरिए अंग्रेजी और हिंदी में लाइव ट्विटिंग की जाती है। इस कार्यक्रम का आडियो प्रसारण के तत्काल बाद साउंड क्लाउड पर अपलोड किया जाता है।

रिपोर्टिंग यूनिट

रिपोर्टिंग यूनिट ने वर्ष के दौरान विविध समाचार गतिविधियों और घटनाओं को कवर किया जिनमें सरकार के दो वर्ष पूरे होना, ग्रामोदय से भारत उदय जैसे नए उपाय और आजादी 70 साल – जरा याद करो कुर्बानी, जैसे कार्यक्रम विशेष रूप से शामिल थे। आकाशवाणी से प्रसारित प्रधानमंत्री की मन की बात के सभी संस्करण को व्यापक कवरेज दी गई। राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की विस्तृत कवरेज के लिए विशेष संवाददाता विदेश भेजे गए। इनमें राष्ट्रपति की चीन, घाना, आइवरीकोस्ट और नामीबिया यात्रा, उपराष्ट्रपति की हंगरी, अल्जीरिया, नाइजीरिया, माली, मोरक्को, ट्यूनीशिया और गुट निर्पेक्ष सम्मेलन के लिए वेनेजुएला यात्रा, प्रधानमंत्री की सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, स्विटजरलैंड, क़तर, मैक्सिको, उज्बेकिस्तान, वियतनाम की यात्राएं शामिल थीं। प्रधानमंत्री की अफ्रीकी देशों मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, केन्या, हेंगझू, चीन में जी–20 शिखर सम्मेलन और लाओस में आसियान–भारत तथा पूर्वी एशिया सम्मेलन से संबंधित खबरों को आकाशवाणी के बुलेटिनों में व्यापक स्थान दिया गया। गोआ में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन और भारत–रूस वार्षिक सम्मेलन को भी व्यापक रूप में कवर किया गया।

इसके अलावा, रिपोर्टिंग यूनिट द्वारा कवर की गई अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में संसद के बजट और वर्षाकालीन अधिवेशन, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डा. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती शामिल थीं।

वार्ता एवं सम–सामयिक घटना एकांश

वार्ता एवं सम–सामयिक घटना एकांश को विभिन्न विषयों पर विश्लेषणात्मक समाचार आधारित कार्यक्रम प्रसारित करने का दायित्व सौंपा गया है। इसका लक्ष्य श्रोताओं को प्रमुख समाचार गतिविधियों को समझने में मदद करना, चीजों को सही संदर्भ में प्रस्तुत करना और किसी विषय की विस्तृत जानकारी देना है। तदनुरूप वार्ता एकांश ने अपने करंट अफेयर्स, स्पॉटलाइट/न्यूज एनालिसिस, सामयिकी, मनी टॉक, वाद–संवाद, कंट्रीवाइड, सुर्खियों से परे, पब्लिक स्पीक और चर्चा का विषय है, जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

प्रसारित किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में एनडीए सरकार के दो वर्ष पूरे होना, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या, महिला सुरक्षा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का योगदान, भारत को अखंड बनाने में सरदार वल्लभभाई पटेल का योगदान, स्टैंड–अप इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन, भारत–अमरीका रक्षा सहयोग और मेक इन इंडिया जैसे विषय शामिल थे। विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ग्रामोदय से भारत उदय, हर्ट आफ एशिया कांफ्रेंस–2016, युवा कौशल विकास जैसे विषयों पर परिचर्चाएं आयोजित की गईं और राज्य विधानसभा चुनाव परिणामों पर विशेष लाइव प्रोग्राम प्रसारित किए गए।

समाचार सेवा प्रभाग ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने का प्रभाव, सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट, नीति आयोग का 15 वर्ष के लिए विजन डाक्यूमेंट 'स्वच्छ सर्वेक्षण–2017', परमाणु सुरक्षा सम्मेलन और ग्लोबल टैरर डेटाबेस जैसे विषयों पर समाचार आधारित कार्यक्रम प्रसारित किए। जी–20 देशों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन, कृषि बाजारों का एकीकरण और किसानों के हित, जलवायु परिवर्तन संबंधी पेरिस समझौता, भारत–चीन संबंध और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर परिचर्चाएं प्रसारित की गईं।

प्रभाग ने कई केंद्रीय मंत्रियों सहित मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, अनेक सरकारी संस्थानों के प्रमुखों और कई गणमान्य व्यक्तियों के साक्षात्कार भी प्रसारित किए। मासिक कार्यक्रम 'मन की बात' के अंतर्गत प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर विचार–विमर्श कार्यक्रम प्रसारित किए गए। रेल बजट और आम बजट–2016 प्रस्तुत किए जाने के सिलसिले में विशेष लाइव द्विभाषी कार्यक्रम प्रसारित किए गए। संसद के सत्र प्रारंभ होने के अवसर पर अंग्रेजी में 'इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट' और हिंदी में 'संसद के समक्ष मुद्दे' कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

समाचार सेवा प्रभाग ने स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ, संसद

के शीतकालीन सत्र–2016 और बजट सत्र–2017 की पूर्व संध्या पर 'इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट' और 'संसद के समक्ष मुद्दे' कार्यक्रम प्रसारित किए। बजट–2017 की व्यापक कवरेज भी की।

संदर्भ एकांश (रेफ्रेंस यूनिट)

संदर्भ एकांश सरकार और राजनैतिक दलों की विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के बारे में दैनिक आधार पर पूर्व जानकारी एनएसडी, एआईआर की विभिन्न यूनिटों को प्रदान करता है। एकांश का प्रमुख उपनिदेशक स्तर का अधिकारी होता है। संदर्भ एकांश पुस्तकालय गतिविधियों की भी देखरेख करता है और जनरल न्यूज रूम/हिंदी समाचार कक्ष (जीएनआर/एचएनआर), वार्ता एवं सामयिक घटना एकांश और रिपोर्टिंग यूनिट को कंप्यूटरीकृत बैकअप सहित संदर्भ सामग्री प्रदान करता है। एकांश द्वारा संदर्भ सामग्री, विशिष्ट व्यक्तियों की जीवन संबंधी जानकारी, समाचार बुलेटिनों का विश्लेषण और श्रोताओं के पत्रों आदि के उत्तर देने जैसे कार्य भी किए जाते हैं। एकांश हर रोज़ आगामी घटनाओं की डायरी जारी करता है और इसके अंतर्गत एक पुस्तकालय है, जिसमें बीस हजार से अधिक पुस्तकें हैं। समूचे संग्रह में से करीब 856 पुस्तकें जन–संचार और प्रसारण से संबंधित हैं। पुस्तकालय करीब 26 समाचार पत्र और 67 पत्रिकाएं खरीदता है।

प्रशासनिक विंग

प्रशासन और लेखा विभाग के रोजमर्रा के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए संवेदनशील पदों पर विभिन्न कर्मचारियों को तैनात करने के मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा–निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाता है। फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) से संबद्ध 104 आवेदन और 13 प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं और सभी आरटीआई आवेदनों और प्रथम अपीलों के उत्तर निर्धारित समय–सीमा के भीतर दिए गए।

स्टाफ की स्थिति

समाचार सेवा प्रभाग में पदों की स्वीकृत संख्या 516 है। इनमें से 287 पद प्रभाग के विभिन्न संवर्गों में रिक्त हैं परंतु, प्रसार भारती सचिवालय द्वारा जारी नीति/दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रभाग की अधिसंख्य गतिविधियां अनुबंधित स्टॉफ/कैजुअल स्टाफ द्वारा प्रबंधित की जा रही हैं।

बजट और लेखा परीक्षा

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के लिए वर्ष 2016–17 हेतु गैर–योजना मद में अंतिम बजट अनुदान 21.645 करोड़ रुपये और आईईबीआर मद (पीपी एंड एसएस) के अंतर्गत 29.60 करोड़ रुपये का रहा। वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक प्रभाग के खातों की लेखा परीक्षा महानिदेशक (लेखा परीक्षा) केंद्रीय व्यय द्वारा की गई। लेखा परीक्षा संबंधी सभी आपत्तियों के जवाब दिए गए। लेखा परीक्षा संबंधी मात्र तीन आपत्तियों को छोड़ कर शेष सभी पैराग्राफों का निपटारा भारत सरकार के महानिदेशक (लेखा परीक्षा), केंद्रीय व्यय के साथ कर लिया गया है।

महिला कल्याण गतिविधियां

प्रभाग में महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए विभागीय शिकायत समिति विद्यमान है। महिला कर्मचारियों के लिए एक पृथक रेस्ट रूम की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों को वरीयता दी जाती है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली (केंद्र) ने समाचार सेवा प्रभाग को दो पुरस्कार प्रदान किए। इनमें राजभाषा में सराहनीय कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार और प्रभाग की पत्रिका 'आकाशवाणी समाचार भारती–2015' के लिए तृतीय पुरस्कार शामिल है।

वाणिज्यिक स्कंध

वाणिज्यिक स्कंध को आकाशवाणी के लिए राजस्व जुटाने का कार्य सौंपा गया है। पिछले कुछ वर्षों में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में तेजी से बदलते परिदृश्य के बावजूद आकाशवाणी का वाणिज्यिक स्कंध मुंबई स्थित अपने सेंट्रल सेल्स यूनिट, देश के विभिन्न भागों में स्थित 15 मुख्य कमर्शियल प्रसारण सेवा केंद्रों, मुंबई, दिल्ली, बंगलुरु और कोलकाता स्थित 10 कमर्शियल रेवेन्यू डिविजनों के माध्यम से, लोक सेवा प्रसारक के रूप में आकाशवाणी की बुनियादी पहचान बनाए रखते हुए, वर्ष–दर–वर्ष समग्र कमर्शियल राजस्व बढ़ाने में सफल रहा है।

आकाशवाणी के कार्यक्रमों और कमर्शियल प्रसारण में एक निर्धारित आचार संहिता का पालन किया जाता है। प्रसारण और वाणिज्यिक संहिताओं का सख्ती से अनुपालन करते हुए और सीबीएस केंद्रों, विविध भारती स्टेशनों तथा एफएम चैनलों सहित आकाशवाणी के लगभग सभी केंद्रों में बजट और स्टाफ संबंधी दबावों के बावजूद वाणिज्यिक स्कंध प्रमुख कार्पोरेट ग्राहकों/विज्ञापनदाताओं और सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से विज्ञापन हासिल करने में सफल रहा है।

राजस्व अर्जित करने के लिए एक नई पहल के हिस्से के रूप में वाणिज्यिक स्कंध ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से राजमार्ग परामर्श सेवा शुरू की है। यह सेवा दिल्ली–जयपुर राजमार्ग पर उपलब्ध है, जिसमें सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी देते हुए हर घंटे 5 मिनट का एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें यातायात की अद्यतन जानकारी और मौसम की स्थिति भी बताई जाती है। यात्री हाइवे पर अपने कार रिसीवर्स की मदद से इस सेवा को मॉनीटर कर सकते हैं। आकाशवाणी अन्य राजमार्गों पर भी इस सेवा का विस्तार करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ निरंतर संपर्क में है।

आकाशवाणी का अखिल भारतीय टॉल फ्री नंबर 15102 सभी वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए 'वन स्टॉप शॉप' के रूप में काम कर रहा है। इससे ग्राहकों की दहलीज पर पहुंच कर विज्ञापन देना आसान हो गया है। औसतन 10,000 कॉल हर महीने प्राप्त होती हैं। स्थानीय स्तर पर बाजार का दोहन करने के लिए स्थानीय रेडियो केंद्रों के लिए एक नई कार्यनीति अपनाई जा रही है। मनोबल बढ़ाने, विशेषकर स्थानीय रेडियो स्टेशनों के स्तर पर मनोबल बढ़ाने के लिए पहली बार उन केंद्रों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित लक्ष्य 20 जून, 2016 को ही हासिल कर लिए। सीबीएस प्रमुखों और सीएसयू, मुंबई प्रमुखों का एक सम्मेलन 21 जून, 2016 को आयोजित किया गया, ताकि विभिन्न क्षेत्रीय यूनिटों के राजस्व अर्जित करने के प्रयासों की समीक्षा की जा सके।

वाणिज्यिक स्कंध ने प्राथमिक चैनलों, स्थानीय रेडियो केंद्रों, एफएम और विविध भारती स्टेशनों पर स्पॉट–खरीद बुकिंग के लिए 1:1 बोनस स्कीम जारी रखी। ऐसी बाजार–उन्मुखी स्कीमों पर निगरानी रखते हुए वाणिज्यिक स्कंध सभी स्तरों पर ग्राहकों/विज्ञापनदाताओं से निरंतर संपर्क बनाए रखता है, ताकि उन्हें इस बात के लिए राज़ी किया जा सके कि वे अपने विज्ञापन व्यय का बड़ा हिस्सा आकाशवाणी पर खर्च करें, जो एक ऐसा माध्यम है, जिसकी पहुंच समूचे देश में है। सीआरडीज और सीबीएस केंद्र अपने ग्राहकों के लिए लागत–किफ़ायती मीडिया योजनाएं प्रदान करते हैं और उनके उत्पादों/सेवाओं के लिए उनके पास उपलब्ध बजट के भीतर अधिकतर अवसर प्रदान करती हैं।

आकाशवाणी का वाणिज्यिक स्कंध सम–सामयिक प्रतिस्पर्धात्मक मीडिया वातावरण में रेडियो प्रसारणों को अधिक कारगर बनाने के लिए प्रोग्राम विंग में नीति निर्माताओं को सहायता/कार्यनीतिक फीडबैक प्रदान करने में आकाशवाणी के अन्य कार्यकारी अनुभागों/स्कंधों के साथ समान रूप से भागीदारी निभा रहा है। वास्तव में समूचे संगठन के लिए राजस्व अर्जित करने का काम वाणिज्यिक स्कंध का है और निःसंदेह इस स्कंध ने पिछले कुछ वर्षों में संगठन का समग्र राजस्व बढ़ाने में अच्छे परिणाम हासिल किए हैं।

पिछले 5 वर्षों में वाणिज्यिक सहित सभी स्रोतों से आकाशवाणी की समग्र राजस्व आय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

2011–12	359.65 करोड़ रुपये
2012–13	376.68 करोड़ रुपये
2013–14	510.95 करोड़ रुपये
2014–15	479.46 करोड़ रुपये
2015–16	524.13 करोड़ रुपये
2016–17 (सितंबर 2016 तक)	224.99 करोड़ रुपये।

राजस्व अर्जित करने की वर्तमान प्रवृत्ति के देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि वाणिज्यिक स्कंध वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।

मार्केटिंग डिवीजन

पिछली सदी में 90 के दशक के उत्तरार्ध में, मार्केटिंग डिवीजन के अस्तित्व में आने के बाद से प्रसार भारती के समग्र राजस्व अर्जन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। प्रथम मार्केटिंग डिवीजन की स्थापना मुंबई में की गई थी और वर्तमान में नई दिल्ली, बंगलुरु, कोलकाता और मुंबई में मार्केटिंग डिवीजन काम कर रहे हैं। ये सभी डिवीजन आकाशवाणी के लिए वाणिज्यिक राजस्व अर्जित करने के लिए काम करते हैं और इन्हें कमर्शियल एंड रेवेन्यू

डिवीजन्स यानी वाणिज्यिक एवं राजस्व प्रभागों का नया नाम दिया गया है।

प्रसार भारती के वाणिज्यिक और राजस्व डिवीजन समूचे मीडिया बाजार और प्रोग्रामिंग लिंक के बीच फ्लैश बिंदुओं के रूप में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेडियो और दूरदर्शन पर प्रगतिशील ढंग से सर्वोत्कृष्ट बाजार पद्धतियों का अनुपालन किया जा रहा है। इन डिवीजनों की योजनाबद्ध, कार्यनीतिक और सजग बाजार पद्धतियों से प्रसार भारती के समग्र राजस्व सृजन में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्रों के लिए एकल विंडो सुविधा, सीआरडीज विज्ञापन संबंधी सभी जरूरतें पूरी करती है।

हमारे मुख्य ग्राहकों में कृषि मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामले का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयकर निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, जन्म एवं मृत्यु महापंजीयक कार्यालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पीसीआरए, बीएसएनएल जैसे सरकारी विभाग और स्पाइसजैट, फिनोलिक्स पाइप्स, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, सुजुकी टूव्हीलर्स, ग्लैक्सो स्मिथकलाइन हेल्थकेयर, मारुति सुजुकी आदि प्राइवेट कंपनियां शामिल हैं।

'मन की बात' कार्यक्रम के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री के आकाशवाणी से जुड़ने के कारण न केवल आकाशवाणी की छवि में सुधार आया है, बल्कि विभाग को अधिक राजस्व भी प्राप्त हुआ है। इस वर्ष की उपलब्धियों में लोकप्रिय फिल्म 'एम एस धोनी–द अनटोल्ड स्टोरी' के साथ रेडियो भागीदारी और पतंजलि, नाल्सा, गोपालजी आनंद, टीवीएस मोटरसाइकिल्स, भारत का निर्वाचन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आदि के पहली बार नए ग्राहकों के रूप में जुड़ने से आकाशवाणी के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। आकाशवाणी ने लोकप्रिय फिल्म 'एम एस धोनी–द अनटोल्ड स्टोरी' के साथ रेडियो भागीदारी करते हुए सफल विपणन के जरिए 1.1 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। आकाशवाणी वर्ष 2015–16 में कुल मिला कर 454 करोड़ रुपये वाणिज्यिक राजस्व अर्जित करने में सफल रहा है, जिसमें अकेले सीआरडी दिल्ली का योगदान 250 करोड़ रुपये का है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सीआरडी दिल्ली ने आकाशवाणी के लिए सितंबर, 2016 तक 127 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं।

हर वर्ष नवंबर से मार्च की अवधि, ऐसा समय होता है, जब विभिन्न मंत्रालयों और संबद्ध विभागों से राजस्व अर्जित करने संबंधी गतिविधियों में तेज़ी आती है। वर्तमान में हम महिला और बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयकर विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से अनुमोदनों का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरह की परियोजनाएं अमल के लिए विचारणीय हैं, उन्हें देखते हुए हमें लगता है कि निवल शुद्ध राजस्व में हम अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे।

लिप्यंतरण और कार्यक्रम आदान–प्रदान सेवा

आकाशवाणी की लिप्यंतरण सेवा 3 अप्रैल, 1954 को प्रारंभ हुई थी और इसे सभी गणमान्य व्यक्तियों के भाषणों की लिपि तैयार करने का काम सौंपा गया था। इसमें भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषणों का आलेख तैयार करना महत्वपूर्ण था। यह यूनिट विनियल डिस्क लेबल्ड 'एआईआर–टीएस रिकार्ड' की प्रोसेसिंग के दायित्व का भी निर्वाह करती है ताकि भावी प्रसारण के लिए रिकार्डिंगों को संरक्षित किया जा सके। 1 अप्रैल, 1959 से इस सेवा को 'ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोग्राम एक्चेंज सर्विस' यानी 'लिप्यंतरण एवं कार्यक्रम आदान–प्रदान सेवा' का नाम दिया गया और एक 'निदेशक' के स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत इस सेवा को रखा गया। प्रोसेस किए गए रिकार्ड लागत की दृष्टि से उपयुक्त सिद्ध न हो पाने के कारण प्रोसेसिंग कार्य जून 1967 में बंद कर दिया गया और एनालॉग मैगनेटिक टेप्स आदि नए संरक्षण माध्यम इस्तेमाल किए गए। उस समय देश में अनौपचारिक अभिलेख रखे जा रहे थे। इस यूनिट ने बाद में एक संगठित गतिविधि के रूप में इस कार्य को शुरू किया।

आकाशवाणी अभिलेखागार की प्रस्तुतियां

आकाशवाणी को पिछले अनेक वर्षों में सभी प्रमुख संगीतकारों की रिकार्डिंग, प्रसारण और प्रस्तुतियों को संरक्षित करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज इसके पास भारतीय शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों, की रिकार्डिंग का समृद्ध भंडार है। अप्रैल 2003 से आकाशवाणी अभिलेखागार ने 'आकाशवाणी संगीत' के बैनर तले अपने बहुमूल्य संगीत–संग्रह से चुनी हुई चीजें जारी करना शुरू किया। अभी तक केंद्रीय अभिलेखागार से 105 संगीत एल्बम जारी की जा चुकी हैं। इसके लिए आकाशवाणी के 100 केंद्रों और दूरदर्शन के कई केंद्रों

में बिक्री काउंटर खोले गए। इसके अतिरिक्त दिल्ली हाट, नई दिल्ली में भी एक खुदरा म्यूजिक स्टॉल पर आकाशवाणी द्वारा जारी किए गए एल्बम उपलब्ध हैं।

जारी किए जाने के लिए तैयार एसीडीज :

स्क्रीनिंग, चयन, ऑडियो क्वालिटी सुधार और अंतिम रूप दिए जाने की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निम्नांकित आडियो सीडीज जारी किए जाने के लिए तैयार हैं :

क) गुरबाणी

ख) चर्च कोरस और

ग) हम्द–नात–सलाम–मंक़बत

नई विपणन नीतियां

'आकाशवाणी संगीत' के बैनर के अंतर्गत आकाशवाणी द्वारा प्रामाणिक और मौलिक अभिलेखीय संगीत जारी किए जा रहे हैं लेकिन, ऑनलाइन और अन्य प्रचार माध्यमों के अभाव के कारण बाज़ार में उनकी उपलब्धता दृष्टिगत नहीं होती है। इस ख़ामी को दूर करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इसलिए फरवरी, 2016 में एक ऑनलाइन पोर्टल www.prasarbharatiarchives.co.in शुरू किया गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के अभिलेखागारों से दुर्लभ संग्रह अब इस पोर्टल पर जनसाधारण द्वारा खरीदे जाने के लिए उपलब्ध हैं।

ध्वनि अभिलेखागार

आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार को देश का राष्ट्रीय ध्वनि अभिलेखागार कहा जा सकता है। चूंकि यह भारतीय संगीत की रिकार्डिंग की सबसे बड़ी ऑडियो लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में वरिष्ठ व्यक्तियों, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं की आवाज़ की रिकार्डिंग संरक्षित की गई है। इसके अलावा पुरस्कार प्राप्त रेडियो नाटक, फीचर, डाक्युमेंट्रीज और स्मारक व्याख्यान इस लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। भारत के सभी राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के भाषणों की रिकार्डिंग भी इस लाइब्रेरी में उपलब्ध है।

डिजिटल ध्वनि आर्काइव

ट्रांसक्रिप्शन और प्रोग्राम एक्सचेंज सर्विस (टी एंड पीईएस) ने समस्त एनालॉग सामग्री को डिजिटल रूप देने की एक बड़ी परियोजना शुरू की है। सभी अभिलेखीय रिकार्डिंगों को डिजिटीकृत करने की एक विशेष परियोजना 2001 में शुरू की गई थी और यह अभी भी जारी है। इसे देखते हुए आकाशवाणी की ध्वनि लाइब्रेरी अंतरराष्ट्रीय रूप में स्वीकृत मानदंड का अनुपालन करते हुए प्रसारण नेटवर्क में सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरियों में से एक है। अभी तक करीब 26,418 घंटे की प्रोग्राम रिकार्डिंग को डिजिटल माध्यम में अंतरित किया जा चुका है।

रेडियो आटोबायोग्राफी

रेडियो आटोबायोग्राफी श्रेणी में, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध जाने–माने व्यक्तियों की 228 रिकार्डिंग्स संरक्षित की गई हैं। आकाशवाणी का केंद्रीय अभिलेखागार जाने–माने संगीतकारों, प्रतिष्ठित जन–नेताओं, साहित्यकारों आदि जैसे श्री जे.आर.डी. टाटा, उस्ताद अली अकबर खान, श्री हरिवंश राय बच्चन और डॉ. वर्गीज कुरियन आदि की रेडियो–आत्मकथाएं की बहुमूल्य रिकार्डिंग्स का समृद्ध खजाना है। हाल ही में निम्नांकित जाने–माने व्यक्तियों की आत्मकथाएं रिकार्ड की गई :

क) पद्मश्री विदुषी प्रोफेसर रीता गांगुली (जानी–मानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय कंठ संगीतकार),

ख) पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी (राष्ट्रीय स्तर के एक वरिष्ठ कार्टूनिस्ट) और

ग) डॉ. कपिल तिवारी, एक वरिष्ठ लेखक, दार्शनिक, भाषा विशेषज्ञ और अनुसंधान स्कॉलर।

अपने संग्रह को और समृद्ध बनाने के लिए केंद्रीय अभिलेखागार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध अन्य शख़्सियतों की रिकार्डिंग की योजना बना रहा है।

कार्यक्रम आदान–प्रदान पुस्तकालय

इस युनिट का मुख्य प्रयोजन आकाशवाणी केंद्रों के बीच उनकी जरूरतों के अनुसार अच्छी क्वालिटी के श्रव्य कार्यक्रमों का आदान प्रदान करना है। कार्यक्रम आदान–प्रदान पुस्तकालय में संगीत और स्पोकन वर्ड कार्यक्रमों, रेडियो धारावाहिक और भाषाओं के पाठों तथा समुदाय में गाए जाने वाले गीतों की रिकार्डिंग के 8,000 टेप उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल आदान–प्रदान के प्रयोजन के लिए किया जाता है।

लिप्यंतरण और कार्यक्रम आदान–प्रदान सेवा को आरएन चैनल पर 11.10 बजे से 12.15 बजे तक एक निश्चित चंक दिया गया है, ताकि सभी आकाशवाणी केंद्रों के लिए कार्यक्रम ट्रांसमिट किए जा सकें। इनके अंतर्गत ध्वनि अभिलेखागार, कार्यक्रम आदान–प्रदान पुस्तकालय और केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कार्यक्रम शामिल हैं।

कार्यक्रम आदान–प्रदान पुस्तकालय ऐसे रेडियो धारावाहिक चुने हुए आकाशवाणी केंद्रों को संप्रेषित करता है, जिनका निर्माण आकाशवाणी महानिदेशालय की पीपी एंड डी यूनिट की साफ्टवेयर विकास परियोजनाओं के अंतर्गत किया गया हो। इसके अलावा आकाशवाणी महानिदेशालय की केंद्रीय नाटक यूनिट द्वारा निर्मित मासिक श्रृंखला नाटक भी नियमित आरएन चैनल चंक के जरिए फीड किए जाने के बाद चुने हुए रेडियो केंद्रों को भेजे जाते हैं।

लिप्यंतरण यूनिट

इस यूनिट का एक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषणों की रिकार्डिंग को लिप्यंतरित करना और उन्हें काल–क्रमानुसार अंकों के रूप में संरक्षित करना है।

आकाशवाणी केंद्रों का यह दायित्व है कि वे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिए गए सभी भाषणों को रिकार्ड करें। उपरोक्त सभी लिप्यंतरणों के जिल्दबंद वाल्यूम तैयार किए जाते हैं और उन्हें अभिलेखागार में रखा जाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सभी भाषण विस्तृत डेटा एंट्री के साथ सीडी प्रारूप में संरक्षित हैं। 'मन की बात' कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषणों की लिप्यंतरित प्रति और आडियो सीडी भी केंद्रीय अभिलेखागार द्वारा संरक्षित की जाती है।

1 अप्रैल, 2016 से 30 अक्तूबर, 2016 के दौरान की गतिविधियों का ब्यौरा

1) आकाशवाणी संगीत की सीडी और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की अभिलेखीय सामग्री को बढ़ावा देने और उनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नांकित अवसरों पर स्टाल लगाए गए :

   क) ग्रेटर नोएडा में 21 से 23 अप्रैल, 2016 के दौरान सीआईआईजीईएस–2016

   ख) 4 सितंबर, 2016 में प्रगति मैदान में दिल्ली पुस्तक मेला

   ग) 25–26 अक्तूबर, 2016 के दौरान नई दिल्ली के ली–मैरीडियन होटल में सीआईआईआई बिग पिक्चर सम्मेलन।

2) निम्नांकित आडियो सीडीज रिलीज की गई :

क) श्रीमद् भागवत : 8 आडियो सीडी का एक सेट जारी किया गया और www.prasarbharatiarchives.co.in (श्रीमद् भागवत इन ओड़िया लैंग्वेज) पर आनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया।

ख) जगन्नाथ भजनावली आडियो सीडीज (वॉल्यूम 4 और वॉल्यूम 5) : (अतीत में ओडिया गायकों की आवाज में भक्ति गीत भगवान जगन्नाथ के श्रद्धालुओं पर एक बेजोड़ जादुई प्रभाव छोड़ते थे, जो लगभग इतिहास के गर्त में जा चुके थे। आकाशवाणी अभिलेखागार में कठिन प्रयास कर उन्हें रिट्रीव किया और हजारों श्रोताओं के दिलो–दिमाग़ में पुनर्जीवित किया)।

ग) इंद्रु ओरू तगावल, तेंगकात्वी को स्वामीनाथन (वोल्यूम–1) : (तेंगकात्वी को स्वामीनाथन एक व्यावहारिक व्यक्ति और एक प्रभावशाली संचालक थे, जो आकाशवाणी, चेन्नई के दैनिक कार्यक्रम 'इंद्रु ओरू तगावल' का संचालन करते थे)।

घ) इंद्रु ओरू तगावल, तेंगकात्वी को स्वामीनाथन (वोल्यूम–2) : (तेंगकात्वी को स्वामीनाथन एक व्यावहारिक व्यक्ति और एक प्रभावशाली संचालक थे, जो आकाशवाणी, चेन्नई के दैनिक कार्यक्रम 'इंद्रु ओरू तगावल' का संचालन करते थे)।

ङ) एमएस विश्वनाथन (जाने–माने संगीत निर्देशक की रेडियो आटोबायोग्राफी) : वर्तमान सीडी स्वर्गीय एमएस विश्वनाथन (एमएसवी) की एक आत्मकथा है, जो चेन्नई में आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिशासी श्री आर. सुदर्शन को दिए गए उनके एक लंबे साक्षात्कार पर आधारित है। एमएसवी ने अपने जीवन और कार्यों के बारे में बताया है और अपने दीर्घ व्यावसायिक जीवन के यादगार क्षणों को उद्घाटित किया है।

च) तंजौर एस. कल्याणरमण (कर्नाटक कंठ संगीत): तंजौर एस. कल्याणरमण संगीत जगत में एसकेआर के रूप में लोकप्रिय थे, जो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रथम पंक्ति के संगीतकार थे।

छ) इमानी संकर सास्त्री (वीणावादक) : उच्चकोटि के संगीतकार और विशिष्ट वीणावादक इमानी अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने देश के सभी भागों और विदेश में भी संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। पूर्व–पश्चिम संगीतोत्सव, तानसेन उत्सव, आकाशवाणी का राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम, विष्णु दिगंबर उत्सव, सूर सिंगर सम्सद का हरिदास संगीत सम्मेलन और अन्य प्रतिष्ठित संगीत सम्मेलनों में उन्हें संगीत के

क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी।

3) संस्कार गीत और अन्य परंपरागत गीत

आकाशवाणी लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना के अंतर्गत महानिदेशक : आकाशवाणी द्वारा भेजे गए 2512 संस्कार गीत उनके अर्थ, आलेख, हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद तथा फोटोग्राफ केंद्रीय अभिलेखागार में संरक्षित किए जा चुके हैं।

4) वेब आधारित पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली

वेब आधारित पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों का साझा पुस्तकालय है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से और आकाशवाणी और दूरदर्शन की भारी मात्रा में एवं उपयोगी श्रव्य और दृश्य विषयवस्तु, फोटोग्राफ्स और दस्तावेज से संबंधित बहुमूल्य जानकारी अभिलेखागार में रखने के लिए प्रयोग की जा रही है।

5) पुराने प्रकाशनों का डिजिटीकरण

आकाशवाणी की पुरानी पत्रिकाओं, जर्नलों और पुस्तकों जैसे इंडियन लिस्नर्स, आकाशवाणी आदि के डिजिटीकरण का कार्य प्रगति पर है।

विदेश सेवा प्रभाग

क. संक्षिप्त परिचय

अंतरराष्ट्रीय/विदेश प्रसारण सेवा विदेश नीति और सरकारी कूटनीति में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, उसे स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। भारत, अंतरराष्ट्रीय प्रसारण को विशेष महत्व दे रहा है क्योंकि इसके माध्यम से उसे विदेश में अपनी छवि और दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का एक माध्यम मिलता है।

इंग्लैंड के साथ औपनिवेशिक संपर्क के कारण, भारत और इंग्लैंड में प्रसारण लगभग एक साथ प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार बीबीसी द्वारा प्रथम विदेशी प्रसारण 1938 में अरबी भाषा में शुरू किए जाने के बाद आकाशवाणी ने भी 1 अक्तूबर, 1939 को विशुद्ध रूप से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के प्रचार के माध्यम के रूप में विदेश प्रसारण पश्तो भाषा में शुरू किया। इसका लक्ष्य क्षेत्र में जर्मनी रेडियो ब्लिट्जक्रेग के प्रचार का सामना करना और विश्व के इस भाग में बीबीसी के प्रयासों को बल प्रदान करना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ईएसडी को एक उभरते हुए राष्ट्र, एक प्राचीन सभ्यता की आवाज और कूटनीति के एक साधन के रूप में नया रूप धारण करना पड़ा। विभिन्न प्रकार के संकटों के समय एक कारगर प्रचार मशीनरी के रूप में भी उसे अपनी भूमिका निभानी थी।

उसके बाद से आकाशवाणी का विदेश प्रसारण प्रभाग भारत और शेष विश्व के बीच, विशेष रूप से उन देशों के साथ, जिनमें भारतीय लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, एक महत्वपूर्ण सम्पर्क बिंदु रहा है। जो भारतीय बेहतर जीवन की तलाश में दशकों पहले स्वदेश छोड़ कर चले गए, वे आज विश्व के कोने–कोने में रह रहे हैं और अभी भी यह जानने के इच्छुक रहते हैं कि 'उनके जन्म के राष्ट्र' में उनके लिए क्या है। स्वाभाविक है कि विदेश प्रसारण सेवा विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मामलों के बारे में भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है।

आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग का रैंक पहुंच और रेंज दोनों ही दृष्टियों से विश्व के विदेश रेडियो नेटवर्कों के बीच बहुत ऊंचा है, जो करीब सौ देशों में 27 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करता है। विदेश प्रसारण का लक्ष्य विदेश स्थित श्रोताओं को भारत के लोकाचार से जोड़ना है। आकाशवाणी जिन भाषाओं में अपने विदेशी श्रोताओं तक पहुंचता है, उनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्वाहिली, अरबी, फारसी, तिब्बती, चीनी, थाई, बर्मी और इंडोनेशियाई भाषा शामिल है। हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और गुजराती में भी प्रसारण सेवाएं विदेश स्थित भारतीयों को ध्यान में रख कर की जाती हैं। भारतीय प्रायद्वीप और भारत के निकटवर्ती पड़ोसी देशों में रह रहे श्रोताओं के लिए उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सरायकी, सिंहला, बांग्ला और नेपाली में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। विदेश प्रसारण प्रभाग एक मिश्रित पैटर्न का अनुसरण करता है, जिसमें आमतौर पर समाचार बुलेटिन, समीक्षाएं, सम–सामयिक कार्यक्रम और भारतीय प्रेस समीक्षा शामिल की जाती है।

न्यूजरील के अलावा खेलों और साहित्य के बारे में पत्रिका कार्यक्रम, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विषयों पर वार्ताएं और परिचर्चाएं, विकासात्मक गतिविधियों, महत्वपूर्ण घटनाओं और संस्थानों, भारत के विविध क्षेत्रों के शास्त्रीय, लोक और आधुनिक संगीत के बारे में फीचर, समग्र कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं।

विदेश प्रसारण सेवा में सभी कार्यक्रमों का मुख्य ध्येय एक

सुदृढ़ धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत की वास्तविक छवि प्रस्तुत करना है। श्रोताओं को यह एहसास कराना है कि भारत एक सशक्त, प्रगतिशील राष्ट्र है, जो आर्थिक, औद्योगिक और प्रौद्योगिकी संबंधी तीव्र प्रगति में संलग्न है। भारत की विस्तृत तकनीकी कार्मिक क्षमता और उसकी उपलब्धियों तथा पारिस्थितिकी संतुलन संबंधी तथ्यों को सरल और सामान्य कार्यक्रमों के जरिए प्रस्तुत किया जाता है।

इसी प्रकार अहिंसा में भारत के विश्वास, सार्वभौमिक मानवाधिकारों एवं अंतरराष्ट्रीय शांति के प्रति उसकी वचनबद्धता और नई वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण में उसका योगदान प्रभाग के कार्यक्रमों के जरिए बार–बार व्यक्त किया जाता है। विदेश सेवा प्रभाग ने करीब 25 विदेशी प्रसारण संगठनों को मौजूदा सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत संगीत, स्पोकन वर्ड और कंपोजिट कार्यक्रमों की रिकार्डिंग की आपूर्ति जारी रखी। इसके अतिरिक्त विदेश सेवा प्रभाग ने अपने सभी प्रसारणों में सम–सामयिक और प्रासंगिक मुद्दों पर टिप्पणियां और प्रेस समीक्षाओं के रूप में विश्वभर में कार्यक्रम प्रसारित किए।

ख. नई पहल और आधुनिकीकरण के प्रयास

(1) ईएसडी सेवाओं विशेषकर भारतीय उप–महाद्वीप, हमारे तत्काल पड़ोसी देशों, अफगानिस्तान–पाकिस्तान क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र, जो विदेश संबंधों और सामरिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, को लक्षित सेवाओं का जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, ईएसडी ने हाल ही में इन क्षेत्रों के लिए लक्षित अपनी विभिन्न सेवाओं के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया है। इसके अंतर्गत वर्ष के दौरान नेपाली, तिब्बती, चीनी, दरी, बलूची, उर्दू, सिंधी, बांग्ला, पश्तो और फारसी से संबंधित प्रसारण सेवाओं की विषयवस्तु को नया रूप देने पर विशेष बल दिया गया।

इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हाल की ईरान यात्रा के दौरान, विदेश सेवा प्रभाग ने अपनी फारसी सेवा के लिए एक प्रतिबद्ध मल्टीमीडिया वेबसाइट और मोबाइल ऐप शुरू किया, जिसका माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी ईरान यात्रा के दौरान विशेष रूप से उल्लेख किया।

भारत की विदेश नीति और विदेशी संबंधों में बांग्लादेश के विशेष महत्व को देखते हुए 23 अगस्त, 2016 को भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने बांग्लादेश और बांग्ला बोलने वाले भारतवंशियों के लिए एक समर्पित सेवा का शुभारंभ किया। इस बेजोड़ चैनल को शुरू करने का निर्णय भारत के प्रधानमंत्री की ढाका यात्रा के अवसर पर किया गया था, जिसमें दो राष्ट्रों के प्रसारण संगठनों के बीच विषयवस्तु साझा करने की संभावनाएं तलाशने पर बल दिया गया था। इसका उद्देश्य दो पड़ोसी देशों के बीच मौजूदा घनिष्ठ सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक और भावात्मक रिश्तों को और मजबूती प्रदान करना था। यह चैनल पश्चिम बंगाल में चिनसुरा में संस्थापित 1000 किलोवाट के अत्याधुनिक शक्तिशाली डीआरएम ट्रांसमीटर के जरिए कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। इसकी क्षमता समूचे बांग्लादेश को कवरेज प्रदान करने की है। इस चैनल से हर रोज 16 घंटे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, और यह मल्टीमीडिया वेबसाइट airworldservice.org. पद और मोबाइल ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी उपलब्ध है।

इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले के प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में पाकिस्तान में बलूची नागरिकों की दयनीय हालत की चर्चा किए जाने को देखते हुए बलूची सेवा के बारे में एक मल्टीमीडिया वेब पेज और मोबाइल ऐप शुरू किया गया। ईएसडी की बलूची सेवा मई, 1974 से प्रसारित की जा रही है। यह सेवा अफगानिस्तान–पाकिस्तान क्षेत्र में रहने वाले बलूची लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। यह आबादी हमारी सेवा में सुधार की लंबे समय से इच्छुक रही है। बलूची आबादी हमारी सेवा की पहुंच को अपने क्षेत्र से बाहर रहने वाले बलूची मूल के लोगों तक विस्तारित करने की भी इच्छुक रही है। 16 सितंबर, 2016 को इस मल्टीमीडिया वेबसाइट और मोबाइल ऐप की शुरुआत से बलूची सेवा की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी।

(2) ईएसडी की वार्ता एकांश को सुदृढ़ बनाने के उपाय किए जा रहे हैं ताकि अधिक संख्या में क्षेत्र विषयक समाचार एवं समसामयिक कार्यक्रम तैयार किए जा सकें।

(3) अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रसारणकर्ताओं के समान लाइव इंटरनेट रेडियो और रेडियो आन डिमांड घटकों के साथ ईएसडी के लिए एक मल्टीमीडिया वेबसाइट

शुरु की गई है, जिसके जरिए ईएसडी विश्वभर में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा। विशेषकर उन क्षेत्रों में उसकी सेवाएं पहुंच सकेंगी, जिनमें अभी तक नहीं पहुंच पा रही थीं।

(4) ईएसडी की सभी 27 सेवाओं के लिए लाइव इंटरनेट रेडियो प्रारंभ करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे विश्वभर में इसकी सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। इस संदर्भ में ईएसडी की 12 सेवाओं अर्थात् अरबी, बलूची, बांग्ला, दरी, अंग्रेजी, हिंदी, नेपाली, फारसी, रूसी उर्दू, पश्तो और तमिल की लाइव स्ट्रीमिंग इस वर्ष शुरू की गई जबकि शेष सेवाओं के लिए यह कार्य निकट भविष्य में किया जाएगा। 8 भाषाओं के लिए मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया है। ये हैं अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, नेपाली, तमिल, फारसी और बलूची जबकि अन्य सेवाओं के मोबाइल ऐप शुरू करने की प्रक्रिया जारी है।

(5) अभिलेखीय महत्व की सभी रिकार्डिंगों के डिजिटीकरण का व्यापक काम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में 25,000 टेपों का डिजिटीकरण समयबद्ध तरीके से किया गया है और शेष डिजिटीकरण कार्य प्रगति पर है।

(6) ईएसडी ने सभी विदेशी भाषा एकांशों के कंप्यूटरीकरण की दिशा में कदम उठाए हैं, ताकि धीरे–धीरे कागज रहित प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।

(7) ईएसडी ने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे फेसबुक, ट्विटर, वाट्सअप आदि का इस्तेमाल शुरू किया है ताकि अपने कार्यक्रमों को अधिक प्रचारित और वार्तालाप विषयक बनाया जा सके। वाट्सअप आधारित अनुरोध कार्यक्रम उर्दू सेवा में शुरू किया गया है, जिसमें विश्वभर के श्रोताओं ने रुचि प्रदर्शित की है। मोबाइल ऐप शुरू किए जाने से ईएसडी की सेवाएं अब समूचे विश्व में आसानी से एक्सेस की जा रही हैं।

ग. विदेश मंत्रालय के साथ सहयोग और समन्वय

रेडियो के माध्यम से विदेश में भारत के प्रति समझ बढ़ाने, विशेषकर उसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए हाल ही में विदेश मंत्रालय (एक्सपी डिवीजन के साथ, यह समझते हुए कि विदेश मंत्रालय की एक्सपी डिवीजन और आकाशवाणी के ईएसडी के उद्देश्य साझा हैं) के साथ सहयोग और समन्वय बढ़ाने के उपाय किए गए।

घ. 01 अप्रैल, 2016 से 31 अक्तूबर, 2016 तक ईएसडी द्वारा प्रसारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार रहे :

1. फोकस : लग्जम्बर्ग के उप प्रधानमंत्री और इकोनोमी मंत्री श्री एटिन्ने श्नाइडर के साथ इंटरव्यू।
2. ऑफ पर्सन्स, प्लेसेज एंड थिंग्स : अमरीकन अधिवक्ता, पटकथा लेखक, लेक्चरर और ग्लोबल सिक्योरिटी इंस्टिट्यूट के अध्यक्ष श्री जोनाथन ग्रेनोफ के साथ इंटरव्यू।
3. इंडियन हैरिटेज : 'राइट अगेंस्ट माइट' (महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के बारे में)।
4. विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विशेष वार्ता : 'बीट डायबीटीज' (विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय) के बारे में नई दिल्ली स्थित सीताराम भारतीय इंस्टिट्यूट आफ साइंस एंड रिसर्च में मधुमेह की वरिष्ठ कंसल्टेंट, डॉ. ए.एस. लता के साथ बातचीत।
5. डेट लाइन दिल्ली : परिचर्चा – न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट–एन इंडियन प्रस्पेक्टिव। प्रतिभागी : 1. कोमोडोर (सेवानिवृत्त) उदय भास्कर, 2. स्कूल आफ फिजिकल साइंसेज, जेएनयू में प्रोफेसर एमेरिटस राजारमण, 3. श्री पल्लव बाग्ला, वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार।
6. 'विश्व पृथ्वी दिवस' के अवसर पर डा. मीनाक्षी दुआ, सहायक प्रोफेसर, स्कूल आफ एन्वायरनमेंटल साइंसेज, जेएनयू, के साथ विशेष वार्ता।
7. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के अंग्रेजी संस्करण का प्रसारण।
8. वेल्कम टू स्टूडियो–1 : नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी के साथ भेंटवार्ता। भेंटकर्ता सुश्री अर्चना दत्ता, पूर्व महानिदेशक।
9. श्रमिक आंदोलन 'मई दिवस' पर विशेष वार्ता।
10. 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में कर्टेन रेज़र : फिल्म समारोह निदेशालय के निदेशक सी. सेंथिलराजन के साथ भेंटवार्ता।
11. पोट पोउरी : राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता महिला पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर से साक्षात्कार।
12. रेडियो रोमानिया के अध्यक्ष और महानिदेशक श्री ओवीदियू माइकलस्कू के साथ साक्षात्कार।
13. इंडियन हेरिटेज : विजडम आफ इंडिया–कौटिल्य

के अर्थशास्त्र पर प्रोफेसर एनजीएस नारायणन, पूर्व अध्यक्ष आईसीएचआर, के साथ बातचीत (छह भागों में वार्ता श्रृंखला)।

14. माइ डेटलेस इंडिया डायरी : सुश्री सुसान ग्रिफ्थ जोन्स, लेखिका, फोटोग्राफर, पेंटर और फिल्मनिर्माता, के साथ साक्षात्कार।
15. इंडियन हैरिटेज : विश्व तंबाकू रहित दिवस के अवसर पर डॉ. पुष्पेंद्र कुमार वर्मा, सहायक प्रोफेसर, क्षय रोग और सीना रोग विशेषज्ञ, राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान, दिल्ली की वार्ता।
16. प्रसार भारती, ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष, डॉ. ए. सूर्य प्रकाश के साथ साक्षात्कार।
17. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ताशकंद, उज्बेकिस्तान में शंघाई को–ऑपरेशन आर्गेनाइजेशन सम्मेलन–2016 के अवसर पर दिए गए भाषण की रिकार्डिंग का प्रसारण।
18. फोकस : ब्रेग्जिट एंड इंडिया–राजदूत (सेवानिवृत्त) सी. दासगुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार दीपांकर डी. सरकार के बीच वार्ता।
19. फोकस : ब्रेग्जिट के बाद भारत यूरोपीय संघ संबंध, हंगरी के विदेश मंत्री श्री पीटर सेजिजार्तो के साथ इंटरव्यू।
20. माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधन।
21. भारत के 70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लालकिले के प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण सहित ध्वज फहराने से संबंधित समारोहों के बारे में रेडियो रिपोर्ट।
22. संगीत का विशेष कार्यक्रम–श्रेष्ठ संगीतज्ञ (कर्नाटक संगीत लेजेंड एमएस सुब्बुलक्ष्मी) (चार भागों में संगीत फीचर)।
23. ब्रिक्स–2016 गोआ सम्मेलन–कार्यसूची और आयाम (परिचर्चा)

प्रतिभागी–आलोक अमिताभ डिवरी, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, समीर सरण, उपाध्यक्ष, आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (संचालक), डॉ. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशकः विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली।

उपरोक्त के अतिरिक्त नवंबर 2016 से मार्च 2017 के दौरान आगामी महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार है :

1) विश्व एड्स दिवस पर विशेष कार्यक्रम
2) मानवाधिकार दिवस पर परिचर्चा
3) क्रिसमस के अवसर पर संगीतमय फीचर
4) वर्ष 2016 के बारे में 3 भागों में राउंड अप प्रोग्राम
5) प्रवासी भारतीय दिवस 2017 की व्यापक कवरेज
6) नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक विशेष फीचर
7) गणतंत्र दिवस और गांधीजी के शहीदी दिवस पर विशेष कार्यक्रम
8) राष्ट्रीय नाट्य उत्सव 'भारत रंग महोत्सव' की कवरेज
9) राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर फीचर
10) वसंत ऋतु पर संगीतमय कार्यक्रम
11) गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संदेश
12) राजपथ, इंडिया गेट से गणतंत्र दिवस परेड का आंखों देखा हाल (हिंदी)

राष्ट्रीय चैनल

- राष्ट्रीय चैनल द्वारा 1 अप्रैल, 2016 से 31 अक्तूबर, 2016 की अवधि में राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए गए, जिनमें सरकार के कल्याण कार्यक्रमों को उजागर किया गया, जैसे 'स्वच्छ भारत अभियान', 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना', 'स्मार्ट सिटी मिशन', 'स्टैंड अप इंडिया', 'अल्प संख्यकों के लिए उस्ताद योजनाएं', और 'विकलांगजनों के कल्याण के लिए कार्यक्रम'।
- जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के उपायों– जैसे 'मिशन इंद्रधनुष', 'राष्ट्रीय बीमा योजना', 'आयुष' आदि के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए फोन–इन कार्यक्रमों सहित विभिन्न प्रारूपों में कार्यक्रम प्रसारित किए गए।
- सरकार समाज के पिछड़े और सीमांत वर्गों के वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसे देखते हुए नेशनल चैनल ने लोगों को तत्संबंधी कार्यक्रमों जैसे 'प्रधानमंत्री जनधन योजना', 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना', 'अटल पेंशन योजना' आदि के बारे में विभिन्न प्रारूपों में अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए।
- नेशनल चैनल ने किसानों और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए लगभग प्रत्येक कार्यक्रम जैसे 'दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना', 'फसल

बीमा योजना', 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड', 'प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना' के बारे में कार्यक्रम प्रसारित किए।

- कार्यक्रमों में पर्यावरण संबंधी मुद्दे भी शामिल किए गए, जिनमें संबद्ध मंत्रालय के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। जाने माने पर्यावरणविद् एम.सी. मेहता ने भी हमारे व्यक्तित्व आधारित कार्यक्रम 'मुलाकात' में हिस्सा लिया।
- दुनिया में महिलाओं को रचनात्मक ढंग से प्रदर्शित करने के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने और इस बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किए गए।
- महिलाओं के प्रति यौन अपराधों के संबंध में कानूनी प्रावधानों और उन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सज़ा के बारे में जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रम प्रसारित किए गए।
- नेशनल चैनल ने 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला आयोजित की और इस बारे में कई कार्यक्रम भी प्रसारित किए। इस अवसर पर एक परिचर्चा 'योग फार हैपीनेस एंड स्ट्रैसफ्री लाइफ' भी आयोजित की गई।
- 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के सिलसिले में इस वर्ष नेशनल चैनल ने करीब 25 रेडियो स्पॉट्स तैयार किए और प्रसारित किए, जिनमें महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इन स्पॉट्स का इस्तेमाल राष्ट्रभक्ति के गीतों के साथ किया गया। इसके अतिरिक्त समूचे अगस्त, 2016 में जनसाधारण के लिए सरकार के कल्याण कार्यक्रमों के बारे में विषय आधारित गीत भी प्रसारित किए गए।
- नेशनल चैनल ने सरकारी कार्यक्रम के लाभार्थियों के विचारों और उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर भी अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए। ये कार्यक्रम फोन–इन और ओबी आधारित कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न प्रारूपों में तैयार किए गए थे।
- समाज के विभिन्न वर्गों के लिए समय–समय पर शुरू की गई अन्य कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि के बारे में भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
- ''प्रधानमंत्री स्वर्ण निवेश योजना', 'जीएसटी का प्रभाव', 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना', 'इमर्जिंग सेक्टर आफ ई–कामर्स' जैसे कार्यक्रमों को भी नेशनल चैनल ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचारित किया।

चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में भी सरकार के समाज कल्याण कार्यक्रमों पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नए वर्ष के प्रारंभिक महीनों में नेशनल चैनल कुछ संगीत सम्मेलनों का भी आयोजन करेगा।

अंतरराष्ट्रीय संबंध एकांश

अंतरराष्ट्रीय संबंध एकांश आकाशवाणी महानिदेशालय का एक नोडल अनुभाग है, जो आकाशवाणी के प्रोग्राम विंग से संबंधित सभी अंतरराष्ट्रीय मामलों की देखरेख करता है, जैसे विदेशी प्रतिनियुक्तियां, सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम समझौतों और विदेशी प्रसारण संगठनों के समझौता संबंधी अनुच्छेदों का कार्यान्वयन, अंतरराष्ट्रीय रेडियो प्रतियोगिताओं में आकाशवाणी की भागीदारी, भारत में प्रशिक्षण कार्यशालाओं/सम्मेलनों की मेजबानी, अंतरराष्ट्रीय मीडिया निकायों की सदस्यता आदि।

2016–17 के दौरान गतिविधियां/उपलब्धियां

- अंतरराष्ट्रीय संबंध एकांश ने बीजिंग, चीन में हुए चौथे एबीयू रेडियो गीत उत्सव 2016 में आकाशवाणी के संगीत दल की हिस्सेदारी के लिए सफलतापूर्वक समन्वय किया। आकाशवाणी, इम्फाल की गीत प्रविष्टि 'क्रिएशन' को एबीयू जूरी द्वारा उक्त रेडियो गीत उत्सव के फाइनल के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किया गया। ये गीत 12वीं कक्षा की एक विद्यार्थी कुमारी थुक्कोंग लणसाना चानू ने गाया है। उत्सव के नियम के अनुसार गीतकार को एबीयू द्वारा 26 अप्रैल, 2016 को बीजिंग में हुए फाइनल में श्रोताओं के सामने लाइव प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम की मेजबानी चीन के नेशनल रेडियो ने की। फाइनल समारोह में 13 देशों से फाइनल में पहुंचे कलाकारों ने लाइव प्रदर्शन किया। भारतीय गायिका ने अपनी सजीव प्रस्तुति से उत्सव का उद्घाटन किया। उनकी प्रस्तुति को सभी ने सराहा। फाइनल कार्यक्रम रेडियो एशिया–2016 सम्मेलन के साथ आयोजित किया गया, जिसमें आकाशवाणी के महानिदेशक और प्रसार भारती के सदस्य (कार्मिक) ने हिस्सा लिया।
- 5वें एबीयू रेडियो गीत उत्सव के लिए विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से प्रविष्टियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया जारी है, जो 27 अप्रैल, 2017 को थाईलैंड की

राजधानी बैंकाक में आयोजित किया जाएगा।

- आकाशवाणी की प्रविष्टि 'डायरी आफ ए टाइगर' (एक बाघ की डायरी) को रेडियो प्रोग्रामर्स की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, प्रतिष्ठित एबीयू पुरस्कार–2016 की 'समुदाय सेवा उद्घोषणा' श्रेणी के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया। विजेता कार्यक्रम आकाशवाणी इलाहाबाद के कार्यक्रम अधिशासी श्री अभिनव श्रीवास्तव द्वारा बनाया गया था। पुरस्कार के रूप में एक ट्रॉफी, प्रमाणपत्र और 2000 अमरीकी डॉलर नगद दिए जाते हैं।
- आकाशवाणी ने दो श्रेणियों – 'न्यूज रिपोर्टिंग' और 'रेडियो ड्रामा' में एबीयू पुरस्कार–2016 के प्रारंभिक मूल्यांकन में भी योगदान किया। श्री आर.एन. मिश्रा, अपर महानिदेशक (समाचार), समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली और श्री राकेश डोंडियाल, कार्यक्रम अधिशासी, आकाशवाणी भोपाल ने बाहरी जूरी के रूप में सेवाएं प्रदान की और एबीयू द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान की गई विभिन्न देशों की प्रविष्टियों की स्क्रीनिंग की। एबीयू पुरस्कार 6 श्रेणियों के अंतर्गत दिए जाते हैं – नाटक, डाक्यूमेंटरी, समाचार रिपोर्टिंग, लोकसेवा उद्घोषणा, परस्पर संवाद कार्यक्रम और रचनात्मक कार्यक्रम।
- भारत सरकार और विभिन्न देशों के बीच हस्ताक्षरित सांस्कृतिक आदान–प्रदान समझौतों के अंतर्गत आकाशवाणी दिल्ली से बल्गारिया के स्लावोनिक लेटर्स एवं बल्गारियाई शिक्षा एवं संस्कृति दिवस, जो हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है, के अवसर पर बल्गारिया के संगीत कार्यक्रम प्रसारित किए गए।
- रूस, चीन और रोमानिया के प्रसारण संगठनों के शिष्टमंडलों ने आकाशवाणी की यात्रा की। इसका उद्देश्य प्रसार भारती और उनके संबद्ध रेडियो संगठनों के बीच सहयोगात्मक संबंध को सुदृढ़ बनाना था।
- चालू वित्त वर्ष के दौरान, आईआर यूनिट ने आकाशवाणी अधिकारियों के लिए 7 विदेश प्रतिनियुक्तियों का प्रबंध किया।

राष्ट्रीय प्रसारण और मल्टीमीडिया (प्रोग्राम) अकादमी

किंग्सवेकैंप, दिल्ली, में स्थित राष्ट्रीय प्रसारण और मल्टीमीडिया (प्रोग्राम) अकादमी, जिसे पहले कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) कहा जाता था, प्रसार भारती का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न केंद्रों/कार्यालयों में सेवारत कार्यक्रम और प्रशासनिक कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसे 01 जनवरी, 1990 को आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली का अधीनस्थ कार्यालय घोषित किया गया। बाद में अन्य 6 प्रशिक्षण संस्थान– एनएबीएम (पी) भुवनेश्वर और आरएएमपी (पी) अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, शिलांग और तिरुवनंतपुरम स्थित आरटीआइ (पीज) अस्तित्व में आए, जो देश के समूचे क्षेत्र को विभिन्न ज़ोनों के अंतर्गत कवर करते हैं ताकि आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समन्वय के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम), दिल्ली द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

गतिविधियों का क्षेत्र

1. भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)

पहली बार प्रसार भारती द्वारा वर्ष 2015–16 में शुरू किया गया व्यापक और संयुक्त भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रसार भारती के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है। इसका लक्ष्य प्रसार भारती में आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के कार्यक्रम और इंजीनियरी संवर्गों में भर्ती किए गए लगभग 1256 कार्मिकों को 2 वर्ष से कम अवधि में प्रशिक्षण प्रदान करना है। आईटीपी का आयोजन एनएबीएम दिल्ली और भुवनेश्वर में एक साथ किया जाता है, जिसके लिए आयोजना, कार्यक्रम निर्धारण और अन्य महत्वपूर्ण कार्य एनएबीएम, दिल्ली द्वारा किए जाते हैं, जिनमें अध्ययन सामग्री का विकास, विशेषज्ञ व्यक्तियों की व्यवस्था में सहायता करना और प्रशिक्षण किट्स आदि की आपूर्ति सहित लाजिस्टिक सहायता प्रदान करना शामिल है। यह सहायता एनएबीएम दिल्ली और भुवनेश्वर दोनों के लिए प्रदान की जाती है। दोनों संस्थानों में 9 सप्ताह तक चलने वाले भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम का व्यापक फ्रेमवर्क तैयार करने में मुख्य भूमिका एनएबीएम (पी) दिल्ली की होती है। दोनों संस्थानों में 3 सप्ताह के बाद भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम एक साथ समानांतर ढंग से चलाए जाते हैं। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से पहले दूरदर्शन के कार्मिकों को एफटीआईआई, पुणे के लिए आउटसोर्स किया जाता था, जहां प्रसार भारती के स्वयं के प्रशिक्षक तैनात किए जाते थे। इससे प्रसार भारती के खजाने से बड़ी मात्रा में धन

खर्च किया जाता था। स्वयं की व्यवस्था होने से इस धन को बचाने में मदद मिली है।

जेनेसिस

आज निरंतर सम–सामयिक और परिवर्तित मीडिया उद्योग ऐसे व्यक्तियों को वरीयता देता है, जो अंतर्निहित रचनात्मकता का लाभ उठा सकें, उसे समझ सकें, विश्लेषित कर सकें और चुनौती दे सकें तथा उसकी नवीन और अद्यतन व्याख्याएं कर सकें। इस अंतर्निहित रचनात्मकता को कारगर ढंग से पकड़ने और उद्घाटित करने और उसे रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण के बुनियादी तत्वों के अनुरूप बनाने के लिए भर्ती प्रशिक्षण मैट्रिक तैयार किया गया है। इसका संचालन अनेक देशव्यापी धारणाओं और डिजाइनों द्वारा किया गया है, जो सब मिल कर क्षमता, योग्यता और सक्षमता तथा रचनात्मकता की पहचान करती हैं और उन्हें बढ़ावा देती हैं तथा बदलते मीडिया परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती हैं।

इस लक्ष्य के अनुरूप आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यक्रम अधिशासी, ट्रांसमिशन अधिशासी, प्रोडक्शन सहायक और इंजीनियरी सहायक संवर्गों में नव भर्ती कार्मिकों के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है कि उन्हें दिल्ली और भुवनेश्वर में 'राष्ट्रीय प्रसारण और मल्टीमीडिया अकादमी' में व्यापक और मल्टी माडल प्रशिक्षण पद्धति से गुजरना होगा।

नौ सप्ताह का माड्यूल

प्रसारण के क्षेत्र में उपयुक्त व्यावसायिक, प्रैक्टिकल और सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए श्रव्य और श्रव्य–दृश्य दोनों माध्यमों में 6 सप्ताह का सैद्धांतिक और 3 सप्ताह का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। कार्यक्रम निर्माण (विषयवस्तु और तकनीक) पर बल समूचे पाठ्यक्रम में दिया जाता है, जिसमें निर्माण और प्रचालन के सभी पहलू कवर होते हैं। पहले तीन दिनों में मुख्य रूप से संगठन का परिचय और मीडिया जगत का सामान्य परिचय कराया जाता है। इसके बाद दो सप्ताह के लिए रेडियो विषयक और परवर्ती 3 सप्ताह के लिए टेलीविजन संबंधी विषयों की जानकारी दी जाती है। उसके बाद 3 सप्ताह तक श्रव्य और श्रव्य–दृश्य दोनों में कार्यक्रम निर्माण का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रथम तीन दिन और अंतिम तीन सप्ताह के दौरान प्रोग्रामरों और इंजीनियरों, दोनों के लिए प्रशिक्षण प्लेटफार्म समान होता है। प्रसार भारती कार्मिकों को मीडिया व्यवसायी का रूप देने के लिए समूचे पाठ्यक्रम में विविध दृष्टि अपनाई जाती है। इसमें रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण के सभी पहलुओं की समझ प्रदान करने के साथ–साथ कार्मिकों को जिम्मेदार और स्वतंत्र लोकसेवा प्रसारक बनाने पर बल दिया जाता है।

2. आकाशवाणी और दूरदर्शन स्टाफ के लिए विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रसार भारती के एनएबीएम्स और आरएबीएम्स का उद्देश्य उपयुक्त, उपयोगी और प्रासंगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन के जरिए कर्मचारियों की योग्यता के विकास, उनके कार्य क्षेत्र के विस्तार और उनकी अंतर्निहित क्षमता को तीव्र बनाते हुए एक कारगर कार्मिक दल का सृजन करना है। पाठ्यक्रम इस लक्ष्य के साथ डिजाइन किए जाते हैं कि कर्मचारियों की विशिष्टताओं को सुदृढ़ और विकसित किया जा सके तथा उनकी जागरूकता बढ़ाई जा सके और उन्हें बदलते समय के साथ मीडिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जा सके। ये कार्यशालाएं आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रोग्राम और प्रशासनिक स्टाफ के लिए तैयार की जाती हैं। तकनीकी और कार्यक्रम स्टाफ के बीच घनिष्ठ समन्वय और सहयोग का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रोग्राम, इंजीनियरी और प्रशासनिक विंग के कर्मचारियों के लिए संयुक्त पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न विषयों पर आधारित होते हैं, जिनमें अभिलेखागार सामग्री का डिजिटीकरण, सोशल मीडिया की भूमिका, बाजार अनुसंधान और बाजार गतिशीलता, टीम निर्माण और नेतृत्व, युवा और बाल कार्यक्रम की रिडिजाइनिंग, लिंग संबंधी मुद्दे और लिंग संबंधी कार्यक्रम वाणी प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, टेली फिल्मों का निर्माण, एयरटाइम मार्केटिंग, प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रसारण कार्यनीति, रेडियो एग्रीविजन, विशेष श्रोता भागीदारी कार्यक्रम, ड्यूटीरूम मैनेजमेंट, सोशल मीडिया और प्रोग्रामिंग, नीति और कार्य संस्कृति, स्वर परीक्षण, परिचालन, प्रसारण पत्रकारिता, खेलों की कवरेज में नई प्रवृत्तियां, पुस्तकालयों का आटोमेशन और डिजिटीकरण, आकाशवाणी पर कृषि प्रशिक्षण, बाजार कार्यनीति और संचार, खेल और गैर–खेल गतिविधियों के बारे में कमेंट्री आदि शामिल होते हैं।

आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली में स्वच्छ

भारत और यौन उत्पीड़न की रोकथाम विषय पर तीन, एकदिवसीय जागरूकता अभियान संचालित किए गए।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रशासनिक स्टाफ और कार्यक्रम एवं इंजीनियरी अनुभागों में तैनात स्टाफ के लिए प्रशासनिक पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें कर्मचारी कल्याण के उपाय, आरटीआई और रिकार्ड मैनेजमेंट, अनुशासनात्मक कार्रवाई और विभागीय जांच, वित्तीय प्रशासन, सेवाओं में आरक्षण, स्थापना संबंधी नियम, खरीद प्रबंधन, अदालत/कैट और आरटीआई से संबंधित मामलों से निपटना, सेवा निवृत्ति लाभ और माडल गणनाएं, खरीद प्रक्रियाएं और भंडार प्रबंधन, एमटीएस के लिए कौशल उन्नयन, कार्यालय प्रबंधन के बारे में रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, सेवा निवृत्ति आयोजन, प्रशासनिक सतर्कता, प्राप्तियों और भुगतान का वेब आधारित सोल्यूशन आदि शामिल हैं। ये पाठ्यक्रम आमतौर पर प्रशासनिक स्टाफ की जरूरतों को कवर करते हैं, ताकि वे अपने दायित्वों का भलीभांति निर्वाह कर सकें।

3. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण

प्रसार भारती ने इस संस्थान को विभिन्न पदों पर दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों से संबद्ध व्यक्तियों की भर्ती का कार्य सौंपा है, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार पिछले वर्ष समयबद्ध रूप में और पूर्ण निष्पक्षता के साथ पूरा किया गया।

दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए न केवल विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, बल्कि उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार जानकार प्रशिक्षक भी जुटाए गए और उन्हें सामान्य भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया गया।

4. नव भर्ती प्रोग्राम स्टाफ के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्रसारण और मल्टीमीडिया अकादमी (प्रोग्राम), ऐसे नव–नियुक्त ट्रेक्सों और पेक्सों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन में उनकी नियुक्ति के आधार पर विशेषज्ञता क्षेत्रों के बारे में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है, जिन्होंने भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया है।

5. नव–पदोन्नत कार्यक्रम अधिशासियों/तदर्थ कार्यक्रम अधिशासियों और सहायक निदेशकों (कार्यक्रम) के लिए भर्ती प्रशिक्षण

दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्रसारण और मल्टीमीडिया अकादमी (प्रोग्राम) नव–पदोन्नत कार्यक्रम अधिशासियों और सहायक निदेशकों (कार्यक्रम) के लिए दिल्ली और भुवनेश्वर में भर्ती पाठ्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से उनके लिए भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया था।

6. प्राप्तियों और लेखा संबंधी प्रशिक्षण

आकाशवाणी और दूरदर्शन में डीडीओ (आहरण एवं संवितरण अधिकारी) के रूप में काम करने वाले कार्मिकों के लिए एनएबीएम (टी) और प्रसार भारती के साथ समन्वय करते हुए प्राप्ति एवं भुगतान संबंधी निगरानी प्रणाली के वेब आधारित समाधान का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई।

7. मानव संसाधन सूचना प्रणाली

दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्रसारण और मल्टीमीडिया अकादमी (प्रोग्राम) ने अपने मानव संसाधनों को संगठनात्मक फ्रेमवर्क से एकीकृत करने के लिए जानकारी सफलतापूर्वक अपलोड एवं अद्यतन की।

8. आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण

एनएबीएम दिल्ली और भुवनेश्वर में कंप्यूटर प्रयोगशालाओं के साथ अत्याधुनिक सुविधाएं सृजित की गई हैं। इस तरह की सुविधाएं सभी आरएबीएम्स में सृजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

9. नई पेंशन योजना और प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनएसबीएम के पोर्टल पर पंजीकरण सफलतापूर्वक किया गया ताकि सीआरए को नई पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन में मदद मिले। प्रशिक्षण अकादमियों में पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के बारे में आयोजित कार्यशालाओं में नई पेंशन स्कीम विषय को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया।

10. अवर श्रेणी लिपिक से अपर श्रेणी लिपिक और मुख्य लिपिक/ लेखाकार/सहायक के ग्रेड में पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 10(43)/92–एस–।। (बी एंड ए) दिनांक 14 नवंबर, 1994 के तहत अधिसूचित भर्ती नियमों के संदर्भ में अवर श्रेणी लिपिक से अपर श्रेणी लिपिक और मुख्य लिपिक/ लेखाकार/सहायक के ग्रेड में पदोन्नति के लिए सीमित

विभागीय प्रतियोगी परीक्षा एनएबीएम (पी), दिल्ली द्वारा 23.07.2016 और 24.07.2016 को देश के विभिन्न अंचलों में क्रमशः 7 और 14 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई।

शुल्क आधारित बाहरी पाठ्यक्रम

1. वाणी (वायस आर्टिक्यूलेशन एंड नर्चरिंग इनिशिएटिव) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

आकाशवाणी देश में पहला इलेक्ट्रोनिक मीडिया है, जहां उद्घोषकों, प्रस्तुतकर्ताओं, सूत्रधारों, समाचार वाचकों ने प्रस्तुति शैली निर्धारित की है। इस बेजोड़ विशेषज्ञता के आधार पर, कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम), दिल्ली ने प्रसारण मीडिया में काम करने के लिए विशेष रूप से पाठ्यक्रम डिजाइन किए हैं। वाणी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम ऐसा ही एक पाठ्यक्रम है, जो प्रस्तुतकर्ताओं, उद्घोषकों और सूत्रधारों आदि का कौशल बढ़ाने में मदद करता है।

पांच दिन का वाणी (वायस आर्टिक्यूलेशन एंड नर्चरिंग इनिशिएटिव यानी वाक पटुता और पहल करने की क्षमता) पाठ्यक्रम आकाशवाणी केंद्रों द्वारा संचालित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों का चयन प्रत्येक स्टेशन पर स्वर परीक्षण के बाद किया जाता है, और चुने हुए उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाता है। अप्रैल, 2016 से अक्तूबर 2016 के दौरान कुल 31 पाठ्यक्रम संचालित किए गए जिनमें 607 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके जरिए 14,75,650 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। वाणी पुस्तिका हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो फिलहाल केवल अंग्रेजी में उपलब्ध हैं।

2. जनसंचार (प्रैक्टिकल ट्रेनिंग)

राजधानी/क्षेत्रीय शहरों में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों के जनसंचार पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप (प्रैक्टिकल ट्रेनिंग) दी जाती है। अप्रैल 2016 से अक्तूबर 2016 की अवधि में ऐसे दो पाठ्यक्रम संचालित किए गए जिनमें 37 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया और 96,000/– रुपये का निवल राजस्व अर्जित किया गया।

3. एयर इंडिया क्रू (चालक दल) के सदस्यों के लिए वॉयस कल्चर कार्यशाला/ग्राहक की जरूरत आधारित वाणी

एयर इंडिया के केबिन क्रू (चालक दल) के सदस्यों के लिए एनएबीएम, दिल्ली वॉयस कल्चर कार्यशाला आयोजित करता है, जिसके माध्यम से हर वर्ष महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित किया जा रहा है। एयर इंडिया ने इस पाठ्यक्रम को हमेशा उत्कृष्ट रूप में आंका है और प्रशिक्षार्थियों ने आकाशवाणी में सीखने के अनुभव को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में स्मरणीय करार दिया है।

हाल ही में, एनएबीएम ने जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी ट्रस्ट की मांग पर ग्राहक की जरूरत आधारित वाणी कार्यक्रम शुरू किया है। ऐसे कार्यक्रम शुरू करने के लिए और भी प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, जिनसे भविष्य में अधिक राजस्व अर्जित किया जा सकेगा।

अर्जित राजस्व

राष्ट्रीय प्रसारण और मल्टीमीडिया (प्रोग्राम) अकादमी, दिल्ली ने अप्रैल 2016 से सितंबर 2016 की अवधि में सभी पाठ्यक्रमों से 18,73,945 रुपये का निवल राजस्व अर्जित किया।

एनएबीएम (पी) दिल्ली और भुवनेश्वर रेडियो और टेलीविजन दोनों ने संबंधित प्रोडक्शन एवं तकनीक में लगभग 23 बैचों के लिए भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे कर लिए हैं, जिनका प्रबंधन पूरी तरह विभागीय आधार पर किया गया। इस प्रकार एनएबीएम ने इस मद पर कोई व्यय नहीं किया। इससे पहले, एफटीटीआई और अन्य संस्थानों को किए जाने वाले भुगतान पर खर्च होता था। इस प्रक्रिया में धन की बचत की गई है।

श्रोता अनुसंधान स्कंध

जनसंचार माध्यमों के बदलते परिप्रेक्ष्य में श्रोता अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। विश्वभर में लगभग सभी बड़े मीडिया संगठन विभागीय आधार पर किसी एक या अन्य रूप में श्रोता अनुसंधान अथवा विपणन की भाषा में 'बाजार अनुसंधान' कराते हैं। इसका कारण यह है कि कोई भी मीडिया संगठन संभावित श्रोताओं (उपभोक्ताओं) और अपनी विषयवस्तु के लिए बाजार के अभाव में अपने दुर्लभ संसाधन दांव पर नहीं लगा सकता। इसके अलावा वे विभिन्न मीडिया और बाजार अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए व्यावसायिक अनुसंधान को खरीदते भी हैं। प्राइवेट टीवी और रेडियो चैनलों की सफलता के पीछे राज़ यह है कि वे निरंतर श्रोता अनुसंधान के जरिए श्रोताओं की आवश्यकता को महसूस करने की क्षमता रखते हैं और तदनुरूप, प्रस्तुति सहित कार्यक्रम की विषयवस्तु का डिजाइन और परिष्कार करते हैं।

आकाशवाणी इस क्षेत्र में अग्रणी है। इसके अंतर्गत देशभर

में श्रोता अनुसंधान एकांशों का व्यापक नेटवर्क है, जो 1946 से संचालित है। यह कार्यक्रम निर्माताओं को प्रोग्राम फीडबैक प्रदान करता है ताकि वे लक्षित श्रोताओं की जरूरतों, रुचियों और आकांक्षाओं के अनुसार कार्यक्रमों की योजना, डिजाइन तैयार कर सकें और उन्हें संशोधित कर सकें। इसके अलावा प्रायोजकों, विज्ञापनदाताओं और विपणनकर्ताओं को कार्यक्रम रेटिंग/श्रोताओं संबंधी आंकड़े प्रदान करने होते हैं ताकि उनके वाणिज्यिक लक्ष्य पूरे किए जा सकें। श्रोता अनुसंधान एकांश, संगठन के लिए डाटा बैंक और संदर्भ अनुभाग के रूप में भी काम करता हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नांकित श्रोता अनुसंधान गतिविधियां/अध्ययन संचालित किए गए/प्रस्तावित है :

- अप्रैल, 2016 से अक्तूबर, 2016 तक प्रसारित 'मन की बात' की सभी सात कड़ियों के बारे में टेलीफोन पर शीघ्र फीडबैक अध्ययन।
- जुलाई–अगस्त, 2016 में एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में सात केंद्रों पर प्रचार अभियान के बारे में प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन।
- अगस्त–सितंबर, 2016 में 30 केंद्रों पर 'मन की बात' कार्यक्रम के बारे में शीघ्र फीडबैक अध्ययन (फील्ड सर्वेक्षण)।
- सितंबर, 2016 में 20 केंद्रों पर बीएसएनएल अभियान के बारे में टेलीफोन पर शीघ्र फीडबैक सर्वेक्षण।
- अक्तूबर, 2016 में 18 केंद्रों पर 'एमएस धोनी–ऐन अनटोल्ड स्टोरी' के दूसरे सप्ताह के बारे में टेलीफोन पर शीघ्र फीडबैक सर्वेक्षण।
- प्रसार भारती 2015–16 की वार्षिक रिपोर्ट का संपादन।

1 नवंबर, 2016 से 31 मार्च 2017 के दौरान प्रस्तावित अध्ययन कार्यक्रम

- 'एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्र में प्रचार अभियान, चरण–2' के बारे में नवंबर, 2016 में 7 केंद्रों पर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन।
- आकाशवाणी के एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड चैनलों के बारे में 26 केंद्रों पर रेडियो श्रोता सर्वेक्षण।
- आकाशवाणी के 37 केंद्रों के विविध भारती चैनल पर रेडियो श्रोता सर्वेक्षण।

प्रशासन

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

आकाशवाणी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वियन के सभी उपेक्षित उपाय किए हैं। इसके लिए प्रतिबद्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ बनाया गया है। नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों को सरकारी सेवा में आरक्षण का लाभ देने संबंधी जारी किए गए परिपत्रों को सभी कार्यालयों और आकाशवाणी की क्षेत्रीय इकाइयों को भेजा गया ताकि वे उनका अनुपालन करें। एनसीएससी और एनसीएसटी अनुशंसाएं, जो कि उनकी वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित की जाती हैं, सख्ती से अनुपालन के लिए विभिन्न स्तरों पर भेजी जाती हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश सभी राजधानी स्टेशनों को दिए गए और ज्यादातर राजधानी स्टेशनों ने संपर्क अधिकारी मनोनीत कर दिए हैं। आरक्षित श्रेणी कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के बारे में समेकित वार्षिक विवरण समय–समय पर संबद्ध प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाते हैं। शिकायत निवारण व्यवस्था के जरिए कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है।

2. जन शिकायत और निवारण व्यवस्था

प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार शिकायत निवारण और पहुंच व्यवस्था केंद्र स्तर पर, ज़ोनल मुख्यालय और केंद्रीय मुख्यालय के स्तर पर की गई है। इस व्यवस्था पर केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के जरिए निगरानी की जाती है। आकाशवाणी के सभी कार्यालयों में सूचना और सुविधा काउंटर बनाए गए हैं। शिकायतों के निपटान के बारे में नियमित स्थिति रिपोर्टें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती सचिवालय को भेजी जाती हैं। इसके अतिरिक्त निपटाए गए मामलों की एटीआर्स (एक्शन टेकन रिपोर्ट्स) इस यूनिट की ई–कामर्स गतिविधियों के हिस्से के रूप में डीएआरपीजी पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड की जाती हैं।

01 अप्रैल, 16 से 30 अक्तूबर, 2016 की अवधि के दौरान डीएआरपीजी पोर्टल पर शिकायत निपटान की ताजा स्थिति इस प्रकार है :

1. पिछली बकाया शिकायतें — 322
2. प्राप्त शिकायतें — 617
   कुल — 939
3. निपटान की गई शिकायतें — 882
4. अंतिम शेष — 57
   (30.10.2016 को)

3. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आकाशवाणी के सभी केंद्रों ने सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी लोगों को प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रारूपों में अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए ताकि लोगों का सशक्तीकरण किया जा सके और शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही में योगदान किया जा सके। सभी आकाशवाणी केंद्रों के कार्यक्रम प्रमुखों से कहा गया कि वे कार्यक्रम में अधिनियम की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। यह अधिनियम सितंबर, 2008 से प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया गया है। आकाशवाणी इस अधिनियम का प्रचार भविष्य में भी जारी रखेगा।

2. सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आकाशवाणी में 46 सीपीआईओज और निदेशालय में 18 अपील प्राधिकारी तथा फील्ड स्तर पर 295 सीपीआईओज और 20 अपील प्राधिकारी निर्दिष्ट किए गए हैं। वर्ष 2016–17 (01 अप्रैल, 2016 से 30 अक्तूबर, 2016) में आरटीआई के 828 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका जवाब निर्धारित समय के भीतर दिया गया। अपील प्राधिकारी द्वारा इस अवधि (01 अप्रैल, 2016 से 30 अक्तूबर, 2016) में 69 अपीलें प्राप्त की गईं और सभी का निपटारा किया गया।

4. स्वीकृत संख्या और नए स्वीकृत पद

आकाशवाणी में अधिकारियों और कर्मचारियों की विंग–वार स्वीकृत संख्या निम्नानुसार है :

एकांश	आकाशवाणी
प्रोग्राम	6,896
इंजीनियरी	5,974
आकाशवाणी मुख्यालय	725
प्रशासन (आकाशवाणी स्टेशन)	10,833
न्यूज विंग	209
सीसीडब्ल्यू	1,492
कुल	26,129

5. कल्याण अनुभाग

- देशभर में फैले 320 स्टेशनों/कार्यालयों के साथ आकाशवाणी का विस्तृत नेटवर्क है। आकाशवाणी में तीन वर्गों–कार्यक्रम, इंजीनियरी और प्रशासन के अंतर्गत करीब 16,000 कर्मचारी सेवारत हैं।
- आकाशवाणी में समूह 'क', 'ख' और 'ग' के अंतर्गत कार्यरत कुल मानव संसाधन में करीब 25 प्रतिशत महिलाएं हैं। आकाशवाणी के सभी स्टेशनों/कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यौन उत्पीड़न के मामलों/शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत समिति का गठन करें। तदनुरूप आकाशवाणी के सभी स्टेशनों/कार्यालयों में विभागीय शिकायत समिति का गठन किया गया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि उक्त विभागीय समिति की अध्यक्ष वरिष्ठ स्तरीय महिला अधिकारी होनी चाहिए और उसके सदस्यों में 50 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए।
- आधार सक्षम बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) दिल्ली में आकाशवाणी निदेशालय और सभी कार्यालयों में प्रचालित की गई है, जिसमें दिल्ली में कार्यरत 2500 से अधिक कर्मचारियों का पंजीकरण किया गया है। देशभर में अनेक आकाशवाणी केंद्रों में नई बायोमीट्रिक उपस्थिति मशीनें लगाई गई हैं। शेष केंद्रों पर ऐसी मशीनें लगाने की प्रक्रिया जारी है।
- सरकार के निर्देशों के अनुसार, आकाशवाणी ने सामान और सेवाओं की खरीद के लिए ई–टेंडरिंग प्रक्रिया का प्रयोग प्रारंभ किया है।
- विभागीय कैंटीन में ठेकेदार द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं, अनुशासन और सेवा–गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति वर्तमान दरों की भी समीक्षा करेगी और अपनी अनुशंसाएं देगी।

मनाए गए दिवस

- **30 जनवरी, 2016** : देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी, 2016 को आकाशवाणी के सभी केंद्रों पर दो मिनट का मौन रखा गया। तदनुरूप इस निदेशालय में भी महानिदेशक, आकाशवाणी की उपस्थिति में दो मिनट का मौन रखा गया।

- **8 मार्च, 2016:** महिला दिवस – 8 मार्च, 2016 आकाशवाणी महानिदेशालय में महिला दिवस मनाया गया। आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली के प्रथम तल पर कांफ्रेंस हाल में पूर्वाहन 11.30 बजे करीब 180–200 महिला कर्मचारियों ने निदेशालय के कल्याण अनुभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर वार्तालाप के दौरान महिला कर्मचारियों को आकाशवाणी महानिदेशालय में कार्य वातावरण में सुधार के लिए सुझाव देने और/या शिकायतें करने के लिए आगे आने को प्रोत्साहित किया गया।
- **14 अप्रैल, 2016 :** बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती : आकाशवाणी महानिदेशालय के कल्याण विभाग द्वारा आकाशवाणी के सभी केंद्रों को परिपत्र और सेटेलाइट संदेश भेजा गया कि वे 14 अप्रैल, 2016 को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएं। डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस निदेशालय में 14 अप्रैल, 2016 को 10.30 बजे महानिदेशक के नेतृत्व में आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली के कांफ्रेंस हाल में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।
- **21 मई, 2016 :** आतंकवाद विरोधी दिवस : 21 मई को हर वर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की बुराई से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की एक महत्वपूर्ण विशेषता शपथ समारोह था जो 21 मई, 2016 को आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली के कांफ्रेंस हाल में आयोजित किया गया, जिसमें सभी अधिकारी और स्टाफ के सदस्य एकत्र हुए और महानिदेशक, आकाशवाणी के नेतृत्व में आतंकवाद विरोधी शपथ ली।
- **21 जून, 2016 :** 21 जून को हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के निर्णय से उत्पन्न उत्साह को आगे बढ़ाना और समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर युवाओं को अधिक उत्साह और सक्रियता के साथ योग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के बारे में आवश्यक परिपत्र सभी स्टेशनों को 17 जून, 2016 को ही भेज दिया गया था।
- **20 अगस्त, 2016 सद्भावना दिवस** : इस वर्ष 20 अगस्त को आकाशवाणी के सभी केंद्रों में सद्भावना दिवस मनाया गया। इस अनुभाग ने 17 अगस्त, 2016 को आवश्यक परिपत्र और सेटेलाइट संदेश जारी किया। सद्भावना दिवस का विषय सभी धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था। सद्भावना दिवस मनाने का उद्देश्य हिंसा से दूर रहने और लोगों के बीच सद्भाव बढ़ाने का संदेश देना है।
- **31 अक्तूबर 2016, राष्ट्रीय एकता दिवस** : सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्तूबर, 2016 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। 31 अक्तूबर, 2016 को आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली के कमरा नम्बर 314, तृतीय तल पर पूर्वाह्न 11 बजे कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। आकाशवाणी के महानिदेशक ने हिंदी में और मुख्य अभियंता (आकाशवाणी) ने अंग्रेजी में शपथ दिलाई।

इस निदेशालय में किए गए जीर्णोद्धार कार्य :

- **विभागीय कैंटीन का जीर्णोद्धार** : इस निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभागीय कैंटीन का दौरा किया और पाया कि कैंटीन का जीर्णोद्धार तत्काल आवश्यक है। तदनुरूप कैंटीन समिति के परामर्श के साथ इस निदेशालय के सीसीडब्ल्यू अनुभाग द्वारा विभागीय कैंटीन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।
- **शौचालयों और कॉरीडोरों का जीर्णोद्धार :** आकाशवाणी के सिविल कंस्ट्रक्शन विंग द्वारा आकाशवाणी भवन के शौचालयों और कॉरीडोर का जीर्णोद्धार कार्य भी किया जा रहा है।

महिला कर्मचारियों के कल्याण संबंधी गतिविधियां

इस विषय में निम्नांकित बिंदु उल्लेखनीय हैं :

क) प्रसार भारती के स्वामित्व वाले भवनों में आकाशवाणी के अनेक कार्यालय स्थित हैं। इन भवनों में कर्मचारियों के बैठने, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। कार्यस्थल पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था है। स्टाफ के लिए समुचित शौचालय उपलब्ध हैं और

आवश्यकतानुसार महिला कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालयों का प्रावधान किया गया है।

ख) कई स्थानों पर आकाशवाणी के स्वयं के स्टाफ क्वाटर हैं। ये मकान आकाशवाणी (आवासीय क्वार्टर आवंटन) नियम के अनुसार स्टाफ को आवंटित किए जाते हैं।

ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार आकाशवाणी के किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके निकट संबंधी, जिसमें मृतक के परिवार की महिला सदस्य भी शामिल है, को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रस्तावित की जाती है।

घ) तकनीशियन, वरिष्ठ तकनीशियन, इंजीनियरी सहायक, वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक आदि आकाशवाणी स्टाफ को शिफ्ट ड्यूटी स्टाफ समझा जाता है। उनके मामले में शिफ्ट ड्यूटी उनकी सेवा से संबद्ध है। देर रात शिफ्ट ड्यूटी और असुविधाजनक समय के दौरान महिला कर्मचारियों सहित स्टाफ के सदस्यों को लाने–ले जाने के लिए यथासंभव वाहन की व्यवस्था की जाती है।

ङ) स्टाफ (पुरुष और महिला कर्मचारियों को एक समान) को सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान दिए जाते हैं। आकाशवाणी कर्मचारियों (महिला कर्मचारियों सहित) को सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जाती है।

च) महिला कर्मचारियों सहित आकाशवाणी के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान टर्मिनल लाभ दिए जाते हैं।

छ) जिन स्थानों पर केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना उपलब्ध है, वहां आकाशवाणी कर्मचारी उसकी सेवाएं लेने के पात्र हैं। अन्य स्थानों पर आकाशवाणी कर्मचारियों को केंद्रीय सेवाएं (मेडिकल अटेंडेंस) नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ दिए जाते हैं। इन नियमों के अंतर्गत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट नियुक्त किया जाता है। अनुरोध के अनुसार महिलाओं के लिए पृथक अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट भी नियुक्त की जाती हैं।

ज) आकाशवाणी की अपने कर्मचारियों को उत्साहित करने और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने की एक प्रणाली है, जिसके अंतर्गत कार्यक्रमों और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए वार्षिक आकाशवाणी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक महिलाओं को भी पुरस्कृत किया जाता है।

झ) महिला सशक्तीकरण समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए पुरस्कारों की एक नई श्रेणी, अर्थात् सर्वोत्कृष्ट महिला कार्यक्रम के लिए पुरस्कार, 2009 से आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत शामिल की गई। महिला कार्यक्रमों के अधिसंख्य निर्माता महिलाएं हैं। अतः इस नई श्रेणी के पुरस्कारों के जरिए अंततः महिलाओं को ही लाभ पहुंचता है।

6. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण

भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और दिव्यांगजनों सहित सभी के लिए स्पष्ट रूप से एक समावेशी समाज अधिदेशित करता है। भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर और राष्ट्र निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995' बनाया है।

दिव्यांगजन अधिनियम 1996 से लागू हुआ। 'परंतु, समूह 'ग' और 'घ' पदों में सीधे भर्ती के मामले में विकलांगजनों' के लिए आरक्षण काफी पहले नवंबर, 1987 से लागू हुआ। 1989 में इसे समूह 'ग' और 'घ' पदों की पदोन्नतियों के मामले में भी लागू किया गया। अधिनियम बनने के साथ दिव्यांगजनों को सीधे भर्ती के मामले में पहचान किए गए समूह 'क' और 'ख' पदों में भी आरक्षण उपलब्ध कराया गया है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने दिसंबर, 2005 में इस विषय में समेकित अनुदेश जारी किए। इन अनुदेशों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण अब सीधे भर्ती के मामले में सभी समूहों के पदों में उपलब्ध है। पदोन्नतियों के मामले में यह आरक्षण समूह 'घ' से समूह 'ग' में और समूह 'ग' के भीतर पहचान किए गए पदों के संदर्भ में लागू होता है।

प्रसार भारती ने दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए सभी अपेक्षित उपाय किए हैं। डीओपी एंड टी द्वारा समय–समय पर जारी सभी संबद्ध नीति निर्णयों और अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

आकाशवाणी देशभर में फैले अपने केंद्रों के जरिए दिव्यांगजनों के बारे में कार्यक्रम प्रसारित करता है। इन कार्यक्रमों में केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए लागू की जा रही योजनाओं के अतिरिक्त उनके स्वास्थ्य, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों को भी कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। कार्यक्रमों की विषयवस्तु इस तरह से डिजाइन की जाती है कि उससे दिव्यांगजनों को न केवल सरकारी कल्याण कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है, बल्कि उन्हें गरिमापूर्ण जीवन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक जागरूकता की दृष्टि से यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है और दिव्यांगजनों के प्रति समाज के निष्ठुर दृष्टिकोण को बदलने में भी उपयोगी है।

दिव्यांगजनों के लाभ के लिए निदेशालय में कोई विशेष बजट शीर्ष नहीं है, परंतु रैम्प बनाने, विशेष शौचालयों, विशेषकर ग्राउंड फ्लोर पर शौचालय बनाने जैसी सुविधाओं के लिए आकाशवाणी के सीसीडब्ल्यू अनुभाग के बजट शीर्ष 'छिटपुट कार्य' से धन की व्यवस्था की जाती है।

7. कैट के निर्णयों/आदेशों का अनुपालन

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार वर्ष 2016–17 (01 अप्रैल, 2016 से 31 अक्तूबर, 2016) के लिए कैट के निर्णयों/आदेशों के आकाशवाणी में कार्यान्वयन के संदर्भ में जानकारी नीचे दी गई है :

क्र. सं.	अनुभाग/ स्टेशन/ कार्यालय	01.04.2016 से 31.10.2016 के दौरान कैट से प्राप्त आदेशों की संख्या	01.04.2016 से 31.10.2016 के दौरान लागू किए गए फैसलों/ आदेशों की संख्या
1	महानिदेशक : आकाशवाणी (अनुभाग/ स्टेशन/ कार्यालय)	47	20

8. राजभाषा (हिंदी एकांश)

आकाशवाणी निदेशालय (मुख्यालय) का हिंदी एकांश भारतीय संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रति समर्पित है और इस बारे में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों को कार्यान्वित करने के निरंतर प्रयास करता है। एकांश विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों/कार्यालयों में वार्षिक कार्यक्रमों में वर्णित लक्ष्यों को भी कार्यान्वित करता है। 1 अप्रैल, 2016 से 31 अक्तूबर, 2016 के दौरान हिंदी एकांश ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के अलावा अधिकारियों/ कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में काम करने के लिए उत्साहित करने हेतु निम्नांकित कार्यों को अंजाम दिया :

1 अप्रैल, 2016 से 31 अक्तूबर, 2016 तक हिंदी दिवस/ हिंदी पखवाड़ा आयोजन की रिपोर्ट और अन्य विशेष कार्य:–

हिंदी सेमीनार

राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 23 और 24 अगस्त, 2016 को राजस्थान में स्थित आकाशवाणी केंद्रों/कार्यालयों के लिए जोधपुर में हिंदी सेमीनार आयोजित किया गया।

2016–17 में हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा आयोजन

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हर वर्ष 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' मनाया जाता है। आकाशवाणी महानिदेशालय हमेशा यह आयोजन करने का प्रयास करता है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर, 2016 को हिंदी दिवस मनाया गया और 15 सितंबर, 2016 से 28 सितंबर, 2016 के बीच हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। ये आयोजन महानिदेशक श्री एफ. शहरयार के मार्गदर्शन के अंतर्गत आयोजित किया गया। विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और गृहमंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा सीईओ, प्रसार भारती के संदेश इस अवसर पर पढ़ कर सुनाए गए।

हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी में 16 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्य में हिंदी भाषी क्षेत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों की भागीदारी

सुनिश्चित की गई और उनके लिए अलग से हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में अनेक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

हिंदी कार्यशाला

इस वर्ष अभी तक दो हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें हिंदी में काम–काज करते समय आने वाली समस्याओं के समाधान किए गए। 'राजभाषा के इस्तेमाल में प्रगति संबंधी तिमाही रिपोर्ट के निर्धारित प्रारूप में सही आंकड़े भरने' के बारे में एक कार्याशाला 24 मई, 2016 को आयोजित की गई, जिसमें सहायक निदेशक (राजभाषा) श्रीमती ऋचा बैनर्जी ने कर्मचारियों को तिमाही रिपोर्ट प्रारूप में आंकड़े भरने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया। अन्य कार्यशाला 25 अक्तूबर, 2016 को 'राजभाषा की प्रगति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विचार–विमर्श' विषय पर आयोजित की गई, जिसमें श्री राकेश बाबू दूबे, (उपनिदेशक राजभाषा) ने हिंदी में टिप्पणी प्रारूप करते समय कर्मचारियों को आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की और उनके समाधान भी सुझाए।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दिल्ली (केंद्र) का कार्य

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दिल्ली (केंद्र) के 160 कार्यालय/सदस्य हैं और आकाशवाणी के महानिदेशक इसके अध्यक्ष हैं। 15 जुलाई, 2016 को 'राजभाषा और हमारा दायित्व' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें श्री राकेश दुबे, उप निदेशक (राजभाषा) ने व्याख्यान दिया।

न्यू मीडिया विंग

1945 में स्थापित किए गए अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग का नाम बदलकर अब 'न्यू मीडिया विंग' कर दिया गया है। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए सूचना प्रदान करने वाली इकाई के तौर पर कार्य करता हैं। यह मंत्रालय के उपयोग के लिए इसकी मीडिया इकाइयों और जनसंचार से जुड़े अन्य लोगों को पृष्ठभूमि, संदर्भ और अनुसंधान सामग्री प्रदान करता है। न्यू मीडिया विंग सोशल मीडिया सेल को सितंबर 2013 से कार्यात्मक और परिचालन सहायता प्रदान करती आ रही है।

संगठनात्मक ढांचा

न्यू मीडिया विंग का मुख्यालय नई दिल्ली में लोधी रोड स्थित सीजीओ कॉम्पलेक्स के सूचना भवन में है। दो निदेशक और सहयोगी स्टाफ के साथ इसका नेतृत्व अपर महानिदेशक करते हैं।

मुख्य गतिविधियां

सोशल मीडिया

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का न्यू मीडिया सेल (एनएमसी) एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, जो सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम करता है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, यू–ट्यूब, फेसबुक, एमआईबी ब्लॉग, गूगल पेज और इंस्टाग्राम के जरिये सूचना का प्रसार एक प्रमुख प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल /MIB_India के 7,42,000 फॉलोअर्स हैं, जबकि इसके फेसबुक पेज को 12,70,364 लोग लाइक कर चुके हैं। एमआईबी का आधिकारिक यू–ट्यूब चैनल 61,54,656 यूजर देख चुके हैं, जबकि गूगल प्लेटफॉर्म की फॉलोइंग भी 12,12,931 तक पहुंच चुकी है। एमआईबी का ब्लाग http://inbministry.blogspot.in/ भी अब तक कुल 30,04,808 (एक नवंबर 2016 तक) लोग देख चुके हैं।

अप्रैल 2016 से अब तक न्यू मीडिया सेल द्वारा की गई गतिविधियां

1. **सामग्री तैयार करना**

   एनएमसी द्वारा की गई मुख्य पहल हैं :

क) **स्वच्छ भारत मिशन**– स्वच्छ भारत मिशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आधिकारिक यू–ट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम की गई।

ख) **स्मार्ट शहरों का लक्ष्य**– प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम और लाइव ट्वीट की गई।

ग) **स्वच्छ भारत पर टॉकाथोन**– श्री परमेश्वरन अय्यर और श्री राजीव गाबा के साथ नेशनल मीडिया सेंटर में 4 जुलाई, 2016 को टॉकाथोन आयोजित की गई।

घ) **फिल्म समारोह**– सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए सभी मुख्य फिल्म समारोहों में न्यू मीडिया सेल सक्रिय रूप से भागीदार रहा। ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल, पैट्रोएटिक फिल्म फेस्टिवल मंत्रालय के आधिकारिक यू–ट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किए गए।

ङ) **केंद्र सरकार के दो साल**– केंद्र सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसों की पूरी सीरिज कवर की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित तसवीरें ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट की गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस विज्ञप्तियां ब्लॉग और ट्विटर पर भी एक साथ अपलोड की गईं।

च) **टॉकाथोन**– यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के न्यू मीडिया सेल द्वारा वर्चुअल स्पेस को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक कॉम्बिनेशन है, जहां ट्विटर पर रियल टाइम में सवाल पूछे जा सकते हैं और गेस्ट का एक पैनल उसी वक्त उन सवालों के जवाब भी देता है जिसे यू–ट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया जाता है। आईएफएफआई 2016 के दौरान फिल्मी हस्तियों जैसे सुश्री दिव्या दत्ता, श्री नागेश कुकुनूर और श्री रीचे मेहता के साथ तीन टॉकाथोन आयोजित की गईं।

छ) **फेसबुक लाइव**– सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री श्री राज्यवर्धन राठौर के साथ फेसबुक के द्वारा एक लाइव सवाल–जवाब सत्र आयोजित किया गया। फेसबुक यूजर्स द्वारा किए गए सवालों का मंत्री ने रियल टाइम में जवाब दिया। यह एक अनोखी पहल है, जहां लोगों को मंत्री के साथ सीधे तौर पर बात करने का मौका मिलता है और वे सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जान सकते हैं।

ज) **इंफोग्राफिक्स**– भारत सरकार और अन्य विभागों के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में विशेष इंफोग्राफिक तैयार किए गए। इन ग्राफिक प्लेट्स को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर शेयर किया गया। यह भी लोगों को सरकार की योजनाओं से जुड़ने का मौका देता है, क्योंकि इसमें सूचना को रचनात्मक और प्रभावी अंदाज में संप्रेषित किया जाता है।

झ) **विशेष एनिमेशन**– केंद्र सरकार के दो साल पूरे होने पर स्पेशल एनिमेशन वीडियो तैयार करवाया गया। इसमें जन धन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, ग्रामीण विद्युतीकरण इत्यादि प्रमुख कार्यक्रमों को दर्शाया गया। इस वीडियो को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली, फेसबुक पर इसे कुल 1,39,000 लोगों ने देखा।

ञ) **विशेष जीआईएफ्स**– भारत सरकार के अहम कदमों

के बारे में प्रतिदिन ट्विटर पर विशेष जीआईएफ्स पोस्ट किए गए।

ट) **#गवर्नमेंट टुडे–** प्रतिदिन होने वाले विकास की जानकारी देने वाला एक वीडियो तैयार करवाया गया। ट्विटर और फेसबुक पर शॉर्ट वीडियो पोस्ट किए गए और इन्हें यू–ट्यूब पर भी शेयर किया गया। इन वीडियो को देखकर कोई भी दिनभर की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सामग्री पीआईबी की वेबसाइट से ली जाती है।

रुझान रिपोर्ट

न्यू मीडिया सेल भारत सरकार और देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों और आयोजनों पर रिपोर्ट तैयार करता है :

- **सोशल मीडिया विश्लेषण**

  महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर प्रतिदिन दो सोशल मीडिया रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। इन रिपोर्टों को बनाने के लिए ओरेकल और मेल्टवाटर जैसे सोशल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल होता है।

- **प्रतिक्रिया रिपोर्टें**

  दिनभर होने वाले अहम मुद्दों और खबरों के बारे में एक मिड डे रिपोर्ट भी हर रोज तैयार की जाती है। ये सोशल मीडिया और मुख्य मीडिया में चल रहे मुद्दे होते हैं।

- **स्टोरीफाई रिपोर्ट**

  विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी खबरों के विश्लेषण के आधार पर दो स्टोरीफाई रिपोर्टें भी हर रोज तैयार की जाती हैं।

- **मुख्य आयोजनों पर विशेष रिपोर्टें:** सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य आयोजनों पर विशेष सोशल मीडिया रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया के आधार आयोजन की पहुंच और प्रतिक्रिया को प्रसारित किया जाता है।

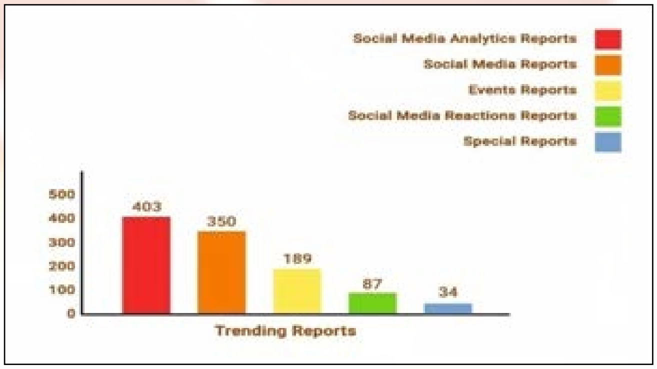

- **मंत्रियों और मंत्रालयों के बारे में सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया**

  मंत्रियों और मंत्रालयों के बारे में सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है।

प्रतिक्रिया प्रबंधन

एमआईबी कनेक्ट– न्यू मीडिया सेल ने लोगों के साथ द्विपक्षीय संवाद स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं। ट्विटर पर लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का न्यू मीडिया सेल द्वारा जवाब दिया गया है। यह एक अनोखी पहला है, क्योंकि इससे लोगों को उनके सवालों पर सूचना और प्रतिक्रिया मिलती है।

भारत–वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

केंद्रीय मंत्रियों, विभागों, राज्यों, संघ शासित प्रदेशों, स्वतंत्र इकाइयों के विकास और प्रगति के बारे में डिवीजन एक संदर्भ पुस्तक भारत–एक संदर्भ वार्षिकी को संकलित करती है। इसी के साथ यह हिंदी में भी भारत शीर्षक से प्रकाशित होती है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत/इंडिया–2017 का संकलन पूरा होने पर इसे प्रकाशन विभाग को जिसका प्रकाशन हो गया है, भेज दिया गया था।

घटनाओं की सूची

डिवीजन घटनाओं की एक पाक्षिक डायरी बनाता है। यह रिकॉर्ड और संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर केंद्रित है।

प्रमुख पत्रिकाओं की मासिक रिपोर्ट

डिविजन उन प्रमुख पत्रिकाओं की मासिक रिपोर्ट भी

तैयार करता है, जिनका एफडीआई में शेयर होता है और जिन्हें सिर्फ कुछ खास विषयों पर भारत में प्रकाशन के लिए अनुमति है। इन पत्रिकाओं की यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की जाती है कि इनके प्रकाशक सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं या नहीं।

सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर राजभाषा हिंदी का इस्तेमाल

राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए तमाम दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए 'न्यू मीडिया विंग' में हिंदी के प्रगतिशील इस्तेमाल के लिए सभी जरूरी प्रयास किए गए। निदेशक की अध्यक्षता के अंतर्गत विंग में हिंदी समिति की तिमाही सभा आयोजित की गईं। आधिकारिक कार्यों में हिंदी के इस्तेमाल का प्रसार करने के लिए हर तिमाही में हिंदी कार्यशाला भी आयोजित की गईं। सितंबर 14 से 28 तक हिंदी पखवाड़ा भी आयोजित किया गया, इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ।

सूचना का अधिकार

डीओपीटी के निर्देशों के अनुसार आरटीआई एक्ट के अंतर्गत सूचना मांगने वाले लोगों के लिए एक सीपीआईओ और एक नोडल अधिकारी तथा एक अपीलीय प्राधिकरण की नियुक्ति की गई।

संदर्भ पुस्तकालय

मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार यह लाइब्रेरी का प्रकाशन विभाग निदेशालय के साथ विलय किया जा रहा है।

जनसंचार पर राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र (एनडीसीएमसी)

विभाग के एक हिस्से के रूप में मंत्रालय द्वारा गठित विशेष समिति की सिफारिश पर सन् 1976 में जनसंचार पर राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र का गठन किया गया। इसका कार्य पत्र–पत्रिकाओं के जरिये जनसंचार से जुड़े चलन और घटनाओं के बारे में सूचना का संकलन, विश्लेषण और प्रसार करना था। एनडीसीएमसी मास मीडिया और संचार पर उपलब्ध मुख्य समाचार, लेखों और अन्य सूचनाओं का प्रलेख पोषण करता है। इसका वर्तमान कार्य सूचना के प्रसार के लिए संकलन से लेकर डाक्यूमेंटेशन तक है। संकलित की गई सूचना का रखरखाव और प्रसार ग्रंथ सूची सेवा लेख का विषय सूचकांक एनोटेटय फिल्म उद्योग में विभिन्न घटनाओं के सार–संक्षेप पर बुलेटिन, संदर्भ सूचना सेवा–पृष्ठभूमि पत्रक, मास मीडिया में कौन क्या है– प्रमुख मीडिया व्यक्तित्वों की जीवनियां, जनसंचारकों को दिए गए पुरस्कार – जनसंचारकों को दिए गए पुरस्कारों का ब्योरा जैसी सेवाओं के जरिय किया जाता है। इस दौरान केंद्र ने इस तरह की 7 सेवाएं शुरू कीं। एनडीसीएमसी पुनर्गठन की प्रक्रिया में है।

सतर्कता गतिविधियां

1) मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालायों में संगठन के लिए की गई सतर्कता गतिविधियों की जानकारी।

   सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं।

2) इस दौरान निवारक सतर्कता गतिविधियां
   - i) इस दौरान नियमित निरीक्षण किए गए।
   - ii) इस दौरान औचक निरीक्षण किए गए।

3) इस दौरान निगरानी और जांच गतिविधियां
   - i) निगरानी के लिए चुने गए क्षेत्रों का ब्योरा। न्यू मीडिया विंग एक छोटा अधिनस्थ कार्यालय है और नियम के अनुसार इसमें निगरानी के लिए सीमित गुंजाइश है।
   - ii) निगरानी में रखने के लिए पाए गए व्यक्तियों की संख्या : कोई नहीं

4) दंडात्मक गतिविधियां 4 (i) से (x) संख्या के आगे संकेत (जहां नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति के अलावा कोई अन्य है)
   - i) इस दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या : शून्य
   - ii) मामलों की संख्या में जिनमें प्रारंभिक जांच की गई : शून्य
   - iii) मामलों की संख्या में जिनमें प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई : शून्य
   - iv) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दंड के लिए आरोप पत्र जारी किए गए : शून्य

v) ऐसे मामले जिनमें मामूली दंड के लिए आरोप पत्र जारी किए गए थे : शून्य

vi) ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन पर भारी जुर्माना लगाया गया था : शून्य

vii) जिन पर मामूली जुर्माना लगाया गया था उन व्यक्तियों की संख्या : शून्य

viii) उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें निलंबन के अंतर्गत रखा गया : शून्य

ix) ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के तौर पर चेतावनी जारी करने जैसे कदम उठाए गए : शून्य

x) व्यक्तियों की संख्या जो नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत समय से पहले सेवानिवृत्त हुए: शून्य

फैसले के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तार/कैट के आदेश

क्र. सं.	मीडिया इकाइयां/विभाग	वर्ष 2014–15 के लिए कैट द्वारा प्राप्त किए ऑर्डर की संख्या	2015/16 के दौरान आए न्यायिक फैसलों की संख्या
1.	न्यू मीडिया विंग	शून्य	शून्य

प्रसारण इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल)

1. बेसिल (बीईसीआईएल) का संक्षिप्त इतिहास

प्रसारण इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का ISO 9001:2008 मान्यता प्राप्त मिनी रत्न, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। संप्रेषण और उत्पादन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रसारण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए 24 मार्च, 1995 को इसकी स्थापना की गई। इसमें स्थलीय और उपग्रह प्रसारण के विशेष क्षेत्र, केबल और विभिन्न आईटी संबंधी क्षेत्र जिसमें ऑडियो–वीडियो सिस्टम भी शामिल हैं, में विशेषज्ञ समाधान देना भी शामिल है।

बेसिल सभी प्रकार के प्रसारण और विवरण के स्टेशनों के संचालन और रखरखाव का कार्य भी करती है। बेसिल के पास विशेषज्ञों का एक दल और प्रसारण के विभिन्न क्षेत्रों से शामिल किए गए विशेषज्ञों का समूह है। यह लगातार नवीनतम तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अपने कौशल में सुधार कर रही है। प्रोजेक्ट के कार्य और प्रसारण तंत्र के रखरखाव के साथ–साथ बीईसीआईएल तकनीक कुशल व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और रोजगार भी उपलब्ध कराती है और सभी प्रकार के प्रसारण तंत्र के कार्य और विकास के लिए भारत के विभिन्न विभागों को विशेषज्ञ उपलब्ध कराती है। बेसिल के ग्राहकों में सरकारी, अर्ध सरकारी, विदेशी और निजी संगठन तक शामिल हैं। इसे कई तरह की पहल करने का श्रेय जाता है। मसलन भारत में पहला टेलीपोर्ट, भारत में पहला बहुविकल्प एफएम प्रसारण तंत्र, जिसमें बंगलुरू में ७ एफ.एम. चैनल भी शामिल हैं। पहला लोकसभा टीवी और राष्ट्रपति सचिवालय के लिए एचडीटीवी स्टूडियो डिजाइन कराना। बेसिल का मुख्यालय दिल्ली में है, इसका कॉरपोरेट ऑफिस नोएडा में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय बंगलुरु में है और अब यह अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में विविधता के लिए कई राज्यों में भौगोलिक विस्तार के मौके तलाश रही है।

बीते सालों में बेसिल ने दक्ष और कुशल इंजीनियरों की एक टीम भी तैयार की है और साथ ही प्रसारण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से पेशेवरों का एक बड़ा समूह तैयार किया है, इसमें सार्वजनिक और निजी प्रसारक और डिफेंस व केबल उद्योग शामिल हैं। तकनीकी रूप से दक्ष इस नेटवर्क के ज़रिये, बेसिल ने उद्योग की जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी पैन इंडिया उपस्थिति भी दर्ज कराई है।

बेसिल के पास विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह है और यह भारत के राष्ट्रीय प्रसारक ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को एकीकृत करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है, जो एक अरब लोगों तक पहुंचता है और दुनिया का सबसे बड़ा उपग्रह टेलीविजन नेटवर्क है, जिसे भारत और विदेशों में लाखों टीवी सेट्स तक पहुंचने के लिए एनालॉग और डिजिटल सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस दी जाती है।

2. लक्ष्य

स्थलीय, केबल और उपग्रह प्रसारण के माध्यम से भारत तथा विदेशों में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के विकास तथा आधुनिकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाना और उत्कृष्टता हासिल करना।

3. उद्देश्य

- ग्राहकों की एक व्यापक श्रेणी को विशेष और अनुकूलित समाधान प्रदान करके बाज़ार में मौजूद हिस्सेदारी बढ़ाना।
- प्रसारण से जुड़ी नीति के निर्माण और नियमन के लिए विभिन्न दस्तावेज़ तैयार करने में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को तकनीकी सेवा उपलब्ध कराना।
- विदेशी बाज़ार में मौकों की तलाश।
- उत्पाद विकास के लिए बाज़ार शोध करना।
- टीवी चैनलों और दूरस्थ शिक्षा केंद्रों के लिए सैटेलाइट अपलिंक और डाउनलिंक प्रणाली तैयार करना।
- प्रसारण केंद्रों की स्थापना और रखरखाव।
- प्रसारण पेशेवरों को प्रशिक्षण देना।
- विशेष प्रसारण उपकरणों का विकास, निर्माण और डिजाइन करना।

4. क्रियान्वित की गई मुख्य योजनाएं

- निजी एफ.एम. प्रसारणकर्ताओं के फेस–3 के बैच–1 के अंतर्गत सामान्य ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना।
- ऑल इंडिया रेडियो (प्रसार भारती) की 18 साइट्स पर 16 पैनल एफ.एम. एंटिना की एसआईटीसी।
- दूरदर्शन (प्रसार भारती) की तीन साइट्स पर सुपरटर्नस्टाइल एंटिना की एसटीसी।
- डीवीबी–एस2 आधारित आईआरडीज की प्रसार भारती (दूरदर्शन) के 154 केंद्रों पर आपूर्ति।
- उत्तर प्रदेश और पंजाब में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की गतिविधियों को पूरा करने के लिए अंतर–वैयक्तिक संचार अभियान आयोजित करना।
- पूरी तरह से कार्यकारी सर्विलांस एंड एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम (एसएसीएमएस) के लिए डिजाइन, खरीद, स्थापना, एकीकरण, परीक्षण करना।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए सोशल मीडिया की निगरानी और प्रतिक्रिया प्रबंधन।
- भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण विंग के स्वचालन के लिए वेबपोर्टल का डिजाइन, विकास और रखरखाव।
- नई दिल्ली के सूचना भवन की 11वीं मंजिल पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) के लिए सिविल, इंटीरियर, मॉड्युलर, आईटी नेटवर्किंग कार्य।
- भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग निदेशालय की अन्य व्यवसायिक प्रक्रियाओं और प्रबंधन का कंप्यूटरीकरण।
- सीसीटीवी सर्विलांस सहित हावड़ा और अन्य स्थानों पर एकीकृत सुरक्षा व्यवस्था की डिजाइनिंग, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और रखरखाव।
- पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम के डिपो में सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम का रखरखाव, आपूर्ति और टेस्टिंग।
- ट्राई के अधिनियमों के अनुसार डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट।
- मिशन डिजिटलीकरण परियोजना–सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए केबल टीवी डिजिटाइजेशन के फेज III और फेस IV का कार्यान्वयन।
- बंगलुरु के एचएएल सेंटर ऑफ एयरोस्पेस मैनेजमेंट एक्सीलेंस और लीडरशिप के ऑडिटोरियम में वीडियो वर्क, ऑडियो तैयार करना, टेस्टिंग करना और इंस्टॉल करना, ऑडिटोरियरम की कुर्सियों समेत इंटीरियर का अन्य सामान उपलब्ध कराना।

- बंगलुरु में विधानसभा, विधान परिषद में सीसीटीवी सेटअप का नवीनीकरण।
- चेन्नई में एएआई के आवासीय परिसर में कल्याण मंडपम के लिए पेशेवर किस्म का ऑडियो–वीडियो सिस्टम और ध्वनि संबंधी समाधान उपलब्ध कराना।
- बंगलुरु स्थित एचएएल कॉरपोरेट ऑफिस के ऑडिटोरियम में कुर्सियों का नवीनीकरण, मुख्यद्वार की सज्जा और ग्रेनाइट आवरण के साथ–साथ दीवारों इत्यादि की मरम्मत कराना।
- सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए ट्रांसमीटर और विशेष वीएचएफ एंटीना का निर्माण।

5. बेसिल – प्रबंधन व संगठन

निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामांकित एक अध्यक्ष और एक प्रबंध निदेशक, एक पूर्णकालिक निदेशक (कार्य प्रणाली व विपणन), दो निदेशक और एक अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक शामिल होता है। निदेशक स्तर से नीचे महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, प्रबंधक, उप प्रबंधक और सहायक प्रबंधक और कनिष्ठ प्रबंधक शामिल हैं। परियोजना का काम कंपनी द्वारा अनुबंध के आधार पर काम पर रखे गए सलाहकारों और परियोजना प्रबंधकों को सौंपा है।

वर्तमान में निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य हैं :

अध्यक्ष और प्रबंधकीय निदेशक	:	श्री जॉर्ज कुरुविला
पूर्णकालिक निदेशक	:	श्री डी.आर. गोगोई
सरकार नामित निदेशक	:	कुं. अंजू निगम और श्री वी.के. चौबे

6. व्यवसायिक गतिविधियां

- विशेषज्ञता क्षेत्र
  - एफ.एम. प्रसारण
  - टीवी चैनल स्थापित करना
  - टेलीपोर्ट्स का संस्थापन
  - डायरेक्ट टू होम व्यवस्था
  - केबल हेड–एंड व्यवस्था
  - सैटेलाइट के ज़रिये दूरस्थ शिक्षा प्रणाली
  - सामुदायिक रेडियो स्टेशन
  - ध्वनि, स्टेज प्रकाश, ध्वनि सुदृढ़ीकरण प्रणाली

7. वित्तीय विशेषताएं

साल 2015–16 के लिए तुलनात्मक आंकड़ों के साथ वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन आगे दिया गया है :

(रुपये लाख में)

(क)	विवरण	वर्ष	वर्ष
		2015-16	2014-15
	संचालन का परिणाम		
	संचालन से आय	3142.26	8757.41
	जमा कार्य का मूल्य	2717.20	3995.22
	(क) वर्ष के दौरान कुल व्यवसाय	5859.46	12752.63
	व्यय (जमा काम सहित)	6199.64	11734.00
	परिचालन (लाभ/घाटा)	(340.18)	1018.63
	वित्तीय लागत	440.89	1046.89
	अवमूल्यन और परिशोधन	191.23	238.38
	संदिग्ध प्राप्तियों और अग्रिम के लिए भत्ता	-	5.32
	पूर्व अवधि समायोजन और असाधारण आइटम	(7.17)	(14.77)
	लाभ/(हानि) कर खर्च से पहले	(965.13)	(257.19)
	अस्थगित कर	(342.99)	(118.40)
	लाभ/(हानि) कर खर्च के बाद	(622.14)	(138.79)
	निगमित सामाजिक दायित्व के लिए स्थानांतरण	-	-
	जनरल रिजर्व के लिए स्थानांतरण	-	-
	आय/(हानि) प्रति शेयर	(456.00)	(102.00)
(ख)	**कोष के सूत्र**		
	जारी सदस्यता और पूंजी रिजर्व और अधिशेष पेड–अप	136.50	136.50
	रिजर्व और अधिशेष	1401.37	2023.51
	गैर मौजूदा देनदारियां	554.98	470.50
	वर्तमान देनदारियां	14063.72	11989.63
	कुल	16156.57	14620.14
	कोष के इस्तेमाल		
	अचल सम्पत्ति	1288.19	1237.53
	वर्तमान संपत्ति	14066.68	12926.57
	आस्थगित कर परिसंपत्ति (नेट)	799.03	456.04
	अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्ति	2.68	-
	कुल	16156.58	14620.14
(ग)	**अन्य जानकारी**		
	अधिकृत पूंजी	250.00	250.00
	नियोजित पूंजी	1537.87	2160.01
	कुल मूल्य	738.84	1703.98

शेयर पूंजी

बीईसीआईएल को 250 लाख रुपये की आधिकारिक पूंजी दी गई थी। 1995–96 के लिए प्रदत्त शेयर पूंजी 25 लाख रुपये से बढ़कर 136.5 लाख रुपये। फिलहाल केंद्र सरकार के पास 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी है। बीईसीआईएल को सरकार से किसी भी प्रकार का बजटीय सहयोग नहीं मिलता है।

प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान शीर्ष प्रबंधन में मुख्य बदलाव हुए। छह अधिकारियों (चार महाप्रबंधकों, निदेशक और सीएमडी) में से तत्कालीन निदेशक (ओ एवं एम) जनवरी 2014 में सेवानिवृत्त हो गए। एक महाप्रबंधक को निदेशक का पद दिया गया और दो महाप्रबंधक अक्तूबर/नवंबर 2014 के महीने में सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद तत्कालीन सीएमडी ने समय से पहले दिसंबर 2013 में मार्च 2014 तक सेवामुक्त किए जाने का निवेदन करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। उन्हें अगस्त 2015 में सेवामुक्त किया जा सका। नतीजतन वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान कोई प्रमुख व्यापार निर्णय/रणनीतिक साझेदारी नहीं की गई, जिससे वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी की ऑर्डर बुक की संख्या में कमी आई। नतीजतन कंपनी का कुल व्यवसाय 5859.46 लाख रुपये तक लगभग 50 प्रतिशत कम हो गया, जो कि 31 मार्च, 2015 तक 12752.63 लाख रुपये था। इसमें 622.14 लाख रुपये का नुकसान हुआ जो कि बीते वर्ष 31 मार्च, 2015 तक 138.79 लाख रुपये था।

सितंबर 2015 में (ओ एंड एम) निदेशक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त पदभार लेने के बाद, कंपनी के प्रबंधन ने कंपनी की प्रगति के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की और उसी के अनुसार विभिन्न नए क्षेत्रों में व्यवसाय के अवसर तलाशने के लिए इसके वस्तु खंड में बदलाव किए। इसके बाद कंपनी ने रणनीतिक साझेदारी की और सीसीटीवी व सर्विलांस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर मुख्य योजनाएं और टेंडर प्राप्त किए। इससे रेलवे और भारतीय खाद्य निगम इत्यादि के क्षेत्र में अपना खाता खोला। ईएमएमसी में ऑर्डर के अलावा आईटी, एफएम फेस–3 इत्यादि का सामान्य ढांचा और आने वाले साल में क्रियान्वयन के लिए 326.08 करोड़ रुपये के मुख्य ऑर्डर लिए, जिसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए वह प्रतिबद्ध है और इससे विकास की गति को बहाल करने में मदद मिलेगी।

8. वर्ष के दौरान प्रबंधन पहल और व्यापार गतिविधियां

वर्ष के दौरान समीक्षा के अंतर्गत बीईसीआईएल ने निम्नलिखित मुख्य योजनाओं पर कार्य किया :

एफएम फेस–3 प्रसारण

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ज़रिये भारत सरकार ने एफएम रेडियो प्रसारण के फेस–3 को निजी भागीदारी के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य निजी संस्थाओं को एफएम रेडियो कवरेज के संबंध में किए जा रहे प्रयासों में सहायता के लिए आकर्षित करना है, ताकि रेडियो स्टेशन स्थानीय सामग्री और प्रासंगिकता के अनुसार सामग्री उपलब्ध करा सकें और गुणवत्ता में सुधार के साथ–साथ स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने जैसे कार्य किए जा सकें। इसमें एफएम फेस–3 रेडियो चैनलों के पहले समूह के लिए आरोही ई–निलामी मददगार होगी।

एफएम फेस–3 के पहले समूह में फेस–2 के मौजूदा 69 शहरों में 135 चैनल हैं। एफएम फेस–3 के दूसरे समूह में 92 शहरों में 266 चैनल हैं, जिसमें 227 चैनल 69 नए शहरों और 39 चैनल मौजूदा 23 शहरों में हैं।

शहरों में जहां फेस–2 का रिक्त चैनल है या अतिरिक्त चैनल की योजना है और कंपनी द्वारा सीटीआई तैयार किया गया है, कंपनी द्वारा सीटीआई के उन्नतिकरण का प्रमाणीकरण किया जाना है।

साथ ही साइट पर एफएम चैनलों का सह–स्थान भी अनिवार्य कर दिया गया है। फेस–2 के मौजूदा 69 शहरों में कॉमन ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए बेसिल तंत्र समन्वयक है और एफएम फेस–3 (बैच–1) (कुल 90 चैनल) के अंतर्गत सीटीआई को पूरा करने, स्थापित करने और लागू करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक सफल एलओआई धारक के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्रीमेंट (पीएमए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

जैसा कि पीएमए में उल्लेख है, प्रत्येक एलओआई धारक की हिस्सेदारी और अनुमानित लागत पर बाद में चर्चा की जाएगी, क्योंकि विभिन्न उपकरणों की लागत आवृत्ति,

शक्ति संभालने की क्षमता जैसे विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है। बेसिल ने 31 मार्च, 2016 तक सफलतापूर्वक तीन सीटीआई साइट्स (मुंबई, बंगलुरु, गुवाहटी) और दस सीटीआई साइट्स (हिसार, करनाल, चंडीगढ़, राजकोट, जयपुर, सूरत, पटियाला, वाराणसी, जोधपुर, नांदेड़) को 30 अक्तूबर, 2016 तक पूरा किया है। बचे हुए स्थानों पर कार्य का क्रियान्वयन प्रगति पर है।

एफएम फेस–3 (समूह–1) के अंतर्गत प्रसारकों की सूची इस प्रकार है :

1. हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड
2. डिजिटल रेडियो (मुंबई) ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड
3. इंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड
4. म्यूजिक ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड
5. रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड
6. राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड
7. डीबी. कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8. अभिजित रियल्टर्स एवं इंफ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
9. रेडर लाइव फिल्म्स एवं एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
10. सार्थक फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड
11. अबिर बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
12. डिजिटल रेडियो (दिल्ली) ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड
13. मातृभूमि प्रिंटिंग एवं पब्लिशिंग को. लिमिटेड
14. ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड

एफएम फेस–3 प्रोजेक्ट के लिए बेसिल टीम

ऑल इंडिया रेडियो (प्रसार भारती) की 18 साइट्स पर 16 पैनल एंटिना का एसआईटीसी

प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो) ने 18 साइट्स पर संबंधित उपकरणों के साथ 16 पैनल एंटीना की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और इनकी शुरुआत के लिए ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर को वैश्विक प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से हासिल किया गया है। इस योजना का आपूर्ति हिस्सा वर्ष 2015–16 के दौरान पूरा कर लिया गया और स्थापना, परीक्षण कार्य भी किया गया। आपूर्ति किया गया वाइड बैंड एंटिना एफएम बैंड में कार्य करता है और इसमें 4 पैनलों के 4 हिस्सों का अपरचर है, जिससे 16 पैनल एंटिना तैयार होता है। टॉवर के गोलाकार हिस्से पर बढ़ाई गई व्यवस्था के साथ सिस्टम का चक्रीय रूप से स्वीकृत है। इसका ऐसा एक हिस्सा नीचे तसवीर में दिखाया गया है। इस ऑर्डर में 3 इंच और 4 इंच आकार की आरएफ केबल और संबंधित उपकरण एंटीना, स्विच, रिजिड लाइन और डिहाइड्रेटर भी शामिल है।

दूरदर्शन (प्रसार भारती) की तीन साइटों पर सुपरटर्नस्टाइल एंटिना का एसटीसी

बेसिल ने तीन साइटों पर वीएचएफ और यूएचएफ सुपरटर्नस्टाइल एंटीना की आपूर्ति, परीक्षण और इन्हें चालू कराने के लिए अपने ऑर्डर को सुरक्षित कर लिया है। यह ऑर्डर वैश्विक नीलामी प्रतियोगिता के ज़रिये हासिल किया गया। इस योजना का आपूर्ति हिस्सा वर्ष 2014–15 के दौरान पूरा कर लिया गया। परीक्षण और इसे चालू करने का कार्य बेसिल द्वारा किया गया।

प्रसार भारती (दूरदर्शन) को 154 स्थानों पर डीवीबी–एस2 आधारित आईआरडीस की आपूर्ति

प्रसार भारती (दूरदर्शन) द्वारा डीवीबी–एस2 आधारित आईआरडीस की आपूर्ति के लिए जारी किए गए टेंडर बेसिल द्वारा हासिल किए गए थे। इसकी आपूर्ति वित्त वर्ष 2016–17 में पूरी की गई। ये व्यवहारिक आईआरडी एल बैंड इनपुट प्राप्त करती हैं और एनालॉग बेसबैंड (वीडियो व ऑडियो), डिजिटल एसडीआई, अंतःस्थापित ऑडियो और एएसआई सिग्नल आउटपुट उपलब्ध कराती हैं।

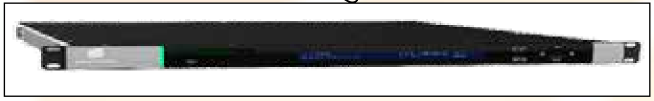

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की गतिविधियों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों में अंतर वैयक्तिक संवाद का अभियान आयोजित करना

बेसिल ने डीएफपी की तरफ से पारस्परिक संवाद और

ग्रामीण संवाद गतिविधियां आयोजित करने के लिए संस्थाओं को पैनल में शामिल किया। उत्तर प्रदेश और पंजाब में इसके लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर सबसे ग़रीब और हाशिए पर आबादी तक पहुंचने के लिए प्रभावी ढंग से सीधी बातचीत करना और साथ ही कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और लाभ के अनुभव पर सरकार को भविष्य में इस तरह की गतिविधियां कराने के लिए प्रतिक्रिया उपलब्ध कराना था।

अंतर–वैयक्तिक संचार (आईपीसी) अभियान में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं :

- गांवों में ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में बताने के लिए ग्रामीण कार्यक्रमों का आयोजन। इसमें चर्चा आधारित प्रतियोगिताएं, रैलियां आदि शामिल हैं।
- जिस भी गांव में कार्यक्रम किया जाना है, वहां जनमत को प्रभावित करने वाले नेताओं जैसे स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायत नेताओं, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं से संपर्क करके सामाजिक एकजुटता लाना।
- स्थानीय भाषाओं में ग्रामीण संचार सामग्री जैसे पुस्तिकाएं, पोस्टर, वॉल पेंटिंग इत्यादि का विकास।
- सफलता की कहानियों के साथ ही योजनाओं का लाभ उठाने में ग्रामीण जनता द्वारा झेली जाने वाली कठिनाइयों पर प्रतिक्रिया उपलब्ध कराना है।

आईपीसी अभियान के समापन पर एक प्रभावी अध्ययन भी किया गया। उपर्युक्त परियोजना की तस्वीरें नीचे दी गई हैं।

परियोजनाओं के कुछ चित्र

निगरानी अभिगम नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली (स्कैम)

यह परियोजना पूर्ण रूप से कार्यरत परिचालन निगरानी एवं प्रवेश नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली के डिजाइन, खरीद, स्थापना, एकीकरण, परीक्षण एवं शुरुआत और संबद्ध सेवाओं के बारे में हैं जो कि ग्राहकों की जरूरतों और उन कोड्स पर आधारित है, जो दो मुख्य इमारतों और उससे जुड़े क्षेत्रों को केंद्रीय सुरक्षा प्रबंधन, एकीकृत नियंत्रण और दूरस्थ निगरानी उपलब्ध कराते हैं। इसमें भारत सरकार की सभी मौजूदा सुविधाएं भी शामिल हैं। एसएसीएमएस सख्त नियमन और राज्य के अत्याधुनिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी के अनुकूल ढालने, विश्वसनीयता के उच्चतम स्तर पर पालन करने और इस तरह के इंट्रानेट, इंटरनेट, लैन/वैन के रूप में नेटवर्किंग ढांचे को एकीकृत करेगा। एसएसीएमएस के अंतर्गत सभी इंटरफेस कॉरपोरेट इंट्रानेट/इंटरनेट/लैन/वैन टीसीपी से आईपी नेटवर्क प्रोटोकॉल कनेक्टिविटी पर आधारित होंगे। बेसिल इन परियोजनाओं को चिरकालीन सहयोग देती है और इसके उपभोक्ता को लगातार इसके इस्तेमाल और रखरखाव में मदद करती है।

सुरक्षित डाटा ट्रांसफर नेटवर्क परियोजना (एसडीटीएन)

देश के एक प्रमुख सरकारी संगठन ने बेसिल को कंप्यूटर डेटा नेटवर्क बनाने की एक परियोजना सौंपी। यह एक जटिल परियोजना थी, जिसमें बीस आउटस्टेशनों को जोड़कर सुरक्षित डाटा नेटवर्क प्रणाली कायम करनी थी। इसके बाद यह परियोजना पूरी की गई और अब इसने काम करना शुरू कर दिया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए सोशल मीडिया निगरानी और प्रतिक्रिया प्रबंधन :

i. भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए 24x7 कार्य और रखरखाव की सोशल मीडिया निगरानी और प्रतिक्रिया प्रबंधन सेवा और आपूर्ति, सॉफ्टवेयर की जांच एवं स्थापना।

ii. भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की न्यू मीडिया विंग के लिए आयोजन कवर करना, सामग्री की पैकेजिंग और अपलोडिंग, सामग्री निर्माण, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर संपादन।

iii. श्रम व रोजगार मंत्रालय के लिए सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब की स्थापना करने के लिए पेशेवर सेवाएं देना।

iv. भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्थापना और जांच।

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रसारण विंग के ऑटोमेशन के लिए वेबपोर्टल का डिजाइन, विकास और रखरखाव

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रसारण विंग के ऑटोमेशन के लिए वेबपोर्टल का डिजाइन, विकास और रखरखाव कर लिया गया है।

ईएमएमसी – फेस– दो परियोजना

i. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)

के लिए सिविल, इंटीरियर, आईटी नेटवर्किंग और एमईपी कार्य नई दिल्ली के सूचना भवन की 11वीं मंजिल पर कर लिए गए हैं।

ii. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर में आपूर्ति, स्थापना, वीडियो वॉल सिस्टम लगाने का कार्य नई दिल्ली के सूचना भवन की दसवीं मंजिल पर किया गया है।

iii. नई दिल्ली के सूचना भवन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर में 600 टीवी चैनलों की आरएफ डाउनलिंक प्रणाली व्यवस्था के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध।

ईएमएमसी फेस–2 प्रोजेक्ट

ईएमएमसी वर्कस्टेशन

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग निदेशालय में सूची प्रबंधन और अन्य व्यापार प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग निदेशालय में सूची प्रबंधन और अन्य व्यापार प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण कर लिया गया है।

एकीकृत सुरक्षा व्यवस्था का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और रखरखाव

i. हावड़ा व अन्य स्थानों पर एकीकृत सुरक्षा व्यवस्था का डिजाइन, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और रखरखाव। इसमें तीन साल की वारंटी के साथ सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम और निजी व सामान्य इत्यादि की सुरक्षा जांच व्यवस्था भी शामिल है और साथ ही वारंटी अवधि के बाद कोलकाता, पूर्वी रेलवे के लिए पांच साल की एएमसी भी।

ii. भारतीय खाद्य निगम पूर्वी क्षेत्र के डिपो पर सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और रखरखाव।

iii. भारतीय खाद्य निगम पश्चिमी क्षेत्र के डिपो पर सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और रखरखाव।

ट्राइ के नियम व मानकों के आधार पर डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (सीएएस, एसएमएस एवं एसटीबी) का ऑडिट

ट्राइ के नियम व मानकों की अनुसूची–1 के अनुसार डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (सीएएस, एसएमएस एवं एसटीबी) का ऑडिट करना। ऑडिट में ट्राइ के नियम व मानकों की अनुसूची–1 के अनुसार ग्राहक को डीएएस व्यवस्था प्राप्त करने के लिए सलाह और परामर्श देना भी शामिल है। जरूरत के अनुसार सभी ऑडिट कर लिए गए हैं।

माननीय टीडीसैट के निर्देशानुसार ऑडिट

माननीय टीडीसैट के निर्देशानुसार ऑडिट का दायरा क्या हो, यह विभिन्न मामलों पर दिए गए निर्देशों पर निर्भर करता है। यह व्यवसायिक और तकनीकी दोनों तरह का ऑडिट भी हो सकता है। जब भी जरूरत हो, माननीय टीडीसैट के सभी संदर्भों को शामिल किया गया।

मिशन डिजिटलीकरण परियोजना

केबल टीवी डिजिटलाइजेशन के फेस–3 और फेस–4 का क्रियान्वयन। कार्य का विस्तार देश भर में 12 क्षेत्रीय इकाइयां स्थापित करना, इन क्षेत्रीय इकाइयों पर संविदात्मक कर्मचारियों (पीडी, एपीडी, ओए और डीईओ) की भर्ती, बहुभाषीय कॉल सेंटरों की स्थापना, एसटीबी की निगरानी के लिए एमआईएस एप्लीकेशन का विकास, केबल टीवी डिजिटाइजेशन के सभी हितधारकों को सभी जरूरी सूचनाएं और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक वेबसाइट का विकास। फेस–3 का कार्य पूरा कर लिया गया और सभी गतिविधियां भी पूरी की गईं। फेस–4 का कार्य प्रगति पर है।

प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियां

वायरलाइन प्रसारण पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। हाल ही में देशभर में एवी इंस्टॉलेशन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इंफोकॉम इंटरनेशनल के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर। काफी संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए गए।

प्रो एवी इंस्टालेशन का प्रशिक्षण लेते हुए प्रोफेशनल विशेषज्ञ

बंगलुरु के हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के सेंटर ऑफ एयरोस्पेस मैनेजमेंट एक्सीलेंस और लीडरशिप में ऑडिटोरियम की कुर्सियों समेत अन्य सामान उपलब्ध कराना और ऑडियो व वीडियो कार्य के लिए आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण

एचएएल, बंगलुरु द्वारा निकाले गए टेंडर को बेसिल ने प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर हासिल किया। इसमें उसे बंगलुरु के एचएएल के सेंटर ऑफ एयरोस्पेस मैनेजमेंट एक्सीलेंस और लीडरशिप में ऑडिटोरियम की कुर्सियों समेत अन्य सामान उपलब्ध कराना और ऑडियो व वीडियो कार्य के लिए आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण करना है। यह 794 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम होगा। इसमें व्यवहारिक ऑडियो व वीडियो समाधान उपलब्ध होंगे। यह योजना समय–सीमा के भीतर पूरी कर ली गई।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स के ऑडिटोरियम में बेसिल द्वारा ऑडियो–वीडियो और ध्वनि संबंधी विशेषताओं का इंतज़ाम

बंगलुरु की विधानसभा और विधानपरिषद के लिए सीसीटीवी सेटअप का नवीनीकरण

कर्नाटक सरकार ने बंगलुरु की विधानसभा और विधानपरिषद के लिए सीसीटीवी सेटअप के नवीनीकरण के लिए बेसिल को शामिल किया। यह योजना भी तय समय–सीमा के भीतर पूरी कर ली गई।

चेन्नई के एएआई आवासीय क्वारटर्स में कल्याण मंडप के लिए व्यवहारिक ऑडियो–वीडियो सिस्टम और ध्वनि उपचार व अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराना

चेन्नई के भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा एएआई आवासीय क्वारटर्स में कल्याण मंडप के लिए व्यवहारिक ऑडियो–वीडियो सिस्टम और ध्वनि उपचार व अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराने के लिए बेसिल को चुना गया। एमओयू में दी गई समय–सीमा के अनुसार योजना को पूरा कर लिया।

बंगलुरु के एचएएल कॉरपोरेट ऑफिस में सभागार

के लिए कुर्सियों का नवीकरण, ग्रेनाइट आवरण और स्वागत द्वार का फर्श और वॉल पैनल इत्यादि को बदलवाना

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा जारी किए गए टेंडर में प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर बेसिल ने यह परियोजना हासिल की। साथ ही यह योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए ट्रांसमीटर एंटीना (सीआरएस 50) और द्विखाड़ी वीएचएफ एंटीना का निर्माण

बेसिल के पास बंगलुरु में एफएम ट्रांसमीटर एंटीना (सीआरएस 50) और टू–वे वीएचएफ एंटीना का निर्माण करने के लिए पर्याप्त सेटअप है। इसे बेसिल द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिल ने जारी वित्त वर्ष के लिए लगभग 20 ट्रांसमीटर और 10 एंटीना तैयार किए हैं।

9. भविष्य की व्यापार गतिविधि

भविष्य में संभावित बेसिल की व्यापार संभावनाएं निम्नलिखित हैं :

i. समग्र टेलीविजन बाजार में प्रगति संभावित है :

- पे–टीवी का दायरा बढ़ने से टेलीविजन उद्योग में प्रगति होगी।
- केबल डिजिटलाइजेशन के क्रियान्वयन के साथ पे–टीवी एआरपीयू में भी बढ़ोतरी होगी।
- फेस–3 के जरिये निजी एफएम प्रसारण का विस्तार रेडियो क्षेत्र में भी गतिविधियों को बढ़ाएगा।
- टीवी कवरेज और कर्नाटक विधानमंडलों की कार्यवाही का वितरण।
- वर्धा भवन, बंगलुरु में मीडिया केंद्र की स्थापना।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, चेन्नई में बोर्ड रूम की स्थापना के लिए ध्वनिकी, ए वी और वीडियो सम्मेलन सिस्टम उपलब्ध कराना।
- पॉडिचेरी के जेआईपीएमईआर के लिए मल्टीमीडिया सेटअप लगाने और टेलीमेडिसिन सुविधा देना।
- अहिल्या आई फाउंडेशन, पलक्कड़ में सभागार के लिए ध्वनिक उपचार, पेशेवर ध्वनि सुदृढीकरण और संबद्ध सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- आधुनिक कला, बंगलुरु की नेशनल गैलरी में ऑडियो–वीडियो, चरण चिलमन और प्रकाश व्यवस्था का उन्नयन।
- बंगलुरु में निमहांस संग्रहालय लिए ऑडियो और वीडियो सुविधाओं का उन्नयन।
- इरोड के आईआईएम में कोंगु इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्वेंशन सेंटर का नवीनीकरण।
- बंगलुरु के आर.एल. जलप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए इलेक्ट्रॉनिकि मीडिया सेंटर।
- औरंगाबाद के डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के लिए टीवी स्टूडियो एवं मल्टीमीडिया सेटअप।

II. बेसिल के प्रबंधन ने विभिन्न व्यापार के अवसरों में वृद्धि और विस्तार के लिए वस्तुखंड में बदलाव किया है और निम्न में प्रवेश करने की योजना बनाई है:

क) नए क्षेत्र

- नए व्यापारिक डोमेन में शामिल होना
- नई सेवाओं, उत्पादों और क्षेत्रों में विविधता
- सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के लिए साइबर सुरक्षा
- क्षेत्रीय कार्यालय खोलना
- टावर निर्माण
- प्रसारण क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन
- ई–एजुकेशन कक्षाओं की मांग
- सोशल मीडिया तंत्रों में प्रगति

ख) सरकार की नई नीतियों के साथ नई शुरुआत

- डिजिटल इंडिया पहल : केंद्रीय और प्रदेश सरकार की ई–गवर्नेंस योजना, पेमेंट गेटवे के साथ ऑनलाइन वेब पोर्टल।
- मेक इन इंडिया पहल : नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर

(एनवीआर) और सीसीटीवी व सर्वलिांस प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए तकनीकी कंपनियों से साझेदारी।

स्किल इंडिया पहल : केबल डिजिटलाइजेशन, सीसीटीवी सर्विलांस, स्मार्ट सिटी, एफएम रेडियो परियोजनाओं इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्युनिकेशन के आईआईटी डिप्लोमा छात्रों का प्रशिक्षण। बेसिल कौशल क्षेत्र परिषद, आईएएससी का मौजूदा सदस्य है।

III. रचनात्मक मीडिया एवं फिल्म निर्माण

बेसिल ने रेडियो, टेलीविजन, कम्यूनिकेशन, सैटेलाइट और केबल प्रसारण के क्षेत्र में बेसिल ने सफलतापूर्वक विभिन्न योजनाओं को पूरा किया है और खुद को श्रेष्ठ सेवा प्रदाता साबित किया है। अब बेसिल अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए नए रास्ते तलाश रही है ताकि नए अवसरों का अधकितम लाभ लिया जा सके।

बेसिल ने रचनात्मक मीडिया एवं फिल्म निर्माण को एक अहम कदम के तौर पर आगे बढ़ाया है। इसका उद्देश्य ब्रांड और पहचन बनाने के लिए संस्थाओं और संगठनों की रचनात्मक मांगों को पूरा करना है।

इस व्यवसाय क्षेत्र में निम्नलिखित गतविधियां की जाएंगी:

- समाचार एवं जीईसी श्रेणी में विभिन्न टीवी चैनलों के लिए ऑन एयर प्रमोशन और प्रसारणकर्ताओं के लिए उच्च श्रेणी के विज्ञापन तैयार करना।
- कंपनी का लोगो तैयार करना और ब्रांडिंग करना।
- कॉरपोरेट एवी, वीएफएक्स और विभिन्न विज्ञापन समाधान।
- डीडी के लिए टेंडर निकालना (रचनात्मक संस्था के लिए)।
- शिक्षाप्रद फिल्में बनाने के लिए एनआईओएस के साथ संधि।
- व्यावसायिक फिल्मों और आयोजनों के लिए विभिन्न पीएसयू से संपर्क करना।
- अवधारणा के साथ–साथ प्रचार सामग्री प्रदान करने के लिए राज्य पर्यटन विभागों से संपर्क करना।

10. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ एमओयू

बेसिल ने वित्त वर्ष 2016–17 के लिए सूचना व प्रसारण मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति

कंपनी आरक्षण की नीतियों पर सरकार के दिशा–निर्देश/निर्देशों का पालन करती है। इसी के आधार पर कंपनी में अल्पसंख्यकों की भर्ती और पदोन्नति करने के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में आरक्षण के संदर्भ में सरकार के नीति–निर्देशों का ध्यान रखा जाता है।

इन श्रेणियों के लिए तय किए गए आरक्षण कोटे के समुचित प्रक्षेपण के लिए नियम और निर्देशों के अनुसार कार्यसूची बनाई जाती है। एचआर अधिकारी द्वारा नियमित जांच और निरीक्षण किया जाता है और विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट और सुझाव दिए जाते हैं। आरक्षण नीतियों के क्रियान्वयन और इसके संबंध में लिए गए फैसलों की आवधिक रिपोर्ट भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग और अन्य सरकारी विभागों को भेजी जाती है।

12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और इनका प्रसार करने के लिए किसी भी तरह से प्राप्त सवालों और शंकाओं का समाधान समय रहते किया गया और उचित कदम भी उठाए गए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए सेंट्रल पब्लिक इंफोर्मेशन ऑफिसर (सीपीआईओ) नियुक्त किया गया और सूचना के समय पर अनुपालन और प्रसार के लिए अत्यंत सावधानी बरती जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 44 आवेदन प्राप्त किए और सभी पर तय समय–सीमा के अंतर्गत प्रतिक्रिया भी दी गई। 31 मार्च, 2016 तक आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत किसी भी आवेदन पर प्रतिक्रिया लंबित नहीं थी।

13. हिंदी का प्रगतिशील उपयोग

राजभाषा रिपोर्ट के विभिन्न हिस्सों में की गई सिफारिशों

पर बेसिल द्वारा किए गए अनुपालन की जरूरी कार्रवाई/अद्यतन स्थिति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत की गई। 12 सितंबर, 2016 से 26 सितंबर, 2016 तक बेसिल में हिंदी पखवाड़े का आयोजन भी किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान राजभाषा नीति ज्ञान, हिंदी निबंध और वादविवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शब्दकोष और तकनीकी शब्दावलियों जैसी जरूरी मदद सामग्री भी अधिकारियों व कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई ताकि उन्हें दफ्तर के कामकाज में हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

14. सतर्कता गतिविधियां

बेसिल में सतर्कता विभाग निवारक सतर्कता के सभी पहलुओं को मजबूत करने और बेसिल में अनुपालन के लिए नियमित रूप से केंद्रीय सतर्कता आयोग, सार्वजनिक उद्यम विभाग और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के आधार पर नीति–निर्देश और मानदंड जारी कर रहा है। आवधिक रिपोर्ट नियमित रूप से केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत की जा रही हैं और समय–समय पर औचक निरीक्षण और नियमित निगरानी के अलावा उचित जांच भी की जा रही है।

15. सामान्य

कंपनी को सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई बजटीय सहायता नहीं मिली है। खुले बाजार में प्रतियोगी टेंडर प्रणाली के जरिये सुरक्षित किए गए रोजगार और परामर्श कार्य संबंधी खर्च और प्राप्तियों के आंतरिक प्रक्षेपण से बेसिल ने अपना बजट तैयार किया है। कंपनी को महिलाओं, उत्तर–पूर्व, रोजगार देने वाली, ग्रामीण अंग, जनजातीय उपयोजना, विशेष योजना, स्वयंसेवा समूह, सूचना एवं प्रसार, अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित किसी भी केंद्र प्रायोजित योजना से नहीं जोड़ा गया है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र

टेलीविजन चैनल संचार क्षेत्र में एक अहम भूमिका अदा करते हैं और उनकी पहुंच बहुत विस्तृत और अद्भुत है। टेलीविजन कार्यक्रम विभिन्न उम्र, संस्कृति और पृष्ठभूमि के लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और इसलिए इसमें विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ी सामग्री शामिल होती हैं। उपभोक्ताओं को टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित की जाने वाली अवांछनीय सामग्री से बचाने के लिए एक आदर्श संहिता पालन दुनिया के प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में किया जाता है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) को टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित की जाने वाली सामग्री की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। इसमें यह देखना भी शामिल है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) अधिनियम, 1995 के अंतगर्त किसी भी कार्यक्रम और विज्ञापन मानक का उल्लंघन न हो।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सबसे नई मीडिया ईकाई ईएमएमसी के पास निगरानी, रिकॉर्ड और प्रसारण सामग्री के विश्लेषण के लिए उन्नत तकनीकों का अच्छा तंत्र है। संचार और मीडिया का क्षेत्र जबरदस्त गति से विकसित हो रहा है, ऐसे में सामग्री की निगरानी करना जरूरी हो जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रसारक कार्यक्रम और विज्ञापन कोड का पालन कर रहे हैं या नहीं।

ईएमएमसी के पास भारतीय क्षेत्र में चल रहे 900 चैनलों की सामग्री को रिकॉर्ड करने और उस पर निगरानी रखने की तकनीकी क्षमता है, ताकि केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) एक्ट 1995 के अंतर्गत किसी भी तरह के मानकों के उल्लंघन की जांच की जा सके। फिलहाल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मंजूरी से चल रहे सभी चैनलों की निगरानी ईएमएमसी द्वारा की जाती है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) अधिनियम, 1995 में विभिन्न मानक शामिल हैं, जिनका प्रत्येक प्रसारण इकाई द्वारा पालन किया जाना जरूरी है। ईएमएमसी उल्लंघन किए गए मानकों की रिपोर्ट रिकॉर्ड की गई क्लीप्स के साथ जांच समिति के सामने रखता है, जो कि उल्लंघन का विश्लेषण करती हैं और आगे की कार्यवाही के लिए अंतर–मंत्रालय समितियों और अन्य निकायों को भेजती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर लोक महत्व के प्रमुख मामलों की जांच भी करता है और यदि कोई उचित कदम उठाने की जरूरत होती है, तो उन्हें मूल्यांकन मंत्रालय को सौंपता है।

जहां तक निजी एफएम स्टेशनों की बात है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्राप्त की गईं सामग्री आधारित शिकायतों की जांच ईएमएमसी द्वारा की जाती है, इसके लिए प्रसारण सामग्री बेसिल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

केबल टीवी नेटवर्क नियम, 1994 के अंतर्गत कार्यक्रम एवं विज्ञापन मानक चैनलों को मानक जारी करते हैं, जिन्हें प्रसारण के दौरान ध्यान रखना जरूरी होता है। कार्यक्रम मानकों के अनुसार टेलीविजन कार्यक्रमों में किसी भी तरह की अश्लीलता, मानहानि और महिला व बच्चों की छवि को खराब करने वाले सामग्री नहीं होनी चाहिए। ये यह भी दर्शाता है कि बच्चों के लिए बनने वाले कार्यक्रमों में किसी भी तरह की अभद्र भाषा और सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। विज्ञापन मानकों के अनुसार विज्ञापनों में भी नैतिकता का उल्लंघन या किसी तरह की धार्मिक सद्भावना पर चोट नहीं होनी चाहिए। मानक ऐसे विज्ञापनों की अनुमति नहीं देते, जिनमें अपरोक्ष और परोक्ष रूप से तंबाकू या मदिरा का प्रसार होता है। मानक किसी भी तरह की चमत्कारी या अलौकिक शक्ति का दावा करने वाले के विज्ञापनों की अनुमति नहीं देते, जिसे साबित किया जाना मुश्किल है। कार्यक्रम और विज्ञापन मानकों के उल्लंघन की रिपोर्ट ईएमएमसी द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सौंपी जाती है। ईएमएमसी भारतीय चुनाव आयोग के अनुरोध पर चुनाव प्रबंधन के लिए आम चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान खबर निगरानी करता है। ईएमएमसी ने मई 2016 में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मई 2016 में विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव प्रबंधन संबंध ी समाचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज की निगरानी की। भारतीय चुनाव आयोग को मतदान के दौरान और मतदान से एक दिन पहले की मुख्य घटनाओं पर एसएमएस एलर्ट भेजे गए। ईएमएमसी ने मतदान के दिन ग्राउंड जीरों से ताजा स्थिति के बारे में आयोग को अवगत कराया। ईसीआई ने राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ईएमएमसी की प्रशंसा की।

सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधि : ईएमएमसी ने अप्रैल से नवंबर 2016 के दौरान विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें हिंदी पखवाड़े के दौरान रचनात्मक लेखन, क्विज, भाषण प्रतियोगिता आयोजित करना इत्यादि शामिल हैं। गैर–हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए भी प्रतियोगिता आयोजित की गई। ईएमएमसी के सभी स्टाफ सदस्यों ने सभी आयोजनों में भाग लिया और जबर्दस्त प्रतिक्रिया दी।

श्री एम. वेंकैया नायडु 47वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन के अवसर पर प्रख्यात गायक श्री एस.पी. बालासुब्रह्मण्यम् को शताब्दी सम्मान अर्पित करते हुए

6 फिल्म क्षेत्र की गतिविधियां

फिल्म प्रभाग

फिल्म प्रभाग का इतिहास, देश की आज़ादी के बाद घटित विविध घटनाओं से परिपूर्ण रहा है। यह पिछले 67 वर्ष से भी अधिक समय से देशवासियों को प्रेरित करता रहा है, ताकि उन्हें राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाया जा सके। प्रभाग के लक्ष्य, राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर केंद्रित हैं। इसका उद्देश्य लोगों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रेरित तथा शिक्षित करना और भारतीय तथा विदेशी दर्शकों को भारत की विरासत से परिचित कराना है। फिल्म प्रभाग का एक लक्ष्य भारत के लिए अति महत्वपूर्ण वृत्तचित्र आंदोलन को बढ़ावा देना भी है।

फिल्म प्रभाग वृत्तचित्र, लघु फिल्में, एनिमेशन फिल्में और समाचार पत्रिकाएं तैयार करता है। यह देशभर के सिनेमाघरों के अलावा, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, दूरदर्शन, शिक्षा संस्थानों, फिल्म सोसायटियों तथा स्वयंसेवी संगठनों को भी फिल्में उपलब्ध कराता है। राज्य सरकारों के वृत्तचित्रों और समाचार फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाता है। प्रभाग, प्रिंट, स्टॉक शॉट, डीवीडी/वीसीडी और वृत्तचित्र तथा फीचर फिल्मों के वितरण अधिकारों का देश–विदेश में विक्रय करता है। फिल्म प्रभाग फिल्मों के निर्माण के अलावा, अपने रिकार्डिंग थिएटर, संपादनकक्ष और अन्य उपकरण फिल्म निर्माताओं को किराए पर देता है।

फिल्म प्रभाग की शाखाएं

इस संगठन को मुख्य रूप से चार कार्य समूहों में बांटा गया है–

(1) निर्माण, (2) वितरण, (3) अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु तथा एनिमेशन फिल्मोत्सव और (4) प्रशासन।

(1) निर्माण खंड

निर्माण खंड पर फिल्मों के निर्माण की ज़िम्मेदारी है। इनमें शामिल हैं– (1) वृत्तचित्र फिल्में, (2) एनिमेशन फिल्में, (3) विशेषकर ग्रामीण दर्शकों के लिए बनाई जाने वाली लघु फीचर फिल्में और (4) वीडियो फिल्में। इसका मुख्यालय मुंबई में है और तीन अन्य निर्माण केंद्र बंगलुरु, कोलकाता तथा नई दिल्ली में हैं।

फिल्म प्रभाग, अपने सामान्य निर्माण कार्यक्रम के अलावा सभी मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों सहित सरकार के विभागों को वृत्तचित्र फिल्मों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है।

(2) वितरण खंड

फिल्म प्रभाग के वितरण खंड के 10 वितरण शाखा कार्यालय हैं। ये बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, नागपुर, तिरुअनंतपुरम और विजयवाड़ा में हैं। ये, सिनेमाघरों को फिल्में उपलब्ध कराते हैं। जन–सूचना अभियान में भाग लेते हैं, डीवीडी और फिल्म प्रभाग की चुनिंदा फिल्मों के प्रिंट बेचते हैं। वीडियो का विदेशों में भारतीय दूतावासों को, विदेश मंत्रालय के बाह्य प्रचार प्रभाग के माध्यम से वितरण करते हैं। यह खंड स्टॉक शॉट, फिल्म स्ट्रिप, वीडियो क्लिपिंग तथा डीवीडी की बिक्री और रॉयल्टी के आधार पर फिल्मों का वाणिज्यिक इस्तेमाल करता है।

(3) अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु एवं एनिमेशन फिल्म समारोह

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म प्रभाग को वृत्तचित्र, लघु तथा एनिमेशन फिल्मों के मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के आयोजन की ज़िम्मेदारी सौंपी। यह द्विवार्षिक आयोजन फिल्म निर्माताओं, वितरकों, प्रदर्शकों और फिल्म समीक्षकों को मुलाकात करने और विचारों तथा भावनाओं के आदान–प्रदान का अनूठा अवसर प्रदान करता है। फिल्म प्रभाग, मुंबई में 1990 से इसका

आयोजन कर रहा है। 14वें फिल्म समारोह का आयोजन 28 जनवरी से 3 फरवरी, 2016 तक किया गया।

(4) प्रशासनिक खंड

प्रशासनिक खंड में वित्त, कार्मिक, भंडारण, लेखा, फैक्ट्री प्रबंधन और सामान्य प्रशासन शामिल हैं।

फिल्म प्रभाग में 31 अक्तूबर, 2016 तक की स्वीकृत संख्या/वर्तमान संख्या निम्न प्रकार है :–

क्र. सं	वर्ग	स्वीकृत पदों की संख्या	कर्मचारियों की वर्तमान संख्या	ख़ाली पदों की संख्या
	क	ख	ग	घ
1	ग्रुप 'ए'	44	17	27
2	ग्रुप 'बी'	260	179	81
3	ग्रुप 'सी'	509	376	133
	कुल	813	572	241

वर्ष की उपलब्धियां/झलकियां

- 1 अप्रैल, 2016 से 31 अक्तूबर 2016 के दौरान प्रभाग ने 67 वृत्तचित्र फिल्में बनाईं। इनमें 48 फिल्में विभाग ने बनाईं और 19 बाहरी निर्माताओं से बनवाई गईं।
- फिल्म प्रभाग ने 24 विशेष प्रदर्शनों में 158 फिल्में दिखाईं। इन विशेष प्रदर्शनों का आयोजन विभिन्न संगठनों/संस्थानों/स्कूलों और कालेजों ने किया।
- फिल्म प्रभाग ने 2016 में 12 से 18 अगस्त, 2016 के दौरान 'फ्रीडम फिल्म फेस्टीवल' (आज़ादी 70 साल–याद करो कुर्बानी) का आयोजन किया।
- प्रभाग ने 27 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में 145 फिल्में भेजी और इनमें से दस को पुरस्कार मिला।
- शाखा कार्यालयों ने स्कूलों, कालेजों तथा विभिन्न संस्थानों के सहयोग से 12 फिल्म समारोह आयोजित किए। इनमें 28 फिल्में प्रदर्शित की गईं।
- अगस्त 2016 में 25 विद्यार्थियों ने फिल्म निर्माण,

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में स्वतंत्रता दिवस फिल्म समारोह को संबोधित करते हुए

संपादन, एनिमेशन और फिल्मों से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रभाग का दौरा किया।

एफडी ज़ोन

एफडी ज़ोन फिल्म प्रभाग का ऐसा प्रयास है जिसमें वह स्वतंत्र फिल्मकारों के सहयोग से नियमित रूप से वृत्तचित्रों, लघु फिल्मों, एनिमेशन फिल्मों और उद्देश्यपूर्ण सिनेमा की स्क्रीनिंग करता है। प्रत्येक स्क्रीनिंग के लिए एक स्वतंत्र फिल्मकार स्वैच्छिक रूप से फिल्म प्रभाग और स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं की फिल्में जमा करता है। फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान उनसे जुड़े निर्देशक, सिनेमेटोग्राफर या संपादक, साउंड रिकार्डिस्ट और अन्य प्रमुख लोगों को दर्शकों के साथ संवाद के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह स्क्रीनिंग निशुल्क होती है और इसमें कोई भी आ सकता है।

एफडी ज़ोन का गठन फिल्म क्लबों के अखिल भारतीय नेटवर्क के तौर पर किया गया है जिसमें देश के विभिन्न नगरों और शहरों के संगठन अथवा ऐसे लोग सक्रिय हैं जो वृत्तचित्रों, लघु फिल्मों, एनीमेशन फिल्मों के संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। एफडी ज़ोन मुंबई में 14 जुलाई, 2012 से सक्रिय है। एफडी ज़ोन की गतिविधियां मुंबई के अलावा त्रिचूर (केरल), चेन्नई, कोयम्बटूर, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़ और वर्धा में भी जारी है। इसने पंजाब विश्वविद्यालय के साथ मिलकर चंडीगढ़ और वर्धा में विशेष समारोह का आयोजन भी किया था।

नई पहल

1. शानदार वेब पोर्टल और ई–कॉमर्स

वेब पोर्टल को अधिक सुगम और एक बेहतरीन संवाद का मंच बनाया गया है। इसमें फिल्मों की स्क्रीनिंग, पुस्तकों, डीवीडी और सम–सामयिक कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी लोड की जाती है ताकि लोग लगातार जुड़े रहें।

- एक नई ई–कॉमर्स पोर्टल की शुरुआत की, जहां से फिल्म प्रभाग द्वारा तैयार फिल्में एचडी (हाई डेफिनेशन) प्रारूप में खरीदी जा सकती हैं। ये फिल्में डीवीडी और वीओडी में उपलब्ध होंगी।
- वीडियो को यू–ट्यूब पर लो रेज़ोल्यूशन में अपलोड करके फिल्म प्रभाग के अभिलेखागार को लोगों तक सहजता से पहुंचाना।
- फिल्म प्रभाग की तालिका को अपलोड करना जिसमें यहां उपलब्ध तमाम वीडियो सामग्री की जानकारी हो।

2. अभिलेखीय शोध केंद्र (एआरसी)

फिल्म प्रभाग की बहुकेंद्रीय शोध सुविधा एआरसी की शुरुआत 26 अक्तूबर, 2013 में की गई थी। यह सुविधा इसलिए उपलब्ध कराई गई है ताकि फिल्मों से जुड़ी विपुल संपदा को साझा किया जा सके। एआरसी ने फिल्म प्रभाग के संपूर्ण अभिलेखागार को 15 शोध केंद्रों पर उपलब्ध कराया है।

3. भारतीय सिनेमा का संग्रहालय

भारतीय सिनेमा के इतिहास में सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय की अवधारणा एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय संग्रहालय के सौ वर्ष के ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी बहुत सी सामग्री उचित रख–रखाव या संरक्षण के अभाव में नष्ट या खराब हो गई है या उपेक्षित है। चूंकि भारत में और कोई फिल्म संग्रहालय नहीं है इसलिए यह संग्रहालय आम लोगों को संग्रहीत जानकारी उपलब्ध कराने के अलावा फिल्म निर्माताओं, विद्यार्थियों, जिज्ञासुओं तथा समीक्षकों को न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व में, कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सिनेमा के विकासक्रम को जानने में मदद करेगा।

संग्रहालय का निर्माण दो चरणों में किया जाएगा। इसकी कुल संशोधित लागत 1 अरब 56 करोड़ 90 लाख रुपये होगी। संग्रहालय के निर्माण का काम राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को और शिल्प उपकरणों के प्रदर्शन के लिए गैलरियां बनाने का काम राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को सौंपा गया है। पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का काम तेजी से जारी है। इसे इस वर्ष जुलाई तक पूरा किया जाना है।

सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व के बारे में सरकारी आदेशों और निर्देशों का पालन समय–समय पर जारी होने वाले सरकारी निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके लिए फिल्म प्रभाग निर्धारित नियमों के अनुरूप आरक्षण सूची तैयार करता है।

अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला कर्मचारियों का 31 अक्तूबर, 2016 तक का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

पद का ग्रुप	कर्मचारियों की वर्तमान संख्या	अ.जा.	अ.जा. का	अ.जजा.	अ.जजा. का प्रतिशत	अपिव	अपिव का प्रतिशत	महिलाएं
		कर्मचारी						
वर्ग ए	17	4	23.53	--	--	5	29.41	3
वर्ग बी	179	40	22.34	13	7.26	31	17.31	27
वर्ग सी	376	109	29.80	25	6.64	88	23.40	10
कुल	572	153	--	38	--	124	--	93

फिल्म प्रभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित न भरे गए पदों की संख्या (30 अक्तूबर, 2016 तक)

क्र. सं.	वर्ग	पदों की स्वीकृत संख्या	कर्मचारियों की मौजूदा संख्या	रिक्त पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	वर्ग ए	44	17	27	0	1	1
2	वर्ग बी	260	179	81	4	3	6
3	वर्ग सी	509	376	133	9	10	21
	कुल	813	572	241	13	14	28

दिव्यांगों के लिए

मंत्रालय ने पत्र संख्या 2/8/80 वीआईज़ी दिनांक 26 जून, 1980 के अनुसार फिल्म प्रभाग में दिव्यांगों की भर्ती के लिए निम्न श्रेणियां निर्धारित की है :

ग्रुप सी	ग्रुप डी (सुधार के बाद अब 'सी')
सहायक लेआउट आर्टिस्ट	चपरासी
आर्टिस्ट ग्रेड–1	पैकर
आर्टिस्ट ग्रेड–2	
सहायक संपादक ग्रेड–1	
सहायक संपादक ग्रेड–2	
सहायक रिकार्डिस्ट	
सहायक	
निम्न श्रेणी क्लक	

मंत्रालय ने फिल्म प्रभाग में ग्रुप 'ए' और 'बी' में भर्ती के लिए दिव्यांग वर्ग को चिह्नित नहीं किया है। दिव्यांग वर्ग सेजिन पदों के लिए भर्तियां की जाएंगी उनका चयन सीधे होगा। इसके लिए आवश्यक जानकारी इस प्रकार है :

शारीरिक रूप से दिव्यांग वर्ग से भर्ती के लिए कोई पद रिक्त नहीं है। हालांकि इस वर्ग से तीन पदों (दो पद एलडीसी और एक चपरासी) को सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दिव्यांगता के वास्ते निर्धारित पदों के तहत चिह्नित किया गया है।

सिटीज़न चार्टर

फिल्म प्रभाग ने 'इन्फार्मेशन ब्रॉशर ऑफ फिल्म डिवीजन' शीर्षक से अपनी सूचना विवरणिका तैयार की है। यह

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2016 में सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर और श्री एस.एस. राजामौली आईसीएफटी यूनेस्को गांधी अवार्ड 'कोल्ड ऑफ कलंदर' फिल्म के डायरेक्टर मुस्तफ़ा कारा को देते हुए

समूह	कर्मचारियों की संख्या				
	कुल	चिह्नित पद	दृष्टि दिव्यांगता	श्रवण दिव्यांगता	शारीरिक दिव्यांगता
1	2	3	4	5	6
ग्रुप ए	17	-	-	-	-
ग्रुप बी	179	49	-	-	4
ग्रुप सी	376	115	-	-	10
कुल	572	164	-	-	14

www.filmsdivision.org वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके लिए प्रभाग ने एक अधिकारी की नियुक्ति भी की है। सिटीज़न चार्टर पर उचित तरीके से अमल के लिए इससे जुड़े अधिकारियों के लिए सम्मेलन/संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता है। सिटीज़न चार्टर की सामग्री में नए दृष्टिकोण और स्थितियों के अनुसार सुधार भी किया जाता है।

जन–शिकायत निवारण तंत्र

सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एक जन–शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है। फिल्म प्रभाग के महानिदेशक को शिकायत निवारण अधिकारी के तौर पर नामित किया गया है। जन–शिकायतों के निवारण का रिकार्ड भी रखा जाता है और इस बारे में जानकारी मंत्रालय को नियमित रूप से भेजी जाती है।

नई दिल्ली में आयोजित पहले ब्रिक्स फिल्म समारोह में ब्रिक्स देशों का प्रतिनिधि मंडल

हिंदी अनुभाग

हिंदी अनुभाग कार्यालय के पत्राचार में हिंदी (राजभाषा) के प्रयोग को बढ़ावा देता है। फिल्म प्रभाग में केंद्र सरकार की राजभाषा नीति और संशोधित नियमों के तहत भाषा योजना लागू हो सके, इसके लिए प्रभाग में कनिष्ठ अनुवादकों के 11 पद रखे गए हैं।

निगरानी गतिविधियां

फिल्म प्रभाग के जुड़े कर्मचारियों के अनुशासन/सतर्कता संबंधी मामलों पर नज़र रखने के लिए निगरानी प्रकोष्ठ है। इसमें सहायक निदेशक की निगरानी में एक सुपरिटेंडेंट, एक सहायक तथा एक यूडीसी काम करता है।

सूचना के अधिकार, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना के अधिकार, 2005 के प्रावधानों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुसार फिल्म प्रभाग ने उप महानिदेशक को बतौर अपील अधिकारी और एक निदेशक को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के तौर पर नामित/नियुक्त किया है। मुख्यालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के साथ 14 सहायक जन सूचना अधिकारी भी होते हैं। इनमें से 13 अधिकारी बाहरी कार्यालयों पर नियुक्त होते हैं। इसमें 10 वितरण शाखा कार्यालय और 3 फिल्म प्रभाग के क्षेत्रीय निर्माण केंद्र हैं।

जन सूचना अधिकारी की सहायता के लिए मुख्यालय में एक सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है। यह सूचना के अधिकार कानून के तहत प्राप्त होने वाले मामलों/आवेदनों को निपटाने में, जन सूचना अधिकारी की मदद करता है।

सूचना अधिकार अधिनियम लागू करने से संबंधित सभी मामले मुख्यालय में एक केंद्रीय विभाग निपटाता है। इस कानून के तहत जानकारी हासिल करने के लिए इस दौरान अब तक 94 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 88 आवेदकों को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराई जा चुकी है और शेष 6 को भी जल्द मुहैया करा दी जाएगी। फिल्म प्रभाग को सूचना अधिकार कानून के तहत 13 अपीलें मिली हैं और इन सभी के संबंध में आवश्यक जानकारी दे दी गई है। सूचना अधिकार कानून के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों के निपटारे से संबंधित रिपोर्ट नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

भारतीय बाल फिल्म समिति

परिचय

भारतीय बाल फिल्म समिति की स्थापना भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में मई 1955 में की गई थी। इसका गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर फिल्म जांच समिति की सिफ़ारिश (1949) पर किया गया। बच्चों के प्रति नेहरूजी का प्रेम जगज़ाहिर है। भारतीय बाल फिल्म समिति, 1860 के समिति पंजीकरण अधिनियम 21 के तहत पंजीकृत है। इसकी स्थापना फिल्मों के माध्यम से बच्चों और युवाओं के मान्यता आधारित मनोरंजन के उद्देश्य से की गई है।

समिति का प्रमुख्य, इसका चेयरमैन होता है, जो कि सिनेमा के क्षेत्र का नामी व्यक्ति होता है। चेयरमैन इसके सामान्य निकाय और कार्यकारी परिषद का प्रमुख भी होता है जिसके सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन, निर्माण, विपणन और लेखा विभाग के दिन प्रतिदिन का कामकाज संभालता है।

भारतीय बाल फिल्म समिति का मुख्यालय मुंबई में है और इसके शाखा कार्यालय नई दिल्ली तथा चेन्नई में हैं।

निर्माण गतिविधियां

पूरी हो चुकी फिल्में :

हिंदी फीचर फिल्म 'पिंटी का साबुन' अप्रैल से दिसंबर, 2016 के दौरान पूरी की गई।

निर्माणाधीन फिल्में :

यह फिल्में– वी3 (हिंदी/टीवी/वेब सीरिज़), इशु (असमी फीचर), नानी तेरी मोरनी (नागमी अंशतः हिंदी), स्कूल चलेगा (हिंदी फीचर), द केक स्टोरी (हिंदी लघु फिल्म) और टेनिस बडीज़ (हिंदी फीचर) निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

इनके अलावा दो नई फिल्में – 'चिड़ियाखाना' (हिंदी फीचर) और 'बनारसी जासूस' (हिंदी फीचर) निर्माण के लिए दी गई हैं।

फिल्मों की डबिंग

10 फिल्मों की डबिंग पूरी कर ली गई है।

प्रिंट बनाना : भारतीय बाल फिल्म समिति की फिल्मों की 867 डीवीडी, 2 डीसीपी, 62 ब्लू रेज़ प्रसार के लिए तैयार की गईं।

वितरण और विपणन गतिविधियां

वितरण

स्कूलों में भारतीय बाल फिल्म समिति की फिल्मों के प्रदर्शन की योजना के तहत महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, मणिपुर, सिक्किम, गुजरात, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, नगालैंड, मेघालय और दिल्ली में 1,229 सिनेमाई और ग़ैर सिनेमाई शो (एलसीडी शो) किए गए। इन फिल्मों को 4,37,039 दर्शक मिले। समर बनेन्जा के तौर पर आयोजित 53 शो को 15,266 बच्चों ने देखा। इनके अलावा मुंबई, चंडीगढ़ और दिल्ली में ग़ैर–सरकारी संगठनों की सहायता से आयोजित व्यक्तिगत और लघु समारोहों में 19,496 दर्शकों की उपस्थिति दर्ज की गई।

विपणन

- 'चुलबुली फिल्में चटपटी गपशप' नाम के राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम में सात फिल्मों का प्रसारण किया गया। इससे तीन लाख 37 हजार रुपये आय हुई।
- चार फिल्मों का प्रसारण लोकसभा टीवी, दिल्ली पर किया गया। इनसे एक लाख रुपये आय हुई।
- पांच फिल्मों का प्रसारण लोकसभा टीवी, चेन्नई पर किया गया। इनसे पांच लाख रुपये की आमदनी हुई। वर्ष 2016 के दौरान राष्ट्रीय बाल फिल्म समिति की विभिन्न फिल्मों की 1,241 डीवीडी बेची गईं। इससे एक लाख 47 हजार रुपये की आमदनी हुई।
- वर्ष 2016 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान कुल 20 लाख 85 हजार रुपये आय हुई।
- राष्ट्रीय बाल फिल्म समिति ने पांच महीने के लिए नौ फिल्मों के ग़ैर विशिष्ट डीटीएच अधिकार के लिए टाटा स्काई लिमिटेड के साथ चार लाख 65 हजार रुपये का समझौता किया है।

अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी : भारतीय बाल फिल्म समिति की दस फिल्मों ने उपदेशों में आयोजित 62 अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया।

दूसरा राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह, जयपुर

दूसरे राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का आयोजन 14 से 16 नवंबर, 2016 तक जयपुर में किया गया। इसका मूल विषय था 'मेक इन इंडिया'। समारोह का उद्घाटन माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, ने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में किया। इस अवसर पर राजस्थान के शहरी विकास, नगरीय स्वायत्त शासन और आवास मंत्री राजपालसिंह शेखावत, भारतीय बाल फिल्म समिति के चेयरमैन श्री मुकेश खन्ना और श्री अनिल कपूर, श्री इरफ़ान खान, श्रीमती इला अरुण, मास्टर फ़ैसल खान और मास्टर दर्शील सफ़ारी जैसी प्रख्यात हस्तियां उपस्थित थीं। उद्घाटन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। उद्घाटन समारोह का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया। भारतीय बाल समिति की राजस्थान में शुरू की गई ताज़ा फिल्म समिति की फिल्म 'गौरू – जर्नी ऑफ करेज' के प्रदर्शन से समारोह की शुरुआत की गई। समारोह में कुल 49 फिल्में जयपुर के 10 सभागारों में दिखाई गईं। बच्चों ने इनका खूब आनंद उठाया। उन्होंने फिल्म निर्माण, कथा लेखन और एनिमेशन पर तीन कार्यशालाओं में भी भाग लिया। समारोह के दौरान बच्चों के लिए मेला का आयोजन भी किया गया। बाल फिल्मों, सफलता हासिल करने वाले बच्चों और विभिन्न पहलुओं पर तीन खुले मंचों पर चर्चा की गई। इनमें पेशेवरों और विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। कई मीडिया और संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

जयपुर में दूसरा राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह

जयपुर में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह में संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर

अल्पसंख्यक कल्याण गतिविधियों पर कार्यक्रम

भारतीय बाल फिल्म समिति एक छोटा सा संगठन है, इसलिए कर्मचारी कल्याण गतिविधियां भी अधिक नहीं होती, लेकिन जितनी भी होती हैं, समूचे संगठन के लिए होती हैं जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं।

केंद्रीय प्रशासनिक ट्रीब्यूनल के निर्णय/आदेशों का क्रियान्वयन

भारतीय बाल फिल्म समिति के संबंध में कोई निर्णय/आदेश प्राप्त नहीं हुआ।

सीएजी रिपोर्ट

कोई सीएजी रिपोर्ट लंबित नहीं है।

दिव्यांगों के कल्याण के लिए नीतिगत फ़ैसले और गतिविधियां

राष्ट्रीय बाल फिल्म समिति पर लागू होने वाले, मंत्रालय के सभी निदेशों का पालन किया जा रहा है। भर्ती में आरक्षण भी लागू किया गया है।

आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण

राष्ट्रीय बाल फिल्म समिति हर विभाग की आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटरों का इस्तेमाल कर रही है। समय–समय पर जरूरत के अनुसार इनमें सुधार किया जाता है।

ई–कॉमर्स गतिविधियां

फिल्म निर्माण के प्रस्ताव भेजने और प्रतिनिधियों के पंजीकरण का काम ऑनलाइन किया जाता है। भारतीय बाल फिल्म समिति द्वारा आयोजित फिल्म समारोहों के लिए प्रविष्टियां भी ऑनलाइन प्राप्त की जाती हैं। समिति की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। सभी भुगतान और प्राप्तियां भी ऑनलाइन की जा रही हैं। सेवाएं प्राप्त करने के लिए ई–निविदा की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

भारत सरकार ने 1960 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय फिल्म संस्थान– एफटीआईआई की स्थापना की। 1974 में इसमें टेलीविजन शाखा को जोड़े जाने के बाद इसे भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान नाम दिया गया। अक्तूबर 1974 में सोसायटीज़ पंजीकरण कानून, 1860 के तहत संस्थान को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया। एफटीआईआई समिति मे फिल्म, टेलीविजन, संचार तथा संस्कृति के क्षेत्र की जानी–मानी हस्तियां, संस्थान के पूर्व विद्यार्थी और पदेन सरकारी सदस्य शामिल हैं। संस्थान का संचालन चेयरमैन की अगुवाई वाली संचालन परिषद करती है। संस्थान की शैक्षिक नीतियां शैक्षिक परिषद बनाती है। वित्त संबंधी मामलों के लिए वित्त समिति है।

संस्थान के दो विभाग हैं– फिल्म और टेलीविजन। फिल्म विभाग तीन वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है। ये पाठ्यक्रम निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी, साउंड रिकार्डिंग तथा साउंड डिज़ाइन, संपादन, कला निर्देशन और निर्माण डिज़ाइन में हैं। इसके अलावा अभिनय में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा और फीचर फिल्म पटकथा लेखन में एक वर्ष का स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट कोर्स भी है।

टेलीविजन पाठ्यक्रमों में एक वर्ष का स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है जिसमें निर्देशन, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमेटोग्राफी, वीडियो संपादन, साउंड रिकार्डिंग और टीवी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता शामिल है।

संस्थान, दूरदर्शन के सभी श्रेणियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। दूरदर्शन के कर्मचारियों और भारतीय सूचना सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए विशेषीकृत क्षेत्रों में लघु अवधि पाठ्यक्रम भी चलाता है। यह पुणे के भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संस्थान के सहयोग से हर वर्ष अतिदक्षता फिल्म ग्रहणशीलता पाठ्यक्रम का आयोजन करता है।

सूचना एवं प्रसारण सचिव भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे के दौरे पर

वर्ष की महत्वपूर्ण गतिविधियां

- अमरीका के टेक्नालॉजी एंड इनोवेशन, यूसीएलए–टीएफटी के असिस्टेंट डीन श्री जैफ बुर्के ने भारतीय विद्यार्थियों विशेषकर एफटीआईआई

के विद्यार्थियों के लिए तीन पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 18 मई, 2016 को संस्थान का दौरा किया।

- संस्थान ने फिल्म निर्माताओं पर लागू होने वाले बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठि का आयोजन 18 सितंबर, 2016 को किया।
- संस्थान के निदेशक ने 20 से 24 नवंबर, 2016 तक ऑस्ट्रेलिया में ब्रिज़बेन के ग्रिफ्फित फिल्म स्कूल में सीआईएलईसीटी कांग्रेस 2016 में भाग लिया। यह अंतरराष्ट्रीय फिल्म तथा टेलीविजन स्कूल परिसंघ के लिए फ्रांसीसी नाम है।
- डा. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के समारोहों के सिलसिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए।
- एफटीआईआई ने 24 से 27 सितंबर, 2016 तक हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में दूसरे भारतीय फिल्मोत्सव में भाग लिया।
- स्वतंत्रता दिवस समारोहों के सिलसिले में, देशभक्ति की फिल्मों के समारोह का आयोजन किया।
- संस्थान ने 25 अक्तूबर, 2016 को एक वृक्षारोपण कार्यक्रम किया।
- एफटीआईआई ने जुलाई, 2016 में महान ईरानी फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, फोटोग्राफर और फिल्म निर्माता श्री अब्बास कियारोस्तामी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
- सरदार बल्लभभाई पटेल की जयंती पर 31 अक्तूबर, 2016 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। इस दिन संस्थान के सभी शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने शपथ ग्रहण की।

अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में एफटीआईआई की फिल्मों की भागीदारी

- क्रोएशिया में 27 से 31 जुलाई, 2016 में छठा पोस्टिरा सीसाइड फिल्म फेस्टीवल।
- चौथा शारजाह अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह।
- मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसिस, कैलिफोर्निया, अमरीका द्वारा विद्यार्थी अकादमी पुरस्कार।
- जर्मनी में 19 से 23 अक्तूबर, 2016 तक आयोजित 14वां टेगर्नसी इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टीवल।
- स्विटजरलैंड में बर्न में 5 से 16 अक्तूबर, 2016 तक 14वां श्निट अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह।

फिल्म समारोह में प्रदर्शन के लिए एफटीआईआई की फिल्मों का चयन

क्र.सं.	फिल्म/वृत्तचित्र का नाम	फिल्म समारोह में चयन	निदेशक
1	द बोहेमिअन म्यूज़ीशियन	चीन में छठे बीजिंग अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के वृत्तचित्र खंड में	रोचक साहू
2	कहानी	ईरान के तेहरान में 13वां नहल अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह	सार्थक भसीन
3	मंगल	ईरान के तेहरान में 13वां नहल अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह	महेश कुमार
4.	कामाक्षी	ब्राजील में चौथा फेस्टीवल डे रोटेरियो ऑडियो विजुअल डे पोर्टो एलेग्रे, ब्राजील और क्योतो अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी फिल्म और वीडियो समारोह 2016	सतिन्दर सिंह बेदी
5.	सांग्स वी रोट	अफ़्गानिस्तान अंतरराष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह 2016 और नई दिल्ली में पहला ब्रिक्स फिल्म समारोह	संध्या सुंदरम
6.	चावेर	नई दिल्ली में पहला ब्रिक्स फिल्म समारोह	अभिलाष विजयन
7.	भूमिका	नई दिल्ली में पहला ब्रिक्स फिल्म समारोह	धीरज मेशराम
8.	सदाबहार ब्रास बैंड	नई दिल्ली में पहला ब्रिक्स फिल्म समारोह	तुषार मोरे

- सर्बिया में 21 से 23 अक्तूबर, 2016 तक 20वां अंतरराष्ट्रीय समारोह 'वीडियोमेडेजा'।
- अल्बानिया में 26 सितंबर से 1 अक्तूबर, 2016 तक 11वां इंटरनेशनल ह्युमन राइट्स फिल्म फेस्टीवल।
- स्पेन में 20 से 23 सितंबर, 2016 तक 15वीं फिल्म विद्यार्थी बैठक, 64वां सैन सबेस्टियन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह।
- चीन में बीजिंग में 16 से 23 अक्तूबर, 2016 तक 15वां स्टूडेंट फिल्म एंड वीडियो फेस्टीवल ऑफ बीजिंग फिल्म अकादमी।
- इटली में 11वां ला क्विला फिल्म समारोह 2 अक्तूबर।

एफटीआईआई की फिल्मों के लिए पुरस्कार

- 'कुला' – इन्द्रानी कश्यप, एसआईजीएनएस–केरल के कोच्चि में जॉन अब्राहम राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए वृत्तचित्रों और लघु फिल्मों के भारतीय समारोह के 10वें संस्करण में विशेष ज्यूरी पुरस्कार।
- 'कामाक्षी' – कार्तिक अधिकारी, सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए वोल्स इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, लिथुआनिआ 2016 स्प्रिंग सीज़न।
- 'शोअर' – गौरव मोड, विशेष उल्लेख वर्ग में 20वां इंटरनेशनल वीडियो फेस्टीवल वीडियोमेडेजा, लुनारटिस सर्बिया।
- 'अनशैड्यूल्ड अराइवल' – विजय सिंह, सीआईएलईसीटी एशिया– पेसिफिक एसोसिएशन (सीएपीए), सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रतियोगिता–वृत्तचित्र, वर्ग में 11वां सीआईएलईसीटी पुरस्कार – 2016।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे में खुला मंच के अवसर पर लोग

- मई, 2016 को दिल्ली में 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रोफेसर निलांजन दत्ता को 'वांचो' फिल्म के लिए दिया गया।

विद्यार्थी आदान–प्रदान कार्यक्रम

एफटीआईआई के विद्यार्थियों ने विद्यार्थी आदान–प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित विदेशी फिल्म संस्थानों का दौरा किया :

सं.	विद्यार्थी और विशेषज्ञता	बैच	संस्थान	अवधि
1	क्षमा पाडलकर, संपादन	2011	ला फेमिस, फ्रांस	26 मई, 2015 से 13 जून, 2015 तक
2	रीमा कौर	2011	ला फेमिस, फ्रांस	26 मई, 2015 से 13 जून, 2015 तक
3.	राज जाधव, फिल्म साउंड मौनिक बोस, फिल्म साउंड	2011	आईएफएस, केओएलएन, जर्मनी	9 अक्तूबर, 2016 से 8 नवंबर, 2016 तक

नया पाठ्यक्रम लागू करना: एफटीआईआई ने फिल्म पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष 2016 से नया पाठ्यक्रम लागू किया। इसमें सेमेस्टर प्रणाली, प्रमापीय व्यवस्था, चयन आधारित आकलन, निरंतर मूल्यांकन और वैकल्पिक पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है।

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता की स्थापना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त शैक्षिक संस्थान के रूप में 1995 में की गई थी। यह पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीकृत है। संस्थान का नामकरण फिल्म क्षेत्र की महान हस्ती, सत्यजीत रे के नाम पर किया गया है। यह संस्थान फिल्म क्षेत्र प्रशिक्षण या शिक्षण

का राष्ट्रीय संस्थान है, जो छह क्षेत्रों– (1) निर्देशन और पटकथा लेखन, (2) सिनेमेटोग्राफी, (3) संपादन, (4) साउंड रिकार्डिंग तथा डिजाइन, (5) फिल्म एवं टेलीविजन के लिए निर्माण और (6) एनिमेशन सिनेमा में तीन साल के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पेशकश करता है।

प्रबंधन और संगठनात्मक प्रारूप

इस संस्थान का संचालन भारत सरकार द्वारा गठित सोसाइटी करती है। अध्यक्ष की अगुवाई वाली यह सोसाइटी संस्थान को एक संचालन परिषद द्वारा चलाती है। इसमें सिनेमा जगत के विशेषज्ञों के अलावा मंत्रालय और अन्य मीडिया इकाइयों के पदेन अधिकारियों के अलावा पूर्व छात्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संचालन परिषद संस्थान पर पूर्ण निगरानी और प्रबंधन की ज़िम्मेदार है।

सोसाइटी, संचालन परिषद और वित्त पर स्थायी समिति में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी पदेन सदस्यों के रूप में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। संचालन परिषद द्वारा गठित अकादमिक परिषद में डीन और संस्थान के छह विभागीय प्रमुखों के अलावा छह डोमेन विशेषज्ञ होते हैं। इनके अलावा इसमें छात्रों और पूर्व छात्रों के प्रतिनिधि होते हैं। अकादमिक परिषद को अकादमिक और शिक्षण से संबंधित सभी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। निदेशक संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जो संचालन परिषद की सलाह और निर्देशन में काम करते हैं। अकादमिक और प्रशासनिक कामकाज में क्रमशः डीन और रजिस्ट्रार उनका सहयोग करते हैं।

वर्ष की प्रमुख गतिविधियां

- संस्थान ने संगोष्ठीयों की 'स्पेक्ट्रम– सत्यजीत' श्रृंखला आयोजित की।
  - i. पहली संगोष्ठी : 'सत्यजीत रे चलचित्रण प्रक्रिया': उन्हीं की तकनीकों के दृष्टकोण से इसका आयोजन 5 मई, 2016 को किया गया।
  - ii. दूसरी संगोष्ठी : 'सत्यजीत रे भीतर की आंख', कवर डिज़ाइनर और पुस्तकों तथा पत्रिकाओं में दृष्टांत।
- संस्थान ने लखनऊ की भारतेंदु नाट्य अकादमी के विद्यार्थियों के लिए आठ सप्ताह के फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स का सफल आयोजन 1 जून से 26 जुलाई, 2016 तक किया।
- 'आज़ादी 70 साल – याद करो कुर्बानी' के नारे के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
- संस्थान ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक लघु अवधि फिल्म

विद्यार्थियों द्वारा फिल्म समारोहों और पुरस्कारों का चयन

क्र.सं.	फिल्म/वृत्तचित्र का नाम	निर्देशक	फिल्म पुरस्कारों में चयन
1.	गुध (नेस्ट)	सौरव राय	सिनेफाउंडेशन (कान फिल्म समारोह) 2016 में भारत से अधिकृत प्रविष्टि और भारतीय पैनोरमा 2016
2.	यथावत	त्रिबेनी राय	अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र और लघु फिल्म समारोह, केरल 2016
3.	लैला लीलर कथा	लुबना शर्मिन	
4.	बच्छा साहेब	सैकत राय	
5.	गृहप्रवेशम	अखिला हैनरी	
6.	डैडी ग्रैंडपा एंड माई लेडी	किम जंग हियुन	
7.	नैना	मिथिला हेगड़े	
8.	कामुकी	क्रिस्टो टोमी	
9.	एद्पा काना	निरंजन कुजुर	भारतीय पैनोरमा 2016
10	रंदू कुरिप्पुकल	गिरीश कुमार के	

एप्रीसिएशन कोर्स 26 जुलाई से 6 अगस्त, 2016 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया।

- यूरोप के फिल्म समारोहों का दूसरा संस्करण एसआरएफटीआई में 30 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2016 तक आयोजित किया गया। इन समारोहों में यूरोपीय क्षेत्र में आयोजित फिल्म समारोहों की चुनिंदा फिल्में और वृत्तचित्र दिखाए गए थे। यूरोप से जानी–मानी फिल्मी हस्तियों ने संस्थान के विद्यार्थियों से बातचीत की और फिल्म निर्माण तथा वितरण संबंधी विषयों पर उन्हें अपने अनुभव बताए।
- संस्थान ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया। दो घंटे के योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। इसमें बाहर से बुलाए गए विशेषज्ञों ने योग कराया।
- सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन पर केतन मेहता के निर्देशन में बनी फिल्म 'सरदार' (1993) का प्रदर्शन शिक्षकों, अन्य कर्मियों और विद्यार्थियों के लिए किया गया।

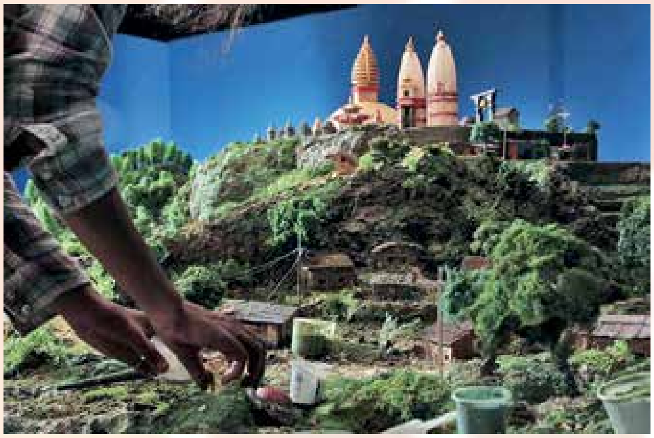

एफटीआईआई, पुणे में लघु कार्यशाला में प्रदर्शनी

विद्यार्थी आदान–प्रदान कार्यक्रम

- चीन के शहरी जीवन पर फिल्में बनाने के लिए नॉर्मल विश्वविद्यालय, बीजिंग ने आठ विद्यार्थियों और एक फैकल्टी सदस्य को आमंत्रित किया।
- एफएएमयू– चैक गणराज्य और ग्रिफिथ विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- बांग्लादेश सिनेमा एवं टेलीविजन संस्थान ने समझौता ज्ञापन के लिए सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान से संपर्क किया है। उसने इसका मसौदा भी भेजा है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

अरुणाचल प्रदेश में फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की सरकार की पहल और फिल्म एवं टेलीविजन क्षेत्र में पूर्वोत्तर की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता की तर्ज़ पर किसी भी पूर्वोत्तर राज्य में फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान खोलने का प्रस्ताव किया है। सुविधा की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश को प्रस्तावित फिल्म संस्थान की स्थापना के लिए उपयुक्त पाया गया है।

इसके लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 52.2 एकड़ ज़मीन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 25 अगस्त, 2016 को औपचारिक रूप से सौंप दी। चूंकि फिल्म संस्थान का स्थायी कैंपस बनाने में 3–4 वर्ष लगेंगे, इसलिए फ़िलहाल एक अस्थायी कैंपस बनाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि मार्च 2017 से पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकें। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए छह महीने का फाउंडेशन कोर्स शुरू किया जाएगा।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

वर्ष की गतिविधियां और अवलोकन

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, सरकार की इस दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि फिल्में भी पुस्तकों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेज़ों की तरह ही मूल्यवान हैं और देश की भावी पीढ़ी के लिए इन्हें संरक्षित करने की जरूरत है।

भारतीय सिनेमा की विरासत के संरक्षण के प्राथमिक चार्टर के अलावा, अभिलेखागार का एक घोषित लक्ष्य यह सुनिश्चित करना भी है कि भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक मौजूदगी दुनियाभर में ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शित हो।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक मीडिया इकाई के

रूप में फरवरी 1964 में निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई।

1. भावी पीढ़ी के लिए राष्ट्रीय सिनेमा की विरासत का पता लगाना, उसे हासिल करना तथा संरक्षण करना और विश्व सिनेमा का संग्रह करना।
2. फिल्मों से संबंधित सामग्री का वर्गीकरण और प्रलेखन करना। सिनेमा पर शोध करना तथा इसके लिए प्रोत्साहित करना और इसे प्रकाशित तथा वितरित करना।

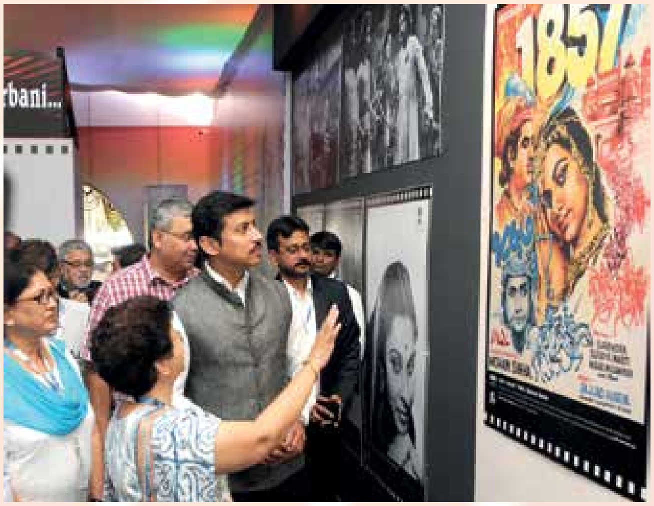

कर्नल राज्यवर्धन राठौर भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार द्वारा भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2016 के अवसर पर लगाई गई मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए

3. देश में फिल्म संस्कृति के प्रसार के केंद्र के रूप में काम करना और विदेशों में भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक मौजूदगी सुनिश्चित करना।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की फिल्म अधिग्रहण नीति

- भारत में और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में फिल्मों के लिए पुरस्कार में इनाम और योग्यता प्रमाणपत्र पाने वाली फिल्में।
- अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारतीय पैनोरमा खंड में दिखाई जाने वाली फिल्में।
- बॉक्स ऑफिस पर लोकप्रिय रहने वाली और देश–विदेश में ज्यादातर दर्शकों द्वारा देखी जाने वाली फिल्में।
- भारतीय और विदेशी दोनों स्तर पर प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों के फिल्म रूपांतरण।
- भारतीय और विदेशी स्थलों पर शूट की गई या भारतीय या विदेशी नागरिकों द्वारा बनाई गई फिल्में।
- एनएफडीसी और अन्य सरकारी संगठनों द्वारा वित्तपोषित या निर्मित की गई सभी फिल्में।
- बाल फिल्मों के प्रतिनिधि उदाहरण।
- भारतीय और विदेशी प्रोडक्शन सेट अप द्वारा किया गया वास्तविकता सामग्री समाचार कवरेज।
- सरकार और निजी एजेंसियों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक महत्व के वृत्तचित्र।

जयकर बंगला

'जयकर बंगला' लॉ कॉलेज रोड पर एनएफएआई के मुख्य परिसर में बना है। इसे पुणे नगर निगम द्वारा सांस्कृतिक विरासत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसी इमारत में बैरिस्टर मुकुल आर. जयकर रहा करते थे। बैरिस्टर मुकुल जयकर एक जाने–माने शिक्षाविद् और कानूनविद् थे। वे पुणे विश्वविद्यालय के पहले वाइसचांसलर थे। पुणे की समृद्ध विरासत में इनका अहम योगदान है। लकड़ी से बनी सीढ़ियों और खिड़कियों के साथ इस इमारत का ढांचा बेहद आकर्षक और मज़बूत है।

1964 में पुणे के भारतीय फिल्म संस्थान के परिसर में एक छोटे से दफ़्तर से हुई शुरुआत के बाद एनएफएआई का दफ़्तर मई, 1974 में जयकर बंगले में स्थानांतरित कर दिया गया था। मार्च, 1981 में एनएफएआई ने दो एकड़ अतिरिक्त ज़मीन के साथ जयकर बंगले को भारतीय कानून संस्थान से अधिग्रहित कर लिया था। जयकर बंगले में एनएफएआई का दफ़्तर जनवरी, 1994 तक रहा। इसके बाद इसे इसी परिसर में एक नई इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया।

यहां अंतरराष्ट्रीय फिल्म संरक्षण मानकों के अनुरूप एक फिल्म कक्ष, आवश्यक उपकरणों से लैस संरक्षण विभाग, पर्याप्त संख्या में पुस्तकों तथा पत्रिकाओं वाला पुस्तकालय है। इनके अलावा फिल्मों के पोस्टर, स्टिल तथा अन्य सहायक सामग्री के अनमोल संग्रह वाला शोध और प्रलेखन केंद्र भी है। अभिलेखागार में रखी फिल्में आम लोगों को

दिखाने के लिए तीन सिनेमा ऑडिटोरियम भी हैं।

जयकर बंगला अपनी अमूल्य विरासत के कारण देश के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए भावी पीढ़ी के लिए इसका अच्छी स्थिति में संरक्षण जरूरी है। भारत सरकार ने इसके लिए नौ करोड़ रुपये दिए हैं। इस बंगले का इस्तेमाल डिजिटल पुस्तकालय के रूप में करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। इस योजना में इस भवन के लिए उचित संरक्षण कार्य और डिजिटल पुस्तकालय के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना शामिल होगी।

संस्थान ने अप्रैल से अक्तूबर 2016 तक 2,138 स्टिल, 1,867 गीत पुस्तिकाएं, 1,499 दीवार पोस्टर, 68 फिल्म नेगेटिव और 211 पुस्तकें अपने संग्रह में शामिल कीं। इस वर्ष अभिलेखागार के संग्रह में शामिल किए गए कुछ महत्वपूर्ण फिल्म शीर्षक प्रिंट परिशिष्ट–क में दिए गए हैं।

अधिग्रहण

बिल्वमंगल

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ने फ्रांस के सिनेमैथेके फ्रांसेस से भारतीय मूक फिल्म 'बिल्वामंगल' के फुटेज हासिल किए। कलकत्ता में एलफिन्स्टॉन बायोस्कोप द्वारा निर्मित फिल्म का फिर से नामकरण कर मदान थिएटर लिमिटेड किया गया। इसका निर्देशन रुस्तमजी दोतीवाला ने किया था। अभिलेखागार ने इस फिल्म के 594 मीटर (18 एफपीएस पर 28 मिनट फुटेज) हासिल किए। मूल रूप से इस फिल्म की लंबाई 12 हजार फुट थी।

अभिलेखागार की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि भारत में अब तक जेएफ मदान स्टूडियो के काम के बारे में किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब इसके संग्रह में मूल फिल्मों के युग के तीन महत्वपूर्ण भारतीय स्टूडियो–मदान, कोहिनूर और हिंदुस्तान की प्रतिनिधि फिल्में हैं।

दुर्लभ फुटेज

अभिलेखागार ने विश्व युद्ध द्वितीय पर 32 फिल्में और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों तथा सैन्य बलों (रक्षा मंत्रालय) के प्रमुख पात्रों पर बनी फिल्में प्राप्त की हैं। इनमें से 26 फिल्में वीडियो प्रारूप में और बाकी छह

फ्रांस के सिनेमैथेके फ्रांसेस से भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार को प्राप्त भारतीय मूक फिल्म 'बिल्वमंगल' (1919) का एक दृश्य

35 एमएम प्रारूप में हैं। शोध के लिए इन फिल्मों की डीवीडी बनाई गई है।

तेलुगु क्लासिक फिल्म

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार को तेलुगु क्लासिक फिल्म 'पालांति युद्धम' (1947) नाइट्रेट बेस पर मिली है। गुडावल्ली रामाब्रहमम् और एल. वी. प्रसाद के निर्देशन में बनी 168 मिनट की इस श्वेत–श्याम फिल्म में पालनाडु के युद्ध का वर्णन होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व है। इस फिल्म में दादासाहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले अक्कीनेनी नागेश्वर राव के साथ गोविंद्राराजुला सुब्बाराव और पासुपुलेति कन्नम्बा ने अहम भूमिका निभाई थी।

संग्रह

एलटीएल संग्रह के रूप में बड़ी संख्या में मूल नेगेटिव (चित्र और ध्वनि)/डुपे नेगेटिव/इंटर नेगेटिव इत्यादि प्राप्त किए गए, जिनमें निम्न शामिल हैं:

(क) राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म 'डियूल' (मराठी)।

(ख) श्री अमोल पालेकर से छह फिल्में।

(ग) श्री रजत कपूर से फिल्म 'मिथ्या'।

(घ) पचास के दशक से पहले की 600 प्रोडक्शन नाइट्रेट रील।

(ङ) श्री सुभाष घई से 14 फिल्मों के नेगेटिव।

एलटीएल संग्रह के रूप में बड़ी संख्या में मूल प्रिंट और रिलीज़ प्रिंट/डिजिटल वीडियो प्राप्त किए जिनमें निम्न शामिल हैं :

(क) श्री प्रदीप दीक्षित से 'बिफोर थर्ड बेल गोज़' के 16 एमएम फिल्म प्रिंट।

(ख) मै. फैंटम फिल्म्स प्रा. लि., मुबई से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म 'मसान' की एक डीवीडी।

(ग) श्री अमोल पालेकर से फिल्मों को तीन वीएचएस कैसेट।

फ्रांस के दूतावास द्वारा दी गई फिल्में

भारत में फ्रांस दूतावास ने 20 फ्रांसीसी फिल्में 15 जुलाई को अभिलेखागार को प्रदान कीं। ये सभी फिल्में 35 एमएम रील पर हैं और 1995 से 2010 तक की हैं।

'पलटक' और 'चिड़ियाखाना'

एंजिल टेलीविजन प्रा. लि., कोलकाता ने अभिलेखागार को बांग्ला फिल्म 'पलटक' (1963) प्रदान की। यह फिल्म बेटाकैम कैसेट प्रारूप में है। इसके बारे में खास बात यह है कि वी. शांताराम की प्रोडक्शन कंपनी और स्टूडियो, राजकमल कलामंदिर ने केवल एक इसी फिल्म का निर्माण किया है।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार सत्यजीत रे की फिल्म 'चिड़ियाखाना' की एकमात्र बची प्रति मै. एंजिल टेलीविजन प्रा. लि., कोलकाता से प्राप्त करने में सफल रहा है, जो कि 1982 से लंबित थी।

आयोजनों में भागीदारी

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ने देशभर में अनेक कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराई है।

(क) प्रदर्शनी 'इंडियन शेक्सपीयर ऑन स्क्रीन' लंदन में अप्रैल 2016 में आयोजित की गई। इसके लिए अभिलेखागार ने 1935 से 2006 तक की 15 फिल्मों की फोटो की सॉफ्ट कॉपी और दीवार पोस्टर उपलब्ध कराए। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ने इसी तरह की प्रदर्शनी 'शेक्सपीयर ऑन स्क्रीन' शीर्षक से इसी महीने आयोजित की।

(ख) अभिलेखागार ने मै. पिकल जार, बंगलुरू को 23 फिल्में दीं और उसने अप्रैल 2016 में 'भूमिका – ए स्मिता पाटिल फिल्म समारोह' आयोजित किया।

(ग) दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मनोज कुमार के फिल्मी जीवन को दर्शाने वाली संशोधित कृतियों की प्रदर्शनी आयोजित की। इसका प्रदर्शन 3 मई 2016 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान किया गया। इसे बड़ी संख्या में लोगों ने देखा। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरूण जेटली और सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने इसकी प्रशंसा की।

(घ) भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोहों में से है। गोवा में हर वर्ष होने वाले इस समारोह का उद्देश्य है, फिल्म कला की विशिष्टता को दर्शाने के लिए विश्व सिनेमा को एक मंच प्रदान करना और सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में फिल्म संस्कृति को समझने में योगदान करना। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार इस प्रतिष्ठित समारोह में नियमित रूप से भाग लेता है और प्रभावशाली प्रदर्शन करता है। 2016 में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित 47वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी इसने शानदार प्रदर्शन किया। इस समारोह में अभिलेखागार ने 'आज़ादी 70 साल : याद करो कुर्बानी' विषय पर मल्टी–मीडिया प्रदर्शनी भी लगाई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री वेंकैया नायडु ने किया। इस अवसर पर सचिव (सूचना एवं प्रसारण) और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इसमें मूक फिल्मों के समय (1913–31) से लेकर अब तक की फिल्में दर्शाई गईं। इनमें अस्पृश्यता, जाति प्रथा जैसी बुराइयों के ख़िलाफ़ लड़ाई और महिला सशक्तीकरण पर बनी फिल्में शामिल थीं। सेंसरशिप के कारण विवादों में उलझीं मूल

47वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में 'आज़ादी 70 साल – याद करो कुर्बानी' प्रदर्शनी के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु

फिल्में 'भक्ति विदुर' (1921) और 'उदयकाल' (1930) का भी प्रदर्शन किया गया।

(ङ) एमएएमआई मुंबई फिल्म समारोह देश का एक महत्वपूर्ण वार्षिक समारोह है। 2016 में इसका आयोजन 20 से 27 अक्तूबर तक किया गया जिसमें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की शानदार भागीदारी रही। समारोह में इसकी सात फिल्में दिखाई गईं। ये फिल्में हिंदी, बांग्ला, कन्नड़ और तमिल भाषा की थीं।

(च) अभिलेखागार ने हैदराबाद में 24 से 27 सितंबर, 2016 तक हुए दूसरे इंडीवुड फिल्म कार्निवल में भी भाग लिया। इसने 'भारतीय सिनेमा में गीत और संगीत' विषय पर एक स्मरणीय प्रदर्शनी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की। इसमें हिंदी, बांग्ला, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती और मराठी फिल्में दिखाई गईं।

(छ) पुणे भारतीय अंतरराष्ट्रीय वार्षिक फिल्म समारोह (पीआईएफएफ) 2016 नजदीक है, एनएफएआई इसमें भागीदारी को लेकर उत्साहित है। 12 से 19 जनवरी, 2017 तक चलने वाले आठ – दिवसीय पीआईएफएफ में प्रमुख हस्तियां, विद्वान और फिल्मों के प्रेमी एनएफएआई में जुटते हैं।

(ज) एनएफएआई 11 से 18 नवंबर 2016 के बीच होने वाले कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म समरोह में 10 फिल्में भेजेगा। फिल्म समारोह में श्याम बेनेगल और मृणाल सेन की फिल्मों पर सिंहावलोकन होगा और बर्ट हांस्त्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।

यूरोपीय संघ फिल्म समारोह, 2016

यूरोपीय संघ फिल्म समारोह का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार में 13 से 24 जुलाई, 2016 तक किया गया। जाने–माने मराठी फिल्म निर्माता श्री उमेश कुलकर्णी ने उद्घाटन समारोह में शामिल होकर समारोह की

सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित यूरोपीय संघ फिल्म समारोह के उद्‌घाटन के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर

शोभा बढ़ाई। यूरोपीय संघ और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस समारोह में 23 फिल्में दिखाई गईं। ये फिल्में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की थीं। दो वर्ष के बाद आयोजित इस समारोह में सबको आने की छूट थी।

प्रस्ताव के लिए अनुरोध और रुचि की अभिव्यक्ति

भावी पीढ़ियों के लिए भारतीय सिनेमा की फिल्मी और ग़ैर–फिल्मी विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से अभिलेखागार ने निम्न प्रस्ताव के लिए अनुरोध और रुचि की अभिव्यक्ति दी :

(क) पोस्टरों के डिजिटीकरण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति।

(ख) अभिलेखागार में फिल्म सामग्री के संग्रह के अनुमान के लिए प्रस्ताव के अनुरोध।

(ग) फिल्म सामग्री के निवारक संरक्षण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति।

(घ) ग़ैर फिल्मी सामग्री के डिजिटीकरण के लिए प्रस्ताव के अनुरोध।

(ड) अभिलेखागार में फिल्मों की विषयवस्तु के निवारक संरक्षण के लिए प्रस्ताव के अनुरोध।

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) के लिए संबद्ध पक्षों की बैठकें

अभिलेखागार ने सलाह–मशविरा के लिए फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों की बैठकें आठ शहरों में सफलतापूर्वक आयोजित कीं। ये शहर हैं– पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, बंगलुरू और तिरुअनंतपुरम। ये बैठकें, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत आयोजित की गईं। इनका उद्देश्य उद्योग को फीडबैक देना और मिशन को बढ़ावा देना था।

सोशल मीडिया और आउटरीच में उपलब्धियां

(क) अभिलेखागार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट (@ NFAI official) को ट्विटर ने जुलाई 2016 में मान्यता प्रदान की। संगठन के ट्विटर हैंडल पर अब नीले रंग में सही का निशान लगा है जिससे पता चलता है कि यह अकाउंट आधिकारिक और प्रमाणित है।

(ख) संगठन के फेसबुक पर 30 हजार से अधिक और ट्विटर पर तीन हजार दो सौ से अधिक फॉलोअर हैं। इनकी संख्या में अप्रैल से अक्तूबर 2016 तक 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की वेबसाइट में सुधार

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की आधिकारिक वेबसाइट में सुधार किया जा रहा है। नई वेबसाइट से संगठन की छवि अधिक प्रभावशाली बन सकेगी। इस पर संगठन की पहल तथा गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इस संवादात्मक और प्रभावशाली वेबसाइट पर फिल्म संस्कृति और अन्य संबद्ध जानकारी किसी भी समय हासिल की जा सकेगी।

फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स (एफएसी)

फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स 2016 का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान ने संयुक्त रूप से 23 मई से 18 जून, 2016 तक किया। इसके लिए चार सौ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 80 विद्यार्थियों (5 विदेशी) का चयन किया गया जो 40 शहरों से थे।

अभिलेखागार ने भारतीय फिल्म सोसायटी परिसंघ के साथ मिलकर 11वां मराठी फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स 2016 का आयोजन 18 से 24 सितंबर, 2016 तक किया।

इन पाठ्यक्रमों में जानी–मानी फिल्मी हस्तियों और विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इनमें शामिल थे– श्री जब्बार पटेल, श्री विक्रम गोखले, श्री आशुतोष गोवारिकर, डा. श्यामला वनारसे, श्री अनिल जंकर, श्री मोहन अगाशे, श्री गणेश मटकरी, श्री उमेश कुलकर्णी, श्री समर नखाटे, श्री विकास देसाई, श्री विजय आप्टे और श्री राहुल रानाडे।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में आयोजित वार्षिक फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स – 2016

फेस 2 में स्थानांतरण, कोथरुड

i. हिंदी फिल्मों के गानों की पुस्तिकाएं एसिड–मुक्त अभिलेखीय बक्सों में रखी गईं और इन्हें फेस 2 में स्थानांतरित किया गया।

ii. भारतीय और विदेशी भाषा की फिल्मों के नेगेटिव और स्टिल की कान्टेक्ट शीट, एसिड मुक्त लिफ़ाफ़ों में स्थानांतरित की गईं।

iii. 15 हजार से अधिक दीवार पोस्टर, सात हजार से अधिक गीत पुस्तिकाएं, एक सौ प्रेस क्लिपिंग फाइलें/सार फाइलें और बड़े आकार के दस हजार चित्र फेस 2 में स्थानांतरित किए गए।

iv. छोटे आकार के चित्रों, पुस्तिकाओं और विदेशी भाषा की फिल्मों के स्टिल की कान्टेक्ट शीट को बक्सों में रखा गया और फेस 2 में स्थानांतरित किया गया।

अभिलेखागार में फिल्म संग्रहण/संरक्षण सुविधाएं

अभिलेखागार में अंतरराष्ट्रीय मानकों और विशिष्टताओं वाली लगभग 19 आधुनिक फिल्म संरक्षण सुविधाएं/वॉल्ट हैं। इनमें लगभग दो लाख फिल्म रीलों का संग्रह किया जा सकता है। मुख्य भवन में तीन और पुणे के फेस–2 सुविधा केंद्र में 16 वॉल्ट हैं। श्वेत–श्याम, रंगीन और नाइट्रेट आधारित फिल्मों के लिए इन फिल्म वॉल्ट का तापमान निम्न प्रकार से रखा जाता है :

फिल्म का प्रकार	तापमान	नमी
नाइट्रेट फिल्में	14 डिग्री सेल्सियस	40 प्रतिशत
श्वेत–श्याम फिल्में	14 डिग्री सेल्सियस	40 से 50 प्रतिशत
रंगीन फिल्में	2 डिग्री सेल्सियस+-1 डिग्री सेल्सियस	24 प्रतिशत+-5 प्रतिशत

फिल्म संस्कृति के प्रसार के लिए

1) फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स (एफएसी)

फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स 2016 का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान ने संयुक्त रूप से 23 मई से 18 जून, 2016 तक किया। इसके लिए चार सौ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 80 विद्यार्थियों (5 विदेशी) का चयन किया गया जो 40 शहरों से थे।

अभिलेखागार ने भारतीय फिल्म सोसायटी परिसंघ के साथ मिलकर 11वां मराठी फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स 2016 का आयोजन 18 से 24 सितंबर, 2016 तक किया।

इन पाठ्यक्रमों में जानी–मानी फिल्मी हस्तियों और विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इनमें शामिल थे– श्री जब्बार पटेल, श्री विक्रम गोखले, श्री आशुतोष गोवारिकर, डा. श्यामला वनारसे, श्री अनिल जंकर, श्री मोहन अगाशे, श्री गणेश मटकरी, श्री उमेश कुलकर्णी, श्री समर नखाटे, श्री विकास देसाई, श्री विजय आप्टे और श्री राहुल रानाडे।

2) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे में फिल्मों का संरक्षण और जीर्णोद्धार

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के इतिहास में पहली बार फिल्मों के संरक्षण और जीर्णोद्धार पर एक कार्यशाला का आयोजन फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन और अंतरराष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार परिसंघ ने संयुक्त रूप से 25 फरवरी से 6 मार्च, 2016 तक किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य फिल्मों के संरक्षण और जीर्णोद्धार में दक्षता प्रदान करना है। इसी दौरान राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन का उद्देश्य फिल्मो और ग़ैर फिल्म सामग्री का संरक्षण, डिजीटीकरण और जीर्णोद्धार है। कार्यशाला की योजना अंतरराष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार परिसंघ की तकनीकी समिति के प्रमुख डेविड वाल्श ने भारत की आवश्यकताओं तथा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाई और यह परिसंघ द्वारा प्रमाणित है। जॉर्ज ईस्टमैन म्यूज़ियम, म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, ल इम्मेजिन रिट्रोवाटा – फिल्म रिस्टोरेशन एंड कन्सर्वेशन, बोलोग्ना – इटली और इम्पीरियल वार म्यूज़ियम, लंदन जैसे संस्थानों से पांच अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने दस दिन की इस कार्यशाला में जानकारी दी। कार्यशाला का उद्घाटन अभिनेता नसीरूद्दीन शाह ने किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव (फिल्म) श्री संजय मूर्ति इसमें सम्माननीय अतिथि थे। अन्य गणमान्य व्यक्ति थे– जॉर्ज ईस्टमैन म्यूज़ियम के सीनियर क्यूरेटर श्री पाओलो चेर्ची उसाई, अंतरराष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार परिसंघ बोर्ड के श्री सुधांशु वत्स, मुख्य प्रायोजक तथा विआकॉम 18 के ग्रुप सीईओ, मुख्य आयोजक भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के निदेशक और फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन, मुंबई के संस्थापक निदेशक। असाधारण उपलब्धियों के लिए वार्षिक पुरस्कार फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने जॉर्ज ईस्टमैन हाऊस के सीनियर क्यूरेटर श्री पाओलो चेर्ची उसाई को प्रदान किया। कार्यशाला के लिए समूचे भारत, श्रीलंका तथा बांग्लादेश और फिल्म प्रभाग तथा फिल्म समारोह निदेशालय से 48 विद्यार्थियों ने नाम लिखवाया। उद्घाटन समारोह के बाद दादासाहेब फाल्के द्वारा निर्देशित मूक फिल्म 'कालिया मर्दन' का प्रदर्शन डॉ. क्षमा बैद्य और उनके ग्रुप की लाइव संगीत संगत के साथ किया गया। अभिलेखागार के अनुभागों ने व्याख्यान और प्रेक्टिकल सत्रों के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई।

3) अभिलेखागार द्वारा आयोजित और अन्य कार्यक्रमों के लिए फिल्मों की आपूर्ति

अभिलेखागार अपनी बहुविध गतिविधियों से भारत में फिल्म संस्कृति का प्रसार करता है। इसकी वितरण लाइब्रेरी में देशभर से लगभग 25 फिल्म क्लब सदस्य हैं। अभिलेखागार देशभर में फिल्म समारोहों और विभिन्न स्क्रीनिंग कार्यक्रमों के लिए फिल्मों की आपूर्ति करता है। इसने वर्ष के दौरान अन्य संगठनों के साथ समन्वय से विभिन्न फिल्म समारोह आयोजित किए और फिल्मों की आपूर्ति की।

- अरभात शॉर्ट फिल्म क्लब ने एक लघु फिल्म 'प्लेसेबो' (हिंदी) का प्रदर्शन

31 जनवरी, 2016 को और 'गुलाबी गैंग' का 3 अप्रैल, 2016 को किया।

15 मई, 2016 को (सायं सत्र) चार फिल्में दिखाई गईं। 7 से 10 जुलाई, 2016 तक एक और कार्यशाला, फिल्म निर्माण पर आयोजित की गई।

23 अक्तूबर को दो फिल्में – 'मर्डर एट मंकी हिल' और 'जी करता था' दिखाई गई।

- मै. कल्चरल कैफे एंटरटेनमेंट – फिल्म 'अंतरंग' 7 फरवरी, 2016 को दिखाई गई।
- फिल्म 'रीडिफाइन कान्सैप्ट्स' के प्रमोशन का प्रदर्शन 10 फरवरी, 2016 को किया गया।
- मै. पुणे हेरिटेज फेस्टीवल – फिल्म 'द फिल्म आर्काइव' का प्रदर्शन 13 फरवरी, 2016 को किया गया।
- अभिलेखागार ने समारोहों की शृंखला आयोजित की। इनमें फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ईरान, अर्जेन्टीना, पोलैंड तथा यूरोप के अन्य देशों की फिल्में दिखाई गईं। इन समारोहों का आयोजन फ्रांसाएस, मैक्स मुलर भवन, ब्रिटिश काउंसिल और मुंबई में रूस के सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से किया गया।
- फिल्म संरक्षण और जीर्णोद्धार कार्यशाला – भारत – कुल 11 फिल्में दिखाई गईं। कार्यशाला का आयोजन 25 फरवरी से 6 मार्च, 2016 तक किया गया।
- श्री कुमार गावडे – फिल्म 'एक्स्ट्रा टाइम' का प्रदर्शन 13 मार्च, 2016 को किया गया।
- आयाम, आशय फिल्म क्लब और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार द्वारा आयोजित 7वें अंतरराष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह में चार फिल्में 18 से 20 मार्च, 2016 तक दिखाई गईं।
- मै. ऋषिकेश पवार – फिल्म 'कैप्चरिंग ग्रेस' 27 मार्च, 2016 को दिखाई गई।
- एफ.डी. ज़ोन, पुणे इंटरनैशनल सेंटर – 15 लघु फिल्में 26 मार्च, 2016 को दिखाई गईं।
- मै. शेमारू, मुंबई – दो फिल्में, 8 मार्च, 2016 को दिखाई गईं।
- श्री हिमांशु केसरवानी – फिल्म 'सोच' 2 अप्रैल, 2016 को दिखाई गई।
- मनोविकास प्रकाशन पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन 8 अप्रैल, 2016 को किया गया।
- राजा परांजपे प्रतिष्ठान – 10 फिल्में 15 से 19 अप्रैल, 2016 तक दिखाई गईं।
- श्री अरूण लोधे – फिल्म 'वाचानवेल' 17 अप्रैल, 2016 को दिखाई गई।
- भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और सिम्बायोसिस (ईएलटीआईएस), पुणे – शेक्सपीयर ऑन स्क्रीन – सात फिल्में दिखाई गईं।
- श्री मोहन अगाशे – फिल्म 'अस्तु' 24 अप्रैल, 2016 को दिखाई गई।
- एफ.डी. ज़ोन/पुणे इंटरनेशनल सेंटर/भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार दो फिल्में 27 अप्रैल, 2016 को दिखाई गईं।
- आशय फिल्म और सांस्कृतिक क्लब, पुणे – फिल्म 'देसपेरादो' 8 मई, 2016 को दिखाई गई।
- मै. रितु कम्पोज़ीशन, पुणे – मेन थिएटर में सात फिल्में (प्रातः सत्र) 15 मई, 2016 को दिखाई गई।
- यशदा, आईआईएस प्रशिक्षण – दो फिल्में 19 मई, 2016 को दिखाई गईं।
- एफ.डी ज़ोन और पीआईसी, पुणे – तीन फिल्में 21 मई, 2016 को दिखाई गईं।
- भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म समारोह फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स–आठ फिल्में 23 से 26 मई, 2016 तक दिखाई गईं।
- अभिलेखागार ने फिल्म समारोह निदेशालय और पुणे के आशय फिल्म क्लब के सहयोग से राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली फिल्मों का समारोह 27 से 29 मई, 2016 तक आयोजित किया। इसका उद्घाटन फिल्म निर्देशक सुश्री मेघना गुलज़ार ने 27 मई, 2016 को किया। समारोह का शुभारंभ फिल्म 'तलवार' से किया गया। 29 मई, 2016 को समापन अवसर पर जाने–माने फिल्म निर्देशक श्री सुभाष घई ने अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई।
- मै. समविद सेंटर साइकॉलॉजिकल मैनेजमेंट – फिल्म

'रेड बैलून' 4 मई, 2016 को दिखाई गई।

- अलायंस फॉर ग्लोबल एजुकेशन – दो फिल्में दिखाई गईं।
- मै. राही फिल्म कारपोरेशन, पुणे–'सुर्क्या' का प्रदर्शन 9 मई, 2016 से 20 मई, 2016 तक किया गया।
- मै. अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल, पुणे– फिल्म 'इट्स प्रभात' 1 जून, 2016 को प्रदर्शित की गई।
- भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और एफटीआईआई फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स स्क्रीनिंग (सांय) 1 से 18 जून, 2016 तक की गई।
- श्री सुनील सुकतांकर, पुणे – फिल्म 'कासव' 4 जून, 2016 को दिखाई गई।
- श्री संजय डावरा, एनएफडीसी – फिल्म 'वीस मांजे वीस' का प्रदर्शन 5 जून, 2016 को किया गया।
- एफ.डी. ज़ोन और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार – 2 फिल्में 25 जून, 2016 को दिखाई गई।
- प्रिटी पानेमंगलोर – दो फिल्में 26 जून, 2016 को दिखाई गईं।
- अमृत सातावालेकर – फिल्म 'शटर' 26 जून, 2016 को दिखाई गई।
- राज राधा एंटरटेनमेंट – फिल्म 'आला खुशित समुंदर' 28 जून, 2016 को दिखाई गई।
- आरभात शॉर्ट फिल्म क्लब – श्री उमेश कुलकर्णी की लघु फिल्में 30 जून, 2016 को दिखाई गईं।
- श्री जेम्स आर. अउब्रे, यूएसए – फिल्म 'फायर' का प्रदर्शन 1 जून, 2016 को किया गया।
- डॉ. मोहन अगाशे की फिल्म 'कासव' 21 जून, 2016 को दिखाई गई।
- मै. रिलायंस एजुकेशन – फिल्म 'राजा हरीशचंद्र' 28 जून, 2016 को दिखाई गई।
- पुणे इंटरनेशनल सेंटर, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और नैटपेक के सहयोग से ईरानी फिल्म समारोह – 13 फिल्में 1 से 4 जुलाई, 2016 तक प्रदर्शित की गईं। अभिलेखागार ने पुणे इंटरनैशनल सेंटर और ईरानी इनडिपेंडेंट्स की भागीदारी से ईरानी फिल्म समारोह 1 से 4 जुलाई तक आयोजित किया। समारोह का उद्घाटन फिल्मों के जानकार और समीक्षक श्री राशिद ईरानी ने किया। समारोह में ईरान की कुछ ख़ास फिल्में दिखाई गईं।
- श्री अक्षय इंदीकर – फिल्म 'उधरनाथ नेमादे' 6 जुलाई, 2016 को दिखाई गई।
- आशय फिल्म क्लब, पुणे – दो फिल्में 7 जुलाई, 2016 को दिखाई गईं।
- श्री समीर महागांवकर – फिल्म 'माई मम्स ब्वॉय फ्रेंड' 10 जुलाई, 2016 को दिखाई गई।
- मै. साज़ सरगम स्टुडियो – दो फिल्में 7 और 12 अगस्त, 2016 को दिखाई गईं।
- भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ने अक्षय फिल्म क्लब के साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस फिल्म समारोह 'आज़ादी 70 साल : याद करो कुर्बानी' का आयोजन 13 से 15 अगस्त, 2016 तक किया। तीन दिन का यह समारोह स्वतंत्रता संग्राम में हमारे नेताओं की अमूल्य कुर्बानी और संघर्ष की याद में किया गया। इस विषय पर नौ फिल्में दिखाई गईं। इनमें अभिलेखागार के संग्रह से विशेष दुर्लभ फुटेज और वृत्तचित्र तथा फीचर फिल्में शामिल थीं। इसमें सबको आने की छूट थी। समारोह का उद्घाटन डा. जब्बार पटेल ने किया। समापन समारोह में श्री केतन मेहता मुख्य अतिथि थे। श्री श्याम बेनेगल, श्री सुबोध भावे, श्री नचिकेत और श्री जय पटवर्द्धन भी समारोह में उपस्थित रहे।
- महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति – 40 फिल्में 17 और 18 अगस्त, 2016 को दिखाई गईं।
- सम्यक लघु फिल्म समारोह – 56 लघु फिल्में 19 से 21 अगस्त, 2016 तक दिखाई गईं।
- अभिलेखागार के सहयोग से अलायंस फ्रांसाएस ने ला फेमिस शॉर्ट फिल्म फेस्टीवल का आयोजन किया, जिसमें 15 लघु फिल्मों का प्रदर्शन 26 और 27 अगस्त 2016 को किया गया।
- अरभात चिल्ड्रन्स फिल्म क्लब और शॉर्ट फिल्म क्लब – फिल्म 'हचिको' और सात लघु फिल्मों का प्रदर्शन 28 और 31 अगस्त, 2016 को किया गया।

ईरानी फिल्म समारोह, नई दिल्ली का उद्घाटन करते कर्नल राज्यवर्धन राठौर

- नुमाविय 62–फिल्म 'बाइको महेरी जाते' 28 अगस्त, 2016 को दिखाई गई।
- मैक्स मुलर भवन द्वारा आयोजित जेन नेक्स्ट 8 – फिल्म समारोह 2016 – छह फिल्में 31 अगस्त से 2 सितंबर, 2016 तक दिखाई गईं।
- अभिजीत डी. सारस्वते – फिल्म 'मनी मंगल सूत्र' 16 अगस्त, 2016 को दिखाई गई।
- श्रीमती ललिता पडगांवकर – तीन फिल्में 29 और 30 अगस्त, 2016 को दिखाई गईं।
- मैक्स मुलर भवन, जेन नेक्स्ट 8.0 फिल्म समारोह – दो फिल्में 1 और 2 सितंबर, 2016 को दिखाई गईं।
- मै. धनंजय भावलेकर – मराठी फिल्म 'जिप्सी' 4 सितंबर, 2016 को दिखाई गई।
- 11वां रसास्वाद सिनेमाचा – एफएफएसआई (महाराष्ट्र चैप्टर) और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार द्वारा मराठी फिल्म 18 से 24 सितंबर, 2016 तक दिखा गई।
- ब्रिटिश काउंसिल और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार – 'रोमियो एंड जूलियट' फिल्म का प्रदर्शन 24 सितंबर, 2016 को किया गया।
- कुंडलिक केदारी/आशय फिल्म क्लब पद्मागंधा प्रकाशन – पांच फिल्में 25 और 26 सितंबर, 2016 को प्रदर्शित की गईं।
- एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फ्रांस और डा. डी. माण्डे – तीन फिल्में 27 सितंबर, 2016 को दिखाई गईं।
- पुणे फिल्म फाउंडेशन और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के सहयोग से यूरोपीय फिल्मों का समारोह – चार फिल्में 29 और 30 सितंबर, 2016 को दिखाई गईं।
- हिंदी फिल्म सप्ताह – पखवाड़ा कार्यक्रम 19 से 21 सितंबर, 2016 तक आयोजित किया गया।

- कुमार शाहनी – फिल्म 'भावन्तरन' का प्रदर्शन 27 सितंबर, 2016 को किया गया।
- पुणे फिल्म फाउंडेशन और एमआईटी स्कूल ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन ने अभिलेखागार के सहयोग से यूरोपीय फिल्म समारोह का आयोजन 29 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2016 तक किया। समारोह का उद्घाटन बेल्जियम निर्देशक श्री आंद्रे सियुटेरिक ने किया।
- डू फिल्म डी अमावर डी मोन्स (फीफा) – दर्शकों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इस समारोह में 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
- श्री कुणाल नावाले – फिल्म 'चाओथितला शिवाजी' का प्रदर्शन 3 अक्तूबर, 2016 को किया गया।
- वी एंड वी एंटरटेनमेंट – फिल्म 'काहुर' 8 अक्तूबर, 2016 को दिखाई गई।
- शिवलीला फिल्म्स, पुणे – फिल्म 'साम दाम दंड भेद' का प्रदर्शन 15 अक्तूबर, 2016 को किया गया।
- किशोर लोंधे – फिल्म 'आज़ाद' का प्रदर्शन 23 अक्तूबर, 2016 को किया गया।

अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों और अन्य विशेष आयोजनों के लिए भेजी गई फिल्में

फिल्म 'कंचन सीता' (मलायाली/जी. अरविंदम/1977), अक्तूबर, 2016 के दौरान विशेष प्रदर्शन के लिए एशियन आर्ट म्यूज़ियम लॉस एंजेलिस, अमरीका को दी गई।

पोस्टर प्रदर्शनी

भारतीय सिनेमा पर एक प्रदर्शनी, के जी जोशी कॉलेज ऑफ आर्ट्स और एन. एम. बेडेकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठाणे में आयोजित की गई। इसमें भारतीय सिनेमा पर एक सौ पोस्टरों का प्रदर्शन किया गया। 8 और 9 जनवरी, 2016 को इस प्रदर्शनी का आयोजन, 'भारतीय सिनेमा : अतीत, वर्तमान और भविष्य' विषय पर दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के भाग के रूप में किया गया। इसका उद्घाटन जाने–माने अभिनेता–फिल्म निर्माता श्री अनंत महादेवन ने किया। यह प्रदर्शनी, सम्मेलन का मुख्य आकर्षण थी और इसकी बड़ी प्रशंसा हुई।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे के तत्वाधान में राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन ने फिर से तैयार की गई सामग्री की प्रदर्शनी लगाई। इसमें 40 पैनल थे। 15 जनवरी से 21 जनवरी, 2016 तक लगी यह प्रदर्शनी 14वें पुणे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का हिस्सा थी। इसका आयोजन गौरवशाली शहर कोथरूड में स्मिता पाटिल पवेलियन में किया गया। इसका उद्घाटन जाने–माने फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल ने किया। इसमें बड़ी संख्या में लोग आए जिनमें फिल्म जगत की प्रतिष्ठित हस्तियां और भारतीय तथा विदेशी प्रतिनिधि शामिल हुए। पुणे के विद्यार्थियों ने इसकी प्रशंसा की।

मुंबई में यशवंत फिल्म समारोह में वहीदा रहमान और स्मिता पाटिल की फिल्मों के पोस्टरों की प्रदर्शनी लगाई गई। स्मिता पाटिल की फिल्मों के 14 और वहीदा रहमान की फिल्मों के 25 पोस्टर प्रदर्शित किए गए। इसका आयोजन मुंबई के चाव्हाण सेंटर में 22 जनवरी से 28 जनवरी, 2016 में किया गया।

वहीदा रहमान पर प्रदर्शनी का उद्घाटन स्वयं वहीदाजी ने किया। इसमें बड़ी संख्या में दर्शक आए। फिल्म जगत की प्रतिष्ठित हस्तियों ने इसकी सराहना की। स्मिता पाटिल पर प्रदर्शनी का उद्घाटन महेश भट्ट ने किया। अभिलेखागार ने मै. पिकल जार, बंगलुरु द्वारा 8 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2016 तक आयोजित 'भूमिका – स्मिता पाटिल फिल्म समारोह' में 23 कृतियां प्रदर्शित कीं।

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के तत्वाधान में 74 रीस्टोर्ड क्लासिक्स की प्रदर्शनी पटना में लगाई। इसका आयोजन 20 से 25 फरवरी, 2016 तक पटना फिल्म समारोह के तहत किया गया। इसका उद्घाटन बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री तेजप्रताप यादव ने किया। फिल्म जगत की प्रतिष्ठित हस्तियां और बड़ी संख्या में शहर के लोग इसे देखने आए। पटना के विद्यार्थियों ने इसकी सराहना की।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ने 1 फरवरी, 2016 को अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर अभिलेखागार के प्रमुख आयोजनों के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। अभिलेखागार के इतिहास और पूर्व निदेशकों के योगदान को दर्शाने वाले 20 पैनल की प्रदर्शनी भी लगाई गई। सभी आगंतुकों को भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का टेबल कैलेंडर दिया गया।

पुणे विरासत समारोह

अभिलेखागार ने जनवाणी, विरासत और इंटैक, पुणे के साथ मिलकर 5वें वार्षिक पुणे विरासत समारोह का आयोजन किया। इनके दल ने 13 फरवरी, 2016 को भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का दौरा किया। इस दल के लिए अभिलेखागार के इतिहास पर एक प्रदर्शनी इसकी लॉबी में लगाई गई। इसके बाद अभिलेखागार पर एक वृत्तचित्र दिखाया गया। निदेशक ने इस दल को संबोधित किया। उन्होंने अभिलेखागार की मौजूदा गतिविधियों और भावी योजनाओं के बारे में बताया। दल ने फेस 2 के वॉल्ट सहित संगठन के सभी अनुभागों का दौरा किया। सभी आगंतुकों को टेबल कैलेंडर भेंट किया गया।

इंडियन शेक्सपीयर ऑन स्क्रीन

विलियम शेक्सपीयर की 400वीं पुण्यतिथि के सिलसिले में लंदन के एशिया हाऊस में 'इंडियन शेक्सपीयर ऑन स्क्रीन' विषय पर एक प्रदर्शनी लगाई गई। अभिलेखागार ने 1935 से 2006 तक की 15 फिल्मों के दीवार पोस्टर, फोटो की सॉफ्ट इमेज उपलब्ध करवाई। 22 अप्रैल से 25 अप्रैल, 2016 तक ईएलटीआईएस (सिम्बायोसिस) और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के सहयोग से 'शेक्सपीयर ऑन स्क्रीन' समारोह के दौरान इसी विषय पर विशेष रूप से एक प्रदर्शनी लगाई गई। समारोह और प्रदर्शनी में भारी संख्या में लोग आए।

मनोज कुमार पर प्रदर्शनी

अभिलेखागार ने नई दिल्ली में 3 मई, 2016 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मनोज कुमार के फिल्मी जीवन को दर्शाने वाली फिर से तैयार की गई 45 कृतियां प्रदर्शनी के लिए फिल्म समारोह निदेशालय को दीं। नई दिल्ली में आयोजित इस प्रदर्शनी के पोस्टरों के चित्र और फोटोग्राफ इत्यादि अभिलेखागार ने दिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री और सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री ने भी यह प्रदर्शनी देखी।

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम)

'राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन' 597.41 करोड़ रुपये की परियोजना है जिसे भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नवंबर 2014 में भारतीय फिल्म विरासत के संरक्षण और पुनः स्थापन के लिए मंजूरी दी गई है। यह राशि 12वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, जो कि योजना व्यय के वर्षवार आवंटन के अनुसार 13वीं पंचवर्षीय योजना में भी शामिल होगा। इस पहल को फिल्म उद्योग द्वारा सराहा जाएगा। इस नई योजना ने भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली अन्य मीडिया इकाइयों में उपलब्ध फिल्मों के डिजिटीकरण और पुनःनिर्माण की व्यवस्था की

श्री एम. वेंकैया नायडु भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2016 में एनएफएचएम के कैलेंडर का लोकार्पण करते हुए

है। इस योजना का क्रियान्वयन कार्य भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे को दिया गया है। उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक 23 अगस्त, 2016 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे में हुई। इसमें एएस और एफए, जेएस (फिल्म) श्री जाहनू बरुआ और राजीव मेहरोत्रा भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन की विभिन्न गतिविधियों के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों की सूची बनाने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की गई है।

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के उद्देश्य

(i) फिल्म संग्रह की फिल्म की स्थिति का मूल्यांकन करना और फिल्म की बाकी बची अवधि का पता लगाना।

(ii) 1,32,000 फिल्म रीलों का सुरक्षात्मक संरक्षण।

(iii) 1086 ख़ास फीचर फिल्मों और भारतीय सिनेमा के 1152 शॉर्ट्स 2के/4के चित्र एवं ध्वनि प्रतिपादन और प्रत्येक फिल्म के लिए नई तस्वीरों और साउंड इंटर–निगेटि्व्स की रिकॉर्डिंग।

(iv) 1160 फीचर फिल्मों और 1660 शॉर्ट्स का डिजिटीकरण।

(v) एनएफएचएम के अंतर्गत प्रतिपादित सामग्री के पुणे स्थित एनएफएआई परिसर में धूल मुक्त और कम नमी, कम तापमान की स्थिति में संरक्षण के लिए अभिलेखीय और संरक्षण सुविधाओं का निर्माण।

(vi) संरक्षण और संग्रहण के क्षेत्र में कार्यशालाओं और पाठ्यक्रम प्रशिक्षण और इस क्षेत्र में विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से संग्रहण करना।

रंगमंच सुविधाएं

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार में तीन बहुउद्देशीय थियेटर हैं। मुख्य परिसर में 35 सीटों वाला एक प्रीव्यू थियेटर तथा 300 सीटों वाला मुख्य थियेटर और कोथरुड में 200 सीटों वाला आधुनिक थियेटर। एफटीआईआई की शैक्षिक प्रदर्शनी और अभिलेखागार के अपने कार्यक्रम के अलावा, ये सुविधाएं अन्य संस्थानों द्वारा भी प्रदर्शनी कार्यक्रमों, व्याख्यानों और गोष्ठियों के लिए उपयोग में ली जाती हैं। मैक्स मुलर भवन, अलायंस फ्रेंकैस और पुणे में ब्रिटिश काउंसिल ने भी अपने सदस्यों और एनएफएआई फिल्म सर्कल के सदस्यों के लाभ के लिए नियमित रूप से प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किए। इस वर्ष के दौरान मुख्य ऑडिटोरियम और प्रीव्यू थियेटर को 311 कार्यक्रमों के लिए किराये पर दिया गया।

निर्माताओं और कॉपीराइट मालिकों को सुविधाएं

अभिलेखागार प्रसारण प्रयोजनों के लिए निर्माताओं और कॉपीराइट मालिकों को मूल निगेटिव को दुरुस्त करने, वीडियो नकल और डुप्लीकेट प्रतियां तैयार करने की सेवाएं प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय और उपग्रह नेटवर्क पर प्रसारित किए जाने वाले सेल्यूलाइड क्लासिक्स इसी के संग्रह से एकत्र किए गए थे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू–कश्मीर के लिए बजट प्रावधान

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू–कश्मीर के लिए बजट प्रावधान व्यवहारिक नहीं समझा गया।

प्रशासन

संगठनात्मक ढांचा

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय पुणे में और तीन क्षेत्रीय कार्यालय बंगलुरु, कोलकाता और तिरुअनंतपुरम में हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों का मुख्य कार्य फिल्म संगठनों, शैक्षिक संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों के ज़रिये फिल्म संस्कृति का अपने–अपने क्षेत्र में प्रचार करना है। क्षेत्रीय कार्यालयों का कामकाज संगठन के निदेशक की देखरेख में होता है। तीन क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलाकर इसके कर्मचारियों की संख्या 49 है (26 प्रशासनिक विभाग में और 23 तकनीकी विभाग में)।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप–योजना/विशेष घटक योजना के लिए बजट प्रावधान

संगठन की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप–योजना विशेष घटक योजना के लिए किसी भी तरह

योजना और ग़ैर–योजना व्यय के लिए बजट विवरण :

2016-2017	बजट अनुमान 2016–17 (करोड़ रुपये में)		
	योजना	ग़ैर–योजना	कुल
मुख्य मद '2220' – सूचना और प्रचार			
राजस्व विभाग और पूंजी	7.00	5.92	12.92
कुल	7.00	5.92	12.92

2016-2017	संशोधित अनुमान 2015–16		
मुख्य मद '2220' – सूचना और प्रचार			
राजस्व विभाग और पूंजी	6.00	6.02	12.02
कुल	6.00	6.02	12.02

2017-18	बजट अनुमान 2017–18		
मुख्य मद '2220' – सूचना और प्रचार			
राजस्व अनुभाग और पूंजी (राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन सहित)	309.20	6.02	315.22
कुल	309.20	6.02	315.22

के बजट प्रावधान की जरूरत नहीं समझी गई।

एफआईएएफ

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार मई, 1969 से फिल्म अभिलेखागार अंतरराष्ट्रीय परिसंघ का सदस्य है। परिसंघ की सदस्यता इसे विशेषज्ञ सलाह, संरक्षण की तकनीकों की जानकारी, दस्तावेज़ीकरण और ग्रंथसूची हासिल करने में मदद करती है। यह अभिलेखीय विनिमय कार्यक्रमों के तहत अन्य अभिलेखागार के साथ दुर्लभ फिल्मों के आदान–प्रदान की सुविधा भी देता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग

समय–समय पर संशोधित मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित कर्मचारियों को लाभ और कल्याण प्रदान करने के लिए उचित देखरेख।

राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग

हिंदी सप्ताह मनाया गया, जिसका उद्घाटन समारोह 19 सितंबर, 2016 को हुआ। हिंदी में कविता – पाठ प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और अंताक्षरी का आयोजन किया गया। इसमें सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। सहायक निदेशक (राजभाषा), हिंदी शिक्षण योजना, पुणे श्री राजेंद्र कुमार वर्मा ने एक कार्यशाला कराई। इसका विषय था– दिन–प्रतिदिन के कामकाज में हिंदी के प्रभावी इस्तेमाल के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग।

विभागीय लेखा

अभिलेखागार 1976 में शुरू की गई विभागीय लेखा प्रणाली का पालन करता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत वेतन और लेखा का कामकाज पीएओ, मुंबई संभालता है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के निदेशक को विभाग प्रमुख के तौर पर डीडीओ नियुक्त किया गया और यह अधिकार प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया है।

लंबित लेखा–परीक्षा संबंधी आपत्तियां

लेखा परीक्षा (सेंट्रल), मुंबई के महानिदेशक ने 15 से 28 मई, 2015 तक संगठन के खातों का परीक्षण किया। मई 2015 में किए गए लेखा परीक्षण के दौरान तीन आपत्तियां उठाई गईं और दो शुरुआती आपत्तियों को छोड़ दिया गया। बाकी आपत्तियों को दूर करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रतिनिधिमंडल/शिष्टमंडल

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के निदेशक के नेतृत्व में इसके दल ने विदेश यात्राएं कीं। इसके साथ विशेष ड्यूटी अधिकारी भी थे। फिल्म संरक्षण अधिकारी को 'ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट', लंदन में 12 से 16 जनवरी, 2016 तक अध्ययन और प्रशिक्षण दौरे पर भेजा गया। इसका उद्देश्य अभिलेखागार में फिल्मों के डिजिटाइजेशन और रीस्टोरेशन संबंधी टेक्नालॉजी की जानकारी हासिल करना था। यह दौरा बहुत ज्ञानवर्द्धक और लाभकारी रहा।

निदेशक ने 23 से 27 जून, 2016 तक इटली में बोलेग्ना में जनरल असेंबली और 72वीं एफआईएएफ कांग्रेस, सिंपोज़ियम में भाग लिया।

कैट के निर्णय/आदेश पर अमल

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के बारे में इस वर्ष कैट का कोई निर्णय/आदेश नहीं आया।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

संगठन ने भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया है। 1 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 के दौरान 24 आवेदन प्राप्त किए गए। नियमों के अनुसार आवेदकों को आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। इस अधिनियम से संगठन के कामकाज में पारदर्शिता आई है।

शिकायत प्रकोष्ठ

संगठन के निदेशक को विभाग प्रमुख के तौर पर शिकायत प्रकोष्ठ का अधिकारी नियुक्त किया गया। सभी शिकायतों का सरकार के नियमों और मानदंडों के अनुसार निराकरण किया गया है।

नागरिक चार्टर

नागरिक चार्टर भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की वेबसाइट www.nfaipune.gov.in पर उपलब्ध है। इस पर जरूरी सूचना प्राप्त की जा सकती है। नागरिक चार्टर पर जानकारी समय–समय पर अपडेट की जाती है।

कार्ययोजना का कार्यान्वयन

'जयकर बंगला' और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना सहित संगठन के बुनियादी ढांचे के उन्नयन की 12वीं पंचवर्षीय योजना की नई योजना को 14 जून, 2013 में मंजूरी मिली, जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। सुरक्षा वेड़ा और फेज–2 में भीतरी सड़क का काम पूरा हो चुका है। डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम, फेज–1 के ऑडिटोरियम में कुर्सियां और कारपेट उपलब्ध कराने और डीजी सेट के प्रतिस्थापन का काम पूरा किया जा चुका है तथा कमरों और ऑडिटोरियम के लिए एयर कंडीशनिंग और अग्निशमन प्रणाली जैसे बिजली के काम प्रगति पर हैं। विरासत स्मारक–जयकर बंगले के जीर्णोद्धार का कार्य भी जारी है।

आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण और ई–गवर्नेंस/ई–कॉमर्स

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार एक सांस्कृतिक और अनुसंधान संगठन है और इसका मुख्य कार्य भारतीय सिनेमा की विरासत का संरक्षण और संग्रहण है। यह देश में फिल्म संस्कृति के प्रसार के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। आम जनता, सिनेमा के प्रति गंभीर छात्रों और देश के विभिन्न भागों और दुनियाभर से शोधकर्ता इसकी वेबसाइट के माध्यम से संग्रह और संग्रह की सेवाओं का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फिल्म एप्रीसिएशन पाठ्यक्रम और रिसर्च फेलोशिप योजनाओं के लिए आवेदन पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

जनता के सवालों का जवाब ज्यादातर ई–मेल (nfaipune@gmail.com) के ज़रिये दिया जाता है। अभिलेखागार में इंटरनेट, फैक्स और स्कैनिंग की सुविधा है। इस संगठन का अपना फेसबुक और ट्विटर पेज भी है।

श्री एम वेंकैया नायडु भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2016 के दौरान गोवा में एनएफएआई की प्रदर्शनी में वर्चुअल रियलिटी का अनुभव प्राप्त करते हुए।

सतर्कता संबंधी गतिविधियां

इस वर्ष की सतर्कता गतिविधियां इस प्रकार हैं :

1. मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में संगठन की सतर्कता व्यवस्था का विवरण :

   इस कार्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद नहीं है। विभाग के प्रमुख के रूप में निदेशक को सतर्कता अधिकारी के तौर पर नामित किया गया है।

2. इस अवधि के दौरान निवारक सतर्कता गतिविधियां :

   i. इस अवधि के दौरान आयोजित नियमित निरीक्षण की संख्या : 12

   ii. इस अवधि के दौरान किए गए आकस्मिक निरीक्षण की संख्या : 10

3. इस अवधि के दौरान निगरानी और जांच गतिविधियां:

   i. निगरानी रखने के लिए चयनित क्षेत्रों का विवरण, सुरक्षा और फिल्मों की नकल।

   ii. निगरनी के तहत रखे जाने के लिए पहचान किए गए व्यक्तियों की संख्या : शून्य

4. दंडात्मक गतिविधियां (4 (1) से लेकर (10) तक दिखाई गई संख्या, जहां नियोक्ता अधिकारी अध्यक्ष के अतिरिक्त कोई दूसरा है।)

   i. अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों/संदर्भ की संख्या : शून्य

   ii. प्रारंभिक जांच में शामिल मामलों की संख्या : शून्य

   iii. मामलों की संख्या जहां प्रारंभिक जांच रिपोर्ट हुई : शून्य

   iv. मामलों की संख्या जिनमें बड़े दंड के लिए आरोप पत्र जारी किए गए : शून्य

   v. मामलों की संख्या जिनमें मामूली दंड के लिए आरोप पत्र जारी किए गए : शून्य

   vi. व्यक्तियों की संख्या जिन पर भारी जुर्माना लगाया गया : शून्य

   vii. व्यक्तियों की संख्या जिन पर मामूली जुर्माना लगाया गया : शून्य

   viii. व्यक्तियों की संख्या जिन्हें निलंबित कर दिया गया : शून्य

   ix. व्यक्तियों की संख्या जिनके ख़िलाफ़, प्रशासनिक कार्रवाई जैसे, चेतावनी आदि जारी की गई : शून्य

   x. व्यक्तियों की संख्या जो नियमों के संबद्ध प्रावधानों के तहत समय से पहले सेवानिवृत्त हुएः शून्य

अनुलग्नक–ए

रिपोर्ट अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नए शीर्षक अभिलेखागार में जोड़े गएः–

विक्रमादित्यम – तमिल / 1962

नाडे अडा जेन्ने – तेलुगू / 1965

स्वर्ण सुंदरी – तेलुगू / 1957

वनमपदि – तमिल / 1963

रामराम गंगाराम – 35एमएम / मराठी / 1977

तुमचामछा जमला – 35एमएम / मराठी / 1976

हयोक नवरा पाहजे – मराठी

मुका घया मुका – मराठी / 1987

इकारो – बांग्ला / 2011

आली अंगावर – मराठी / 1982

अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में – मराठी

तेरे मेरे बीच में – मराठी / 1984

मोहनदास – हिंदी / 2009

थम थम जाओ नको लंब – 1990

मारगथम – 35एमएम / तमिल / श्वेत–श्याम / 1959

महामंथिरी – 35एमएम / तेलुगू / श्वेत–श्याम / 1962

पांडु हवलदार – 35एमएम / मराठी / श्वेत–श्याम / 1975

अंधलामारतुडोला–35एमएम / मराठी / श्वेत–श्याम / 1973

माया बाज़ार – 35एमएम / रंगीन / तेलुगू / 1957

गुंडम्मा कथा – 35एमएम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1962

पाताल भैरवी V – 35एमएम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1951

जगदका वीरुनी कथा – 35एमएंम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1962

श्री राजेश्वरी विलास कॉफी क्लब– 3 5 ए म ए म / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1976

श्री कृष्ण अर्जुन युद्धम – 35एमएम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1962

रेचुक्का पगती चिक्का – 35एमएम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1959

मिसम्मा – 35एमएम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1955

चिकाडू दुरक्काडू– 35एमएम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1967

पेल्ली चेसी छूदु –35एमएम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1952

सत्य हरिश्चंद्र –35एमएम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1965

इडु रीथा– 35एमएम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1963

अग्गी रामुडू – 35एमएम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1969

भाले रंगाडू – 35एमएम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1969

सवुकारु – 35एमएम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1950

साबाश रामुडू – 35एमएम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1959

साबाश सुरी – 35एमएम / श्वेत श्याम / तेलुगू / 1964

शांथि निवासम– 35एमएम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1960

अप्पू चेसी पप्पू कुडू–35एमएम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1959

चंद्र हरम–35एमएम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1959

संपूर्ण रामायण– 35एमएम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1959

विमला– 35एमएम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1960

श्री कृष्ण माया– 35एमएम / श्वेत–श्याम / तेलुगू / 1958

अनुलग्नक–बी

31 दिसंबर, 2016 तक अभिलेखीय अधिग्रहण संबंधी विवरण

सामग्रियां	31.03.16 को	1.4.16 से 31.10.16 तक	31.12.16 को
फिल्म	18971	103	19085
वीडियो कैसेट	2,798	222	3043
डीवीडी	2,654	189	2854
पुस्तकें	28875	327	29237
आलेख	38575	150	38750
प्री–रिकार्डेड ऑडियो कैसेट	1,098	--	1098
स्टील्स	149026	4496	153945
वाल पोस्टर	24848	2518	27616
गीत पुस्तिका		2227	2449
ऑडियो टेप (मौखिक इतिहास))	191	--	191
प्रेस क्लीपिंग	2,05,619	427	206088
पंफलेट/फोल्डर	8,876	--	8876
स्लाइड	8,576	--	8576
डिस्क रिकॉर्ड	3,214	--	3214
ऑडियो कंपैक्ट डिस्क	155	--	155
सहायक फिल्म सामग्री का डिजिटीकरण	3,70,220	--	370220

अनुलग्नक–सी

योजना निष्पादन 2016–17

(करोड़ रुपये में)

कार्यक्रम / योजनाएं	एस.बी.जी. 2015–16	आर.ई. 2015–16	31.10.16 तक वास्तविक व्यय
नई योजनाएं			
1) अभिलेख योग्य फिल्मों तथा फिल्म सामग्री का अधिग्रहण	2.00	2.00	1.12
2) जयकर बंगला सहित एनएफएआई की अवसंरचना का उन्नयन तथा डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना	5.00	4.00	2.40
3) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम)	30.00	15.00	6.02

अनुलग्नक–डी

एनएफएआई की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधी आंकड़े

		रीलों की संख्या	
		16एमएम	35एमएम
1.	फिल्मों की विस्तृत जांच	-	150
2.	फिल्मों की नियमित जांच	-	346
फिल्म संस्कृति का प्रसार			
1.	वितरण लाइब्रेरी सदस्य	25	
2.	वितरण लाइब्रेरी सदस्यों को सप्लाई की गई फिल्मों की संख्या	20	
3.	विशेष अवसरों के लिए सप्लाई की गई फिल्में	25	
4.	संयुक्त प्रदर्शन	20	
5.	फिल्म एप्रीसिएशन पाठ्यक्रमों के लिए फिल्मों की सप्लाई	10	
6.	शोध कर्मियों को दी गई सुविधाओं को देखना	12	
7.	अकादमिक प्रदर्शन के लिए एफटीआईआई को सप्लाई की गई फिल्में	546	
8.	एनएफएआई में दिखाई गई फिल्मों की संख्या	50	
9.	पुस्तकालय सेवा का उपयोग करने वाले पाठकों की संख्या	1,227	
10.	प्रलेखन प्रभाग की सेवा का उपयोग करने वाले शोध कर्मियों की संख्या	615	
11.	एनएफएआई में फिल्म देखने वालों की संख्या	30,000	

फिल्म समारोह निदेशालय

भारत सरकार द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से फिल्म समारोह निदेशालय का गठन 1973 में किया गया। फिल्म समारोह निदेशालय विदेशों के फिल्म समारोहों में भारत की भागीदारी, भारत में विदेशी फिल्मों तथा विदेशों में भारतीय फिल्मों के कार्यक्रम आयोजन में सहायता देता है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोहों का आयोजन करता है। सांस्कृतिक आदान–प्रदान के वाहक के रूप में फिल्म समारोह निदेशालय अंतरराष्ट्रीय मित्रता को प्रोत्साहित करता है, स्वस्थ स्पर्धा के लिए विश्व सिनेमा की नई प्रवृत्तियों तक पहुंच प्रदान करता है और इस प्रक्रिया में भारतीय फिल्मों का स्तर सुधारने में सहायक होता है। उन उद्देश्यों की प्राप्ति निम्नलिखित गतिविधियों के आयोजन से होती है :

- भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह
- राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा दादासाहेब फाल्के पुरस्कार
- सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम तथा विदेशों में मिशनों के माध्यम से भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन का आयोजन करना
- भारतीय पैनोरमा का चयन
- विदेशों में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी
- भारत सरकार की ओर से विशेष फिल्म प्रदर्शन
- प्रिंट संग्रहण तथा प्रलेखन

भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा गोवा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से भारत के 47वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन गोवा में 20 से 28 नवंबर, 2016 को किया गया।

- समारोह का फोकस मास्टर क्लास, कार्यशाला, एफटीआईआई के प्रोफेसरों और व्याख्याताओं द्वारा शिक्षकों से सीखने का अवसर विद्यार्थियों को देने के अतिरिक्त भारतीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों को दिखाने पर रहा है।
- कंट्री फोकस कोरिया गणराज्य ने समारोह में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। आईएफएफआई में शामिल

श्री एम. वेंकैया नायडु भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2016 का पोस्टर जारी करते हुए। साथ में गोवा के उप मुख्यमंत्री श्री फ्रांसिस डीसूजा तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर भी हैं

होने के लिए कोरिया गणराज्य के 70 प्रतिनिधि आए। महामहिम श्री चो हयान उद्घाटन समारोह में शामिल हुए।

- 47वें आईएफएफआई के उद्घाटन समारोह में श्री रमेश सिप्पी मुख्य अतिथि थे और सुशांत सिंह राजपूत सम्मानित अतिथि।

47वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह–2016 के उद्घाटन समारोह के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए कलाकार

- इस वर्ष आईएफएफआई ने श्रेष्ठ प्रथम निदेशक के लिए शताब्दी पुरस्कार के नए स्पर्धा वर्ग के अंतर्गत युवा प्रतिभाओं को मान्यता दी। इस वर्ग में 2016 में पहले–पहल निर्देशन करने वाले निर्देशकों की श्रेष्ठ फिल्में दिखीं। मारिया जोस सैन मार्टिन मुनिता को उनकी फिल्म 'रा रा' के लिए रजत मयूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 10 लाख रुपये नकद दिए गए।
- समारोह में फिल्म प्रदर्शन की शुरुआत आंद्रज़ेज वाज्दा की फिल्म 'आफ्टर ईमेज' दिखाई गई फिल्म प्रदर्शन से पहले फिल्म के कलाकार और कर्मी कला अकादमी में आए और भाग लेने वालों से मिले।
- 47वें आईएफएफआई में स्वच्छ भारत फिल्में दिखा कर स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाया गया।
- भारत की स्वतंत्रता के 70 वर्ष मनाने के लिए भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ने प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी में पोस्टर लगाए गए थे और फिल्मों के अभिलेख प्रदर्शित किए गए। इनमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को दिखाया गया और इससे लाखों लोग देश के प्रति योगदान करने के लिए प्रेरित हुए।
- दक्षिण कोरिया के जाने–माने लेखक और निर्देशक ईम वोन–ताएक को वर्ष 2016 के लिए लाइफ़टाइम एचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- श्री एस.पी. बालासुब्रमण्यम को वर्ष 2016 के लिए शताब्दी के भारतीय फिल्म व्यक्तित्व से सम्मानित किया गया।
- कला अकादमी और जीएमसी परिसर में अनेक अंतरराष्ट्रीय और भारतीय फिल्मों को रेड कारपेट मिले। साइरत, वीरम, टू बर्ड्स वन स्टोन, सन ऑफ वार, इरुधी सुतरु, लाइक कॉटन ट्वीन्स आदि फिल्मों के सितारे उपस्थित हुए।
- आईएफएफआई 2016 ने आईसीएफटी, पेरिस तथा यूनेस्को के सहयोग से मुस्तफ़ा कारा की फिल्म 'कोल्ड ऑफ कालंदर' को 'आईसीएफटी–यूनेस्को गांधी पदक' से सम्मानित किया। यह फिल्म शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के आदर्शों को दिखाती है।
- वर्ष 2016 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता मनोज कुमार की फिल्मों का सिंहावलोकन किया गया। इस अवसर पर उनके पुत्र श्री कुणाल गोस्वामी दर्शकों को फिल्म दिखाने के लिए 47वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में शामिल हुए।
- समारोह में पहली बार विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए सुगम्य फिल्मों का पैकेज प्रस्तुत किया गया।
- प्रतियोगी वर्ग के लिए निर्णायक मंडल के सदस्य थे अध्यक्ष इवान पास्सर, सदस्य लैरी स्मिथ, लॉर्डन ज़ैफ्रैनविक, लीला किलानी तथा नागेश कुकनूर।
- एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (एएमपीएएस) (हॉलीवुड) द्वारा सत्यजीत रे संरक्षण परियोजना पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसे एएमपीएएस के लघु फिल्म संरक्षक टेसा इडलवाइन द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- आईएफएफआई 2016 में इस वर्ष गुज़रे पोलैंड के फिल्मकार आंद्रज़ेज वाज्दा तथा ईरानी फिल्मकार अब्बास कियारोस्तमी की स्मृति में विशेष स्मृति वर्ग में उनकी फिल्में दिखाई गईं।
- 47वें आईएफएफआई में कुल 88 देशों ने 4 वर्ल्ड

47वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के निर्णायक मंडल के सदस्यों के साथ सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री

प्रीमियर और 6 अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर के साथ अपनी फिल्में दिखाई।

- समारोह के दौरान सिनेमेटोग्राफी पर मास्टर क्लास राबर्ट योमैन (ऑस्कर नामित सिनेमेटोग्राफर) द्वारा लिया गया।
- वैश्विक दृष्टि से भारत में एनीमेशन उद्योग की स्थिति पर प्राइम फोकस वर्ल्ड के सीनियर वीपी एनीमेशन सियान फीनी द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- गोवा में उपस्थित अंतरराष्ट्रीय निर्माण घराने से लाभ उठाने के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय निर्माताओं के साथ अनेक सह–निर्माण संगोष्ठियां आयोजित की गईं।
- समारोह के अंत में 'एज ऑफ शैडोज़' फिल्म दिखाई गई। इस वर्ष यह फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए कोरिया गणराज्य की अधिकारिक प्रवेश फिल्म थी। समापन समारोह में फिल्म के कलाकार और कर्मी उपस्थित थे।
- कला अकादमी में ओपन फोरम का आयोजन किया गया जिसमें समारोह के आयोजकों के साथ सीधा संवाद का अवसर लोगों को मिला ।
- आएफएफआई 2016 में 4 विश्व प्रीमियर, 6 अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर, 26 एशियाई प्रीमियर तथा 100 से अधिक फिल्मों के प्रीमियर फिल्में दिखाई गईं।
- भारतीय पैनोरमा वर्ग में कुल 47 फिल्में दिखाई गईं। 230 पात्र प्रविष्टियों में 26 फीचर फिल्में और 199 पात्र प्रविष्टियों में से 21 गैर–फीचर फिल्में शामिल की गईं।
- जी प्रभा निर्देशित फीचर फिल्म 'इष्टी' (संस्कृत) तथा बोबो खुराइजाम द्वारा निर्देशित ग़ैर–फीचर फिल्म 'ईमा साबित्री' (मणिपुरी) भारतीय पैनोरमा की उद्घाटन फिल्में रहीं।
- कुल 10 फिल्मों को रेड कारपेट मिले तथा 47वें आईएफएफआई के दौरान भारतीय पैनोरमा फिल्मों के लिए 13 संवाददाता सम्मेलन आयोजित किए गए।

47वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2016 के दौरान भारतीय पैनोरमा खंड का उद्घाटन करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु

- नौ दिनों तक चले इस समारोह में 250 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि और 150 भारतीय प्रतिनिधि अतिथि रहे।

समारोह में शामिल हुई हस्तियां– सतीश कौशिक, नाना पाटेकर, राइमा सेन, गौतम घोष, पालोमी घोष, धृतिमान चटर्जी, रजत कपूर, कल्की कोचलिन, धनंजय, टी.एस. नागभर्ना, कौशिक गांगुली, परमब्रत चटर्जी, दिव्या दत्ता, महेश मजरेकर, मृणाल कुलकर्णी, टॉम अल्टर, कुणाल कपूर, नागराज मंजुले, अब्बास अली ज़फ़र आदि।

47वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह को संबोधित करते सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर

ब्रिक्स फिल्म समारोह

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से फिल्म समारोह निदेशालय ने 2 से 6 सितंबर, 2016 तक नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में प्रथम ब्रिक्स फिल्म समारोह का आयोजन किया।

समारोह के आकर्षण उद्घाटन और समापन समारोह रहे। प्रतियोगी वर्ग में प्रत्येक ब्रिक्स देश से चार–चार फिल्मों को मिला कर 20 फिल्में थीं। समारोह के दौरान प्रतियोगी वर्ग में 26 फिल्मों में से ली गई फिल्में दिखाई गईं।

निर्देशक जयराज की कुणाल कपूर अभिनित फिल्म 'वीरम' उद्घाटन समारोह में दिखाई गई।

प्रथम ब्रिक्स फिल्म समारोह में भारतीय फिल्म 'तिथि' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला।

चीन के फिल्मकार जियानकी हुओ को उनकी फिल्म 'जुआन ज़ेंग' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला।

रूस की युलिया पेरेसिल्ड को फिल्म 'बैटल फॉर सेवास्तोपोल' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु नई दिल्ली में आयोजित पहले ब्रिक्स फिल्म समारोह में पुरस्कार प्रदान करते हुए

दक्षिण अफ्रीका के थाबो रामेत्सी को 'कलुसी, द स्टोरी ऑफ सोलोमन महलंगु' फिल्म में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनय का पुरस्कार दिया गया। 'बिटविन

सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर और विदेश राज्यमंत्री जन. वी.के. सिंह नई दिल्ली में ब्रिक्स फिल्म समारोह के अवसर पर

वैलीज़' के लिए विशेष जूरी का पुरस्कार ब्राजील के फिलिप बारसिन्सकी को दिया गया।

चीन के फोनिक्स तथा रूस के 14 फिल्म के गीतों को विशेष उल्लेख प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

जैकी चान अभिनित चीन की फिल्म 'स्किपट्रेस' को समापन समारोह में अंतिम फिल्म के रूप में दिखाया गया।

फिल्म समारोह के निर्णायक मंडल के सदस्य थे अध्यक्ष टी.एस. नागभर्ना (भारत) तथा फ्रांसिस वोगनर डो रीस (ब्राजील), किरिल राज़लोगोव (रूस), हुओ केमिंग (चीन) तथा ज़ोलिस्वा सिथोले (दक्षिण अफ्रीका)।

समारोह में 6 पैनल संवाद आयोजित किए गए और इनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

दर्शकों ने समारोह के दौरान प्रतिदिन शाम को भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील तथा चीन के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखा।

भारतीय वर्ग और भारतीय पैनोरमा

भारतीय पैनोरमा के हिस्से के रूप में 26 फीचर फिल्में तथा 21 ग़ैर–फीचर फिल्में चुनी गईं। कौशिक गांगुली निर्देशित 'सिनेमावाला' तथा विभा बख़्शी निर्देशित ग़ैर–फीचर फिल्म 'डॉटर्स ऑफ मदर इंडिया' इस वर्ग के उद्‌घाटन में दिखाई गई।

वर्ष 2015 के लिए 63वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

एस.एस. राजामौली निर्देशित तेलुगू फिल्म 'बाहुबली' को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने के लिए कबीर खान निर्देशित फिल्म 'बजरंगी भाईजान' को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म घोषित किया गया।

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी नई दिल्ली में आयोजित 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 'रजत कमल पुरस्कार' श्री अमिताभ बच्चन को देते हुए

फिल्म 'पीकू' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म 'तनू वेड्स मनू रिटर्न्स' (हिंदी) के लिए कंगना रानाउत को दिया गया।

हार्दिक मेहता निर्देशित फिल्म 'अमदावाद मा फ़ेमस' को सर्वश्रेष्ठ ग़ैर–फीचर फिल्म घोषित किया गया।

सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार दोदाहुलुरु रुकोनजी लिखित पुस्तक 'डॉ. राजकुमार समग्र चरित्र' (कन्नड़) को दिया गया जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म समालोचक का पुरस्कार मेघचंद्र कांगबाम को दिया गया।

प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जाने–माने अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार को भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया।

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में श्री मनोज कुमार को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार देते हुए

63वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लोक प्रदर्शन

नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 4 से 17 मई, 2016 के दौरान 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली फिल्मों को लोगों को दिखाया गया।

स्वतंत्रता दिवस फिल्म समारोह, नई दिल्ली

फिल्म समारोह निदेशालय ने स्वतंत्रता दिवस से संबंधित रक्षा मंत्रालय के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता दिवस फिल्म समारोह '70 साल : आज़ादी ज़रा याद करो कुर्बानी' का आयोजन नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम – 2 में 12 से 18 अगस्त, 2016 तक किया।

DIRECTORATE OF FILM FESTIVALS
&
Ministry of Defence
Presents
Independence Day Film Festival
"Azadi 70 Saal – Yaad Karo Kurbani"
13th August, 2016
Siri Fort Auditorium II, New Delhi

PROGRAMME

Day / Time	11.00 AM	2.30 P.M.	6.00 P.M.
13.08.2016 (Day 2)	BORDER Dir : J.P. Dutta Hindi/ 1997/178 Minutes	SHAHEED UDDHAM SINGH Dir : Chitraarth Punjabi/1999/165 Minutes	VEER SAVARKAR Dir : Ved Rahi Hindi/2000/165 Minutes

समारोह का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण तथा शहरी विकास, आवास और शहरी ग़रीबी उपशमन मंत्री श्री वेंकैया नायडु ने सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर (एवीएसएम) और सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अजय मित्तल की गरिमामयी उपस्थिति में किया।

समारोह के उद्घाटन अवसर पर यादगार फिल्म 'गांधी' दिखाई गई। समारोह में विभिन्न भाषाओं की 20 देश भक्ति फिल्मों का पैकेज भी शामिल किया गया। समारोह को स्कूली बच्चों ने उत्साह के साथ देखा।

असम के जोरहाट में देशभक्ति फिल्म समारोह

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय तथा असम सरकार के सांस्कृतिक मामलों के निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से असम के जोरहाट में 30 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2016 तक 'आज़ादी 70 साल : याद करो कुर्बानी' शीर्षक से देशभक्ति फिल्मों का समारोह आयोजित किया गया। फिल्म समारोह पैकेज में जाने–माने भारतीय फिल्मकारों की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मों तथा अंतरराष्ट्रीय ख्याति की फिल्म को शामिल किया गया।

मामी (MAMI) फिल्म समारोह, मुंबई

फिल्म समारोह निदेशालय की तीन फिल्में– 'चश्मे बद्दूर', 'कथा' और 'स्पर्श' – 20 से 28 अक्तूबर, 2016 तक मुंबई में आयोजित मामी फिल्म समारोह में फिल्मकार साईं परांजपे के सिंहावलोकन के हिस्से के रूप में दिखाई गईं।

विदेशी फिल्म समारोहों में भागीदारी

फिल्म समारोह निदेशालय ने 14 अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया। अनेक फिल्मों की सराहना की गई :

1. सऊदी अरब, जेद्दा में भारतीय फिल्म समारोह
2. थ्रिसूर अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह
3. कान अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह
4. सिंगापुर में भारतीय फिल्म समारोह
5. नमस्ते इंडिया फिल्म समारोह, रोमानिया
6. शंघाई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह
7. रायपुर फिल्म समारोह
8. कैम फिल्म समारोह, 2016 (काहिरा, मिस्र)
9. सार्क फिल्म समारोह, कोलंबो, श्रीलंका
10. पांचवां हनोई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह
11. 15वां प्योंगयांग अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह
12. बाली अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह
13. मोरक्को अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह
14. 5वां जियायुगुवान अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह (चीन)

इसके अतिरिक्त फिल्म समारोह निदेशालय ने 5वें जियायुगुवान अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह में पांच फिल्मकारों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया और क्रमशः 16 से 19 जुलाई, 2016 तथा 30 जुलाई से 6 अगस्त, 2016 तक दिल्ली में ईरानी और यूरोपीय संघ फिल्म समारोह का आयोजन किया। दोनों समारोहों में शीर्ष राजनयिक शामिल हुए।

कान फिल्म समारोह में भागीदारी

माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर (सेवानिवृत्त), एवीएसएम के नेतृत्व में पांच सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल 69वें कान फिल्म समारोह में भाग लेने फ्रांस गया।

कान में भारतीय पैवेलियन का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर (सेवानिवृत्त), एवीएसएम ने किया। भारतीय पैवेलियन में वैश्विक फिल्म समुदाय को वर्तमान भारतीय सिनेमा की उपलब्धियों को दिखाने के लिए सक्रिय संवाद सत्र का आयोजन भी किया गया। सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर (सेवानिवृत्त), एवीएसएम ने कान में भारतीय पैवेलियन में ब्रिटेन के संस्कृति और डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्री ईड वाइज़े से मुलाकात की।

सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर कान फिल्म समारोह के दौरान 47वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के पोस्टर का विमोचन करते हुए

कान फिल्म समारोह में होटल मैजेस्टिक बैरियेरे में फिल्म उद्योग के हितधारकों के साथ गोल मेज़ चर्चा का भी आयोजन किया गया।

भारतीय पैनोरमा फिल्म समारोह

भारतीय पैनोरमा 2015 की फिल्मों का नई दिल्ली में 18 से 29 जनवरी, 2016 तक लोक प्रदर्शन किया गया।

समारोह विभा बख्शी द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म 'डॉटर्स ऑफ मदर इंडिया' और कौशिक गांगुली निर्देशित बांग्ला फीचर फिल्म 'सिनेमावाला' दिखाने के साथ प्रारंभ हुआ।

47वें भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2016 के हिस्से के रूप में भारतीय पैनोरमा में 26 फीचर फिल्मों और 21 ग़ैर–फीचर फिल्मों का चयन किया गया।

फिल्म समारोह निदेशालय विभिन्न फिल्म निकायों तथा राज्य सरकारों द्वारा आयोजित समारोहों की सहायता फिल्में उपलब्ध करा कर करता है।

पटना फिल्म समारोह 2016 (19 फरवरी से 25 फरवरी, 2016)

फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम लिमिटेड तथा बिहार सरकार के कला, संस्कृति और युवा विभाग ने 19 फरवरी से 25 फरवरी, 2016 तक पटना फिल्म समारोह का आयोजन किया।

भारतीय पैनोरमा फिल्म समारोह, बंगलुरु (17 से 20 मार्च, 2016)

फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कर्नाटक चलचित्र अकादमी तथा सूचना और जन संपर्क विभाग ने 17 से 20 मार्च, 2016 तक बंगलुरु के मीलर्स रोड स्थित चामुंडेश्वरी स्टूडियो में भारतीय पैनोरमा फिल्म समारोह का आयोजन किया।

वर्धा में देशभक्ति फिल्म समारोह

फिल्म समारोह निदेशालय ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 30 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2016 तक महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से वर्धा में देश भक्ति फिल्म समारोह का आयोजन किया।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

प्रस्तावना

1. फिल्मों का निर्माण और प्रदर्शन संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि फिल्म को व्यापक रूप से सराहनीय और लोकतंत्री माना जाता है। जनमत को प्रभावित करने तथा विभिन्न क्षेत्र के लोगों में संस्कृति के ज्ञान और समझदारी निर्धारित करने में फिल्में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश में फिल्मों का निर्माण अधिकतर निजी क्षेत्र में होता है।

2. हमारा संविधान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है लेकिन उचित प्रतिबंधों के साथ। यह प्रतिबंध भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, गरिमा तथा नैतिकता के हित में और अदालत की अवमानना, मानहानि और किसी अपराध को उकसाने के संबंध में है। संविधान के इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन में दिशा–निर्देश के लिए मौलिक सिद्धांत तय किए गए हैं। अधिनियम के सेक्शन 5बी(2) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मानक सिद्धांतों से संबंधित निर्देश(दिशा निर्देश) जारी किए गए हैं।

3. बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स को 1 जून, 1983 को नया नाम– 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड' दिया गया। इसकी स्थापना सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 के सेक्शन 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों की स्वीकृति देना है। वर्तमान बोर्ड में एक अध्यक्ष और 18 ग़ैर–सरकारी सदस्य होते हैं। सभी की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। समय–समय पर वर्तमान बोर्ड को नामित किया जाता है। बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के लिए फिर अधिसूचना जारी होती है। वर्तमान बोर्ड के सबसे पुराने सदस्य को तीन वर्षों के लिए जनवरी 2015 में नामित किया गया।

4. बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है और इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम, दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख क्षेत्रीय अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं और फिल्म परीक्षण में सलाहकार पैनल उनकी सहायता करता है। बोर्ड के सदस्य और सलाहकार पैनल में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को रखा जता है जैसे शिक्षाविद्, सामाजिक कार्यकर्ता, गृहिणी, फिल्म व्यक्तित्व, डॉक्टर और पत्रकार आदि।

5. अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को 'यू' प्रमाण पत्र दिया जाता है। जिन फिल्मों में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को न दिखाए जाने योग्य दृश्य हैं अथवा अप्रतिबंधित प्रदर्शन के लिए भी उपयुक्त हैं तो उस फिल्म को इस बारे में सूचना देते हुए 'यूए' प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसमें अभिभावकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। उन फिल्मों को 'ए' प्रमाणपत्र दिया जाता है जो ग़ैर वयस्कों के प्रदर्शन के लिए उपयुक्त न हों। विशेष दर्शकों जैसे डॉक्टर आदि के लिए अप्रतिबंधित प्रदर्शन के लिए 'एस' प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त फिल्मों को प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाते।

प्रमाणन से संबंधित कार्य

6. अप्रैल, 2016 से दिसंबर 2016 की अवधि में कुल 14,334 प्रमाणपत्र जारी किए गए। सभी सेल्यूलॉयड फिल्मों को शून्य प्रमाणपत्र जारी किए गए, वीडियो फिल्मों को 6,722 प्रमाणपत्र जारी किए गए तथा डिजिटल फिल्मों को 7612 प्रमाणपत्र जारी किए गए।

838 भारतीय फीचर फिल्में, 268 विदेशी फीचर फिल्में, 5,164 भारतीय लघु फिल्में, 435 विदेशी लघु फिल्में, फीचर के अतिरिक्त 17 भारतीय लंबी फिल्में और फीचर के अतिरिक्त शून्य विदेशी लंबी फिल्में वीडियो श्रेणी में प्रमाणित की गईं।

1,475 भारतीय फीचर फिल्में, 252 विदेशी फीचर फिल्में, 6,636 भारतीय लघु फिल्में, 337 विदेशी लघु फिल्में, फीचर के अतिरिक्त शून्य भारतीय लंबी फिल्में

और फीचर के अतिरिक्त शून्य विदेशी लंबी फिल्में डिजिटल श्रेणी में प्रमाणित की गईं।

संलग्नक में अप्रैल 2016 से दिसंबर 2016 की अवधि में प्रमाणित फिल्मों का प्रमाण पत्रवार और श्रेणीवार वक्तव्य दिया गया है।

7. सेटेलाइट चैनलों और दूरदर्शन पर प्रसारण के उद्देश्य से 'ए' से 'यूए' या 'यू' प्रमाणपत्र में परिवर्तन के लिए बोर्ड को आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। वीडियो प्रारूप में पुनः संपादित संस्करण की जांच के बाद बोर्ड द्वारा श्रेणी परिवर्तन के बारे में निर्णय लिया जाता है। बोर्ड को वीडियो मोड में दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए फिल्मी गीतों और ट्रेलरों के प्रमाणन के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

बोर्ड की बैठकें और कार्यशाला

8. इस अवधि में मुंबई में 5 अगस्त, 2016 और 7 नवंबर, 2016 को दो कार्यशाला सह बोर्ड बैठकें हुईं।

9. सलाहकार पैनल के सदस्यों के लाभ के लिए और फिल्म प्रमाणन में अधिकारियों की परीक्षा के लिए समय–समय पर विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में सलाहकार पैनल के सदस्यों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इसमें फिल्मों के परीक्षण में शामिल विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। आचार संहिता और अनुशासन पालन पर ज़ोर दिया गया। बोर्ड के सदस्यों और सलाहकार पैनल के सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वे दिशा निर्देशों का को कठोरता से लागू करें। बार बार दिशा–निर्देशों के उल्लंघन के मामलों में दिशा–निर्देशों की व्याख्या को लेकर विशेष स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

महत्वपूर्ण आयोजन

10. डिजिटल प्रोजेक्शन प्रणाली के साथ सीबीएफसी के हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में नए स्थान की व्यवस्था की गई है।

शिकायतें

11. जनता से फिल्म प्रमाणन संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये शिकायतें मुख्य रूप में सेक्स और हिंसा के प्रदर्शन से संबंधित थीं। इनमें से ज्यादातर शिकायतें सामान्य किस्म की थीं।

सेंसरशिप उल्लंघन

12. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को इस वर्ष भी फिल्म प्रदर्शन के चरण में सेंसरशिप उल्लंघन की रिपोर्ट मिली। फिल्म उद्योग के एक वर्ग द्वारा व्यापक रूप से पांच मामलों में सेंसरशिप का उल्लंघन किया गया। ये हैं :

(क) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा हटाए गए अंशों को फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान जोड़ना।

(ख) प्रमाणित फिल्म में बोर्ड को जोड़े गए भाग को नहीं दिखाना।

(ग) प्रमाणित फिल्म में उद्धरण (बाइट) को जोड़ना।

(घ) फ़र्ज़ी प्रमाणन के साथ सेंसर नहीं की गई फिल्मों का प्रदर्शन।

(ङ) सेंसर प्रमाणपत्र के बिना फिल्मों का प्रदर्शन।

अनुलग्नक–I

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
बोर्ड द्वारा 1 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 के बीच फिल्मों का प्रमाणन दिखाता समेकित वक्तव्य

वीडियो

	यू	यूए	ए	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्में	271	411	156	-	838
विदेशी फीचर फिल्में	51	161	56	-	268
भारतीय लघु फिल्में	4334	713	117	-	5164
विदेशी लघु फिल्में	95	310	30	-	435
फीचर के अतिरिक्त अन्य लंबी भारतीय फिल्में	16		1	-	17
फीचर के अतिरिक्त अन्य लंबी विदेशी फिल्में	-	-	-	-	-
कुल	**4767**	**1595**	**360**	**-**	**6722**

डिजिटल

	यू	यूए	ए	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्में	485	449	175	-	1109
विदेशी फीचर फिल्में	87	186	39	-	312
भारतीय लघु फिल्में	4083	1342	122	-	5547
विदेशी लघु फिल्में	182	360	48	-	590
फीचर के अतिरिक्त अन्य लंबी भारतीय फिल्में	42	7	-	-	49
फीचर के अतिरिक्त अन्य लंबी विदेशी फिल्में	2	3	-	-	5
कुल	4881	2347	384	-	7612
कुल जोड़	**9648**	**3942**	**744**	**-**	**14334**

बोर्ड का वित्तपोषण

सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियमन करने वाला संवैधानिक निकाय है लेकिन प्रशासनिक उद्देश्य से बोर्ड को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय माना जाता है।

बोर्ड को सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम, 1983 में दिए गए स्केल के अनुसार प्रमाणन शुल्क से संग्रहित राजस्व प्राप्त होता है। बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय में फिल्मों को दिखाने के लिए प्रोजेक्शन शुल्क भी लगाता है। 1 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 में बोर्ड को कुल 345.64 लाख रुपये की आय हुई। संग्रहित राजस्व को भारत की संचित निधि में जमा करा दिया जाता है। इस संबंध में बोर्ड किसी बैंक खाते का उपयोग नहीं करता।

राजस्व लेखा रखने के उद्देश्य से तथा व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा पालन किए जा रहे वित्त।

(1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017) के वित्तीय वर्ष का अनुसरण करता है। बोर्ड ग़ैर–योजना मद में मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करता है। 1 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 के बीच विभिन्न मदों में हुई प्राप्तियों और व्यय का ब्योरा निम्न है :

बजट आवंटन और व्यय

(लाख रुपये में)

	ग़ैर–योजना(बीई) (2016–2017)	30 दिसंबर, 2016 तक व्यय
वेतन	**620.00**	**428.03**
चिकित्सा	**4.80**	**4.21**
यात्रा व्यय	**20.65**	**12.08**
कार्यालयी व्यय	**70.00**	**66.50**
पीपीएसएस	**165.00**	**106.14**
किराया दरें और कर	**8.00**	**3.64**
अन्य प्रशासनिक व्यय	9.00	4.85
सूचना प्रौद्योगिकी	2.55	2.55
कुल	900.00	628.00

1. **नियोजन योजनाः केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार तथा प्रमाणन प्रक्रिया**

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) बारहवीं योजना अवधि 2012 से 2017 के अंतर्गत सीबीएफसी के उन्नयन, आधुनिकीकरण तथा विस्तार और प्रमाणन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का प्रस्ताव करता है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं और 3.50 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2016–17 के लिए आबंटित किए गए हैं।

(1) फिल्म आवेदनों का ऑनलाइन प्रोसेसिंग तथा प्रमाणन, वेबसाइट के लिए साफ्टवेयर विकास।

(2) डिजिटल प्रोजेक्शन प्रणाली तथा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के सभी कार्यालयों के लिए डिजिटल थिएटर।

(3) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालयों के लिए अतिरिक्त कार्यस्थल की आवश्यकता

31 दिसंबर, 2016 तक योजना के अंतर्गत 2.04 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

2. **नियोजन योजना : मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण**

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 2016–17 में निम्नलिखित गतिविधियों का प्रस्ताव करता है :

(क) बोर्ड के सदस्यों और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुंबई के कार्यालयों के लिए कार्यशाला/गोष्ठी/संवाद।

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में सलाहकार पैनल के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण/कार्यशाला।

(ग) प्रशासन, लेखा, रिकार्डों का बजट रखरखाव, ई–गवर्नेंस, आईटी कौशल, निगरानी तथा आरटीआई मामलों के लिए ग्रुप ए, बी और सी का प्रशिक्षण।

2016–17 में योजना के लिए आबंटित 25 लाख में से 31 दिसंबर, 2016 तक 13.97 लाख रुपये का उपयोग किया गया है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1975 में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आर्थिक नीति के अनुरूप और समय–समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को एकीकृत रूप में नियोजित, प्रोत्साहित और संगठित करना है। 1980 में एनएफडीसी के साथ फिल्म वित्त निगम (एफएफसी) तथा भारतीय मोशन पिक्चर्स निर्यात निगम (आईएमपीईसी) का विलय कर दिया गया। और फिल्म विकास निगम को नया रूप मिला। प्रारंभ से एनएफडीसी ने 21 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों का धन पोषण/निर्माण किया है। इनमें से अनेक फिल्मों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। फिल्म निर्माण के अलावा सरकारी एजेंसियों को 360 डिग्री का विपणन समाधान उपलब्ध कराता है और विज्ञापन, वृत्त चित्र, लघु फिल्मों, टीवी श्रृंखला, वेब विज्ञापन, रेडियो श्रृंखला तथा विषय संबंधी संगीतमय गान का निर्माण करता है।

एनएफडीसी फिल्म विकास एजेंसी के रूप में फिल्म उद्योग के उन क्षेत्रों/वर्गों के विकास में सहायता देती है जिनकी न केवल सांस्कृतिक छाप है बल्कि उन क्षेत्रों में भी सहायता देती है जिनमें निजी उद्यमी नहीं जाते। इस तरह निगम उद्योग के संतुलित विकास में सहायक है लेकिन भारतीय फिल्म उद्योग में निगम की भूमिका विकास के बारे में होते हुए भी सार्वजनिक प्रतिष्ठान के रूप में एनएफडीसी को कॉरपोरेट अधिकार प्राप्त है और यह स्वस्थ तुलन पत्र रखने के लिए उत्तरदायी है। सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान पुनर्संरचना बोर्ड (बीआरपीएसई) द्वारा एनएफडीसी को 1 नवंबर, 2013 को कायाकल्प पुरस्कार दिया गया। कंपनी को यह पुरस्कार लगातार तीन वित्तीय वर्ष– 2010–11, 2011–12 और 2012–13 में लाभ प्राप्त करने के लिए मिला।

समीक्षा वर्ष में एनएफडीसी ने निर्माण और वितरण के क्षेत्र में अपनी स्थिति मज़बूत की और भारत के सिनेमा ब्रांड के अंतर्गत विज्ञापन निर्माण, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के

लिए लघु और कॉरपोरेट फिल्म निर्माण, पुनर्स्थापना, फिल्म बाज़ार, डिजिटल नॉन–लिनियर संपादन में प्रशिक्षण, सिनेमेटोग्राफी और उपशीर्षक आदि का कार्य किया।

निर्माण

फिल्म निर्माण विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं में फिल्म निर्माण के लिए भारतीय सिनेमा में विविधता दिखाने वाली फीचर फिल्मों का निर्माण और सह–निर्माण करता है। इस योजना के अंतर्गत एनएफडीसी फिल्म निर्माण के लिए वर्तमान दिशा–निर्देशों के अंतर्गत फिल्मों का निर्माण और सह निर्माण कार्य करती है। इसमें नवागंतुक फिल्मकारों को उनकी पहली फीचर फिल्म के निर्माण में 100 प्रतिशत कार्य को प्रोत्साहित किया जाता है और भारत तथा विदेशों के निजी क्षेत्रों की साझेदारी के साथ अच्छी फिल्मों का निर्माण किया जाता है।

निर्माण विभाग का कार्य सिनेमा में उत्कृष्टता बढ़ाने और भारतीय सिनेमा के माध्यम से भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए एनएफडीसी के मिशन को समर्थन देना और आगे बढ़ाना है। इस निर्देश को ध्यान में रखते हुए निर्माण विभाग निरंतर रूप से सिनेमा निर्माण के लिए भारत की सर्वाधिक काल्पनिक, विविध और जीवंत फिल्म संस्कृति को दिखाने वाले अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है। निर्माण विभाग विविधता, नवाचार और उत्कृष्ट फिल्म निर्माताओं के समुदाय को निर्माण और सहयोग के माध्यम से समर्थन देने का प्रयास करता है।

- ज्योति पाटील निर्देशित मराठी फिल्म 'यशोधरा एक काव्य' निर्माणाधीन है।
- सुश्री रुचिका ओबेराय द्वारा निर्देशित और एनएफडीसी के निर्माण वाली हिंदी फिल्म 'आइलैंड सिटी' राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में शामिल हुई और उसे निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए :

पुरस्कार :

- सर्वश्रेष्ठ स्क्रीनप्ले पुरस्कार न्यूयार्क भारतीय फिल्म समारोह 2016
- विशेष जूरी पुरस्कार, बीआईएफएफएस, बंगलुरु अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार, इमेजिन इंडिया अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, मैड्रिड 2016
- तनिष्ठा चटर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, इमेजिने इंडिया अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, मैड्रिड 2016
- श्री गुरुविंदर सिंह द्वारा निर्देशित और एनएफडीसी का सह निर्माण पंजाबी फिल्म 'चौथी कूट' ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लिया और निम्नलिखित पुरस्कार जीते :

पुरस्कार

- इंडिया गोल्ड, मुंबई फिल्म समारोह
- सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह
- ग्रां प्री, बेलग्रेड एच्योर फिल्म समारोह
- सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2016

फिल्म वितरण

प्रेक्षागृहों में वितरण

- 'वीस मांझे वीस' (मराठी) 10 जून, 2016 को मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई।
- 'आइलैंड सिटी' (हिंदी) एक वर्ष की समारोह यात्रा को बदल पूरे देश के चयनित सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और इसे समालोचकों और दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक निर्देशक की श्रेणी में स्टार स्क्रीन पुरस्कार के लिए नामित किया गया।
- विभिन्न प्लेटफार्मों पर फिल्मों के मुद्रीकरण के लिए एनएफडीसी ने निम्नलिखित प्रयास किए :

संघटन

टेलीविजन

- सेटेलाइट चैनलों पर भारत की बेहतरीन एनएफडीसी फिल्म दिखाने के लिए अग्रणी टेलीविजन नेटवर्कों के साथ साझेदारी। इसे दर्शकों और उद्योग का भरपूर समर्थन मिला है। एनएफडीसी स्टार नेटवर्क चैनलों

पर 'आइलैंड सिटी' के व्यावसायिक संघटन के लिए स्टार इंडिया से बातचीत कर रही है।

डिजिटल

- वैश्विक दर्शकों को एनएफडीसी की फिल्में उपलब्ध कराने के लिए विश्व के अग्रणी वायस ऑन डिमांड (वीओडी) प्लेटफार्मों से रणनीतिक सहयोग।
- स्टार इंडिया की सहायक ऑनलाइन वीडियो प्लेटफार्म 'हॉटस्टार' के साथ रणनीतिक सहयोग।
- रिलायंस उद्योग की सहायक कंपनी 'रिलायंस जियो' के साथ रणनीतिक सहयोग।
- नेटफिक्स, इरोज़ नाउ, यूप्प टीवी जैसे वीओडी प्लेटफार्मों पर एनएफडीसी की फिल्मों के मुद्रीकरण का कार्य प्रगति पर।

डीटीएच

- टाटा स्काई के प्लेटफार्मों पर एनएफडीसी की फिल्में दिखाने के लिए टाटा स्काई के साथ रणनीतिक सहयोग।

विमान में

- विश्व की विमान सेवाओं में एनएफडीसी की फिल्में दिखाने के लिए भारत की एक उभरती कंपनी के साथ रणनीतिक सहयोग।

घरेलू वीडियो

भारत

- होम वीडियो इंटरटेनमेंट में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहे अग्रणी वितरकों के साथ रणनीतिक सहयोग। एनएफडीसी की लाइब्रेरी में लगभग 98 शीर्षक हैं।

वीडियो ऑन डिमांड : www.cinemasofindia.com

- एनएफडीसी का वीओडी प्लेटफार्म को फिर से 20 फरवरी, 2015 को 'किस्सा – द टेल ऑफ ए लोनली घोस्ट' रिलीज़ करने के साथ लांच किया गया। फिल्में प्रत्येक बार देखने के भुगतान तथा मासिक और वार्षिक अभिदान पर उपलब्ध हैं।
- वैश्विक दर्शकों के लिए कुल 130 से अधिक फिल्में उपलब्ध हैं।

अंतरराष्ट्रीय फिल्म बाज़ार

- एनएफडीसी के शीर्षकों को सिंडिकेट करने में नए सहयोगियों की तलाश करने के लिए हांग कांग व्यापार विकास परिषद (एचकेटीडीसी), कान, ईएफएम (बर्लिन) तथा अन्य प्रमुख फिल्म का बाज़ारों में प्रतिनिधित्व।.
- बड़े फिल्म समारोहों तथा बाज़ारों यथा वेनिस, कान, अमरीकी फिल्म बाज़ार का व्यावसायिक भ्रमण तथा स्क्रीन और बॉक्स ऑफिस इंडिया जैसी पत्रिकाओं में साक्षात्कार से 'ए' सूची के समारोह कार्यक्रमों, अंतरराष्ट्रीय बिक्री एजेंटों/ख्याति प्राप्त पत्रकारों से संबंध बनाने में मदद मिली।

प्रीव्यू थिएटर

मुंबई और चेन्नई के प्रीव्यू थिएटर सीबीएफसी और निजी सहयोगियों को उन्नत सेवा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्ध ता पूरी कर रहे हैं ताकि मासिक फिल्म प्रदर्शन में वृद्धि हो सके। चेन्नई के टैगोर फिल्म सेंटर ने दिसंबर 2016 तक 248 फिल्मों को दिखाया है। इसमें 3डी स्क्रीनिंग शामिल है।

फिल्म क्लब और आउटरीच कार्यक्रम

'लॉस्ट द प्लॉट' तथा जी5ए 'द स्टार्ट अप फिल्म मेकर' जैसे फिल्म क्लबों के माध्यम से फिल्म प्रेमियों को एनएफडीसी की फिल्मों को दिखाना।

- दर्शकों को एनएफडीसी की फिल्में दिखाने के लिए एनएफडीसी ने ऑनलाइन फिल्म स्क्रीनिंग कंपनी 1018एमबी के साथ सहयोग किया है।
- राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म 'कोठानोडी' की रिलीज़ के साथ असम पहुंच प्री रिलीज़। सिनेमा की विभिन्न विधाओं पर असम में अकादमिक संस्थानों के साथ सक्रिय संवाद।
- एनएफडीसी, चेन्नई ने कोरियाई दूतावास से सहयोग किया और 20 नवंबर, 2016 को चेन्नई के टैगोर फिल्म केंद्र में कोरियाई फिल्म समारोह का आयोजन किया।

फिल्मबे– फिल्म संस्कृति केंद्र

वित्त वर्ष 2015–16 में एनएफडीसी ने मुंबई के बांद्रा काम्प्लेक्स में बीएमसी से 30 साल के पट्टे पर थिएटर का अधिग्रहण किया है। इस थिएटर को वातावरण अनुकूल आधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया जाएगा। 100 सीटों वाले इस थिएटर में शोध केंद्र, कैफेटेरिया, भारतीय और विदेशी फिल्म से संबंधित कार्यों की प्रदर्शनी और आउटडोर थिएटर का प्रबंध किया जाएगा। इसकी बनावट की योजना तैयार की जा रही है।

इस प्रस्तावित केंद्र में भारतीय और विश्व सिनेमा से संबंधित कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। इस थिएटर को वातावरण अनुकूल आधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया जाएगा। एनएफडीसी थिएटर को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएगी और फिल्मबे ऐसी जगह होगी जहां फिल्म प्रदर्शन, कार्यशाला, व्याख्यान, शोध सामग्री तथा फिल्म समुदाय के साथ सार्थक संवाद के लिए स्थान उपलब्ध होगा और इसे सिनेमा प्रेमी, युवा और स्थानीय लोगों को पेश किया जाएगा।

विदेशी संवर्द्धन और विपणन

भारतीय सिनेमा को विदेशों में प्रोत्साहित करने के संबंध में एनएफडीसी अपनी नई फिल्मों, वर्तमान कैटलॉग का बाज़ार बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। विदेशी बाज़ारों में अपने कैटलॉग के मुद्रीकरण के अतिरिक्त विभाग भारतीय सिनेमा और फिल्मकारों को प्रोत्साहित करने का काम भी कर रहा है।

विदेशी प्रभाग अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों तथा बाज़ारों में भारतीय सिनेमा की उपस्थिति बढ़ाने का काम कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म समुदाय की दिलचस्पी भारतीय सिनेमा में बढ़ रही है। प्रभाग का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों और बाज़ारों में भारतीय सिनेमा और भारतीय मेधा को प्रोत्साहित करना है। प्रभाग विश्व के निजी और सरकारी फिल्म संस्थानों के साथ साझेदारी करने का भी प्रयास कर रहा है।

एनएफडीसी ने 2016 में कान फिल्म समारोह, फ्रांस, सराजेवो फिल्म महोत्सव, बोस्निया, किनोपोइस्क फिल्म बाज़ार, रूस तथा अमरीकी फिल्म बाज़ार में हिस्सा लिया।

फिल्म बाज़ार

एनएफडीसी का फिल्म बाज़ार दक्षिण एशिया के उभरते और स्थापित फिल्मकारों को विभिन्न वितरकों, प्रोडक्शन हाउस, समारोह आयोजनकर्ताओं, फिल्म क्यूरेटरों, बिक्री एजेंटों तथा अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ सहयोग के लिए मंच उपलब्ध कराता है। 2016 में फिल्म बाज़ार में कुल 1206 (36 देशों से) प्रतिनिधि आए। 2007 में फिल्म बाज़ार की स्थापना के बाद से पहली बार इतनी संख्या में प्रतिनिधि पहुंचे। 2007 में 18 देशों के 204 प्रतिनिधि आए थे। बाज़ार अब दक्षिण एशिया के फिल्मकारों के लिए एक केंद्र बन गया है जहां फिल्मकार अंतरराष्ट्रीय और घरेलू फिल्मकर्मियों के समक्ष अपनी प्रस्तुति देते हैं। इसके अतिरिक्त फिल्म बाज़ार अब अंतरराष्ट्रीय बिक्री एजेंटों, निर्माताओं, वितरकों, कार्यक्रमों के आयोजनकर्ताओं तथा फिल्म कोष के लिए अवश्य शामिल होने वाला वार्षिक कैलेंडर हो गया है। फिल्म बाज़ार में अब उद्योग के पेशेवर लोग भविष्य की व्यावसायिक प्रवृत्तियों को जानने तथा फिल्मकारों के साथ सहयोग करने के लिए यहां आते हैं।

विश्व के स्थापित फिल्मकार और नई प्रतिभाएं अब फिल्म बाज़ार को भारतीय और दक्षिण एशियाई फिल्मों को लांच करने या फिल्मों के लिए धन जुटाने का प्रमुख मंच मानने लगे हैं। 2016 में सह निर्माण बाज़ार, फिल्म बाज़ार पटकथा लेखक लैब, बाल पटकथा लेखकों का लैब तथा अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, बांग्लादेश, श्रीलंका, कनाडा, चीन, नीदरलैंड तथा स्वीडन के फिल्मकार वर्क इन प्रोग्रेस लैब के लिए आए। सह निर्माण बाज़ार, फिल्म बाज़ार पटकथा लेखक लैब, बाल पटकथा लेखक लैब तथा लैब इन प्रोग्रेस की कुल 37 परियोजनाएं पेश की गईं जो विकास और निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

प्रशिक्षण और विकास

एनएफडीसी ने 2012 में फिल्म क्षेत्र में मिड कैरियर प्रशिक्षण अवसर देने के लिए प्रशिक्षण और विकास विभाग

की स्थापना की। एनएफडीसी लैब ब्रांड के अंतर्गत भारतीय फिल्म समुदाय को महत्वपूर्ण डिलीवरी के लिए पेशेवर फिल्मकारों को प्रशिक्षण, कार्यशाला प्रबंध करने तथा निर्देशन, लेखन, संपादन, सिनेमेटोग्राफी और निर्माण में मास्टर क्लास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

- एनएफडीसी लैब ने दो भाग का कार्यक्रम स्क्रीनराइटर्स लैब के दसवें संस्करण का आयोजन किया। 150 आवेदनों में से कुल भागीदारी के लिए 6 लेखकों को चुना गया। लैब का पहला सत्र सराजेवो अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के सहयोग से सराजेवो में आयोजित किया गया और दूसरा सत्र फिल्म बाज़ार गोवा के पहले तथा उसके दौरान आयोजित किया गया जहां भागीदारों ने अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू फिल्म पेशेवरों के समक्ष अपनी पटकथा पेश की।
- एनएफडीसी लैब ने दो भाग के कार्यक्रम– 'चिल्ड्रेन्स स्क्रीनराइटर्स' के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। इसका फोकस बच्चों की तथा बच्चों के लिए कहानी पर था। फिल्म बाज़ार 2016 में निर्माताओं, स्टूडियो तथा निवेशकों को पटकथा दिखाई गई। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए डच सांस्कृतिक केंद्र द्वारा लैब को समर्थन दिया गया। केंद्र ने सभी भागीदार लैब को यूरोप में बच्चों के सबसे बड़े फिल्म समारोह सिनकिड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। चिल्ड्रेन्स स्क्रीनराइटर्स की स्थापना 2015 में की गई ताकि भारत में बच्चों के लिए सिनेमा की कमी को देखते हुए बच्चों के लिए विषय–वस्तु का विकास किया जा सके।
- फिल्म बाज़ार के दौरान दोनों स्क्रीन लैबों के भागीदारों ने भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पेशवर फिल्मकारों के समक्ष अपनी पटकथा पेश की। भागीदारों की बैठक जाने–माने फिल्मकारों– सतीश कौशिक, जयदीप साहनी, रोहन सिप्पी, सिद्धार्थ आनंद तथा अनुभव सिन्हा से कराई गई ताकि लोग फिल्म निर्माण की वास्तविक चिंताओं से परिचित हो सकें।
- संपादन प्रक्रिया पर राय जानने के लिए फिल्म बाज़ार में वर्क इन प्रोग्रेस लैब का आयोजन किया गया।
- एनएफडीसी के लैब प्रोड्यूसर्स लैब का तथा वर्ष मनाया जहां 49 महत्वाकांक्षी निर्माताओं को निर्माण, विकास, बजट, वितरण और बिक्री व्यवहारों से परिचित कराया गया। निर्माताओं को अंतरराष्ट्रीय पेशेवर फिल्मकारों के समक्ष अपनी परियोजना प्रस्तुत करने का मौका मिला।
- फिल्म बाज़ार 2016 के दौरान सह निर्माण बाज़ार के लिए एनएफडीसी ने 18 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं की क्यूरेंटिंग और प्रस्तुति की। सह निर्माण बाज़ार का 10वां संस्करण दक्षिण–पूर्व एशिया में बनी फिल्मों के प्रोत्साहन को समर्पित था।
- महत्वाकांक्षी फिल्मकारों को वीडियो के लिए प्रशिक्षण निर्देश और समर्थन किट प्रदान किए गए।
- सह निर्माण बाज़ार मानक संचालन प्रक्रिया को मैनुअल बनाया गया।
- असम राज्य के लिए एनएफडीसी की विकास गतिविधियों की प्रस्तुति दी गई।

तकनीकी कौशल विकास

राज्य सरकार की प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के तहत एनएफडीसी ने डिजिटल नॉन लिनर एडिटिंग, डिजिटल वीडियोग्राफी, ऑडियो इंजीनियरिंग, डिजिटल स्टिल फोटोग्राफी, एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट तथा मल्टीमीडिया जैसे क्षेत्रों में 19 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें 1294 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इस वर्ष के लिए मुख्य आयोजन तमिलनाडु कौशल विकास निगम लिमिटेड और दिव्यांग कल्याण विभाग द्वारा किया गया। एनएफडीसी ने भारत के सिने कलाकार कल्याण कोष के लाभार्थियों के लिए भी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया।

वर्तमान में एनएफडीसी ने तमिलनाडु के सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों को तमिलनाडु उच्च शिक्षा विभाग और तमिलनाडु कौशल विकास निगम के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव तमिलनाडु के 3,000 विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए है।

विज्ञापन, फिल्म निर्माण और संचार

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान एनएफडीसी ने विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी प्रतिष्ठानों के साथ सहयोग किया और ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक विभिन्न प्रकार के ऑडियो–विजुअल तथा क्रॉस प्लेटफार्म कैंपेन तैयार किया। ऐसा करते समय एनएफडीसी ने संचार समाधान प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति मज़बूत की तथा विज्ञापन संचार सृजन और प्रसार के लिए विश्वसनीय सहयोगी बनी।

एनएफडीसी ने प्रायोजित रेडियो कार्यक्रमों के लिए 296 धारावाहिकों का निर्माण किया तथा विभिन्न तरह के 256 ऑडियो–वीडियो विज्ञापन तैयार किया। अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो स्पॉट भी तैयार किए गए हैं।

निगम ने राज्य सरकारों के साथ सहयोग का अनूठा तरीका अपनाया और सफलतापूर्वक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से एवी कंटेंट विकास परियोजनाओं को हासिल किया। हाल ही में एनएफडीसी ने नुक्कड़ नाटक के साथ ज़मीनी गतिविधि की। एनएफडीसी ने 'प्रधानमंत्री आवासीय योजना' विषय पर तीन राज्यों– दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में आवास तथा शहरी ग़रीबी उपशमन मंत्रालय के लिए 144 नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया। मंत्रालय को इन नाटकों से ज़मीनी वास्तविकता के बारे में राय जानने में मदद मिली।

चेन्नई का क्षेत्रीय कार्यालय केंद्र तथा राज्य सरकार के विभागों के लिए ऑडियो–विजुअल निर्माण और प्रसार की जरूरतें पूरी करता है। क्षेत्रीय कार्यालय ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, सिल्क मार्क ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया, चेन्नई मेट्रो रेल, निर्वाचन आयोग, पुद्दुचेरी नियोजन विभाग, कामराज पोर्ट ट्रस्ट, नौसेना शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सहित विभिन्न विभागों के लिए अनेक ऑडियो–विजुअल का निर्माण किया। तमिलनाडु पर्यटन, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, तमिलनाडु उच्च शिक्षा विभाग की परियोजनाएं निर्माण प्रक्रिया में हैं।

व्यापक संचार रणनीति के तहत एनएफडीसी ने मई 2016 में देश के पांच स्थानों पर लाइव कार्यक्रम 'एक नई' सुबह का आयोजन किया। इन आयोजनों का केंद्र दिल्ली रही और इन आयोजनों में जाने–माने प्रस्तुतकर्ताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने जन धन योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, गिव इट अप, स्वच्छ भारत अभियान तथा डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं की जानकारी प्रभावशाली तरीके से दी।

एनएफडीसी ने इस वर्ष प्रशासनिक सुधार और कार्मिक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), नौसेना स्थापना दिवस के लिए फिल्म, स्वच्छ भारत के लिए 100 ई–पाठ्यक्रमों तथा शहरी विकास मंत्रालय के लिए रेडियो स्पॉट का निर्माण किया।

एनएफडीसी ने इलेक्ट्रानिक मीडिया नीति के अनुसार मीडिया नियोजन और संबंधित गतिविधियों में पारदर्शिता, सक्षमता और कारगर अनुपालन के लिए आईटी एप्लीकेशनों को लागू किया। पूरी नियोजन, बिलिंग और भुगतान प्रक्रियाएं मीडिया साफ्टवेयर से एकीकृत हैं ताकि दोष रहित समाधान प्राप्त हो सके। एनएफडीसी आईटी एप्लीकेशनों को पूरी तरह संस्थागत बना कर, बार्क साफ्टवेयर तथा एसओपी से सुसज्जित कर एनएफडीसी मंत्रालयों/विभागों की प्रचार आवश्यकताओं को संतोषप्रद तरीके से पूरा कर रही है।

स्वच्छ भारत लघु फिल्म समारोह

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एनएफडीसी ने 'स्वच्छ भारत' विषय पर लघु फिल्म समारोह/प्रतियोगिता का आयोजन किया। भारत के सभी निवासियों से 1 से 3 मिनट की अवधि की लघु फिल्में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। इस अनुरोध से 4346 लघु फिल्में प्राप्त हुईं। पहले 110 फिल्मों का चयन किया गया और इस चयन में से श्री प्रह्लाद कक्कड़, सुश्री वाणी त्रिपाठी और सुश्री गीतांजलि राव के निर्णायक मंडल ने अंतिम राउंड के लिए 20 लघु फिल्मों का चयन किया। इन 20 फिल्मों के फिल्मकारों को नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 2 अक्तूबर, 2016 को आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री 400 लोगों के साथ इस कार्यक्रम में

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु स्वच्छ भारत लघु फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म 'मुर्गा' के लिए पुरस्कार प्रदान करते हुए

शामिल हुए। शीर्ष 10 फिल्मों को पुरस्कार दिए गए। दस लाख रुपये का पहला पुरस्कार विजयी प्रविष्टी को दिया गया, पांच लाख रुपये का दूसरा पुरस्कार तीन फिल्मों को दिया गया जबकि 2 लाख रुपये का तीसरा पुरस्कार 6 फिल्मों को प्राप्त हुआ। 10 अन्य फिल्मों में सांत्वना प्रमाण पत्र दिए गए।

नई दिल्ली में इस कार्यक्रम के समापन के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हैदराबाद, विजयवाड़ा और कोच्चि जैसे शहरों में स्वच्छ भारत फिल्म समारोह की 20 विजेता फिल्मों को दिखाने का निर्णय लिया है।

फिल्म सहायता कार्यालय (एफएफओ)

देश के विभिन्न भागों में फिल्मों की शूटिंग से संबंधित वर्तमान प्रक्रियाओं को सहज और सरल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि अंतरराष्ट्रीय फिल्मकार घरेलू उद्योग के प्रतिभा संसाधनों, निर्माण सुविधाओं और निर्माण में कम लागत का लाभ उठा सकें।

इस परिप्रेक्ष्य में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म सहायता कार्यालय की स्थापना करके विश्व के फिल्मकारों के लिए भारत को वरीयता वाला स्थान बनाने की पहल की है। यह कार्यालय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में स्थित है।

इस तरह फिल्म सहायता कार्यालय पूरे देश में फिल्मों की अनुमति देने वाला और भारत को फिल्म स्थल बनाने वाला एकल खिड़की संस्थान बन गया है। वित्त वर्ष 2016–17 में यह गतिविधियां चलाई गईं :

1. अनुमति सहायता

फिल्म सहायता कार्यालय ने 2016 के मध्य से अंतरराष्ट्रीय फिल्मों के लिए अनुमति में सहायक बनने का काम शुरू किया। यद्यपि 1 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक 27 अंतरराष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुमति दी गई। फिल्म सहायता कार्यालय ने 20 को अनुमति दी जिसमें से 16 फीचर फिल्में और 3 टेलीविजन सीरीज़ हैं। तीन अंतरराष्ट्रीय फिल्मों की भारत में शूटिंग की अनुमति देने की प्रक्रिया चल रही है। भारत में अंतरराष्ट्रीय निर्माण वाले देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, जर्मनी, अमरीका, इटली और नार्वे।

2. फिल्म नीति

देश में फिल्म अनुकूल वातावरण बनाने के अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार फिल्म सहायता कार्यालय को राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठता से कार्य करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि राज्य एकल खिड़की सुविधा का प्रबंध कर सकें। इस दृष्टि से फिल्म सहायता कार्यालय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ हरियाणा के लिए फिल्म नीति बनाने का काम कर रहा है ताकि राज्य में घरेलू और विदेशी फिल्मकारों को शूटिंग स्थल प्राप्त हो सके।

3. केंद्र तथा राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

एफएफओ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ केंद्र और राज्य सरकारों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में काम कर रहा है। ये नोडल अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए एकल बिंदु संपर्क का काम करते हैं। एफएफओ ने 36 नोडल अधिकारियों (प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में 1) की नियुक्ति में मदद दी। कार्यालय ने प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों/गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय तटरक्षक में नोडल अधिकारी नियुक्त करने में सहायता दे रहा है और कार्यालय भारतीय पुरातत्व संरक्षण, भारतीय खेल प्राधिकरण आदि तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। इस कार्यक्रम का व्यापक उद्देश्य है, हितधारकों के लिए एफएफओ के अनुसार दिशा–निर्देश मिल सके ताकि देश में फिल्म बनाने में मदद मिले और एफएफओ वेब पोर्टल के साथ एकीकरण हो सके।

सर्वाधिक फिल्म सहज राज्य पुरस्कार 2016

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया सर्वाधिक फिल्म सहज राज्य पुरस्कार 2016 को 3 मई, 2016 को 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में नई श्रेणी में शामिल किया गया। सर्वाधिक फिल्म सहज राज्य पुरस्कार 2015 में 16 राज्य शामिल हुए। एफएफओ को इस वर्ष अधिक भागीदारी की उम्मीद रही। पूर्व निर्णायक मंडल की सिफारिश और औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार मानकों में संशोधन किया गया है ताकि राज्यों में फिल्म कारोबार में सहजता आ सके।

वेब पोर्टल

एफएफओ ऑनलाइन आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए समर्पित वेब पोर्टल बनाने की प्रक्रिया में है। पोर्टल से न केवल ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा बल्कि इसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के एक स्थान पर शूटिंग से संबंधित दिशा–निर्देश प्राप्त होंगे ताकि अंतरराष्ट्रीय फिल्म समुदाय को एक मंजूरी सुविधा मिल सके।

अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग

देश में शूटिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से एफएफओ विदेशी फिल्मकारों के लिए वीजा सुविधा आसान बनाने के काम में विदेश मंत्रालय के साथ घनिष्ठता से काम कर रहा है ताकि विदेशी फिल्मकार भारत में फिल्म और टेलीविजन सीरीज़ों की शूटिंग कर सकें। एफएफओ ने 20 से 24 अप्रैल, 2016 तक लास एंजलिस में आयोजित लोकेशंस एंड ग्लोबल फाइनेंस शो तथा कान फिल्म समारोह 2016 में हिस्सा लिया। एफएफओ अब भारत को फिल्म निर्माण स्थल

बनाने के लिए एसोसिएशन ऑफ कमिशनर्स इंटरनेशनल (एएफसीआई) का सदस्य बन गया है।

कार्यशालाएं

अपने राष्ट्रीय और प्रांतीय पहुंच कार्यक्रम के हिस्से के रूप में और एमओयू से प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत एफएफओ ने भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह और फिल्म बाज़ार के दौरान 22 नवंबर, 2016 को गोवा में भारत में फिल्म : केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका पर कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें विभिन्न राज्यों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और माल्ट फोरसेल, आयोजन किया। उसमें स्वीडन के माल्ट फोरसेल का आयोजन किया। इसमें राज्य, केंद्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों को नोडल अधिकारी और स्वीडन के माल्ट फोरसेल और हांग कांग फिलीप ली जैसे निर्माता शामिल हुए। कार्यशाला में मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ऑफ अमरीका, एसोसिएशन ऑफ फिल्म कमिशनर्स इंटरनेशनल और ओगिल्वी के मार्केटिंग विशेषज्ञ पीयूष माण्डे, और जाने–माने फिल्मकार सुधीर मिश्रा, इम्तियाज़ अली, प्रकाश झा, अनुभव सिन्हा और भारत बाला शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों को अपने–अपने क्षेत्रों में फिल्म निर्माण प्रक्रिया में सहजता लाने के बारे में संवेदी बनाना था क्योंकि नोडल अधिकारी फिल्मकारों के लिए एकल संपर्क हैं और उन्हें देश में फिल्म लायक वातावरण बनाने के लिए प्रेरित करने का काम करना है।

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2016 के दौरान फिल्म 'मेलो मड' के निर्देशक सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर से अभिनेत्री एलिना वास्का की ओर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ग्रहण करते हुए

बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसनुल हक़ इनू की सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु से मुलाकात

7 अंतरराष्ट्रीय सहयोग

भारत और यूनेस्को

भारत संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक, यूनेस्को के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यूनेस्को का मुख्य लक्ष्य शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और जन संचार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। विकासशील देशों की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए, 1981 में यूनेस्को की आम सभा के 21वें सत्र में अंतरराष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम (आईपीडीसी) की स्थापना को मंजूरी दी गई। भारत ने इस अवधारणा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आईपीडीसी का सदस्य बना। इसके अतिरिक्त, भारत आईपीडीसी की अंतर–सरकारी परिषद् (आईजीसी) का भी सदस्य बना। भारत को सर्वसम्मति से संगठन की 35वीं आम सभा में वर्ष 2009–2013 की अवधि के लिए अंतर–सरकारी परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया।

नई दिल्ली में फिक्की, सीआईआई और एसोचैम द्वारा आयोजित कारोबार सत्र में केन्या के राष्ट्रपति श्री उहुरु केन्याटा के साथ सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर

अंतरराष्ट्रीय मीडिया आदान–प्रदान कार्यक्रम

12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मंत्रालय द्वारा 1.50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ नई योजना स्कीम 'मानव संसाधन विकास' को क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 को लिए 15 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस कार्यक्रम में मीडिया आदान–प्रदान कार्यक्रम, संयुक्त कार्यदल और सूचना एवं फिल्म क्षेत्र में सहयोग पर समझौता तथा अंतरराष्ट्रीय मीडिया सेमिनार/कार्यशालाएं शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- देशों के बीच बेहतर समझदारी को बढ़ावा देने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना, मीडियाकर्मियों के बीच परस्पर संवाद के माध्यम से क्षेत्रीय समन्वय में वृद्धि करना और एक–दूसरे के बारे में सूचनाओं को प्रचारित करना।
- समाज में सहिष्णुता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना।
- विभिन्न देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों को पुष्ट करना और इसके लिए सूचना और प्रिंट मीडिया के क्षेत्रों में साझी इच्छा से प्रेरित बेहतर समझदारी को बढ़ावा देना। इस योजना का व्यापक उद्देश्य यह है कि सूचना और जनसंचार के क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित और विकसित हो सके।

सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर, पुर्तगाल के संस्कृति मंत्री श्री कास्त्रो मेंडेस के साथ फिल्म और प्रसारण क्षेत्र में सहयोग पर विचार–विमर्श करते हुए

- भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करना।
- जनसंचार, प्रसारण और फिल्मों के क्षेत्रों में भारत और अन्य देशों के बीच विचारों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना।
- उच्च श्रेणी मीडिया प्रशिक्षण।
- आपदा संचार।
- सामाजिक और बहुमीडिया प्रशिक्षण।

विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम (सीईपी)

सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों का लक्ष्य और उद्देश्य संबंधों को मज़बूत बनाना और मास मीडिया, प्रसारण एवं फिल्मों के क्षेत्रों में भारत और अन्य देशों के बीच विचारों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना भी है।

इन सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के तहत सूचना, प्रसारण और फिल्म में सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की जा रही है।

वर्ष 2016–17 के दौरान संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत और अन्य देशों जैसे जापान, इंडोनेशिया, म्यांमार, तुर्की आदि के बीच 23 मसौदा सीईपी प्रस्तावों को निष्पादन के लिए प्राप्त किया गया और ये मंत्रालय में विचाराधीन हैं।

बांग्लादेश के सूचना मंत्री श्री हसनुल हक् इनु नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु से मुलाकात करते हुए

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु सीआईआई बिग पिक्चर समिट 2016 में 'एम्ब्रेसिंग डिसरप्शन टू स्टे काम्पिटीटिव' विषय पर एक प्रकाशन का लोकार्पण करते हुए

सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर नई दिल्ली में आयोजित 28वें सिमकॉन को संबोधित करते हुए। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव भी उपस्थित हैं

8 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

मंत्रालय सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति के अधिकारियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी संबंधित विभागों और स्वंतत्र इकाइयों द्वारा पद–आधारित सूची भी तैयार की गई है।

2. सेवा व अन्य लाभों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के सख़्ती से पालन के लिए सभी मीडिया इकाइयों में प्रचारित किया गया है।

3. मंत्रालय तथा इससे संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में 01 जनवरी, 2016 तक कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता निम्नानुसार है :

श्रेणी	समूह ए	समूह बी	समूह सी (सफ़ाई कर्मचारी शामिल नहीं)	समूह सी (सफ़ाई कर्मचारी)	कुल
एससी	14.95%	19.68%	25.89%	47.17%	24.78%
एसटी	3.75%	4.82%	12.30%	3.77%	10.50%
ओबीसी	6.54%	13.25%	17.32%	1.89%	15.91%
अन्य	74.77%	62.25%	44.50%	47.17%	48.82%

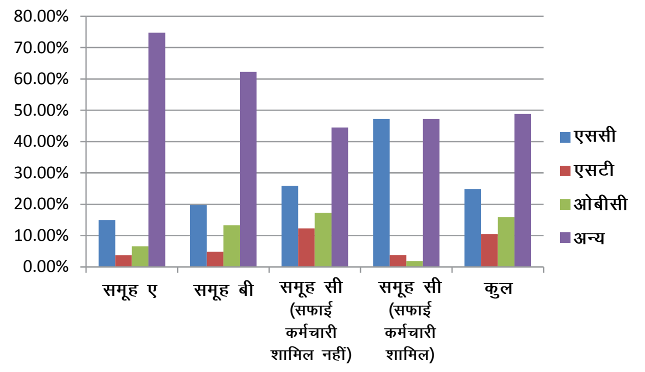

4. निदेशक/उप सचिव स्तर के एक संपर्क अधिकारी की देखरेख में सेल इस मंत्रालय और इससे संबद्ध विभागों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वीकार्य आरक्षण नीति लागू करने और अन्य लंबित लाभों के कार्यान्वयन, समन्वयन और जांच के लिए कार्य कर रहा है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडु भारतीय उद्योग परिसंघ के सम्मेलन को संबोधित करते हुए

9 मंत्रालय की सेवाओं में दिव्यांग जनों का प्रतिनिधित्व

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय की सभी मीडिया इकाइयों और प्रशासनिक अनुभागों में नोडल मंत्रालय/विभाग द्वारा दिव्यांग जन हेतु जारी निर्देशों और दिशा–निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन के लिए समय–समय पर वितरित किया जाता है। मुख्य सचिवालय में दिव्यांग जन के हितों की रक्षा के लिए एक संपर्क अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार, दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया है। इस मंत्रालय में दिव्यांग जन के प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़ों को हर वर्ष संकलित किया जाता है और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। 01 जनवरी 2017 तक इस मंत्रालय में सामूहिक रूप से और प्रत्यक्ष भर्ती एवं पदोन्नति के कोटे में दिव्यांग जन के प्रतिनिधित्व से संबंधित विवरण को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है :–

दिव्यांग जन की रिपोर्ट–I

मंत्रालय की सेवाओं में दिव्यांग जन के प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने वाला वार्षिक वक्तव्य

(वर्ष 2016 के लिए, 01.01.2017 तक)

मंत्रालय/विभाग – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय – प्रशासनिक द्वितीय खंड, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

समूह		कर्मचारियों की संख्या			
	कुल	चिन्हित पदों पर	दृष्टि दिव्यांग	श्रव्य दिव्यांग	अस्थि दिव्यांग
1.	2	3	4	5	6
समूह क	1507	17	02	00	05
समूह ख	8893	111	06	07	52
समूह ग	20339	247	25	13	100
समूह घ	3562	65	03	01	07
कुल	34301	440	36	21	164

नोटः

(i) दृष्टि दिव्यांग का अर्थ है अंधापन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति।

(ii) श्रव्य दिव्यांग का अर्थ है जिस व्यक्ति को सुनने से संबंधित समस्या हो।

(iii) अस्थि दिव्यांग का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जिन्हें लोकोमोटिव यानी चलने–फिरने में परेशानी हो या जोकि मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित हों।

कैलेंडर वर्ष 2016 के दौरान नियुक्त किए गए दिव्यांग जन की संख्या का विवरण
(01.01.2017 तक)
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

समूह	प्रत्यक्ष भर्ती कोटा के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आरक्षित रिक्तियों की संख्या			प्रत्यक्ष भर्ती कोटा के तहत की गई नियुक्तियों की संख्या					पदोन्नति कोटा के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आरक्षित रिक्तियों की संख्या			पदोन्नति कोटा के तहत की गई नियुक्तियों की संख्या				
	दृष्टि दिव्यांग	श्रव्य दिव्यांग	अस्थि दिव्यांग	कुल नियुक्तियां	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के चिन्हित पदों में कुल नियुक्तियां	दृष्टि दिव्यांग	श्रव्य दिव्यांग	अस्थि दिव्यांग	दृष्टि दिव्यांग	श्रव्य दिव्यांग	अस्थि दिव्यांग	कुल नियुक्तियां	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के चिन्हित पदों में कुल नियुक्तियां	दृष्टि दिव्यांग	श्रव्य दिव्यांग	अस्थि दिव्यांग
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***	***15***	***16***	***17***
समूह क		02	05	24	04	01	00	02	00	00	00	00	00	00	00	00
समूह ख		06	09	110	19	03	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00
समूह ग और घ	28	25	47	725	31	16	06	24	03	01	03	02	01	00	00	01
कुल	37	33	61	859	54	20	10	34	03	01	03	02	01	00	00	01

नोट :

(1) दृष्टि दिव्यांग का अर्थ है अंधापन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति।

(2) श्रव्य दिव्यांग का अर्थ है जिस व्यक्ति को सुनने से संबंधित समस्या हो।

(3) अस्थि दिव्यांग का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जिन्हें लोकोमोटिव यानी चलने–फिरने में परेशानी हो या जोकि मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित हो।

(4) समूह क और ख के पदों पर पदोन्नति के लिए दिव्यांग जन के लिए कोई आरक्षण नहीं है लेकिन उन्हें ऐसे पदों पर पदोन्नति दी जा सकती है, अगर ऐसे पद दिव्यांग जन के लिए उपयुक्त चिन्हित किए जाते हैं।

हैदराबाद में प्रसार भारती द्वारा आयोजित पहला एशिया–पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन डांस फेस्टीवल

10 राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग

हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है। आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील इस्तेमाल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के पास एक सुविचारित नीति है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के तहत यह मंत्रालय हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देता रहा है। मुख्य सचिवालय में मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) मुख्य सचिवालय और इससे जुड़े तमाम कार्यालयों में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की निगरानी करती है। राजभाषा विभाग द्वारा तय किए गए वार्षिक कार्यक्रम के तहत राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का स्तर और कार्यालय संबंधी कार्यों में हिंदी को बढ़ावा देने वाले तरीकों और साधनों का स्तर जांचने के लिए मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें भी नियमित रूप से होती हैं।

अनुवाद, कार्यान्वयन और भारत सरकार की राजभाषा नीति की निगरानी में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए, मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में एक निदेशक, एक उपनिदेशक, दो सहायक निदेशक, दो वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और दो कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों की नियुक्ति की गई है।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत सभी कागजों/दस्तावेज़ों का अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किया जाना और हिंदी में प्राप्त होने वाले पत्रों और हिंदी में ही हस्ताक्षर किए गए पत्रों का हिंदी में ही जवाब दिया जाना सुनिश्चित करने हेतु जांच बिंदुओं को सुदृढ़ बनाया गया था। इसके अलावा विभिन्न अनुभागों और मीडिया इकाइयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई और राजभाषा नीति के बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की गई।

कामकाज में हिंदी के उपयोग का प्रसार करने के लिए, 14–28 सितंबर, 2016 तक मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान निबंध लेखन, कविता लेखन, टिप्पण आलेखन, डिक्टेशन, अनुवाद, वाद–विवाद और प्रश्नोत्तर प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। इसमें 82 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। 52 अधिकारियों (हिंदी और हिंदीतर भाषी क्षेत्रों से) को नगद पुरस्कार दिए गए।

गृह मंत्रालय, राजभाषा के निर्देशों के अनुसार मूल टिप्पणी और मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना अब भी चालू है। मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) के तीन अधिकारियों को इस योजना के तहत 2015–16 के लिए नगद पुरस्कार दिए गए। कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल सुचारू बनाने के लिए, मंत्रालय में हर तिमाही में हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों को अपने–अपने कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए भी कहा गया।

साल के दौरान राजभाषा संबंधी संसदीय दूसरी उप–समिति ने इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 16 कार्यालयों का निरीक्षण किया। समिति द्वारा दिए गए सुझावों का संज्ञान लेते हुए राजभाषा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उन पर उपचारात्मक कदम उठाए गए। मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अन्य 10 कार्यालयों का भा दौरा किया गया।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के सहयोग से जयपुर में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा आयोजित बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर

11 महिला कल्याण संबंधी गतिविधियां

राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार महिलाओं की विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी एवं कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए 1992 में मंत्रालय में एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। बाद में 'विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य' मामले में माननीय उच्चत्तम न्यायालय के दिशा–निर्देशों पर अमल करते हुए एक प्रकोष्ठ का 16 मई 2002 को पुनर्गठन किया गया ताकि वह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में शिकायत समिति के रूप में कार्य कर सके। 13 जनवरी, 2006 को वाईडब्ल्यूसीए से एक बाहरी विशेषज्ञ को ग़ैर–सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर महिला प्रकोष्ठ में शामिल किया गया।

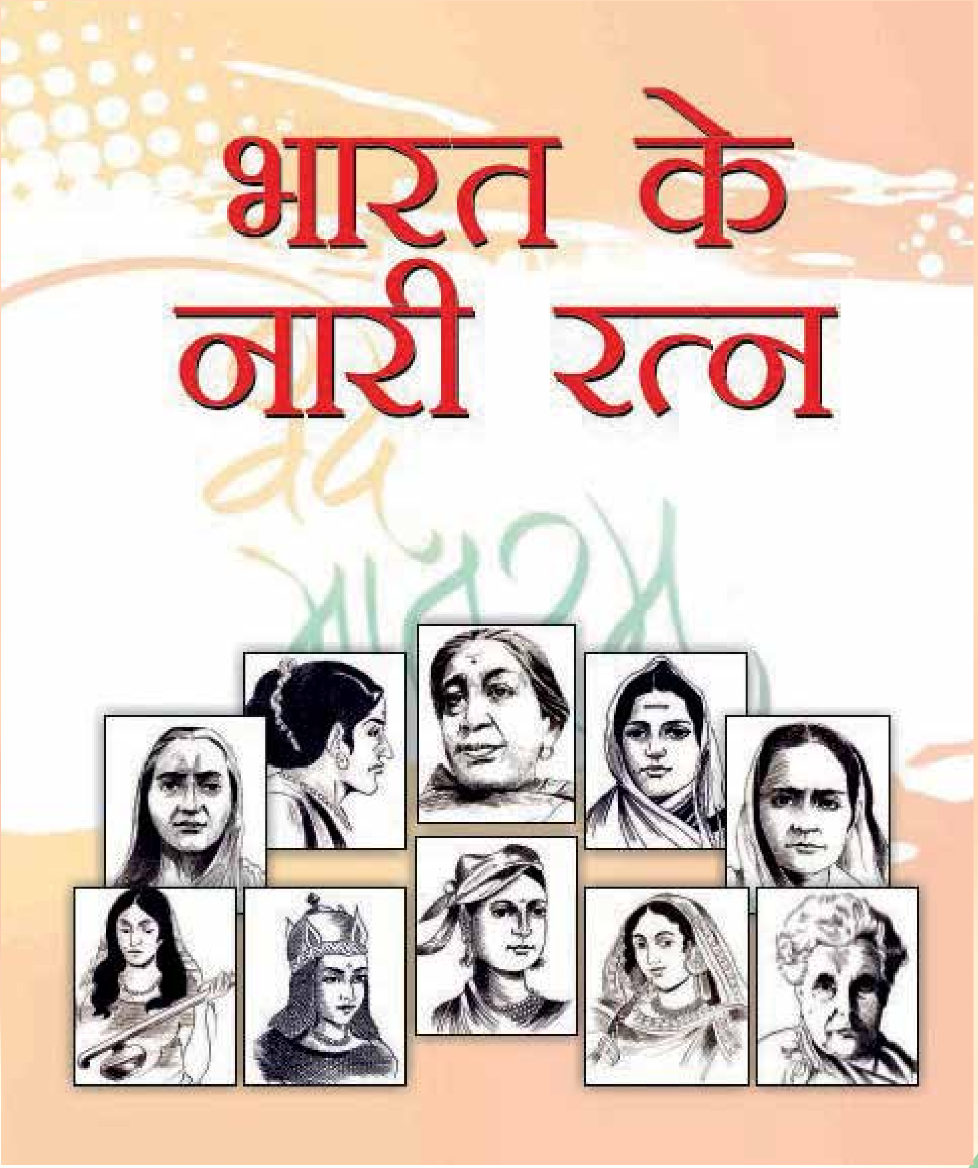

भारतीय महिलाओं पर प्रकाशन विभाग की पुस्तक का आवरण पृष्ठ

बाद में, उच्चत्तम न्यायालय और राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, 25 अक्तूबर, 2013 को महिला सेल को 'आंतरिक शिकायत समिति' का नाम दिया गया।

इस समिति को दिनांक 11.11.2016 के परिपत्र संख्या बी–11020/17/2011–प्रशा.–।।। (खंड ।।) के जरिये सुश्री अंजु निगम, संयुक्त सचिव (बी–।।), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आई सी सी के अध्यक्ष के रूप में नामित कर पुनर्गठित किया गया है (प्रति संलग्न)। इसके अतिरिक्त सुश्री कल्पना डेविड, राष्ट्रीय प्रशासनिक सचिव को भारत के वाईडब्ल्यूसीए के एक विशेषज्ञ को इस समिति के ग़ैर–सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तीन अन्य महिला सदस्य और मंत्रालय के एक पुरुष सदस्य इसके आधिकारिक सदस्य हैं।

मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में आंतरिक शिकायत समितियां कार्य कर रही हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी केंद्रीय लोक सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में दिए गए दिशा–निर्देशों के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन इस मंत्रालय के सभी मीडिया इकाइयों को अनुपालनार्थ अग्रेषित किए जाते हैं।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में छात्राओं के साथ सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर वर्ष 2012–13 के आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु नई दिल्ली में आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए

12 सतर्कता संबंधी मामले

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित सतर्कता विभाग मंत्रालय के सचिव की देखरेख में कार्य करता है। मंत्रालय के सतर्कता विभाग का प्रमुख संयुक्त सचिव स्तर का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) होता है जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता समिति (सीवीसी) के अनुमोदन से मंत्रालय के ब्यूरो प्रमुखों में से की जाती है और वह उपसचिव (सतर्कता), अवर सचिव (सतर्कता) और सतर्कता अनुभाग के सहयोग से कार्य करता है। मंत्रालय का सीवीओ मंत्रालय और उसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय और सीवीसी एवं सीबीआई के बीच एक कड़ी होता है। सीवीसी के अनुमोदन से प्रसार भारती के लिए एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों की सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। अन्य संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पंजीकृत समितियों में भी अलग सतर्कता विभाग मौजूद है। मंत्रालय का सीवीओ, सीवीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सतर्कता गतिविधियों के बीच समन्वय करता है।

भ्रष्टाचार की आशंका को कम करने के लिए कार्य प्रक्रियाओं को कारगर बनाने हेतु ठोस प्रयास किए गए। संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों को बारी–बारी से बदलने के प्रयास भी किए गए। नियमों और प्रक्रियाओं के समुचित अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित और आकस्मिक निरीक्षण किए गए। 1 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 के दौरान 90 नियमित और 66 आकस्मिक निरीक्षण किए गए। इसके अतिरिक्त विभिन्न मीडिया इकाइयों और मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में 22 क्षेत्रों को निगरानी के लिए चुना गया। 31 अक्तूबर से 5 नवंबर, 2016 के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों द्वारा एक सप्ताह का सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

एक अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 के दौरान मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों को विभिन्न स्रोतों से 313 शिकायतें प्राप्त हुई। इनकी जांच की गई और 41 मामलों में प्रारंभिक पूछताछ के लिए आदेश जारी किए गए। इसके अतिरिक्त इस अवधि में 66 मामलों (वर्तमान और पुराने) में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त की गईं। कड़े दंड के 17 और मामूली दंड के

9 मामलों में नियमित विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। इस अवधि के दौरान 14 मामलों में कड़े दंड और 9 मामलों में मामूली दंड दिए गए। आलोच्य अवधि के दौरान 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया और 15 मामलों में प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्रवाई की गई।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु, नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस फिल्म समारोह के उद्घाटन अवसर पर दीप प्रज्ज्वलित करते हुए

13 नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का 'नागरिक/ग्राहक चार्टर' मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mib.nic.in

पर उपलब्ध है। मंत्रालय द्वारा सीधे उपलब्ध कराई जाने वाली निम्न 12 मुख्य सेवाएं चार्टर में शामिल की गई हैं :

1. भावी लाइसेंसधारकों को डीटीएच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस जारी करना;
2. मल्टी सिस्टम आपरेटरों के लिए लाइसेंस जारी करना;
3. भावी लाइसेंसधारकों को हेडेंड इन द स्काई (एचआईटीएस) सेवाएं देने के लिए लाइसेंस जारी करना;
4. टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) एजेंसियों का भारत में काम करने के लिए पंजीकरण करना;
5. अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए टी.वी. चैनलों द्वारा टेलीपोर्ट लगाना;
6. भारत से अपलिंक हुए टी.वी. चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति का मुद्दा;
7. विदेशों से अपलिंक किए गए टी.वी. चैनलों की डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति का मुद्दा;
8. ग़ैर–सरकारी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों/संस्थानों द्वारा सामुदायिक रेडियो केंद्रों की स्थापना;
9. विशेषज्ञता/तकनीकी/वैज्ञानिक श्रेणी में विदेशी निवेश करने वाले प्रतिष्ठानों को विदेशी पत्रिकाओं/जर्नल/नई पत्रिकाओं, आवधिक पत्र–पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण के प्रकाशन के लिए स्वीकृति पत्र जारी करना;
10. विदेशी निवेश नहीं करने वालों/करने वालों को विदेशी समाचार–पत्र के प्रतिकृति संस्करण और विदेशी निवेश करने वालों को समाचारों तथा करेंट अफेयर्स की विदेशी पत्रिकाओं/समाचार–पत्रों के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के लिए स्वीकृति पत्र जारी करना;
11. शिकायत निवारण तंत्र;
12. विदेशी निर्माताओं को टेलीविजन/सिनेमा के लिए फीचर फिल्मों/रिएलिटी शो/व्यवसायिक टेलीविजन सीरियल की शूटिंग के लिए विदेशी निर्माताओं को अनुमति–पत्र जारी करना।

शिकायत निवारण तंत्र

मंत्रालय को प्राप्त होने वाली शिकायतों को केंद्रीकृत जन–शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली–सीपीजीआरएएमएस के तहत कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है। सभी आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्ति सूचना दी जाती है। पावती पत्र पर शिकायत का रजिस्ट्रेशन नंबर, आवेदन के निपटान की अनुमानित अवधि और संपर्क के लिए अधिकारी का विवरण होता है।

शिकायत पत्र आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित मीडिया इकाइयों/अधिकारियों/प्रभागों को भेजे जाते हैं। इन्हें यह निर्देश भी दिया जाता है कि आवेदक को नियमों के अनुसार उचित जवाब दिया जाए। शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और संबंधित अधिकारियों/विभागों को स्मरण–पत्र भेजे जाते हैं तथा समीक्षा बैठकें बुलाई जाती हैं। सभी मीडिया इकाइयों में आमतौर पर संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव स्तर के किसी अधिकारी को जन–शिकायत अधिकारी के रूप में मनोनीत किया जाता है।

महत्वपूर्ण और अति आवश्यक मामलों के जल्द निपटान के लिए संबंधित मीडिया इकाइयों/कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी विचार–विमर्श करते हैं। आवेदनों के निपटान की स्थिति के बारे में शिकायतकर्ता प्राधिकरण/व्यक्ति को सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से या डाक द्वारा जानकारी दी जाती है।

जन–शिकायत निवारण के लिए जन–शिकायत/क्रियान्वयन तंत्र के संबंध में प्रशासनिक सुधार और जन–शिकायत विभाग से समय–समय पर होने वाले दिशानिर्देश, मंत्रालय के तहत कार्यरत सभी मीडिया इकाइयों/स्वायत्त निकायों इत्यादि को भेजे जाते हैं। मंत्रालय में शिकायत निवारण पर सचिव (सूचना एवं प्रसारण) भी निगरानी रखते हैं।

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी शिकायत निवारण के लिए ऐसी ही व्यवस्था है।

शिकायत निवारण के लिए निर्धारित समय

क्र.सं.	विषय	समय
1.	आवेदक पावती/अंतरिम जवाब जारी करना	3 दिन
2.	शिकायत पत्र, संबंधित प्रशासनिक शाखा/उत्तरदायित्व केंद्र को भेजने में लगने वाला समय	7 दिन
3.	शिकायत पत्र प्राप्त होने की तारीख़ या आवेदक से स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी मांगे जाने की तारीख़ में से जो भी बाद में हो, के बाद अंतिम जवाब देने में लगने वाला समय	2 महीने

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अजय मित्तल निजी एफएम रेडियो चैनल के दूसरे बैच की ई–नीलामी से पूर्व बैठक को संबोधित करते हुए

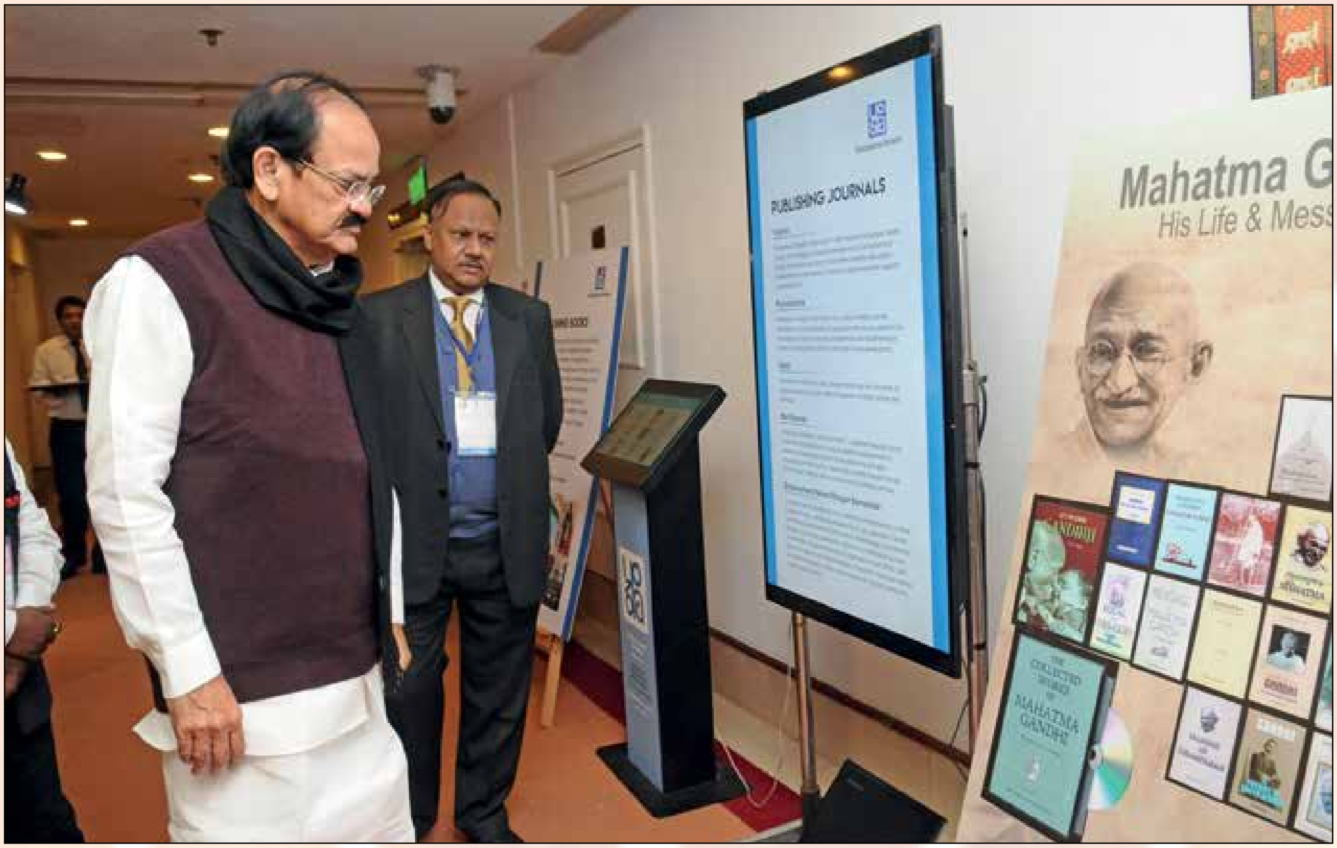

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु, सिमकॉन–2016 के दौरान प्रकाशन विभाग की कालजयी कृतियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए

14 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले

देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने तथा संबंधित प्रासंगिक मामलों के बारे में सरकारी अधिकारियों से जनहित की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार का अर्थ है, ऐसी सूचना तक पहुंच का अधिकार, जो किसी सरकारी अधिकारी के अंतर्गत या नियंत्रण में हो। इसमें निम्नांकित अधिकार शामिल हैं :

1. कार्य, दस्तावेज़ रिकार्ड की निरीक्षण।
2. टिप्पणियां, सारांश या दस्तावेज़ों या रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करना।
3. सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना।
4. सीडी तथा किसी अन्य इलैक्ट्रानिक मोड में या मुद्रित रूप में सूचना प्राप्त करना, जहां ऐसी सूचनाएं कंप्यूटर अथवा किसी अन्य उपकरण में स्टोर की गई हों।

मुख्य सचिवालय में आरटीआई अधिनियम का क्रियान्वयन

प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में मंत्रालय द्वारा सूचना एवं सुविधा काउंटर की स्थापना 4 जुलाई, 1997 को की गई थी। आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मंत्रालय और इसके संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों से संबंधित सभी आवेदन, अपील और मुख्य सतर्कता आयुक्त के निर्णय सूचना केंद्र (आई.एफ.सी.) में प्राप्त होते हैं। अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना करने और अपीलकर्ता द्वारा दाख़िल की गई अपील के बारे में निर्णय के लिए मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में 27 मुख्य जन सूचना अधिकारी और 17 अपील प्राधिकारी पदनामित किए गए हैं। इनकी सूची मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध है।

01 जनवरी, 2016 से 14 दिसंबर, 2016 के दौरान आई. एफ.सी. में 1746 आवेदन और 193 अपीलें प्राप्त हुईं और सभी आवेदकों को आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 में निर्धारित उचित उत्तर दिए गए। अप्रैल 2013 में कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने आर.टी.आई. के नाम से एक वेब पोर्टल http://rtionline.gov.in लांच किया है। मंत्रालय के पास 785 ऑनलाइन आवेदन तथा 101 अपील आई हैं जिन्हें 1746 आवेदनों और 193 अपीलों में शामिल किया गया है। डाक द्वारा प्राप्त आरटीआइ आवेदनों को भी दिनांक 01 सितंबर, 2014 से आरटीआइ वेब पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार/निरीक्षण प्रभार के रूप में 24,707 रुपयों की धनराशि प्राप्त हुई है। भारत के विभिन्न राज्यों के लगभग 1300 आगंतुकों को आई.एफ.सी. द्वारा सेवा प्रदान की गई है। उन्होंने आमतौर पर टीवी चैनलों, केबल टीवी आदि के बारे में जानकारी मांगी थी।

सूचना और सुविधा केंद्र ने संगठन के ग्राहकों/उपभोक्ताओं को निम्नांकित सेवाएं प्रदान की :

(क) संगठन द्वारा दी गई सेवाओं, कार्यक्रमों और उसके द्वारा समर्थित योजनाओं तथा संबद्ध नियमों एवं प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी ब्रोशर, फोल्डरों आदि के माध्यम से प्रदान की गई।

(ख) संगठन के सेवाएं अनुकूल ढंग से, समय पर, सक्षमतापूर्वक पारदर्शी तरीके से प्राप्त करने में ग्राहक/उपभोक्ता को सुविधाएं प्रदान करना और सार्वजनिक उपयोग के लिए अपेक्षित प्रपत्र आदि उपलब्ध कराना।

(ग) संगठन की सेवाओं/योजनाओं/कार्य प्रणाली के संदर्भ में संगठन द्वारा विकसित सेवा गुणवत्ता मानकों, समय संबंधी मानदंड आदि के बारे में सूचना देना।

(घ) संगठन के जन शिकायत निवारण तंत्र के बारे में श्रेणीबद्ध व्यवस्था की जानकारी देना।

(ङ) शिकायतों/आवेदनों/अनुरोधों/प्रपत्र (संगठन द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में) को प्राप्त

करना, उनकी पावती देना और उन्हें संगठन में संबद्ध प्राधिकारी को अग्रसारित करना और उनकी स्थिति/निपटान के बारे में सूचना प्रदान करना।

(च) आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत एक सूचना नियमावली सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है, जो सूचना और सुविधा काउंटर पर उपलब्ध है।

लगातार जांच एवं समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम में निहित प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है।

आर.टी.आई. आवेदनों के निपटारे संबंधी व्यवस्था

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत अनुभाग में प्राप्त सभी आवेदनों की छंटनी की जाती है। जिन आर.टी.आई. आवेदनों का संबंध इस मंत्रालय से नहीं होता उन्हें संबद्ध मंत्रालय के सी.पी.आई.ओ को हस्तांतरित कर दिया जाता है। शेष आवेदन आर.टी.आई. रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि करने के बाद संबद्ध सी.पी.आई.ओ. को अग्रसरित कर दिए जाते हैं।

बकाया आवेदनों के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई की व्यवस्था के रूप में सी.पी.आई.ओ. को कलर कोडेड रिमाइंडर जारी किए जाते हैं, अर्थात् 15 दिनों के बाद नीले कागज़ पर और 25 दिनों के बाद गुलाबी कागज़ पर क्रमशः अनुस्मरण पत्र भेजा जाता है, ताकि आवेदक को निर्धारित 30 दिनों की अवधि में सूचना प्रदान किए जाने में कोई भी कोताही नहीं होने पाए।

ऑनलाइन आर.टी.आई. पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए गए आवेदन एवं अपील मंत्रालय से संबंधित सी.पी.आई.ओ./ए.ए. को भेज दिए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदनों/अपीलों के स्टेटस देखने और उत्तर देने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 का कार्यान्वयन

मंत्रालय ने धारा 4(ख)(I) और 4(ख)(II) के तहत सरकारी प्राधिकरण में उपलब्ध सूचना को बिना मांगे ही जनता को उपलब्ध कराने और उसे वेबसाइट पर डालने का दायित्व पूरा कर दिया है। आंकड़ों की तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से सीआईसी वेबसाइट पर अंतरित की जाती है जिनमें प्राप्त, रद्द की गई, स्थानांतरित आवेदनों/अपीलों के आंकड़ें दिए जाते हैं।

मंत्रालय के कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

इस मंत्रालय के तहत सभी संबद्ध/अधीनस्थ/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के द्वारा सी.पी.आई.ओ. और अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वे इस बारे में डी.ओ.पी.टी. (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार काम कर रहे हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, गोवा में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए

श्री एम. वेंकैया नायडु सूचना एवं प्रसारण मंत्री, शहरी आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधिकारियों को संबोधित करते हुए। सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर और मंत्रालय के सचिव भी उपस्थित हैं

15 लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा

सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य लेखांकन प्राधिकारी हैं। वह अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा नियंत्रक के सहयोग से यह दायित्व निभाते हैं।

मुख्य लेखा नियंत्रक लेखांकन संगठन के प्रशासनिक प्रमुख हैं। वह अपना कार्य लेखा नियंत्रक, उप लेखा निरीक्षक और 14 वेतन एवं लेखा अधिकारियों की मदद से संपन्न करते हैं। वेतन एवं लेखा कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर एवं गुवाहाटी में हैं।

मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय के प्रमुख दायित्व इस प्रकार हैं :

- मंत्रालय का वार्षिक बजट तैयार करना और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लेखा और उससे संबंधित मामलों का लेखा तैयार करना।
- मंत्रालय की प्राप्तियों की समयबद्ध वसूली की निगरानी।
- देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित वेतन एवं लेखा अधिकारियों और संवितरण अधिकारियों की मदद के ज़रिए भुगतान तथा लेखा प्रणाली का प्रबंधन।
- केंद्रीय लेन–देन विवरण, विनियोग लेखा, केंद्रीय वित्तीय लेखा और प्राप्ति बजट तैयार करना और उन्हें वित्त मंत्रालय के महा लेखा नियंत्रक को पहुंचाना।
- वर्षभर के लेखा–विवरण (एकाउंट्स एट् ए ग्लांस) का प्रकाशन।
- आंतरिक लेखा परीक्षण दलों को सामान्य दिशा–निर्देश देना और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) कार्यालय से संपर्क बनाए रखना।
- विभिन्न अनुदानों, सहायता, ऋणों और बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना तथा इनके पुनर्भुगतान और उपयोग प्रमाण पत्रों पर निगरानी रखना।
- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों, जनरल प्रॉविडेंट फंड और निजी दावों के अन्य मामलों का तेज़ी से निपटान सुनिश्चित करना।
- लेखा संगठन के विभागाध्यक्ष के रूप में मिले अधिकारों का समुचित उपयोग और लेखा संवर्ग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण, तबादलों, पदोन्नति, छुट्टियों, सर्तकता और अनुशासन संबंधी मामलों का निपटान।
- पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) के आंतरिक वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना।

भुगतान और लेखांकन प्रणाली

मंत्रालय से संबद्ध भुगतान नामित वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाते हैं। मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय में गवर्नमेंट इलेक्ट्रानिक पेमेंट गेटवे सॉफ्टवेयर के ज़रिए ई–भुगतान प्रणाली सफलता के साथ लागू की गई है। इस तरह प्राप्तकर्ताओं को देय राशि अब सीधे उनके खाते में जमा हो जाती है।

मंत्रालय के मासिक खाते और वार्षिक विनियोग खाते सीजीए द्वारा निर्धारित प्रारूप में और समय पर तैयार किए जाते हैं। सभी भुगतान सीजीए द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की मदद से विकसित 'कॉम्पैक्ट' सॉफ्टवेयर के ज़रिये किए जाते हैं। इन आंकड़ों को सिविल लेखा संगठन के इलेक्ट्रानिक भुगतान और लेखा सॉफ्टवेयर प्रणाली– ई–लेखा में अपलोड कर दिया जाता है। ई–लेखा प्रणाली दैनिक, मासिक और वार्षिक लेखा प्रक्रिया की रिपोर्टिंग और निगरानी की मुख्य प्रणाली है। वेतन और लेखा अधिकारी अपना मासिक लेखा प्रधान लेखा कार्यालय को प्रस्तुत करते हैं जहां से मंत्रालय के लिए मासिक लेखाओं का संकलन किया जाता है। और इसे ई–लेखा मॉड्यूल के तहत महालेखा नियंत्रक को भेज दिया जाता है।

इस प्रणाली के परिणामस्वरूप निचले से निचले स्तर पर बजट आबंटन के समानांतर व्यय की रोज़ाना रिपोर्टिंग की जा सकती है। इस तरह केंद्र सरकार के मंत्रालय/

विभागों की सामाजिक परियोजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है।

मंत्रालय की प्राप्तियों और भुगतानों का मासिक सारांश तथा पिछले वर्ष उसी अवधि के आंकड़ों का सार–संक्षेप मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

टैक्स के अलावा अन्य तरह के राजस्व के लिए ई–पोर्टल (एनटीआरपी) की शुरुआत

यह पोर्टल नागरिकों/कार्पोरेट/अन्य उपयोग करनेवालों को करों से इतर तमाम तरह के राजस्व के भारत सरकार को एक ही स्थान पर ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। भारत सरकार की टैक्स से भिन्न कुल वार्षिक प्राप्तियां 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हैं। इसका सबसे बड़ा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान किए जाने वाले लाभांश के रूप में होता है। गैर–कर प्राप्तियों की प्रमुख मदों में ब्याज प्राप्तियां, स्पेक्ट्रम शुल्क, लाइसेंस शुल्क, फार्मों की बिक्री से होने वाली आमदनी, आरटीआई आवेदन शुल्क आदि शामिल हैं। पूर्ण सुरक्षा वाले सूचना टेक्नोलाजी माहौल में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा से आम उपयोगकर्ताओं/नागरिकों को पहले ड्राफ्ट बनवाने के लिए बैंक जाने और उसके बाद उसे जमा कराने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। इससे ड्राफ्ट आदि के सरकारी खाते में प्रेषण में होने वाली अनावश्यक देरी से तो छुटकारा मिलेगा ही, बैंक खाते में इसे जमा करने में होने वाला विलंब भी नहीं होगा।

इर्ला (इंडिविजुअल रनिंग लेजर एकाउंट)

यह कार्यालय अन्य मंत्रालयों के विभाग–केंद्रित वेतन और लेखा कार्यालयों के साथ ही विकसित किया गया है। इर्ला प्रणाली का उद्देश्य सेवा और भुगतानों का एक केंद्रीय तंत्र बनाना है ताकि मंत्रालय की सभी मीडिया इकाइयों और प्रसार भारती के अधिकारी, पूरे देश में तबादले वाली सेवाएं होने के बावजूद, आसानी से अपना वेतन पा सकें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती की देशभर में फैली लगभग 50 मीडिया इकाइयों के सेवा और वेतन संबंधी रिकॉर्ड इर्ला में रखे जाते हैं। यही दफ्तर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के लगभग 1,200 सेवारत अधिकारियों और करीब 12,000 सेवानिवृत्त अधिकारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान का प्रबंध करता है। महा लेखा नियंत्रक इस कार्यालय के प्रमुख हैं जिनके अधीन 4 लेखा अधिकारी और 8 सहायक

लेखा संगठन

सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

↓

अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार

↓

महा लेखा नियंत्रक

↓

लेखा नियंत्रक

↓

प्रधान लेखा नियंत्रक

↓

वेतन एवं लेखा अधिकारी (14)

लेखा अधिकारी हैं। अधिकारियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रणाली को समुन्नत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक लेखा–परीक्षा सरकारी वित्त प्रबंधन का अभिन्न अंग है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सरकारी रकम की उचित तरीके से और नियमानुसार प्राप्ति और भुगतान हो सके। आंतरिक लेख–परीक्षा के ज़रिये लेखा रिकॉर्डों के स्तर की भी रिपोर्टिंग होती है ताकि सरकारी कोष को लेखा दस्तावेज़ों में सही तरीके से दिखाया जाए। केंद्र सरकार के कुछ मंत्रालयों में आंतरिक कार्य आबंटन नियमों के तहत लेखा महानियंत्रक द्वारा किया जाता है। इन नियमों के आइटम 6(ग) में, अन्य बातों के अतिरिक्त, यह कहा गया है कि लेखा महानियंत्रक के उचित मानक सुनिश्चित करेंगे। यह काफी हद तक अनुपालन ऑडिट पर केंद्रीय मंत्रालयों की आंतरिक लेखा शाखाओं पर प्रकाश डालता है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने वित्तीय सलाहकारों को संशोधित चार्टर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मुख्य लेखा नियंत्रकों/लेखा नियंत्रकों के नियंत्रण और निगरानी में आंतरिक लेखा स्कंध मात्र सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों की सही व्यवस्था लागू करने और इसके नियमन तक ही सीमित न रहें बल्कि इसके आगे भी निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें :

- सामान्य रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन और विशेष रूप से वित्तीय प्रणालियों में आंतरिक नियंत्रणों को सुचारू रूप से संचालन तथा वित्तीय एवं लेखा संबंधी रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना।
- जोखिम वाले घटकों (जिसमें आउटकम बजट में शामिल कारक भी हैं) की पहचान और निगरानी।
- सेवा डिलीवरी प्रणाली में किफ़ायत, कुशलता और इसके कारगर होने का आकलन ताकि पैसे का सही इस्तेमाल हो और
- प्रक्रियाओं के चलने के दौरान भी समय–समय पर कारगर तरीके से उनकी निगरानी।

इस तरह संशोधित चार्टर में आंतरिक लेखा परीक्षण का दायरा बढ़ गया है। अब इसमें मात्र यही शामिल नहीं है कि लेखा और वित्तीय मामलों में नियमों और प्रावधानों का ठीक से पालन सुनिश्चित हो रहा है या नहीं, बल्कि अब इसमें विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन, आंतरिक नियंत्रण के कारगर होने की पड़ताल और जोखिम वाले घटकों तथा कार्यकुशलता आदि पर निगरानी रखना भी शामिल हो गया है।

आंतरिक लेखा परीक्षण का दायरा बढ़ाने की वर्तमान नीतियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ही प्रयासों के अनुरूप हैं। विश्वभर में अब लेखा प्रणाली में सरकारी कार्यों के आर्थिक और सामाजिक पक्षों की विस्तृत समीक्षा भी शामिल हो गई है। इसे अक्सर धन के सही उपयोग (वेल्यू फॉर मनी) अथवा निष्पादन लेखा परीक्षा कहा जाता है जो अब तक मात्र कायदे–कानूनों ठीक से लागू हो जाना (कम्प्लाएंस ऑडिट) सुनिश्चित करने तक सीमित था। इस नए माहौल में, आंतरिक लेखा परीक्षक कार्यक्रमों को आंतरिक नियंत्रणों और उनकी कार्यकुशलता तथा व्यापकता के दायरे में परखते हैं और इस तरह इन कार्यक्रमों के प्रबंधकों की मदद करते हैं। इस प्रक्रिया के कार्यक्रमों के जारी रहने के दौरान भी उनमें सुधार संभव हो सकता है।

आंतरिक लेखा स्कंध वित्तीय सलाहकार के निर्देशन में कार्य करता है। इसके अंतर्गत कारगर आंतरिक लेखा प्रणाली सुनिश्चित करते हुए सरकारी अवसंरचनाओं, क्षमता निर्माण और उपयुक्त टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बल दिया गया है।

निरीक्षण दलों का मुख्य कार्य देशभर की इकाइयों में आहरण और संवितरण अधिकारियों की मदद करना है ताकि वे अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को सही तरीके से संपन्न कर सकें। आर्थिक और कार्यप्रणाली की सुविधा तथा किफ़ायत के मद्देनज़र, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में क्षेत्रीय आंतरिक लेखा पार्टियां गठित की

गई हैं। ये ऑडिट पार्टियां अपने क्षेत्र की लेखा रिपोर्टों का आकलन करके, उन्हें जांच तथा जरूरी मंजूरियां हासिल करने के लिए लेखा परीक्षा मुख्यालय भेजती हैं। मुख्यालय में इनकी समीक्षा की जाती है और इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक द्वारा विभागीय प्रमुखों के साथ चर्चा के बाद इनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जाता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान, अपर महानिदेशक (बी एंड ए), प्रसार भारती ने अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी सहायता–अनुदान से संबंधित वेतन से संबद्ध शीर्षों के तहत ग़ैर–योजना व्यय का नमूना लेखा परीक्षा/परीक्षण आयोजित करने का अनुरोध किया।

आंतरिक लेखा–परीक्षा के रिकार्डों के अनुसार देशभर में प्रसार भारती के 568 स्टेशन/इकाइयां हैं। इस सभी स्टेशनों की लेखा–परीक्षा बहुत बड़ा कार्य है तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आंतरिक लेखा–परीक्षा स्कंध के पास किसी निश्चित समय अवधि में इस कार्य को पूरा करवाने लायक श्रमशक्ति का अभाव है। इसके साथ ही इससे श्रमशक्ति के फिराव एवं अन्य सभी मीडिया यूनिटों की लेखा–परीक्षा के कार्य लंबित हो सकते हैं। लेखा–परीक्षा कर्मियों की यात्रा पर भी बहुत अधिक व्यय होगा। तदनुसार, 30 स्टेशनों में स्थापित प्रसार भारती के 76 यूनिटों का नमूना परीक्षण/लेखा परीक्षा का कार्य दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई तथा मुंबई स्थित आंतरिक लेखा–परीक्षा पार्टियों ने किया। इस लेखा–परीक्षा कार्यक्रम को बाद में एएस एवं एफए की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। गीत एवं नाटक प्रभाग की दो अन्य इकाइयों यानी ग़ैर प्रसार–भारती के अंतर्गत दिल्ली क्षेत्र एवं मुख्य इकाई की भी वर्ष 2015–16 के दौरान लेखा–परीक्षा की गई। विभिन्न लेखा परीक्षा टिप्पणियों का समग्र वित्तीय निहितार्थ करीब 11543.09 लाख रुपये था।

महत्वपूर्ण अनियमितताओं के सारांश के अनुच्छेद और उसमें शामिल कुल राशि निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दिखाई गई है :

क्र.सं.	अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	कुल राशि (लाख रुपये में)
1	केंद्र सरकार के विभागों/राज्य सरकार/ सरकारी निकाय/निजी पार्टियों से सरकारी बकाये की ग़ैर वसूली	4	69.23
2	अधिक भुगतान	28	140.51
3	निष्क्रिय मशीनरी/अतिरिक्त भंडार	0	0
4	घाटा/लाभदायक व्यय	0	0
5	अनियमित व्यय	56	3061.29
6	अनियमित ख़रीद	0	0
7	अग्रिम राशि का ग़ैर समायोजन		
	आकस्मिक अग्रिम	0	0
	टीए अग्रिम	0	0
	एलटीसी अग्रिम	0	0
8	सरकारी धन रोकना	35	7395.59
9	ग़ैर लेखाकृत महंगे भंडार/सरकारी धन	0	0.00
10	विशेष प्रकृति की अन्य मद	18	876.47
	कुल	**141**	**11543.09**

गोवा में 47वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में कोरिया गणराज्य से मास्टर फिल्म मेकर श्री इम क्वोन टाएक को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया

16 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां (01 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2016)

क्र.सं.	रिपोर्ट संख्या और वर्ष	अनुच्छेद संख्या	विषय के विवरण
1.	2016 का 11 (स्वीकृत लेखा परीक्षण)	11.1	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का कार्य संचालन – प्रमाणन प्रक्रिया में अस्पष्ट विलंब, समिति द्वारा जांच के लिए फिल्मों का चेतावनी आदेश, प्रामाणित फिल्मों को ए से यूए/ए श्रेणी इत्यादि में रूपांतरण।
2.	2016 का 11 (स्वीकृत लेखा परीक्षण)	11.2	सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), कोलकाता की शैक्षणिक गतिविधियां–स्थापना के 20 वर्ष बाद भी अपने उद्देश्यों में परिकल्पित विभिन्न पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने में विफल। संस्थानों की गतिविधियां, पाठ्यक्रमों को पूरा करने में होने वाले विलंब, ख़ाली पदों, पढ़ाई के कम घंटों और विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में आने वाले अंतराल के चलते प्रभावित हुईं।

पणजी, गोवा के 47वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2016 के उद्‌घाटन समारोह में नृत्य पेश करते हुए कलाकार

17 कैट के फ़ैसलों/आदेशों पर अमल

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार, कैट के निर्णयों/आदेशों पर अमल के बारे में मंत्रालय के मुख्य सचिवालय और विभिन्न मीडिया इकाइयों से जानकारी प्राप्त की गई। वर्ष 2015–16 की स्थिति निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	मीडिया इकाइयां	वर्ष 2015–16 के लिए कैट से प्राप्त आदेशों की संख्या	वर्ष 2015–16 में लागू किए गए फ़ैसलों और आदेशों की संख्या
1	मुख्य सचिवालय*	4	4
2	महानिदेशालय : विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	2	1**
3	प्रकाशन विभाग	0	0
4	पत्र सूचना कार्यालय	4	4
5	गीत एवं नाटक प्रभाग	0	0
6	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	6	6
7	भारत के समाचार पत्रों का पंजीयक	0	0
8	फोटो प्रभाग	0	0
9	न्यू मीडिया विंग	#	#
10	भारतीय प्रेस परिषद	0	0
11	भारतीय जन–संचार संस्थान	0	0
12	महानिदेशालय : आकाशवाणी (सीसीडब्ल्यू सहित)	93	49
13	महानिदेशालय : दूरदर्शन	61	53
14	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लि.	0	0
15	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	2	2
16	सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान	1	1
17	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान	0	0
18	फिल्म प्रभाग	2	0***
19	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	0	0
20	भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	0	0
21	भारतीय बाल फिल्म समिति	0	0
22	फिल्म समारोह निदेशालय	#	#
23	वेतन एवं लेखा कार्यालय	#	#
24	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर	0	0
	कुल	175	120

* मुख्य सचिवालय के बारे में जानकारी में बीए (पी)/एफ (एफ)/एफ (।)/एफ (पीएसयू) सेक्शन/डेस्क शामिल नहीं है।

** एक को लागू किया गया और एक अन्य पर उत्तरदायी की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।

*** एक को अभी लागू नहीं किया गया है जबकि एक अन्य के मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

विवरण प्राप्त नहीं हुआ।

47वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह की अंतरराष्ट्रीय जूरी के सदस्यों के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अजय मित्तल और बॉलीवुड अभिनेता श्री सुशांत राजपूत

18 योजना परिव्यय

योजना कार्यक्रम

योजना परिव्यय (2016–17)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का योजनागत स्कीमों के लिए 2016–17 का योजना परिव्यय 1000 करोड़ रुपये (800 करोड़ जीबीएस और 200 करोड़ रुपये आईईबीआर) है।

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र	जीबीएस	आईईबीआर	कुल
1	सूचना क्षेत्र	183.02	0.00	183.02
2	फिल्म क्षेत्र	141.48	0.00	141.48
3	प्रसारण क्षेत्र	475.50	200.00	675.50
	कुल	800.00	200.00	1000.00

2. 2016–17 की वार्षिक योजना के लिए मीडिया–वार और स्कीम–वार विवरण अनुलग्नक में दिए गए हैं।

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान योजना स्कीमों के लिए आवंटित कुल योजना परिव्यय (जीबीएस) 800 करोड़ रूपये का 10 प्रतिशत है।

पूर्वोत्तर घटक का विवरण इस प्रकार है–

(करोड़ रुपये में)

सूचना क्षेत्र	
पत्र सूचना कार्यालय	2.00
डीएवीपी	13.25
आईआईएमसी	2.00
फोटो प्रभाग	0.05
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	0.50
एस एंड डीडी	1.00
फिल्म क्षेत्र	
मुख्य सचिवालय (फिल्म विंग स्कीमें	3.00
प्रसारण क्षेत्र	
आकाशवाणी	31.00
दूरदर्शन	27.00
मुख्य सचिवालय (प्रसारण)	0.20
कुल	**80.00**

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

वार्षिक योजना 2016–17 (योजना–वार)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	कुल योजना प्रावधान (2016–17)	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रावधान (2016–17)	बजट आकलन में दर्शाए गए प्रावधान (2016–17)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	सूचना क्षेत्र			
क	**जारी योजनाएं**			
1	नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केंद्र की स्थापना (पीआईबी)	0.00	0.00	0.00
2	आईआईएमसी का अंतरराष्ट्रीय स्तर तक उन्नयन (आईआईएमसी)	6.00	0.00	6.00
3	सूचना भवन का निर्माण (मुख्य सचिवालय)	0.00	0.00	0.00
	कुल	**6.00**	**0.00**	**6.00**
ख	**नई योजनाएं**			
4	**मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम**			
4.1	डीएवीपी को नया स्वरूप देना (डीएवीपी)	3.00	0.00	3.00
4.2	पीआईबी का आधुनिकीकरण (पीआईबी)	5.00	0.00	5.00
4.3	आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र खोलना (आईआईएमसी)	13.00	2.00	11.00
4.4	प्रकाशन विभाग तथा एम्पलाइमेंट न्यूज का पुनरुद्धार, उन्नयन और आधुनिकीकरण (प्रकाशन विभाग)	5.00	0.00	5.00
4.5	नेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष अभियान (फोटो प्रभाग)	1.12	0.05	1.07
4.6	आरएनआई मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण (आरएनआई)	0.50	0.00	0.50
	कुल	**27.62**	**2.05**	**25.57**
5	**विकास संचार और सूचना प्रसार**			
5.1	विकास संचार के ज़रिये लोक सशक्तीकरण (धारणा तथा प्रसार) (डीएवीपी)	125.60	13.25	112.35
5.2	मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और विशेष आयोजनों का प्रचार (पीआईबी)	8.00	2.00	6.00
5.3	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा सीधा संपर्क कार्यक्रम (डीएफपी)	4.00	0.50	3.50
5.4	जीवंत कला और संस्कृति (एस एंड डीडी)	3.00	1.00	2.00

(करोड़ रुपये में)				
क्र.सं.	स्कीम का नाम	कुल योजना प्रावधान (2016–17)	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रावधान (2016–17)	बजट आकलन में दर्शाए गए प्रावधान (2016–17)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
5.5	सोशल मीडिया प्लेटफार्म (मुख्य सचिवालय)	4.00	0.00	4.00
	कुल	**144.60**	**16.75**	**127.85**
6	**मानव संसाधन विकास**			
6.1	मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण (प्रसार भारती के अलावा) (मुख्य सचिवालय)	3.00	0.00	3.00
6.2	अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम (मुख्य सचिवालय)	0.15	0.00	0.15
6.3	सभी तीन क्षेत्रों के लिए (प्रसार भारती को छोड़कर) नीतिगत अध्ययन, सेमिनार और आकलन आदि (मुख्य सचिवालय)	0.15	0.00	0.15
6.4	फिल्म मीडिया इकाइयों के लिए मानव संसाधन विकास (मु.स.)	1.00	0.00	1.00
6.5	प्रोफेशनल सेवाओं का भुगतान (मुख्य सचिवालय)	0.50	0.00	0.50
	कुल	**4.80**	**0.00**	**4.80**
	योग (सूचना क्षेत्र)	**183.02**	**18.80**	**164.22**
	कुल (चल रही योजनाएं)	**6.00**	**0.00**	**6.00**
	कुल नई योजनाएं	**177.02**	**18.80**	**158.22**
	फिल्म क्षेत्र			
क	**जारी स्कीमें**			
7	भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय (एफडी)	28.69	0.00	28.69
8	एसआरएफटीआई को सहायता अनुदान (एसआरएफटीआई)	0.00	0.00	0.00
	कुल	**28.69**	**0.00**	28.69
ख	**नई स्कीमें**			
9	**फिल्म क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना विकास कार्यक्रम**			
9.1	सीबीएफसी का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया (सीबीएफसी)	4.00	0.00	4.00
9.2	सिरी फोर्ट परिसर का उन्नयन (डीएफएफ)	1.00	0.00	1.00
9.3	फिल्म प्रभाग की भवन अवसंरचना का उन्नयन (एफडी)	1.68	0.00	1.68

(करोड़ रुपये में)				
क्र.सं.	स्कीम का नाम	कुल योजना प्रावधान (2016–17)	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रावधान (2016–17)	बजट आकलन में दर्शाए गए प्रावधान (2016–17)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
9.4	जयकर बंगले सहित एनएफएआई की अवसंरचना का उन्नयन और डिजिटल लाइब्रेरी बनाना (एनएफएआई)	5.00	0.00	5.00
9.5	एफटीआईआई को सहायता अनुदान–एफटीआईआई का उन्नयन और आधुनिकीकरण (एफटीआईआई)	20.00	0.00	20.00
9.6	एसआरएफटीआई का अवसंरचनात्मक विकास (एसआरएफटीआई)	7.00	0.00	7.00
	कुल	**38.68**	**0.00**	**38.68**
10	**विकास संचार और फिल्म सामग्री का प्रसार**			
10.1	देश–विदेश में फिल्म समारोहों और फिल्मी बाज़ारों के ज़रिए भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना (मुख्य सचिवालय)	20.00	2.00	18.00
10.2	विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्त चित्रों का निर्माण (मुख्य सचिवालय)	16.00	1.00	15.00
10.3	भारतीय सिनेमा शताब्दी समारोह (मुख्य सचिवालय)	0.00	0.00	0.00
10.4	फिल्म संग्रहालय की वेबकास्टिंग (फिल्म प्रभाग)	1.00	0.00	1.00
10.5	अभिलेखीय महत्व की फिल्मों और फिल्म सामग्री हासिल करना (एनएफएआई)	2.00	0.00	2.00
	कुल	**39.00**	**3.00**	**36.00**
	मिशन/विशेष परियोजनाएं			
11	**राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (मुख्य सचिवालय)**	30.00	0.00	30.00
12	**एंटी पाइरेसी पहल (मुख्य सचिवालय)**	0.01	0.00	0.01
13	**एनीमेशन, गेमिंग और वीएचएक्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना (मुख्य सचिवालय)**	5.10	0.00	5.10
	कुल	**35.11**	**0.00**	**35.11**
	महायोग (फिल्म क्षेत्र)	**141.48**	**3.00**	**138.48**
	कुल–जारी स्कीमें	**28.69**	**0.00**	**28.69**
	कुल–नई स्कीमें	**112.79**	**3.00**	**109.79**
	प्रसारण क्षेत्र			

(करोड़ रुपये में)				
क्र.सं.	**स्कीम का नाम**	**कुल योजना प्रावधान (2016–17)**	**पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रावधान (2016–17)**	**बजट आकलन में दर्शाए गए प्रावधान (2016–17)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
ए	**मुख्य सचिवालय**			
14	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र में बेहतर सुविधाएं (ईएमएमसी)	12.00	0.00	12.00
15	भारत में सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देना	4.00	0.20	3.80
16	मंत्रालय में डिजिटाइजेशन सपोर्ट सेल को नया नाम दिया गया– डिजिटाइजेशन मिशन	5.00	0.00	5.00
17	प्रसारण विंग का ऑटोमेशन	4.50	0.00	4.50
	कुल (मुख्य सचिवालय)	**25.50**	**0.20**	**25.30**
बी	**प्रसार भारती**			
18	प्रसार भारती को सहायता–अनुदान	390.00	50.00	340.00
19	किसान चैनल हेतु प्रसार भारती को सहायता–अनुदान	60.00	8.00	52.00
	कुल प्रसार भारती	**450.00**	**58.00**	**392.00**
	कुल–प्रसारण क्षेत्र	**475.50**	**58.20**	**417.30**
	बजटीय समर्थन का कुल योग (सूचना+फिल्म+प्रसारण)	**800.00**	**80.00**	**720.00**
20	प्रसार भारती के आईईबीआर से वित्त पोषित की जाने वाली नई सामग्री का विकास			
	आकाशवाणी	75.00	0.00	75.00
	दूरदर्शन	125.00	0.00	125.00
	उप–योग	**200.00**	**0.00**	**200.00**
	संपूर्ण योजना आकार	**1000.00**	**80.00**	**920.00**

नेपाल के वरिष्ठ पत्रकारों का शिष्टमंडल नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अजय मित्तल से मुलाकात करते हुए

19

मीडिया इकाई–वार बजट

मांग संख्या 59–सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

(रुपये हजार में)

	मीडिया इकाई/क्रियाकलाप का नाम	बजट अनुमान 2016–17			संशोधित अनुमान 2016–17		
		योजना	ग़ैर–योजना	कुल	योजना	ग़ैर–योजना	कुल
	राजस्व अनुभाग						
	मुख्य शीर्ष – '2251' – सचिवालय सामाजिक सेवा						
1.	मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	0	703200	703200	0	735200	735200
	मुख्य शीर्ष – '2205' – कला और संस्कृति का प्रमाणन सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सिनेमेटोग्राफी						-
2.	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड		90000	90000	0	88000	88000
3.	फिल्म प्रमाणन अपीलीय प्राधिकरण	0	3200	3200	0	2800	2800
	कुल मुख्य शीर्ष '2205'	**0**	**93200**	**93200**	**0**	**90800**	**90800**
	मुख्य शीर्ष – '2220' – सूचना, फिल्म और प्रचार						
4.	फिल्म प्रभाग	10000	594600	604600	9200	521800	531000
5.	फिल्म समारोह निदेशालय	0	131200	131200	0	132200	132200
6.	भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	20000	59200	79200	20000	60200	80200
7.	सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान	70000	134700	204700	70000	133700	203700
8.	भारतीय बाल फिल्म समिति (सीएफएसआई) को सहायता अनुदान	0	31000	31000	0	31000	31000
9.	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे को सहायता अनुदान	200000	246600	446600	200000	235400	435400
10.	फिल्म स्कंध की योजना स्कीम	639100	0	639100	568900	0	568900
11.	सूचना स्कंध की योजना स्कीम	78000	0	78000	75600	0	75600

	मीडिया इकाई/क्रियाकलाप का नाम	बजट अनुमान 2016–17			संशोधित अनुमान 2016–17		
		योजना	ग़ैर–योजना	कुल	योजना	ग़ैर–योजना	कुल
12.	प्रसारण स्कंध योजना स्कीम	133000	0	133000	74300	0	74300
13.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निरीक्षण केंद्र (ईएमएमसी)	100000	14200	114200	96000	6200	102200
14.	न्यू मीडिया विंग (पूर्व में गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग)	0	29400	29400	0	28800	28800
15.	भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) को अनुदान सहयोग	170000	133700	303700	118500	188300	306800
16.	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	1153500	845600	1999100	1529600	672000	2201600
17.	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)	110000	704100	814100	76100	695000	771100
18.	भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहयोग	0	73800	73800	0	74100	74100
19.	समाचार पूल इकाई (व्यावसायिक सेवाएं)	0	100	100	0	0	0
20.	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी)	35000	679600	714600	410300	664500	1074800
21.	गीत एवं नाटक प्रभाग (एस एंड डीडी)	20000	427000	447000	20000	417000	437000
22.	प्रकाशन विभाग	50000	371500	421500	60000	376500	436500
23.	रोजगार समाचार	0	223500	223500	0	135500	135500
24.	भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार	5000	73600	78600	5000	74500	79500
25.	फोटो प्रभाग	10700	54700	65400	10700	44000	54700
26.	निजी एफएम रेडियो स्टेशन	0	38500	38500	0	20000	20000
27.	संचार विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) में योगदान	0	2100	2100	0	2100	2100
28.	संचार विकास के लिए एशिया प्रशांत संस्थान (एआईबीडी) में योगदान	0	2600	2600	0	2600	2600
	कुल मुख्य शीर्ष '2220'	**2804300**	**4871300**	**7675600**	**3344200**	**4515400**	**7859600**
	कुल/मुख्य शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**2804300**	**5667700**	**8472000**	**3344200**	**5341400**	**8685600**
	प्रसारण (मुख्य शीर्ष–2221)						
	प्रसार भारती को अनुदान (कनिष्ठ प्रमुख)						

	मीडिया इकाई/क्रियाकलाप का नाम	बजट अनुमान 2016–17			संशोधित अनुमान 2016–17		
		योजना	ग़ैर–योजना	कुल	योजना	ग़ैर–योजना	कुल
29.	प्रसार भारती						
	सामान्य अनुदान सहयोग	450000	1635000	2085000	450000	1826800	2276800
	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	3470000	0	3470000	3470000	0	3470000
	वेतन हेतु अनुदान सहयोग	0	25533600	25533600	0	25841800	25841800
	कुल–प्रसार भारती	**3920000**	**27168600**	**31088600**	**3920000**	**27668600**	**31588600**
	कुल–प्रसारण	**3920000**	**27168600**	**31088600**	**3920000**	**27668600**	**31588600**
30.	**उत्तर–पूर्वी क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ हेतु उत्तर–पूर्वी क्षेत्र अन्य व्यय योजना**						
	एकमुश्त प्रावधान (मुख्य शीर्ष–2552)	**800000**	**0**	**800000**	**860000**	**0**	**860000**
	कुल–राजस्व अनुभाग	**7524300**	**32836300**	**40360600**	**8124200**	**33010000**	**41134200**
	पूंजी अनुभाग						
I.	**मशीनरी और उपकरण**						
31.	फिल्म प्रभाग के उपकरणों का अधिग्रहण	2800	0	2800	2800	0	2800
32.	राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन–मशीनरी और उपकरण	2000	0	2000	100	0	100
33.	कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली और सीबीएफसी की प्रमाणन प्रक्रिया की स्थापना हेतु उपकरणों का अधिग्रहण	30000	0	30000	27100	0	27100
34.	फिल्म महोत्सव परिसर–परिवर्धन और परिवर्तन–मशीनरी और उपकरण	100	0	100	0	0	0
35.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निरीक्षण केंद्र–मशीनरी और उपकरण	100	0	100	100	0	100
II.	**भवन**						
	फिल्म प्रभाग की आधारभूत संरचना का उन्नयन–प्रमुख कार्य	14000	0	14000	14000	0	14000
37.	म्यूजियम ऑफ मूविंग इमेजेस (एफडी) का गठन–प्रमुख कार्य	286900	0	286900	343900	0	343900

	मीडिया इकाई/क्रियाकलाप का नाम	बजट अनुमान 2016–17			संशोधित अनुमान 2016–17		
		योजना	ग़ैर–योजना	कुल	योजना	ग़ैर–योजना	कुल
38.	जयकर बंगला सहित एनएफएआई की आधारभूत संरचना का उन्नयन और डिजिटल लाइब्रेरी का गठन	50000	0	50000	40000	0	40000
39.	फिल्म समारोह परिसर–परिवर्धन और परिवर्तन–मशीनरी और उपकरण–प्रमुख कार्य	9900	0	9900	0	0	0
40.	राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन–प्रमुख कार्य	50000	0	50000	19900	0	19900
41.	सीबीएफसी की आधारभूत संरचना का उन्नयन और विस्तार	10000	0	10000	8000	0	8000
42.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निरीक्षण केंद्र–प्रमुख कार्य	19900	0	19900	19900	0	19900
	कुल–पूंजी प्रभाग मुख्य शीर्ष '4220'	**475700**	**0**	**475700**	**475800**	**0**	**475800**
	कुल–मांग संख्या 59	**8000000**	**32836300**	**40836300**	**8600000**	**33010000**	**41610000**

	मीडिया इकाई / क्रियाकलाप का नाम	बजट अनुमान 2017–18		
		योजना	गैर योजना	कुल
राजस्व अनुभाग				
क. केंद्र का स्थापना व्यय				
मुख्य शीर्ष– '2251' – सामाजिक सेवा सचिवालय				
1	मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	0	795200	795200
	मुख्य शीर्ष – '2205' – कला और संस्कृति का प्रमाणन सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सिनेमेटोग्राफी			
2	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	0	99000	99000
3	फिल्म प्रमाणन अपीलीय प्राधिकरण	0	3300	3300
	कुल मुख्य शीर्ष '2205'	**0**	**102300**	**102300**
	मुख्य शीर्ष – '2220' – सूचना, फिल्म और प्रचार			
4	फिल्म प्रभाग	0	572300	572300
5	फिल्म समारोह निदेशालय	0	134200	134200
6	भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	0	59950	59950
7	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निरीक्षण केंद्र (ईएमएमसी)	0	8500	8500
8	न्यू मीडिया विंग (पूर्व में अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण शाखा)	0	33800	33800
9	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	0	714200	714200
10	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)	0	735000	735000
11	समाचार पूल इकाई (व्यावसायिक सेवाएं)	0	0	0
12	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी)	0	676000	676000
13	गीत और नाटक प्रभाग : निर्वाचित (एस एंड डीडी)	0	457000	457000
	गीत और नाटक प्रभाग : प्रशुल्क (एस एंड डीडी)	0	0	0
14	प्रकाशन विभाग	0	376500	376500
15	रोजगार समाचार	0	136000	136000
16	भारतीय समाचार पत्र रजिस्ट्रार	0	79500	79500
17	फोटो प्रभाग	0	52000	52000
18	निजी एफएम रेडियो स्टेशन	0	20000	20000
19	विकास और संचार के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) में योगदान	0	2100	2100
20	प्रसारण विकास के लिए एशिया प्रशांत संस्थान (एआईबीडी) में योगदान	0	2600	2600
21	एसोसिएशन ऑफ मूविंग एर्काइविस्ट (एएमआईए) के वार्षिक सदस्यता सबस्क्रिप्शन का भुगतान	0	40	40

	मीडिया इकाई / क्रियाकलाप का नाम	बजट अनुमान 2017–18		
		योजना	गैर योजना	कुल
22	एनएफएआई द्वारा अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता में योगदान	0	210	210
	कुल : मुख्य शीर्ष '2220'	**0**	**4059900**	**4059900**
	कुल : केंद्र का स्थापना व्यय	**0**	**4957400**	**4957400**
ख. केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम				
23	फिल्म अभिलेखागार का वेबकास्टिंग (फिल्म प्रभाग)	2500	0	2500
24	अभिलेखीय फिल्म और फिल्म सामग्री (एनएफएआई) का अधिग्रहण	20000	0	20000
25	एसआरएफटीआई की आधारभूत संरचना का विकास	80000	0	80000
26	एफटीआईआई का अनुदान सहयोग–एफटीआईआई का उन्नयन और आधुनिकीकरण	180000	0	180000
27	फिल्म स्कंध स्कीम्स (मुख्य सचिवालय)	1356500	0	1356500
28	सूचना स्कंध स्कीम्स (मुख्य सचिवालय)	88000	0	88000
29	प्रसारण स्कंध स्कीम्स (मुख्य सचिवालय)	108000	0	108000
30	इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण केंद्र (ईएमएमसी) का सशक्तीकरण	100000	0	100000
31	भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी)	160000	0	160000
(क)	आईआईएमसी के नवीन क्षेत्रीय केंद्रों का उद्घाटन	120000	0	120000
(ख)	आईआईएमसी के अंतरराष्ट्रीय मानकों का उन्नयन	40000	0	40000
32	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी)	1153000	0	1153000
(क)	डीएवीपी का सुधार और पुनर्गठन	32500	0	32500
(ख)	विकास संचार एवं प्रचार–प्रसार के माध्यम से लोगों का सशक्तीकरण	1120500	0	1120500
33	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)	82000	0	82000
(क)	पीआईबी का आधुनिकीकरण	50000	0	50000
(ख)	मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और विशेष आयोजनों के लिए प्रचार (पीआईबी)	32000	0	32000
34	डीएफपी द्वारा प्रत्यक्ष संपर्क कार्यक्रम	55000	0	55000
35	लाइव, कला और संस्कृति (एस एंड डीडी)	25000	0	25000
36	राष्ट्रीय फोटोग्राफी और विशेष केंद्र	12000	0	12000
	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अभियान (फोटो प्रभाग)			
37	प्रकाशन विभाग और रोजगार समाचार का पुनरुद्धार, उन्नयन और आधुनिकीकरण	60000	0	60000

	मीडिया इकाई / क्रियाकलाप का नाम	बजट अनुमान 2017–18		
		योजना	गैर योजना	कुल
38	भारतीय समाचार पत्र रजिस्ट्रार (आरएनआई) मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण	5000	0	5000
	कुल : मुख्य शीर्ष '2220'	**3487000**	**0**	**3487000**
	प्रसारण (मुख्य शीर्ष–2221)			
	प्रसार भारती को अनुदान (लघु शीर्ष)			
39	प्रसार भारती को अनुदान सहयोग	3080000	0	3080000
	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	3080000	0	3080000
40	किसान चैनल के लिए प्रसार भारती को अनुदान सहयोग	700000	0	700000
	सामान्य अनुदान सहयोग	550000	0	550000
	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	150000	0	150000
	प्रसार भारती को कुल अनुदान	3780000	0	3780000
	कुल–प्रसारण	**3780000**	**0**	**3780000**
41	उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ हेतु उत्तर पूर्वी क्षेत्र अन्य व्यय योजना प्रावधान (मुख्य शीर्ष – 2552)	842000	0	842000
	कुल – राजस्व अनुभाग	**8109000**	**0**	**8109000**
	पूंजी अनुभाग (मुख्य शीर्ष 4220)			
I.	**मशीनरी और उपकरण**			
41	फिल्म प्रभाग के उपकरणों का अधिग्रहण	2000	0	2000
42	राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन–मशीनरी और उपकरण	5000	0	5000
43	कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली और सीबीएफसी की प्रमाणन प्रक्रिया की स्थापना हेतु उपकरणों का अधिग्रहण	27000	0	27000
44	फिल्म समारोह परिसर–परिवर्धन और परिवर्तन–मशीनरी और उपकरण	100	0	100
45	फिल्म समारोह परिसर–परिवर्धन और परिवर्तन–मशीनरी और उपकरण	100	0	100
II.	**भवन**			0
46	फिल्म प्रभाग की आधारभूत संरचना का उन्नयन–प्रमुख कार्य	14000	0	14000
47	म्यूजियम ऑफ मूविंग इमेजेस (एफडी) का गठन–प्रमुख कार्य	80000	0	80000
48	जयकर बंगला सहित एनएफएआई की आधारभूत संरचना का उन्नयन और डिजिटल लाइब्रेरी का गठन	30000	0	30000
49	फिल्म समारोह परिसर– परिवर्धन और परिवर्तन–मशीनरी और उपकरण–प्रमुख कार्य	9900	0	9900
50	राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन–प्रमुख कार्य	95000	0	95000

	मीडिया इकाई / क्रियाकलाप का नाम	बजट अनुमान 2017–18		
		योजना	गैर योजना	कुल
51	सीबीएफसी की आधारभूत संरचना का उन्नयन और विस्तार	8000	0	8000
52	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निरीक्षण केंद्र–प्रमुख कार्य	19900	0	19900
	कुल – पूंजीगत प्रभाग मुख्य शीर्ष '4220'	**291000**	**0**	**291000**
	कुल – केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम	**8400000**	**0**	**8400000**
III.	**अन्य केंद्रीय व्यय (स्वायत्त निकाय)**			
53	भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) को अनुदान सहयोग	0	212300	212300
54	भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) को अनुदान सहयोग	0	85400	85400
55	भारतीय बाल फिल्म सोसायटी (सीएफएसआई) को अनुदान सहायता	0	32000	32000
56	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे (एफटीआईआई) को अनुदान सहायता	0	292200	292200
57	सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (एसआरएफटीआई) को अनुदान सहायता	0	143700	143700
58	प्रसार भारती को अनुदान सहयोग	0	29967000	29967000
	कुल–अन्य केंद्रीय व्यय (स्वायत्त निकाय)	**0**	**30732600**	**30732600**
	कुल–मांग संख्या : 59	**8400000**	**35690000**	**44090000**

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु और सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अजय मित्तल
28वें सिमकॉन के अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए

सूचना एवं प्रसारण सचिव, श्री अजय मित्तल गोवा में 47वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह को संबोधित करते हुए

20 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सांगठनिक चार्ट

- सांगठनिक चार्ट
- पदनाम
- वेबसाइट पते

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सांगठनिक चार्ट

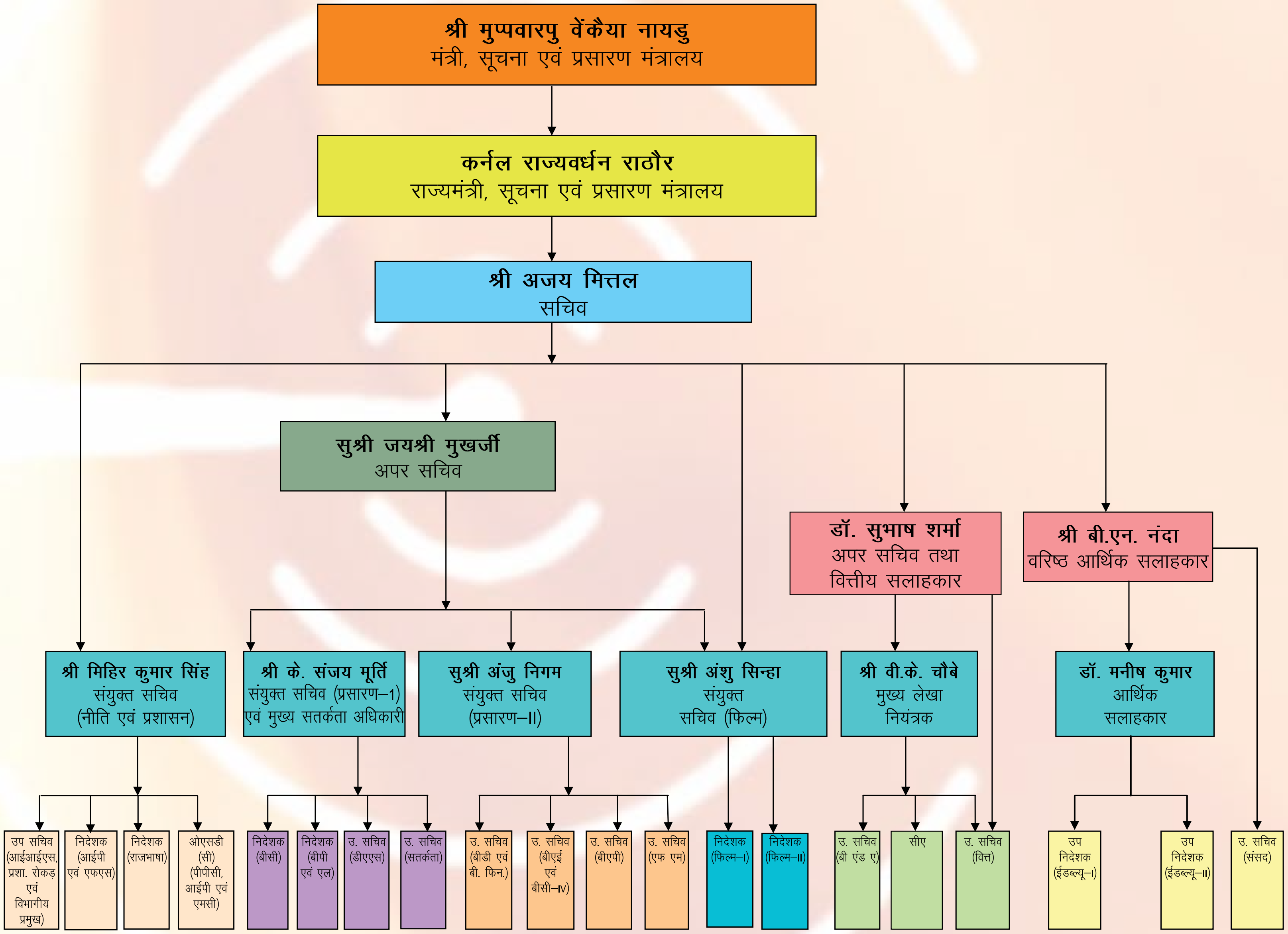

मंत्रालय के पदनाम

सचिव	सचिव
अप.स/वि.स.	अपर सचिव
अप.स. तथा वि.स.	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार
व. आर्थिक सलाहकार	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
सं.स. (नी. तथा प्रशा.)	संयुक्त सचिव (नीति तथा प्रशासन)
सं.स. (प्र.–I)	संयुक्त सचिव (प्रसारण–I)
सं.स. (फि.)	संयुक्त सचिव (फिल्म)
सं.स. (प्र. II)	संयुक्त सचिव (प्रसारण– II)
आर्थिक सलाहकार	आर्थिक सलाहकार
मु.ले.नि.	मुख्य लेखा निरीक्षक
निदेशक (फिल्म–I)	निदेशक (फिल्म– I)
निदेशक (फिल्म–II)	निदेशक (फिल्म– II)
निदेशक (प्र.सा.)	निदेशक (प्रसारण सामग्री)
निदेशक (प्र.नी. एवं वि.)	निदेशक (प्रसारण नीति एवं विधिक मामले)
निदेशक (सू.नी. एवं फि.सो.)	निदेशक (सूचना नीति एवं फिल्म सोसायटी)
उप सचिव (प्र.वि. तथा प्र.वित्त)	उप सचिव (प्रसारण विकास तथा प्रसारण वित्त)
उप सचिव (एफ.एम.)	उप सचिव (फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन)
निदेशक (रा.भा.)	निदेशक (राजभाषा)
उप सचिव (वित्त)	उप सचिव (वित्त)
उप सचिव (बीएपी)	उप सचिव (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम)
वि.का.अ. (स.)	विशेष कार्य अधिकारी (समन्वय)
उ.स. (भा.सू.से. एवं वि.मु.)	उप सचिव (भारतीय सूचना सेवा, रोकड़, प्रशासन और विभागीय प्रमुख
उ.स. (डी.ए.एस)	उप सचिव (डिजीटल एड्रेसेबल प्रणाली)
उ.स. (बीएई)	उप सचिव (प्रसारण प्रशासन इंजीनियरिंग
उ.स. (ब.ले.)	उप सचिव (बजट एवं लेखा)
ले.नि.	लेखा नियंत्रक
अ.स. (मी.इ.स.)	अवर सचिव (मीडिया इकाई समन्वय)
अ.स. (एफ.एस तथा सं.)	अपर सचिव (फिल्म सोसायटी तथा संसद)
अ.स. (प्र. 2 एवं 4)	अवर सचिव (प्रशासन 2 एवं 4)
अ.स. (प्र. 1, रोकड़)	अवर सचिव (प्रशासन 1, रोकड़)
अ.स. (स.)	अवर सचिव (सतर्कता)

अ.स. (भा.सू.से.)	अवर सचिव (भारतीय सूचना सेवा)
अ.स. (न्यू.मी.सो. एवं न्यू.मी.वि.)	अवर सचिव (न्यू मीडिया सेल, न्यू मीडिया विंग)
अ.स. (नी.यो.प्र., सू.स. एवं मी.स.)	अवर सचिव (नीति योजना प्रकोष्ठ, सूचना नीति एवं मीडिया समन्वय)
अ.स. (प्र.सा. 1,2 एवं 3)	अवर सचिव (प्रसारण सामग्री 1, 2 एवं 3)
अ.स. (इंसेट टीवी)	अवर सचिव (भारतीय सेटेलाइट टेलीविजन)
अ.स. (प्रे.)	अवर सचिव (प्रेस)
अ.स. (डीएएस)	अवर सचिव (डिजिटल एडरेस्बल सिस्टम)
अ.स. (प्र.नी एवं वि.)	अवर सचिव (प्रसारण नीति एवं विधिक मामले)
अ.स. (प्र.वि एवं प्र.वि.)	अवर सचिव (प्रसारण विकास एवं प्रसारण वित्त)
अ.स. (फ्री.मो.)	अवर सचिव (फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल)
अ.स. (प्र.प्र. का–1)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम–1)
अ.स. (प्र.प्र. का–2)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम–2)
अ.स. (प्र.प्र.अ.)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन अभियांत्रिकी)
अ.स. (प्र.वि.–4)	अवर सचिव (प्रसारण विकास–4)
अ.स. (वित्त–I एवं III)	अवर सचिव (वित्त– I एवं III)
अ.स. (वित्त–प्)	अवर सचिव (वित्त– II)
अ.स. (ब. एवं ले.)	अवर सचिव (बजट एवं लेखा)
अ.स. (फि.प्र., फि.उ. तथा फि.उ.)	अवर सचिव (फिल्म प्रमाणन, फिल्मोत्सव तथा फिल्म उद्योग)
अ.स. (फि.प्र. एवं फि. एवं टे.स.)	अवर सचिव (फिल्म प्रशासन, फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान)
अ.स. (फि.प्र. एवं फि.सा.उ.)	अवर सचिव (फिल्म प्रशासन एवं सार्वजनिक उपक्रम)
उ.नि. (आ.शा. I)	उप निदेशक (आर्थिक शाखा I)
उ.नि. (आ.शा. II)	उप निदेशक (आर्थिक शाखा II)
स.नि. (रा.भ.–1)	सहायक निदेशक (राजभाषा–1)
स.नि. (रा.ब.–2)	सहायक निदेशक (राजभाषा–2)
उ.नि. (स.रे.के.)	उप निदेशक (समुदायिक रेडियो केंद्र)
प्र. 1	प्रशासन 1
प्र. 2	प्रशासन 2
प्र. 3	प्रशासन 3
प्र. 4	प्रशासन 4
रोकड़	रोकड़
संसद	संसद
मी.इ.प्र.	मीडिया इकाई प्रकोष्ठ
फि.सो. डेस्क	फिल्म (सोसाइटी) डेस्क

रा.भा.ई.	राजभाषा इकाई
सतर्कता	सतर्कता
सू.नी. एवं मी.स.	सूचना नीति एवं मीडिया समन्वय
नी.नि.प्र.	नीति नियोजन प्रकोष्ठ
प्रेस	प्रेस
भा.सू.से.	भारतीय सूचना सेवा
फि.(स.) डेस्क	फिल्म (समारोह) डेस्क
फि.(फि. एवं टेली.सं.) डेस्क	फिल्म (फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान) डेस्क
फि.(प्रमा.) डेस्क	फिल्म (प्रमाणन) डेस्क
फि. (उ.) डेस्क	फिल्म (उद्योग) डेस्क
प्र.वि.व.–1	प्रसारण विषय वस्तु–1
प्र.वि.व.–2	प्रसारण विषय वस्तु–2
प्र.वि.व.–3	प्रसारण विषय वस्तु–3
प्र.वि.व.–4	प्रसारण विषय वस्तु–4
प्र.(वि.)	प्रसारण (विकास)
प्र.(वि.)	प्रसारण (वित्त)
प्र.नी एवं वि.	प्रसारण नीति एवं विधिक मामले
प्र.प्र.–का.	प्रसारण प्रशासन–कार्यक्रम
एफ.एम. प्र.	फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रकोष्ठ
सा.रे.के. प्र.	समुदाय रेडियो केंद्र प्रकोष्ठ
इन्सेट–टीवी	भारतीय सेटेलाइट टेलीविजन
प्र.प्र.–अ.	प्रसारण प्रशासन–अभियांत्रिकी
वित्त–1 एवं 3	वित्त–1 एवं 3
वित्त–2	वित्त–2
यो.स.प्र.	योजना समन्वय प्रकोष्ठ
ब. एवं ले.	बजट एवं लेखा
का.प्र.अ.	कार्यकुशलता प्रबंधन अनुभाग
एनएमसी/एनएमडब्ल्यू	नया मीडिया प्रकोष्ठ/न्यू मीडिया विंग
वे. एवं ले. अधि.	वेतन एवं लेखा अधिकारी
सू.सु.का.	सूचना सुविधा काउंटर

मीडिया इकाइयों के वेबसाइट पते

क्र.सं.	मीडिया इकाई	वेबसाइट
1	पत्र सूचना कार्यालय	www.pib.nic.in
2	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	www.davp.nic.in
3	प्रकाशन विभाग	www.publicationsdivision.nic.in
4	भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय	www.rni.nic.in
5	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	www.dfp.nic.in
6	फोटो प्रभाग	www.photodivision.gov.in
7	भारतीय जन संचार संस्थान	www.iimc.nic.in
8	भारतीय प्रेस परिषद	www.presscouncil.nic.in
9	न्यू मीडिया विंग	
10	प्रसार भारती i दूरदर्शन ii आकाशवाणी	www.prasarbharati.gov.in www.ddindia.gov.in www.allindiaradio.gov.in
11	गीत तथा नाटक प्रभाग	
12	फिल्म समारोह निदेशालय	www.dff.nic.in
13	ब्रॉडकॉस्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	www.becil.com
14	फिल्म प्रभाग	www.filmsdivision.org
15	बाल चित्र समिति, भारत	www.cfsindia.org
16	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान	www.ftiindia.com
17	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	www.nfdcindia.com
18	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	www.cbfcindia.gov.in
19	सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान	www.srfti.gov.in
20	राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय	www.nfaipune.gov.in
21.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र	www.emmc.gov.in

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खंड–II का प्रकाशन रोका जाना

लोकसभा सचिवालय के ओ.एम. संख्या 61/2/ईसी/2009 दिनांक 18 दिसंबर 2009 द्वारा सूचित संसदीय प्राक्कलन समिति की अनुशंसाओं के अनुसरण में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खंड–II का प्रकाशन वर्ष 2009–10 से बंद कर दिया गया है।

हालांकि यह मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in या www.mib.nic.in पर उसी प्रारूप में उपलब्ध है, जैसे कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खंड–II में पहले प्रकाशित किया जाता था।

वार्षिक रिपोर्ट